2016-17

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

25 MCL Years of Mining Excellence

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा/परीक्षक	01
2.	सूचना	04
3.	अध्यक्ष का वक्तव्य	06
4.	निदेशको का प्रतिवेदन	17
5.	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की रिपोर्ट	119
6.	सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	125
7.	निदेशको की रिपोर्ट का अनुलग्नक	131
8.	कार्पोरेट शासन के परिस्थितियों के साथ अनुपालन का प्रमाण पत्र	138
9.	वार्षिक रिटर्न का सारांश	148
10.	प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	156
11.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	161
12.	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	163
13.	31 मार्च, 2017 के अनुसार तुलन	183
14.	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण	185
15.	तुलन पत्र एवं लाभ- हानि लेखा के अंश स्वरूप टिप्पणियां	188
16.	नकद प्रवाह विवरण	288
17.	एमसीएल और उसके सहायक कंपनियों का समेकित लेखा	289

गत दस वर्षों की वित्त संबंधी प्रमुख बातें

	विविरण	इकाई	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	कोयला उत्पादन	एमटी (मिलियन टन)	80.00	88.01	96.34	104.08	100.28	103.12	107.89	110.44	121.38	137.90	139.21
2	कोयले का प्रेषण	एमटी (मिलियन टन)	76.42	83.63	91.28	98.13	102.09	102.52	111.96	114.34	123.00	140.22	143.01
3	कोयले का विक्रय(सकल)	करोड रु.	4,507.52	5,291.07	6,487.55	7,466.56	9,249.75	12,068.60	13,190.42	13,165.61	14989.05	19829.58	23450.72
4	पीबीटी	करोड रु.	2,081.39	2,504.79	2,600.91	2,950.58	4,039.30	5,463.69	6,202.48	5,429.08	5,314.24	6260.43	6853.32
5	पीएटी	करोड रु.	1,368.45	1,643.04	1,718.03	1,946.69	2,609.32	3,709.51	4,212.44	3,624.30	3,554.10	4184.74	4491.09
6	लाभांश	करोड रु.	550.50	1,000.00	1,040.00	1,169.00	1,570.02	2,226.55	2,529.45	5,983.16	3,841.82	3608.45	2982.00
7	निवल स्थिर परिसंपत्तियाँ	करोड रु.	1,313.14	1,298.08	1,364.10	1,589.69	2,019.19	2,048.05	2,212.52	2,788.58	3,087.48	3252.55	3943.29
8	निवल मूल्य	करोड रु.	4,223.41	4,686.72	5,188.00	5,769.60	6,548.14	7,674.42	8,939.12	5,563.42	4,477.57	4319.26	3385.38
9	दीघ अवधि ऋण	करोड रु.	170.06	157.29	183.97	150.79	124.13	119.42	96.60	9.14	6.90	7.21	6.64
10	नियोजित पूँजी	करोड रु.	3,836.51	4,381.96	4,853.15	5,305.38	11,704.47	14,211.30	16,208.23	14,248.04	15,208.55	16629.66	15183.59
11	नियोजित पूँजी पर प्रतिलाभ	%	36	37	35	37	22	26	26	25	23	25	23
12	मूल्य योग	करोड रु.	3,314.95	3,957.52	4,988.95	5,594.64	6,945.29	8,825.63	9,206.31	9,153.60	10,203.46	11990.49	12474.74
13	प्रति शेयर अंकित मूल्य	रु.	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1000.00	1000.00
14	प्रति शेयर बूक वैल्यु	रु.	22,657.67	25,143.23	27,832.48	30,952.64	35,129.34	41,171.58	47,956.42	29,846.53	24,021.18	23171.89	23971.26
15	प्रति शेयर लाभांश	रु.	2,953.31	5,364.78	5,579.37	6,271.43	8,422.81	11,944.95	13,569.95	32,098.34	20,610.52	19358.54	21115.00
16	प्रति शेयर कमाई	रु.	7,341.44	8,814.57	9,216.84	10,443.57	13,998.43	19,900.71	22,598.82	19,443.58	19,066.97	22450.21	31800.60
17	इक्यूटी शेयरों की संख्या	संख्या	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1,864,009	1412266

वर्तमान प्रबंधन

(21.07.2017 के अनुसार)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	श्री ए. के . झा
कार्यकारी निदेशक	:	श्री जे. पी. सिंह निदेशक (तकनीकी/संचालन)
		श्री के. के. पारिडा निदेशक (वित्त)
		श्री एल. एन. मिश्रा निदेशक (कार्मिक)
		श्री ओ. पी. सिंह निदेशक (तक./यो.एवं परियो.)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	श्री आर. के. सिन्हा संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली
		श्री एस. एन. प्रसाद, निदेशक (विपणन), सीआईएल, कोलकाता
स्वतंत्र निदेशक गण	:	श्री एच. एस. पति
	:	डॉ राजीव मल्ल
स्थायी आमंत्रित	:	श्री जी. सी. राय मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
कंपनी सचिव	:	श्री. ए.के. सिंह

2016-17 के दौरान प्रबंधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	:	श्री ए. के . झा
कार्यकारी निदेशक	:	श्री जे. पी. सिंह निदेशक (तकनीकी/संचालन) श्री के.के. परिडा निदेशक (वित्त) श्री एल. एन. मिश्रा निदेशक (कार्मिक) श्री ओ.पी. सिंह निदेशक (तक./यो.एवं परियो.) (01.09.2016 से) श्री ए. के. तिवारी निदेशक (तक./संचालन) (31.08.2016 तक)
अंशकालीन सरकारी निदेशक	:	श्री मुकेश चौधरी निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली श्री जसमीत सिंह बिंद्रा निदेशक, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली (05.08.2016 तक) श्री एस. एन. प्रसाद, निदेशक (विपणन) सीआईएल, कोलकाता
अशासकीय अंशकालीन निदेशक	:	श्री एच.एस.पति डॉ. राजीव मल्ल
स्थायी आमंत्रित	:	श्री जी. सी. राय मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
कंपनी सचिव	:	श्री ए. के. सिंह

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक,
यूको बैंक,
केनरा बैंक,
पंजाब नेशनल बैंक,
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया,
इंडियन ओवरसीज बैंक,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
बैंक ऑफ इंडिया,
आईसीआईसीआई बैंक,
आंध्रा बैंक,
बैंक ऑफ बड़ौदा,
ऐक्सिस बैंक,
आईडीबीआई बैंक,
एचडीएफसी बैंक,
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स,
इलाहाबाद बैंक,
सिंडिकेट बैंक,
कॉर्पोरेशन बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

वैधानिक लेखा परीक्षक

मैसर्स सिंह रे मिश्रा एंड कं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, भुवनेश्वर

शाखा लेखा परीक्षक

मैसर्स एसआरबी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट, भुवनेश्वर

लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी
लागत लेखाकार, नई दिल्ली

शाखा लागत लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. धल एंड कं
लागत लेखाकार, भुवनेश्वर

सचिवीय लेखा परीक्षक

मैसर्स देव महापात्र एंड कं
कंपनी सचिव, भुवनेश्वर, ओडिशा

पंजीकृत कार्यालय

पो: जागृति विहार, बुर्ला,
संबलपुर -768020, ओड़िशा
वेबसाइट: www.mahanadicoal.in

सूचना

25 वी वार्षिक आम बैठक

सूचना दी जाती है कि महानदी कोलफील्डस लिमिटेड की 25 वीं सामान्य बैठक जो मूलतः 21 जुलाई, 2017 शुक्रवार को सुबह 11:00 बजे पंजीकृत कार्यालय/पोस्ट :जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर-768020 मे निम्नलिखित कार्यों के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित की गई है ।

सामान्य कार्य:

1. स्वीकार एवं पालन करने हेतु :

क. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च, 2017 का लेखा परीक्षित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरणी और निदेशक मंडल वैधानिक परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का रिपोर्ट शामिल है।

ख. 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी की समेकित लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणी जिसमें 31 मार्च, 2017 को लेखा परीक्षित तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरणी और निदेशक मंडल वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट।

2. वित्तीय वर्ष 2016-17 के भुगतान की गई इक्विटी शेयर पर अंतरिम लाभांश जो 2016-17 के लिए अंतिम लाभांश होने की पुष्टि।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के रोटेशन टर्म के कारण सेवा निवृत्त हुए निदेशक श्री एल.एन. मिश्रा (डीआईएन 07437632) के स्थान पर पात्र होने के कारण उन्हें पुन: निदेशक नियुक्त करना।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के रोटेशन टर्म के कारण सेवा निवृत्त हुए निदेशक श्री ओ. पी सिंह (डीआईएन 07627471) के स्थान पर पात्र होने के कारण उन्हें पुन: निदेशक नियुक्त करना।

5. बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णयानुसार प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स सिंह रे मिश्रा एंड अधिकृत लेखाकार, भुवनेश्वर एवं शाखा लेखा परीक्षक मेसर्स एआरबी एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, भुवनेश्वर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए नियुक्त किया गया था, के पारिश्रमिक की स्वीकृति देना ।

   "निदेशक मंडल के निर्णयानुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) के प्रावधानों एवं अन्य लागू प्रावधानों, यदि हों तो, उसके तहत वित्तीय वर्ष 2016-1 के कंपनी के लेखा की लेखा परीक्षा के लिए प्रमुख लेखा परीक्षक मेसर्स पाम्रा एंड एसोसिएट्स, अधिकृत लेखाकार, भुवनेश्वर एवं शाखा लेखा परीक्षक मेसर्स एस.आरबी एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार के पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता एवं जेबी खर्च की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति तथा भुगतान के लिए संकल्प लिया गया।"

6. वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को निश्चित करने के लिए यथोचित हो, तो निम्न संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।

"यह संकल्प लिया गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल 2017-18 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले ऑडिटरों की जेब खर्च, राजस्व करों और अन्य सहायक खर्चों से पारिश्रमिक को निश्चित करने के लिए प्राधिकृत होंगे। "।

<u>विशेष कार्य</u>

7. मद संख्या-1, वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए कंपनी के लागत परीक्षकों के लिए मानदेय में सुधार स्वीकार करने और यदि बदलाव(बदलावों) के साथ या बिना बदलाव के पास करने के लिए सही होना माना जाता हे तो निम्न संकल्प सामान्य संकल्प है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(3) और कंपनी(लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकों) नियमावली, 2014 और अधिनियम की अन्य प्रावधानों के तहत कंपनी, मुख्यालय और इसकी ईकाइयों - ईब कोयलांचल तथा बसुन्धरा क्षेत्र के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस रु. 2,78,910.00 प्रतिवर्ष, जेब खर्च रु.1,39,455.00(अधिकतम) प्रतिवर्ष और लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा कर के आधार पर मेसर्स चन्द्र वाधवा एंड कंपनी, लागत लेखाकार, नई दिल्ली को वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी का प्रधान लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) और कंपनी(लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षकों) नियमावली,2014 और अधिनियम की अन्य प्रावधानों के तहत कंपनी के तालचेर कोयलांचल, क्षेत्रों के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस रु. 184,570.00 प्रतिवर्ष, जेब खर्च रु. 92,385.00 (अधिकतम) प्रतिवर्ष और लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा कर के आधार पर मेसर्स को वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी का शाखा लागत लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है।

आगे संकल्प लिया गया है कि कंपनी के निदेशक मण्डल को एतद द्वारा इस संकल्प को प्रभावी रूप देने के लिए सभी कार्य करने, विलेख, मामलें और अन्य चीजें जैसा कि आवश्यक, वांछनीय या समीचीन हो, के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
महानदी कोलफील्डस लिमिटेड

ह/-
(ए .के .सिंह)
कंपनी सचिव

अध्यक्ष का वक्तव्य

मित्रों,

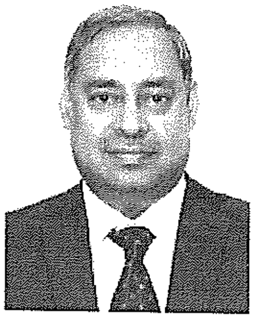

श्री अनिल कुमार झा

मुझे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड की 25 वीं वार्षिक आम बैठक(एजीएम) में आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। वर्ष 2016-17 के लेखा परीक्षित रिपोर्ट; निदेशकों के रिपोर्ट के साथ ही साथ वैधानिक लेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट एवं समीक्षा जिसे पहले ही आपको परिचालित किया गया है। आपकी अनुमति से, मैं यह मान लेना चाहता हूँ कि आपने उन्हें पढ़ लिया है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 एमसीएल के लिए एक और चुनौतीपूर्ण वर्ष रहा है। विषमताओं के बावजूद अपने सर्वोत्तम अभ्यासों और परिचालन उत्कृष्टता के कारण एमसीएल सीआईएल के सर्वश्रेष्ठ सहायक कंपनियों में से एक के रूप में उभरा है यह मेरे लिए गर्व एवं सौभाग्य की बात है कि आपकी कंपनी ने एमसीएल के इतिहास में 139.208 मिलियन टन कोयला उत्पादन का सर्वोत्तम लक्ष्य हासिल किया है। वर्ष के दौरान ओबी (OB) हटाना 123.34 मिलियन क्यूबिक मीटर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25.33% अधिक था। आपकी कंपनी ने सीआईएल की अनुषंगियों की तुलना में 143.01 मिलियन टन कोयले का प्रेषण किया है। सीआईएल के सभी अनुषंगियों की तुलना में एमसीएल में पर्यावरण हितैषी तरीके से 17 सरफेस माइनर कोयला उत्पादन भी शामिल था तथा इस तकनीक के माध्यम से हम करीब 92% कोयले का उत्पादन करते हैं। 9% की वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करके कोल इंडिया लिमिटेड की सभी अनुषंगियों में एमसीएल ने रू. 6853.32 करोड़ (पीबीटी) का लाभ अर्जित किया है । यह आपके सतत समर्थित तथा बहुमूल्य मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। अपने कार्यों में हमें प्रेरित करने के लिए हितधारकों और राष्ट्र के लिए मूल्यों को बनाने में आपका निरंतर विश्वास, सहयोग और सदभावना हमेशा से हमारे लिए मार्गदर्शक रहा है ।

कोयला ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में:

कोयला सातों दिन चौबीस घंटे ऊर्जा का प्रमुख टिकाऊ सस्ता तथा विश्वसनीय स्रोत है। वैश्विक तौर पर पर्यावरणीय कारको और सस्ते तेल तथा गैस की उपलब्धता के कारण वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग कम होते जा रहा है। हालांकि भारत में इसका परिदृश्य पूरी तरह अलग है। विद्युत मंत्रालय के बेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, कोयला देश में 76.4% विद्युत उत्पादन करता है। निकट भविष्य में बिजली उत्पादन में कोयले की अहम भूमिका की संभावना है, क्योंकि देश में सीमित तेल के रिजर्व के साथ इसके प्रचुर मात्रा में सुरक्षित और सस्ते उपलब्धता के कारण जल ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा संसाधनों के तेजी से विकास के लिए इसकी सीमाएं है। सौर ऊर्जा के साथ इसको वहाँ सीमाओं का सामना करना पड़ता हैं जहां यह रात के समय बिजली उत्पन्न नहीं कर सकता ।

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों के 97% कोयले से प्राप्त होता है । राष्ट्रीय कोयला सूची के दिनांक 01.04.2016 के अनुसार 69 विभिन्न कोयला अंचलो में 1200 मीटर की गहराई तक 308.802 बिलियन टन (बीटी) ठोस कोयला संसाधन है ।

ओड़िशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स विशाल तापीय श्रेणी के नॉन-कोकिंग कोयले का भंडार गृह है ।

ओड़िशा का भारत में कोयला भंडार में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है । दिनांक 01.04.2016 के अनुसार ओड़िशा में कुल कोयले भंडार का 75.895 बिलियन टन अनुमानित किया गया है जो कि कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का करीब 24.57% है। ओड़िशा के दो कोयला अंचल तालचेर और ईब- वैली कोलफील्ड्स एमसीएल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तालचेर भारत में सबसे बड़ा कोलफील्ड्स (51.065 बिलियन टन) तथा ईब-वैली भारत में तीसरा सबसे बड़ा (24.831 बिलियन टन) कोलफील्ड्स है।

भविष्य में देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए कोयला उत्पादन में वृद्धि लाने की बड़ी जिम्मेवारी है। खदान से बाजार तक अपने सर्वोत्तम अभ्यासों द्वारा आपकी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख कंपनी होने के नाते देश को ऊर्जा सक्षम बनाने की दिशा में प्रमुख ज़िम्मेदारी रखती है। हम विनम्रता के साथ राष्ट्र के विकास में भारत को और अधिक ऊर्जा सक्षम बनाने हेतु अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं।

1. 2016-17 में एमसीएल के कार्यनिष्पादन का अवलोकन -

आपकी कंपनी का प्रभावशाली वित्तीय परिणाम रहना जारी है। वर्ष 2016-17 के दौरान एमसीएल बेहतरीन प्रदर्शन करने में सक्षम रही है। तथ्य यह है कि आपकी कंपनी वर्ष 2016-17 के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की प्रमुख कंपनी के रूप में उभरी है और साथ ही पर्यावरण हितैषी तरीके से कोयला के प्रेषण, उत्पादन और लाभप्रदत्त के मामले में कोल इंडिया के नंबर एक अनुषंगी कंपनी के रूप में उभरी है। यह इस अवसर को बहुत ही खास बना देता है। आपकी कंपनी ने 139.208 मिलियन टन कोयला उत्पादन का रिकार्ड बनाया है और पिछले वर्ष की तुलना में 0.95% की वृद्धि दर्ज की है। इस अवधि के दौरान एमसीएल से 143.01 मिलियन टन कोयला निकाला गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.98% की वृद्धि को दर्शाता है। यहाँ ओबी (OB) हटाने में 98.4 मिलियन घनमीटर से 123.34 मिलियन घनमीटर मात्रा की वृद्धि हुई है, जो 25.33% की वृद्धि को दर्ज करती है।

चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के समग्र विकास ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव डाला है। आपकी कंपनी ने भी उल्लेखनीय बेहतर कार्य निष्पादन किया है। आपकी कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष में रू.23,450.72 करोड़ का सकल विक्रय करते हुए कर पश्चात रू 4,491.09 करोड़ का लाभ अर्जित किया है। आपकी कंपनी ने इस वर्ष के लिए रू.1,000 प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर रू. 21,115/- के लाभांश की सिफारिश की है जो कि पिछले वर्ष रू. 19,358.54 प्रति शेयर था। लाभांश रूप में

कुल रू.3589.06 करोड़ निसृत (आउटफ्लो) हुए जिसमें सीआईएल को रू. 2,982 करोड़ के लाभांश का भुगतान एवं लाभांश पर कर के रूप में रू. 607.06 करोड़ का भुगतान शामिल है।

2. परियोजना प्रोफाइल -

एमसीएल में 51 (2 रिक्त(एक्जास्टेड) परियोजना सहित) स्वीकृत खनन परियोजनाएं हैं। रु.11,832.52 करोड़ के स्वीकृत पूंजी परिव्यय के साथ इन स्वीकृति परियोजनाओं की क्षमता 224.41 एमटीवाई है। 51 परियोजनाओं में से 35 परियोजना (2 रिक्त(एक्जास्टेड) परियोजना सहित) रु. 3,000.017 करोड़ के पूंजीगत लागत व्यय के साथ पूरी की गई तथा इन स्वीकृत परियोजना की क्षमता 102.58 एमटीवाई है। 121.83 एमटीवाई क्षमता वाली 16 चालू परियोजनाओं की पूंजीगत लागत रु. 8,832.50 करोड़ है ।

एक अग्रदृष्टि वाली (आगे देखने वाली) कंपनी के रूप में, एमसीएल को वाशरी/सीएचपी/साईलो, आरएलएस, ट्यूब कनवेयर, अलग परिवहन सड़क, सघन आबादी क्षेत्र को छोड़ते हुए अलग सड़क गलियारा और रेल आधारभूत संरचना आदि को मजबूत/उन्नत करना तथा इस पूरा करने के लिए सहीं दिशा में कार्रवाई की शुरूआत की गई है।

3. विविधीकरण

भावी विकास के लिए विविधीकरण कुंजी है । ओड़िशा के बसुंधरा, सुंदरगड़ जिले में कोयले के भंडार के लाभकारी उपयोग की दिशा में, आपकी कंपनी ने सुपर क्रिटिकल तकनीक के साथ 1600(2X800) मेगावाट के कोयला आधारित थर्मल पवार प्लांट पर विचार किया है । इस उद्देश्य से गठित महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) ने बिजली संयंत्र स्थापना की दिशा में कई नए मुकाम हासिल किए हैं। ई.आई.ए. अध्ययन पूरा हो चुका है। कोल लिंकेज पर विचार करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (उर्जा मंत्रालय की नोडल एजेंसी) ने उर्जा मंत्रालय से सिफारिश की है। ओड़िशा सरकार की उच्च स्तरीय मंजूरी प्राधिकरण ने रखे गए प्रस्ताव पर विचार करने हेतु एमबीपीएल के परियोजना को सैद्धांतिक रुप से पर्यावरण मंजूरी दी है। ओड़िशा सरकार के जल आवंटन समिति, ने एमबीपीएल के प्रस्तावित टीटीपी को हीराकुद जलाशय से 49 क्यूसेक (Cusec) पानी के आवंटन की सिफारिश की है। कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड ने काम शुरू करने के लिए पहले वर्ष के व्यय के लिए रु. 1019 करोड़ की मंजूरी दे दी है।

राष्ट्र की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए रेल द्वारा कोयले की निरंतर आपूर्ति हेतु अवसंरचना के विकास को ध्यान मे रखकर आपकी कंपनी ने भारतीय रेलवे और ओड़िशा सरकार के साथ संयुक्त उपक्रम/एसपीवीएस का गठन किया हैं। राष्ट्र को ऊर्जा कुशल बनाने की वचनबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक संयुक्त उद्यम महानदी कोलफील्ड्स रेलवे लिमिटेड को संम्मिलित किया गया है।

अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति चिन्हित करने के लिए आपकी कंपनी आनंद विहार, बुर्ला, संबलपुर में 2 मेगावाट फोटोवोल्टिक सौर ऊर्जा संयंत्र सफलता पूर्वक स्थापित की जा चुकी है और यह 25 से 30 लाख यूनिट प्रतिवर्ष बिजली का उत्पादन करती है।

4. अन्य सुधार क्षेत्र -

नवाचार प्रक्रिया और नई पहल किसी भी संगठन की सफलता के लिए उसके सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं। एमसीएल में हमने कोयले के उत्पादन से प्रेषण तक व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कई बदलाव किए हैं। एमसीएल संस्था निर्माण में अग्रणी है और जब सरफेस माइनर की खरीद अथवा अन्य ठेके के लिए टेंडर के ई-मोड की बात आती है तब यह कोल इंडिया की अन्य सहायक कंपनियों में विशेष दिखाई देती है। वर्ष 2016-17 के दौरान, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से 2940.51 करोड़ रुपये की लागत की 2068 निविदाएँ आमंत्रित की गई। एमसीएल में वर्तमान ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के सिद्धांतों और सफल कार्यान्वयन को सभी अनुषंगियों के लिए ई-प्रोक्योरमेंट की एक प्लेटफ़ार्म विकसित करने हेतू सीआईएल के साथ सांझा किया गया है।

आपकी कंपनी असफल बोलीदाताओं/आपूर्तिकर्ताओं को बयाना राशि की ऑनलाइन वापसी शुरू करने वाली भारत की पहली कंपनी है। आपूर्तिकर्ताओं/बोलीदाताओं को 24.21 करोड़ रुपए की (15 अक्टूबर 2013 से 31 मार्च 2016 तक) बयाना राशि स्व-चलित रूप से वापस कर दी गई है। वर्ष 2016-17 के दौरान 4292 असफल/अस्वीकृत/आपूर्तिकर्ता/बोलीदाता को बाधारहित तरीके से स्व-चलित माध्यम द्वारा कुल रू.13.63 करोड़ रुपया वापस किया गया। इससे बोलीदाता की भागीदारी बढ़ी है तथा विक्रेता आधार में भी सुधार हुई है।

कोलनेट सर्वर में बिल ट्रेकिंग मॉड्यूल सफलतापूर्वक चल रहा है। इस प्रणाली में संबंधित उपयोगकर्ता विभाग ठेकेदारों/विक्रेताओं से प्राप्त बिलों को ऑनलाइन प्राप्त करते है। बिल प्राप्ति पर जेनरेट की गई पावती ग्राहकों/ ठेकेदारों को सौंप दी जाती है। बिलों के अंतिम गंतव्य अर्थात भुगतान तक स्थिति को संबंधित पक्षो द्वारा ऑनलाईन देखने के लिए कोलनेट सर्वर पर अद्यतन किया जा रहा है तथा इन अद्यतन सूचनाओं को एमसीएल की वेबसाईट पर अपलोड किया जा रहा है। इस प्रकार संबंधित पक्ष अपने संबंधित बिलों की स्थिति को स्वयं हमारी वैबसाइट पर ट्रैक कर सकते हैं ।

एमसीएल कंपनी के दैनंदिन क्षेत्रीय एवं कार्यालयी संव्यवहारों में पारदर्शिता लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित पहलों को कार्यान्वित करता रहा है। कंपनी द्वारा किए गए बड़े पहल इस प्रकार है-

- आरएफआईडी के साथ इन मोशन रोड वे-ब्रीज और इसके कोलनेट के साथ अनुयोजकता की शुरुआत।
- जीपीएस आधारित व्हीकल ट्राकिंग सिस्टम (वीटीएस) एवं कोयले की चोरी को रोकने के लिए खनन क्षेत्रों की भू-घेराबंदी की गई।
- प्रचालन दक्षता एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन में वृद्धि हेतू ई-निगरानी इकाई की संस्थापना की गई।
- ओएफ़सी/रेडियो नेटवर्क स्थापित करके 2700 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैले कंपनी के कोलनेट को सुदृढ़ किया गया।

- अधिक शुद्धता लाने के लिए 03 डीटीएलएस के 4 खरीद की कार्रवाई शुरू की गई।(02 ईबी-वैली तथा 02 तालचेर कोलफील्ड्स के लिए)
- कोयला मापन भंडार के लिए सरपैक सोफ्टवेयर की शुरुआत की गई।
- संविदा समाप्ति,खरीद,आश्रितों के लिए रोजगार आदि से संबन्धित फाइलों के संचालन में अत्यधिक देरी को ध्यान में रखते हुए प्रणालीगत सुधार उपाय के भाग के रूप में कोलनेट पर फाइल ट्रेकिंग प्रणाली की शुरुआत की गई। इससे फाइल संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है।
- जवाबदेही और वर्तमान प्रणाली के अध्ययन की सुविधा को बढ़ाने हेतु कई मोबाइल एप्प विकसित किए गए।

इसके साथ ही आपकी कंपनी की परिचालना उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए उन्न्त तकनीकी को अपनाया जा रहा है ।

4.1 उत्पाद एवं सेवा की गुणवत्ता -

एमसीएल ने अपनी पूरी मूल्य श्रृंखला में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किया है ताकि हर कीमत पर अपने ग्राहकों की संतुष्टि को बनाए रखा जा सके। खनन के परम्परागत तरीके को रणनीतिक रूप से नई प्रौद्योगिकियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा लिए गए निर्णय के क्रम में एमसीएल अधिक राख वाले कोयले की किफायती धुलाई के लिए निर्माण,संचालन और अनुरक्षण की अवधारणा पर आधारित एमसीएल चार कोयला वाशरीज़ अर्थात 10 एमटीवाई क्षमता के हिंगुला वाशरी, बसुंधरा वाशरी, कुलडा ओसीपी में, लखनपुर में ईब-वैली वाशरी और जगन्नाथ वाशरी की प्रथम चरण में स्थापना के लिए आगे बढ़ रहा है। जबकि, हिंगुला वाशरी (10 एमटीवाई) एवं जगन्नाथ वाशरी (10 एमटीवाई) के लिए पहले की निविदा को बीओएम संकल्पना पर कार्यान्वित नहीं किया गया है और नए/पुन:निविदा करने की अवधि के दौरान, सीआईएल के निदेशानुसार इन वाशरी की स्थापना बीओएम से बदलकर बीओओ संकल्पना पर किया गया। "वह कोयला मंत्रालय के इस निर्णय पर आधारित है कि प्रस्तावित सभी नए वाशरी जिनका निविदा आमंत्रित किया जाना है। उन सभी को बीओओ संकल्पना के अंतर्गत बनाया जाए।" तदनुसार हिंगुला वाशरी (10 एमटीवाई) एवं जगन्नाथ वाशरी(10 एमटीवाई)की निविदा बीओओ के अंतर्गत बोली दस्तावेज़ सीएमपीडीआई में तैयार की जा रही है। बीओओ संकल्पना के अंतर्गत वाशरी बीओओ ओपरटर द्वारा स्थापित किया जाएगा और वाशरी के लिए भूमि एमसीएल द्वारा पट्टे पर दी जाएगी। इसके प्रचालन लागत का भुगतान एमसीएल द्वारा किया जाएगा।

एमसीएल तीन वाशरी लखनपुर वाशरी(20 एमटीवाई क्षमता), गर्जनबहल वाशरी (10 एमटीवाई क्षमता) और सियारमल वाशरी (40 एमटीवाई क्षमता) बनाने की योजना बना रहा है।

एमसीएल ने अन्य ग्राहकों सहित विभिन्न पावर हाऊस को होने वाली कोयला आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ ग्राहक संतुष्टि को पूरा करने पर अत्यधिक ध्यान दिया है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे- ईब-

वैली, लखनपुर, ओरिएंट, बसुंधरा, जगन्नाथ, लिंगराज, भरतपुर, हिंगुला, तालचेर और कनिहा में कुल 10 कोयला जांच प्रयोगशालाएँ है। ये सभी आधुनिक उपष्करण जैसे कोयले के जीसीवी के निर्धारण के लिए इलेक्ट्रोनिक ऑटो बॉम्ब केरोमीटर से पूरी तरह युक्त है। ईब-वैली, भरतपुर क्षेत्र एवं जगन्नाथ क्षेत्र की कोयला जांच प्रयोगशालाओं को वैधता के साथ एनएबीएल से मान्यता प्रदान किया गया है।

कोयला की गुणवत्ता को अनुरक्षित रखने के लिए कोयला परत के बीच के कूड़ा को सरफेस माइनर द्वारा अलग किया जा रहा है। शत प्रतिशत कोयला प्रेषण मापन हेतु सभी साइडिंग में प्रिंट आउट सुविधा सहित इलेक्ट्रॉनिक वे-ब्रिज मौजूद हैं। इसके अलावा, कंपनी ने 100% वेबमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु वजन दर बेबब्रिज उपलब्ध कराया है। ग्राहकों के लिए कम से कम 100 आकार के 100% कोयले की आपूर्ति के लिए उचित प्रयास किया जा रहा है।

आपकी कंपनी की व्यापक एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) को 9001:2008 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, आईएसओ 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ओएचएसएएस 18001:2007 व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली से मान्यता प्राप्त हुई है, जो सभी प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानकों की पुष्टि करती है। ये पद्धतियां प्रचालन में हैं और उत्कृष्टता प्रचालन की दिशा में योगदान कर रही हैं।

4.2 सुरक्षा -

खदानों और इनमें कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा को एमसीएल में शीर्ष प्राथमिकता दी जाती है। उत्पादन के उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सुरक्षा के मामलों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। आपकी कंपनी की मुख्य क्षमताओं में से एक है 'सुरक्षित खनन', जिसे सुरक्षित तरीके और तकनीक के निरंतर प्रयोग के माध्यम से प्राप्त किया गया है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य के साथ, आपकी कंपनी नियमित रूप से तैयार होती है योजना बनाती है तथा स्वयं को सूसज्जित करती है ताकि " शून्य दुर्घटना" को प्राप्त किया जा सके तथा कर्मचारी को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरणा दी जा सके। इस दिशा में हमारे प्रयासों में अन्य बातों के साथ उचित सुरक्षा उपकरण, प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) उपलब्ध कराना और सुरक्षा से संबंधित अनुपालन की सख्त निगरानी शामिल है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान घातक दुर्घटना के छह मामले सूचित किए गए हैं। आपकी कंपनी अपने सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयासरत है और किसी भी खनन कार्य में सुरक्षा मानकों के साथ वह कभी समझौता नहीं करती ।

इसके अलावा, खनन कार्य के दौरान किसी भी अप्रत्याशित घटना पर काबू पाने के लिए, आपकी कंपनी ने अपने सभी बचाव स्टेशनों को पूरी तरह से सुसज्जित किया है और पर्याप्त प्रशिक्षित बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं। आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि सुरक्षा और उत्पादकता को अलग नहीं किया जा सकता और यह कार्य स्थल पर उत्पादन और सुरक्षा के बीच एक अच्छा संतुलन कायम करने की कोशिश करती है। कंपनी के शून्य क्षति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपकी कंपनी ने सभी कर्मचारियों को सुरक्षित वातावतरण प्रदान करने हेतु अनेक उपाय किए हैं ।

4.3 निगमित प्रशासन -

एमसीएल स्वतंत्र निदेशको को छोडकर भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग(सीपीएसईएस) द्वारा समय समय पर जारी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए निगमित प्रशासन के दिशा-निर्देशों मे अनुबंधित शर्तो को पूरा करता है। कथित दिशानिर्देशों और प्रावधानों के तहत, निदेशकों की रिपोर्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर एक अलग खंड जोड़ दिया गया है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन का प्रमाण पत्र अभ्यासी कंपनी सचिव से प्राप्त किया गया है इस विश्वास के साथ कि 'सुशासन' सफल कंपनियों की पहचान हो, बोर्ड के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुसार सचिवीय लेखा परीक्षा आरंभ की गई है। सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के हिस्से के रूप में संलग्न है।

4.4 पर्यावरण पहल

आप की कंपनी पूरे सीआईएल में 42% की औसत उपलब्धियों की तुलना में 92% के बराबर पर्यावरण हितैषी खनक द्वारा उच्चतम मात्रा में कोयले का उत्पादन करती है। क्योंकि सरफेस माइनर पूरी तरह से पारंपरिक खनन में आवश्यक ड्रिलिंग,ब्लास्टिंग,क्रसिंग आदि जैसे यूनिट संचालन को समाप्त कर लेते हैं जहां संवहनीय खनन की आवश्यकता हो, वहाँ वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 1,30,000 टन के बराबर कार्बन फूट प्रिंट को बचाने की आवश्यकता होती है। परिवहन ने भी आपकी कंपनी ने परिस्थितिकी के अनुकूल रेल, वाहन, वाशरी मोड और 21% से सड़क के माध्यम से 79% कोयले का प्रेषण किया है।

आवासीय क्षेत्रों में धूल, प्रदूषण को कम करने के लिए तालचेर कोलफील्ड्स में घनी आवादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर अलग अलग कोयला गलियारे के निर्माण के लिए आपकी कंपनी कदम उठा रही है।

आपकी कंपनी ने वायु प्रदूषण को कम करने तथा रेल बुनियादी ढांचे को मजबुत बनाने/अद्यतन करने के लिए कदम उठाया हैं ।

स्रोत पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आपकी कंपनी ने कुल करीब 1000 करोड़ के खर्च पर भरतपुर, लिंगराज, हिंगुला, भूबनेश्वरी तथा लखनपुर ओसीपी में ट्यूब कंवेयर, साइलों, तीव्र लोडिंग सिस्टम के निर्माण हेतु प्रणाली गत सुधार उपायों की शुरुआत की।

ऐसे कोयले जिनमें 34% से अधिक राख़ न हो, के 500 किलोमीटर से ज्यादा कोयले की परिवहन के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए तथा ग्रीनहाऊस गैस को कम करने के लिए प्रथम चरण में लगभग 1200 करोड़ के अनुमानित व्यय राशि के साथ 4 वाशरी के निर्माण हेतु आपकी कंपनी ने कदम उठाए।

आपकी कंपनी ने विभिन्न औद्योगिक और घरेलू प्रयोजनों के लिए बरसात के मौसम मे होने वाले जल का उपयोग करने के लिए निरंतर जल का संचयन और जल निकासी तथा भूजलीय पदार्थों को रिचार्ज करने तथा उन्हें सतह पर एकत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए है। सभी 15 खुले खदानों को शून्य डिस्चार्ज बनाने का प्रयास किया जा रहा है। खदान में होने वाले इतने बड़े संचयन के कारण भू-

जल के अनुमानित संचयन लगभग 1300 करोड़ लीटर हो जाता है। इसके अलावा मौजूदा तालाबों के नवीकरण और उनके निराकरण के लिए नए तालाबों के निर्माण और सतह जल निकायों के सुधार आदि के लिए सीएसआर के तहत वर्षा जल संचयन उपायों की संख्या को लिया जा रहा हैं ।

पर्यावरण के लिए कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुये एमसीएल ने पर्याप्त भौतिक सुधार के बाद मिश्रित स्वदेशी प्रजाति के पौधों को बाहरी डंपों तथा बैकफिल क्षेत्रों में साथ ही साथ खदान में अन्य भूमि और रास्ते के खाली भाग में लगाए गए हैं। प्रारम्भ से बृक्षारोपण 52.19 लाख (तालचेर कोलफील्ड्स - 21.43 लाख, ईब-वैली कोलफील्ड्स 29.93 लाख तथा मुख्यालय 0.83 लाख) है। पिछले वित्तीय वर्ष में एमसीएल (20 किलोग्राम/पेड़/वर्ष) की वृक्षारोपण गतिविधियों के कारण कार्बन डाई-ऑक्साइड(CO_2)के 1,04,380 टन के राशि के बराबर कार्बन फूड प्रिंट कमी का अनुमान लगाया गया हैं।

"केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और संधारणीयता" पर जारी सितंबर, 2011 की डीपीई दिशानिर्देश व तत्पश्चात अप्रैल, 2013 को किए गए संशोधन के अनुसार वर्ष 2011-12 से एमसीएल संधारणीयता प्रतिवेदन प्रकाशित करता आ रहा है। वर्ष 2015-16 के लिए रिपोर्ट का शीर्षक "खनन से विपणन स्थिरता" है और खनन व मेटल सेक्टर सहित कोर (Core) मापदंड के अनुसार जीआरआई जी-4 के लिए गठबंधन किया है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, ट्रिपल बोटम लाइन के अलावा रिपोर्ट कंपनी के मूल पक्षो पर प्रकाश डालती है। यह हितधारक के संदर्भ में महत्व के साथ सामरिक लक्ष्यों और उद्देश्यों के समेकित दृष्टि को विचार प्रदान करता है जो इस संदर्भ में प्रासंगिक तकनीकी और मात्रात्मक सूचनाओं द्वारा समर्थित है।

4.5 आर एंड आर -

आपकी कंपनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान परियोजना से प्रभावित/विस्थापित परिवारों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए काफी प्रयास कर रही है और साथ ही उनके विकास के साथ प्रगति के लिए भी प्रतिबद्ध है, जो इसकी आर एंड आर नीति में परिलक्षित है। एमसीएल ओड़िशा राज्य की आर एवं आर नीति का पालन करती है और 2015-16 के दौरान 307 लोंगों को रोजगार देने की तुलना में 2016-17 मे 777 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है तथा इसकी स्थापना के बाद से कुल 12,940 लोगों को रोजगार दिया गया है। भू विस्थापितों की शिकायतों के निवारण के लिए एमसीएल आरपीडीएसी के परामर्श पर कार्य करती है । भू विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़कों, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, दैनिक बाजारों, स्कूलों, सामुदायिक केंद्रों, पूजा स्थलों, आदि के साथ पुनर्वास बस्तियां स्थापित की गई हैं। एमसीएल सभी परिधीय ग्रामीणों को निशुल्क प्रति रोगी 2.00 रुपए के नाममात्र शुल्क पर अपने मौजूदा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में ओपीडी की सुविधा प्रदान करता है।

आपकी कंपनी प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन द्वारा खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है।वर्ष 2016-17 के दौरान एमसीएल ने 147.637 हेक्टेयर भूमि पर अधिग्रहण प्राप्त हुआ है ।

4.6 प्रशिक्षण और विकास

वर्तमान मानव संसाधनों के विकास के साथ-साथ तकनीकी उन्नति के स्पष्ट दृष्टिकोण तथा,जनशक्ति की बढ़ोतरी के लिए और उत्पादन तथा तकनीकी की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण एवं विकास हमारी कंपनी की कॉर्पोरेट नीति का अभिन्न हिस्सा है ।

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रु.11.98 करोड़ की राशि व्यय की गई है। अधिकारियों,कर्मचारियों और पर्यवेक्षीय कर्मचारियों का कुल प्रशिक्षण दिवस क्रमशः 6946, 48674 एवं 6185 रहा।

एमसीएल में लाभकारी नियोजन के लिए भूमि विस्थापितों में अपेक्षित तकनीकी कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण हेतु आपकी कंपनी ने ओड़िशा के कुछ तकनीकी संस्थानों में व्यवस्था की है ।

4.7 सीएसआर -

निगमित सामाजिक दायित्वों के अलावा मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ उन्हें कंपनी के लक्ष्य के प्रति साझेदार बनाना है। जबकि कोयला उत्पादन के वृद्धि को देखते हुए, सीएसआर गाँवों तथा प्रभावित समुदाय के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है। समाज के सतत विकास के लिए एमसीएल ने सीएसआर को व्यापार प्रक्रिया की एक कुंजी माना है।

एमसीएल ने सीआईएल और एमसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर पिछले तीन साल के शुद्ध लाभ के 2% की औसत दर, 113.36 करोड़ रुपये खर्च किया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीएसआर के तहत रु. 166.60 करोड़ खर्च की गई।

भारत के सामाजिक राजनीतिक निरीक्षक(एसपीओआई) के अनुसार आपकी कंपनी 2015-16 के दौरान भारत में सीएसआर के खर्चों के आधार पर सभी सीपीएसईएस में आठवां स्थान रखती है।

एमसीएल ने महानदी इंस्टीट्यूट के मेडिकल साइन्स एंड रिसर्च (एमआईएमएसआर), तालचेर का निर्माण शुरू किया है, जिसमें एमआईएमएसआर 500 बिस्तरों वाले मल्टी स्पेशियलिस्ट अस्पताल के साथ ही 100 सीट मेडिकल कॉलेज होगा, परियोजना में 300 लड़कों के लिए एक छात्रावास, 200 छात्राओं के लिए अलग से छात्रावास और एक 50- बिस्तरों वाला छात्रावास, छात्रावास के दो ब्लॉक 100% डॉक्टरों के लिए, 57 जूनियर रेसिडेंट डॉक्टरों के लिए 1 छात्रावास तथा नर्सों के लिए 50 बिस्तरों वाले 1 हॉस्टेल निर्माण पर विचार किया जा रहा है। एमआईएमएसआर के लिए रु. 492.62 करोड़ की राशि आवंटित की गयी है, जिनमें से एमसीएल ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 117.5 करोड़ रुपये खर्च किए।

झारसुगुड़ा में 100 बिस्तरों वाले कार्डिक संस्थान व बाउंड्री वाल निर्माण के लिए रु. 75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा पीडबल्यूडी राज्य सरकार द्वारा टेंडर प्रक्रिया कार्याधीन है।

वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमुख गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं	सीएसआर परियोजना और गतिविधि	परियोजना स्थल	बजेट राशि (रु.लाख में)	व्ययित राशि (रु.लाख में)
1	एमसीएल के सीएसआर के तहत तालचेर में महानदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस एंड रिसर्च (एमआईएमआर)	अंगुल	49262.00	11750.70
2	एमसीएल के एसवीए के तहत ओड़िशा के 14 जिलों में विभिन्न सरकारी स्कूल में 10546 टयलेट ब्लॉक का निर्माण (गठन)	अंगुल, बोलंगीर,ढेंकानल, गंजाम, गजपति, जाजपुर, झारसुगुड़ा, कालाहांडी, कंधमाल, खोरदा, नयागढ़, रायगढ़, संबलपुर, सोनपुर	20855.53	1774.39
3	एमसीएल के परिधीय गांवों में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था करना।	सुंदरगढ़, अंगुल, झारसुगुड़ा	1366.61	730.25
4	उज्जलपुर बाय पास सड़क का निर्माण ।	सुंदरगढ़	1720.22	422.16
5	झारसुगुड़ा में जिला स्टेडियम का निर्माण	झारसुगुड़ा	1300.00	414.17
6	सीएसआर के अंतर्गत सुंदरगढ़ जिले में विविध विकास कार्य ।	सुंदरगढ़	850.00	230.02
7	ओड़िशा के झारसुगुड़ा जिला के चार ब्लॉक (लाइकेरा, कोलाबीरा, किरमिरा एवं झारसुगुड़ा) में चल रहे विकास कार्यों विविधता का समापन ।	झारसुगुड़ा	672.00	224.34
8	कालोबहल चौक से सरगीपल्ली गांव पंचायत रोड तक सीएसआर के अंतर्गत सड़क को सुदृढ़ बनाना।	सुंदरगढ़	266.93	155.22
9	संबलपुर विश्वविद्यालय के लिए 150 बिस्तरों वाले महिला छात्रावास का निर्माण ।	संबलपुर	547.27	58.57
10	हंडिधुआ चौक से तालचेर कोलफील्ड्स तक की सड़क पर एनटीपीसी वाहक (कन्वेयर) से पहले घंटापड़ा गावों के पास के सड़क पर पुल का निर्माण ।	अंगुल	3494.93	28.00

5. अपेक्षा

हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार हम अपने संसाधनों और क्षमताओं का निर्माण कर रहे हैं उससे आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से हमें और अधिक सफलता मिलेगी और लगातार ऐसा करने पर हम राष्ट्र की उम्मीद सहित अपने असंख्य हितधारकों की उम्मीदों को पूरा कर सकते हैं।

6. अभिस्वीकृति -

मैं कंपनी के सभी शेयर धारकों, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, विभिन्न केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों,राज्य सरकार के अधिकारियों, प्रतिनिधिनियों, स्थानीय निकायों, सभी कर्मचारियों तथा उनके संघों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, आपूर्तिकर्ता और मीडिया के प्रति उनके समर्थन और सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

ह/-
(अनिल कुमार झा)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
(डीआईएन: 06645361)

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारकों ,

महानदी कोलफील्डस लिमिटेड,

प्रिय शेयरधारकों,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 25 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित लेखों के साथ सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए काफी हर्ष का अनुभव हो रहा है।

आपकी कंपनी ने चहुदिशा में उत्कृष्टता प्राप्त की है। उत्पादकता, कोयला उत्पादन, ओबी स्थापन और प्रेषण में यह वर्ष भी सफल रहा।

2. संगठन

2.1 महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड संगठन में दो कोयलांचल है जिसमें 10 खनन क्षेत्र 06 भूमिगत एवं 16 खुली खदाने, दो केन्द्रीय कर्मशाला, दो केन्द्रीय चिकित्सालय तथा कोलकाता एवं भुवनेश्वर में 2 विक्रय कार्यालय शामिल है ।

क. **तालचेर कोयलांचल**

- i) जगन्नाथ क्षेत्र
- ii) भरतपुर क्षेत्र
- iii) हिंगुला क्षेत्र
- iv) लिंगराज क्षेत्र
- v) कनिहा क्षेत्र
- vi) तालचेर क्षेत्र (भूमिगत)

ख. ईब वैली कोयलांचल

- i) लखनपुर क्षेत्र
- ii) इब वैली क्षेत्र
- iii) बसुंधरा - गर्जनबहल
- iv) ओरिएंट क्षेत्र (भूमिगत)

2.2 **<u>एमसीएल की अनुषंगी कंपनियां :</u>**

2.2.1 एमजेएसजे कोल लिमिटेड

एमजेएसजे कोल लिमिटेड एमसीएल की एक अनुषंगी कंपनी है जिसे 13 अगस्त,2008 को एमसीएल में शामिल किया गया था । एमजेएसजे कोल लिमिटेड का गठन गोपालप्रसाद ओसीपी में किया गया जहां एमसीएल के 60% शेयर, जेएसडबल्यू स्टील लिमिटेड और जेएसडबल्यू

एनर्जी लिमिटेड प्रत्येक का 11 % शेयर तथा श्याम मेटलिक एंड एनर्जी लिमिटेड (जिसे श्याम डीआरआई पावर लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) तथा जिंदल स्टैनलेस लिमिटेड प्रत्येक का 9% शेयर है। एमजेएसजे कोल लिमिटेड की प्रदत्त शेयर पूंजी दिनांक 31.03.2015 तक रु. 95.10 करोड़ थी। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 25.08.014 को अपना फैसला तथा दिनांक 24.09.2014 को अपना आदेश सुनाया जिसके तहत एमजेएसजे कोल लिमिटेड के आवंटित उत्कल-ए ब्लॉक को अवैधानिक बताकर उसे खारिज कर दिया गया है।

2.2.2 एमएनएच शक्ति लिमिटेड:

एमएनएच शक्ति लिमिटेड का गठन दिनांक 16 जुलाई,2008 को एमसीएल के संयुक्त उद्यम कंपनी के रूप में किया गया था। एमएनएच शक्ति का निर्माण तालाबिरा ओसीपी के लिए किया गया है, जिसमें एमसीएल, नेवेल्ली लिग्नाईट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिन्डालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर क्रमश:70%,15% तथा 15% है। 31.03.2017 को एमएनएच शक्ति लिमिटेड की शेयर पूँजी रु. 85.10 करोड़ थी। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 25.08.2014 के निर्णय तथा 24.09.2015 के आदेश में एमएनएच शक्ति लिमिटेड को आबंटित तलाबिरा-।। और तलाबिरा-III कोल ब्लॉक को अवैध घोषित किया तथा आबंटन को रद्द कर दिया गया है।.

2.2.3. महानदी बेसिन पावर लिमिटेड:

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड का गठन 02 दिसम्बर, 2011 को किया गया था एवं दिनांक 06.02.2012 को आरओसी द्वारा व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए प्रमाणपत्र दिया गया था। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और इसके नामिनियों के 100% शेयर के साथ एमबीपीएल की स्थापना की गई है साथ ही बसुंधरा कोयलांचल में पिट हेड पावर संयंत्र के माध्यम से 2X800 मेगावाट क्षमता की बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नं. जी-3 गड़कना चंद्रशेखरपुर-751017, भुवनेश्वर में स्थित है। 31.03.2016 को महानदी बेसिन पावन लिमिटेड की एमसीएल द्वारा अभिदत्त शेयर पूँजी पॉच लाख रुपए थी।.

2.2.4 नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड:

उपरोक्त के अलावा, अधिशेष निधि के बेहतर उपयोग के साथ ओड़िशा राज्य में विनिर्माण विकास के लिए एमसीएल ने पावर ट्रांसमिशन व्यवस्था करने का प्रयास किया। तदनुसार 8 जनवरी, 2013 को ओड़िशा में पावर ट्रांसमिशन के उद्देश्य से एमसीएल और ओपीटीसीएल के बीच संयुक्त उद्यम समझौता के तहत 50:50 की भागीदारी से नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड नामक संयुक्त उद्यम का गठन किया गया।

2.2.5 महानदी कोल रेलवे लिमिटेड:

दिनांक 20 मई, 2015 को आईडीसीओ,एमसीएल और आईआरसीओएन के मध्य हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार, 31 अगस्त,2015 को 'महानदी कोल रेलवे लिमिटेड' नामक संयुक्त उद्यम का निर्माण किया गया जिसमें एमसीएल, आईआरसीओएन और आईडीसीओ की भागीदारी का क्रमश: 64:26:10 का अनुपात है जो ओड़िशा में कोल संबंद्धता के लिए दोहरी, तिहरी लाईन, यातायात सुविधा प्रोजेक्ट सहित निर्माण, सरचना, संचालन और अभिरक्षण के लिए रेल कोरिडोर प्रोजेक्ट के रूप में जानी जाती है जो खदान से कोयला निकासी के लिए कठिन है। 31.03.2017 को महानदी कोल रेलवे लिमिटेड की एमसीएल द्वारा अभिदत्त शेयर पूँजी पॉच लाख रुपए थी।

3. **कार्य निष्पादन विशिष्टताएं:**

- आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष कोयला उत्पादन 137.90 मिलियन टन की अपेक्षा इस वर्ष 2016-17 में 0.95% की वृद्धि दर्ज करते हुए अब तक का सबसे अधिक 139.21 मिलियन टन कोयला उत्पादन किया है।
- गतवर्ष 140.22 मिलियन टन कोयला निकासी की अपेक्षा वर्ष 2016-17 के दोरान 1.99% वृद्धि के साथ 143.01 मि.टन कोयला की निकासी हुई।
- आपकी कंपनी ने गतवर्ष के सकल विक्रय मूल्य रु. 20597.51 करोड़ की अपेक्षा इस वर्ष 17.93% वृद्धि दर्ज कर रु. 24291.14 करोड़(एसटीसी सहित) के सकल विक्रय मूल्य प्राप्त किया है।
- गतवर्ष रु. 6283.44 करोड़ के पीबीटी(कर पूर्व लाभ) की अपेक्षा इस वर्ष का करपूर्व लाभ रु. 6853.32 करोड़ रहा। गतवर्ष रु. 4207.75 करोड़ के कर पश्चात लाभ की अपेक्षा इस वर्ष समीक्षाधीन कर पश्चात लाभ रु. 4491.09 करोड़ रहा।
- कंपनी दस वर्षों से लगातार लाभांश का भुगतान करती आ रही है। गतवर्ष भुगतान किए गए रु. 3608.45 करोड़ की अपेक्षा इस वर्ष इक्विटी शेयर पूँजी रु. 2982.00 करोड़ का भुगतान किया गया।

5. **उत्पादन कार्य निष्पादन:**

(क) पिछले वर्ष के लक्ष्य और उपलब्धि की तुलना में वित्त वर्ष 2016-17 के लिए एमसीएल का उत्पादन कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:

(आंकड़े मि.टन में)

उत्पादन	2016-17		2015-16		उपलब्धि का %	% वृद्धि
(i) कोयला (मि. टन)	वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य	वास्तविक	वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	L. Yr.
ओपनकास्ट	166.00	138.19	148.70	136.79	83.2	1.03
भूमिगत	1.00	1.02	1.30	1.11	101.5	-8.69
कुल कोयला (ओसी+यूजी)	**167.00**	**139.21**	**150.00**	**137.90**	**83.4**	**0.95**
(ii) ओबीआर (मि. घन मीटर)	**150.00**	**123.34**	**115.00**	**98.41**	**82.2**	**25.33**

(ख) वर्ष 2016-17 सहित एमसीएल के पिछले पांच वर्षों का उत्पादन प्रदर्शन नीचे सलग्न है:

(i) एमसीएल का कुल कोयला उत्पादन (आंकड़े मि.टन में):

वित्त वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	पिछले वर्ष की वृद्धि		लक्ष्य की तुलना में % प्राप्ति
			वास्तविक	प्रतिशतता	
2012-13	112.00	107.895	4.78	4.63	96.3
2013-14	120.00	110.440	2.55	2.36	92.0
2014-15	127.00	121.380	10.94	9.90	95.6
2015-16	150.00	137.901	16.52	13.61	91.9
2016-17	**167.00**	**139.21**	**1.31**	**0.95**	**83.4**

(ii) सरफेस माइनर से कोयला उत्पादन (आंकड़े मि.टन में):

वित्त वर्ष	उत्पादन	पिछले वर्ष की वृद्धि		कुल कोयला उत्पादन के सरफेस माइनर द्वारा कोयला उत्पादन का प्रतिशत हिस्सा
		पूर्ण	प्रतिशतता	
2012-13	73.83	14.71	24.9	68.4
2013-14	86.46	12.63	17.1	78.3
2014-15	106.82	20.35	23.5	88.0
2015-16	125.68	18.87	17.7	91.1
2016-17	**127.81**	**2.13**	**1.7**	**91.8**

वर्ष **2016-17** के दौरान पिछले वर्ष से(+) **0.95%** वृद्धि के साथ प्राप्त कोयला उत्पादन एएपी लक्ष्य का **83.4%** है। ओ.बी. की निकासी पिछले वर्ष से (+)**25.3%** की वृद्धि के साथ एएपी लक्ष्य का **82.2%** है।

एएपी लक्ष्य की में कमी आने के मुख्य कारण निम्न है :

1. जगन्नाथ ओसीपी: वन भूमि को सौंपने में देरी के कारण काम करने की जगह की कमी।
2. भरतपुर ओसीपी: आर एंड आर और कानून एवं व्यवस्था की समस्या।
3. अनंत ओसीपी: एफसी उपलब्ध न होने के कारण कार्य स्थान की कमी।
4. लिंगराज ओसीपी: कई दोषों के कारण प्रतिकूल भू-खनन की स्थिति।
5. कानिहा ओसीपी: गांव जरादा और कुसमुंडा की आर एंड आर समस्याओं के कारण काम करने की जगह की कमी।
6. बलराम ओसीपी: आरएंडआर और कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं के कारण लगातार रोकें।

7. समलेश्वरी ओसीपी: 13 फरवरी और 21 मार्च, 2017 को अनुबंधित श्रमिकों के दो घातक दुर्घटनाओं के कारण उत्पादन प्रभावित।
8. तालचेर कोलफील्ड्स: आरएंडआर और कानून व्यवसस्था की समस्याओं के कारण बार-बार रोक।
9. 30 मार्च, 2017 को कनिहा ओसीपी में संविदात्मक कर्मचारी की मृत्यु के कारण 30 और 31 मार्च, 2017 को कानिहा, भरतपुर, लिंगराज, अनंत, जगन्नाथ और बलराम ओसीपी में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हड़ताल।
10. उच्चतम गर्मी के दौरान गर्मी की लहर के कारण राज्य सरकार द्वारा लगाए गए काम के घंटे (11.00 पूर्वाह्न-3.30 बजे) की रोकथाम

(ii) **एमसीएल का ओबी रिमोवल (मि. क्यूबिक मीटर में आंकड़े)**

वित्त वर्ष	लक्ष्य	प्राप्ति	पिछले वर्ष की वृद्धि		लक्ष्य की तुलना में % प्राप्ति
			पूर्ण	प्रतिशतता	
2012-13	105.00	90.421	4.75	5.55	86.1
2013-14	109.75	96.03	5.61	6.20	87.5
2014-15	113.00	89.22	-6.81	-7.09	79.0
2015-16	115.00	98.41	9.19	10.30	85.6
2016-17	**150.00**	**123.34**	**24.93**	**25.33**	**82.2**

सिस्टम क्षमता का उपयोग (%)

	सीएमपीडीआई द्वारा मूल्यांकित क्षमता	उत्पादन	सिस्टम क्षमता का उपयोग (%)
भूमिगत-कोयला (मि.टन)	2.047	1.015	49.57
ओसी-कोयला (मि.टन)	171.32	138.194	80.66
कुल कोयला (यूजी + ओसी) (मि.टन)	173.37	139.208	80.30
ओसी-ओबी (मि. घन मीटर)	187.34	123.342	65.84
कुल ओसी मिश्रण	290.20	206.311	71.093
(कोयला + ओबी) (मि. घन मीटर)	291.43	206.920	71.00

एनबी: कोयले का औसत विशिष्ट घनत्व: 1.6656 टन/क्यूबिक मीटर माना जाता है:

5. उत्पादकता

5.1 **प्रति मैनसिफ्ट (ओएमएस) आउटपुट के अनुसार आपकी कंपनी ने उत्पादकता हासिल की है, जो निम्नानुसार है :**

टन/मैनशिफ्ट मे आंकड़े

	2016-17		2015-16	लक्ष्य की तुलना में % प्राप्ति	पिछले वर्ष से % वृद्धि
	वार्षिक कार्य योजना लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक		
खुली खदान	28.45	27.72	24.24	97.43	6.11
भूमिगत	0.55	0.65	0.67	118.18	-2.99
संपूर्ण	21.88	20.08	18.88	92.11	6.35

5.2 **2016-17** के दौरान ओएमएस **20.08** टन/मैनशिफ्ट था।

ओएमएस की गणना का विवरण निम्नानुसार है:		2016-17	2015-16	पिछले वर्ष से वृद्धि
क्रमांक				
1	ओसी ओएमएस	25.72	24.24	6.11
2	भूमिगत ओएमएस	0.65	0.67	-2.99
3	ओसी के समायोजित एम / एस (लाख)	53.731	56.424	-4.77
4	भूमिगत का मेनशिफ़्ट (लाख)	*15.602*	*16.621*	-6.13
A	समग्र ओएमएस कुल मेनशिफ्ट	***69.333***	***73.045***	**-5.08**
6	ओसी कोयला (L.Tes)	1381.937	1,367.888	1.03
7	भूमिगत कोयला (L.Tes)	10.146	11.116	-8.73
B	**कुल कोयला (L.Tes)**	**1392.083**	**1,379.004**	**0.95**
8	**समग्र** ओएमएस **(B/A)**	**20.08**	**18.88**	**6.35**
9	फॉर्मूला ओएमएस			
	भूमिगत =	कोयला उत्पादन / वास्तविक मैनशिफ्ट		
	ओसी =	कोयला उत्पादन + (1.4 x ओबी उत्पादन) / वास्तविक मैनशिफ्ट x (1+(1.4 x स्ट्रिप अनुपात))		
	समग्र =	भूमिगत कोयला उत्पादन + ओसी कोयला उत्पादन / भूमिगत का मेनशिफ़्ट + ओसी का समायोजित मैनशिफ्ट		
10	समायोजित मैनशिफ्ट(ओसी के लिए खदान)=	कोयला उत्पादन/ओएमएस		
	समग्र ओएमएस की गणना =	1381.937+10.146 / 53.731+15.602	11.116+1367.888 / 16.621+56.424	
		1392.083 / 69.333	1379.004 / 73.045	
		20.08	**18.88**	

(नोट- एमओयू पैरामीटर पर कोई कार्य निष्पादन नहीं होगा)

6. एचईएमएम की संख्या और कार्य निष्पादन

6.1 एमपीडीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य और प्राप्ति को दिखाकर एचईएमएम की उपलब्धता और उपयोगिता का ब्योरा नीचे दिया गया है।

I. प्राप्त % उपलब्धता और उपयोगिता (आंकड़े पूर्णांक में)

क्र.	उपकरण	के अनुसार संख्या		% उपलब्धता			% उपयोगिता		
		31.03.17	31.03.16	अप्रैल '16 से मार्च'17	अप्रैल '15 से मार्च'16	सीएमपीडीआईएल मानदंड	अप्रैल '16 से मार्च'17	अप्रैल '15 से मार्च'16	सीएमपीडीआईएल मानदंड
1	ड्रैगलाइन	2	4	85	70	85	16	27	73
2	शोवेल	85	85	68	68	80	30	34	58
3	सरफेस माइनर	15	15	83	81	--	49	50	--
4	डम्पर	321	374	67	69	67	24	26	50
5	डोजर	116	129	61	62	70	26	26	45
6	ड्रिल	91	92	81	83	78	23	20	40
कुल		630	699						

II. प्राप्त कार्य घंटे :

क्रमांक	उपकरण	कार्य घंटे	
		2016-17	2015-16
1	ड्रैगलाइन	3547	8462
2	शोवेल	190478	210838
3	सरफेस माइनर	57746	59177
4	डंपर	516319	582618
5	डोजर	179969	207610
6	ड्रिल	80906	76148

III.

क. प्राप्त ड्रैगलाइन और डम्पर की उपलब्धता, जो सीएमपीडीआई मानदंडों के बराबर है। ड्रिल की उपलब्धता सीएमपीडीआई मानदंडों से ज्यादा है। शोवेल की उपलब्धता में पिछले वर्ष की तुलना में थोडी कमी है।

ख. पिछले वर्ष की तुलना में ड्रैगलाइन के कामकाजी घंटे, उपयुक्त कार्यस्थल / भूमि की निष्क्रियता और अनुपलब्धता के कारण कम है।.

ग. गर्मी में समय अर्थात 1 अप्रैल से 15 जून तक 11.00 बजे से 3.30 बजे तक परियोजनाओं में संचयन एचईएमएम के उपयोग को प्रभावित करता है और इस पर 2% का प्रभाव पड़ता है।

घ. काम की अनुपलब्धता के कारण पूरे वर्ष में ड्रैगलाइन निष्क्रिय रहे। लजकुरा ओसीपी, जगन्नाथ ओसीपी आदि और आरएंडआर के मुद्दों पर वन भूमि के निकासी में देरी की वजह से फावैल और डम्पर का उपयोग घट गया है। तालचेर कोलफील्ड में कानून और व्यवस्था की समस्या ने भी उपयोग को प्रभावित किया।

IV. उपलब्धता और उपयोगिता में सुधार करने के लिए कदम

क. एचईएमएम और उनके कार्य समय के दैनिक उत्पादन को क्षेत्रीय स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है।

ख. एचईएमएम का समय समय पर सर्वेक्षण तथा ऐसे सर्वेक्षण किए गए उपकरण के बदलें पु:स्थापन खरीद प्रक्रिया ।

ग. इंजन,प्रसारण और अन्य असेंबली जैसे कंई फ्लोट सब असेंबली का मुख्यालय तथा सीडबल्यूएस में अनुरक्षण करना।

घ. ओईएमएस द्वारा नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर नए मॉडल उपकरण का संचालन और अनुरक्षण के लिए तकनीकी कौशल को बेहतर बनाना।

ङ. ऑपरेटर के आराम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो नई एचईएमएम खरीदी जा रही हैं उनमें वातानुकूलित केबिन लगाए जा रहे हैं।

च. मानसून अवधि से पहले खराब सड़कों का रखरखाव।

छ. एमसीएल प्रबंधन द्वारा विभिन्न मंचों पर भूमि अधिग्रहण, कानून और व्यवस्था की समस्याएं उठाई जा रही हैं।

ज. भूमि-विस्थापितों जैसे अकुशल श्रमशक्ति को विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जा रहा है।

V. एचईएमएम के टूटफूट की स्थिति:

उपकरण	जनसंख्या		टूटने> 3 महीने	
	31.03.17के अनुसार	31.03.16 के अनुसार	31.03.17 के अनुसार	31.03.16 के अनुसार
ड्रैगलाइन	02	04	00	00
शोवेल	85	85	04	06
सर्फ़ेस माइनर	15	15	00	00
डम्पर	321	374	55	51
डोजर	116	129	26	25
ड्रिल	91	92	05	10
एमसीएल कुल	630	699	90	92

VI. केन्द्रीय कार्यशालाओं में पुनःस्थापित उपकरण/ मरम्मत किए गए सिस्टम:

क्षेत्र	वर्ष	
	2016-17	2015-16
केंद्रीय कर्मशाला तालचेर	01	01
केंद्रीय कर्मशाला (ईब वैली)	00	04
एमसीएल कुल	01	05

7. **उपयोगिता क्षमता (खुली परियोजना)**

क्रमांक	विवरण	क्षमता (वर्ष के 1 अप्रैल के आधार पर)		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
		2016-17	2015-16	--------
1	विभागीय क्षमता (मि.घन मीटर)	111.24	108.52	2.51%
2	सिस्टम क्षमता (मि.घन मीटर)	290.20	291.36	-0.40%
3	विभागीय उत्पादन(मि.घन मीटर)	51.395	58.59	-12.28%
4	कुल उत्पादन(मि.घन मीटर)	207.202	180.52	14.78%
5	विभागीय क्षमता उपयोग	46 %	54%	-14.82%
6	सिस्टम क्षमता का उपयोग	71.39%	61.96%	15.22%

8. **ऊर्जा:**

8.1 **तालचेर कोलफील्ड्स**: ओड़िशा की केंद्रीय विद्युत आपूर्ति सुविधा के कमांड क्षेत्र के अंतर्गत 31.0 एमवीए के अनुबंध मांग के साथ ओपीटीसीएल अंगुल उप-स्टेशन से नंदिरा 3X20 एमवीए, 132/33 केवी, ग्रिड उप-स्टेशन 11 किलोमीटर लंबी 132 केवी डबल सर्किट ओवर-हेड ट्रांसमिशन लाइन को बिजली प्राप्त होती है।

8.2 **ईब वैली कोलफील्ड्स**: ओड़िशा की आपूर्ति कंपनी (वेस्को) कमांड क्षेत्र के अंतर्गत 22.25 एमवीए के अनुबंध मांग के साथ ओपीटीसीएल बुधिपादर उप-स्टेशन से 19 किमी लंबी 132 केवी डबल सर्किट ओवर-हेड ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से जोरबाग, 132/33 केवी, ग्रिड उप-स्टेशन को बिजली प्राप्त होती है।

8.3 **बसुन्धरा कोलफील्ड्स**: बसुंधरा क्षेत्र को ओपीटीसीएल, बुडिपदर उप-स्टेशन से 220 किलोवाट की वेस्टर्न विद्युत आपूर्ति कंपनी (वेस्को) के कमांड क्षेत्र के तहत 6 एमवीए के अनुबंध की मांग के साथ बिजली मिल रही है।

8.4 बिजली की उपलब्धता

पैरामीटर	2016-17	2015-16
अनुबंध मांग (एमवीए)	60.650	59.650
अधिकतम मांग (एमवीए) (वित्तीय वर्ष के दौरान एक महीने में सबसे ज्यादा)	54.934	58.758
ऊर्जा खपत (लाख किलोवाट)	302.096	300.615
विशिष्ट ऊर्जा खपत (किलोवाट/टन)	2.17	2.18
बिजली की विशिष्ट खपत (कम्पोजिट प्रोडक्शन के लिए) (यानी कोयला + ओ.बी. निकालना), किलोवाट घंटा/क्यूएम में	1.46	1.66

9. एमसीएल के प्रमुख भूमिगत उपकरणों की संख्या:-

9.1 वर्तमान में मैन राइडिंग सिस्टम हिराखड-भुंडिया खदान, ऑरिएंट क्षेत्र की खान सं. 2 और तालचेर क्षेत्र के नंदिरा भूमिगत खान में संचालित है। वर्ष 2016-17 के दौरान ओरिएंट खान सं. -2 में सेकंड मैन राइडिंग सिस्टम स्थापित की गई है। ओरिएंट खान सं. -2 में एक और मैन रडिंग सिस्टम स्थापित की जा रही है।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान प्रमुख भूमिगत उपकरण और उनकी उपलब्धता यहां दी गई है:

क्र.	उपकरण का नाम	कार्यरत		2015-16		2016-17	
		2015-16	2016-17	% उपलब्धता	% उपयोगिता	% उपलब्धता	% उपयोगिता
1	वाइन्डर	6	6	66.66	85.51	66.66	101.46
2	हौलेज(मुख्य)	32	32	93.75	85.51	100.00	101.46
3	एसडीएल*	19	17	59.61	24.53	52.93	25.31
4	एलएचडी*	27	27	74.94	46.37	75.39	44.76
5	मुख्य पम्प	54	54	85.18	85.51	87.03	101.46
6	वेंटिलेटर फेन	13	11	76.92	85.51	90.91	101.46
7	बेल्ट कोनवेयर	71	71	77.46	85.51	83.09	101.46
8	ट्रांसफार्मर (बिजली)	90	90	87.77	85.51	91.11	101.46
9	लोकोमोटिव	5	4	100	85.51	50.00	101.46
10	कोल ड्रील	102	102	78.43	85.51	69.6	101.46
11	माइन कार	50	65	100	85.51	69.23	101.46
12	यूडीएम	13	13	100	85.51	100.00	101.46

वर्ष **2016-17** के लिए

वास्तविक भूमिगत उत्पादन - **10.14632** लाख टन
लक्ष्य उत्पादन *-10* लाख टन

वर्ष **2015-16** के लिए

वास्तविक भूमिगत उत्पादन - **11.11637** लाख टन
लक्ष्य उत्पाद - *13* लाख टन

<u>अन्य एसडीएल और एलएचडी उपकरणों के लिए जिसके लिए कोई विशिष्ट मान उपलब्ध नहीं है</u>

$$\% \text{ उपलब्धता} = \frac{\text{उपलब्ध उपकरण}}{\text{कार्यरत उपकरण}} \times 100 \qquad \% \text{ उपयोग} = \frac{\text{वास्तविक उत्पादन}}{\text{लक्ष्य उत्पादन}} \times 100$$

<u>एसडीएल और एलएचडी के लिए, फार्मूला सीआईएल के नियमों के अनुसार है</u>

• $\% \text{ उपलब्धता} = \frac{H_w + H_i}{H_s} \times 100$

जबकि,
H_w = *वास्तविक कार्य समय / वर्ष,*
H_i = *निष्क्रिय घंटे / वर्ष*
H_s = *शिफ्ट घंटे / वर्ष*

• $\% \text{ उपयोग} = \frac{H_w}{H_s} \times 100$

जबकि
H_w = *वास्तविक कार्य समय / वर्ष,*
H_s = *शिफ्ट घंटे/वर्ष*

9.2 कोल्ड हैंडलिंग संयंत्र और वे-ब्रिज और उनके कार्यात्मक केन्द्र की संख्या

वर्ष **2015-16** के दौरान **11.8** मीट्रिक टन कोयले की तुलना में वर्ष 2016-17 में **8.93** मीट्रिक टन कोयला निकाला दिया गया था।

	2016-2017		2015-2016	
	एमटीवाई में क्रशिंग	सीएचपी के माध्यम से भेजा से भेजा गया कोयला (मि.टन)	एमटीवाई में क्रशिंग	सीएचपी के माध्यम से भेजा गया कोयला
कोयला हैंडलिंग प्लांट्स/ फीडर ब्रेकर	**36.5**	**8.93**	**38**	**11.8**
संयंत्र की क्रशिंग क्षमता का %		**24.47%**	**30.25%**	

एमसीएल के अधिकांश ओसीपी में प्रौद्योगिकी परिवर्तन से सरफेस माइनर की शुरुआत के बाद, क्रशर/सीएचपी का उपयोग काफी हद तक कम हो गया और इस तरह हम स्टैंडबाय के रूप में उपयोग किए जाते है और और जहां पारंपरिक रूप से कोयले का कम मात्रा में उत्पादन किया जाता है उतना ही कोयला उत्पादन हो रहा है। 2016-17 के दौरान सरफेस माइनर द्वारा कुल 91.81% कोयला उत्पादन किया गया था। 2016-17 के दौरान एमसीएल में कुल आरओएम कोयले का उत्पादन केवल 11.399 मिलियन टन है। चूंकि क्रशिंग क्षमता काफी अधिक है, किसी भी नए क्रशर या फीडर ब्रेकर को लाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

9.2.1 **इन सीएचपी के कार्यात्मक केन्द्र निम्नानुसार है :-**

प्रमुख सीएचपी

क्षेत्र	सीएचपी की स्थान	क्षमता (एमटीवाई)
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	2.0
भरतपुर	भरतपुर ओसीपी	3.5
	कुल	**5.50**

9.2.2 **छोटे सीएचपी/फीडर ब्रेकर**

क्षेत्र	**सीएचपी की स्थान**	**क्षमता (एमटीवाई)**
जगन्नाथ	जगन्नाथ ओसीपी	4.0
	अनंता ओसीपी	7.0
हिंगुला	हिंगुला	2.0
	बलराम	4.0
ईब वैली	लजकुरा ओसीपी	2.0
	संलेश्वरी ओसीपी	1.0
लखनपुर	बेलपहाड़ ओसीपी	2.0
लिंगराज	लिंगराज ओसीपी	6.0
बसुंधरा	बसुंधरा ओसीपी	1.0
	कुलड़ा ओसीपी	2.0
	कुल	**31.00**

9.2.3 कोयला प्रेषण को सुचारू बनाने के लिए एमसीएल के सभी प्रमुख ओपन कास्ट माइन्स में सीपीपी/साईलो का निर्माण, योजना के निष्पादन/निविदा/अंतिम रूप देने के विभिन्न चरणों में हैं।

क्र..	**सीएचपी/सायलों विवरण**	**क्षमता**	**वर्तमान स्थिति**
1	भरतपुर साइडिंग पर साईलो लोडिंग व्यवस्था के साथ कोयला हैंडलिंग प्लांट	15 एमटीवाई क्षमता	परियोजना की संपूर्ण प्रगति 99.40% है और सितंबर, 2017 तक पूरी होने की उम्मीद है।
2	अनंता साइडिंग V और VI में कोयला हैंडलिंग प्लांट और साइलों लोडिंग व्यवस्था	20 एमटीवाई क्षमता	जैसा कि संविदात्मक एजेंसी द्वारा अनंता साइलों के निर्माण की प्रगति निराशाजनक थी, अनुबंध रद्द कर दिया गया था। खदान उन्नति के कारण, सीएचपी/सिलो के लिए नये स्थान पर विचार किया जा रहा है और योजना तैयार करना प्रगति पर है।
3	लिंगराज ओसीपी में कोयला परिवहन और साइलों लोडिंग की व्यवस्था।	16 एमटीवाई क्षमता	कार्य प्रगति पर है और समग्र प्रगति 85.88% है। यह परियोजना जनवरी 2018 तक पूरा होने की संभावना है।

4	जगन्नाथ वाशरी से होते हुए भूवनेश्वरी ओसीपी से स्पार साईडिंग III के पास साइलों तक कच्चे कोयले का परिवहन।	10 एमटीवाई क्षमता	दिनांक 28/03/17 को एलओए जारी किया गया था। 2017-18 के दौरान निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है और अक्टूबर, 2018 तक पूरा होने की संभावना है।
5	हिंगुला ओसीपी से पाइप कन्वेयर द्वारा प्रस्तावित हिंगुला वाशरी और बलराम साइडिंग, हिंगुला क्षेत्र में साईलो व्यवस्था के लिए कोयला परिवहन।	10 एमटीवाई क्षमता	दिनांक 11/08/16 को एलओए जारी किया गया था और 21/01/17 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। मई,2018 तक पूरा होने की उम्मीद है।
6	कुल्डा ओसीपी में बसुंधरा वाशरी से साइलों तक कोयला प्रेषण के लिए साइलों लोडिंग की व्यवस्था	10 एमटीवाई क्षमता	वन मंजूरी के बाद निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
7	ईब वैली में कच्चे कोयले की आपूर्ति के लिए लखनपुर में कोयला हैंडलिंग प्लांट और साइलों के साथ रैपिड लोडिंग सिस्टम	10 क्षमता	निविदा प्रक्रिया के तहत है और 2018-19 तक पूरा होने की उम्मीद है।
8	कोयला हैंडलिंग प्लांट और सर्ज बिन के साथ कनिहा के पास कनिहा वॉल वॉर्फ साइडिंग में रेपिड लोडिंग सिस्टम	10 एमटीवाई क्षमता	योजना तैयार की जा रही है और 2019-20 तक पूरा होने की उम्मीद है

9.2.4 वे-ब्रिज का विवरण

	वे-ब्रिज के प्रकार	2016-2017	2015-2016
1 (क)	इलेक्ट्रॉनिक रोड वेब्रिज (स्टेटिक)	92	88
(ख)	इलेक्ट्रॉनिक रोड वेब्रिज (इन मोशन)	40	38
2.	रेल वे-ब्रिज (इलेक्ट्रॉनिक)	29	32
3.	वर्ष के दौरान % वजन (रेल द्वारा)	99.21	99.19
4	% वर्ष के दौरान वजन (कुल वजन)	99.5	99.49

दोनों सिरों (स्टॉक यार्ड और साइडिंग) पर 100% वजन सुनिश्चित करने के लिए, 100 टन के 34 इन मोशन रोड वेब्रिज खरीद प्रक्रिया अंतर्गत है। इसके अतिरिक्त वजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 टी क्षमता वाले 21 स्थिर वजन रोड वेब्रिज खरीद प्रक्रिया में है। दोनों मद वर्ष 2017-18 के दौरान चालू होने की उम्मीद है।

10. पूंजीगत संरचना :

दिनांक 31.3.2017 के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूँजी रु. 500.00 करोड़ बनी रही, जो प्रत्येक रु.1000/- की 2958200 इक्विटी शेयर एवं प्रत्येक रु.1000/- की 2041800 इक्विटी के 10 % संचयी परिशोध्य प्राथमिक शेयर में विभाजित है ।

दिनांक 31.3.2017 के अनुसार कंपनी की प्रदत समतुल्य शेयर पूँजी रु. 141.23 करोड़ रुपये में अपरिवर्तित रही। समस्त समतुल्य शेयर पूँजी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एवं इसकी नामितों द्वारा नियंत्रित होती है।

11. <u>वित्तीय समीक्षा:</u>

कंपनी ने पिछले वर्ष के कुल रु. 20597.51 करोड़ (एसटीसी सहित) के सकल कारोबार की तुलना में चालू वर्ष में अब तक के सर्वाधिक सकाल विक्रय मूल्य रु. 24291.14 करोड़ (एसटीसी सहित) का कारोबार रिकॉर्ड किया है । गतवर्ष के रु. 6283.44 करोड़ का कर पूर्व लाभ 2016-17 में रु. 6853.32 करोड़ हुआ है। पिछले वर्ष रु. 4207.75 करोड़ के तुलना में वर्ष 2016-17 कर प्रश्चात लाभ रु. 4491.09 करोड़ है। वर्ष 2015-16 की तुलना में 2016-17 के वित्तीय परिणाम निम्नानुसार है:

[रु. करोड़ में]

	2016-17	2015-16 (पुनर्व्यक्त)
कुल लाभ (ह्रास एवं ब्याज के पूर्व)	7264.93	6661.49
घटाव : ह्रास(सामाजिक मद मूल्य ह्रास समेत)	354.06	329.99
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	57.55	48.06
कर पूर्व निवल लाभ	6853.32	6283.44
घटाव: आयकर के लिए प्रावधान एवं आस्थगित कर दायिता	2362.23	2075.69
कर पश्चात निवल लाभ	4491.09	4207.75
	602.18	946.72
घटाव : सामान्य आरक्षित में अंतरित	224.55	209.24
सीएसआर आरक्षित में अंतरित	-	-
दीर्घकालिक विकास में अंतरित	-	-
समतुल्य शेयर पर अंतरिम लाभांश	2982.00	3608.45
समतुल्य शेयर पर प्रस्तावित लाभांश	-	-
लाभांश पर कर	607.06	734.60
उपरोक्त विनियोग के पश्चात लाभ:	362.67	-
कुल लाभ (ह्रास एवं ब्याज के पूर्व)	**916.99**	**602.18**

11.1 आरक्षण में स्थानांतरण

वर्ष के लिए कर पश्चात 5% लाभ की राशि रु. 244.55 करोड़ जनरल रिजर्व में स्थानांतरित कर दी गई है।

11.2 लाभांश:

निदेशक गण (1.4.2016 से 28.02.2017 तक की अवधि के लिए) रु. 186.40 करोड़ प्रदत ईक्वीटी शेयर पूंजी के अन्तरिम लाभांश के रूप में 1363.73% तथा (01.03.2017 से 31.03.2017 तक की अवधि के लिए) रु. 141.23 करोड़ की प्रदत ईक्वीटी शेयर पूंजी के अन्तरिम लाभांश के रूप में 311.55% के लाभांश की अनुशंसा करते है, इस तरह आपके अनुमोदन के लिए प्रदत ईक्वीटी शेयर पूंजी (गत वर्ष के 1935.86%) रु. 2982.00 करोड़ का कुल लाभांश 1675.28% है।

लाभांश के लेखा का आउटफ्लो रु. 2982.00 करोड़ लाभांश तथा लाभांश पर रु. 607.06 करोड़ रुपये कर को शामिल कर रु. 3589.06 करोड़ हो जाएगा।

11.3 ऋण:

सुरक्षित ऋण:

31.03.2017 को यूको बैंक के बकाया ऋण की राशि सावधि जमा के मुकाबले 1500 करोड़ रुपये है।

असुरक्षित ऋण:

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और मैसर्स लाईबेर फ्रांस एसए, फ्रांस की ओर से 31.03.2017 तक 706.64 करोड़ रुपये की राशि है, जिसमें से 6,64 करोड़ रुपये का ऋण चार हाइड्रोलिक शोवेल की आपूर्ति के लिए पूरी तरह से मेसर्स लीबियर फ्रांस एसए से संबंधित है।

12. निवेश:

12.1 एमसीएल की सहायक कंपनियों एमएनएच शक्ति लिमिटेड, एमजेएसजे कोयला लिमिटेड, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड और महानदी कोल रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल) के इक्विटी शेयरों में गैर मौजूदा निवेश के लिए क्रमश: 59.57 करोड़ रुपये, 57.06 करोड़ रुपये, 5 लाख रुपये और 3.20 लाख रुपये है।

12.2 31.03 2017 को 7.55% सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय आईआरएफसी टैक्स फ्री 2021 श्रृंखला 79 बांड, 8% सुरक्षित गैर परिवर्तनीय आईआरएफसी बांड, 7.22% सुरक्षित गैर परिवर्तनीय आईआरएफसी टैक्स फ्री बॉन्ड, 7.22% सुरक्षित रिडीमेबल आरईसी टैक्स फ्री बॉन्ड, क्रमशः रु. 200.00 करोड़, रु. 108.75 करोड़, रु. 499.95 करोड़ और रु. 150.00 करोड़ था ।

13. पूंजीगत व्यय

गत वर्ष के रु. 6767.66 करोड़ के व्यय की तुलना में इस वर्ष के दौरान कुल पूंजी व्यय रु. 1813.00 करोड़ रुपये था।

14. बिक्री प्राप्ति:

2015-16 में एमसीएल की सकल बिक्री रु. 20597.51 करोड़ (एसटीसी सहित) की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 24291.14 करोड़ (एसटीसी सहित) थी।

2016-17 के दौरान कुल प्राप्ति रु. 24252.12 करोड़ थी जो चालू वर्ष के सकल बिक्री पर 99.84% हो सकती है।

15. राजकोष को भुगतान

आपकी कंपनी केंद्रीय और राज्य राजकोष के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता रही है।

पिछले वर्ष के दौरान किए गए भुगतानं की तुलना में वर्ष के दौरान रॉयल्टी, बिक्री कर, स्टॉइंग एक्साइज ड्यूटी और प्रवेश कर के लिए कंपनी द्वारा किए गए भुगतान निम्नानुसार हैं:

[रु. करोड़ में]

	2016-17	2015-16
रॉयल्टी	1663.66	1,694.82
एनएमईटी	33.37	19.97
डीएमएफ़	846.77	223.80
बिक्री कर/ओडिशा वैट /	834.68	709.98
स्टोसिंग एक्साइज ड्यूटी	143.01	140.23
प्रवेश कर	69.58	62.13
स्वच्छ ऊर्जा सेस	5720.34	3,065.26
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी	1005.06	1,224.73
कुल	**10316.47**	**7,140.92**

16. परियोजना सुत्रिकरण/पूंजी परियोजनाएं

16.1 योजना

एमसीएल ने वर्ष 2016-17 के दौरान 167.00 मिलियन टन कोयले के उत्पादन की योजना बनाई है। वर्ष 2016-17 में आकलित पूँजीगत लागत रु. 1200.00 करोड़ होगी जिसका अधिकांश भाग हैवी अर्थ मूविंग मशीन (एचईएमएम) की खरीद, भूमि अधिग्रहण और आधारभूत संरचनाओं के विकास पर खर्च होगा।

16.2 परियोजना सूत्रिकारण:

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सीएमपीडीआई द्वारा एक परियोजना रिपोर्ट अर्थात भरतपुर ओसीपी विस्तार (सामान्य क्षमता 20.0 एमटीवाई, उच्चतम क्षमता 26.0 एमटीआई) तैयार की गई थी।

16.3 परियोजना कार्यान्वयन:

2016-17 के दौरान एमसीएल का कुल पूंजी व्यय रु. 1200.00 करोड़ के मुकाबले रु. 1813 करोड़ है।

16.4 पूंजी परियोजनाएं /योजना:

कोयला परियोजनाएं: -

एमसीएल में अब तक कुल 51 स्वीकृत कोयला खनन परियोजना (2 बंद परियोजनाओं सहित) है। इन स्वीकृत परियोजनाओं की रेटेड उत्पादन क्षमता 224.41 लाख थी, जिसमें 1832.5 सेकेंड (आरसीई सहित) की स्वीकृत पूंजीगत लागत थी। कुल 51 परियोजनाओं में से 35 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 16 परियोजनाएं चालू परियोजनाएं हैं। शेष राशि के पूंजी परिव्यय के साथ वर्तमान क्षमता में 51 परियोजनाएं निम्नानुसार है:

परियोजना वर्ग (करोड़ रु.)	स्वीकृत परियोजना की संख्या	स्वीकृत क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	स्थिति		
				बंद	पूर्ण	कार्यरत (चालू)
100 और अधिक	28	172.90	10637.31	0	16	12
50 से 100	09	23.33	768.70	0	5	4
20 से 50	08	22.10	337.50	1	7	0
20 से कम	06	6.08	89.01	1	5	0
कुल	**51**	**224.41**	**11832.52**	**2**	**33**	**16**

पूर्ण परियोजना: - 35

क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता (एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	समाप्ति तारीख
तालचेर कोलफील्ड्स				
1.	अनंता ओ/सी	4.00	156.49	मार्च 1995
2.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-I	1.50	46.99	मार्च 1997
3.	अनंता ओ/सी विस्तार चरण-II	6.50	35.88	मार्च 2007
4.	बलांडा ओ/सी *(बंद)*	1.00	36.87	मार्च,1984
5.	बलराम ओ/सी(कलिंगा ओसीपी)	8.00	344.63 (RCE cum Com. Rep.)	मार्च 2000
6.	भरतपुर ओ/सी	3.50	158.97 (RCE)	मार्च 1991
7.	भरतपुर ओ /सी विस्तार चरण-I	1.50	48.02	मार्च 1998
8.	छिन्दिपदा ओ /सी	0.35	19.75	मार्च 2007
9	हिंगुला -II ओ/सी	2.00	48.57	मार्च 2002

10.	हिंगुला -II ओ/सी विस्तार चरण-I	2.00	89.78	मार्च 2009
11.	हिंगुला -II ओ/सी विस्तार चरण-II	4.00	35.67	मार्च 2009
12.	जगन्नाथ ओ/सी/जगन्नाथ विस्तार	4.00	66.71/4.71	मार्च 1991
13.	जगन्नाथ ओ/सी विस्तार चरण-II	2.00	4.95	मार्च 2008
14.	लिंगराज ओ/सी	5.00	229.84	मार्च 1998
15.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण-I	5.00	98.89	मार्च 2007
16.	लिंगराज ओ/सी विस्तार चरण-II	3.00	2.18	मार्च 2008
17.	लिंगराज ओसी विस्तार चरण-III	3.00	125.047 (RCE cum Com. Rep.)	मार्च 2014
18.	नंदीरा यू/जी (विस्तार)	0.33	17.95	मार्च 1995
कुल (बंद खानों सहित)		**56.68**	**1571.897**	
ईब वैली कोलफील्ड्स				
19.	बसुन्धरा (ई) ओ / सी (बंद)	0.60	19.69	Mar 1998
20.	बसुन्धरा (पश्चिम) ओ / सी	2.40	176.55	Mar 2007
21.	बसुन्धरा (पश्चिम) विस्तार चरण-I	4.60	46.52	Mar 2011
22.	बेलपहाड़ ओ/सी	2.00	246.93 (RCE cum Com. Rep.)	मार्च 1994
23.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण-I	1.50		मार्च 2007
24.	बेलपहाड़ ओ/सी विस्तार चरण-II	4.50		मार्च 2015
25.	लजकुरा ओ/सी	1.00	38.98 (RCE)	मार्च 1991
26.	लजकुरा ओसीपी विस्तार चरण-I	1.50	60.77 (RCE cum Com. Rep.)	मार्च 2013
27.	लखनपुर ओ/सी	5.00	221.51	मार्च 2000
28.	लखनपुर ओ/सी विस्तार चरण-I	5.00	98.74	मार्च 2010
29.	लखनपुर ओसीपी विस्तार चरण-II	5.00	116.54	मार्च 2011
30.	लिलारी ओ/सी	0.80	19.78	मार्च 1992
31.	समलेश्वरी ओ/सी	3.00	382.11 (RCE cum Com. Rep.)	मार्च 2013
32.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-I	1.00		
33.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-II	1.00		
34.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-III	2.00		
35.	समलेश्वरी ओ/सी विस्तार चरण-IV	5.00		
उप कुल (बंद खानों की क्षमता सहित)		**45.90**	**1428.12**	
कुल (बंद खानों की क्षमता सहित)		**102.58**	**3000.017**	

चालू परियोजना :-16

क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता(एमटीवाई)	स्वीकृत पूंजी (करोड़ रु.)	परियोजना अनुमोदन की तारीख
तालचेर कोलफील्ड्स				
1	अनंत ओसीपी विस्तार चरण -III	3.00	207.28	31.08.2008
2	बलराम ओसीपी विस्तार	*8.00	172.08	22.12.2007
3	भरतपुर ओसीपी विस्तार चरण -2	6.00	95.87	29.03.2003
4	भरतपुर ओसीपी विस्तार चरण -III	9.00	131.39	12.02.2007
5	भुवनेश्वरी ओसीपी	20.00	490.10	22.12.2007
6	हिंगुला- II ओसीपी विस्तार चरण-III	7.00	479.53	08.11.2008
7	जगन्नाथ पुनः संगठन	*6.00	337.66	26.05.2014
8	जगन्नाथ भूमिगत	0.67	80.75	15.10.2001
9	कनिहा ओसीपी	10.00	457.77	22.12.2007
10	नटराज भूमिगत	0.64	92.11	30.01.2001
11	तालचेर (डब्ल्यू) भूमिगत	0.52	85.08	18.02.2002
	पूर्ण योग	**56.83**	**2629.62**	
ईब वैली कोलफील्ड्स				
12	बसुंधरा (डब्ल्यू) विस्तार	*7.00	479.15	07.05.2014
13	कुल्डा ओसीपी	10.00	302.96	12.01.2005
14	कुल्डा विस्तार ओसीपी	5.00	289.03	25.06.2014
15	सीआरामल ओसीपी	40.00	3756.36	29.05.2014
16	गर्जनबहाल ओसीपी	10.00	1375.38	08.11.2014
	उप कुल	**65.00**	**6202.88**	
	कुल *(चालू परियोजनाएं)*	**121.83**	**8832.50**	
	महायोग *(बंद खानों की क्षमता सहित)*	**224.41**	**11832.52**	

* अतिरिक्त क्षेत्रों को मिलाकर मूल परियोजनाओं का विस्तार हैं। इसलिए क्षमता में कोई अतिरिक्त वृद्धि नहीं होगी।

मौजूदा पुरानी भूमिगत खदानें - 05

क्र.	परियोजना का नाम	सीएमपीडीआईएल द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार एमटीवाई में क्षमता (मि.टन/वर्ष)				
		2012-13	**2013-14**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**
1	हिमगीर रामपुर कोलियरी	0.245	0.245	बंद	बंद	बंद
2	हिराखंड बुंदिया खान	0.612	0.551	0.551	0.612	0.612
3	ओरिएंट खान 1 और 2	0.490	0.490	0.428	0.428	0.367
4	ओरिएंट खान 3	0.612	0.643	0.551	0.490	0.000
5	ओरिएंट खान 4	0.061	0.061	0.061	0.061	0.122
6	तालचर भूमिगत खान	0.323	0.329	0.318	0.340	0.272
	कुल	**2.343**	**2.319**	**1.909**	**1.931**	**1.373**
	एमसीएल के लिए कुल योग (इसमें बंद खान की क्षमता शामिल हैं।)				**226.341**	**225.783**

भविष्य की परियोजनाएं: - 04

क्र.	परियोजना का नाम	परियोजना क्षमता(एमटीवाई)	टिप्पणी	पूंजीगत लागत (रु. करोड़)
1.	एकीकृत लखनपुर-बेलपहाड़ - लिलारी ओसीपी	30.00	03.02.2015 को एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना 12.08.15 को सीआईएल बोर्ड द्वारा प्रधान मंजूरी	1333.93
2.	गोपालजी- कनिहा विस्तार ओसीपी	30.00	20.05.15 को एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजना। दिनांक 23.09.15 को ईएससी द्वारा अनुमोदित	2988.67
3.	बलराम विस्तार ओसीपी	15.00	दिनांक 31.03.2012 को 'सिद्धांत रूप से' एमसीएल बोर्ड द्वारा परियोजना का अनुमोदन।	
4.	समलेश्वरी विस्तार ओसीपी (सभी सीम सहित)	20.00	दिनांक 21.09.15 को एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित 10.02.16 को 89 वीं सशक्त अधिकार समिति की बैठक में रखें। समिति ने निम्नलिखित सलाह दी: 12 एमटीआई के स्तर तक अंतिम क्षमता की जांच करने, लागत मापदंडों का विश्लेषण, ओबी के पुनर्प्रबंधन की लागत को दोबारा शुरू करने और ड्रैडलाइन के उपयोग को अधिकतम करने के लिए।	
	कुल	**95.00**		**4322.60**

गैर-खनन परियोजनाएं: -

एमसीएल की 20 करोड़ रुपये से कम लागत वाली प्रमुख गैर-खनन परियोजनाएं:

क्र.	परियोजना का नाम	पूंजीगत लागत (रु. करोड़)
1	बुँदिया खदान से राष्ट्रीय राजमार्ग .200 को जोडनेवाली 12.54 किलोमीटर के कॉंक्रीट सीटी सड़क का निर्माण।	135.29
2	ईब-वैली कोलफील्ड्स में 5 वर्ष से अधिक चलने वाली सभी सीटी सड़कों का निर्माण।	94.22
3	लाजकुरा वेलकम गेट से खदान 3 जंक्शन तक 3.7 किमी की बाय पास रोड का निर्माण	35.56
4	तालचेर कोलफील्ड में 4 लेन 41.5 किमी लंबी सड़क का निर्माण	251.35
5	लिंगराज ओसीपी के चेक पोस्ट से से एनएच-200 तक डायवर्सन रोड का निर्माण।	135.16
6	तालचेर में घंटपाड़ा गांव के निकट क्रॉसिंग लेवल पर आरओबी का निर्माण	37.50
7	तालचेर कोलफील्ड्स में कनिहा को छोड़कर, 5 वर्ष से अधिक चलने वाली सभी सीटी सड़कों का निर्माण।	165.92 संशोधित - 243.00
8	बांकीबहाल से कनिका रैल साईडिंग तक 27 किमी सड़क मार्ग को 2 लेन से 4 लेन तक छोड़ा करना ।	मूल- 162.87 संशोधित- 242.06
9	अनंत स्पूर साइडिंग V एवं VI पर 15 एमटीवाई की साइलों लोडिंग की व्यवस्था।	198.66
10	भरतपुर साइडिंग पर 15 एमटीवाई की साइलों लोडिंग की व्यवस्था।	173.20

11	लिंगराज ओसीपी में पर 16 एमटीवाई की साइलों लोडिंग की व्यवस्था।	237.56
12	झारसुगुडा - बारपाली - सरदेगा रेलवे लाइन	मूल- 469.68 संशोधित- 1007.12
13	अंगुल स्टेशन से कलिंगा सीपीपी तक रेलवे लिंक	99.00
14	तालचेर और पारादीप बंदरगाह के बीच ऑटो सिग्नलिंग सिस्टम	63.23
15	तालचेर यार्ड के लिए टीएलएसबी केबिन से तालचेर में भुवनेश्वरी ओसीपी की सेवा के लिए तीसरी पंक्ति का निर्माण।	47.60
16	बी-ओ-एम पर आधारित बसुंधरा वाशरी (10.00 एमटीआई)	334.72
17	बी-ओ-ओ पर आधारित जगन्नाथ वाशरी (10.00 एमटीआई)	265.35
18	बी-ओ-एम पर आधारित ईब वैली वाशरी (10.00 एमटीआई)	336.90
19	बी-ओ-ओ पर आधारित हिंगुला वाशरी (10.00 एमटीआई)	321.96
	कुल	**4259.44**

एमसीएल की 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली गैर-खनन पूर्ण परियोजनाएं:

क्र.	**परियोजना का नाम**	**पूंजीगत लागत (रु. करोड़)**
1	बसुंधरा गर्जनबहाल क्षेत्र में 5 वर्ष से अधिक चलने वाली सभी कॉक्रीट सीटी सड़कों का निर्माण।	22.96
2	कनिहा ओसीपी में कॉक्रीट सीटी रोड का निर्माण।	26.92
	कुल	**49.88**

एमसीएल की रु. 20 करोड़ से अधिक लागत वाली भविष्य की गैर-खनन परियोजनाएं:

क्र.	**परियोजना का नाम**	**पूंजीगत लागत (रु. करोड़)**
1	सुंदरगढ़ जिले में बाँकीबहाल से लेकर भेडाभाल तक (राज्य राजमार्ग -10 पर) 33.00 किलोमीटर लंबे अलग-अलग 2-लेन (संशोधित) समर्पित कोयला गलियारा सड़क, 4 पुलों का निर्माण। .	398.97
	कुल	**398.97**

16.5 विदेशी सहयोग: निरंक

16.6 आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी समावेश

क. हाल ही में स्वीकृत परियोजना रिपोर्टों में 10 क्यूबिक मीटर और 20 क्यूबिक मीटर शोवेल 100 टन और 170 टन डंपर्स, 770 एचपी डोजर्स आदि जैसे उच्च क्षमता वाले एचईएमएम का अनुमान लगाया गया है।

ख. माइनर्स को निरंतर एमसीएल की विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं से परिचय कराया जाएँ।

ग. एमसीएल विस्फोट-मुक्त तकनीक शुरू करने वाला सरफेस माइनर द्वारा खुली खदान में कोयला निकलनेवाला पाठ प्रदर्शक है।

घ. एमसीएल की सभी प्रमुख खुली परियोजनाओं में रैपिड लोडिंग सिस्टम के साथ साइलों की शुरूआत की जा रही है।

16.7 सरकार की मंजूरी लंबित परियोजनाएं: शून्य

16.8 2016-17 के दौरान भूमि अधिग्रहण और अधिपत्य :

(आंकड़े हेक्टेयर में)

क्षेत्र	किराये की भूमि		सरकारी गैर वन भूमि		वन भूमि		कुल अधिग्रहण	कुल अधिकार	टिप्पणियां
	अधिग्रहित	अधिपत्य	अधिग्रहित	अधिपत्य	अधिग्रहित	अधिपत्य			
जगन्नाथ	0.00	12.97	0.00	1.00	0.00	20.12	0	34.09	
हिंगुला	0.00	35.019	0.00	0.00	0.00	0.00	0	35.019	
भरतपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
लिंगराज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
कनिहा	583.482	11.01	262.563	0.00	295.433	0.00	1141.478	11.01	कोयला मंत्रालय द्वारा कनिहा ओसीपी के निलांचल कोयला खनन ब्लॉक की अधिसूचना 9(1) को मंजूरी मिल गई है, 03.06.2016 के स्वीकृति आदेश संख्या1981(E) तथा दिनांक 15.09.2016 के स्वीकृटी संख्या 2974(E) देखे।
ईब-वैली	128.053		225.19	0.00	116.536	5.7	469.779	5.7	ईब वैली ब्लॉक v एवं ओरिएंट 1,2 और 3 कोयला खनन ब्लॉक (लाजकुरा ओसीपी) - अधिसूचना 9 (1) को

									कोयला मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्राप्त हो गई है, दिनांक 09 .12.2016 के स्वीकृति आदेश 3685(E) तथा दिनांक 04.02.2017. के स्वीकृति आदेश संख्या 238 का अवलोकन करें।
लखनपुर		61.768		0.00	0.00	0.00	0	61.768	
बी-जी क्षेत्र		0.05		0.00	0.00	0.00	0	0.05	
कुल	711.535	120.817	487.753	1	411.969	25.82	1611.257	147.637	

16.16 एमसीएल में बीओएम आधार पर वाशरी निर्माण की स्थापना

सीआईएल के निर्णयानुसार निर्माण, संचालन, अनुरक्षण (BOM) अवधारणा पर अधिक राखवाले कोयले की किफ़ायती धुलाई के लिए वाशरी की स्थापना के लिए एमसीएल प्रथम चरण में 10 एमटीवाई क्षमतावाली चार कोयला वाशरी अर्थात हिंगुला वाशरी, कुल्डा ओसीपी में बसुंधरा वाशरी, लखनपुर में ईब वैली वाशरी और जगन्नाथ वाशरी की स्थापना कर रहा है जबकि बीओएम अवधारणा पर हिंगुला वाशरी (10 एमटीवाई) एवं जगन्नाथ वाशरी (10 एमटीवाई) का कार्यान्वयन नहीं किया गया है और नए/पुन: निविदा किए इन वाशरियों के गठन की अवधारणा बीओएम से बीओओ में बदल दी गई है यह कोयला मंत्रालय के सभी नई प्रस्तावित वाशरी जिनकी निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है उसे बीओओ अवधारणा के तहत निर्माण किया जाए" यह कोयल मंत्रालय एवं सीआईएल के निर्देश के तहत बदला गया है। तदनुसार हिंगुला वाशरी (10 एमटीवाई) और जगन्नाथ वाशरी (10 एमटीवाई) के निविदा को बीओओ अवधारणा के तहत जारी किया जाएगा। बीओओ अवधारणा के तहत बोली दस्तावेज़ सीएमपीडीआईएल द्वारा तैयार किया जा रहा है । बीओओ अवधारणा के तहत वाशरी का निर्माण बीओओ ऑपरेटर द्वारा किया जाएगा और वाशरी के लिए जमीन एमसीएल द्वारा पट्टे पर दी जाएगी। संचालन लागत का भुगतान एमसीएल द्वारा किया जाएगा।

लखनपुर के ईब वैली वाशरी (10 एमटीवाई) और बसुंधरा वाशरी (10 एमटीवाई) की स्वीकृति प्राप्त की जानी है। इन दो वाशरियों के लिए चूंकि सुचना पत्र जारी कर दिया गया है और इसी अग्रीम स्थिति में है। फरवरी 2017 में यह निर्णय लिया गया था कि ये दो वशरियों ईब वैली वाशरी (10 एमटीवाई) और बसुंधरा वाशरी (10 एमटीवाई) बीओएम अवधारणा के तहत रहेगी यह निर्णय सीआईएल द्वारा पहले किया गया था इसी तरह निविदा को अंतिम रूप दिया गया।

एमसीएल तीन और वाशरी लखनपुर (20 एमटीवाई क्षमता), गर्जनबहाल (10 एमटीवाई क्षमता), और सियारमल (40 एमटीवाई क्षमता) की स्थापना करने की योजना बना रहा है।

इन चार वशरियों की वर्तमान स्वीकृति चरण -1 के तहत है।

क) लखनपुर में बीओएम अवधारणा के तहत ईब वैली वाशरी (10 एमटीवाई क्षमता)

1. नवंबर 2014, में एमसीएल बोर्ड ने संशोधित अवधारणा पर रिपोर्ट को अनुमोदित किया था।
2. मई 2015 में ईब वैली वाशरी के लिए ई-टेंडर को फ्लोटेड/उपलोडेड किया गया।
3. न्यूनतम बोलीदाता मेसर्स ग्लोबल कोल एण्ड माइनिंग लिमिटेड को एमसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदन पश्चात 12.09.2016 को सूचना पत्र (LOI) जारी किया गया ।
4. जून 2015 में संदर्भ एवं शर्तों को (टीओआर) प्राप्त किया गया।
5. 31.01.2017 को मंजूरी की बैठक का कार्यवृत्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) की वेबसाइट पर 14.02.2017 को अपलोड किया गया परियोजना के पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अनुषंगी की गई थी।
6. ईसी एवं अन्य वैधानिक क्लियरेंस के बाद कार्यादेश (LOA) जारी किया जाएगा।
7. मई 2017 में ठेका पर हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है।

ख) बीओएम अवधारणा पर बसुंधरा वाशरी (10 एमटीवाई क्षमता)

1. न्यूनतम बोलीदाता को सूचना पत्र मई 2014 को दिया गया।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2014 में टीओआर जारी किया गया।
3. संशोधित संदर्भ शर्तें (TOR) 29.02.2016 को प्राप्त किया गया।
4. कोयला मंत्रालय से 18 जनवरी 2016 को 6.82 हेक्टेयर कस्तकारी भूमि (tenancy) के अधिग्रहण एवं अधिग्रहण जून 2017 तक देने की संभावना है।
5. 0.85 हेक्टेयर सरकारी गैर वैन भूमि के अधिग्रहण एवं अधिग्रहण जून 2017 तक होने की संभावना है।
6. ईसी के लिए ईएसी की बैठक दिनांक 28.02.2017 को आयोजित हुई। दिनांक 10.03.2017 को प्राप्त बैठक की कार्यवृत्त के तहत चर्चा के पश्चात ईएसी ने निर्णय लिया कि प्रस्ताव कि अनुसंशा नहीं कि जाएगी बल्कि फॉर्म एक्शन प्लान जो प्रस्तुत किया जाना है खदान समाप्ती स्थिति कि रिपोर्ट कि आवश्यकता को शामिल किया है। इस मामले को एमसीएल के पर्यावरण विभाग द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।
7. दिनांक 28.02.2017 को 29.41 हेक्टेयर वन भूमि के चरण-I एफ़सी के लिए एफ़एसी कि बैठक पश्चात दिनांक 28.02.2017 को आयोजित हुई। बैठक का कार्यवृत्त 17.03.2017 को अपलोड किया गया। एफ़एसी कि अनुसंशा कि प्रस्तावित वाशरी का ले-आउट इस हद तक बदला जाएगा कि विचलन के लिए प्रस्तावित भूमि में आनेवाले वन के टुकड़े को छोड़ा जा सके। इस मामले को एमसीएल के पर्यावरण विभाग द्वारा संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।
8. पर्यावरण मंजूरी, वैन मंजूरी,भू-अधिग्रहण(वन, टेनेसी भूमि तथा सरकारी गैर वन भूमि) प्राप्ति के पश्चात न्यूनतम बोलीदाता को कार्यादेश जारी किया जा सकता है।

ग) बीओओ अवधारणा पर हिंगुला वाशरी (10 एमटीवाई क्षमता)

1. जनवरी, 2014 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (MoEF) द्वारा संदर्भ शर्तें (ToR) जारी की गई थी।
2. 30 अक्तूबर, 2015 को पर्यावरण मंज़ूरी (EC) प्रदान की गई ।
3. 29 दिसंबर,2015 को स्थापना करने के लिए एसपीसीबी (SPCB) द्वारा जारी की गई सहमति तथा 30 दिसंबर 2015 को प्राप्ति ।
4. एमसीएल के पक्ष में बीओएम (BOM) अवधारणा पर ईसी और सहमति की स्थापना प्राप्त की गई ।
5. दिसंबर में निम्नतम बोलीदाता को अनुज्ञा पत्र दिया गया।
6. 01 जनवरी 2016 को एम/एस एमआईईएल को साख पत्र जारी किया गया।
7. दिनांक 03.11.2016 को निर्धारित समय में पीएफ़एस जमा न करने के कारण एम/एस एमआईईएल को जारी किया गया साख पत्र निरस्त कर दिया गया तथा 05.11.2016 को एम/एस एमआईईएल की बोली प्रत्याभूति की बैंक गारंटी को पहले ही नगद कर दिया गया था।
8. दिसंबर 2016 में सीएमपीडीआई द्वारा बीओएम अवधारणा पर आधारित बोली दस्तावेज़ को जमा किया गया था। बोली दस्तावेज़ पर टिप्पणियाँ तैयार करने के दौरान कोयला मंत्रालय के निर्णय से संबंधित कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त दिशा निर्देशों की सभी नई प्रस्तावित वशरी जिनके टेंडर को अंतिम रूप देना शेष है, को बीओओ अवधारणा के अंतर्गत बनाया जाना चाहिए, को 28.02.2016 को आयोजित बैठक में एमसीएल बोर्ड के समक्ष राखी गई थी बीओएम से बीओओ अवधारणा में परिवर्तन करते समय एमसीएल बोर्ड ने यह सुचित किया कि यह सीआईएल/मंत्रालय के प्रेरणा पर कि जा रही है।
9. फरवरी 2017 में बीओओ अवधारणा के अंतर्गत वशरी कि स्थापना के लिए मसौदा बोली दस्तावेज़ को सीएमपीडीआई ने जमा कर दिया था। 20.03.2017 को एमसीएल द्वारा बोली दस्तावेज़ पर विस्तृत विचार के साथ टिप्पणियाँ दी गई थी।

घ) बीओओ अवधारणा पर जगन्नाथ वाशरी (10 एमटीवाई क्षमता)

1. 13 अगस्त,2015 को संदर्भ शर्तें प्राप्त हुई। बैकफील्ड क्षेत्र और हरित वलय (Green Belt) से संबंधित संशोधित संदर्भ शर्तें (टीओआर) दिनांक 01.02.2016 को प्राप्त हुई।
2. दिनांक 31.08.2016 का पर्यावरणीय क्लियरेंस दिनांक 05.09.2016 को प्राप्त हुआ। कुछ विशेष स्थितियों में संशोधन कि आवश्यकता है । दिनांक 27.12.2016 को आयोजित ईएसी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार जो ईसी में संशोधन के लिए था, समिति ने दिनांक 31.08.2016 को ईसी में संशोधन के लिए अनुसंशा की जैसा कि प्रस्ताव ने अनुरोध किया था। संशोधित ईसी की अभी प्रतीक्षा है।
3. दिनांक 22.10.2016 को स्थापना की सहमति 30.11.2016 को प्राप्त हुई।
4. ईसी और स्थापना की सहमति दोनों बीओएम अवधारणा आधारीत एमसीएल के पक्ष में हुई।

5. ई-टेंडर मोड में 15 जून 2015 को फ्लोट की गयी निविदा एल-1 बोलीदाता के अस्वीकार करने के कारण निरस्त कर दी गई क्योकि उसमें पुष्टीकरण दस्तावेज़ जमा नहीं किए गए। दिनांक 06.10.2016 के निरस्तीकरण आदेश को दिनांक 07.10.2016 को अपलोड किया गया।
6. एल-1 बोलीदाता ने ओड़ीशा के कटक उच्च न्यायालय में निविदा के निरस्तीकरण को रीट पिटिशन फ़ाइल कर चुनौती दी है। माननीय उच्च न्यायालय ने बैंक गारंटी मामला सुनवाई के लिए अभी तक लंबित है।
7. दिसंबर 2016 में सीएमपीडीआई द्वारा बीओएम अवधारणा वाले बोली दस्तावेज़ जमा किए। बोली दस्तावेज़ पर टिप्पणी 23.01.2017 को सीएमपीडीआई भेज दी गई।
8. इसी बीच सीआईएल से से कोयला मंत्रालय के निर्णय "सभी नई प्रस्तावित वाशरी जिनकी निविदा को अभी अग्रीम रूप दिया जाना है, उसे बीओओ अवधारणा के तहत बनाई जाएगी", को एमसीएल बोर्ड की 28.03.2016 की बैठक में प्रस्तुत किया गया। जब बीओएम से बीओओ अवधारणा पर टिप्पणी बदली एमसीएल बोर्ड ने टिप्पणी की कि उसे तत्काल सीआईएल/मंत्रालय के स्तर पर किया जाए।
9. सीएमपीडीआई ने फरवरी 2017 में बीओओ अवधारणा पर वाशरी कि स्थापना के लिए मसौदा बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किया और एमसीएल द्वारा पहले टिप्पणी और उसके बाद दिनांक 20.03.2017 को बोली दस्तावेज़ का विस्तृत विवरण भेजा गया।

17. भूवैज्ञानिक अन्वेषण:

विवरण		2016-17	
		लक्ष्य	वास्तविक
सीआईएल ब्लॉक में कुल ड्रिलिंग(एमीटर)	विभागीय	20700.00	16940.00
	बाह्यस्रोत	34000.00	28948.70
	कुल	54700.00	45888.70
मि.टन में कोयला भंडार (सीआईएल ब्लॉक)	साबित	318.92	
	सूचित	134.28	
	अनुमानित	-	
	कुल	453.20	

18. पर्यावरण प्रबंधन

18.1 2015-16 के लिए स्थिरता रिपोर्ट और सीएसआर का प्रकाशन:

एमसीएल, 2011-12 से सीएसआर और स्थिरता पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करता रहा है। वर्ष 2015-16 की रिपोर्ट का शीर्षक 'खान से बाजार तक स्थिरता' है और यह जीआरआईजी-4 इन एकारडेंस' से

संबंधित है जिसमें खनन और धातु उपक्रम पुरक शामिल है। वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए ट्रीपल बॉटम लाईन के अलावा यह रिपोर्ट कंपनी के मूल पक्षों पर प्रकाश डालती है। यह स्टेक होल्डर संदर्भ के महत्व के परिमाणात्मक सूचनाओं के समर्थित रणनीतिक लक्ष्य एवं उद्देश्यों के समेकित दृश्य प्रस्तुत करता है। स्थिरता रिपोर्टिंग में हमारा कार्मिक विकास समकक्षों की तुलना में लाभ में मानक बेंचमार्क पर्यावरण एवं समाज हेतु वचनबद्धता को पूरा करने में मदद करता है। हम मूलभुत मुद्दों पर स्टेक होल्डर्स की स्थिरता समाप्ति प्रक्रिया जारी रखना चाहते हैं।

18.2 वैधानिक अनुपालन

18.2.1 वन मंज़ूरी (एफ़सी)

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या संक्षिप्त में एमओईएफ एवं सीसी) से पूर्व वन मंज़ूरी की आवश्यकता है। तदनुसार, एमसीएल नियमित रूप से आवेदन कर रहा है और एफसी प्राप्त कर रहा है। वर्ष 2016-17 में चरण -1 और चरण -2 की प्राप्त मंज़ूरी निम्न तालिका में दी गई है।

क्र.	परियोजना का नाम	चरण	वन क्षेत्र (हेक्टेयर मे)	वन मंज़ूरी का पत्र क्रमांक और तारीख
1	लजकुरा ओसीपी	चरण-II	159.18	वन सं. - 8-28/2014- वन मंज़ूरी तारीख. 19-05-2016

18.2.2 एमओईएफ और सीसी मंत्रालय से संदर्भ की शर्तें (टीओआर), और पर्यावरण मंज़ूरी (ईसी):

ईआईए अधिसूचना 2006 (पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित) के अनुसार किसी भी खदान के संचालन या विस्तार/वृद्धि किए जाने के पूर्व केन्द्र सरकार से पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी (ईसी) (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या लघुनाम एमओईएफ) जरूरी है। तदनुसार, एमसीएल सभी खानों (नई और विस्तार) के लिए नियमित रूप से आवेदन कर पर्यावरण क्लीयरेंस प्राप्त करता है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त की पर्यावरण क्लीयरेंस की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है।

विवरण	तालचेर कोलफील्ड्स	ईब वैली कोलफील्ड्स	कुल
01.04.2017 को कुल उपलब्ध पर्यावरण मंज़ूरी	124.60 एमटीवाई	68.26 एमटीवाई	192.86 एमटीवाई

2016-17 के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) से 2 पर्यावरण मंज़ूरी ली गई थी।

क्र.	परियोजना का नाम	पर्यावरण मंज़ूरी का पत्र क्रमांक और तारीख
1	जगन्नाथ वाशरी 10.0 एमटीआई	J-11015/203/2015-IA-II(एम) दिनांक: 31/08/16.
2	ईब वैली वाशरी 10.0 एमटीआई	J-11015/171/2015-IA-II(एम) दिनांक 30/03/17.

- वित्त वर्ष 2016-17 में आवेदन संदर्भ की शर्तों के लिए एमओईएफ और सीसी को 03 आवेदन सौंपे गए थे, जो निम्नानुसार नीचे सूचीबद्ध है।

क्र.	परियोजना का नाम	संदर्भ की शर्तों के लिए आवेदन प्रस्तुति
1	जगन्नाथ पुनर्गठन ओसीपी - 7.5 एमटीवाई	26/07/16
2	कुल्डा विस्तार ओसीपी -10.0 एमटीआई से 15 एमटीवाई	18/01/17
3	बसुंधरा (डबल्यू)विस्तार ओसीपी 8.75 एमटीवाई	28/03/17

- वित्त वर्ष 2016-17 में जन सुनवाई के लिए 2 आवेदन ओडीशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ओएसपीसीबी) को प्रस्तुत किए गए थे तथा 3 जन सुनवाई राखी गई थी जो निम्नानुसार सूचीबद्ध है।

क्र.	परियोजना का नाम	आयोजित पीएच की तारीख
1	गर्जनबहाल ओसीपी, 13 एमटीवाई	06/04/2016
2	बसुन्धरा वाशरी -10 एमटीवाई	27/07/2016
3	काकुड़ी और किशोरिपाल रेत खान -0.25 मि. क्यूबिक मीटर	20/12/2016

18.2.2 वैधानिक अनुपालन - पोस्ट- ईसी क्लीयरेंस

- एमसीएल के सभी संचालित खानों और एक रेलवे साइडिंग के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल और वायु अधिनियमों के तहत "संचालन की सहमति" प्राप्त की गई है।
- 2016-17 के दौरान खनन के संचालन के कारण भूजल की गुणवत्ता और अस्थिरता की नियमित निगरानी के लिए 40 नेटवर्क का एक नेटवर्क पाइज़ोमीटर स्थापित किया जा रहे हैं।
- सतत जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को स्थापित किया गया है- एक स्टेशन 2016 के अगस्त महीने में तालचेर कोलफील्ड्स में ब्रह्मानी नदी पर और दूसरा सितंबर माह में ईब नदी पर।
- उत्खनन कर्मशाला सहित संचालित खुली खदानों (जहाँ उपयोगी बैटरी, उपयोग किए ऑयल व ग्रीस बचे रह जाते है) तथा वॉशिंग रैंप से बहनेवाले बेकार पानी (जो तैलीय कीचड़ उत्पन्न करता है) से ऑयल व ग्रीस को अलग करने के लिए की गई व्यवस्था के लिए खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ नियमों के तहत एसपीसीबी से "प्राधिकार" प्राप्त किया गया है। उपयोग किए बैटरी तथा अपशिष्ट से निष्कासित ऑयल व ग्रीस के पर्याप्त संचयन पश्चात एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से पुनः प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत पुनः प्रोसेसर को निलाम कर दिया जाता है। नियमानुसार, बैटरियों के लिए अर्द्धवार्षिक विवरणी एवं अन्य खतरनाक अपशिष्टों के लिए वार्षिक विवरणी एसपीसीबी को प्रस्तुत किया जाता है।
- वर्ष के दौरान एमसीएल के 3 अंतर्विषयक अधिकारियों के दल द्वारा 22 संचालित खानों में से प्रत्येक का पर्यावरणीय लेखा परीक्षा किया गया।

- एसपीसीबी के अनुसार 2016-17 के दौरान 100% खनन जल का उपयोग किया गया है। अधिशेष भूमिगत खान का पानी जन समुदाय में आपूर्ति के लिए, पीने, कृषि, वानिकी, तालाबों की भराई आदि के लिए (155.71 लाख क्यूबिक मीटर/वर्ष, जिसमें से 38.36 लाख क्यूबिक मीटर/वर्ष पीने के लिए) इस्तेमाल किया गया। अधिशेष ओसी खदान का पानी (5 9 52.25 लाख रुपये / वर्ष) एक्विफेर के पुनर्भरण के लिए जमा किया गया है । किसी भी पानी को बाहर नहीं छोड़ा। (शून्य तरल निर्वहन)
- प्रपत्र-V में पर्यावरण सुरक्षा नियमावली के नियम 14 के तहत वार्षिक पर्यावरण विवरण सभी 22 संचालित खानों के लिए एसपीसीबी के पास समय पर जमा कर दिया गया है, कृपया 15.09.16 का पत्र का अवलोकन करें।
- ईआईए अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी वाले सभी परिचालित खदानों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी शर्तों के अनुपालन की छमाही रिपोर्ट 2016-17 के दौरान समय पर पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्तुत की गई थी।

18.3 पर्यावरण रक्षा व सुधार के लिए किए गए उपाय:

18.3.1 वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय:

पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंता को ध्यान में रखते हुए वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए काफी लंबे समय से प्रक्रियाएं प्रारंभ की गई तथा इसके बहुत उपाय किए गए हैं जिनमें से कुछ को निम्नानुसार रेखांकित किया गया है।

- एमसीएल सरफेस माइनर टेक्नोलॉजी का पर्यावरणमुक्त उपयोग करते हुए कोयला उत्पादन में निरंतर वृद्धि की जाती रही है (1999-2000 में 4.2 प्रतिशत से 2015-16 में 92 प्रतिशत)। 2016-17 के दौरान एमसीएल ने सरफेस माइनर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर कुल 139.20 मिलियन टन (92%) उत्पादन में से 127.20 मिलयन टन कोयला का उत्पादन किया। यह एक गैर-विस्फोटक खनन तकनीकी है, जिसमें धूल उत्पन्न होनेवाली यथा ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग तथा पूरी तरह से निरस्त क्रियाएं होती है, वहीं उसी समय जल का छिड़काव भी भी होता है। इसके अतिरिक्त चयनित कोयला तथा पत्थर के पृथक परतों को मशीन द्वारा धूल की 4 से 5 प्रतिशत तक की मात्रा कम की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप पावर प्लांट में कम धूल के साथ-साथ ग्रीन हाउस गैस में भी कमी आती है। मूल यूनिट ऑपरेशन यथा ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग, क्रशिंग, क्रशर अनलोडिंग तथा रिलोडिंग तथा परिचालन में होनेवाली डीजल की खपत के कारण ग्रीन हाउस गैस उत्पादन में भी कमी आती है जैसाकि परंपरागत प्रणाली में पहले किया जानेवाला कोयला उत्पादन में पावर प्लांट के परिवहन की कमी की इस मात्रा के कारण ग्रीन हाउस गैस के उत्पादन में कमी हो गयी थी, जिसकी मात्रा 3 से 5 % थी जिसमें बड़े पैमाने पर परिवहन की दूरी को भी तय करना होता था। अनुमान है कि एमसीएल ने लगभग 1.3 लाख टन इस लाख टन के कार्बन फूटप्रिंट को कम किया है ।

- 2016-17 के दौरान, कोयला परिवहन का 73.8% रेल मोड के माध्यम से है जो कि सबसे पर्यावरण अनुकूल अंत:स्थलीय अधिक परिवहन प्रणाली है और सड़क के माध्यम से प्रेषण केवल 26.72% है (वॉल्यूम के अनुसार 1 रेलवे रेक 3,800 टन 240 ट्रक के बराबर है, प्रत्येक में 16 टन कोयला है)।
- रेक लोडिंग सुविधा और रेल विनिर्मान को बढ़ाया/सुधार और सुद्दढ़ किया जा रहा है, वर्तमान में कोयला 22 साईडिंग और 4 एमजीआर के माध्यम से भेजा जाता है। तालचेर कोलफील्ड्स में रैक की औसत संख्या 35.3 रेक/दिन है और इसे ईब वैली कोलफील्ड्स में 30.9 रेक/दिन तक बढ़ाया गया है।
- खनन गतिविधियों के कारण धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 28 के.एल. और 18 के.एल. क्षमता के विभागीय एवं सविदात्मक दोनों के 80 चलित पानी टैंकरों को खानों में लगाया गया हैं। 28 के.एल. क्षमता के चलित पानी टैंकर पर पूंजीगत खर्च 1 करोड़/टैंकर है और राजस्व व्यय लगभग 85 लाख/टैंकर/वर्ष है।
- आवासीय क्षेत्र, स्कूलों और अन्य क्षेत्रों को छोडकर दोनों कोयला क्षेत्रों में अलग-अलग समर्पित कोयला परिवहन गलियारे का निर्माण किया गया है। समर्पित कोयला परिवहन गलियारा की लंबाई तालचेर कोलफील्ड्स में 20.99 किमी और ईब वैली कोलफील्ड्स में 17.03 किमी है।
- कोयले की धुलाई के लिए पहले चरण में 35% शामिल धूल से कम धूल की कोयला धुलाई के लिए 10 एमटीवाई क्षमता की 4 कोयला वॉशरी की स्थापना की जानी है। 10 एमटी से लगभग 10% राख की कमी जीएचजी की प्रति वर्ष 3.0 लाख टन की कमी के बराबर है। 3 पर्यावरण मंजूरी प्राप्त की जा चुकी है। बसुंधरा वाशरी की पर्यावरण मंजूरी अग्रिम चरण में है और चरण -1 के एफसी को जमा करने के बाद दी जाएगी।
- कोलफील्ड्स में खनन लीज से बाहर के कोयला परिवहन सड़कों में धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए 12 के.एल. क्षमता के चलित जलवाहक नियोजित किए गए है ।
- सभी रेलवे साइडिंग में वैगन लोडिंग के दौरान धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अचल फुहारे लगाए गए हैं । चलित पानी टैंकर भी उपलब्ध किए गए है ।
- कोल हैंडलिंग संयंत्र में धूल प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु मिस्टर्स, अचल फुहारे तथा मोबाइल जलवाहक उपलब्ध हैं। तथापि काफी नगण्य पारंपरिक कोयला उत्पादन(8.19% मात्र) और सीएचपी में क्रशिंग की आवश्यकता में कमी के करण सीएचपी से धुल उत्सर्जन में काफी कमी आई है ।
- इस वर्ष के दौरान पक्की तथा कच्ची ब्लैक टोपिंग सड़कों का रख-रखाव तथा उसकी सद्दंढिकरण का कार्य संपन्न किया गया ।
- मानवीय सफाई और छलकाव और कोयला परिवहन सड़कों पर धूल का संग्रहण।
- तालचेर और ईब वैली कोयलांचल पक्के कोयला परिवहन सड़कों को झाड़ने तथा कोयले के चूर्ण और धूल को संग्रहण के लिए निर्वात प्रचालित मैकेनिकल रोड स्वीपर में तीन हेवी ड्यूटी ट्रक कार्यरत है।
- सभी ड्रील धूल निकासी एवं वेट ड्रीलिंग सिस्टम से युक्त है।

- 10 मिस्ट ब्लोअर सह रोड फोगर की खरीद, प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक अंतिम चरण में है और अगले वित्तीय वर्ष में प्रभावी धूल शमन के लिए तैनात किए जाने की संभावना है।
- आवासीय क्षेत्रों और बुनियादी ढांचे सहित खान के बीच ग्रीन बेल्ट को विकसित करना जारी रखा गया है।

18.3.2 जल संसाधन प्रबंधन के लिए कार्यनीति:

- एनआईटी, राउरकेला द्वारा एमसीएल की सभी खुली खदानों और सम्प क्षमता के साथ-साथ मात्राओं का सरफेस रन ऑफ अध्ययन का मूल्यांकन किया गया है और इस पर आधारित, सभी खानों को बनाने के लिए समुचित जल संसाधन प्रबंधन की योजना "शून्य निर्वहन" तैयार एवं कार्यान्वित की गई है।
- खनन कार्य के कारण अन्य बोर कुओं के साथ-साथ भूजल की गुणवत्ता और अस्थिरता की नियमित निगरानी 40 पाइज़ोमीटर लोगों के नेटवर्क के माध्यम से की जा रही है।
- सतह जल की गुणवत्ता और जल प्रवाह की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जा रही है।
- मृदा जल संरक्षण के लिए चेक बांध का निर्माण किया गया है।
- सतह के प्रवाह को चौड़ा करने के लिए कैच नालियों और गारलैंड नालियों का का निर्माण किया गया है।
- डी-कोल वाइडस का उपयोग वर्षा जल संचयन और जलीय पदार्थ का पुनः चार्ज करने के लिए किया जाता है। माइन सम्प औद्योगिक कार्यों जैसे के लिए पूरे साल में पानी की आपूर्ति, जैसे अग्निशमन, धूल दमन, कार्यशालाओं में वाहन धोने, खनन क्षेत्रों में वृक्षारोपण आदि में जल की आपूर्ति करता है।
- इनमें से कुछ माइन सम्प का उपयोग पानी के शुद्धिकरण के बाद कॉलोनियों में को पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए भी किया जाता है। आसपास के गांव भी सिंचाई के प्रयोजनों के लिए इस तरह के पानी की मांग करते हैं।.
- ये सम्प भी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बरसात के मौसम में सतह के प्रवाह के लिए माध्यम के रूप में कार्य करते हैं।
- एचईएमएम कार्यशालाओं से निकले प्रवाह को ईटीपी/तेल और ग्रीस ट्रेप में शुद्ध किया जाता है और शुद्ध किए गए पानी का पुन: उपयोग किया जा रहा है।
- स्थानीयकृत अपवाह के शुद्धिकरण के लिए अवशोषण तालाब/खनन जल निकासी उपचार संयंत्र प्रदान किए गए हैं।
- सभी बड़ी कॉलोनियों (8) के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (एसटीपी) उपलब्ध कराए गए हैं। अन्य कॉलोनियों में सेटिंग टैंक और पीट टैंक की व्यवस्था की गई है।

18.3.3 ध्वनि एवं भूमि कंपन नियंत्रण उपाय :

- कुल कोयले का 92% उत्पादन विस्फोट रहित पर्यावरणीय अनुकूल सरफेस माईनर प्रौद्योगिकी से किया जाता है जिससे आकारित कोयले उत्पादन हेतु ड्रिलिंग, विस्फोटन और सीएचपी प्रचालन हेतु पारंपरिक खनन वांछित होता है, की तुलना में शोर और भूमि स्पंदन काफी हद तक कम हो जाता है।
- आवासीय क्षेत्रों एवं खानों के बीच ग्रीन बेल्टों का विकास किया गया है तथा वर्ष के दौरान कुछ नए स्थानों पर अवसंरचना का अनुरक्षण भी किया गया।
- शोर शराबे में कार्य करनेवाले कामगारों तथा नए कामगारों को ईयर मफ एवं ईयर प्लगस प्रदान किए गए।
- विस्फोट के लिए नॉन-इलेक्ट्रिक डेटोनेटर्स का प्रयोग किया गया जिससे कम शोर तथा कम भूमिगत कंपन हुआ। नियंत्रित विस्फोट का भी प्रयोग किया गया।
- सभी एचईएमएम में पर्याप्त शोर के स्तर को कम करनेवाली तकनीक लगाई गई हैं।.

18.3.4 भूमि सुधार एवं वृक्षारोपण:

- सामग्री के पार्श्व-भराव के लिए गैर-कोयलेवाले रिक्त स्थान का प्रयोग किया गया और तत्पश्चात जैविक सुधार प्रक्रिया के रूप में पौध-रोपण किया गया।
- पर्यावरण के प्रति कंपनी की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए खानों में कंपनी ने आवश्यक भौतिक सुधार करने के बाद बैकफील्ड आंतरिक डम्प तथा बाह्य डम्प पर मिश्रित स्वदेशी प्रजातियों के 52.19 लाख(टीसीएफ- 21.43 लाख, ईब वैली कोलफील्ड्स -29.93 लाख एवं मुख्यालय- 0.83 लाख) पौधे लगाए अन्य भूमि एवं खाली पड़े स्थानों पर भी पौधे लगाए गए ।
- वित्त वर्ष के दौरान कुल लगाए गए पौधे की संख्या 1.38 लाख है और 0.64 लाख से अधिक वितरित किए गए है ।
- पौधों को आवासीय टाउनशिप और कार्यालय परिसर में विशेष रूप से फलदार, फूलों और औषधीय पौधों और पेड़ों को लगाया जाता है।
- प्रारंभ से एमसीएल (20 किलोग्राम/वृक्ष/वर्ष) की वृक्षारोपण गतिविधियों के कारण कार्बन डाई ऑक्साइड(CO_2) के 1,04,380 टन के कार्बन की कटौती का अनुमान लगाया गया है।
- राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग एजेंसी द्वारा तैयार रिमोट सेंसिंग डेटा के माध्यम से भूमि सुधार के माध्यम से ईब वैली और तालचेर कोलफील्ड्स दोनों में सीएमपीडीआईएल के माध्यम से 14 ओपन कास्ट माइन (11 > 5 एमएम^3/ वर्ष और 3 <5 एमएम^3/ वर्ष क्षमता) पर निगरानी चल रही है। प्राप्त रिपोर्ट पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजी गयी है और कंपनी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जा रही है।

18.3.5 अपशिष्ट प्रबंधन :

- सीपीसीबी की पंजीकृत रिसाइक्लिंग एजेंसियों के माध्यम से खतरनाक कचरों (मशीनों और इस्तेमाल की जाने वाली बैटरी से जला हुआ तेल) का निपटान किया जाता है।
- मेडिकल यूनिटों से बायो मेडिकल और अन्य खतरनाक अपशिष्टों का निपटान निर्धारित विधियों/प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

18.3.6 पर्यावरणीय निगरानी:

- वर्ष के दौरान रु. 4.49 करोड़ की अनुमानित लागत पर सीएमपीडीआईएल प्रयोगशालाओं के साथ-साथ वायु, पानी और शोर की नियमित रूप से पर्यावरणीय निगरानी की गई। एमसीएल में पहली बार पर्यावरण मंजूरी शर्तों के अनुपालन के लिए भारी धातुओं की अर्ध वार्षिक निगरानी की गई थी। सीपीसीबी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार क्रियाविधि, आवृत्ति, आदि को कड़ाई से बनाए रखा था।
- संविधान के अनुसार एसपीसीबी और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को निगरानी के परिणाम प्रस्तुत किए गए थे। पर्यावरण निगरानी के परिणाम कंपनी के वेबसाइट पर मासिक आधार पर अपलोड किए जाते हैं।
- जगन्नाथ क्षेत्र और लखनपुर क्षेत्र में ओटोमेटिक मौसम स्टेशन संचालित है।

18.4 एमसीएल वेब साइट का प्रकाशन

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, एमसीएल अपनी वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर नियमित रूप से निम्नलिखित पर्यावरण सूचना प्रकाशित और अद्यतन कर रहा है।

i. पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके अर्ध-वार्षिक अनुपालन द्वारा जारी पर्यावरण मंजूरी पत्र।

ii. प्रत्येक डायवर्सन परियोजना के लिए पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी वन मंजूरी पत्र।

iii. प्रत्येक परियोजना का संचालन करने के लिए स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति।

iv. प्रत्येक प्रोजेक्ट का खतरनाक अपशिष्ट प्राधिकरण ।

v. एमसीएल के सभी संचालित खानों का पर्यावरणीय विवरण।

vi. वार्षिक सीएसआर और स्थिरता रिपोर्ट।

vii. पर्यावरणीय निगरानी रिपोर्ट की वार्षिक और मासिक रूटीन ।

18. 5 पुरस्कार और मान्यता

- भरतपुर ओसीपी और लखनपुर ओसीपी को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः स्वर्ण एवं रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धातु और खनन क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए "17 वीं वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2016" बेंगलुरु में आयोजित किया गया था।
- पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान के लिए एमसीएल को "42 वें कोल इंडिया पर्यावरण उत्कृष्टता पुरस्कार -2016" से सम्मानित किया गया है।

18.6 खदान बंदी प्रकोष्ठ की व्यवस्था:

- दिसंबर 2016 के महीने में खदान बंदी गतिविधि संबंधी कार्यो को वन विभाग को सौंपा गया था।.
- जनवरी 2017 में खान स्तर, क्षेत्रीय स्तर और कंपनी स्तर पर खदान बंदी प्रकोष्ठ का गठन किया गया
- खदान बंदी गतिविधियों से संबंधित विस्तृत चर्चा के लिए परियोजना अधिकारियों, स्टाफ(खनन) अधिकारियों, तथा सभी क्षेत्रों/खदानों के पर्यावरण एवं सर्वेक्षण अधिकारियों, के साथ 6 जनवरी,2017 को डीटी कॉन्फ़्रेंस हॉल, एमसीएल मुख्यालय में बैठक आयोजित की गई।
- खदान बंदी गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए पर्यावरण विभाग के अधिकारियों परियोजनाओं और क्षेत्रों का निरीक्षण किया।
- जगन्नाथ क्षेत्र की भुवनेश्वरी ओसीपी एमसीएल की पहली परियोजना है जिन्होंने एस्क्रो अकाउंट से 21.30 करोड़ रुपये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए मार्च-2017 में एमसीएल मुख्यालय को खदान बंदी गतिविधियों से संबंधित फाइल प्रस्तुत की है। दिनांक 25.03.2017 को सीएमपीडीआई, आरआई- VII को आवश्यक लेखा परीक्षा/सत्यापन के लिए फाइल भेज दी गई है।
- खदान बंदी गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए दिनांक 2 9 .03.2017 को एमटीवाई सम्मेलन कक्ष दूसरी समन्वय बैठक आयोजित की गई थी।

19. <u>बिक्री और विपणन कार्यप्रणाली</u>

एमसीएल ने वर्ष 2015-16 के दौरान 143.011 मिलियन टन के ऑफ-टेक का लक्ष्य प्राप्त किया है जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.99% की बढ़ोत्तरी को दर्शाता है, यह बढ़ोत्तरी हड़ताल, बंद तथा राज्य सरकार द्वारा गर्मी के दिनों में कोयले के परिवहन पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद प्राप्त की गई ।

19.1. मांग एवं ऑफ-टेक:

वर्ष 2016-17 के दौरान 143.011 मि.टन लक्ष्य की तुलना में 167 मि.टन ऑफ-टेक किया गया, जो कि पिछले वर्ष के लक्ष्य की तुलना में 85.6% प्रतिशत है जिस पर 2.79 मि.टन की वृद्धि हुई।

2016-17 के दौरान क्षेत्रवार प्रेषण नीचे दिए गए हैं।

(आंकड़े मि. टन में)

क्षेत्र	2016-17			2015-16
	लक्ष्य	वास्तविक	% प्राप्ति	वास्तविक
विद्युत	113.210	98.550	87.05	93.013
सीमेंट	0.300	0.257	85.66	0.240
सीपीपी और अन्य	53.490	44.199	82.63	46.961
कोलियरी में खपत सेवन	0	0.005	-	0.005
कुल	167	143.011	85.6	140.219

फोर्स मेजर के कारण वर्ष 2016-17 के दौरान कोयला ऑफ-टेक में कमी का विवरण नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मि. टन में)

परियोजना का नाम/ ब्यौरा	**2016-17**			**फोर्स मेजर के कारण वास्तविक हानि**	**अभियुक्ति**
	एमओयू लक्ष्य	**वास्तविक**	**अंतर**		
कनिहा ओसीपी	13.264	9.084	4.18	4.18	समर्पित एमजीआर द्वारा एनटीपीसी कनिहा ने कम कोयला उठाव। गर्मी के मौसम में दिन के समय परिवहन पर राज्य सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण कम प्रेषण। तालचेर कोलफील्ड्स में स्थानीय आंदोलन/हड़तालों के कारण कम प्रेषण
लिंगराज ओसीपी	18.321	15.441	2.88	2.695	
भरतपुर ओसीपी	20.960	13.419	7.541	0.371	
अनंता ओसीपी	10.0	3.097	6.903		
रेलवे रेकों की संख्या में कमी के कारण प्रेषण में कमी	80.69 (रेक/दिवस)	66.2 (रेक/दिवस)	14.49 ((रेक/दिवस)	20.286	1 रेक=1.4एमटी/वर्ष

वर्ष 2016-17 के दौरान फोर्स मेजर के कारण ऑफटेक के कुल हानि 27.541 मिलियन टन लेकिन प्रभावी हानि 23.989 मिलियन टन था क्योंकि अन्य खदानों ने ज्यादा प्रेषण किया है।

19.1. वैगन लोडिंग

वर्ष 2015-16 में 65.4 रैक/ दिन के स्थान पर वर्ष 2016-17 में 66.2 रैक /दिन औसत दैनिक वैगन लोडिंग हुई। गत वर्ष की तुलना में वैगन लोडिंग में 0.8 रैक/ दिन अर्थात 1.22%. की वृद्धि हुई। क्षेत्रवार लक्ष्य एवं लोडिंग नीचे दिया गया है।

(आंकड़े रेक/दिवस में)

क्षेत्र	2016-17			2015-16
	लक्ष्य	आपूर्ति	लोडिंग	वास्तविक
ईब वैली	32.97	30.9	30.9	27.6
तालचेर	47.72	35.3	35.3	37.8
कुल	80.69	66.2	66.2	65.4

19.3. ई-नीलामी:

आपकी कंपनी ने वर्ष 2015-16 में स्पाट एंड फारवर्ड ई-ऑक्शन के तहत 44.646 मिलियन टन उपलब्ध कराया जिसके जवाब में उपभोक्ताओं/क्रेताओं ने 32.405 मिलिंयन टन की बुकिंग की जिससे अधिसूचित मूल्य पर रु. 733.24 करोड़ प्रीमियम वसूली हुई।

19.4. ईंधन आपूर्ति समझौता (एफएसए):

वर्ष 2017-18 के दौरान एमसीएल ने 56 उपभोक्ताओं के साथ एक एफएसए हस्ताक्षर किया गया।

<u>कोयले की गुणवत्ता में सुधार</u>

एमसीएल कोयला के गुण्वत्ता के लिए उन सभी उपायों पर अमल करता है जिसे विभिन्न पावर हाउस के साथ-साथ उपभोक्ता को आपूर्ति हेतु उनकी संतुष्टि का पूरा ध्यान रखता है। इस वर्ष के दौरान कोयले के प्रेषण हेतु सामान्य गुणवत्ता हेतु विविध उपाए किय गये हैं। जहॉ तक इसकी गुणवत्ता की शिकायत का प्रश्न है, चालू वर्ष में यह शिकायत गतवर्ष के 44 की तुलना में 55 प्राप्त हुई।

कंपनी द्वारा गुणवत्ता सुधार एवं ग्राहकों की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

1. ग्राहकों की संतुष्टि में सुधार करने के लिए विभिन्न उपभोक्ताओं के साथ सतत् संवाद स्थापित किया गया है।
2. उपभोक्ताओं को कोल लोडिंग स्थलों तथा वे-ब्रीज के साथ-साथ कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाओं के व्यक्तिगत तौर पर निरीक्षण एवं जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
3. उन मुख्य सभी साइडिंग्स, जहां से ज्यादातर उपभोक्ताओं और कोर सेक्टर के उद्योगों को काफी मात्रा में कोयला भेजा जाता है, को नोडल अधिकारियों के सीधे निरीक्षण के अंतर्गत रखा गया है, जो उपयुक्त गुणवत्ता, वजन एवं कोयले के आकार को सुनिश्चित करने तथा उसके अनुरक्षण के लिए विशेष तौर पर जिम्मेदार होंगे।
4. जब भी विभाग में कोई शिकायत, चाहे छोटे या बड़े स्वरूप की हो, प्राप्त हुई तब उसकी जांच गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारियों द्वारा स्थल पर जाकर की गई है तथा उसके निष्कर्षों के बारे में इष्टतम समय सीमा के भीतर उन उपभोक्ताओं को जानकारी दी गई जहां से शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

5. सभी उपभोक्ताओं को सुनिश्चित गुणवत्ता का कोयला प्रेषित करने के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर सभी रेलवे साइडिंग का सतत निरीक्षण किया जाता है।
6. प्रेषित कोयले की उपयुक्त गुणवत्ता एवं मात्रा सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण विभाग के अधिकारियों की टीम द्वारा विभिन्न स्थलों का औचक निरीक्षण किया जाता है।
7. गुणवत्ता नियंत्रण विभाग द्वारा वे-ब्रीज तथा परीक्षण प्रयोगशालाओं का नियमित तौर पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान प्रयोगशालाओं, वे-ब्रिजों और प्रयोगशाला में कोई असंगति अथवा दोष पाए जाने की सूचना क्षेत्र के संबंधित मुख्य महाप्रबंधकों को सुधारात्मक उपाय करने के लिए दी जाती है।
8. तृणमूल स्तर पर गुणवत्ता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सभी क्षेत्रों में दिनांक 14.02.2017 से 28.02.2017 तक "गुणवत्ता सप्ताह" मनाया गया/आयोजित किया गया। सभी क्षेत्र कार्मिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
9. बेहतर पारदर्शिता और उपभोक्ता संतोष के लिए सीआईएमएफआर को सीपीपी जैसे आईपीपी और बिजली उपयोगिता उपभोक्ताओं और गैर-विनियमित क्षेत्र में आपूर्ति की जाने वाली कोयले के संग्रह और विश्लेषण के लिए एमओसी/सीआईएल के निर्देशों के आधार पर स्वतंत्र तृतीय पक्ष नमूनाकरण एजेंसी के रूप में तैनात किया गया है। स्पंज एंड सीमेंट सेक्टर आदि जैसे अन्य उपभोक्ताओं के लिए संबंधित क्षेत्र के सभी लोडिंग बिंदुओं पर हिंडाल्को, भुषण एंड स्टील पावर लिमिटेड, वेदांत, संयुक्त नमूना का आयोजन किया जा रहा है।
10. विभिन्न क्षेत्रों अर्थात ईब वैली, लखनपुर, ओरियंट, बसुंधरा एवं गर्जनबहाल जगन्नाथ, लिंगराज, भरतपुर, हिंगुला, तालचेर और कनिहा में कुल नौ कोयला विश्लेषण प्रयोगशालाएं हैं। इन सभी में आधुनिक उपकरण जैसे कोयले के जीसीवी के निर्धारण हेतु इलेक्ट्रो आटो बम्ब कैलोरी मीटर जैसे उपकरण मौजूद हैं।

    ईब वैली क्षेत्र के कोयला विश्लेषण प्रयोगशाला को एनएबीएल मान्यता प्राप्त अनुदान, 24.5.2015 से 23.5.2017 तक वैधता से सम्मानित किया गया और भरतपुर एवं जगन्नाथ क्षेत्र के प्रयोगशाला को अंतिम रूप दे दिया गया है एवं बहुत शीघ्र मान्यता प्राप्त किया जाना है। सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार शेष सात क्षेत्रों के विश्लेषण प्रयोगशाला के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं।
11. ये उपकरण विभिन्न उपभोक्ताओं को भेजे गए कोयले के ग्रेड का निर्धारण दो घण्टे में कर सकते हैं। इससे कोयले भण्डारों, साइडिंग्स तथा खनन किए जा रहे कोयले की गुणवत्ता की शीघ्र मानीटरिंग करने में सहायता मिलती है।
12. इस वर्ष कोयले के उत्खनन के लिए चयनित खनन पद्धतियों को जारी रखा गया और तदनुसार लखनपुर ओसीपी, बेलपहाड़ ओसीपी, लिंगराज ओसीपी, भरतपुर ओसीपी, बलराम ओसीपी, हिंगुला ओसीपी, बसुंधरा (डब्ल्यू) ओसीपी, कुलडा ओसीपी एवं समलेश्वरी ओसीपी में सरफेस माइनरों को लगाया किया गया।

13. सरफेस माइनरों का प्रयोग करते हुए कोल सीम से बेकार पदार्थों को दूर किया जाता है जिससे कोयले की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता मिलती है।
14. सभी साइडिंग्स पर प्रिंट आउट सुविधा के साथ इलेक्ट्रानिक रेल वे-ब्रीजेज उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त कंपनी ने 100% वजन प्राप्त करने के लिए स्टेंड-बाइ वे-ब्रीज भी प्रदान किए हैं।
15. उपभोक्ताओं को -100 एमएम आकार का कोयला प्रदान करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए गए हैं। इसके लिए रेल, बेल्ट एवं एमजीआर द्वारा भेजे गए कोयले को सीएचपी एवं फीडर ब्रेकर्स द्वारा तोड़ा गया।
16. गुणवत्ता के संबंध में उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी तथा पारदर्शिता के उद्देश्यार्थ सभी साइडिंग्स/लोडिंग केन्द्रों पर बाउण्ड पृष्ठ रजिस्टर रखा गया है, जिसमें लोडिंग के समय मौजूद उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि गुणवत्ता/आकार एवं सुविधाओं के संबंध में अपनी टिप्पणियां/ सुझाव लिखने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
17. सीसीओ कोलकाता द्वारा सख्त नमूना प्रक्रियाविधि को अपना कर तथा आईआईटी गुवाहाटी के सदस्य द्वारा आयोजित वर्ष 2017-18 के लिए सीम, स्टॉक, साइडिंग एवं टिपर नमूनों के संबंध में वार्षिक कोलग्रेड को उपभोक्ताओं की अधिकतम संतुष्टि के रूप में आकलित किया गया है।

20. **सुरक्षा एवं बचाव:**

सुरक्षित खनन' आपकी कंपनी का मुख्य क्षमताओं में से एक है जो सुरक्षा पद्धतियों एवं तकनीकों के सतत प्रयोग के माध्यम से प्राप्त की गई है। 'शून्य दुर्घटना' लक्ष्य होने की वजह से आपकी कंपनी योजनाएं तैयार करती है तथा नियमित आधार पर अपने आपको तैयार करती है ताकि इस लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त किया जा सके तथा यह कर्मचारियों के लिए अधिक उत्पादन हेतु प्रेरणा दायी बल बन सके।

1. **दुर्घटना के आँकड़े**

क्र.	विवरण	2016-17	2015-16
1	घातक दुर्घटनाओं की संख्या	6	2
2	घातकता की संख्या	6	2
3	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	8	4
4	गंभीर चोटों की संख्या	8	4
5	घातकता की दर		
	प्रति मिलियन टन उत्पादन	0.043	0.015
	प्रति तीन लाख मैनशिफ्ट	0.379	0.129
6	गंभीर चोटों की दर		
	प्रति मिलियन टन उत्पादन	0.057	0.029
	प्रति तीन लाख मैनशिफ्ट	0.506	0.258
7	स्थानवार घातकता की दर		
	भूमिगत	1	--
	खुली खान	5	2
	भू सतह	--	--

2. एमसीएल में सुरक्षा सुधार हेतु उठाए गए कदम :

(i) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के प्रारंभ में ईकाइवार समझौता-ज्ञापन निर्धारित किया जाता है और पूरी कंपनी को खानों में प्रचालन, अनुरक्षण तथा कार्यकारी स्थितियों में सुरक्षा मानकों में सुधार लाया जाता है।

(ii) सभी 15 खुली खदानों व 6 भूमिगत खानों के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजना सूत्रबद्ध की गई तथा सुरक्षा मानकों को उन्नत करने के लिए कार्यान्वित की गई।

(iii) समझौता-ज्ञापन लक्ष्यों की अधिप्राप्ति हेतु निर्बाध व कुशल निष्पादन के लिए पर्याप्त सामग्री और आर्थिक.संसाधन प्रदान किए गए हैं।

(iv) सभी कर्मचारियों को सुरक्षा साधन जैसे कि हैलमेट, सुरक्षा जूते, फ्लोरोसेंट जैकेट, ईयर मफ, चश्में, दस्ताने आदि प्रदान किए किए जाते हैं ताकि अस्वस्थ और चोट लगने वाली स्थितियों से बचाव हो सके। वर्ष 2016-17 में 9557 जोड़ी माइनिंग जूते, 971 जोड़ी गमबूट व 6931 नग हेलमेट आबंटित किए गए है।

(v) 11वें सुरक्षा सम्मेलन, कोयला खदानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति, सीआईएल सुरक्षा बोर्ड, कंपनी स्तर सुरक्षा समिति, क्षेत्र स्तर सुरक्षा समिति और परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों की सिफारिशों का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन किया जाता है

(vi) कोयला खनन विनियमन 1957 के प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त किए गए खदान अधिकारियों द्वारा सांविधिक निरीक्षण के अतिरिक्त, सुरक्षा मानकों का कामगार निरीक्षकों (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), खान स्तर पर सुरक्षा समिति (खान नियम 1955 के अंतर्गत गठित), क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति और कंपनी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति द्वारा भी निरीक्षण किया जाता है।

(vii) परियोजना स्तर सुरक्षा समितियों, क्षेत्र स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियों और अनुषंगी स्तर त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति में कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ सुरक्षा मामलों पर संयुक्त परामर्श किया जाता है। सहायक स्तर की द्विपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक 27/03/2017 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी।

(viii) क्षेत्र स्तर पर क्षेत्र सुरक्षा अधिकारी और कंपनी मुख्यालय स्तर पर पूर्णरूपेण आईएसओ विभाग में सुरक्षा अधिकारी द्वारा आंतरिक सुरक्षा संगठनों के जरिए सांविधिक नियमों विनियमों और सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन का बहु-स्तरीय निरीक्षण किया जाता है।

(ix) कंपनी के सुविधाजनक स्थानों में स्थापित, सामूहिक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों को सुरक्षा संबंधी पक्षों पर उनके कार्यों से संबंधित प्रशिक्षण व पुन: प्रशिक्षण दिया जाता है और उनके कौशल का उन्नयन किया जाता है। वर्ष 2015-16 में 8576 कर्मचारी की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 7305 कर्मचारी और पर्यवेक्षकों को ग्रुप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुसार बाहरी

संस्थानों में भी दिया जाता है, उदाहरण के लिए डंपर ऑपरेटरों के कौशल सुधार के लिए वर्ष 2015-16 में 30 डंपर ऑपरेटरों की तुलना में 2016-16 में 32 डम्पर ऑपरेटरों को नोर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली में सिम्युलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

(x) कामगारों और पर्यवेक्षकों की दोष व बीमारियों का पता लगाने हेतु नियमित चिकित्सा जांच की जाती है ताकि सही समय पर उनका उपचार हो सके।

(xi) सुरक्षा प्रणाली के मूल्यांकन हेतु आंतरिक सुरक्षा संगठन की बहु विषयक दल और बाह्य् सक्षम एजेंसियों द्वारा नियमित आतंरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा की जाती है ताकि प्रत्येक परियोजना के महत्वपूर्ण केंद्रित क्षेत्रों का भावी सुधार के लिए आंकलन किया जा सकें। वर्ष 2016-17 के दौरान एमसीएल की सभी 15 खुली खानों व 06 भूमिगत खानों का आंतरिक लेखा परीक्षण किया गया ।

(xii) सुरक्षा आवश्यकताओं की पूरी प्रणाली को अद्यतन व ताजा करने के लिए पूरी कंपनी में सुरक्षा पखवाड़ा तथा विशेष सुरक्षा अभियान चलाए जाते हैं। इस अवसर पर विभिन्न श्रेणियों के लिए खान परियोजनाओं व कर्मशालाओं में ट्रॉफी व शील्ड वितरित किए जाते है। वर्ष 2016-17 के दौरान एमसीएल की सभी स्थापनाओं में दिनांक 10.01.2017 से 23.01.2017 तक वार्षिक खान सुरक्षा पखवाड़ा मनाया गया।

3. **<u>अपनाई गई नई सुरक्षा तकनीक</u>**

(i) सरफेस माईनर तकनीक, जो विस्फोट रहित खनन तकनीक है, धूल पैदा करनेवाले प्रचालनों जैसे ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग और क्रशिंग करने वाले वाले प्रचालनों को पूर्णत: लुप्त कर देती है। यह ब्लास्टिंग से संबंधित जोखिमों को भी समाप्त करती है। इसके अतिरिक्त इस मशीन से राख कणों के न्यूनीकरण के लिए कार्बनमय तत्वों की घटिया किस्म वाली कोयले की परतों का भी खनन किया जा सकता है जिसके फलस्वरूप, विद्युत सयंत्रों में कम राख अर्जन होता है और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आती है। यह सुरक्षित है, अधिक पर्यावरण अनुकूल है और सतत उत्पादन प्रौद्योगिकी है।

(ii) राईपर डोजर लागू करना- ओबी हटाने की एक अन्य विस्फोट रहित प्रौद्योगिकी- इसने भी ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग जैसे धूल पैदा करने वाले प्रचालनों को लुप्त कर दिया है जो बार-बार ग्रामवासियों को परेशान करते थे।

(iii) भूमिगत खदानों में लंबी और कठिन यात्रा से थकान होती है और मूल्यवान कार्यकारी समय नष्ट होता है। इस समस्या से उबरने के लिए भूमिगत खदानों में मैन-राईडिंग प्रणाली स्थापित की गई है ताकि कामगारों को थकान न हो और वे अधिक उत्पादन कर सकें। एमसीएल की 6 भूमिगत खानों में से, मैन राइडिंग सिस्टम 4 भूमिगत खानों में सफलतापूर्वक काम कर रहा है।

(iv) भूमिगत खदानों में कोयले की मानवीय लदान को समाप्त करने के लिए एसडीएल और एलएचडी जैसी मशीन लगाई गई है। इनसे समान उत्पादन हेतु कार्यकारी क्षेत्रों में व्यक्तियों की संख्या कम हुई है जो सुरक्षा और उत्पादन के दृष्टिकोण से प्रशंसनीय उपलब्धि है।

(v) भूमिगत खदानों में यूडीएम मशीनों की स्थापना के मैनुअल ड्रिलिंग जो भूमिगत खदानों में अति दुष्कर कार्य है, को विनिर्मुक्त करने में मदद की है। इस प्रौद्योगिकी से ग्रीन रूफ जोन में कर्मियों के प्रकटन में कमी आई है और ड्रिलिंग उत्पादन बढ़ा है।

(vi) अपनी ओबी डंप की ढलान संचलन को नियंत्रित करने के लिए एमसीएल रियल टाइम स्लोप निरीक्षण रडार खरीदने की प्रक्रिया में है।

(vii) साईलो व एमजीआर जैसी प्रणाली से थोक मात्रा में प्रेषण द्वारा पुरानी व अप्रभावी सीएचपी को धीरे धीरे हटाया जा रहा है।

4. <u>बचाव सेवा</u>

एमसीएल की खदानों में आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एमसीएल में ईब वैली कोयलांचल के और तालचेर क्षेत्र में एक आरआरआरटी सुसज्जित खदान बचाव स्टेशन हैं। एमसीएल की बचाव सेवा के द्वारा निम्नलिखित गतिविधियों को पूरा किया गया :-

1. दिनांक 27.10.2016 को एमआरएस, ओरिएंट क्षेत्र में ज़ोनल खदान बचाव प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था।
2. 2016-17 के दौरान खान बचाव स्टेशन और आरआरआरटी ने 23 आपात स्थिति में भाग लिया, जो कि किसी भी खनन गतिविधि से संबंधित नहीं है, लेकिन निकट के समाज/नागरिक बस्ती में उत्पन्न होती है।
3. 12 व्यक्तियों को 15/04/2016 से 30/04/2016 तक बचाव एवं रिकवरी अभियान में प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया था।
4. 177 बचाव प्रशिक्षित व्यक्तियों को आरआरएस, ओरिएंट एरिया और आरआरआरटी, तालचेर एरिया में बचाव और रिकवरी के संचालन में रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी गई।
5. कुल 177 आरटीपी मेडिकल की जांच की गई और फिट होने के लिए पाए गए।
6. 2016-17 में रायगढ़ क्षेत्र के निजी भूमिगत माइन्स गेयर पलामा खानों के गारे पलामा IV/4 (मैसर्स हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को प्रशिक्षण और आपातकालीन सहायता दी गई।
7. मैसर्स एसीबी इंडिया लिमिटेड, कनिहा साइडिंग के कोयला वॉशरी, बसुन्धरा को आपातकालीन सहायता दी गई।

वर्ष 2016-17 में निम्निलखित प्रस्ताव का अनुमोदन एवं खरीद की गई थी।

1. एससीबीए के लिए 4000 किलो कार्बन डाइ ऑक्साइड अवशोषक
2. एक लंबी दूरी की थर्मामीटर
3. एक बैरोमीटर
4. श्वसन उपकरण सहित बायोपेक-240 आर के लिए स्पेयर पार्ट्स
5. ऑक्सीजन बूस्टर पम्प (बिजली संचालित)
6. 02 ऑक्सीजन बूस्टर पम्प (मैनुअल प्रचालित)
7. 02 बचाव डमीज
8. 06 नर्स केयर वेंट (दो परीक्षक के साथ पुनर्जीवन उपकरण)

22. कम्प्यूटरीकरण

कोलनेट: कोलनेट के विभिन्न मॉड्यूल जैसे वित्तीय सूचना प्रणाली(एफ़आईएस), कार्मिक सूचना प्रणाली (पीआईएस), वेतन पंजीकरण, विक्रय एवं विपणन, उत्पादन सूचना प्रणाली, सामाग्री प्रबंधन प्रणाली, उपकरण निगरानी प्रणाली का उपयोग हो रहा है। कोलनेट सिस्टम में कुछ विविध मॉड्यूल को भी जोड़ा गया है जिसमे संविदात्मक कर्मचारियों के फोटो के साथ साथ आवधिक चिकित्सा परीक्षा, निविदा और 2 लाख से कम के पुरस्कार, पूरी में हॉलिडे रूम की ऑनलाइन बूकिंग, फ़ाइल ट्रेकिंग सिस्टम, ऑनलाइन संविदा प्रबंधन प्रणाली आदि की विस्तृत जानकारी के लिए व्यक्तिगत सूचना प्रणाली को भी शामिल किया गया है।

सड़क तथा रेल मार्ग से बिक्री बिलिंग, बिल भुगतान प्रविष्टि स्थिति, कर्मचारियों की जांकरियों का अद्यतन, उत्पादन जानकारी की प्रविष्टि, ऑनलाइन सामाग्री प्रबंधन प्रणाली आदि जैसी गतिविधियां सेंट्रल कोलनेट सर्वर में क्षेत्र व परियोजना स्तर पर संचालित है। एमसीएल कोलकाता कार्यालय में देनदार लेखा सहित एमसीएल भुवनेश्वर कार्यालय में वित्तीय लेखा, पेरोल तथा व्यक्तिगत सूचना प्रणाली सेंट्रल कोलनेट सर्वर में भेजने के बाद वैल्यू एडिशन के साथ आवश्यकतानुसार सुचारु रूप से संचालित है। एमसीएल के सभी क्षेत्रों के लिए लीगेसी सिस्टम से कोलनेट सिस्टम तक वित्तीय सूचना प्रणाली का स्थानांतरण हो चुका है। एमसीएल मुख्यालय में कोलनेट सर्वर के माध्यम से केंद्रीयकृत वेतन प्रक्रिया को अपनाकर एमसीएल के सभी स्थानो के लिए लीगेसी सिस्टम से कोलनेट सिस्टम तक पेरोल प्रणाली का स्थानांतरण हो चुका है।

ई-भुगतान एवं ई-प्राप्तियाँ: लगभग सभी भुगतान एवं प्राप्तियाँ इलेक्ट्रोनिक माध्यम से की जा रही है।

ऑपरेटर स्वतंत्र ट्रक प्रेषण प्रणाली(ओआईटीडीएस): एमसीएल की तीन खुली खदानों - बलराम, लिंगराज और भरतपुर में ओआईटीडीएस स्थापित करने के बाद सफलतापूर्वक संचालित हो रही है।

एमसीएल वेबसाइट: एमसीएल की वेबसाइट www.mahandicoal.in सीएमपीडीआई रांची के सर्वर पर होस्ट की जाती है तथा उसके द्वारा अनुरक्षित की जा रही है। आवश्यकतानुसार वेबसाइट की पुनरसंरचना की जा रही है। कोयला उपभोक्ता को वापसी से संबंधित जानकारी, दूरस्थ प्रासंगिक जानकारी के अद्यतन की सुविधा, मासिक तीसरे पक्ष का कोयला नमूना विश्लेषण परिणाम, भर्ती विभाग की सूचना और परिणाम सीएसआर से संबंधित गतिविधियां, निविदा और 2 लाख से कम के पुरस्कार आदि को नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। कोलनेट सर्वर के माध्यम से सही समय पर संविदाकार/वेडर्स के भुगतान बिल की स्थिति को वेबसाइट में प्रदर्शित किया जाता है।

ऑनलाइन शिकायत निवारण (समाधान): इंटरफेस के रूप में वर्तमान वेबसाइट में जोड़े गए ऑनलाइन शिकायत निवारण (समाधान) का स्टेकहोल्डर्स कि शिकायात निवारण के लिए उपयोग किया जा रहा है।

आई-मेल अकाउंट: एमसीएल के सभी अधिकारियों को एनआईसी द्वारा प्राप्त डोमेन 'coalindia.in' के अंतर्गत ई-मेल अकाउंट प्रदान किया गया है साथ ही ई-ऑफिस के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता के अनुसार कुछ गैर-अधिकारियों को भी 'coalindia.in' डोमेन के अंतर्गत ई-मेल अकाउंट प्रदान किया गया है।

निविदाओं कि उपलोडिंग: प्रणाली विभाग द्वारा सभी खुली निविदाएँ दैनिक आधार पर सरकारी पोर्टल www.tenders.in में उपलोड कि जाती है साथ ही उनको एमसीएल के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर भी प्रकाशित किया जाता है।

ओएमएमएस (ऑनलाइन सामाग्री प्रबंधन प्रणाली): सभी नौ क्षेत्रीय और दो केंद्रीय कार्यशालाओं में लीगेसी प्रणाली में संचालित ऑनलाइन सामाग्री प्रबंधन प्रणाली को सेंट्रल कोलनेट सर्वर में स्थानांतरित कर दिया गया है। मानक संहिताकरण योजना के अनुसार 99.88% वस्तु मदों कोडीकरण कर दिया गया है। इसने वास्तविक समय के आधार पर पूरे एमसीएल की वस्तु सूची देखने तथा किसी भी वस्तु की भंडार स्थिति को जानने लायक बनाया गया है। सीआईएल की अन्य अनुषंगी कंपनी में भी सामग्री के कोडिकरण को मानक बनाया जा रहा है।

एमसीएल के भुवनेश्वर और कोलकाता कार्यालय के बीच संबंध: कोलनेट मॉड्यूल के प्रचालन के लिए बीएसएनएल से प्राप्त 1 एमबीपीएस लीज लाइन के माध्यम से भुवनेशर और कोलकाता स्थित एमसीएल के कार्यालय आपस में जुड़े है। बीएसएनएल से अतिरिक्त एमपीएलएस नेटवर्क को भी इन कार्यालयों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त इंटरनेट पर वीपीएन कनेक्टिविटी के माध्यम से कोलनेट प्रचालन संभव है।

इंटरनेट लीज लाइन - वर्तमान में मौजूदा कॉर्पोरेट नेटवर्क के माध्यम से एमसीएल के प्रयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए बीएसएनएल से प्राप्त इंटरनेट लीज लाइन को 40 एमबीपीएस तक बढ़ा दिया गया है। रेलटेल से प्राप्त अन्य 10 एमबीपीएस इंटरनेट लीज लाइन को जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन ट्रेकिंग सिस्टम के लिए उपयोग किया जा रहा है।

उत्पादकता सुधार स्कीम साफ्टवेयर-: उत्पादकता सुधार योजना के अनुसार उत्पादन प्रोत्साहन का समयानुसार भुगतान करने के लिए एमसीएल के खुली परियोजनाओं में कार्यान्वित ओराकल में विकसित आंतरिक सॉफ्टवेयर को संशोधित व प्रव्रजित कर उसे कोलनेट प्रणाली के केन्द्रीय सर्वर में उपयोग के लिए जोड़ दिया गया है।

वे - ब्रीज की कनेक्टिविटी-रेल व रोड ,(मोशन-टिक व इनस्टे)दोनो वे ब्रिज मेसर्स आईटीआई-लिमिटेड द्वारा स्थापित रेडियो लिंक के माध्यम से जुड़े हुए हैं ।

अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क: क्षेत्रीय अधिकारियों/परियोजना अधिकारियों/वे-ब्रिजों को मुख्यालय से जोड़ने के लिए एमपीएलएस/वीएसएटी आधारित अतिरिक्त आंकड़ा संप्रेषण नेटवर्क की स्थापना हेतु कार्यादेश दे दिया गया है। अभी तक चरण -1 और चरण -2 के तहत 47 स्थानों को एमपीएलएस कनेक्टिविटी प्रदान की गई हैं।

मुख्यालय और तीन नोडल क्षेत्रों- तालचेर क्षेत्र के जगन्नाथ क्षेत्र, ईब वैली कोलफील्ड्स के ईब वैली क्षेत्र तथा बसुंधरा गर्जनबहाल क्षेत्र में स्थापित हाइ एण्ड आईबीएम सर्वर संचालित है। नोडल स्थानो पर ये सभी सर्वर मुख्यालय से जुड़े है। बसुंधरा क्षेत्र का सर्वर को रिकव्हरी साइट

के रूप में स्थापित की गई है। इन सभी आईबीएम सर्वर को 11 जी. डेटाबेस और 11 जी. एप्लिकेशन सर्वर ओरेकल (वेब लोजीक) में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है।

ठेकेदारों के बिल भुगतान की निगरानी:- कोलनेट सर्वर में बिल ट्रेकिंग माड्यूल भलीभांति कार्यशील है । इस प्रणाली में ठेकेदारों/विक्रेताओं से प्राप्त बिलों को संबंधित प्रयोक्ता विभाग द्वारा ऑनलाइन दर्ज कर लिया जाता है । इन बिलों के अंतिम गंतव्य अर्थात, उनके भुगतान तक की स्थिति कोलनेट सर्वर में अद्यतन की जाती है तथा उसे एमसीएल वेबसाइट अर्थात www.mahanadicoal.in में अपलोड किया जाता है ताकि संबंधित पार्टी अपनी बिलों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकें । इस प्रकार संबंधित पार्टी हमारे वेबसाइट से अपने बिलों की स्थिति ज्ञात कर सकते है । नए विकसित एंड्रॉइड आधारित मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से ऑनलाइन देखने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन मार्ग प्रणाली:-

(i) कोयले के उत्पादन/आंतरिक परिवहन हेतु प्रयुक्त 1800 ट्रक/टिपर पर वाहन मार्गन प्रणाली आधारित जीपीएस/जीपीआरएस लगाए गए हैं । केन्द्रीय सर्वर में वास्तविक समय में ही इनसे संबंधित जानकारी एकत्रित हो जाती है । इन वाहनों द्वारा जियो-फेंसिंग का उल्लंघन, ट्रिप, लंबा-ठहाराव, तय की की गई दूरी सहित विभिन्न संबंधित प्रतिवदेन सीधा दृष्यावलोकन, http://.mclvts.in. वेबलिंक के माध्यम से किया जा सकता है। यह लिंक हमारे www.mahanadicoal.in वेबसाइट में भी उपलब्ध है। इस प्रणाली में यह सुविधा भी है कि यह संबंधित प्ररियोजना व क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रयोगकर्ताओं तक एसएमएस अलर्ट भी स्वत: प्रेषित करता है ।

(ii) वाहन जियों फेंसिंग के बाहर न जा पाएं इसकी ट्रेकिंग के लिए मार्ग सहित खान सीमा का जियो-फेंसिंग किया जा चुका है।

(iii) सभी क्षेत्रीय कार्यालयों का केन्द्रीय नियंत्रण आवास एमसीएल मुख्यालय में स्थापित किया जा चूका हैं।

(iv) संविदात्मक और विभागीय दोनों तरह के सभी उपकरण को तीन साल के लिए कवर करने के लिए आवश्यक समझते हुए जो कोयला उत्पादन/आंतरिक परिवहन/ओबी हटाने के काम में लगे है, के लिए 3483 जीपीएस यूनिट के लिए दर अनुबंध (आरसी) को अंतिम रूप दिया गया है। सभी वाहनों/उपकरणों को को अगले तीन वर्षों की आवश्यकता पर विचार करने वाले जीपीएस यूनिटों की आरसी की तुलना में, 2305 जीपीएस यूनिटों की आपूर्ति की गई है और शेष सभी वाहनों/उपकरणों को कवर करने के उद्देश्य से दर अनुबंध की तुलना में 2305 जीपीएस यूनिटों की आपूर्ति की गई तथा इसका स्थापना कार्य चल रहा है।

वे-ब्रिज व रेलवे साइडिंग की निगरानी के लिए सीसीटीव्ही :-

(i) रेलवे साइडिंग की निगरानी के लिए 22 विडीयों कैमरे लगवाए गए हैं।

(ii) इन-मोशन और स्थिर वे ब्रिजों पर 93 आईपी केमरे लगाए गए हैं।

(iii) ओनलाईन के माध्यम से वेजर्मेंट आंकडे को तीव्र गति से इन-मोशन एवं स्थिर वे-ब्रिज से केन्दीय वीटीएस और कोलनेट सर्वर के माध्यम से एमसीएल मुख्यालय प्रेषित किया जाता है।

फाइल ट्रैकिंग प्रणाली एमसीएल के महत्वपूर्ण फाइलों को विभिन्न विभागों और उपयुक्त स्थानों पर पहुँचाने के लिए कोलनेट की सहायता से फाइल ट्रैकिंग प्रणाली का निर्माण किया गया, यह मोड्यूल 15 अगस्त 2015 को लागू हुआ इसका पूरे एमसीएल मे प्रभावी ढंग इस्तेमाल किया जा रहा है। 31मार्च 2017 तक 30000 फाइलें इस माध्यम से भेजी जा चुकी हैं।

एसएमएस /ई-मेल सजगता: एमसीएल द्वारा अपनाए गए ई-इनिशियटिव्स के अनुसार सड़क द्वारा सुपुर्दगी आदेश, आरडीओ को वापसी, तथा वेतन बनाने संबंधी कर्मचारियों की जानकारी एसएमएस द्वारा उपभोक्ता को भेजी जाती है। इसके साथ ही फ़ाइल ट्रेकिंग मॉड्यूल द्वारा नियमित रूप से लंबित फाइलों की स्थिति व ट्रेक की जानकारी संबंधित विभागाध्यक्षों/महाप्रबंधकों को एसएमएस द्वारा भेजी जाती है।

वाईफाई नेटवर्क- की स्थापना एमसीएल के निगमित कार्यालय और पता जागृति विहार के आवसिय कॉम्प्लेक्स में हुई हैं।

मोबाइल एप्लिकेशन : मोबाइल एप्लिकेशन का विकास (i) कोयले के उत्पादन आंतरिक परिवहन से संबंधित स्थायी एवं इन-मोशन वे-ब्रिजो से वजन किए गए कोयले की जानकारी को देखने के लिए।

(ii) रेलवे साईडिंग में स्थापित किए गए कैमेरे में चल रहे सीसीटीवी विडियो को मोबाइल द्वारा जमा किए बिल की ट्रेकिंग की स्थिति जानने के लिए। (iii) ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों की ट्रेकिंग स्थिति। (IV) एमसीएल की सीएसआर संबंधी उपयोगी जानकारी जैसे ओड़ीशा के कई जिलों में पूर्ण/ अपनाई गई सीएसआर गतिविधियां साथ ही में सीएसआर सीएसआर पॉलिसी, वार्षिक रिपोर्ट, सीएसआर के अंतर्गत बजट और खर्च, प्रमुख सीएसआर गतिविधि की जानकारी को दर्शाने के लिए।

<u>भावी योजना/अन्य वर्तमान गतिविधियां</u>

- **<u>वेतन पर्ची के लिए पूर्व मुद्रित स्टेशनरी:</u>** केंद्रीयकृत भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत के पश्चात सभी जगह के एमसीएल कर्मचारियों के लिए वेतन पर्ची के पूर्व मुद्रित स्टेशनरी का उपयोग करेंगे ।
- **ई-ऑफिस कार्यान्वयन:** ई-ऑफिस से जुड़े प्रारम्भिक कार्य जैसे परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू), मास्टर ट्रेनर, ई-ऑफिस के लिए नोडल अधिकारी का चयन, कर्मचारियों की प्रमुख जानकारी आदि को पूरा कर लिया गया है। एमसीएल मुख्यालय के एक दिवसीय उन्मुखी कार्यक्रम रखा गया था। एनआईसी द्वारा पाँच दिन तक एक दिवसीय आधारभूत जागरूकता प्रशिक्षण दिया गया था। आईआईसीएम रांची तथा एनआईसी, दिल्ली में तीन अधिकारी 'e-office master trainer' की पाँच दिन का प्रशिक्षण दिया गया है। तथा इसी के संबंध में 2 अधिकारी ने आईआईसीएम रांची में लाईनक्स(LINUX) का प्रशिक्षण लिया है।
- कोयला सुपुर्दगी आदेशों को सड़क मार्ग से कोयला भेजकर हमारे मूल्यवान कोयला उपभोक्ता को सशक्त करते हुए कोल इन्वाइसेस आदि का पीडीएफ़ प्रारूप में ई-मेल करना।

- **पीसी और बाह्य पोर्टल उपकरणों की खरीद/प्रतिस्थापन:** जीईएम पोर्टल के माध्यम से पीसी और बाह्य उपकरणों के प्रतिस्थापन के बदले खरीद और अतिरिक्त आवश्यकता के लिए प्रस्ताव शुरू कर दिया गया है।
- एमसीएल मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय स्टोरों में मौजूदा लेन का उन्नयन उन्हें आईपीवी-6 के अनुरूप बनाने के लिए।
- हितधारकों के साथ अधिकतम प्रासंगिक जानकारी साझा करने के लिए निकट भविष्य में अधिक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित किए जाएंगे।

23. दूरसंचार

1. पूरे राज्य में एमसीएल संगठन के विभिन्न इकाइयों में सेवारत 2000 से अधिक अधिकारियों, जेसीसी सदस्य, प्रमुख स्टाफ, रेलवे सिडिंग, सुरक्षा कार्मिक, बचाव ब्रिगेड कार्मिक और खान बचाव के स्टेशनों आदि को कम से कम लागत पर 24 घंटे सातों दिन असीमित दूरसंचार की सुविधा दी गई है, को सक्षम करते हुए से मोबाइल सीयूजी सुविधा प्रदान की गई है जो एमसीएल के संचार अवसंरचना को काफी मजबूत बनाता है । बीएसएनएल के साथ कई दौर की चर्चाओं के बाद, सीयूजी पर डेटा की योजना को अपग्रेड कर दिया गया है और इसे पूरी तरह से मुफ्त में बनाया गया है। साथ ही, पूरे भारत में कॉल करने में बीएसएनएल नेटवर्क के लिए सभी कॉल नि:शुल्क किए गए हैं। एसएमएस की लागत और अन्य नेटवर्कों को कॉल करने से क्रमशः 80% और 40% कम हो गया है। इससे सभी सीयूजी उपयोगकर्ताओं को अधिक सेवाओं के लिए कम शुल्क लगेगा।
2. आईपी आधारित विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (डब्ल्यूएएन), जो लगभग एमसीएल की प्राय: सभी यूनिटों को कवर करता है, का व्यापक पैमाने पर सफलतापूर्वक विभिन्न कार्यकलापों जैसे वित्त, कार्मिक, और परिचालन अनुप्रयोग इत्यादि के लिए प्रयोग किया जाता है और संगठन के विभिन्न कार्यकलापों के लिए आनलाइन डाटा संचार, प्रबंधन सुविधा हेतु भी इनका प्रयोग किया जाता है। ईआरपी, ई-निगरानी जैसे अन्य रीयल-टाइम डेटा सेवाओं के लिए इसका उपयोग बढ़ाने के लिए नेटवर्क के विस्तार और उन्नयन के लिए कदम उठाए गए हैं। इस उन्नत नेटवर्क का उपयोग करते हुए, एमसीएल के उपरोक्त इन-हाउस सेवाओं और इंटरनेट की सेवा प्रदान करते हुए विद्युत एवं यान्त्रिकी विभाग ने अपने कार्यस्थल में सभी अधिकारियों को वाई-फाई सुविधा प्रदान करने के लिए भी कदम उठाया है। , एमसीएल और इंटरनेट की उपरोक्त इन-हाउस सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है, जिससे वास्तव में डिजिटल एमसीएल को साकार किया जा सके।
3. विद्युत एवं यान्त्रिकी विभाग ने कोयला क्षेत्र तक परियोजनाओं में संचार के लिए विभिन्न खानों में वीएचएफ संचार नेटवर्क स्थापित किया है।. इसे उन्नत परिचालन दक्षता के लिए प्रत्येक वर्ष इसे बढ़ाया जा रहा है।

4. **सीसीटीवी निगरानी प्रणाली:**
   - क. एमसीएल मुख्यालय के कार्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरा निगरानी के लिए लगवाया गया है, जागृति विहार की सुरक्षा के लिए निगमित कार्यालय की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा विभाग के समन्वय से एमसीएल मुख्यालय के आनंद विहार परिसर को सीसीटीव्ही दायरे में लाने के लिए में कदम उठाए गए हैं।
   - ख. सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को सभी क्षेत्रीय/केंद्रीय भंडार और केंद्रीय कार्यशालाओं में स्थापित किया गया है।
   - ग. एमसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में कई असुरक्षित स्थानों पर कई कैमरे लगाए गए हैं।
   - घ. सुरक्षा बढ़ाने के लिए और अनाधिकृत वाहनों और व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए कैमरे का एक प्रभावशाली नेटवर्क बनाने के लिए, खानों और आयुधागार के विभिन्न प्रवेश / निकास स्थानों पर सीसीटीवी निगरानी प्रणाली की स्थापना के लिए पहल की गई है।
   - ङ. अनधिकृत गतिविधि की संभावना को कम करने के लिए सभी कोयला स्टॉक्स, लोडिंग पॉइंट्स, कोल सैंपलिंग पॉइंट्स और लैब, एचईएमएम कार्यशालाएं, डीजल डिस्पेंसिंग स्टेशनों और परियोजनाओं के अन्य असुरक्षित स्थानो को सीसीटीवी निगरानी के तहत लाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
5. **आधार सक्रिय बॉयोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस):**
   - क. भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और सीआईएल के एचआर विजन 2020 के साथ-साथ, एमसीएल मुख्यालय में एईबीएएस स्थापित किया गया है ताकि कर्मचारियों के बीच समय की पाबंदी सुनिश्चित की जा सके। इस संबंध में एमसीएल का एईबीएएस पोर्टल **mclsbp.attendance.gov.in** डोमेन नाम से बनाया गया है।
   - ख. बी.ई.ए.बी.एस. एमसीएल की सभी इकाइयों में कार्यान्वित किया जा रहा है जो खरीद प्रक्रिया में है। 17900 से अधिक डोमेन में 17900 से अधिक कर्मचारी पहले ही पंजीकृत किए जा चुके हैं।
   - ग. भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, एमसीएल की सभी इकाइयों में ठेकेदार के कर्मचारियों के लिए एईबीएस लागू करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
   - घ. एईबीएएस की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), एक कंपनी नैशनल इन्फोमेटिक सेंटर सर्विसेस से एमसीएल की वेतन प्रणाली द्वारा एईबीएएस रिपोर्टों को एकीकृत करने के लिए सेवाओं की खरीद की गई है ताकि में किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप के बिना वेतन किया जा सके।
6. एमसीएल की लगभग सभी इकाइयों में आंतरिक टेलीफोन कनेक्टिविटी और ईपीएबीएक्स सिस्टम की हजारों लाइनें स्थापित की जा चुकी है। परियोजनाओं में आंतरिक संचार सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ईब वैली क्षेत्रीय कार्यालय, समलेश्वरी ओसीपी और कनिहा ओसीपी के लिए प्रतिस्थापन के रूप में ईपीएबीएक्स एक्सचेंज का आदेश दे दिया गया है।

7. विद्युत एवं यान्त्रिकी विभाग, एमसीएल मुख्यालय और क्षेत्रों में बीएसएनएल और अन्य सेवा प्रदाताओं से सैकड़ों लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड सेवाओं का रखरखाव करता है, जो इंटरनेट आधारित महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों जैसे ई-प्रोक्योरमेंट, ई-सेवा और जीपीएस-वीटीएस के नियंत्रण, एईबीएएस उपस्थिति प्रणाली तथा एमसीएल, सीआईएल, भारत सरकार और तीसरे पक्ष के द्वारा विकसित विभिन्न मोबाइल अनुप्रयोगों में रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है।
8. आवासीय कार्यालयों में बीएसएनएल ब्रॉडबैंड के अलावा, क्षेत्रीय प्रबंधकों और कुछ प्रमुख अधिकारियों के साथ एमसीएल मुख्यालय में सभी निदेशकों, सीवीओ और विभागाध्यक्षों को टाटा फोटॉन प्रदान किया गया है ताकि अधिक से अधिक शीघ्रता से सूचनात्मक निर्णय लेने के लिए 24 घंटे सातों दिन संचार और सूचना चैनल के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुनिश्चित किया जा सके। इन के अतिरिक्त सभी निदेशकों और सीवीओ को उनकी नौकरी की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए एक वैकल्पिक के रूप में जियो-फाई प्रदान किया गया है। एमसीएल मुख्यालय में सभी विभागाध्यक्षों को जियो-फाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए उपाय किए गए हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी में ये सभी सुझाव कागज से इलेक्ट्रॉनिक मोड में दैनिक संचार स्थानांतरित कर चुके हैं, जिससे समय और संसाधनों की बचत होती है।
9. कंपनी के शीर्ष प्रबंधन में गोपनीयता और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक इंटरनल क्लोज्ड टेलीफोन नेटवर्क विशेष रूप से निदेशक और सीवीओ के लिए बनाया गया है।
10. एमसीएल के सभी रोड वे-ब्रिज के लिए वाईमैक्स इंटरनेट की सुविधा प्रदान की गई है और सड़क बिक्री मोड के माध्यम से भेजे जाने वाले ट्रकों के लिए ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास बनाने के लिए उपयोग किया जा रहा है। वाईमैक्स इंटरनेट की सुविधा एमसीएल मुख्यालय में केन्द्रीय सर्वर पर वजन और अन्य संबंधित आंकड़ों के संचरण के लिए इन- मोशन रोड वे ब्रिज तक आगे बढ़ा दी गई है।
11. एमसीएल मुख्यालय निस्तेज स्थान होने से विभाग द्वारा इसके कर्मचारियों के मनोरंजन के लिए जागृति विहार और आनंद विहार को कवर करते हुए कर्मचारी और अधिकारियों के आवास एवं अन्य स्थानों पर केबल टीवी सेवा के लगभग 700 कनेक्शन की व्यवस्था एवं अनुरक्षण किया जाता है । इसे बेहतर दृश्य अनुभव के लिए डिजिटल मोड में अपग्रेड कर दिया गया है।
12. त्वरित और सुरक्षित संचार के लिए सभी भूमिगत परियोजनाओं में भूमिगत संचार प्रणाली स्थापित की गई है।
13. विभिन्न भूमिगत परियोजनाओं में विभाग द्वारा पर्यावरणीय टेली-मॉनिटरिंग सिस्टम को भी अनुरक्षण किया जा रहा है और इसे बढ़ाने के लिए उपाए किए गए हैं।
14. सीआईएल के निजी नेटवर्क के साथ-साथ इंटरनेट पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एमसीएल मुख्यालय में एंटरप्राइज ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किया गया है, जो कि प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के बीच त्वरित और सहयोगी निर्णय लेने और समय और यात्रा की बचत को सक्षम बनाता है। एमसीएल क्षेत्रों और अन्य एमसीएल प्रतिष्ठानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएं

बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं। निदेशक (तक./संचालन) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत मुख्य अधिकारियों के कार्यालय और मोबाइल में डेडिकेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्लाइंट सॉफ़्टवेयर को स्थापित किया गया है, जिसने निदेशक कार्यालय के अंदर या बाहर आमने सामने बात कर सकने में सक्षम होते है। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एमसीएल की लाइसेंस प्राप्त एंटरप्राइज ग्रेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पर चलाया जाता है, जो संसाधनों की गोपनीयता और उपलब्धता सुनिश्चित करता है।

24. अनुषंगी उद्योगों का विकास

एमसीएल स्थानीय उभरते उद्यमियों को आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया के माध्यम से स्व-रोज़गार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और भंडार/उपभोग्य/मरम्मत आदि के क्षेत्रों में राजस्व द्वारा पर्याप्त हिस्सेदारी के द्वारा उन्हें एक स्थायी व्यवसाय प्रदान करता है।

उपरोक्त कारणों के लिए, एमसीएल की पूर्ण एमएसएमई-सहायक विकास प्रकोष्ठ है जो निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध है:

- ओडिशा राज्य के भीतर अपने परिचालन क्षेत्राधिकार में छोटे पैमाने पर उद्योगों की संभावनाओं का पता लगाने और उनके विकास करने के लिए अनुमति देता है और सभी प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
- राज्यों के उद्योग निदेशालय और डी.आई.सी. की सहायता से एमसीएल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आयात प्रतिस्थापन, पुर्जों की उपलब्धता में सुधार करना।
- बढ़ी हुई स्व-रोज़गार की संभावना को बनाने और राज्य के क्षेत्रीय युवा जनसंख्या के बीच आत्मनिर्भरता को बनाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक मानक को पाने की नई गतिशीलता तक पहुंचने के लिए इस राज्य के आम जनता की समृद्धि और देश के औद्योगिक मानचित्र में इस राज्य की उन्नति और एसएसआई इकाइयों के औद्योगिक उत्पादों का समायोजन।

कंपनी की स्थापना के बाद से एमसीएल ने ओडिशा के एसएसआई इकाइयों की मदद की और विकसित किया है। एससीआई इकाइयों को विभिन्न उपभोज्य पुर्जों/वस्तुओं और एमसीएल के अभियांत्रिकी और खनन अनुभाग में शामिल उत्पादन प्रक्रियाओं से सीधे जुड़े सेवा संबंधी कार्यों के लिए प्रूवन/ अनंतिम अनुषंगी से नवाजा गया है।

इन अनुषंगी इकाइयों को बनाए रखने के अपने निरंतर प्रयासों में एमसीएल उन अनुषंगी इकाइयों को सतत व्यवसाय प्रदान कर रहा है जो सामग्री की गुणवत्ता की आपूर्ति और शीघ्र सुपुर्दगी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अनुषंगी इकाइयों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने के बाद उनके मामलों को अनुषंगी स्थिति के नवीकरण के लिए समझा जाता है। दिनांक 31/03/2017 को एमसीएल की लगभग 30 एसएसआई इकाइयां (अनुषंगी इकाइयां) योग्यता और खरीद प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भागीदारी और

उपयोगकर्ता के क्षेत्रों में विभिन्न गुणवत्ता वाले उत्थान की आपूर्ति के आधार पर सहायक स्थिति मे साबित हुई हैं। एमसीएल द्वारा पहचाने जाने वाले 49 अनुसूचित अनुषंगी मदें हैं।

एमसीएल सहायक इकाइयों पर लगातार निगरानी रख रहा है और समय-समय पर परस्पर संवादात्मक सत्र/बैठकों का आयोजन करके उनकी शिकायतों का निवारण करने की कोशिश कर रहा है।

यह सत्य है कि वित्त वर्ष 2016-17 में, एमसीएल ने पहले ही बी 2 बी बैठक सह कुल 10 राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर के विक्रेता विकास कार्यक्रमों में भाग लिया है। विक्रेता इंटरैक्शन बैठक निम्नानुसार है:

1. 12 और 13 अगस्त 2016 को ओडिशा विधानसभा के छोटे और मध्यम उद्यम सभा द्वारा पुरी में आयोजित 30 वीं वार्षिक राज्य सम्मेलन और संगोष्ठी।
2. गुजरात सरकार के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स विभाग द्वारा गुजरात उद्योग संघ के सहयोग से दिनाक 06/10/2016 से 10/10/2016 तक गुजरात में "इलेक्ट्रिकल और पावर प्रदर्शनियों पर स्विच ग्लोबल एक्सपो - 2016" का आयोजन।
3. 22 अक्टूबर 2016 को एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला में एमसीएल द्वारा एमएसएमई-डीआई, कटक और आरआईसी, सम्बलपुर के सहयोग से राज्य स्तरीय वेंडर विकास कार्यक्रम-सह क्रेता विक्रेता का आयोजन ।
4. दिनांक 31 अक्टूबर से 5 नवंबर 2016 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान दिनांक 3 नवंबर 2016 को विक्रेता विकास कार्यक्रम सह बोलीदाता बैठक का एमसीएल मुख्यालय में आयोजन।
5. सीआईएल,कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारत सरकार और इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार बीकेटी, महिंद्रा राइज और त्रिवेणी के समर्थन से सीआईआई द्वारा दिनांक 16 से 19 नवंबर 2016 तक इको पार्क, राजरहाट, कोलकाता में "13 वीं अंतर्राष्ट्रीय खनन और मशीनरी प्रदर्शनी - 2016" का आयोजन।
6. जनता मैदान, भुवनेश्वर में ओडिशा सरकार द्वारा दिनांक 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2016 तक "मेक इन ओड़ीशा सम्मेलन" का आयोजन।
7. दिनांक 5 से 7 दिसंबर 2016 तक बलियात्रा (अपर ग्राउंड), किला मैदान, कटक में एमएसएमई-डीआई कटक द्वारा "एमएसएमई एक्सपो ऑडिशा - 2016" का आयोजन।
8. एनएसआईसी राउरकेला के साथ बीआर. एमएसएमई-डी, राउरकेला द्वारा दिनांक 8 दिसंबर 2016 को राउरकेला में राज्य स्तर के वेंडर विकास कार्यक्रम का आयोजन।
9. 20 जनवरी 2017 को भांजा भवन, राउरकेला में एनएसआईसी राउरकेला द्वारा आयोजित एससी/एसटी उद्यमियों के लाभ के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम का आयोजन।

10. दिनांक 05.03.2017 से 10.03.2017 तक आईडीसीओ प्रदर्शनी ग्राउंड, भुवनेश्वर में ओड़ीशा सरकार के निर्यात प्रोत्साहन एवं विपणन निदेशालय द्वारा ओडीशा ट्रेड फेयर 2017 का आयोजन।

<u>एमसीएल द्वारा अपनाई गई पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:</u>

भारत सरकार के सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा जारी एमएसई आदेश 2012 के अनुसार सार्वजनिक खरीद नीति का कार्यान्वयन 2015-16 से अनिवार्य हो गया है। एमसीएल ने जुलाई,2013 से प्रभावी मौजूदा सहायक नीति को तैयार और कार्यान्वित कर लिया था। एमएसईएस और अनुषंगी उद्योग के लिए एमसीएल द्वारा अनुसरित नई खरीद नीति एमसीएल पोर्टल में सहायक और एमएसई के शीर्ष http://www.mahanadicoal.in/About/pdf/ANCILLARY_POLICY.pdf पर उपलब्ध है।

➢ एमएसई द्वारा उत्पादित कुल वार्षिक उत्पादों और सेवाओं की कम से कम 20 प्रतिशत की खरीद की जाएगी। माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज से 20% वार्षिक ख़रीद में, 20% (अर्थात 20 में से 4%) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले माइक्रो और लघु उद्यमों से खरीदी जाएगी। हालांकि, ऐसे एमएसई की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या निविदा आवश्यकताओं और एल 1 मूल्य को पूरा करने की विफलता की स्थिति में, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए निर्धारित 4% उप-लक्ष्य को अन्य एमएसई से खरीदा जाएगा।

➢ निविदा में भाग लेने वाले माइक्रो और लघु एंटरप्राइजेज, एल-1+15 प्रतिशत के प्राइस बैंड के भीतर कीमत का हवाला देते हुए उनकी कीमत एल 1 से कम कर ऐसी स्थिति में आपूर्ति की अनुमति दे सकते हैं जहां एल1 मूल्य माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज़ के अलावा अन्य एंटरप्राइजेज दे और ऐसे माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को कुल निविदा मान के 20 प्रतिशत तक की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाएगी।

➢ वर्तमान व्यापार करने के लेन-देन की लागत को कम करने के लिए, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को निविदा का सेट नि:शुल्क देकर, बकाया धन के भुगतान से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छूट देकर सहायता प्रदान की जाएगी।

➢ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज से 358 मदों की खरीद, जिसे उनसे विशेष खरीदारी के लिए आरक्षित किया गया है। नई नीति के कार्यान्वयन के लिए, एक मानक एनआईटी पहले से ही कार्यान्वित कर दी गई है जहां केवल एमएसई फर्म ही भाग ले सकते हैं एमएसई कंपनियों के अलावा कोई भी ऑफर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

➢ यह बताया जा सकता है कि एमसीएल के पास निविदा 2.00 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य वाले निविदाओं के लिए ई-निविदा की नीति है । एमएसई सहित सभी के लिए खुला है जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

एमसीएल की वार्षिक खरीद और पिछले तीन वर्षों के एमएसई से खरीद का % नीचे दिया गया है:

		2014-15	2015-16	2016-17
1	कुल वार्षिक खरीद (लाख में)	7050.00	8872.01	7927.00
2	एमएसई से कुल खरीद (लाखों में)	2236.83	2174.09	3002.69
3	% कुल खरीद के एमएसई से खरीद	31.72	24.50	37.87

एमसीएल ने वित्त वर्ष 2016-17 में कुल वार्षिक खरीद का 37.87% एमएसई से खरीदा है और वर्ष 2013-14 से शुरू होने वाले न्यूनतम् 20% लक्ष्य को लगातार प्राप्त कर रहा है और भविष्य में इस प्रवृत्ति को बनाए रखने के लिए भी प्रतिबद्ध है। पॉलिसी एमएसई द्वारा उत्पादित या प्रदान की गई उत्पादों या सेवाओं की कुल वार्षिक खरीद के 20% को प्राप्त करने की जरूरत है, जो सफलतापूर्वक हासिल की गई है।

एमसीएल खरीद प्रक्रिया की निगरानी, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर बोलीदाताओं के डाटाबेस को अद्यतन, 20% लक्ष्य को हासिल करने और सुधार करने के लिए हितधारकों के साथ परसस्पर विचार विमर्श कर रहा है।

25. मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम)

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए अपना मानव संसाधन सर्वाधिक मूल्यवान है। आपकी कंपनी की दृढ़ मान्यता है कि सिर्फ बाजार में महत्वपूर्ण उपस्थिति ही हमारी सफलता का अकेला कारण नहीं है वरन इसकी जनपूंजी है जो बहुत ही मूल्यवान परिसंपत्ति है और यह कंपनी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका प्रभावी तथा सार्थक रुप प्रबंधन ज्ञान, तकनीकी व बदलते वैश्विक व्यवसायिक प्रवृत्ति के क्षेत्रों में नयी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है । उनके मनोबल को बनाए रखने में आपकी कंपनी कर्मचारियों व उनके परिजनों की व्यापक चिकित्सा देख-भाल, शिक्षा, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा द्वारा विभिन्न कल्याण-लाभ प्रदान करती है।

एमसीएल के सभी 22036 कर्मचारियों (दिनांक 31 मार्च,2017 को) ने सभी प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला करते हुए वर्ष के दौरान कंपनी को भारत के सर्वाधिक कोयला उत्पादन कंपनी बनाने हेतु उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए स्वयं को समर्पित करते हुए वित्त वर्ष 2016-17 में अभूतपर्व 139.21.90 मि.टन कोयला उत्पादन तथा 123.34 मि.घन मी. अभिभार निष्कासित किया तथा 143.011 मि.टन कोयला प्रेषण किया।

वर्ष के दौरान मानव संसाधन के क्षेत्र में वृद्धि के संधारण व प्रोत्साहक माहौल लाने के लिए विभिन्न पहल किए गए। जनशक्ति की युक्तिसंगतता इस वर्ष में भी जारी रही। 31 मार्च 2017 को कुल 22,036 जनशक्ति में से 1828 अधिकारी और 20208 कर्मचारी हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान 832 व्यक्ति कंपनी में नई नियुक्ति, स्थानांतरण, पुन: नियुक्ति इत्यादि के द्वारा जुड़े हैं वहीं 1193 व्यक्ति सेवानिवृत्ति, स्थानांतरण, ईएसएस, त्यागपत्र, मृत्यु इत्यादि के कारण अलग हुए हैं। गतवर्ष की तुलना में

जनशक्ति में बदलाव का कारण लागू आर एंड आर नीति के तहत परियोजना प्रभावित परिवारों को दी जानेवाली नियुक्ति/ सुपरवाइजरी एवं कुशल श्रेणी की वैधानिक जनशक्ति का नियोजन/कैंपस चयन एवं प्रबंधन प्रशिक्षुओं का कोल इंडिया द्वारा खुला नियोजन से कंपनी की कुल जनशक्ति 31.03.2016 के 22397 के मुकाबले 31.03.2017 को 22036 हो गई।

25.1 **औद्योगिक संबंध:**

अग्रणी औद्योगिक संस्थान होने से कंपनी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करते हुए औद्योगिक संबंध बनाये हुए हैं ताकि संस्थान में सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण बना रहे। हमारी कंपनी ने बाह्य एजेन्सियों तथा खनन क्षेत्रों के नजदीक के ग्रामीणों से भी मित्रतापूर्ण संबंध कायम रखा है।

ऊँचाईयों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन एवं कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध ही एक धुरी (Pivotal) है और कंपनी सदैव उत्तम औद्योगिक संबंध को बनाए रखने में पूरा ध्यान देती है। इस वर्ष भी कंपनी ने तीन स्तरीय औद्योगिक संबंध कायम रखने में सफलता प्राप्त किया। मामला एवं शक्तियों के प्रत्यायोजन(डेलिगेशन आफ पावर) के आधार पर कर्मचारियों की शिकायतों/मांगों को विभिन्न स्तर के औद्योगिक संबंध प्रणाली द्वारा सुलझाया जाता है।

दिनांक 02 सितंबर,2015 को चारों केंद्रीय श्रम संगठनों द्वारा किए गए हड़ताल को छोड़कर वर्ष 2015-16 में कोई हड़ताल नहीं हुआ जो प्रबंधन एवं श्रम संगठनों के बीच मजबूत संबंध को दर्शाता है।

कार्यरत सभी चार श्रम संगठनों द्वारा प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय औद्योगिक संबंध बनाये रखने के लिए किए गये प्रयास बहुत ही सराहनीय है।

25.2 **सहभागी प्रबंधन:**

प्रबंधन के साथ एक विशिष्ट स्तर तक दैनंदिन कार्यों के साथ-साथ कार्पोरेट आयोजन में निर्णय लेने में कर्मचारियों की भागीदारी कार्पोरेट लक्ष्य प्राप्त करने के मार्ग को सुगम बनाती है। आपकी कंपनी एमसीएल ने सहभागिता प्रबंधन के मूल्यों को जानते हुए इसके आरंभ से ही इस सिद्धांत को अपनाया है। जेसीसी और कल्याण बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों का नामांकन परिचालित ट्रेड यूनियनों द्वारा (आईआर प्रणाली के तहत शामिल) किया जाता है। उल्लेखित द्विपक्षीय फोरम के अलावा क्षेत्र के साथ-साथ कारपोरेट स्तर पर भी त्रिपक्षीय सुरक्षा समितियां कार्य कर रही हैं जिसमें ट्रेड यूनियनों द्वारा नामांकित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ऊपर लिखित द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समितियां विशेष निर्णय लेने और समस्याएं सुलझाने में प्रबंधन की सहायता करने में सक्रिय हैं।

अपने कर्मचारियों के साथ न केवल प्रबंधन सहभागिता के जरिए बल्कि राजभाषा पखवाड़ा, सुरक्षा सप्ताह, गुणवत्ता पखवाड़े इत्यादि मे सहभागिता के अवसर पर वाद-विवाद और संगोष्ठी ही नहीं बल्कि कर्मचारी संबद्धता जैसी श्रेष्ठ पद्धतियों को आत्मसात के जरिए कार्य संस्कृति, सौहार्दपूर्ण परिवेश और निष्ठा विकसित करने में एमसीएल विश्वास रखता है।

आपकी कंपनी लैंगिक संवेदनशीलता के महत्व को समझती है और अपनी महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने और महिला कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों/शिकायतों के निपटारा के लिए विशेष ध्यान

देती है। महिलाओं के उन्नति एवं विकास के लिये ताकि वे अवसरों का सर्वोतम उपयोग अधिक आत्मविश्वास के साथ प्रभावी रुप से आगे बढ़ सके, इस के लिये एमसीएल विप्स (सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाएं) फोरम के माध्यम से महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण एवं सेमिनार के द्वारा उन्हें सूचना एवं विचारो के आदान प्रदान के लिये मंच उपलब्ध कराता है ।

कंपनी में 2016-17 में कंपनी स्तर/क्षेत्र स्तर/परियोजना स्तर पर औद्योगिक संबंध , कल्याण, सुरक्षा, जेसीसी इत्यादि से संबंधित नियमित बैठकें हुईं जिसमें कर्मचारी कल्याण, सुरक्षा और कर्मचारियों की शिकायतों से संबंधित विभिन्न मामलों पर यूनियन प्रतिनिधियों से चर्चा हुई और समरस्याएं मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाई गईं। चर्चा के दौरान, कार्य प्रक्रियाओं के सुधार और संगठन के दैनंदिनी कार्यों में सुधार के लिए अनेक नए विचार और सुझाव भी प्रस्तुत किए गए।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्र/मुख्यालय पर कोल इंडिया अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ (सीआईएसटीईए) के साथ बैठक भी की गई जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के कर्मचारियों की शिकायतों पर चर्चा की गई और उन्हें मैत्रीपूर्ण भाव से निपटाने हेतु कार्यवाही आरंभ की गई।

संघ का एक सदस्य इकाई/क्षेत्र/मुख्यालय स्तर की निम्नलिखित फोरम में शामिल किया गया जो सहभागिता प्रबंधन की ओर एक अच्छा कदम है:-

i) आवास आबंटन समिति

ii) क्षेत्रीय संयुक्त सलाहकार समिति

iii) कॉर्पोरेट संयुक्त सलाहकार समिति

25.3 प्रशिक्षण एवं विकास

मानव संसाधन विभाग उत्पादन और लाभ की मांग को पूरा करने के लिए विज्ञान और तकनीकी के विकास के साथ साथ मानव संसाधन के विकास के लिए प्रशिक्षण, हमारी कंपनी की कार्पोरेट पॉलिसी का अभिन्न हिस्सा है।

सामरिक योजना के कार्यों को पूरा करने के लिए तीन प्रबंधन संस्थानों- प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान(एमटीआई), बुर्ला; बेलपहाड़ प्रशिक्षण संस्थान(बीटीआई) लखनपुर क्षेत्र; खनन इंजीनियरिंग एवं उत्खनन्न प्रशिक्षण संस्थान(एमईईटीआई), केंद्रीय कर्मशाला,तालचेर तथा पाँच ग्रुप वोकेशनल/वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर क्रमश: जगन्नाथ क्षेत्र, तालचेर, लखनपुर, ओरियंट और बसुंधरा क्षेत्र में एचआरडी के प्रयासो को एकीकृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक एचआरडी योजना पर कार्य किया जाता है तथा दिए गए प्रशिक्षण निम्नानुसार है ।

वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए प्रशिक्षण ब्यौरा

1. एमटीआई तथा जीवीटीसी/वीटीसी के आंतरिक प्रशिक्षण

क्रमांक	कर्मचारी	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	अधिकारी	724	447
2.	पर्यवेक्षक	1606	990
3.	श्रमिक	6501	5695
	कुल Total	8831	7132

2. बाह्य प्रशिक्षण का ब्यौरा

क्रमांक	कर्मचारी	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	अधिकारी	726	873
2.	पर्यवेक्षक	81	89
3.	श्रमिक	62	89
	कुल Total	869	1051

3. कुल प्रशिक्षण (आंतरिक एवं बाह्य)

क्रमांक	कर्मचारी	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	अधिकारी	1450	1320
2.	पर्यवेक्षक	1687	1079
3.	श्रमिक	6563	5784
	कुल Total	9700	8183

4. विभिन्न शिक्षा संस्थानों के छात्रों कों इन्टरन्शिप प्रशिक्षण

क्रमांक	छात्र	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	खनन अभियांत्रिकी	215	158
2.	खनन डिप्लोमा	1064	1134
3.	तकनीकी स्नातक (बी. टेक)	202	112
4.	एमबीए	83	42
5.	अन्य	55	54
	कुल Total	1619	1498

5. स्किलिंग (आईटीआई) के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रयोजन(sponsorship) का ब्यौरा

सत्र	ट्रेड		कुल
	फिटर	ईलेक्ट्रिशियन	
2016-17 से 31.03.2017 तक	49	32	81
कुल Total	49	32	81

6. स्किलिंग (आईटीआई) के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रयोजन का ब्यौरा

सत्र	केएसएएस भुवनेश्वर	एमआईटीएस, रायगड़ा	कुल
2016-18 से (31.03.2017) तक	42	115	157
कुल Total	42	115	157

7. खदान संचालन से जुड़े 1298 विभागीय कर्मचारियों को राष्ट्रिय कौशल विकास परिषद (NSDC-रिकोग्निशन प्रिओर लर्निंग) प्रशिक्षण दिनांक 15.07.2016 से 31.03.2017 तक दिया गया था।

8. पोस्ट डिप्लोमा प्रेक्टिकल ट्रेनिंग

क्रमांक	अभ्यर्थी	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	ओएसएमई क्योंझर	29	50
2.	केआईएमईटी छेंडिपाड़ा	38	48
3.	पीसीआईईटी अंगुल	36	62
4.	पीएमआईटी अंगुल	14	22
5.	केएसई क्योंझर,	11	18
	कुल Total	128	200

9. एमसीएल बोर्ड सदस्यों को दिए गए प्रशिक्षण

क्रमांक	वर्ष	प्रशिक्षणों की संख्या	भारत में	विदेश में
1.	2015-16	8	08	-
2.	2016-17	5	04	01

10. 2015-16 एवं 2016-17 में प्राप्त किया मानव दिवस प्रशिक्षण

क्रमांक	कर्मचारी	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	अधिकारी	7792	6949
2.	पर्यवेक्षक	9456	6185
3.	श्रमिक	49714	48674
		66962	61808

11. विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	कर्मचारी	वर्ष 2015-16	वर्ष 2016-17
1.	परियोजना प्रबंधन	18	40
2.	संविदा प्रबंधन	17	18
3.	जोखिम प्रबंधन	14	12
4.	पर्यावरण, वन प्रबंधन एवं भू अधिग्रहण	14	28
5.	सिम्यूलेटर प्रशिक्षण	17	36

सन 2016-17 में समझौता ज्ञापन के 35% लक्ष्य की की तुलना में 36.8% कर्मचारियों को पाँच दिवसीय कौशल उन्नयन परशिक्षण दिया गया है।

भुवनेश्वर में प्रबंधन विकास संस्थान -(एमआईएनआरईएम)

एमसीएल ने कोयला अनुभाग में कोयला उपक्रम के अधिकारियों के लिए विकसित एवं उभरते हुए विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। टोमांडों भुवनेश्वर मे आगामी सुविधाओं ने प्रशिक्षण एवं विकास, आर एवं डी, कसलटेंसी और सामान्य शिक्षा कार्यक्रम जैसी विविध गतिविधियों पर लक्ष्य साधा है। नई तकनीकी से उभरती योग्यता अंतराल, व्यापार के विविधिकरण, और अधिकारियों की सेवानिवृत्ति को फिर से संरचित मानव संसाधन विकास हस्तक्षेप के माध्यम से फिर से भरा जा सकता है जिसके लिए संस्थान रुका हुआ था।

राजधानी भुवनेश्वर में विश्व स्तरीय संस्था के रुप में उभरने के लिए एमसीएल द्वारा एकमात्र उन्नत एवं पूर्ण पूंजीकृत संस्था एमसीएल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रिसोर्स अँड एनर्जी मैनेजमेंट, सोसाइटी के रूप में दिनांक 16.01.2016 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत महानिरीक्षक(पंजीकरण), ओड़ीशा द्वारा पंजीकृत कि गई है।

जैसा कि हम जानते है एमसीएल के प्रतिभा निर्माण के लिए एमआईएनआरईएम उत्तरदायी है, यह अच्छी तरह से प्रतिभा विकास निर्माण योजना को अपनाएगा जो प्रतियोगिता द्वारा सिमरिंग लिडर, उनको खुले दिमाग और उत्सुक बनाए रखने, कंपनी चलाने के लिए आवश्यक कारकों को बनाने में सहायता करेगा।

परिवर्तन प्रशिक्षण -

कंपनी नियमित सांविधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अलावा कंपनी के भविष्य की आवश्यकता के अनुरूप और कंपनी की कॉर्पोरेट योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक कुशल बनाने और कंपनी को सफलता की नई ऊंचाइयों की ओर ले जाने के लिए कर्मचारियों को कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण दिलाने में भी रुचि लेती है।

प्रशिक्षण पाठ्यचर्या:

क. **<u>अधिकारी कार्यक्रम:-</u>**

सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम अधिकारियों के प्रबंधन कौशलों और कार्यनिष्पादन हेतु।

कार्यात्मक कार्यक्रम: अन्य विभाग के कार्य के संबंध में ज्ञान के विकास के लिए।

कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: सभी संबंधित कार्यालयीन कार्यों के कुशल एवं सरलतापूर्वक कार्यकलाप।

ख. **<u>पर्यवेक्षक कार्यक्रम:-</u>**

पर्यवेक्षक विकास कार्यक्रम: ज्ञान व कौशल उन्नयन हेतु ।

पर्यवेक्षकों के लिए सुरक्षा प्रबंधन पर्यवेक्षकों में जागरूकता सृजित करने हेतु। :

ओवरमैंन व माइनिंग सरदार जैसे व्यक्तियों के कैरियर संवर्धन हेतु ।

कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम सभी संबंधित :कार्यालयीन कार्यों के कुशल और सुचारु निष्पादन हेतु।

ग. **श्रमिकों हेतु कार्यक्रम:-**

निष्पादन हेतु श्रमिक विकास कार्यक्रम: श्रमिकों के कौशल उन्नयन हेतु।

एचईएमएम प्रशिक्षण: उचित प्रशिक्षण के बाद विभिन्न खदानों मे तैनाती के लिए भू-विस्थापितों को इस प्रशिक्षण के लिए चुना गया है।

सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम: खदान में सुरक्षा के संबंध में कर्मचारियों में सुरक्षा जागरूकता फैलाना।

कंप्यूटर जागरूकता कार्यक्रम: कुशलतापूर्वक कंप्यूटर चलाने के लिए

तकनीकी प्रशिक्षण:-

यह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खानों में काम करने वाले कर्मचारियों को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है और उन्हें निकट भविष्य में खनन कार्य में प्रयोग होने वाली नवीनतम प्रौद्योगिकी से, यदि कोई हो, अद्यतन भी करता है ताकि प्रौद्योगिकी में विशेष प्रणालियों के माध्यम से उत्पादन प्रक्रिया में समृद्धि अथवा क्षमता और नए उपकरणों के माध्यम से परियोजना में पूंजी और तकनीक के निवेश की उपयुक्त वापसी उपलब्ध करा सके। उपर्युक्त के कार्यान्वयन के लिए, कर्मचारियों को निम्नलिखित माध्यम से अवगत किया जाता है:

मूल पाठ्यक्रम :प्रौद्योगिकी, उपकरण और प्रणाली के यथोपयुक्त ।

पुनश्चर्या पाठ्यक्रम :तीन वर्ष में एक बार उनको जो मूल पाठ्यक्रम कर चुके हैं अथवा पहले से ही विशिष्ट कौशल क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पुनश्चर्या प्रशिक्षण स्थल पर अथवा प्रशिक्षण केंद्रों में भी आयोजित किया जाता है।

विशेषीकृत पाठ्यक्रम :प्रौद्योगिकी, उपकरणों के विन्यास और क्षमता में परिवर्तन तथा उत्पादन की प्रणाली में सुधार के मामले में।

प्रबंधन प्रशिक्षण:

प्रत्येक स्तर के अधिकारियों को प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, बुर्ला में समय-समय पर कंपनी की आवश्यकता के अनुसार मांग आधारित प्रशिक्षण अर्थात् उच्च स्तर पर प्रवेश, कंपनी हितों के विभिन्न विषयों पर आंतरिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही अधिकारियों को बाह्य संगठनों जैसे आईआईसीएम, रांची, आईआईएम, आईआईटी, एनआईटी और भारत तथा विश्व के अन्य प्रख्यात प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जाता है।

25.4 मानव संसाधन पर पहल –

1. मेंटर मेंटी योजना-

सीआईएल के मेंटर मेंटी योजना के अनुसार नवागंतुकों की उच्च प्रतिधारण दर को सुनिश्चित करने तथा पुल प्रशिक्षित और समिति मेंटर्स के विकास के लिए प्रमुख प्राथमिक संस्थागत क्षेत्र जो उनके सामाजिक संपर्कों को कायम करने के लिए सहायता करेगा, एमसीएल ने 169 मेंटी(सहायक प्रबंधक ई-3 ग्रेड) के

लिए, उनके व्यावसायिक वृद्धि और विकास तथा कर्मचारियों की उच्च संभावना के लिए, वरिष्ठ नेतृत्व कि भूमिका के लिए विभिन्न संकाय से 30 मेटर की नियुक्ति की गई।

अप्रेंटिस अधिनियम- 1961(संशोधित-2016) के तहत प्रशिक्षण देना:

क. **स्नातकोत्तर प्रायोगिक प्रशिक्षण - (पीजीपीटी)**बीओपीटीपद 04कोलकाता द्वारा पीजीपीटी के , पीजीपीटी को तालचेर क्षेत्र में 03अधिसूचित किया गया था तदानुसार तथा 01 को ईब वैली कोलफील्ड्स में नियोजित किया गया है।

ख. **डिप्लोमा (पीडीपीटी)र प्रायोगिक प्रशिक्षण उत्त**–वित्तीय वर्ष 2016-17 में ओई वर्ष के लिए पहले के पद कर दिया 200पदों को वर्तमान में बढ़ाकर 100 गया है तदनुसार **200** पीडीपीटी को वर्ष के 01 लिएतालचेर और ओरियंट क्षेत्र में नियोजित किया गया है ।

ग. वित्तीय वर्ष 2016-17 में ओड़ीशा राज्य के आईटीआई से उत्तीर्ण 182 लोगों को निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्ष 01 के लिए अप्रेंटिस प्रशिक्षण में नियोजित किया गया है-

क्र.	क्षेत्र का नाम	शिक्षुओं के रूप में कार्यरत आईटीआई उत्तीर्ण लोगो की संख्या
1	जगन्नाथ क्षेत्र	25
2	भरतपुर क्षेत्र	66
3	तालचेर क्षेत्र	18
4	केन्द्रीय कर्मशाला (उत्ख.), तालचेर	73
	कुल	182

घ) एचआर दृष्टिकोण : 2020

जीएनईएक्सटी अवधारणा के अंतर्गत एमसीएल में विभिन्न विभागो कार्मिक, वित्त, सामाग्री प्रबंधन से तीन गतिशील सहायक प्रबन्धक का एक केंद्रीय कार्य बल पहले ही गठित

हो चुका है तथा प्रत्येक विभाग से 17 सदयों को शामिल कर अनुषंगी एवं अनुशासन कार्य बल कार्यरत है।

25.5 मनोरंजन गतिविधियां

टीम भावना को प्रेरित करने और क्रर्मचारियों के बीच आपसी भावना को समझने को ध्यान में रखते हुए एमसीएल के विभिन्न क्षेत्रों सहित मुख्यालय में नियमित रूप से विभिन्न सामाजिक व मनोरंजन गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कर्मचारियों के लाभ के लिए विभिन्न अंतर्क्षेत्रीय टूर्नामेंट के आयोजनार्थ प्रतिवर्ष स्पोर्ट्स-कैलेंडर बनाए जाते हैं। वर्ष 2016-17 के दौरान एमसीएल ने कोल इंडिया अंतर्कम्पनी लॉन टेनिस व कोल इंडिया अंतर्कम्पनी टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया। सीआईएल स्पोर्ट्स कैलेंडर के अनुसार सीआईएल की विभिन्न अनुषंगियों में

आयोजित सीआईएल टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए टीम प्रतिनियुक्त किया गया। कोल इंडिया स्थापना के साथ-साथ एमसीएल के स्थापना दिवस के अवसर पर एमसीएल मुख्यालय में पुरूषों, महिलाओं व बच्चों के लिए उत्कृष्टता हेतु दौड़ का आयोजन किया गया। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इन दोनों अवसरों पर सभी प्रतिभागियों को नारे व लोगो सहित टी-शर्ट व कैप प्रदान किया गया। 01 अप्रेल से लेकर 03 अप्रेल के दरम्यान उत्कल दिवस से एमसीएल स्थापना दिवस आदि तक सांस्कृतिक कार्यक्रम, गोल्फ टूर्नामेंट तथा अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों की एक क्रम जारी रहा। खनिक दिवस आयोजन 2016 के दौरान सर्वोत्तम खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। एमसीएल महिला मंडल ने एमसीएल परिधि में अनेकों परोपकारी कार्य किए। विभिन्न संस्थाओं को अपने क्षेत्रों में मनोरंजक व सामाजिक गतिविधियों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

25.5.1 शिक्षा :

एमसीएल ने कोयला खदानों के आस-पास चल रही शैक्षिक संस्थाओं, एन.के. महाविद्यालय, तालचेर सहित 17 निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को सहायता-अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है । हमारे बच्चों के लिए अच्छी शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एमसीएल में 09 डीएव्ही पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। इसमें विशेष रूप से बालिकाओं के लिए डीएवी बालिका हाई स्कूल तथा सभी डीएव्ही स्कूल में स्मार्ट कक्षाओं का प्रावधान शामिल है। वर्ष 2016-17 के दौरान, डीएवी पब्लिक स्कूलों के आवर्ती व्यय हेतु रू. 2758,36 लाख (राजस्व) तथा निजी स्कूलों को रू 142800 उपलब्ध कराए गए। उपर्युक्त के अलावा, आईजीआईटी, सरांग और ओएसएमई, क्योंझर (डिप्लोमा तकनीकी स्कूलों) में वेज बोर्ड कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले हेतु 40 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं।

25.5.2 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति

सीआईएल छात्रवृत्ति योजना के अनुसार कर्मचारी के बच्चों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। 2016-17 के दौरान 1081 मेधावी छात्रों को (सभी कर्मचारियों के बच्चों को) 18,37,140/- रु. दिए गए हैं।

एमसीएल ने कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा के लिए ट्यूशन फीस और हॉस्टल का किराया देकर वित्तीय सहायता दी थी। वर्ष 2016-17 के दौरान 188 कर्मचारियों के बच्चों को इस योजना के तहत 34,39,770 रुपये वितरित किए गए।

26. <u>राजभाषा</u>

मुख्यालय एवं क्षेत्रों में भारत सरकार की राजभाषा नीतियों के अनुपालन के लिए प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम/कैलेंडर बनाया जाता है तथा इसी के अनुसार कार्यक्रम किए जाते है।

वर्ष 2016-17 के दौरान एमसीएल में निम्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:

1. **राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :**

निदेशक(कार्मिक), एमसीएल की अध्यक्षता में दिनांक 24.02.2016, 28.07.2016, 27.10.2016 तथा 31.01.2017 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन किया गया था जिसमें क्षेत्रों एवं मुख्यालय में राजभाषा प्रगति की समीक्षा की गई तथा भारत सरकार के राजभाषा नीति के सरल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

2. **राजभाषा कार्यशाला:**

एमसीएल मुख्यालय एवं क्षेत्रों में आयोजित राजभाषा कार्यशालाएं निम्नानुसार है:

वर्ष 2016-17 में एमसीएल में कुल 10 राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था जिसमें प्रतिभागियों को भारत सरकार के राजभाषा नीतियों के नियमों और विनियमों से परिचय कराया गया था। प्रतिभागियों को हिन्दी में टिप्पण और मसौदा तैयार करने का अभ्यास भी कराया गया था। 10 कार्यक्रमों में कुल 447 अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। वर्ष 2015-16 में 10 राजभाषा कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था जिसमें 506 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

3. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, संबलपुर की बैठकें :**

वर्ष के दौरान एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 23.06.2016 एवं 29.11.2016 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति , संबलपुर की दो अर्धवार्षिक बैठकों का आयोजन किया गया था। बैठक की अध्यक्षता एमसीएल के महाप्रबंधक,(प्रबं. प्रशिक्षण संस्थान/राजभाषा/मानव संसाधन विभाग) तथा निदेशक(योजना/परियोजना) ने की थी।.

4. **नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता :**

नगर राजभाषा समिति, सम्बलपुर के सभी सदस्य कार्यालय में राजभाषा के कार्यान्वयन की उन्नति के लिए वर्ष 2015 से "नराकास राजभाषा शील्ड" प्रतियोगिता शुरू की गई। वर्ष 2015-16 में कुल 09 चयनित सदस्य कार्यालय को "नराकास राजभाषा शील्ड" से सम्मानित किया गया गया था।

दिनांक 29.11.2016 को आयोजित बैठक में नगर राजभाषा समिति, सम्बलपुर के अध्यक्ष द्वारा शील्ड प्रदान की गई थी।

5. **राजभाषा (हिन्दी) प्रशिक्षण :**

राजभाषा प्रशिक्षण और परीक्षाओं का आयोजन हिन्दी शिक्षण योजना, भारत सरकार के अंतर्गत किया गया था। वित्तीय वर्ष 2016-17 में उत्तीर्ण हुए कुल कर्मचारियों की संख्या 240 थी। वित्तीय वर्ष 2016-17 में हिन्दी शिक्षण योजना के अंतर्गत 293 कर्मचारी उत्तीर्ण हुए थे जिनकी जानकारी निम्नानुसार है:

सत्र	प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ	कुल
2016-17	44	108	88	240
2015-16	83	85	125	293

कोल इंडिया लिमिटेड के परिपत्र के अनुसार सफल उम्मीदवारों को एक बार एकमुश्त नगद राशि इनाम के रूप में दी जाती है। प्राज्ञ उत्तीर्ण उम्मीदवारों को एमसीएल द्वारा एकमुश्त नगद राशि के साथ-साथ उनके वार्षिक वेतन वृद्धि के बराबर का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है।

6. **कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण:**

कंप्यूटर पर यूनिकोड समर्थित हिंदी टाइपिंग प्रशिक्षण के लिए प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), आनंद विहार, एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 20.06.2016 से 25.06.2016 तक तथा दिनांक 20.02.2017 से 25.02.2017 तक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। जिसमें एमसीएल के 87 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था, जबकि 2015-16 में 101 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था।

7. **अनुवाद प्रशिक्षण :**

एमसीएल, मुख्यालय में 30.01.2017 से 03.02.2017 तक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली के सहयोग से एक 5 दिन का अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें एमसीएल के 15 कर्मचारी प्रशिक्षित हुए। दिनांक 03.02.2017 को आयोजित प्रमाणपत्र वितरण समारोह में श्री बी.सी.त्रिपाठी महाप्रबंधक (एमटीआई/राजभाषा/मा.सं.वि.) उपस्थित थे।

8. **राजभाषा पुरस्कार योजना 2016:**

एमसीएल में राजभाषा के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने और गति प्रदान करने के लिए, **"एमसीएल राजभाषा कार्यान्वयन पुरस्कार योजना"** वर्ष 2015 में शुरू की गई है। 09 में 03 पुरस्कार क्षेत्रों को, 03 बड़े विभागों को और शेष 03 कंपनी मुख्यालय के छोटे विभागों को दिए गए थे। सभी 9 पुरस्कार वर्ष 2015-16 के लिए दिनांक 10.01.2017 को आयोजित विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर अध्यक्ष द्वारा दिए गए थे।

9. **अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन:**

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 28.09.2016 को राजभाषा पखवाड़ा -2016 के समापन दिवस समारोह पर "अखिल भारतीय हिंदी हास्य कवि सम्मेलन" का आयोजन किया गया था।

10. **राजभाषा पुरस्कार / सम्मान:**

- कंपनी में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में बेहतर प्रदर्शन के लिए नराकास, संबलपुर के अध्यक्ष द्वारा एमसीएल को पहली राजभाषा शील्ड से नवाजा गया।

  राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए एनजीओ द्वारा एमसीएल, इसके निर्देशकों और वरिष्ठ अधिकारियों / कर्मचारियों को 2016-17 के दौरान शील्ड से सम्मानित किया गया, जो निम्नानुसार है।

1. राजभाषा एवं प्रबंधन विकास संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दिए गए पुरस्कार

17 से 19 मई, 2016 तक कन्याकुमारी में आयोजित 30 वीं हिंदी सम्मेलन में एमसीएल को "राजभाषा शील्ड" से सम्मानित किया गया।

2. भारतीय भाषा एवं संस्कृति केंद्र, नई दिल्ली द्वारा दिए गए पुरस्कार

राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन के लिए 26 से 28 मई 2016 को ऊटी में आयोजित 29 वें अखिल भारतीय राजभाषा प्रशिक्षण शिविर में एमसीएल को "राजभाषा मुकुटमनी" पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

3. **विश्व हिंदी कार्यान्वयन परिषद परिवर्तन जन कल्याण समिति, नई दिल्ली द्वारा दिए गए पुरस्कार**

"सी" क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 26 से 28 मई 2016 को केरल के त्रिवेन्द्रम में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में एमसीएल को "राजभाषा प्रतिष्ठा सम्मान" शील्ड से सम्मानित किया गया।

4. राजभाषा सेवा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा दिए गए पुरस्कार

एमसीएल को "राजभाषा अनुपालन" प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सम्बलपुर की पत्रिका "संबलप्रभा" को को अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में "श्रेष्ठ हिन्दी पत्रिका" के रूप में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो 01/01 जून, 2016 को मुन्नार में आयोजित की गई थी।

5. राजभाषा विकास संस्थान, देहरादून द्वारा दिए गए पुरस्कार

एमसीएल को अखिल भारतीय राजभाषा संगोष्ठी में सम्मानित किया गया, जो उज्जैन में 09 से 22 अक्टूबर, 2016 तक आयोजित की गई थी।

- एमसीएल में राजभाषा हिंदी के बेहतर कार्यान्वयन के लिए "राजभाषा श्री सम्मान"
- श्री ए. के. झा सीएमडी, एमसीएल को "विशेष राजभाषा श्री सम्मान"
- श्री एल.एन. मिश्रा को, निदेशक (कार्मिक) को "राजभाषा कीर्ति सम्मान"
- श्री बी. सी. त्रिपाठी, महाप्रबंधक(राजभाषा) को "विशेष राजभाषा कीर्ति सम्मान"
- श्री दीपक बेहरा, क्षेत्रीय कार्मिक प्रबंधक, कनिहा क्षेत्र, को "विशेष राजभाषा विशिष्टता सम्मान"
- "विशेष राजभाषा विशिष्टता सम्मान" श्री सुधांशू डहरवाल, सहायक प्रबंधक, (एचआर), ई-प्रोक्योरमेंट, मुख्यालय

11. **हिंदी दिवस / हिंदी पखवाड़ा :**

दिनांक 14.09.016 को एमसीएल मुख्यालय तथा क्षेत्रों में हिंदी दिवस मनाया गया। मुख्यालय में कार्यक्रम का उद्घाटन श्री ए. के. झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एमसीएल ने किया।

एमसीएल मुख्यालय/क्षेत्रों में 14 से 28 सितंबर, 2016 तक राजभाषा पखवाड़ा मनाया गया। पखवाड़े के दौरान एमसीएल के कर्मचारियों के लिए हिंदी निबंध लेखन, परिचर्चा, नोटिंग और मसौदा, तथा हिंदी टाइपिंग जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में प्रतिभागियों भाग लिया।

साथ ही इसके मुख्यालय की केवल गृहिनियों के लिए हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

एमसीएल ऑडिटोरियम, जागृति विहार में 28.09.2.2016 को हिंदी पखवाड़ा के समापन दिवस के समारोह पर हिंदी प्रतियोगिताओं के सभी विजेताओं को अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एमसीएल द्वारा पुरस्कार और प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

12. विश्व हिंदी दिवस:

एमसीएल मुख्यालय में दिनांक 10.01.2017 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री एल.एन. मिश्रा, निदेशक (कार्मिक), एमसीएल ने किया। इस अवसर पर एक राजभाषा संगोष्ठी का भी आयोजित किया गया। श्री ओ.पी. सिंह, निदेशक (तक.योजना एवं परियोजना), बी.सी.त्रिपाठी महाप्रबंधक (एमटीआई/राजभाषा/), प्रो. के.पी. गुप्ता, पूर्व विभागाध्यक्ष (हिंदी), जीएम कॉलेज और डॉ. वी. रामालक्ष्मी, विभागाध्यक्ष (हिंदी), महिला कॉलेज, झारसुगुडा ने भाग लिया और सभा को संबोधित किया।

13. पुस्तकों की खरीद:

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार 1,05,000 रुपये की किताबें खरीदी गईं थीं - जिनमें वर्ष 2016-17 में 59584/- रु. की केवल हिंदी और ओड़िया पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च किए गए, जो 57% है जबकि वर्ष 2015-16 में 87785/- रु. में से 77785/- रु. केवल हिंदी और ओड़िया पुस्तकों की खरीद के लिए खर्च किए गए थे, जो खर्च की कुल राशि का 88.60% है।

14. एमसीएल की वेबसाइट:

एमसीएल की वेबसाइट द्विभाषी की गई है और इसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जा रहा है।

15. राजभाषा पोर्टल:

2016 से राजभाषा पोर्टल शुरू किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की राजभाषा गतिविधियां प्रदर्शित की जाती हैं।

16. राजभाषा पत्रिका:

वर्ष 2016-17 के दौरान "राजभाषा झलाकियां" और "संबलप्रभा" नामक दो राजभाषा पत्रिकाओं के चौथे अंक का प्रकाशन किया गया हैं। "राजभाषा झलाकियां" के चौथे अंक का विमोचन राजभाषा

पखवाड़ा के समापन समारोह में किया गया और "संबलप्रभा" का चौथे अंक का विमोचन दिनांक 23.06.2016 को आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, सम्बलपुर की प्रथम बैठक के दौरान किया गया था।

17. भूमि/ आर एंड आर :

आपकी कंपनी अपनी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना प्रभावित/विस्थापित परिवारों की मदद करने के लिये प्रतिबद्ध है और परियोजना प्रभावित परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास कर रही है और विकास के साथ प्रगति हेतु भी प्रतिबद्ध है जो इसकी आरएंडआर नीति में बहुतायत से दर्शाया गया है। एमसीएल ओडिशा राज्य की आरएंडआर नीति का पालन करती है और 2015-16 के दौरान 307 रोजगारों की तुलना में 2016-17 के दौरान 616 रोजगार उपलब्ध कराए हैं और अपनी स्थापना के दिन से कुल 12779 रोजगार उपलब्ध कराए हैं। भूमि विस्थापितों की शिकायतों के निवारण के लिए एमसीएल आरपीएडीसी के परामर्श पर कार्य कर रही है। भूमि विस्थापितों के लाभ के लिए पक्की सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, दैनिक बाजार, स्कूल, सामुदायिक केंद्र, पूजा-स्थल इत्यादि के साथ पुनर्वास कॉलोनियां भी स्थापित की गई हैं।एमसीएल सभी परिधीय ग्रामीणों को कोलफील्ड्स में उपलब्ध इसके मौजूदा अस्पतालों/डिस्पेंसरियों में नि:शुल्क अथवा नाममात्र शुल्क रु. 2.00 प्रति मरीज की दर से ओपीडी सुविधा उपलब्ध कराती है।

आपकी कंपनी खनन गतिविधियों के विस्तार के लिए प्रभावित ग्रामीणों को पुनर्वास और पुन: स्थापना उपलबध कराकर भूमि अधिग्रहित करती है। 2016-17 के दौरान, एमसीएल ने 147.637 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की है।

18. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

भारत में आबादी का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और हमारे समाज के सामाजिक-आर्थिक सोपान से नीचे रह रहा है। एक अच्छी कॉरपोरेट सत्ता रूप में एमसीएल वर्ष 2010-11 से शुरू की गई अपनी सुपरिभाषित सीएसआर पॉलिसी के माध्यम से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों को गरीब से गरीब तक पहुंचाने के लिए कर रही है। इसकी स्थापना के बाद से कंपनी ने आधारिक संरचना के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों जैसे जल आपूर्ति योजनाओं, सार्वजनिक उपयोगिता की सड़कों का निर्माण/मरम्मत, सामुदायिक केंद्र का निर्माण, चेक बाँड्स आदि, लड़कियों के शिक्षा के माध्यम से सामाजिक सशक्तिकरण, कमजोर वर्ग के लिए प्रशिक्षण और गैर-नियोजित युवाओं / पीएपीएस को व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य निवारक कार्यक्रम, ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम और नियमित रूप से आसपास के गांवों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करना।

सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए समुदाय का आवश्यक आंकलन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। राज्य सरकार/जिला प्रशासन, जन प्रतिनिधि या किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्धारित आवश्यकता कंपनी के मौजूदा मानदंडों के अनुसार सकारात्मक रूप से विचाराधीन है।

रिपोर्ट अवधि के दौरान, भारत के माननीय प्रधानमंत्री की स्वप्न परियोजना स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत एमसीएल ने ओडिशा राज्य में स्कूल शौचालयों का निर्माण कार्य किया। एमसीएल ने ओडिशा के विभिन्न जिलों में 10,546 स्कूल शौचालय का निर्माण किया।

एमसीएल ने नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम, चर्चाएं, सेमिनार आदि के आयोजन के माध्यम से मुख्य व्यवसाय के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में शामिल संगठनों के बीच संवेदनशीलता, क्षमता निर्माण और वकालत के मुद्दों पर जोर दिया।

सीसीआईएल और एमसीएल की सीएसआर नीति के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए एमसीएल ने कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% के आधार पर 113.36 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।

सीसीआर गतिविधियों को बढ़ाने और विस्तार करने के लिए एमसीएल ने महत्वाकांक्षी क़दम उठाए हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 में रु. 166.60 करोड़ व्यय है एवं प्रमुख गतिविधियां प्रगति पर हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार आपकी कंपनी ने सीएसआर प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 के उपनियम (3) के खंड (0) तथा कंपनी नियमावली 2014 के नियम (9) (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) के अनुसार कानून दवारा आवश्यक प्रकटीकरण **अनुलग्नक - 1** के रूप में संलग्न है।.

19 जेंडर बजट की व्यवस्था -

आपकी कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि विकास के लाभों की पुरूषों के बराबर महिलाओं तक प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए जेंडर मेनस्ट्रीमिंग में जेंडर बजट व्यवस्थापन एक शक्तिशाली माध्यम है। नीति/कार्यक्रम निर्धारण, कार्यान्वयन तथा इसकी समीक्षा में जेंडर परिप्रेक्ष्य को बनाए रखते हुए एमसीएल में यह मात्र एक लेखा कार्य न होकर एक सतत प्रकियां है । 31 मार्च 2017 को कुल महिला कर्मचारियों की ताकत 1784 थी, जो एमसीएल के कुल कर्मचारियों की 8.09% थी।

आपकी कंपनी ने अपनी सामाजिक प्रतिक्रिया के बावजूद हमेशा जेंडर बजट के मुद्दे को कंपनी और कंपनी के बाहर संवेदनशील दिखाया है। सर्वोत्तम संभव प्रयासों के माध्यम से उन्हें संबोधित सार्वजनिक क्षेत्र विंग/शाखा, एमसीएल में महिलाओं विप्स को सक्रिय रूप से कार्य करने की अनुमति देने के साथ विस्तृत प्रदर्शन व ज्ञान वर्धन हेतु कंपनी और बाहर के सेमिनारों और सम्मेलनों में इसके सदस्यों को भाग लेने की अनुमति देना ।

- अपने कार्यबल के जेंडर विशिष्ट डाटाबेस का अनुरक्षण।.
- महिला कर्मचारियों द्वारा दाखिल की गई शिकायतों के उपयुक्त व समयानुसार निवारण के लिए शिकायत समिति गठित की गई है ।
- सीआईएल नियमों के अनुसार पात्र महिला अधिकारियों को बाल देख-रेख अवकाश (सीसीएल) प्रदान करना।
- खान दुर्घटनाओं में मृत कर्मचारियों की पत्नियों हेतु रोजगार के लिए आयु सीमा में छूट।
- उपयुक्त प्रतिनिधित्व और संबोधन से संबंधित मामलों के निपटारे हेतु प्रबंधन और ट्रेड यूनियनों के बीच होनेवाली औद्योगिक संबंध बैठकों में महिला कर्मचारियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

"कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी ने एक यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न के बारे में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) की स्थापना की गई है। इस पॉलिसी के तहत सभी कर्मचारी (स्थायी, ठेका, अस्थायी, प्रशिक्षु) शामिल हैं।"

प्राप्त शिकायतों की संख्या: शून्य

निपटाए गए शिकायतों की संख्या: शून्य

20. जनसंपर्क:

अपने हितग्राहियों को जानकारी देने व संस्था में घटित होने वाली सभी घटनाओं से अद्यतन रखने के साथ साथ व्यापार संचालन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर कंपनी के रूख के विषय में कंपनी का एक अत्यंत सक्रिय दृष्टिकोण है।

रणनीतिक रूप में आयोजित संचार द्वारा आंतरिक जनों के साथ साथ वाहय जनों के साथ अपने रिश्तों में मजबूती बनाए रखा है। हमने चतुर्थ स्तंभ के सदस्यों से शक्ति-गुणक के रूप में स्वस्थ व्यावसायिक संबंध बनाए रखा है जिससे हमें सामाजिक व विकासात्मक पहल के साथ साथ व्यवसाय संबंधी विभिन्न पहलों को साधने में मदद मिलती है।

कंपनी का एक मानवीय चित्र बनाने पर विशेष जोर दिया गया है, जैसे- पर्यावरण-अनुकूल कोयला खनन कार्य, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) आदि, जो आम जीवन में विशेष रूप से ओडिशा में एमसीएल कमांड की परिधि के तहत दिखाई देने वाली प्रगति को लेकर आए हैं ।

हमारी टीम जनसंपर्क ने इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया को प्रेस-वार्ता के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा शीर्ष प्रबंधन के लोगों का विशेष साक्षात्कार आयोजित किया है ताकि हितग्राहियों को पूरी

जानकारी प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके। कंपनी की विभिन्न घटनाचक्रों, गतिविधियों व उपलब्धियों पर प्रेस-वक्तव्य के रूप में जानकारी प्रवाह की वृद्धि से कंपनी की पहल व सफलताओं का विस्तुत प्रचार हुआ है ।

संकट की घड़ी में रणनीतिक संचारण के माध्यम से अशांत परिस्थितियों को कंपनी के पक्ष में संगठित करते हुए कंपनी की जनसंपर्क व्यवसाय संचालन के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर सक्रिय है ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 कंपनी के रजत जयंती वर्ष जनसंपर्क के लिए एक घटनापूर्ण वर्ष था जिसमे भुवनेश्वर में फ़र्स्ट मेक इन ओड़ीशा कॉनलेव सहित राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय प्रदर्शनी शामिल थी। मेक मेक इन ओड़ीशा कॉनक्लेव में वर्किंग फ़ाइल के साथ सुरक्षा एवं बचाव उपकरण और विभिन्न संचालन तथा सीएसआर गतिविधियों को क्रिएटिव पैनल द्वारा प्रस्तुत किया गया उससे आगंतुकों की बड़ी भीड़ एकत्रित हुई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 के दौरान विभागों ने कंपनी के व्यापार संचालन पर डिजिटल और टेक्निकल इनोवेशन पर आइडिया प्रस्तुति तैयार किया जिसे जिसे केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं माननीय प्रधानमंत्री ने देखा।

वर्ष के दौरान विभाग ने “स्कोप कार्पोरेट कम्यूनिकेशन एक्सिलेन्स अवार्ड-2016” के तहत “इफेक्टिव एंड इन्नोवेटिव यूज ऑफ डिजिटल कम्यूनिकेशन” का प्रथम पुरस्कार तथा 11 वी ग्लोबल कोनक्लेव फॉर पब्लिक अवेयरनेस एडवरटाइजमेंट का पीआरसीआई कोलेटेरल अवार्ड प्राप्त किया साथ ही सतर्कता जागरूकता में अद्वितीय योगदान के लिए एक व्यक्तिगत पुरस्कार मिला।

कंपनी की उपलब्धियों को समाचार पत्र/पत्रिकाओं और अन्य प्रिंट मीडिया में छपवाने के अलावा आपकी कंपनी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक पेज पर@mahanadicoal एवं ट्विटर हैंडल पर @mahanadicoal के के रूप में समर्थ उपस्थिती दर्ज की है। इसके अलावे यूट्यूब चैनल पर लोग जुड़ रहे है, विशेषकर कंपनी के वेटरन एवं वर्तमान कर्मचारी भी है।

आपकी कंपनी निरंतर रूप से सामाजिक मुद्दों जैसे एड्स, 'बेटी पढाओ', 'स्वच्छ भारत' आदि कार्यक्रमों का समर्थन, मुद्रण, प्रकाशन और जनता के बीच रचनात्मक सामग्री को प्रसारित कर जागरूकता पैदा करने में शामिल रही है।

कंपनी के लिए सकारात्मक सार्वजनिक राय और सद्भावना पैदा करने के लिए कॉर्पोरेट विज्ञापनों कंपनी के लिए सकारात्मक सार्वजनिक राय और सद्भावना पैदा करने के लिए कारपोरेट विज्ञापनों को विभिन्न मौकों पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में जारी किया जाता है। हमने केंद्र सरकार के कौशल भारत की पहल को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सांस्कृतिक, शैक्षिक/प्रशिक्षण महत्व की कई घटनाओं को भी प्रायोजित किया है।

21. सामाजिक प्रतिष्ठानों में पूंजी निवेश

31.03.2016 की तुलना में 31.03.2017 में सामाजिक सुविधाओं पर पूंजीगत निवेश का ब्यौरा को यहां नीचे बताया गया है:

(रुपये करोड़ में)

क्रमांक.	विवरण	स्थिर संपत्ति का सकल मूल्य	
		31.3.2017 को	**31.3.2016** को
1	इमारतें	476.49	404.12
2	संयंत्र और मशीनरी	74.56	73.91
3	फर्नीचर, फिटिंग और उपकरण	9.16	8.90
4	वाहन	7.56	7.55
5	विकास	9.29	9.24
	कुल	**577.06**	**503.72**

22. सतर्कता गतिविधियां और उपलब्धियां

एमसीएल के सतर्कता विभाग के कामकाज का मुख्य आधार निवारक, भविष्यसूचक व रिक्तिपूर्व सतर्कता के साथ साथ उन प्रकरणों में दंडात्मक कार्रवाई करना जिनमें दुर्भावनापूर्ण इरादे के संबंध में अभिलेखों में स्पष्ट साक्ष्य पाया जाए। निवारक व सक्रिय सतर्कता उपाय में, संबंधित व्यवस्थित सुधार, सतर्कता जागरूकता लाना, कर्मचारियों व कंपनी के विभिन्न हितग्राहियों को संवेदनशील बनाना, ई-पहल लागू करना तथा सीवीसी, नई दिल्ली कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली व कोल इंडिया सतर्कता डिवीजन द्वारा समय समय पर जारी जारी आदेशों, परिपत्रों, परामर्श पत्रों को कार्यान्वित करना, परस्पर शामिल है । एमसीएल के सतर्कता सविचालय का मुख्य फोकस प्रौद्योगिकी का लाभ उठाते हुए निवारक सतर्कता पर है। चिह्नित भ्रष्टाचार ग्रस्त क्षेत्रों में कंपनी के लेन-देन में मानव के अंतरफलन को कम करने के लिए व्यवस्थित सुधार सुझाए जाते हैं। चालू वर्ष के दौरान निवारक, भविष्यसूचक व रिक्तिपूर्व सतर्कता के तौर पर विभिन्न फील्ड कार्यों के साथ साथ यथोचित प्रणाली व प्रक्रियाओं में अनियमितताओं की पहचान हेतु मुख्य सतर्कता अधिकारी के दिशानिर्देशों में बारंबार औचक निरीक्षण किए गए हैं। इसके साथ साथ कर्मचारियों में सतर्कता व भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों के प्रति जागरूकता भी प्राथमिकता एजेंडा में हैं जिसमें नव-नियुक्त प्रबंधन प्रशिक्षु, विक्रेता, विद्यार्थी तथा सामान्य नागरिक भी पारस्परिक विचार विमर्श/संगोष्ठी के माध्यम से शामिल हैं।

1. निरोधक सतर्कता :

(क). <u>निरीक्षण:</u>

वर्ष 2015-16 के दौरान, 59 औचक और 22 नियमित प्रकार के निरीक्षण किए गए। ऐसे निरीक्षणों में प्रमुख फोकस प्रणाली/प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना रहा है ताकि फील्ड अभियानों में स्वच्छता और पारदर्शिता लाई जाए। विभिन्न फील्ड अभियानों की औचक जांच जैसे कि एसआईएलओ निर्माण स्थल,

कोयला स्टॉक यार्ड की जॉच, ई-निगरानी इकाई, इन-मोशन-वे-ब्रिज मापांकन, संविदा समाप्ति में देर, कोयला परिवहन, रोड सेल संबंधित गतिविधि, विभागीय अधिभार उत्पादन में अनियमितता, जिओ-फेंसिंग का उल्लंघन आदि व्यवस्थित सुधारों के रूप में जारी विभिन्न परिपत्रों, अनुदेशों, दिशा-निर्देशों और जहॉ आवश्यक पाया गया दंडात्मक कार्रवाई की गई।

ख) वर्ष 2016-17 के दौरान किए गए प्रणालीगत सुधार -

1. मार्च 2016 को समाप्त तिमाही के लिए विभिन्न विभागों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करते हुए यह पाया गया कि संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा कार्य की आवधिक निगरानी के अभाव में कुछ संविदाओं की प्रगति को संतोषजनक नहीं पाया गया इसके अलावा कुछ कामों को लंबे समय से पूरा कर लिया गया था, लेकिन आरई/डीई को अंतिम रूप देने में तथा अन्य कारणों से संविदा के निपटान में देरी हुई है। सतर्कता सचिवालय ऐसे मामलों की जांच कर रहे हैं जहां संविदा को अंतिम रूप देने में निर्धारित समय से देरी हुई है तथा जहां ऐसी देरी का कारण आधिकारिक तौर पर सीधे विभागाध्यक्ष से संबंधित है।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए सतर्कता सचिवालय के दिनांक 24.05.2016 के संदर्भ संख्या 963 के अनुसार लंबित परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए तथा आवधिक आधार पर ऐसे संविदा की समीक्षा तथा निगरानी हेतु एमसीएल के अध्यक्ष-सह -प्रबंध निदेशक को सूचित किया गया।

2. विभिन्न सहयोगी सस्थाओं/साझेदार फार्म के पंजीकरण में देरी से संबंधित परियोजना प्रभावित समाजों (पीएपी) द्वारा किए गए प्रस्तुति पर आधारित सतर्कता सचिवालय द्वारा आयोजित अध्ययन के दौरान यह देखा गया कि सदस्यों को जोड़ने/घटाने का कार्य विभिन्न समाजों द्वारा परियोजना/क्षेत्रों तथा एमसीएल मुख्यालय को सूचित किए बिना ही दोनों कोयला खदानों में किया गया। साफ दिशानिर्देशों/निर्देशों के अभाव में विभिन्न सस्थान सक्षम अधिकारी के अनुमोदन को प्राप्त किए बिना ही सदस्य में बदलाव कर रहे हैं जबकि एमसीएल मुख्यालय में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से सहयोगी सस्थान द्वारा पंजीकरण का कार्य पहले ही किया जा चुका है।

एमसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सलाह दी गई है कि ऐसी संस्था जो एमसीएल के साथ पंजीकृत है, खदान क्षेत्रों में परियोजना प्रभावित समाजों के कार्यों में एकरूपता लाने के लिए अग्रिम रूप से सक्षम अधिकारी के आवश्यक अनुमोदन को प्राप्त करने हेतु कम से कम एक महीने पहले उचित प्रारूप में उचित वजह के साथ संबंधित क्षेत्र के अधिकारी के पास सदस्यों के नाम को जोड़ने/हटाये जाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। बाद में परियोजना प्रभावित सस्थानों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित प्रणालीगत उपाय सुझाए गए है -

(i) परियोजना प्रभावित वह व्यक्ति जिसे रोजगार नहीं दिया गया या एमसीएल में रोजगार के लिए जिसका मामला किसी विचार के अंतर्गत नहीं है, सिर्फ वे ही सहयोगी संस्थानों के सदस्य बन सकते हैं।
ii) क्षेत्र के अतिव्यापी होने के कारण योजना प्रभावित व्यक्ति को उनके घरेलू परियोजना/क्षेत्रों तक सीमित करने के लिए विशेष रुप से तालचेर कोयला क्षेत्रों में जहां स्थिति यह उत्पन्न हो रही है कि एक क्षेत्र के परियोजना प्रभावित व्यक्ति दूसरे क्षेत्र के लिए पंजीकृत समाज के सदस्य बन रहे हैं, दूसरे क्षेत्र

के परियोजना प्रभावित व्यक्ति के घरेलू परियोजना/क्षेत्रों के परियोजना प्रभावित व्यक्ति के बीच अशांति बढ़ती है। क्योकि इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने से वे वंचित रह जाएंगे। दूसरे क्षेत्र के परियोजना प्रभावित समाजों के क्रॉस वैरीफिकेशन से भी उस क्षेत्र के लिए जिसमें कि संस्थान कार्य कर रहे हैं, मुश्किल हो सकती है।

iii) किसी स्थिति पर नियंत्रण के लिए उपर्युक्त दिशानिर्देश तैयार करना जहां संस्थान से पदत्याग देने के बाद एक योजना प्रभावित व्यक्ति उसी खदान क्षेत्र से अन्य नजदीकी क्षेत्र में दूसरे संस्थान के गैर-पीएपी सदस्य बन सकते हैं। जिसके परिणामस्वरूप 5 साल से अधिक के लिए इस योजना का लाभ वे प्राप्त कर सकते हैं।

iv) कोलफील्ड्स के किसी भी परिभाषित सीमा के अभाव में परिधि के 30 कि.मी. से 70 कि.मी विस्तार से संबंधित बोर्ड के निर्देश का पुनरीक्षण करना और वह भी तब जब योजना नियमित आय में योजना प्रभावित व्यक्ति की सहायता के लिए तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए शुरू की गई, सहयोगी सस्थानों में गैर-पीएपी के सदस्यों को उन स्थानो से अनुमति प्रदान करना जो कि क्षेत्रों (खदानों की परिधि से 75 कि.मी. तक की) से दूर है, मूल उद्देश्यों को नष्ट कर सकता है।

इस संबंध में आयोजित प्रणालीगत अध्ययन के दौरान सतर्कता सचिवालय के ध्यान में यह भीं आया कि परियोजना से अप्रभावित सदस्यों (पीएपी) द्वारा सस्थानों/साझेदार फर्म के परियोजना प्रभावित व्यक्ति को लाभ के उचित हिस्सेदारी से वंचित किया जा रहा है और योजना जिन उद्देश्यों से शुरू की गई थी, उस उद्देश्य को नष्ट किया जा रहा है। इस पहलू को संबंधित अधिकारियों द्वारा भी संबोधित करना होगा। पारदर्शिता के तत्व को इंजेक्ट करने हेतु यह सलाह दी गई कि सस्थान/साझेदार फर्म के पार्टनर को भुगतान बैक के खातों के जरिये किया जा सकता है। ताकि मुनाफे का उचित वितरण के असर को बनाए रखा जा सके तथा PAP सदस्यों के गैर-भुगतान/भुगतान के मामले से बचाया जा सके।

इस संबंध में एमसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सतर्कता सचिवालय के दिनांक 16.05.2016 के संदर्भ संख्या 913 के अनुसार गैर-पीएपी सस्थानों के कार्य को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया गया।

3. एमसीएल के परियोजना में पोर्टेबल विश्राम स्थल की खरीद में अनियमितताओं पर शिकायत पर आधारित जांच रिपोर्ट की छानबीन करने पर यह देखा गया कि विश्राम स्थल के विभिन्न खरीद दरों (कुछ परियोजनाओं में 87% के दरों का अंतर था) में अंतर था।इस तरह की स्थिति पोर्टेबल विश्राम स्थल की खरीद के लिए मानक विनिर्देश की अनुपलब्धता तथा दरों की सूची (SOR) के अभाव के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी के साथ उठी है। यदि सभी सुरक्षा सामाग्री के मानक खरीद हेतु सुरक्षा सामग्री की दरों की अनुसूची (SOR) आ गई हो, तो इससे बचा जा सकता है।

इस संबंध में, एमसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सुरक्षा सामग्री के खरीद में कुछ प्रणालीगत सुधार करने हेतु तथा राजस्व प्रकृति के सभी वस्तुएँ/उपकरण की खरीदी में कार्य निष्पादन गारंटी खंड को शामिल करने हेतु सतर्कता सचिवालय के दिनांक 20.06.2016 के संदर्भ संख्या 1085 के अनुसार सलाह दी गई। थोक खरीद के लिए सभी क्षेत्रों की आवश्यकताओं को इकट्ठा करने की भी सलाह दी गई

जो प्रतिस्पर्धा के साथ ही साथ रुचि के साथ काम करने वाले अधिकारियों तथा आपूर्तिकर्ता के बीच किसी भी तरह के गठजोड़ के विकास को रोकने के काम आएगा।

4. यह भी देखा गया कि कुछ संविदाओं से संबंधित निविदा औपचारिकताओं के साथ निपटने में एनआईआईटी के दायरे के भीतर तार्किक निर्णय पर पहुँचने हेतु आयोजित अनुसूचित निविदा विमर्श की बैठकों के लिए निविदा समिति के सदस्य स्वयं को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। निविदा समिति के सदस्य की तरफ से इस तरह के दृष्टिकोण के कारण, निर्णय की प्रक्रिया पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है,जिसके परिणामस्वरूप निविदा की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में पर्याप्त देरी हो रही है।

सतर्कता सचिवालय के ध्यान में यह भी आया कि कुछ निविदा समिति के सदस्य निविदा समिति के बैठक में निर्धारित समय पर शामिल नहीं हो रहे हैं तथा निविदा समिति के रिपोर्ट पर बाद की तारीख में पिछले दिनांकित हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षर कर रहे हैं। बाद में यह देखा गया कि कुछ निविदा समिति के सदस्य बैठक में शामिल होने के लिए यहा तक कि अपने अधिकार का प्रतिनिधित्व करने का कार्य ई-5/ई-6 के स्तर के कनिष्ठ अधिकारियों को देते हैं और अनुचित आधार का हवाला देते हुए वे उनके बदले में निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करते हैं ताकि ये सदस्य निविदा कार्यवाही को अंतिम रूप देने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया से दूर रहे।

उपरोक्त तथ्यों तथा कारणों को देखते हुए एमसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सतर्कता सचिवालय के दिनांक 08.07.2016 के संदर्भ संख्या 1176 के अनुसार सलाह दी गई कि वे निविदा समिति के विचार विमर्श को शीघ्र अंतिम रूप देने हेतु निर्धारित निविदा का सख्ती से पालन करने के लिए निविदा समिति के सदस्य को निर्देश दे। जिससे कंपनी के मूल्यवान समय को बचाया तथा संविदा की लागत/समय सीमा के रूप में भी प्रक्रिया को निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाया जा सके।

(5) इस तथ्य की पहचान करते हुए कि एमसीएल में संविदा के पोस्ट अवार्ड मेनेजमेंट एक दुर्गम क्षेत्र है, एमसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने पोस्ट अवार्ड स्टेज के दौरान संविदा की ऑनलाइन निगरानी के संबंध में वरीय तकनीकी निदेशक, एनआईसी के साथ चर्चा की। इस संबंध में, यह बताया गया कि ई-खरीदी पोर्टल के जरिये वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीदी पर एल-1 बोलीदाता की घोषणा होने तक नजर रखी जाएगी। अब निर्धारित समय के साथ संविदा के निपटान को परेशानी मुक्त सुनिश्चित करने हेतु ध्यान को पोस्ट पुरस्कार अनुबंध प्रबंधन पर केन्द्रित करना चाहिए। वरीय तकनीकी निदेशक, एनआईसी, चेन्नई के साथ चर्चा के दौरान करते समय यह देखा गया कि एमसीएल द्वारा इसके मौजूदा विभिन्न चरणों को स्पष्ट करते हुए परियोजनाओं जैसे वेब पोर्टल पर निमिष सुविधा के साथ परियोजना के जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण और प्रमुख गतिविधियों के लिए निर्धारित समय की समाप्ति पर मोबाइल आधारित ऐप/एसएमएस अलर्ट के जरिये आवश्यक विशेषताओं के साथ सम्बद्ध करने हेतु एक अवधारणा नोट बनाने की आवश्यकता है।

तदनुसार, ईएमडी/पीएसडी के जारी होने तक मसौदा योजना के निर्माण में मिल के पत्थर का संकेत देते हुए सभी प्रमुख चरणों को लेकर सतर्कता सचिवालय द्वारा एक प्रवाह चित्र(फ्लो चार्ट) तैयार किया गया ताकि उन्हें हमारी आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह जानकारी हो।

इस संबंध में, एमसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक को सतर्कता सचिवालय के दिनांक 27.08.2016 के संदर्भ संख्या 1507 के अनुसार अवलोकन करने, आवश्यक संशोधन तथा आगे की कार्यवाही हेतु सूचित किया गया।

6. विचारशील जानकारी के आधार पर सतर्कता टीम ने विभागीय सरफेस माइनर के लिए एमएआरसी (अनुरक्षण तथा मरम्मत संविदा) निष्पादन से संबन्धित तथ्यों तथा आकड़ों के सत्यापन हेतु ईब-वैली क्षेत्र और लखनपुर क्षेत्र के कुछ ओसीपी में औचक निरीक्षक किए।

एमएआरसी के तहत रखरखाव से संबंधित L & T के 05 सतह खनिक के संब्रंध में विभिन्न दस्तावेजों जैसे अनुबंध के शर्तों तथा निबंधनों, महीने की बिल, लोग बूक आदि के निम्नलिखित अवलोकन किए गए -

i) एमएआरसी का प्रदर्शन उक्त मशीन की गारंटीकृत वार्षिक प्रतिशत लाभ पर आधारित है तथा 80% और उससे ऊपर लाभ के लिए, कोई जुर्माना खंड लागू नहीं है। कुछ उदाहरणों में, यह देखा गया कि यद्यपि वहाँ मशीनों की वार्षिक उपलब्धता 80% से ज्यादा थी, लेकिन कुछ महीनों में मासिक उपलब्धता का प्रतिशत 80% से कम था, यद्यपि वार्षिक औसत उपलब्धता निर्धारित मानदंडों के अनुसार 80% थी, उन महीने में जहां उपलब्धता 80% से कम थी, इस माह के लिए पूर्ण भुगतान हेतु चालान बढ़ाए गए। उसके लिए स्पष्ट कारण है कि मासिक उपलब्धता को प्राप्त न करने के पर जुर्माना लगाने के लिए अनुबंध में कोई दंड प्रावधान नहीं है।

ii) समझौते के अनुसार एमएआरसी धारक पिछले महीने के मासिक चालान के भुगतान के लिए प्रत्येक महीने के 5 तारीख के भीतर जमा कर सकते हैं। यह देखा गया कि वहाँ एमएआरसी धारक की ओर से चालान को बढ़ाने में असाधारण देरी हुई है। कभी-कभी चालान कई महीने तक एकत्र किया गए थे। बिल जमा करने में देरी सरफेस माइनर की उपलब्धता के % में संभव संशोधन के संदेह को जन्म देता है।

(iii) दस्तावेजों के स्थान सत्यापन के दौरान यह देखा गया है कि एमएआरसी धारक द्वारा अनुबंध के शर्त एवं निबंधन के अनुसार विभिन्न खंडो जैसे आयल सैंपलिंग, संयुक्त संरचनात्मक जांच के अनुपालन का कार्य नहीं किया गया। अनुबंध में इसके गैर अनुपालन मामले में किसी दंडात्मक कार्यवाही का कोई प्रावधान नहीं है।

(iv) अनुबंध के शर्त एवं निबंधन यह मांग करता है कि ओईएम की सिफारिश के अनुसार प्रत्येक वर्ष इस संविदा की पूरी अवधि के लिए अनुरक्षण को जारी रखने हेतु एमएआरसी धारक वार्षिक कार्यक्रम तैयार करेंगे तथा उसे अनुमोदन हेतु एमसीएल के पास जमा करेंगे बाद में एमएआरसी धारक उपकरण के उपयोग के अनुसार आपूरित उपकरण के रखरखाव हेतु मासिक आधार पर अनुसूची प्रदान करेंगे। औचक निरीक्षण के दौरान यह देखा गया है कि दोनों का ही अनुपालन नहीं किया जा रहा है। अनुबंध में ऐसे गैर अनुपालन के मामले में किसी दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं है।

(v) अनुबंध के अनुसार एमएआरसी धारक प्राप्त घंटो के लिए पर्यवेक्षण शुल्क के रुप में एलएंडटी बनाने हेतु 580 रु. प्रतिघंटे तथा विरट्जन(wirtgen) बनाने हेतु 550 प्रति घंटे की दर से पाने के हकदार है, जो मशीन के बेकार घंटे को शामिल करता है। लखनपुर ओसीपी एल एण्ड टी-16 से संबंधित वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक उपलब्धता विवरणी से यह देखा गया की 8760 के कुल शिफ्ट में से बेकार घंटे 3046 घंटे अर्थात 34.5% था, जिसके लिए करीब रु. 17,66,680.00 (580 घंटे x 3046 घंटे) एमएआरसी धारक भारत को चुकाया गया। मशीन के उच्च बेकार घंटे न केवल कोयला उत्पादन के संबंध में बल्कि एमएआरसी धारक के लिए बेकार घंटे भुगतान के द्वारा भी एमसीएल को सीधे नुकसान पहुंचाता है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सतर्कता सचिवालय के दिनांक 19.9.2016 के संदर्भ संख्या 1640 के अनुसार एमएआरसी के शर्त एवं निबंधन के साथ कोलनेट में उपयुक्त तैयार प्रारूप तथा बेकार घंटे एवं टूटने तथा अनुरक्षण के लिए कम घंटे के साथ उसके कारण सहित कार्य घंटे के प्रतिदिन ऑनलाइन प्रविष्टि के अनुपालन की निंगरानी हेतु प्रणालीगत सुधार करने के लिए सूचित किया गया। ,

7. सामग्री प्रबंधन विभाग एमसीएल मुख्यालय द्वारा जटिल मशीनरी/उपकरण से संबंधित विभिन्न प्रकार के संविदा की खरीदी की जांच करते समय सतर्कता सचिवालय ने पाया कि निविदा के कार्य निष्पादन तथा अवार्ड में कुछ कमी की चूक/लापरवाही/अनियमितता हुई है, जिसके परिणाम स्वरुप निविदा के अंतिम परिणाम के आने में देरी हुई है।

सामग्री प्रबंधन विभाग के निविदा खरीदी जांच के आधार पर सतर्कता सचिवालय के दिनांक 29.09 2016 के संदर्भ संख्या 1710 के अनुसार एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को निम्न सुझाव दिए गए:-

निविदा की जटिलता पर विचार करते हुए एनआईटी बनाने के प्रक्रिया के दौरान बोली वैधता को कारण सहित लय किया जा सकता है, जिससे कि मूल वैधता अवधि के भीतर अच्छी तरह वेबसाइट पर अंतिम निर्णय के प्रगति तक निविदा प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। यह मूल बोली वैधता के भीतर निविदा को अंतिम रूप देने के लिए आयोग के परिपत्र निर्देशों के अनुरूप है।

कुछ असाधारण स्थिति में जहां बोली की अवधि को विस्तारित करने की मांग हुई है इसे वास्तविक समय में वैधता के साथ रिकॉर्ड में लाया जाए तथा उपयुक्त वैधता के तार्किक आधार पर उचित बढ़ाने की तथा इस विस्तारण प्रक्रिया को मूल बोली वैधता अवधि के भीतर निविदा अनुमोदन करने वाले अधिकारी के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

ऊपर उल्लेखित दोनों निविदा के एनआईटी दस्तावेज नियत करता है कि निविदाओं की बोली वैधता अवधि बोली के जमा की अंतिम तारीख की समाप्ति से कम से कम 120(एक सौ बीस) दिनों की होगी। मुख्य सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के उपरोक्त परिपत्र पर विचार करते हुए बोली जमा करने

की अवधि अंतिम तारीख से कम से कम 120 दिन खुली है तथा बोली के जमा करने की समाप्ति तारीख से कम से कम XXX दिनों की या इससे कम होने की विशेष आवश्यकता है, ताकि एक अंतिम तारीख तक तय निविदा को स्वीकार किया जा सके।

तकनीकी मानदंडों की व्यापक श्रेणी के साथ खरीद के तहत उपकरण/मशीनरी की जटिलता को ध्यान में रखते हुए, जिसमें पूर्व-निगमित बैठकों का संचालन करने के लिए मालिकाना वस्तुओं की खरीद, आपूर्ति के सीमित स्रोतों वाली वस्तुओं की खरीद आदि शामिल हैं, आवश्यकताओं के आधार पर उचित तकनीकी मापदंडों पर भावी/ज्ञात बोलीदाताओं को आने के लिए सलाह दी जाती है। इससे निविदा में बोलीदाताओं की संख्या भी बढ़ सकती है।

इसी तरह बोली-पूर्व बैठक भी एनआईटी में ऐसे उच्च दाम के जटिल उपकरण मशीनों के कमी की पहचान करने हेतु एक उचित विकल्प हो सकता है। अतः सामग्री के साथ ही साथ संबंधित उपयोगकर्ता विभाग उचित रूप से पूर्व एनआईटी बैठक के साथ पूर्व बोली बैठक के साथ पूर्व बोली बैठक आयोजित करने की सलाह देते हैं जब भी जटिल उपकरण मशीनो के खरीदी के दौरान ऐसा आवश्यक हो।

निविदा की प्रचलित प्रणाली के अनुसार एक बार जब बोली कीमत खोली जाती है तथा एल-1 बोली दाता की चुनाव कर लिया जाता है तो सिर्फ एल-1 बोली दाता को पुष्टि दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है और वहां किसी अन्य सहयोगी बोली दाता जैसे दूसरे सबसे कम एल-2 बोलीदाता सहित किसी बातचीत/वार्ता हेतु निविदा समिति के सदस्य के लिए कोई गुंजाइश नहीं होना चाहिए दोनों मामले, में यह भी देखा गया है कि निविदा समिति ने एल-2 बोली दाता की शिकायत की जानकारी ली है तथा उनके द्वारा शिकायतें/प्रतिनिधित्व में उठाए गए बिंदुओं पर कार्यवाही की है जो कि इस तथ्यों द्वारा जुड़ी हुई है कि निविदा समिति ने उसके बारे में टीसीआर निविदा समिति की सिफारिश में विचार विमर्श किया जिसमें निविदा के अंतिम रुप तक पहुंचने में देरी हुई है, इसी कारण निविदा समिति के सदस्यों के लिए निविदा दस्तावेज के मूल्यांकन के दौरान एल-2 बोली दाता से प्राप्त किसी प्रतिनिधित्व से बचना आवश्यक है कि मूल्यांकन के दौरान उसके निविदा निर्णय को प्रभावित कर सकता है।

8. असतत जानकारी के आधार पर अधोहस्ताक्षरी ने सतर्कता सदस्य के साथ कोयला लाभार्थियों के लिए खानों से निजी वाशरी तक कोयला के परिवहन से संबंधित समझौते ज्ञापन के अनुपालन की शर्तों के फील्ड सत्यापन हेतु दिनांक 13.10.2016 को जगन्नाथ क्षेत्र में निरीक्षण आयोजित किया गया है।

एमसीएल खदान से समर्पित निजी वाशरी मे कोयले के परिवहन के लिए एमसीएल तथा विभिन्न कोयला ग्राहक के बीच समझौता ज्ञापन को निष्पादित किया गया; जिससे लाभ के बाद उपभोक्ता द्वारा कोयला उठाया जा सके।

निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि ओड़िशा सरकार के समर्पित i3MS सॉफ्टवेयर के जरिए वे-ब्रिज पर सभी वाशरी वाहनों के लेनदेन किए गए थे लेकिन किसी भी वाहन में आंतरिक कोयला परिवहन

के मामले के अनुसार वे ब्रिज पर स्वत: वाहन की पहचान करने हेतु कोई आरएफआईडी टैग नहीं लगाया गया। यह भी देखा गया कि क्षेत्र/परियोजना अधिकारी के पास जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की जानकारी नहीं है।

सड़क के माध्यम से कोयला के परिवहन को रोकने हेतु पिछले कुछ सालों के दौरान सतर्कता सचिवालय ने विभिन्न पहलों की शुरूआत की। निजी वाशरी प्रचालक के द्वारा एमसीएल खदान से कोयला परिवहन के संबंध में ऊपर उल्लेखित मानदंडों का गैर अनुपालन एक गंभीर मामला है।

इस संबंध में सतर्कता सचिवालय के दिनांक 18.10.2016 के संदर्भ संख्या 1814 के अनुसार अति आवश्यक आधार पर निम्नलिखित निरोधात्मक कार्यवाही लेने हेतु एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सूचित किया गया।

i. समझौता ज्ञापन की शर्तो का पूर्ण अनुपालन करना।

ii. समर्पित कोयला भंडार,परिवहन मार्ग और प्रवेश-प्रस्थान द्वार पर वाशरी वाहनों के लोडिंग तथा परिवहन हेतु प्रस्थान द्वारा।

iii. क्षेत्र/परियोजना के नोडल अधिकारियों द्वारा जीपीएस व्हीकल ट्रैकिंग रिपोर्ट के साथ वे-ब्रिज की रिपोर्ट का दैनिक समाधान।

iv. वे-ब्रिज तथा प्रवेश एवं प्रस्थान द्वार पर आरएफआर्डडी रीडर्स के साथ सभी वाशरी मशीनों में आरएफआर्डडी टैग की शुरुआत करना।

v. वाशरी के परिवहन के लिए समर्पित वे-ब्रिजों के भीतर सीसीटीवी कैमरा लगाना।

vi. सक्रिय जिओ फैंस (भू-बाड़) क्षेत्र के तहत वाशरी परिवहन मार्ग को शामिल करने की संभावनाओं की खोज करना जिससे कि एमसीएल के अपने ई-निगरानी इकाई की सहायता से वाशरी मशीनों पर नजर रखी जा सकती है।

9. सीएसआर विभाग के दिनांक 06.10.2016 को जमा दी गई कृत कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार 2010-11 से 2014-15 तक अवधि के लिए आवंटित संचयी सीएसआर निधि के उपयोग प्रमाण-पत्र की प्राप्ति की कीमत 109.63 करोड़ थी जो कुल 196.73 करोड़ अर्थात 55.73% था और दिनांक 14.07.2015 के अनुसार 149.04 करोड़ अर्थात 9.98 % के ज़मा राशि की तुलना में 14.11 करोड़ की उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति एक उल्लेखनीय सुधार है वैसे आवंटित और संवितरित सीएसआर निधि की निगरानी और उपयोग प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में आगे सुधार करने की अभी भी काफी गुंजाइश है। बीच में उपर्युक्त अवधि के लिए एमसीएल के आंतरिक लेखा परीक्षण विभाग द्वारा सीएसआर व्ययों पर आयोजित लेखा परीक्षा से कई कमियों का पता चला, जिसमें एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सतर्कता सचिवालय के दिनांक 17.10.2016 के संदर्भ

संख्या 1805 अवलोकन करते हुए निष्पादन विंग द्वारा विशिष्ट ध्यान देने हेतु निम्नलिखित सुझाव दिए गए :-

क. उपयोगिता प्रमाण पत्र में अनुलग्नक दस्तावेज के रूप में जैसे निष्पादित कार्य के विरुद्ध संबंधित राज्य अधिकारी द्वारा जारी कार्य आदेश के रूप में अभिकर्ता को चुकाई गई बिल की प्रति तथा विभिन्न चरणों में पूरे किए गए कार्य के फोटो तथा अंतिम रुप से किए गए कार्य के फोटोग्राफ को जल्द शामिल किया जाना चाहिए। फंड को आगे जारी करने हेतु प्रमुख स्थानों पर सीएसआर परियोजना की जानकारी का मानक निर्धारित किया जाना चाहिए।

ख. नए कार्य के लिए नए फण्ड जारी से पहले जिला अधिकारी से पहले किए गए कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र को संतुलन प्रदान करने हेतु पूछा जा सकता है।

ग. यह अनुभव किया गया कि विविध कार्य के नाम पर किसी भी फंड को मनमाना जारी नहीं करना चाहिए। एमसीएल/सीआईएल की सीएसआर नीति के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों का तथा सीएसआर के तहत किए जाने वाले कार्यों की सूची का सख्ती से पालन होना चाहिए।

घ. किसी विशिष्ट कार्य के लिए जारी फंड उपर्युक्त कार्य के लिए समय सीमा के भीतर अगर नहीं उपयोग में लाया गया तो सीएसआर प्रकृति की दूसरे कार्यों में उसके उपयोग के लिए उसे एमसीएल को ब्याज सहित वापस लौटाया जाना चाहिए।

ङ. उपर्युक्त बिंदु के लिए, कार्य के निष्पादन हेतु एमसीएल तथा राज्य अधिकारी को समझौता ज्ञापन को जरूर अंतिम रुप देना चाहिए जिसमें कि भुगतान का तरीका, भुगतान अनुसूची, समय निर्धारण तथा अन्य बिंदुओं को प्रभावी कार्य प्रबंधन के लिए जैसा आवश्यक अनुभव को उसी रूप में उल्लेख किया जाना चाहिए।

च. सीएसआर फंड प्राप्त करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को सरकारी जैसे एनजीओ/सोसाइटी/क्लब आदि संस्थानों के साथ जरूर रजिस्टर करना चाहिए तथा उनके द्वारा किए गए व्यय को एक स्वतंत्र लेखा परीक्षण द्वारा लिखा परीक्षित किए जाने की आवश्यकता है।

10 लखनपुर क्षेत्र में संस्थापित एकीकृत इंधन प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएम) के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए दिनांक 12.11.2016 को सतर्कता सचिवालय एमसीएल के अधिकारियों ने लखनपुर क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली के सेवा प्रदाता द्वारा अपने कार्यों पर एक प्रस्तुति की गई। इस संबंध में प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत इस प्रणाली पर निम्नलिखित विशेषताओं के निगमन हेतू सतर्कता सचिवालय के दिनांक 23.11.2016 के संदर्भ संख्या 2150 के अनुसार एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को निम्न सुझाव दिए गए-

क. निस्तारण प्रबंधन मॉडल - हमारे भूमिगत जलाशय में निस्तारण किए जा रहे हैं एचएसडी के वास्तविक गुणवत्ता को जानने के लिए इससे मदद मिलेगी।

ख. प्रवाह मीटर प्रबंधन (फ्लो मीटर मैनेजमेंट) - यह पीओएल कंपनी से एचएसडी के इनपुट गुणवत्ता का क्रॉस चेक करेगी।

ग. चोरी विरोधी प्रबंधन (एंटी थेफ्ट मैनेजमेंट)-यह उपयोगकर्ता की ओर से वाहन एचईएमएम से छुटपुट चोरी को नियंत्रित करेगी।

घ. डीजल के वाउचर पर जीपीआरएस- यह वाहनों के वास्तविक समय की गति की निगरानी करने में मदद करेगा तथा किसी संभावित चोरी को रोकने में मदद करेगी।

ङ. सुविधाजनक मोर्चे पर सीसीटीवी कैमरा के उच्च संकल्प के संस्थापना हेतु- यह शामिल दोषी की पहचान करने में हमारी मदद करेगा तथा पीओएल चोरी से संबंधित रैकेट को भंग करने के लिए हमें सक्षम बनाएगी।

11. एमसीएल के वसुंधरा क्षेत्र में दिनांक 15.11.2016 को सतर्कता सदस्य के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा किए गए औचक जांच के दौरान निम्नलिखित चूक पाए गए तथा सतर्कता सचिवालय के दिनांक 25.11.2016 के संदर्भ संख्या 2163 के अनुसार प्रणालीगत सुधार करने हेतु एमसीएल के अध्यक्ष-प्रबंध-निदेशक को सुझाव दिए गए।

खदान को बंद करने के अनुबंधों में देरी -

जांच के दौरान यह देखा गया कि 18 अनुबंध बंद करने के लिए लंबित थे खनन अनुबंधों को बंद करने में देरी होने के परिणामस्वरुप ठेकेदारों की सुरक्षा जमा आदि जारी करने में देरी हो रही है तदनुसार संविदा की अच्छी तरह से निश्चित समय में बंद करने हेतु प्रस्तावों की शुरुआत करने का सुझाव दिया गया।

12. सतर्कता दल की अगुवाई वाली टीम ने केंद्रीय अस्पताल, ईब वैली क्षेत्र में दौरा किया। दौरे के बाद तत्काल सुधार हेतु सतर्कता सचिवालय के दिनांक 16.11.2016 के संदर्भ संख्या 2030 के अनुसार एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को निम्नलिखित प्रणालीगत सुधारों का सुझाव दिया गया:-

क. आवश्यकताओं से निपटने के लिए विभागीय पर्यवेक्षण के अंतर्गत व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों का परिनियोजन करना तथा अस्पताल के अंदर आगंतुकों को रोकने के लिए अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह के लिए आवश्यकता अनुसार सुरक्षा मानकों तथा बचाव में वृद्धि होगी।

ख. ओएचएसएएस की आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए अग्निशमन योजना/स्वचलित अग्निदमन प्रणाली सीसीटीवी निगरानी के अंतर्गत अस्पताल को लाया जा सकता है। उसके नियमित कार्य आवंटन के संबंध में अग्निशमन सहित सुरक्षा तथा बचाव व्यवस्था हेतु अस्पताल में पदस्थापित कार्मिक अधिकारी को जवाबदेह बनाया जा सकता है।

ग. दीर्घ अवधि के सुधार के लिए सुविधाओं जैसे आईसीयू, एक्स-रे यूनिट, मोबाइल मेडिकल यूनिट/स्टीम कुकिंग सिस्टम तथा साधारण और विशिष्ट डॉक्टरों/पेशेवर अस्पताल प्रबंधक तथा तकनीकों की पर्याप्त संख्या में सुधार/जुड़ाव/स्थानांतरण द्वारा अस्पताल की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि के लिए एक अध्ययन किया जा सकता है।

घ. अस्पताल के लाभकारी उपयोग के लिए निजी चिकित्सा सुविधाओं के खान-पान में शामिल बाहरी खिलाड़ियों के प्रभाव पर नियंत्रण करने हेतु PPE अधिनियम 1972 के धारा के अंतर्गत बेदखली के लिए कदम उठाया जा सकता है।

13. यह देखा गया है कि सतह खनिज की खरीदी के लिए निविदा तय नहीं की गई। मूल बोली वैधता अवधि के भीतर बाद में एल-1 बोली दाता की बोली वैधता को सतर्कता विभाग द्वारा हस्तक्षेप की तारीख तक निविदा अधिकारी द्वारा बोली वैधता अवधि से अधिक भी नहीं बढ़ाया गया तथा इसके बाद एल-1 बोलीदाता द्वारा दो बार बोली वैधता अवधि को बढ़ाया गया था बाद में तत्काल मामले में एमसीएल के व्यवहार के विरुद्ध निविदा समिति के सदस्य ने L1 बोलीदाता के अलावा दूसरे बोलीदाता के प्रतिनिधित्व पर आधारित कार्यवाही की जिसके परिणाम स्वरुप निर्णय लेने में देरी हुई है।

यह भी देखा गया कि निविदा समिति के सदस्य अनुभव तथा विशेषज्ञता के अभाव में निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय लेने में असफल रहे यह निविदा से निपटने वाले अधिकारियों के दिमाग में गलती के डर होने के कारण भी हुआ है।

इस संबंध में एनआईटी के शर्त एवं निबंधन के अनुसार कड़ाई से निविदा को अंतिम रूप देने के लिए संबंधित निदेशालय को निर्देशन करने हेतु सतर्कता सचिवालय के दिनांक 22 12 2016 के संदर्भ संख्या 2362 के अनुसार एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को सूचित किया गया बाद में सभी प्रकार के निविदा गतिविधियों से विशेष लेनदेन हेतु मुख्यालय साथ ही साथ क्षेत्रीय स्तर पर समर्पित निविदा की अवधारणा का पता लगाने के लिए सलाह दी गई।

14. एमसीएल के विभिन्न विभागों से ल्यु लिव रजिस्टर के दौरान निम्नलिखित कमियों की पहचान की गई:-

I. ज्यादातर रजिस्टर में लिए गए एलएल की तारीख का उल्लेख नहीं किया गया तथा इसी कारण यह पता नहीं किया जा सकता कि क्या इसे प्राप्त करने के 3 महीने के भीतर लिया गया या नहीं।

II. ज्यादातर मामले में उन अधिकारियों के जिन्होंने एलएल लिया है, उनके ईआईएस संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है।

III. कुछ मामलों में नियंत्रक अधिकारी ने रविवार/सार्वजनिक छुट्टी को अनुमोदित नहीं किया जिसके बिना उन गैर अनुमोदित रविवार/सार्वजनिक छुट्टी के एवज में एलएल प्राप्त नहीं किया जा सकता।

इस संबंध में सतर्कता सचिवालय के दिनांक 27.01.2017 के संदर्भ संख्या 206 के अनुसार एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को निम्नलिखित सुझावों के साथ सूचित किया गया:-

क. इसे प्राप्त करने की 3 महीने की अवधि के अंदर एलएल का लाभ उठाया जाना चाहिए।

ख. एलएल के रिकॉर्ड के रखरखाव हेतु संबंधित विभाग के नियंत्रण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

ग. एलएल रजिस्टर की स्पष्टता तथा स्वच्छता सभी मामले में बनाए रखा जाना चाहिए।

15. महीने के दौरान सतर्कता सदस्य ने ब्लांडा ओल्ड वर्कशॉप साइट तथा जगन्नाथ रिजनल स्टोर, जगन्नाथ क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि लंबी अवधि से ब्लांडा ओल्ड वर्कशॉप साइट पर स्क्रैप सामग्री अनाधिकृत रूप से पड़ी हुई है इसलिए स्क्रैप सामग्री को अपनाने से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृति को रोकने के लिए सतर्कता सचिवालय के दिनांक 04.01.2017 के संदर्भ संख्या 15 के अनुसार एमसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक को निम्नलिखित प्रणालीगत सुधारों मानदंडों का सुझाव दिया गया-

1. एक समर्पित तथा विशेष रूप से मुख्यालय स्तरीय समिति के जरिए एमसीएल के सभी क्षेत्रों में पुरानी कर्मशाला साइट कोलियरी स्टोर आदि में पड़े सभी कबाड़ सामग्री (अधिकृत और अनाधिकृत) का लेखा परीक्षा।
2. यदि अनाधिकृत सामग्री की पहचान की जाती है, तो इसे ध्यान में लाया जाना चाहिए तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अनाधिकृत सामग्री रखने का आरोपों लगाया जाना चाहिए।
3. चोरी से बचने हेतु समयबद्ध तरीके से कबाड़ सामग्री के निपटान में तेजी लाने के लिए।

2. <u>दंडात्मक सतर्कता:</u>

प्रतिवेदन अवधि- 01.04.2016 से 31.03.2017 तक के दौरान अन्वेषण जांच आदि के लिए दर्ज किए गए सतर्कता मामलों का विवरण:

	विवरण	01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि	शामिल कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
(क)	सतर्कता मामले की कुल संख्या	13	59	
(ख)	विभागीय कार्यवाही के लिए दर्ज किए गए कुल मामलो की संख्या।	09	41	
	i) मेजर पेनल्टी कार्यवाही की संख्या	04	26	
	i) माइनर पेनल्टी कार्यवाही की संख्या	05	15	

	विवरण	01.04.2016 से 31.03.2017 तक की अवधि	शामिल कर्मचारियों की संख्या	टिप्पणी
(ग)	मामलों की कुल संख्या जिसमें दंड लगाया गया	05	10	05 मामलों में एक मामले का निपटान 03 कर्मचारियों को सावधानी बरतने

	मेजर	01	01	हेतु पत्र दिया गया। एक मामले में 01 कर्मचारी को बर्खास्तगी का बड़ा दंड लगाया गया । 03 मामले में 06 कर्मचारियों पर निंदा/सावधानी पत्र देकर छोटा दंड लगाया गया ।
	माइनर	03	06	

3. **कर्मचारियों का क्रमावर्ती**

कंपनी में संवेदनशील पदों/विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए क्रमवर्ती की व्यवस्था है । प्रतिवेदन अवधि के दौरान 398 कर्मचारियों को क्रमवर्तित किया गया । इसमें वे अधिकारी भी शामिल है जिनका नाम वर्ष 2016 के लिए " सहमति सूची" (**Agree List**) और " संदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले आधिकारियों की सूची" में है ।

4. **सीवीसी मामले :**

मुख्य सतर्कता आयुक्त से संबन्धित मामलें प्रतिवेदन अवधि के दौरान, हिंगुला ओसीपी के एनआईटी -731 के अंतर्गत कार्य करार के गैर-निष्पादन से संबन्धित 1 मामला को प्रथम चरण के सलाह के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त के पास भेजा गया ।

5. **संसदीय प्रश्न**

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान 11 संसदीय प्रश्नों का जवाब दिया गया ।

6. **सूचना का अधिकार अधिनियम**

प्रतिवेदन वर्ष के दौरान सूचना के अधिकार से संबन्धित 21 प्रश्नों का जवाब दिया गया ।

7. **प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण**

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया को मासिक,तिमाही,वार्षिक प्रतिवेदन समय पर प्रेषित किया गया ।

8. **सतर्कता निकासी**

वर्ष के दौरान, निदेशक, वरिष्ठ कार्यपालक और गैर-कार्यपालक स्तर के अधिकारी सहित 9498 कर्मचारियों का पदोन्नति, परिवीक्षा, अधिवर्षिता मामलों से संबंधित सतर्कता अनापत्ति स्थिति कोल इंडिया लिमिटेड/ कोयला मंत्रालय / मुख्य सतर्कता आयुक्त को प्रस्तुत किया गया ।

9. **पारदर्शिता**

एमसीएल सतर्कता सचिवालय कंपनी के दैनांदिन क्षेत्रीय और कार्यालयीन संव्यवहार में पारदर्शिता लाने के लिए निम्नलिखित सूचना तकनीकी आधारित पहलों के परिचय और कार्यान्वयन के लिए ज़िम्मेदार है :

9.1 **आरएफ़आईडी (RFID) के साथ इन-मोशन रोड वेब्रिज का पुनः स्थापना और इसका कोलनेट से संयोजन ।**

आरएफ़आईडी/आईपी कैमरे के साथ इन-मोशन वेब्रिज एक पारी में इलेक्ट्रोनिक स्टैटिक वेब्रिज के 200 टीपर्स की तुलना में 800 टीपर्स की तौल सुनिश्चित करता है इससे कोयला तोल प्रतिशत में 10-15 % और 90-95% तक की वृद्धि हुई है , इससे दैनांदिन स्तर पर तैयार होंने वाले कोयला उत्पादन आंकड़ों में प्रकलन समायोजना की संभावना में कमी हुई है। आरएफ़आईडी टैग के अंदर सिर्फ अधिकृत कॉल टिपर्स के प्रवेश को सुनिश्चित करना है । ईलेक्ट्रोनिक और इन-मोशन वेब्रिज में लगे आईपी कैमरे के कारण आरएफ़आईडी टैग संस्थापित कॉल टीपर्स के प्रवेश की दुतरफा पड़ताल से सभी कॉल टीपर्स पर निगरानी में वृद्धि हुई। कोलनेट कोयला तुलाई आंकड़ों का केन्द्रीय सर्वर में वास्तविक समय में प्रेषण सुनिश्चित करता है। इससे दैनंदिन स्तर पर तैयार होने वाले कोयला उत्पादन अंकोड़ों में हेरफेर करने की संभवत: में कमी आई है ।

9.2 **जीपीएस आधारित वेहिकल ट्रेकिंग सिस्टम (VTC) का संस्थापन और कोयला उठाईगीरी रोकने के लिए खनन क्षेत्र की भू-घेराबंदी**

एमसीएल के खनन क्षेत्र में संयोजित 1800 कोयला ढुलाई का टिपर्स जीपीएस/जीपीआरएस और वेहिकल ट्रेकिंग सिस्टम की निगरानी के लिए विकसित एक समर्पित पोर्टल यानि www.mclvts.in से युक्त कर दिया गया है। साथ ही सिस्टम प्रेरित रिपोर्ट इस तरह तैयार किया गया है कि, फेरो की संख्या, टीपर्स द्वारा तय किया गया मार्ग, संविदा-आधापि और टीपर-आधारित मार्ग उलंघन रिपोर्ट प्राप्त किया जा सकता है। कोयला चोरी को रोकने के लिए उपर्युक्त वेब पोर्टल मेन खनन क्षेत्र का भू-घेराबंदी क्रिया गया है। जीपीआरएस आधारित वीटीएस के संस्थापन से कोयला परिवहन के पारदर्शिता एवं प्रभावी निगरानी में और अधिक वृद्धि हुई है । साथ ही, समर्पित पोर्टल द्वारा दर्ज की गई दूरी के आधार पर वाहन ठेकेदारों को सही भुगतान किया जाना सुनिश्चित करता है इस ई-पहल के अन्य लाभ कोयला ढुलाई टिपर्स के गतिविधियों का ऑनलाइन निगरानी रहा है उससे कोयला के दुलाई की कार्यक्षमता में वृद्धि हुई है।

सभी ओबी ढुलाई डंपर्स और कोयला टीपर्स सहित सभी एचईएमएम पर जीपीएस आधारित 3483 वीटीएस की आपूर्ति के लिए दर संविदा सांपन्न किया गया है । 2494 जीपीएस आधारित वीटीएस के लिए आदेश जारी कर दिया गया है और उसमें से 2305 की सुपुदर्गी हो गई है और संस्थापनाधीन है ।

9.3 **परिचालन कार्यक्षमता एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण में वृद्धि के लिए अनुवीक्षण ई-निगरानी इकाई का कार्यान्वयन ।**

खदान क्षेत्रों में ईलेक्ट्रोनिक निगरानी के माध्यम से भरण और परिवहन गतिविधियों के उच्चतर पारदर्शिता में वृद्धि मुख्य बिन्दु है। इस उद्देश्य के लिए 44 सीसीटीवी और 91 आईपी कैमरे संस्थापित किए गए हैं। ई-पहलों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय स्तर पर 9 कंट्रोल रूम चालू किए

गए हैं और ई-निगरानी इकाई स्थापित किया गया है। यह विभिन्न खनन परियोजना में भ्रष्टाचार रोक कर बेहतर पारदर्शिता के संदर्भ में सकारात्मक परिणाम दे रहा है। इससे कोयले की गुणवत्ता और मात्रा की गहरी निगरानी से भी हुई है। रेलवे वैगन की लदान अवधि 5-6 घंटे से 3-4 घंटे कम हुई है। इस प्रकार से एमसीएल द्वारा वहन किए जाने वाले विलंब प्रभार में कमी आई है ।

इसके अतिरिक्त, एमसीएल के कोयला खनन परियोजनाओं के प्रवेश / निकास स्थान और घर में 35 सीसीटीवी कैमरा भी संस्थापित किए गए हैं ।

एमसीएल के 09 क्षेत्रीय भंडार और 02 केन्द्रीय भंडार में 376 सीसीटीवी कैमरा (बाहन और आंतरिक संस्थापना के लिए 21 आईपी पीटीज़ेड, उच्च हाइ डेफ़िनेशन 355 आईपी बॉक्स/बुलेट कैमरा) का कार्यदेश भी निर्गत कर दिया गया है ।

9.4 **असफल बोलीदाताओं को ईएमडी का ऑनलाइन स्वतः प्रतिदाय**

आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को बयाना जमा राशि (ईएमडी) के प्रतिदाय में देरी एक भ्रष्ट परिपाटी के लिए अतिसंवेदनशील क्षेत्र था। इस मुद्दे को हल करने के लिए ग्राहकों को ईएमडी के स्वतः-प्रतिवेदन सुनिश्चित करने के लिए "सिस्टम चालित स्वतः प्रतिदाय को एक सार्वकालीक समाधान के रूप में सोचा गया। सिस्टम चालित प्रतिदाय तंत्र की शुरुआत नवंबर,**2013** में हुई/तभी से ई-निविदा पोर्टल द्वारा असफल/अस्वीकृत बोली की घोषणा के उपरांत प्रतिदाय राशि आपूर्तिकर्ता निविदाकर्ता के खाते में स्वतः पुनः प्रेषित कर दी जा रही है ।

वर्ष 2016-17 के दौरान 4292 असफल/अस्वीकृत आपूतिकर्ताओं/बोलीदाताओं को ऑटो-मोड में 13.63 करोड़ की प्रतिदाय राशि परेशानी मुक्त तरीके से वापस कर दी गई है। इससे भ्रष्ट परिपाटी से संबंधित शिकायतों की संख्या में कमी हुई है, बोलीदाताओं की भागीदारी बढ़ गई है और विक्रेता आधार में भी सुधार हो रही है ।

9.5 **कोलनेट का स्थिरीकरण -**

कंपनी के कोलनेट के स्थिरीकरण का विस्तार ओएफ़सी/रेडियो नेटवर्क के माध्यम से 2700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हुआ है। यह ऑनलाइन बिल स्थिति, कोयला उत्पादन, पीआईएस, वित्तीय जवाबदेही, सामग्री प्रबंधन आदि से संबंधित एक महत्वपूर्ण आँकड़े भंडार के रूप में बना है। यह सतर्कता सचिवालय के नियमित क्षेत्रीय दौरे एवं निरंतर प्रयासों द्वारा सतत कार्यवाही के फलस्वरूप संभव हो पाया है ।

कोयला ढुलाई कार्य, सुरक्षा और अन्य वार्षिक संविदा में नियुक्त संविदा मानवशक्ति की उचित निगरानी के लिए पीआईएस मॉड्यूल के बारे में सोचा गया और तदनुसार मॉड्यूल कोलनेट पर बनाया गया। यह संविदा कार्यो के निष्पादन और कामगारों के भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। कोलनेट के आँकड़े भंडार का "संविदा बिलों का वास्तविक समय निगरानी" में प्रभावी उपयोग किया जा रहा है जो भ्रष्ट प्रथाओं में प्रवृत आलोचनीय क्षेत्रों में से एक था ।

कोलनेट के माध्यम से संविदा बिलों के वास्तविक समय निगरानी द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान रु. 835.93 करोड़ रुपये के संविदा बिलों का भुगतान फ़र्स्ट इन फ़र्स्ट आउट के आधार पर किया गया। वर्ष 2012 से पूर्व संविदा बिलों के भुगतान में 3 महीने तक का विलंब होता या जो अब 15 दिनों तक आ गई है। इसका परिणाम यह हुआ है कि संविदा बिलों के भुगतान से संबंधित शिकायतों की संख्या में भरी कमी आई है।

बिक्री एवं विपणन मॉड्यूल- एमसीएल कोलकाता कार्यालय की बिक्री संबंधी गतिविधियों को एमसीएल के कोलनेट सर्वर में स्थानांतरित कर दिया गया है। सही- विक्री के बयाना जमा राशि का प्रतिदाय एमसीएल के कोलनेट सर्वर पर किया जा रहा है। कोलनेट पर बिक्री एवं विपणन मॉड्यूल ने डीओ **(DO)** के निर्गम के ऑनलाइन निगरानी को सक्षम बनाया है। वर्ष 2015-16 के दौरान 337 ग्राहकों को डीओ की समाप्ति के एक माह के अंदर रू.159.36 करोड़ के कोयला बिक्री मूल्य का प्रतिदाय किया गया ।

एमसीएल मुख्यालय, एमसीएल भुबनेश्वर और कोलकाता कार्यालय में वित्तीय सूचना प्रणाली कम कर रही है और इसे क्षेत्रों के आवश्यकता के अनुरूप संशोधित भी किया गया है । यह प्रणाली ईब वैली के सभी क्षेत्रों, बसुंधरा क्षेत्र और जगन्नाथ क्षेत्र में पहली से ही लागू की जा चुकी है ।

उत्पादन सूचना प्रणाली- यह मॉड्यूल दैनिक कोयला उत्पादन एवं ओबीआर और कोयला ढुलाई आंकड़ो का इन- मोशन और ईलेक्ट्रोनिक स्टाटिक वेब्रिज से केन्द्रीय सर्वर में ऑनलाइन प्रेषण की निगरानी के लिए क्रियाशील किया गया है ।

मुख्यालय में पेरोल मॉड्यूल और बायोमेट्रिक उपस्थिती प्रणाली संचालित की गई तथा ऐसे ही मॉड्यूल को मानव संसाधन के प्रभावी प्रचालन हेतु सभी क्षेत्रों तथा परियोजनाओं में लागू करने के लिए कार्रवाई की गई।

9.6. ई-प्रोक्योरमेंट:

एमसीएल में ई-प्रोक्योरमेंट कार्यों, सेवाओं एवं सामानों के निविदा के लिए अगस्त 2009 से शुरू किया गया था। सभी खुली निविदाएँ जिनका अनुमानित मूल्य 2.00 लाख रु. से ज्यादा है उनको एमसीएल में ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल अर्थात www.mcltenders.gov.in. पर जारी किया जा रहा है। यह पोर्टल एनआईसी (NIC) द्वारा तैयार किया गया है और सभी सुरक्षा मानको का अनुपालन करता है और सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को भी भी पूरा करता है।

वर्ष 2016-17 के दौरान 2068 निविदाएँ जिनका तत्समान मूल्य 2940.51 करोड़ रु. था, को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर जारी किया गया। एमसीएल के मौजूदा ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली के सिद्धांतों और सफल कार्यान्वयन को सभी अनुषंगी कंपनियों के लिए ई-प्रोक्योरमेंट के एकल मंच विकसित करने के लिए सीआईएल के साथ साझा किया गया है।

2 लाख रु. से कम के निविदाओं में पारदर्शिता लाने के लिए निविदा सूचनाओं को एमसीएल के वैबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है जिससे प्रचार और भागीदारी में वृद्धि होगी। वर्ष 2016-17 के दौरान 8762 निविदाएँ जिनका तत्समान मूल्य 49.76 करोड़ रु. था, को वैबसाइट पर अपलोड किया गया।

9.7 3 डीटीएलएस :

3 डीटीएलएस (2 ईब वैली क्षेत्र के लिए तथा 02 तालचेर कोलफील्ड्स के लिए 04 की स्वीकृति के लिए कार्रवाई की गई तथा 3 उसकी निविदा को दिनांक 08.06.2016 (कुल मूल्य 7.26 करोड़) को खोला गया लेकिन निविदा में जिस बोलीदाता ने प्रतिभागिता नहीं की, बाद में टीपीएस की संशोधित किया तथा उसका किया गया जनवरी, **2017** में निविदा को खोला गया तथा दस्तावेजों की कमी के कारण दो बार उसका पुनः नवीनीकरण किया गया। इसे अभी भी अंतिम रूप दिया जाना है ।

9.8 <u>सरपैक (SURPAC) सॉफ्टवेर का प्रयोग करते हुए कोयला भंडार का मापन।</u>

सतर्कता सचिवालय के सलाहकारी टिप्पणी संदर्भ क्रमांक 1978 दिनांक 21.11.2013 के आधार पर सर्वेक्षण मापन में उच्चतर निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए मेसर्स ईडीएस टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर को संदर्भ क्रं. 19 दिनांक 22.06.2015 को अनुसार सरपैक **SURPAC** सॉफ्टवेर के लिए 03 लाईसेंस के प्रापण (खरीद) के लिए क्रय आदेश जारी किया ।

9.9 फ़ाइल ट्रैकिंग सिस्टम:

संविदा समाप्ति, प्राप्ति, आश्रितों को रोजगार से संबंधित फाइलों के मुवमेंट में अत्यधिक विलंब को देखते हुए सतर्कता सचिवालय के संदर्भ क्र. 1483 दिनांक 24.07.2015 के अनुसार प्रबंधन को प्रणालीगत सुधार उपाय का प्रस्ताव रखा गया जो कि मामलें एवं फ़ाइलें अनिश्चित काल से लंबित थे उन्हे संबंधित विभाग प्रमुख द्वारा उस निश्चत फ़ाइल पर उचित कारण के साथ विधिवत अनुमोदित कराकर लाई गई ओवर टिल (Lie Over Till) के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए। इसके सार्वकालिक समाधान के लिए दिनांक 15.08.2015 से कोलनेट पर फ़ाइल ट्रेकिंग प्रणाली स्थापित की गई।

परिणामस्वरूप प्रबंधन ने फ़ाइलों को सिर्फ एफ़टीएस (FTS) के माध्यम से प्रेषित करने हेतु कदम उठाया।

लेकिन सतर्कता सचिवालय ने पाया कि फ़ाइल ट्रेकिंग प्रणाली का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं है और अभी भी बड़ी संख्या में फ़ाइलें एफ़टीएस (FTS) के माध्यम से नहीं भेजी जा रही है। इसलिए अन्य सलाहकारी पत्र, सतर्कता संदर्भ क्र. 2549 दिनांक 26.12.20215 भी सभी फाइलें एफ़टीएस के माध्यम से भेजने लिए कंपनी के सीईओ को भेजा गया।

परिणामस्वरूप निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) द्‌वारा भी सभी फाइलों को सिर्फ एफ़टीएस के माध्यम से ही भेजने का आदेश निर्गत किया गया।

10. **सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2016 का निरीक्षण:** केंद्रीय सतर्कता आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशानुसार महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, सम्बलपुर में दिनांक 31 अक्टूबर 2016 से 05 नवंबर 2016 तक मुख्यालय एवं इसके सभी क्षेत्रों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

<u>एमसीएल मुख्यालय</u>

दिनांक: 31.10.2016

सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह-2016 दिनांक 31.10.2016 को शपथ के साथ शुरू की गई जिसमें एमसीएल के सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया, इस साल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषयवस्तु "राष्ट्रीय अखंडता" जो बढ़ावा देने तथा भ्रष्टाचार का उन्मूलन में जन भागीदारी अनुरूप एक सेमिनार दिनांक 31.10.2016 की एमसीएल मुख्यालय में आयोजित किया गया जिसमें भी श्री अनिल कुमार झा, अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक के साथ मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा एमसीएल के सभी कर्मचारी/अधिकारी उपस्थित थे ।

विभिन्न श्रम संघ का प्रतिनिधियाँ करने वाले जेसीसी (संयुक्त सलाहकार समिति) के सदस्यों के साथ एमसीएल मुख्यालय के सभी अधिकारी/कर्मचारीगण तथा परियोजन क्षेत्रों के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी सेमिनार में शामिल हुये ।

दिनांक-01.11.2016

सम्बलपुर और इसके आसपास के स्कूल के छात्रों के लिए दिनांक 01.11.2016 को एक वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। एमसीएल में जागृति महिला मण्डल (एक सामाजिक कल्याण संस्थान) ने उक्त वाद-विवाद प्रतियोगिता के लिए छात्रों के कार्य निष्पादन के निर्णयन में सक्रिय रूप से भागीदारी की और उन्हें सक्रिय भागीदारी के लिए पुरस्कार भी प्रदान किया गया ।

दिनांक-02.11.2016

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के एक भाग के रूप में दिनांक 02.11.2016 को एमसीएल मुख्यालय में बोलीदाता बैठक आयोजित की गई जिसमें श्री एस.के. मोहंती, भारतीय राजस्व सेवा (सेवानिवृत) ने एमसीएल के स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम)के रूप में भाग लिया । बोलदाता बैठक के दौरान, उन्होंने सिविल,परिवहन और अन्य संविदा के संबंध में अपना विचार/शिकायतों/सुझाव व्यक्त किया। इस बैठक में परियोजना क्षेत्रों से महाप्रबंधक एवं विभिन्न शाखाओं के कर्मचारी/अधिकारी कंपनी मुख्यालय से महाप्रबंधक/विभाग प्रमुख और कर्मचारी/अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में अधोहस्ताक्षरी के साथ कार्यकारी निदेशकगण भी शामिल हुए। बोलीदाताओं के साथ यह संविदात्मक सत्र ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं द्‌वारा सामना किए जाते हैं। निम्न स्तर की समस्याओं को जानने में यह सहायक था। स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर/कार्यात्मक निदेशकों/सीवीओं ने अपने हितधारकों

को उनके शिकायतों के निवारण का आश्वासन दिया। शिकायतों से संबंधित विभागों द्वारा आगे की कारवाई की जाएगी ।

दिनांक-03.11.2016

दिनांक 03.11.2016 को ईब वैली कोयला क्षेत्र के फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित की गई जिसमें सतर्कता दल के साथ अधोहस्ताक्षरी ने कर्मचारी, अधिकारी और विभिन्न श्रम संघ के जेसीसी सदस्यों के साथ बातचीत की सभी उपस्थित लोगों को नागरिकों एवं संगठन के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा कराई गई ।

उसी दिन,विद्युत एवं यंत्रिकी, सिविल, संविदा प्रबंधन कक्ष, सामग्री प्रबंधन आदि के महाप्रबंधक/विभाग प्रमुखों ने अपने-अपने क्षेत्र में बोलीदाताओं/उपभोक्ताओं/हितधारकों के साथ ईमानदारी और भ्रष्टाचार-उन्मूलन को प्रोस्ताहन देने और उनके शिकायतों/सुझावों को जानने के लिए एक संवादात्मक सत्र का आयोजन किया ।

इसके अलावा, उसी दिन, एमसीएल मुख्यालय के कर्मचारियों के लिए वाद-विवाद और महिलाओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई और उन्हें सक्रीय भागीदारी के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए ।

दिनांक -04.11.2016

दिनांक 04.11.2016 को तालचेर कोलफील्ड्स के क्षेत्र (फील्ड) अधिकारियों तथा कर्मचारियों के साथ एक संवादात्मक सत्र आयोजित की गई जिसमें अधोहस्ताक्षरित सतर्कता दल के साथ कर्मचारियों आधिकारियों, विभिन्न श्रमिक संघ के जेसीसी सदस्यों, तथा संविदाकारों/विक्रेताओं के साथ बातचीत की। सभी उपस्थित लोगों को नागरिकों एवं संगठन के लिए अखंडता शपथ इन्हें दिलाई गई ।

उसी दिन, वीएसएसयूटी, बुर्ला के छात्रों के लिए एक वाद-विवाद/वकृत्व कला प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा उनके सक्रिय प्रतिभागिता हेतु पुरस्कार वितरण किया गया।

इसके अलावा, उसी दिन संबलपुर विश्वविद्यालय के छात्रों के किए वाद-विवाद/वकृत्व कला प्रतियोगिता आयोजन किया गया तथा उनके सक्रिय सहभागिता हेतु पुरस्कार वितरण किया गया ।

दिनांक-05.11.2016

सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह, **2016** का समापन समारोह दिनांक 05.11.2016 को आयोजित की गई जिसमें माननीय न्यायाधीश श्री टी.पी.शर्मा माननीय छतीसगढ़ उच्च न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश छतीसगढ़ और तथा छतीसगढ़ विधि आयोग के अध्यक्ष और मनमोहन प्रहराज, भा.पु.से.(सेवानिवृत), पूर्व पुलिस महानिदेशक, ओड़िशा मुख्य अतिथि थे और" ईमानदारी और भ्रष्टाचार- उन्मूलन के प्रोत्साहन में लोगों की भागीदारी" विषय पर डॉ अशोक पंडा, वरिष्ठ

पत्रकार और डॉ.विजय दत्ता, प्राचार्य, वी आई एस.एस.आर. भी मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। जेसीसी सदस्यों के अतिरिक्त कार्यकारी निदेशक और अधोहस्ताक्षरी भी उपस्थित थे।

उसी दिन, एमसीएल की सतर्कता बुलेटिन-2016 जारी की गई। बुलेटिन विभिन्न परामर्शों/ परिपत्रों/ दिशानिदेशों/अनुदेशों आदि पर कर्मचारियों के जानकारी और जागरूकता बढ़ाने में मददगार होगा। कार्यों, सामग्री एवं सेवाओं के प्रापण (खरीद) से संबन्धित कुछ मामलों के अध्ययन के अतिरिक्त प्रणालीगत सुधारों जैसे ई- नीलामी के अंतर्गत संविदा बंद करने में विलंब, ईएमडी के प्रतिदाय, निविदा के खुलने और मूल्यांकन के मामलों में पाए गए अनियमितताओं, कर्मचारियों, उनके प्रतिपालित स्कूली बच्चों आदि द्वारा भ्रष्टाचार-उन्मूलन विषय पर आलेख, नारे, कवितायें, हमारे कंपनी के कर्मचरियों और हितधारकों के जानकारी के लिए बुलेटिन में शामिल किया गया है।

सतर्कता जागरुकता सप्ताह के समारोह मनाने के दौरान कर्मचारियों/अधिकारियों के बीच बीएसएनएल-सीयूजी नेटवर्क के एसएमएस सेवा के माध्यम से भ्रष्टाचार-उन्मूलन नारों को परिचालित किया गया।

एमसीएल के कर्मचारियों,अधिकारियों,ठेकेदारों, आपूर्तिकर्ताओं, बोलीदाताओं और अन्य सभी हितधारकों के सक्रिय रूप से भागीदारी से सतर्कता जागरूकताक सप्ताह-2016 सफल हो सका।

<u>क्षेत्र / इकाईयां</u>

एमसीएल के सभी 13 क्षेत्रों और इसके परियोजनाओं / इकाइयों में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2016 मनाया गया। परियोजना क्षेत्रों के प्रमुखों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को 31.10.2016 को शपथ दिलाई । सभी क्षेत्रों के सिविल इंजीनियरिंग विभाग, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभाग, सेल्स एंड मार्केटिंग विभाग और सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा ग्राहकों / आपूर्तिकर्ताओं के साथ इंटरएक्टिव सत्र आयोजित किए गए थे। इस तरह की बातचीत के दौरान, ई-भुगतान, ई-प्रापण, ई-नीलामी, प्रणाली / प्रक्रियाओं को समझाया गया तथा शिकायतों / कष्टों के निवारण के सुधार के लिए उठाए गए। प्रतिभागियों, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को परियोजना क्षेत्रों के साथ व्यापार संबंधों में अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर ले लिया।

क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों के छात्रों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और छात्रों को उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा, परियोजना क्षेत्रों में कर्मचारियों के लिए वाद-विवाद / भाषण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी।

सभी सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को संवेदनशील बनाने के लिए, मुख्यालयों के साथ-साथ क्षेत्रों / परियोजनाओं / इकाइयों के परिसर में विशिष्ट सार्वजनिक स्थानों पर उपयुक्त बैनर लगाए गए।

11. **<u>सतर्कता बुलेटिन-2016 का प्रकाशन:</u>**

विभिन्न सतर्कता मामलों से संबंधित कर्मचारियों के ज्ञान व जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर सतर्कता बुलेटिन 2016 की 11 वां संस्करण जारी किया गया। इस बुलेटिन की प्रतिलिपियां का कंपनी में और कंपनी के बाहर व्यापक प्रसार किया गया। इस बुलेटिन की सॉफ्ट कॉपी एमसीएल के वेबसाइट www.mahanadicoal.in में पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड की गई है।

12. **<u>"क्या करें और "क्या न करें" पर एक पुस्तिका का प्रकाशन:"</u>** :

संगठन के विभिन्न विभागों के संबंध में सुझाए गए 'करें और न करे' पर एक बुकलेट, सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2017 के अवसर पर प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तिका में दिन-प्रतिदिन के आधिकारिक लेन-देन और अलग-अलग विभागों से संबंधित लेनदेन के लिए जागरूकता संबंधित जानकारी पुस्तिका के रूप में नीचे दी गई है।

13. **<u>एमसीएल नैतिकता और अखंडता क्लब का निर्माण:</u>**

इसके तहत दिनांक 28 फरवरी 2017 को एक्सएलआरआई-जमशेदपुर के साथ एमसीएल सतर्कता द्वारा पहली कार्यक्रम सार्वजनिक प्रशासन में नीतिशास्त्र के संगठित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ने नैतिकता को समझने और सार्वजनिक प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता पर ध्यान केंद्रित किया गया।

14. स्थानीय रूप से 'पथो उत्सव' के रूप में जाने जाने वाले राहगिरी के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म लोक मंच - जाना जाता है, जिसे भुवनेश्वर नगर निगम (बीएमसी) द्वारा नियमित रूप से रविवार की सुबह ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर की सड़कों पर आयोजित किया जा रहा है, सतर्कता विभाग, महानदी कोलफील्डस लिमिटेड, 19 मार्च 2017 को सतर्कता जागरूकता का सामाजिक संदेश फैलाने, सार्वजनिक व्यवहार में भ्रष्टाचार, ईमानदारी और पारदर्शिता से लड़ने के लिए इसका उपयोग करेगा।। यह प्रयास संयुक्त रूप से सतर्कता निदेशालय, ओडिशा राज्य के साथ किया गया था।

इस कार्यक्रम में 25,000 लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जो "समाज में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई" विषय पर आधारित था। भुवनेश्वर नगर निगम के सहयोग से राज्य सतर्कता निदेशालय के तत्वावधान में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर एक सामाजिक संदेश देते हुए सुबह एक जागरूकता रैली निकली गई जिसमें माननीय सदस्य संसद डॉ. पी के पटसनी, माननीय पर्यटन मंत्री ओडिशा; श्री अशोक चंद्र पांडा, श्री ए.पी.ई पाढ़ी, आईएएस, मुख्य सचिव, ओडिशा; श्री आर बालकृष्णन, आईएएस, विकास आयुक्त; श्री के.बी. सिंह, आईपीएस; डीजीपी ओडिशा; श्री वाई. खुरानिया, आईपीएस, पुलिस

आयुक्त; श्री अनंत नारायण जेना, महापौर, भुवनेश्वर; डॉ. आर.पी. शर्मा, आईपीएस, डीजी पुलिस / निदेशक सतर्कता, ओडिशा; श्री मुनव्वर खुर्शीद, आईआरपीएफ, मुख्य सतर्कता अधिकारी सीवीओ), महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड; डॉ. कृष्ण कुमार, आईएएस, नगरपालिका आयुक्त और अन्य गणमान्य व्यक्ति ने हिस्सा लिया। ओडिशा पुलिस बैंड के नेतृत्व में विभिन्न संस्थानों के छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने रैली में भाग लिया। 'पथ उत्सव' में सड़क किनारे रंगीन रंगोली कलाकृतियों, चित्रकारियों, स्कूल के बच्चों द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी स्कीट, स्केटरों, साइकिल चालकों और भुवनेश्वर के निवासियों द्वारा भारी मानवीय श्रृंखला देखी गई। "राहगीरी उत्सव" में भी स्थानीय सिने कलाकारों द्वारा प्रदर्शन किया गया।

15. <u>प्रमुख उपलब्धियां:</u>

(क) सतर्कता सचिवालय द्वारा अपनाई गई प्रभावी प्रोद्योगिकी के उपयोग की वजह से एमसीएल ने निम्नानुसार प्रभाव आंकलन प्राप्त किया :

i) <u>कोलनेट संयोज्यता सहित इन-मोशन वे-ब्रिज</u>- इसकी वजह से कोयला टिपरों का 100% तौल व वास्तविक समय के आधार पर सटीक कोयला उत्पादन का मूल्यांकन हो पा रहा है। अत: कोयला उत्पादन के आंकड़े उस समय की तुलना में प्रामाणिक है, जब बिना कोलनेट संयोज्यता के मात्र कोयला टिपरों के 15 प्रतिशत का ही इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक वे-ब्रिजों से मापन दर्ज किया जाता था।

ii) <u>जीपीएस आधारित व्हीटीएस स्थापना एवं कोयला खनन परियोजनाओं का जिओ-फेंसिंग</u>
09 क्षेत्रों व एमसीएल मुख्यालय में ई-निगरानी तथा नियंत्रण इकाईयों से सतत अनुविक्षण द्वारा अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान टिपर चालकों व कोयला परिवहन ठेकेदारों में जागरूकता की वजह से जिओ-फेंसिंग उल्लंघन में कमी आई है। इस वजह से कोयला खनन परियोजनाओं से कोयला चोरी की घटनाओं में भारी कमी आई है ।

iii) <u>सीसीटीवी से निगरानी</u> -

क. खान परिसर में रात्रिकाल में अवैध रूप से रोके जाने वाले प्रतिदिन प्रति परियोजना 56 ट्रक से घटकर 3-4 ट्रक प्रतिदिन प्रति परियोजना की भारी कमी आई है। परियोजना क्षेत्रों के अंदर रात्रिकाल में इस प्रकार की अवैध रोक कोयला आसपास के स्थलों में चोरी का एक कारण था जिस पर वर्तमान में नियंत्रण पाया गया है और ऐसे ट्रक, जिनमें वास्तव में कोई खराबी आई हो, उसे रोका जा रहा है।

ख. रेलवे साइडिंग में निगरानी से साइडिंग्स में कोयला उपलब्धता की बढ़ोत्तरी व डेमरेज प्रभारों में कमी आई है।

ग. रेलवे साइडिग में निगरानी के कारण बोरों में कोयला भरकर चोरी में भारी कमी हुई है।

iv) **<u>ऑनलाइन सामग्री प्रबंधन प्रणाली</u>**

कोलनेट में इस प्रणाली के परिचय से 25 करोड़ मूल्य के बेकार चल-मदों का पता चला जिससे 102 करोड़ की माल-सूची दो वर्ष की अवधि में कम होकर 77 करोड़ रह गई।

v) **<u>ईएमडी की स्वत: वापसी -</u>**

2016-17 के दौरान 3837 असफल बोलीकर्ताओं को कुल रू.17.05 करोड़ की राशि की वापसी, स्वत: वापसी माध्यम से एक ही दिन में हुई जिसके लिए पहले 3-6 माह की देर होती थी।

(ख) एमसीएल के कर्मचारी और अन्य स्टेक होल्डेर्स में सतर्कता जागरूकता का प्रचार-प्रसार:- सतर्कता टीम द्वारा मुख्यालय स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर नियमित रूप से सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सतर्कता जागरूकता फैलाने के लिए एमसीएल सतर्कता विभाग द्वारा नियमित रूप से निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं:

i) अधिकारियों के लिए सीडीए कक्षाओं तथा कर्मचारियों के लिए प्रमाणित स्थायी आदेशों की कक्षाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है ।

ii) प्रबंधन प्रशिक्षु, सहायक प्रबन्धक, महाप्रबंधक, मुख्य महाप्रबंधक, विभाग प्रमुखों के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी और उनकी टीम द्वारा नियमित सतर्कता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते है।

iii) मुख्य सतर्कता अधिकारी, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है।

iv) एमसीएल के मुख्यालय और क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर विविध अंतर सक्रिय interactive) सत्र का आयोजन किया जा रहा है।

v) मुख्य सतर्कता अधिकारी और सतर्कता अधिकारी द्वारा कोयला उपभोक्ताओं, निविदाकर्ता, बोलीदाता आदि के लिए इंटरएक्टिव सत्रों का आयोजन किया जा रहा है, फलस्वरूप उनके समस्याओं एवं शिकायतों को सुनकर एमसीएल के संबंधित विभागो एवं प्राधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का निपटारा किया जाता है।

vi) जागरूकता पैदा के लिए बोलीदाताओं की बैठक आयोजित की जाती है, और उच्च पारदर्शिता एवं बोलीदाताओं को उनके शिकायतों के समाधान की सुविधा से युक्त करने के लिए प्रणालीगत सुधार उपायों में सुझाव भी आमंत्रित किए जाते हैं।

vii) कोयले की गुणवत्ता के सुधार संबंध में, कोयला उपभोक्ताओं के साथ नियमित बैठक आयोजित की जाती है और कार्यान्वयन के लिए लाभप्रद सुझावों को अपनाया जाता है।

viii) प्रकाशन के रूप में सतर्कता विवरण पुस्तिका, विभिन्न विभागों के कार्यालयीन संव्यवहारों लिए "क्या करें" और "क्या न करें", सतर्कता बुलेटिन, सतर्कता रचनात्मक पोस्टर्स, वैल्यू काईस, आदि

प्रकाशित किए जाते है और एमसीएल के सभी कर्मचारियों और स्टेक होल्डर्स में प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता के लिए व्यापक रूप से प्रचालित किए जाते हैं।

ix) सतर्कता निवारक और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का माहौल पैदा करने के लिए कर्मचारियों, अन्य स्टेक होल्डर्स, छात्रों, नागरिकों, आदि को सत्यनिष्ठा शपथ, नागरिक शपथ दिलाई जाती हैं।

(ग) **राष्ट्रीय स्तर पर सतर्कता सचिवालय द्वारा प्राप्त पुरस्कार व मान्यता :**

i) 2 फरवरी 2017 को इलेट सभा, नई दिल्ली में सीवीओ एमसीएल को इस्पात राज्य मंत्री श्री विष्णु देव साई के हाथ पीएसयू नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

ii) सीवीओ एमसीएल को सार्वजनिक उद्यम संस्थान, हैदराबाद में आयोजित सतर्कता अधिकारियों के 8 वें सम्मेलन में केन्द्रीय संतर्कता आयुक्त श्री के. वी. चौधरी द्वारा दक्षता उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

33. ई-प्रोक्योरमेंट

एमसीएल की ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो 15.08.2009 को शुरू हुई थी, सफलतापूर्वक चल रही है और अब तक 11500 से अधिक निविदाओं को इस माध्यम से अंतिम रूप दे दिया गया है। एमसीएल को इस वेब-आधारित सॉफ़्टवेयर समाधान को लागू करने से बेहद लाभ हुआ है। निविदाओं को अंतिम रूप देने में समय चक्र में महत्वपूर्ण कमी हुई है और इसमें निविदा प्रबंधन प्रक्रिया में बेहतर पारदर्शिता और सुविधा शामिल है। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार एसटीक्यूसी द्वारा पोर्टल सॉफ़्टवेयर का लेखापरीक्षा किया गया है। विभिन्न बोलीदाताओं द्वारा जमा किए जा रहे ईएमडी का प्रबंधन स्वचालित कर दिया गया है और इस प्रक्रिया के कार्यान्वयन के बाद बोली लगाने वालों को बोली की अस्वीकृति के अगले दिन अपनी ईएमडी स्वत: वापस मिल जाती है। बोलीदाताओं की बेहतर पारदर्शिता और सुविधा के कारण संगठन की सद्भावना को बढ़ा दिया गया है। इस प्रणाली में निरंतर सुधार किए जाते हैं और नई सुविधाओं को जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि पोर्टल पर दिनांक 21.01.2016 से उपलब्ध निविदाओं की नीलामी के इस माध्यम ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान परिणाम देना शुरू कर दिया है। ई-प्रोक्योरमेंट के माध्यम से वर्तमान में 2.00 लाख और उससे अधिक के मूल्य की पॉलिसी के मामले में निविदाओं अंतिम रूप दे रही हैं। इसमें बहुमुद्रा वैश्विक निविदाओं के साथ कार्य, सामान और सेवा की खरीद भी शामिल है।

<u>एमसीएल ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम की विशेष सुविधाएं</u>

1. पोर्टल सॉफ्टवेयर द्वारा निविदाओं के तकनीकी हिस्से का मूल्यांकन स्वत: किया जाता है और बोली के मूल्यांकन में मानवीय हस्तक्षेप को कम से कम किया जाता है।

2. बोलीदाता द्वारा संरचित और उद्देश्यपूर्ण प्रारूप में उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। बोलीदाताओं को निविदा में उनके द्वारा दी गई जानकारी के समर्थन में दस्तावेज़ों को अपलोड करने की आवश्यकता है ।
3. बोलीदाताओं उनकी बोली के मूल्यांकन के लिए किसी भी दस्तावेज़ को ऑफ लाइन प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक नहीं हैं।
4. निविदाओं के मूल्यांकन के लिए पोर्टल सॉफ्टवेयर में इनपुट डेटा उचित अलर्ट संदेश की पुष्टि के लिए आवश्यक व्यापार तर्क को निगमित किया जाता है।
5. बोलीदाता बोली जमा करने के दौरान प्रत्येक स्टार पर यह फीडबैक लेते हैं कि क्या बोली निविदा की आवश्यकता के अनुरूप है।
6. बेहतर कटौती को सुरक्षित करने के लिए 1 करोड़ रुपए या इससे अधिक मूल्य की निविदा के लिए ऑनलाइन रिवर्स नीलामी प्रक्रिया को अपनाया जाता है।

34. एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

वर्ष 2012-13 में कंपनी स्तर पर एमसीएल का एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को आईएसओ 9001:2008- गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली,आईएसओ - 14001:2004 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली एवं ओएचएसएएस 18001:2007- व्यवसायिक स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली के साथ मान्यता प्राप्त है जो 2016 में पूर्ण हुए सभी लागू अंतर्राष्ट्रीय मानकों को 3 साल के लिए मान्यता दी गई थी, निम्नलिखित हैं :-

आईएसओ 9001 क्यूएमएस - संस्था की आंतरिक कार्यदक्षता व उपभोक्ताओं के ध्यान प्रबंधन हेतु

आईएसओ 14001 ईएमएस - संस्था के पर्यावरणीय सरोकार प्रबंधन हेतु

ओएचएसएएस 18001 ओएचएसएमएस - संस्था के व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा

सरोकार प्रबंधन हेतु एमएस सर्टिफिकेशन सर्विसेस प्रा.लि., कोलकाता द्वारा सीएमपीडीआई, रांची के माध्यम से प्रमाणन किया गया ।

अप्रैल 2016 में, एमसीएल को 10.04.2019 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए सभी उपर्युक्त मानकों के लिए पुनः प्रमाणित किया गया था।

<u>भविष्य की योजना :- 2017-18 में</u>

उपरोक्त मानकों का अद्यतन / संशोधन हो चुका है और इन्हें क्रमशः निम्न रूप में जाना जाता है: आईएसओ 9 001: 2015, आईएसओ 14001: 2015 जबकि ओएचएसएएस 18000: 2007 को नए आईएसओ मानक आईएसओ 45001 द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। उसी के अनुपालन

के लिए मौजूदा दस्तावेजों के उन्नयन साहित, वर्तमान प्रणाली में हुए परिवर्तनों के बारे में जागरुकता का कार्य सीपीएमडीआईएल को सौंपा गया है।

पूरे एमसीएल को एक मानते हुए वर्ष 2016-17 में आईएसओ 8001:2008 - सामाजिक उत्तरदायित्व प्रबंधन प्रणाली व 50001:2011-ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली के साथ अंतराष्ट्रीय मानकों के अनुसार आईएमएस के प्रत्यायन हेतु एमसीएल आवेदन करने जा रही है।

एसए 8000 एसएएमएस - संस्था के सामाजिक उत्तरदायित्वों के सरोकार के संबंध में

आईएसओ 50001 ईएमएस - संस्था में सभी ऊर्जा निविष्टियों के युक्तिसंगत खपत प्रबंधन हेतु

मौजूदा मानकों के साथ आईएसओ 50001 और एसए 8000 के एकीकरण के लिए प्रक्रिया सीएमपीडीआईएल, रांची द्वारा जारी की जा रही है।

एसए 8000 और आईएसओ 50001 के लिए प्रमाणन एजेंसी का चयन: -

प्रमाणन एजेंसी के चयन की प्रक्रिया के लिए एमसीएल मुख्यालय में सीएमडीआईएल, रांची के परामर्श से प्रमाणित एजेंसी के चयन के लिए तथा कुछ उपयुक्त और व्यवहार्य प्रक्रिया का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्वीकृत प्रक्रियाओं की सर्वोतम कला को आईएसओ मानकों के रूप में कार्यान्वित करते हुए निम्न उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन प्रणाली की बेहतरी हेतु एमसीएल मुख्यालय में आईएमएस सेल कार्यान्वित है :

क) कंपनी की गुणवत्ता, आंतरिक क्षमता, पर्यावरण, व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, सामाजिक जवाबदेही और ऊर्जा निष्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवस्थित और समांतराल प्रबंधन के लिए व्यापक प्रबंधन प्रणाली की स्थापना करना।

ख) विभिन्न प्रबंधन प्रणालियों के कार्यान्वयन के लिए एक समेकित दृष्टिकोण और सरलीकृत प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रयासों के दोहराव और लागत को दूर करना, जो कि अन्यथा भिन्न-भिन्न और असंगत हो सकते हैं.

ग) एक अच्छे नेटवर्क वाली प्रबंधन प्रणाली और स्वस्थ कार्य वातावरण के तहत स्पष्ट परिभाषित भूमिकाओं, उत्तररदायित्व जवाबदेही और प्राधिकार द्वारा एक अच्छी कार्य संस्कृति शामिल करना, संचालनों की निरंतरता सुनिश्चित करना और संचालनात्मक संघर्ष को दूर करना।

घ) नेमी कार्य निश्चित करने के दौरान हानिकारक और गैर मूल्य युक्त संचालनों को कम करना, इसके फलस्वरूप संचालन के दौरान समय, लागत और संसाधनों की प्रत्यक्ष बचत तथा पर्यावरण और सामाजिक लागतों पर अप्रत्यक्ष बचत करना।

ङ) सभी इच्छुक पक्षों के लिए निम्नलिखित आत्मविश्वास प्रदान करने के लिए सक्षम होना।

i) उपभोक्ता, नियामक निकाय एवं समाज की आवश्यकता को लगातार पूरा करने के लिए कोयले का खनन एवं आपूर्ति करना

ii) पर्यावरण, व्यवसायिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा, समाज और ऊर्जा के संबंध में अपनी जिम्मेदारी के प्रति वचनबद्धता।

iii) लगातार सुधार हेतु सुव्यवस्थित प्रयास।

iv) सभी विधिक एवं अन्य आवश्यकताओं का अनुपालन।

v) कुछ छोटी अवधि की उपलब्धि के स्थान पर स्थायी एवं लगातार सुधार पर जोर देना।

उपर्युक्त के अलावा, आईएमएस सेल ने निम्नलिखित को सफलतापूर्वक पूरा किया है

1. वर्ष 2016-17 के लिए तिमाही आंतरिक लेखा परीक्षा।
2. प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा अर्धवार्षिक निगरानी लेखा परीक्षा अगले अप्रैल 2017 में अनुसूचित किया जा रहा है।
3. ईब वैली क्षेत्र और तालचेर क्षेत्र के 25 अधिकारियों के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा प्रशिक्षण
4. प्रदर्शन टर्न अराउंड के लिए बलराम ओसीपी और लजकुरा ओसीपी के लिए मॉडल माईन स्कीम।
5. सीएमपीडीआईएल के साथ लीड लेखा परीक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रस्ताव।
6. आईएमएस 9.2 वार्षिक उद्देश्य, वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लक्ष्य और कार्यक्रम प्रक्रियाधीन है।
7. 'माइनर्स डे' पर आईएमएस के कार्यान्वयन और खनिकों के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले यूनिटों की प्रशंसा पर 360 ओ फीडबैक सिस्टम।
8. एमसीएल के कर्मचारियों के लिए बुद्धिशीलता-सह-प्रेरणा सत्र।

35. पुरस्कार और मान्यता -

35.1 2016-17 के दौरान अपनी गतिविधियों के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान / उपलब्धि के लिए आपकी कंपनी को निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए है।

- इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज़ (आईईएस) ने वर्ष 2016-17 के लिए एमसीएल को उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार गोवा में दिनांक 23.04.2016 को हरियाणा व पंजाब के महामहिम माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा प्रदान किया गया।
- इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडीज़ (आईईएस) ने श्री ए.के. झा, सीएमडी, एमसीएल को उद्योग रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। यह पुरस्कार गोवा में दिनांक 23.04.2016 को हरियाणा व पंजाब के महामहिम माननीय राज्यपाल श्री कप्तान सिंह सोलंकी और संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक द्वारा प्रदान किया गया।

- एमसीएल को मानव संसाधन के प्रौद्योगिकी उत्कृष्ठता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए ग्रीनटेक अवार्ड प्रदान किया। यह अवार्ड दिनांक 6 मई, 2016 को मुंबई में आयोजित 6 वी वार्षिक ग्रीनटेक एचआर कोन्फ्रेंस 2016 में प्रदान किया गया।
- एमसीएल को मानव संसाधन के प्रशिक्षण उत्कृष्ठता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए ग्रीनटेक अवार्ड प्रदान किया गया। यह अवार्ड दिनांक 6 मई, 2016 को मुंबई में आयोजित 6 वी वार्षिक ग्रीनटेक एचआर कोन्फ्रेंस 2016 में प्रदान किया गया।
- महानदी कोलफील्ड्स ने "स्कोप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक्सलेंस अवार्ड्स 2016" में प्रथम पुरस्कार जीता। 21 नवंबर और 22 जुलाई 2016 को प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तित्व श्री सुधीर चौधरी ने नई दिल्ली में आयोजित कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन शिखर सम्मेलन 2016 के दौरान इस पुरस्कार को प्रस्तुत किया।
- भारतीय भाषा और संस्कृति केंद्र ने राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य के लिए एमसीएल को राजभाषा मुकुट मणि पुरस्कार प्रदान किया।
- एमसीएल को "सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण प्रबंधन के लिए सीआईएल कार्पोरेट अवार्ड" 1 नवंबर, 2016 को सीआईएल स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया। यह अवार्ड सचिव कोयला मंत्रालय एवं अध्यक्ष सीआईएल की उपस्थिति में सम्माननीय भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री द्वारा सीएमडी, एमसीएल को प्राप्त हुआ।
- 17 वें वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2016 - क) भरतपुर ओसीपी के लिए गोल्ड पुरस्कार और ख) लखनपुर ओसीपी के लिए रजत पुरस्कार।
- एमसीएल को सीएसआर पहल के लिए कॉस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में दिनांक 16.12.2016 को 46 वें स्कोच शिखर सम्मेलन के दौरान मैरिट अवॉर्ड का स्कोच ऑर्डर प्रदान किया गया था।
- एमसीएल में "पर्यावरण हितैषी अधिक उत्पादन प्रौद्योगिकी 'सरफेस माइनर' की शुरुआत और सफल संचालन के लिए स्कोच ब्लू इकोनॉमिक अवार्ड 2016 एमसीएल को प्रदान किया गया था। यह पुरस्कार दिनांक 16.12.2016 को कॉस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंड़िया, नई दिल्ली में 46 वीं स्कोच समिट के दौरान प्रस्तुत किया गया।
- दिनांक 31.01.2017 को में ली मेरिडियन, नई दिल्ली में आयोजित "एइलस थर्ड पीएसयू समिट एंड अवार्ड" में एमसीएल की ओर से श्री मुनव्वर खुर्शीद, सीवीओ, एमसीएल ने पीएसयू लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया।
- श्री ए.के. झा, सीएमडी, एमसीएल को 6 फरवरी 2017 को नई दिल्ली में आयोजित "मेक इन इंडिया: प्रॉस्पेक्ट्स एंड अपोर्चुनिटीस" पर 42 वें राष्ट्रीय संगोष्ठी में इंडियन अचीवर्स फोरम (आईएएफ) द्वारा भारतीय अचीवर्स पुरस्कार प्रदान किया गया।

- व्यापार और सामाजिक सेवाओं में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए एमसीएल ने आईएएफ का "उभरते हुए कंपनी पुरस्कार" भी प्राप्त किया।
- टाईम असेंट एण्ड वर्ल्ड एचआरडी कॉंग्रेस" द्वारा दिनांक 15.02.2017 को ताज लैंड एंड, मुंबई में आयोजित वर्ल्ड एचआरडी कॉंग्रेस के उद्घाटन के दौरान श्री ए. के. झा, सीएमडी, एमसीएल को "द सीईओ विथ एचआर ओरिएंटेशन अवार्ड्स" प्रदान किया गया ।
- डून एंड ब्रैडस्ट्रीट भारत के शीर्ष सार्वजनिक उपक्रमों और पीएसयू पुरस्कार 2016- श्री के.के. पारिडा, निदेशक (वित्त), को पिछले 25 सालों से उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए एमसीएल की ओर से श्री अनिल स्वरुप, सचिव (कोयला) द्वारा "टॉप पीएसयू अवार्ड" प्राप्त किया।

36. लेखा परीक्षक

36.1 सांविधिक लेखापरीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 139 के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित लेखा परीक्षा फॉर्मों को वर्ष 2016-17 के लिए सांविधिक/शाखा लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया ।

सांविधिक लेखापरीक्षक	शाखा लेखा-परीक्षक
सिंह राय मिश्रान एण्ड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट, भुवनेश्वर	M/s एसआरबी असोसियट्स 5वॉ तल्ला, आईडीसीओ टावर, जनपथ, भुवनेश्वर ओड़ीशा-751022

36.2 लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 जिसे कंपनी (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) संशोधन नियमावली 2014 साथ पढ़ा जाये, के तहत कंपनी कोयला के खनन से संबन्धित लागत लेखा परीक्षा रिकार्ड रखती है, जिसे लेखा परीक्षा किया जाना आवश्यक है।

आप के निदेशकों ने लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा पर मेसर्स चन्द्र वाधवा एण्ड कंपनी, लागत लेखापाल, नई दिल्ली को कंपनी मुख्यालय एवं इसके ईकाइयों ईब कोयलांचल के क्षेत्रों और बसुंधरा क्षेत्र के लिए वितीय वर्ष 2016-17 के लागत रिकार्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए कुल लेखा परीक्षा फीस 2,78,910.00 तथा ज़ेब खर्च 1,39,455.00 (अधिकतम) एवं लेखा परीक्षा शुल्क पर लागू सेवा कर (ii) मेसर्स धल एण्ड कंपनी, लागत लेखापाल, प्लॉट नं. 400/4897, ग्राम-बारामुंडा, भुवनेश्वर को कनिहा, सीडबल्यूएस (तालचेर) सहित तालचेर कोयलांचल के क्षेत्रो के लागत रिकॉर्ड्स की लेखा परीक्षा के लिए वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी की शाखा लागत लेखा परीक्षक के तौर पर कुल लेखा परीक्षा फीस 1,84,570.00 तथा ज़ेब खर्च 92,285.00 तथा लेखा परीक्षा फीस पर लागू सेवा कर पर नियुक्त किया गया है।

36.3 **सचिवीय लेखा परीक्षक** :

सचिवीय लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 तथा कंपनी (नियुक्ति और प्रबंधन कार्मिक के परिश्रमिक) नियमावली 2014 के प्रावधानों के तहत कंपनी ने मेसर्स देव मोहपात्रा एंड एसोसियेट्स, कंपनी सचिवों, भुवनेश्वर, ओड़िशा को वर्ष 2016-17 के लिए कंपनी की सचिवीय लेखा परीक्षा करने के लिए संबंध किया गया है। सचिवीय लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गये रिपोर्ट को अनुलग्नक II. पर संलग्न किया गया है।

37. **सावधि जमा :**

आपकी कंपनी ने, जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-73 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा परिभाषित किया गया है, के तहत लोगों से जमा के रूप में कोई राशि स्वीकार नहीं की गई है।

38. **कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-143(3)(एम) के तहत सूचनाओं का विवरण:**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा -143(3)(एम) के प्रावधान के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, तकनीक के उपयोग एवं वैदेशिक मुद्रा के आय तथा व्यय से संबंधित सूचना इस प्रतिवेदन के अनुलग्नक-III में दी गई है।

39. **निदेशक मण्डल**

39.1 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष के दौरान, निदेशक बने रहेः

1. श्री ए.के. झा - अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
2. श्री जे.पी. सिंह - निदेशक (तक./संचालन)
3. श्री के.के. परिडा - निदेशक (वित्त)
4. श्री एल.एन. मिश्रा - निदेशक (कार्मिक)
5. श्री एस.एन. प्रसाद - निदेशक
6. डॉ. राजीव मल्ल - निदेशक
7. श्री एच. एस. पति - निदेशक

39.2 निम्नलिखित व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष में निदेशक नियुक्त हुएः

1. श्री मुकेश चौधरी - निदेशक (05.05.2016 से प्रभावी)
2. श्री ओ.पी. सिंह - निदेशक (तक./यो.एवं पारियो.)(01.09.2016 से प्रभावी)

39.3 निम्न व्यक्ति रिपोर्ट के वर्ष में निदेशक पद से मुक्त हुएः

1. श्री जे. एस. बिंद्रा - निदेशक (05.08.2016 से प्रभावी)
2. श्री ए.के.तिवारी - निदेशक (तक./संचालन) (31.06.2016 से प्रभावी

40. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा उनके सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर यह पुष्टि की जाती है कि आपकी कंपनी के निदेशकगण द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा-134(3)(सी) के तहत निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है:

क. 31 मार्च,2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखा की प्रस्तुति में सामग्रियों के विचलन से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखा के मानकों का अनुसरण किया गया है।

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखा नीति का चयन कर उसका सुसंगत प्रयोग किया एवं उचित तथा विवेकपूर्ण निर्णय सहित आकलन किया ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी की स्थिति तथा आलोच्य वर्ष में कंपनी के लाभ एवं हानि की सही तथा स्पष्ट जानकारी दी जा सके।

ग. कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं का पता लगाने/निवारण हेतु कंपनी अधिनियम 1956/कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार समुचित लेखा रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निदेशकों द्वारा उचित तथा पर्याप्त सावधानी बरती गई है।

घ. निदेशकों ने 31.3.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए क्रियाशील कारोबार(गोईंग कंसर्न) के आधार पर लेखा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

ङ. सही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कार्य कर रहे हैं और वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभारी रूप से संचालित है।

च. सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली कार्य कर रही हैं एवं वह पर्याप्त तथा प्रभावी रूप से संचालित हैं।

41. कार्पोरेट गवर्नेंस

इस रिपोर्ट के साथ कार्पोरेट शासन पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक- IV** में संलग्न है।

42. वार्षिक रिटर्न का सार

वार्षिक रिटर्न के सार का फार्मिंग भाग का विवरण फार्म एमजीटी 9 के **अनुलग्नक-**V पर संलग्न है।

43. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट :

प्रबंधन चर्चा एंव विश्लेषण रिपोर्ट **अनुलग्नक-**VI में संलग्न है।

44. भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक(सीएजी) की टिप्पणी

भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा पर की गई टिप्पणी इस प्रतिवेदन के **अनुलग्नक-**VII में संलग्न है ।

45. लेखा परीक्षा समिति:

समिति का पुनर्गठन दिनांक 17.9.2016 को किया गया । इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं-:

1.	श्री एस. एन. प्रसाद	-	अध्यक्ष
2.	श्री मुकेश चौधरी, निदेशक एमओयू	-	सदस्य
3.	डॉ. राजीव मल, स्वतंत्र निदेशक	-	सदस्य
4.	श्री एच.एस. पति	-	सदस्य
5.	निदेशक (तक./संचालन),एमसीएल	-	सदस्य
6.	निदेशक (वित्त),एमसीएल	-	आमंत्रण
7.	निदेशक (तक./कार्मिक), एमसीएल	-	आमंत्रण
8.	निदेशक (तक./यो. एवं परियो.), एमसीएल	-	आमंत्रण

45.1 **कार्यक्षेत्र**

1. वित्तीय विवरण की समीक्षा ।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।
3. सरकारी लेखा परीक्षा एवं वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा ।
4. संचालनगत कार्य निष्पादन तथा पैरामीटर के मानक की समीक्षा ।
5. परियोजनाओं एवं अन्य पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा ।
6. आंतरिक लेखा परीक्षा के परिणाम/अवलोकन की समीक्षा ।
7. एमसीएल में एक आनुपातिक एवं प्रभावी आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य प्रणाली का विकास ।
8. किसी भी मामले का विशेष अध्ययन,जॉच जिसमें बोर्ड द्वारा अग्रसारित मामले भी शामिल हैं।

लेखा परीक्षा समिति ने एमसीएल के वित्तीय और अन्य ऑकड़े/सूचना का आंकलन किया है। समिति द्वारा अवलोकित तथ्यों को एमसीएल बोर्ड के पास भेजा जाता है। समिति आवश्यकतानुसार बैठक कर सकती है लेकिन यह अपेक्षा की जाती है कि कम से कम तीन महीने में एक बार अवश्य मिलें ।

46. लागत रिकार्ड:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार कंपनी के लागत रिकार्ड का अनुरक्षण केंद्र सरकार द्वारा 01.04.2011 से निर्धारित किया गया है । कंपनी केवल एक उत्पाद अर्थात कोयले का उत्पादन करती है और कंपनी ओवर हेड सहित मदवार लागत के ब्यौरे के साथ रिकार्डिंग, निर्धारण और रिपोर्टिंग की निरंतर एकीकृत प्रणाली है। इसका नियमित अंतराल पर लागत रिपोर्ट से मिलान किया जाता है।

47. समझौता-ज्ञापन मापदंडों के परिप्रेक्ष्य में निष्पादन

सार्वजनिक उद्यम विभाग भारी उद्योग मंत्रालय और लोक उद्यम, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप सीएमडी, एमसीएल और अध्यक्ष, सीआईएल के बीच वर्ष 2015-16 के लिए हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन पर एमसीएल का निष्पादन तैयार किया गया है और कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों ने इसकी लेखा-परीक्षा की है। आपकी कंपनी के भौतिक और वित्तीय निष्पादन पर आधारित समग्र समझौता-ज्ञापन रेटिंग " **बहुत अच्छा**" रहा है।

48. सीआईएल के अंशधारकों के लिए अनुषंगी लेखा:

कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 08.02.2011 के सामान्य परिपत्र संख्या 2/2011 के तहत एमसीएल मुख्यालय में एमसीएल का वार्षिक लेखा सीआईएल के अंशधारकों की मांग पर जॉच एवं संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेगा ।

49. आभार

49.1 आपके निदेशक गण कोयला मंत्रालय, भारत सरकार एवं कोल इंडिया लिमिटेड के प्रति उनकी बहुमूल्य सहायता, समर्थन एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। आपके निदेशकगण केंद्रीय सरकार तथा ओड़िशा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। दूसरे सहयोगी संगठनों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए निदेशकों ने सधन्यवाद आभार व्यक्त किया है।

49.2 निदेशकों ने श्रमिक संगठन एवं अधिकारी संगठन से प्राप्त सहयोग एवं सभी स्तर के कर्मचारियों की दलगत भावना, मूल्यवान तथा निष्ठापूर्ण सेवा के लिए आभार व्यक्त किया है, जिससे कंपनी अपना लक्ष्य तथा सर्वांगीण अभिवृद्धि प्राप्त करने में सफल रही है ।

49.3 निदेशकों ने महत्वपूर्ण उपभोक्ताओं को उनके निरंतर समर्थन ,संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए आभार व्यक्त किया है, जिसके बिना कंपनी इतनी मजबूती से नहीं उभरती ।

49.4 निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय तथा ओड़िशा के कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा दी गई सेवा की भी सराहना की है।

49.5 निदेशकों ने संबलपुर एवं ओड़िशा के कोयला क्षेत्रों में रहनेवाले विशिष्ट नागरिकों को समय-समय पर दिए गए उनके सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया है ।

50 . अनुलग्नक(एडेन्डा) :

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं:

1. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(ड) के अधीन निदेशकों के प्रतिवेदन में दी जानेवाली आवश्यक सूचनाएं ।

2. कंपनी अधिनियम 2013 धारा 148, तथा साथ पढ़ी जानेवाली कंपनी के अनुवर्ती संशोधित नियमावली 2014 (लागत रिकार्ड और लेखा परीक्षा) लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
3. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 के प्रावधानों ओर कंपनी(नियुक्ति तथा प्रवंधन से जुड़े कार्मिकों के मेहनताना) नियमावली, 2014 के अनुवर्ती सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट।
4. कार्पोरेट गवर्नेंस(शासन) पर रिपोर्ट।
5. फार्म एमजीटी 9 में वार्षिक रिटर्न का सार।
6. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट।
7. कंपनी अधिनियम,2013 की धरा 143(6) (ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियां।
8. सीआईएल के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में वर्ष 2016-17 के समझौता ज्ञापन(एमओयू) के अनुसार निष्पादन का मानदंडवार ब्यौरा।

ह/-

(ए. के. झा)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(DIN: 06645361)

सम्बलपुर

तारीख: 19.07.2017

मैं पुष्टि करता हूँ कि संमीक्षाधीन वर्ष में ,सभी निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन ने आचरण संहिता के प्रावधानों के अपने अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-

(ए. के. झा)

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

(DIN: 06645361)

संबलपुर

तारीख: 19.07.2017

अनुलग्नक -1

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के उप-धारा (3) और कंपनी नियमावली, 2014 (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) के नियम 9 के खंड (ओ) के अनुपालन में]

I. **कार्य शुरू किए जाने वाले प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अवलोकन तथा सीएसआर पॉलिसी और प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक के संदर्भ सहित कंपनी की सीएसआर नीति की एक संक्षिप्त रूपरेखा**

एमसीएल सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

उद्देश्य:

एमसीएल की सीएसआर नीति का मुख्य उद्देश्य समाज के सतत विकास के लिए सीएसआर को प्रमुख व्यवसायिक प्रक्रिया बनाने के लिए दिशानिर्देश देना है। इसका उद्देश्य दीर्घकालिक सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों के आधार पर समाज के कल्याणकारी उपायों की गतिविधियों में सरकार की भूमिका को बढ़ाने में है।

एमसीएल कार्यान्वयन के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों की सदस्यता लेने के लिए, एक अच्छे कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में कार्य करेगा।

स्रोत:

सीसीआर सीएसआर के क्षेत्र में समय समय पर संशोधन के साथ कंपनी अधिनियम 2013 की सातवी अनुसूची का अनुसरण करता है।

सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र:

एमसीएल के संबंध में, सीएसआर गतिविधियों को पूरा करने के लिए, बजट राशि का 80% परियोजना / साइट / खानों / क्षेत्र मुख्यालय / कंपनी मुख्यालय के 25 किलोमीटर के दायरे में खर्च किया जाना चाहिए और बजट का 20% खर्च ओडिशा के बाकी हिस्सों में किया जाएगा। एमसीएल (मुख्यालय) के संबंध में, सीएसआर को विस्तृत रूप से चार परिचालित जिलों सहित पूरे ओड़िशा में क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

राशि का आवंटन:

तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय लाभ के लिए सीएसआर के फंड कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर आवंटित किया जाता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के प्रावधान के अनुसार औसत शुद्ध लाभ की गणना की गई है।

एमसीएल की पूर्ण सीएसआर नीति को कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है। सीएसआर नीति के लिए वेब लिंक: http://www.mahanadicoal.in/About/csrpolicy.php

II. सीएसआर समिति का गठन

एमसीएल में तीन प्रकार की सीएसआर समितियां हैं, जो नीचे दी गई हैं:

1. क्षेत्र स्तर की सीएसआर समिति:
   - क्षेत्रीय मुख्य म.प्र./म.प्र. — अध्यक्ष
   - क्षेत्रीय कार्मिक प्रबन्धक — सदस्य
   - क्षेत्रीय परियोजना अधिकारी — सदस्य
   - स्टाफ ऑफिसर (सिविल) — सदस्य
   - क्षेत्रीय वित्तीय प्रबन्धक — सदस्य
   - एरिया मेडिकल ऑफिसर — सदस्य
   - स्टाफ ऑफिसर (वि. एवं यां.) — सदस्य
   - स्टाफ ऑफिसर (भू एवं राजस्व) — सदस्य
2. मुख्यालय स्तर की सीएसआर समिति:
   - निदेशक(कार्मिक), एमसीएल — अध्यक्ष
   - जीएम (सीएसआर),एमसीएल — सदस्य
   - महाप्रबंधक (सी)/विभागाध्यक्ष, एमसीएल — सदस्य
   - महाप्रबंधक (वित्त), एमसीएल — सदस्य
   - महाप्रबंधक (पर्यावरण), एमसीएल — सदस्य
   - महाप्रबंधक (योजना), एमसीएल — सदस्य
   - महाप्रबंधक (भू एवं राजस्व), एमसीएल — सदस्य
   - महाप्रबंधक (कार्मिक एवं औ. सं.), एमसीएल — सदस्य
   - मुख्य चिकित्सा सेवा, एमसीएल — सदस्य
3. एमसीएल बोर्ड की उप समिति सीएसआर और एसडी बोर्ड स्तर पर एक समिति है। सदस्य नीचे दिए गए हैं:
   - श्री एच.एस. पति (स्वतंत्र निदेशक) — अध्यक्ष
   - शासकीय नामांकित निदेशक — सदस्य
   - डॉ. राजीव मल (स्वतंत्र निदेशक) — सदस्य
   - निदेशक (तक योजना/परियोजना) — सदस्य
   - निदेशक(कार्मिक), — सदस्य
   - निदेशक (तक/संचालन) — सदस्य
   - निदेशक(वित्त) — आमंत्रित

III. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ बजट गणना

सीएसआर के लिए कर से पहले 3 साल के मुनाफे की गणना (2016-17 के लिए)	
वर्ष	**राशि (करोड़ में)**
2013-2014	5429.08
2014-2015	5314.24
2015-2016	6260.43
कुल	17003.75
पिछले तीन वित्तीय वर्षों का औसत शुद्ध लाभ (टैक्स से पहले लाभ) है	5667.92
औसतन लाभ का 2%	**113.36**

IV. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपरोक्त मद 3 के रूप में राशि का दो प्रतिशत)

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ (टैक्स से पहले लाभ) का दो प्रतिशत 133.66 करोड़ रुपये है।

V. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च किए गए सीएसआर का विवरण।

क. वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि;

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि 1,13.36 करोड़ रुपये है।

ख. अव्ययित राशि, यदि कोई हो;

पिछले वर्ष के लेखापरीक्षा के बाद से अव्ययित/बकाया राशि शून्य (वास्तविक खर्च बजट की राशि से अधिक है) (12 9 .97 करोड़ रुपए - 184.64 करोड़ रूपये)

इस वर्ष में अव्ययित/बकाया राशि शून्य नहीं है। (वास्तविक व्यय बजट की राशि से अधिक है) [(133.36 करोड़ रुपये + 0 रुपये) - 166.60 करोड़ रुपये

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि का विवरण नीचे विस्तृत रूप से दिया गया है

निर्धारित प्रारूप में गतिविधियों की सूची संलग्नक -1 के रूप में संलग्न की गई है।

VI. अगर कंपनी पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी हिस्से के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत खर्च करने में असफल होती है, तो वह अपनी बोर्ड रिपोर्ट में राशि खर्च न करने का कारण प्रस्तुत करेगी । लागू नहीं।

VII. सीएसआर समिति का एक जवाबदेही कथन है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है-

कंपनी अधिनियम, 2013 में अपेक्षित सीएसआर समिति का एक जवाबदेही विवरण अनुलग्नक-2 के रूप में अलग से जुड़ा हुआ है।

अनुलग्नक-1

आंकड़े (लाख में)

1	2	3	4	5	6	7	8
सं.	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए निर्दिष्ट की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि	परियोजना शामिल किए जाने वाले क्षेत्र	परियोजनाएं या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले निर्दिष्ट करें जहां परियोजनाएं या कार्यक्रम किए गए थे	परियोजना या कार्यक्रम के अनुसार राशि परिव्यय (बजट)	परियोजनाओं या कार्यक्रमों उप-प्रमुख (1) प्रत्यक्ष व्यय (2) ओवरहेड्स पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि 31.03.2017 तक संचयी व्यय	व्यय राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना, स्वास्थ्य निवारक देखभाल और स्वच्छता को बढ़ावा देना और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।	ओडिशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुन्दरगढ़, संबलपुर, खुर्दा, बोलांगीर, ढेंकनाल, गजपति, गंजाम, जाजपुर, कालाहंडी, नयागढ़, रायगढ़ा, सोनपुर, कंधमाल	35292.54	**2569.95**	**16445.59**	एमसीएल, एनपीसीसी, सीपीडब्ल्यूडी और राज्य सरकार
2	विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने के कौशल, विशेषकर बच्चों, महिलाएं, बुजुर्गों और विकलांगो के शिक्षण को बढ़ावा तथा आजीविका बढ़ाने वाली परियोजनाओं को बढ़ाना ।	ओडिशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़, संबलपुर	50296.93	**12024.93**	**12220.93**	एमसीएल और एनबीसीसी
3	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं और अनाथों के लिए घरों और हॉस्टलों की स्थापना करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर जैसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामने आने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय	ओडिशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़, संबलपुर	14.82	**12.64**	**12.64**	एमसीएल द्वारा प्रत्यक्ष
4	पर्यावरणीय स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, वनस्पतियों और जीवों की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि-संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और मिट्टी, वायु और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करना	सभी खनन जिले	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़,	430.77	**79.23**	**432.90**	एमसीएल द्वारा प्रत्यक्ष

5	ऐतिहासिक महत्व के भवनों, स्थलो और कलात्मक कार्य के पुनर्स्थापना सहित राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति का संरक्षण; पुस्तकालयों की स्थापना; पारंपरिक हस्तशिल्प के विकास एवं उन्नयन	सभी खनन जिले	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़	19.63	19.56	19.56	एमसीएल द्वारा प्रत्यक्ष
6	सशस्त्र बलों के दिग्गजों, युद्ध के कारण हुई विधवाओं और उनके आश्रितों के हितों के लिए उपाय			0.00	0.00	0.00	
7	ग्रामीण खेलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेलों, पैरालंपिक खेल और ओलंपिक खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण;	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़	5044.85	456.01	1735.87	एमसीएल तथा राज्य सरकार
8	प्रधान मंत्री के राष्ट्रीय राहत निधि या केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं की राहत और कल्याण के लिए स्थापित किसी भी अन्य कोष को योगदान			0.00	0.00	0.00	
9	शैक्षिक संस्थानों में स्थित प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को प्रदान किया गया अंशदान या निधि जो केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती है।			0.00	0.00	0.00	
10	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	ओड़िशा के सभी खनन जिले और अन्य जिला	अंगुल, झारसुगुडा, सुंदरगढ़, सम्बलपुर	11292.56	1498.02	5276.33	एमसीएल तथा राज्य सरकार
	कुल			102392.10	16660.34	36143.82	

अनुलग्नक--2

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों और नीति के अनुपालन में है।

हस्ताक्षर
महाप्रबंधक (सीएसआर), एमसीएल

हस्ताक्षर
निदेशक (कार्मिक), एमसीएल
(डीआईएन: 07437632)

हस्ताक्षर
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, एमसीएल
(डीआईएन: 06645361)

हस्ताक्षर
अध्यक्ष, सीएसआर समिति
(डीआईएन: 05283445)

अनुलग्नक -II

सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

समाप्त वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी नियम सं .9 (नियुक्ति एवं पारिश्रमिक कर्मियों) नियमावली, 2014 के अनुसरण में

दिनांक: 22.05.2017

सेवा में,

सदस्य,

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड;

जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर.

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (जिसे बाद कंपनी कहा गया) पर लागू वैधानिक प्रावधानों और अच्छी कॉर्पोरेट पद्धति के अनुपालन द्वारा सचिवीय लेखा परीक्षा का आयोजन किया है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से आयोजित की गई थी कि कॉर्पोरेट संहिता/ वैधानिक अनुपालन उस पर हमारी राय के मूल्यांकन का तार्किक आधार प्राप्त हो सके।

कंपनी की किताबें, कागज, मिनट किताबें, भरें हुए फार्म और रिटर्न और कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी भी, सचिवीय लेखा परीक्षा के आयोजन के समय इसके अधिकारी, एजेंट, और प्राधिकृत प्रतिनिधि के सत्यापन के आधार पर हम अपने मतानुसार रिपोर्ट देते है कि 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है तथा कंपनी के पास रिपोर्टिंग के संबंध में उचित बोर्ड प्रक्रियाएँ तथा विस्तृत अनुपालन-तंत्र है ।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमने कंपनी की किताबें, कागज, मिनट किताबें, भरें हुए फार्म और रिटर्न तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित रिकॉर्ड का निम्न प्रावधान के अंतर्गत परीक्षण किया है:

i. इसके तहत बनाए गए कंपनियों अधिनियम, 2013 और नियमावली।;

ii. इसके तहत बनाए गए प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए") और नियमावली **(लागू नहीं)**

iii. इसके तहत बनाए गए डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और विनियम और उप-कानून (लागू नहीं)

iv. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, प्रवासी प्रत्यक्ष निवेश और बाहरी वाणिज्यिक उधारी के विस्तार के लिए इसके तहत बनाए गए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और नियमों और विनियम।**(लागू नहीं)**

v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के तहत निर्धारित निम्नलिखित नियम और दिशानिर्देश:-

क. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2011 (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवेर्स); **(लागू नहीं)**

ख. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (आंतरिक व्यापार पर प्रतिषेध) विनियम, 1992; **(लागू नहीं)**

ग. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2009 (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के मुद्दे); **(लागू नहीं)**

घ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक खरीद योजना) के दिशानिर्देश, 1999; (लागू नहीं)

ङ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 2008 (मुद्दा और ऋण प्रतिभूतियों की लिस्टिंग); **(लागू नहीं)**

च. कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार से संबंधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1993 को के बारे में (मुद्दा और शेयर ट्रांसफर एजेंट के रजिस्ट्रार); **(लागू नहीं)**

छ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग) विनियम, 2009 **(लागू नहीं)** और

ज. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम, 1998 (प्रतिभूति की पुनर्खरीद); **(लागू नहीं)**

vi. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देश।

vii. विभिन्न विभागों द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल को समय समय पर प्रस्तुत किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर तथा कंपनी द्वारा अनुरक्षित प्रमाणपत्रों और रिकॉर्ड के सत्यापन के आधार पर औद्योगिक विशेष कानून के अंतर्गत निम्नलिखित प्रक्रिया और अनुपालनों को सत्यापित किया जा रहा है।

क. खान अधिनियम, 1952

ख. खान रियायत नियमावली, 1960

ग. खान बचाव नियमावली, 1985

घ. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमावली, 1966

ङ. खान (एब्सट्रैक्ट की पोस्टिंग) नियमावली, 1954

च. खान और खनिज (विकास विनियमन) अधिनियम, 1957

छ. भारतीय विद्युत नियमावली, 1985

ज. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

झ. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 2008

ञ. कोयला खान विनियम, 1957
ट. कोयला खान संरक्षण एवं विकास अधिनियम, 1974
ठ. कोयला खान पेंशन योजना, 1998
ड. कोयला खान भविष्य (विविध प्रावधान) अधिनियम, 1948
ढ. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
ण. जल (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974
त. वायु (रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981
थ. मजदूरी भुगतान (खान) नियमावली, 1956
द. अवितरित मजदूरी भुगतान (खान) नियमावली, 1959
ध. मातृत्व लाभ (खान) नियमावली, 1963
न. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000
ऩ. कोलियरी नियंत्रण नियमावली, 2004
प. भारतीय खान ब्यूरो (इलेक्ट्रिकल पर्यवेक्षक और इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियमावली, 1990

हमने निम्न लागू खंड के अनुपालन की जांच की है:

i. भारत के कंपनी सचिव की संस्था द्वारा जारी किए गए सचिवीय मानक।
ii. कंपनी द्वारा किसी स्टॉक एक्स्चेंज के साथ किए गए सूचीबद्ध करार (लागू नहीं)

हम और वित्तीय कानूनों के अनुपालन, वित्तीय अभिलेखों और खातों की पुस्तकों के रखरखाव पर रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, यद्यपि उनकी सांविधिक लेखा परीक्षा के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा की जा रही हैं।

अनुलग्नक 'ख' में निर्दिष्ट निरीक्षणों और योग्यता के संबंध में समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी पर लागू कंपनी अधिनियम, नियमों, विनियमों, डीपीई दिशानिर्देशों, सचिवीय मानक, आदि के प्रावधानों का पालन किया है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि अनुलग्नक 'ख' में निर्दिष्ट निरीक्षणों और योग्यता के संबंध में कंपनी के निदेशक मंडल का गठन किया गया है तथा समीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल के गठन में अधिनियम के प्रावधान के अनुपालन के साथ परिवर्तन किया गया तथा बोर्ड को पर्याप्त जानकारी ड़ि गई और कंपनी द्वारा उचित बोर्ड प्रक्रिया का अनुसरण किया गया।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि सभी निदेशकों को बोर्ड की बैठकों, एजेंडा की पर्याप्त सूचना दी जाती है और एजेंडा पर विस्तृत टिप्पणियों को अग्रिम कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था और बैठक से पहले एजेंडा से सभी मदों पर जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक सिस्टम होता है। बोर्ड और समिति की बैठक में बहुमत निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है और विधिवत कार्यवृत्त पुस्तकों में दर्ज किया जाता है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन पर नजर रखने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं है।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के मण्डल ने दिनांक 09 मार्च को आयोजित अपनी बैठक में 1000 रु. प्रत्येक के हिसाब से 4,51,743 एक्विटी शेयर की पुनर्खरीद को अनुमोदित कर दिया है (जो कुल इक्विटी पूंजी का 24.235% का प्रतिनिधित्व करता है) जो 35,796.02 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर Rs.1,617.06 करोड़ से अधिक है।

स्थान : भुवनेश्वर
Date: 22.05.2017

कृते देब महापात्र एंड कं.
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
सीएस देवदत्त महापात्र साझेदार,
एफ़सीएस सं. 5474, सीपी सं: 4583

टिप्पणी: इस रिपोर्ट को हमारे पत्र की तिथि जो कि अनुलग्न क तथा ख में संलग्नित है, के साथ पढ़ी जाए, जो कि इस रिपोर्ट का अहम हिस्सा है।

'अनुलग्नक - क'

सेवा में,

सदस्य,

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड;

जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर.

इस पत्र के साथ यहां तक तारीख को पढ़ा जाए।

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव की ज़िम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय लेखा परीक्षा के आधार पर रिकॉर्ड पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने सचिवीय रिकॉर्ड की सामग्री की शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लेखा परीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया था कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही है। हम मानते हैं कि पद्धति और प्रक्रियाएं जिनका हमने अनुसरण किया है, हमारे विचार को एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के खातों की पुस्तकों तथा वित्तीय रिकॉर्ड की शुद्धता और औचित्य का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहाँ आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के अनुपालन की ज़िम्मेदारी प्रबंधन की है। परीक्षण के आधार पर हमारे सत्यापन का परीक्षण सीमित था।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न ही कंपनी के भविष्य व्यवहार्यता के लिए और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के लिए, जिसके साथ प्रबंधन कंपनी के मामलों का आयोजन किया गया है, के रूप में एक आश्वासन है।

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 22.05.2017

कृते देब महापात्र एण्ड कं.
कंपनी सचिव

हस्ताक्षर
सीएस देबदत्त महापात्र साझेदार,
एफ़सीएस सं. 5474, सीपी सं.: 4583

अनुलग्नक 'ख'

सचिवीय लेखा परीक्षक और प्रबंधन के जवाब का अवलोकन

क्र.	निरीक्षण	प्रबंधन का जवाब
1.	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 4 के खण्ड 8 के प्रावधान के तहत वर्ष के दौरान निदेशक मंडल द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के कार्य निष्पादन का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था।	समय-समय पर कोयला मंत्रालय द्वारा निदेशक का मूल्यांकन किया जा रहा है। कंपनी को न तो स्वतंत्र निदेशक को नियुक्त करने का अधिकार है और ना ही उनका मूल्यांकन करने का।
2.	कंपनी ने नियम-3 के अध्याय 11 (नियुक्ति एवं निदेशक की नियुक्ति नियमावली,2014) के तहत निदेशक मण्डल में किसी महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है।	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के पास मामला लंबित है।
3.	चाहे कंपनी ने कॉर्पोरेट प्रशासन के लिए तथा बोर्ड और समिति में बोर्ड सदस्य के इष्टतम संयोजन के संदर्भ में दिनांक 14-05-2010 के सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिए हो अथवा नहीं।	एमसीएल बोर्ड के गठन में 4 स्वतंत्र निदेशक है। उनमें से 2 कोयला मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गये हैं। शेष 2 निदेशकों की नियुक्ति कोयला मंत्रालय के पास लंबित है। एक बार जब वे नियुक्त किए जाते हैं तो समिति के रूप में अच्छी तरह से कंपनी नियम और डीपीई दिशा निर्देशों के प्रावधानों को पूरा करेंगे।

अनुलग्नक - III

निदेशकों की रिपोर्ट के लिए अनुबंध

कंपनी के अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के तहत निदेशक की रिपोर्ट में जानकारी दी जाए। ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा के उपार्जन एवं व्यय से संबंधित कंपनी नियमावली 1988 (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरण का प्रकटीकरण) पढ़े।

1. क. ऊर्जा का संरक्षण

(क) अपनाए गए विद्युत ऊर्जा संरक्षण के उपाय

इस वर्ष की ऊर्जा स्थिति के मुख्य आकर्षण नीचे तुलनात्मक कथन के साथ प्रस्तुत किए गए हैं:

i. वर्ष 2016-17 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (कोयला के लिए) वर्ष 2015-16 के 2.18 किलोवाट /टन की तुलना में 2.17 किलोवाट /टन अर्थात 0.46% कम है।

ii. 2016-17 के दौरान बिजली की विशिष्ट खपत (समग्र उत्पादन के लिए) (अर्थात कोयला + ओ.बी. हटकर) वर्ष 2015-16 के 1.66 किलोवाट / क्यूबिक मीटर की तुलना में 1.46 है जो 12.05% कम है।

iii. पी.एफ. बनाए रखने के लिए वर्ष 2016-17 के दौरान उपरोक्त 0.96 पीएफ़ के अनुरक्षण के लिए 102.14 लाख रुपए के पावर फैक्टर प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई।

iv. वर्ष 2016-17 के दौरान सभी आपूर्ति केंद्र के मासिक बिजली बिल के भुगतान की व्यवस्था के लिए हर महीने के चौथे तारीख को 169.71 लाख रुपए की छुट वेसको/सीईएसयू से उपलब्ध कराई गई थी।

1. B. विशेष उपलब्धि

i. बलराम ओसीपी सीएचपी में 20.12 लाख रुपये के कुल मूल्य के लिए एक 110 तथा 160 किलोवाट की वैरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव की स्थापना की गई है।

ii. मैसर्स द्वारा व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। 150 किलोवाट बिजली उत्पादन की संभावना के लिए सौर छत बिजली संयंत्र की स्थापना हेतु भारत की सौर ऊर्जा निगम द्वारा एमसीएल के सेवा भवन छत पर 12 विभिन्न स्थानों की पहचान कर ली है। चिन्हित स्थानों को नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

क्रमांक	क्षेत्र का नाम	स्थान / भवन
1	जगन्नाथ	डीएवी स्कूल (इंजीनियरिंग मेड)
2	लिंगराज	क्षेत्र/महाप्रबंधक का कार्यालय
3		परियोजना कार्यालय, लिंगराज
4		एलटीएस औषधालय
5	हिंगुला	परियोजना कार्यालय, बलराम ओसीपी

6	के. कर्मशाला तालचेर	सीडब्लूएस तालचर
7	लखनपुर	क्षेत्र/महाप्रबंधक का कार्यालय
8		बेलपाहर परियोजना कार्यालय, बेलपाहर ओसीएम
9		त्रिवेणी गेस्ट हाउस
10	ईब वैली	केंद्रीय अस्पताल
11	ओरिएंट	क्षेत्र/महाप्रबंधक का कार्यालय (एम ब्लॉक)
12		परियोजना कार्यालय, रामपुर उप क्षेत्र

iii. 13,908 40W फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को 20 वाट एलईडी लैंप से प्रतिस्थापन की योजना को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और खरीद कार्रवाई की प्रक्रिया में है। उम्मीद की जाती है कि इन लाइटों को वर्ष 2017-18 के दौरान प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

iv. उच्चतर वाट क्षमता वाले 7,044 पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को कम वाट क्षमता वाले एलईडी लैंप से प्रतिस्थापित करने कि योजना को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और खरीद कार्रवाई की प्रक्रिया में है तथा उम्मीद की जाती है कि इन लाइटों को वर्ष 2017-18 के दौरान प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

v. एमसीएल कर्मचारियों के सभी आवासीय क्वाटरों में 17,235 एनर्जी मीटर उपलब्ध कराने की योजना पर कार्रवाई की गई है और ऊर्जा मीटर वर्ष 2017-18 के दौरान स्थापित होने की उम्मीद है।

vi. 30 नोड्स चंडीपाड़ा, भरतपुर क्षेत्र को 30 सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट्स, बसुंधरा क्षेत्र के 48 बिस्तर वाले एमटी हॉस्टल के लिए दो सौर वॉटर हीटर सिस्टम तथा भुवनेश्वरी ओसीपी के ट्रांसिट हाउस के लिए दो सौर वॉटर हीटर उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दे दी गई है।

vii. ओवर हेड लाइन से अनधिकृत बिजली की खपत को समाप्त करने के लिए, 12.5 किलोमीटर की ओवर हेड लाइन कंडक्टर को एरियल बंच कंडक्टर प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 48.5 किलोमीटर से अधिक मात्रा की खरीद कार्य अंतिम रूप में है।

1. घ. <u>ऊर्जा के प्रभावी संरक्षण के लिए बिजली की खपत में संभावित / संभव कमी के लिए उठाए गए कदम</u>

i. वर्ष के दौरान नंदिरा भूमिगत खान और जगन्नाथ ओसीपी के संबंध में विद्युत ऊर्जा उपभोग के लिए बेंचमार्किंग अध्ययन किया गया है।

ii. 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए उत्पादित बिजली का अधिक से अधिक उपयोग करने हेतु आनंद विहार, एमसीएल मुख्यालय के वाणिज्यिक और घरेलू ऊर्जा केंद्र का विलय।

iii. 5000 केवीए से 6000 केवीए तक बसुंधरा में अनुबंध के मांग की वृद्धि 220 केवी तक आपूर्ति केंद्र प्रभावी बना दिया गया है।

iv. बेहतर वोल्टेज विनियमन के लिए ओरिएंट क्षेत्र में कालीनगर सबस्टेशन की 10 एमवीए की शुरुआत।

v. जागृति विहार कार्यालय और आवासीय परिसर में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 33 केवी उप-स्टेशन पूरा होने के चरण में है।

vi. घरेलू उपयोग के लिए पृथक मिटरिंग पॉइंट प्रदान करने के लिए जहां भी संभव हो कार्रवाई शुरू की गई है।

vii. एकल प्वाइंट ट्रांसफार्मर से मल्टी प्वाइंट पोल माउटेड ट्रांसफार्मर तक पोल टाउनशिप पावर वितरण के पुनर्गठन के लिए व्यवहार्यता।

viii. कम स्तर पर बिजली की अधिकतम मांग को शामिल करने तथा जितना संभव हो सके टॉड (दिन का समय) प्रोत्साहन उपलब्ध करने के लिए पंपिंग जैसे नियमित लोड को ऑफ-पीक घंटों के दौरान संचालित किया जा रहा है।

ix. औद्योगिक पंपों द्वारा ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, कदम उठाए गए हैं, जैसे रखरखाव की प्रभावशीलता, वितरण और चूषण आकार का अनुकूलन और, बोर-छेद के माध्यम से पोंटुन, डिलिवरी और केबल्स का उपयोग आदि।

x. औद्योगिक पंपों द्वारा ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए, कदम उठाए गए हैं, जैसे रखरखाव की प्रभावशीलता, वितरण और चूषण आकार का अनुकूलन और, बोर-छेद के माध्यम से पोंटुन, डिलिवरी और केबल्स का उपयोग आदि।

xi. पंखों के लिए पारंपरिक चोक और रेग्युलेटर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक रेग्युलेटर का उपयोग।

xii. एयर कंडीशनरों को बंद करने की आवश्यकता नहीं होने पर उच्च सितारा रेटिंग के एयर कंडीशनर का उपयोग, एयर कंडीशनर के फिल्टर की नियमित सफाई, आदि। प्रतिस्थापित एयर कंडीशनर सहित सर्वेक्षण किए गए सभी एयर कंडीशनर पांच सितारा रेटिंग के है।

xiii. ढीली कनेक्शन से बचने और फ़्यूज़ के उचित आकार का उपयोग करना।

xiv. उचित केबल के आकार के साथ न्यूनतम केबल घाटे अर्थात रेटेड क्षमता का

को सुनिश्चित करना।

xv. ट्रांसफार्मर क्षमता का इष्टतम उपयोग जिससे ट्रांसफार्मर घाटे को कम किया जा सकता है।

xvi. पावर कैपेसिटर का उपयोग करके ऊर्जा के करीब करीब 98% का अनुरक्षण किया गया है, ताकि ऊर्जा क्षति को कम किया जा सके।

xvii. ओवरहेड कंडक्टर के उचित आकार का उपयोग करके न्यूनतम संचरण हानि सुनिश्चित की गई है।

xviii. ऊर्जा के नुकसान को कम करने के लिए स्टेज पम्पिंग / इंटरमीडिएट पम्पिंग को कम कर दिया गया है।

xix. पंपों में बिजली के मोटर्स का सटीक आकार सुनिश्चित करना।

xx. पंपों में डिलीवरी लाइनों और चूषण के उच्च आकारों / अनुशंसित आकारों का उपयोग और थ्रॉटलिंग से बचने के लिए।

xxi. पंपिंग दक्षता में सुधार के लिए पाइपलाइनों में किसी तरह के रिसाव न होना सुनिश्चित करना।

xxii. बीयरिंग आदि की उचित स्थिति सुनिश्चित करना।

पीक घंटे के दौरान गैर-उत्पादक लोड को नियंत्रित कर अर्थात् यदि आवश्यक हो तो लोड-शेडिंग का सहारा लेकर सटीक निगरानी के लिए अनुबंध की मांग के करीब अधिकतम मांग को समाविष्ट किया जाता है। कम से कम मांग के दोहरे लाभ के लिए विद्युत कारक को बढ़ाने के लिए उपयुक्त विनिर्देशन के कैपेसिटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है।

2. क. ईंधन और स्नेहक:

ईंधन और स्नेहक के उपभोग में कमी के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

क. इंजन, प्रसारण और हाइड्रोलिक संचालित प्रणालियों की आवधिक मरम्मत की जा रही है।

ख. उपकरणों के हाइड्रोलिक तेल के रिसाव को कम करने के लिए होज़ों और उनके मार्ग की आवधिक जांच की जा रही है।

ग. टायर्स में हवा के दबाव की नियमित रूप से उचित जांच की जाती है।

घ. सेल्फ स्टार्टर्स, अल्टर्नेटर्स और बैटरियों की नियमित जांच।

ङ. सीएमपीडीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों में विशेष डीजल खपत की नियमित नियमित रूप से निगरानी की जाती है।

च. उपकरणों की खराबी को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण	16-17	15-16	पिछले वर्ष से %वृद्धि(+)/ कमी (-)
विद्युत ऊर्जा			
(I) बिजली की विशिष्ट खपत (कोयला के लिए), किलोवाट/टन में	2.17	2.18	(-0.46) (F)
(Ii) बिजली की विशिष्ट खपत (संमिश्र उत्पादन के लिए) (यानी कोयला + ओ.बी. निकालना), किलोवाट/ क्यूबिक मीटर में	1.46	1.66	(-12.05) (F)
ईंधन और स्नेहक			
(i) लिटर/क्यूबिक मीटर में समग्र उत्पादन के एचएसडी की खपत।	0.235	0.252	(-6.75) (F)
(ii) लिटर/क्यूबिक मीटर में समग्र उत्पादन के स्नेहक की खपत।	0.010	0.0097	(3.09) (A)
(iii) लीटर/टन में कोयला उत्पादन के टन में एचएसडी की खपत	0.336	0.369	(-8.94) (F)
(Iv) लीटर/टन में कोयला उत्पादन के स्नेहक की खपत।	0.014	0.015	(-6.67) (F)
v) रुपये में / टन पीओएल की विशिष्ट लागत	18.82	24.32	(-22.62) (F)

छ. बेहतर नियंत्रण और डीजल की खपत के लिए एकीकृत ईंधन प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के फिटमेंट और स्थापना की शुरुआत की जा रही है।

2. ख. **<u>ऊर्जा उपभोग के लिए उपायों का प्रभाव और उत्पादन के मापदंडों पर परिणामस्वरूप प्रभाव</u>**

F - अनुकूल A - प्रतिकूल

2. ग. विदेशी मुद्रा का उपार्जन एवं व्यय

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियां, निर्यात बढ़ाने के लिए पहल, उत्पादों की निर्यात गतिविधियों के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएं : कंपनी निर्यात गतिविधियों में व्यस्त नहीं है

(ii) उपयोग एवं अर्जित की गई विदेशी मुद्रा

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	गत वर्ष
(क) उपयोग की गई विदेशी मुद्रा		
(i) आयात का सीआईएफ मूल्य		
क) अवयव, स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	0.10	0.02
ख) पूंजीगत सामान	28.37	शून्य
ii) यात्रा करना	0.36	0.01
(iii) ब्याज	0.09	0.09
(Iv) अन्य	--	--
(ख) अर्जित विदेशी मुद्रा:		शून्य

अनुलग्नक-IV

कार्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन का प्रमाणपत्र

सेवा में,
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों,

हमने महानदी कोलफील्डस लिमिटेड (इसके बाद कंपनी के रूप में संदर्भित) द्वारा 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन की जॉच की है जो लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार के कार्पोरेट शासन के दिशा-निर्देश के अनुबंध में दी गई हैं।

कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है । कंपनी द्वारा कार्पोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए स्वीकार की गई प्रक्रिया एवं अनुपालन पर हमारी जॉच सीमित है। यह न तो लेखा परीक्षा है न ही कंपनी के वित्तीय विवरण पर विचारों की अभिव्यक्ति है ।

हमारे विचार में हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा प्रबंधन द्वारा दी गई प्रस्तुतीकरण के अनुसार हम यह प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने ऊपर दर्शाये गये **'अनुलग्नक-1'** मे उल्लेखित निरीक्षण के आधार पर डीपीई के दिशा-निर्देशों के तहत दिए गए कार्पोरेट शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम यह पुन: कहते है कि यह अनुपालन कंपनी के भविष्य में वैधता के लिए न तो आश्वासन है और न ही कंपनी के मामलों को देखने वाले प्रबंधन की प्रवीणता या प्रभावशीलता है।

कृते सरोज रे एण्ड एसोसियट्स
(कंपनी सचिव)

स्थान : भुवनेश्वर
दिनांक : 01.07.2017

ह/-
सीएस. सरोज कुमार रे, एफ़सीएस
वरिष्ठ साझेदार
एम. सं. 5098, सीपी सं. 3770

अनुलग्नक -1

क. निदेशक मण्डल का गठन:-

भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा कोयला मंत्रालय द्वारा पत्र संख्या 21/35 / 2005-**ASO(ix)** दिनांक 6 जून 2008 में सूचना के तहत मेसर्स महानदी कोलफिल्ड्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल संगठन में 5 कार्यशील निदेशक, 2 सरकारी नामांकित निदेशक, 4 स्वतंत्र निदेशक एवं पूर्वी तट रेलवे से 01 स्थायी आमंत्रित अतिथि सम्मिलित है। कंपनी के पास इन चार स्वतंत्र निदेशकों में सिर्फ 2 स्वतंत्र निदेशक है एवं अन्य 2 पद लंबे समय से रिक्त पड़े हुए है। इस कारणवश असीमित सरकारी कंपनीयों पर निदेशकों की संरचना के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों के निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है:-

1. कार्यात्मक निदेशकों की संख्या सीएमडी/एमडी सहित)मण्डल की वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. मण्डल के गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों की संख्या कुल संख्या का एक तिहाई होना चाहिए।
3. निदेशक मण्डल का कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशकों का होगा।

लेखा परीक्षा समिति का गठन :-

जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्ष 2016-17 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों के 2 पद लंबे समय से खाली पड़े है एवं भारत सरकार भी अब तक इन खाली पदों को पूर्ण नहीं कर पाई है। जैसा कि लेखा समिति के दो तिहाई सदस्यों में स्वतंत्र निदेशक होंगे जिसके परिणामस्वरूप लेखा परीक्षा समिति की संरचना के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष के संबंध में भी अनुपालन नहीं किया है जो एक स्वतंत्र निदेशक होगा। लेखा परीक्षा समिति की कुछ बैठकों में केवल एक स्वतंत्र निदेशक बैठक में भाग लेने में सक्षम नहीं थे उन्हें उनकी अनुपस्थिति के लिए छुट्टी दी गई थी। हालांकि डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार बैठक में कम से कम 02 स्वतंत्र निदेशक उपस्थित होने चाहिए।

कंपनी के प्रबंधन ने कहा है कि कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एक बार 02 से अधिक स्वतंत्र निदेशकों शामिल किए जाने के बाद कंपनी के लेखा परीक्षा समिति के सभी 04 स्वतंत्र निदेशकों को इसके सदस्य के रूप में माना जाएगा तथा इनमे से एक को लेखा परीक्षा समिति का अध्यक्ष भी बनाया जाएगा, जो डीपीई दिशा निर्देशों के प्रावधानों का पालन करेगा।

कृते सरोज रे एण्ड एसोसियट्स
(कंपनी सचिव)
ह/-
सीएस. सरोज कुमार रे, एफ़सीएस
वरिष्ठ साझेदार
एम. सं. 5098, सीपी सं. 3770

स्थान:भुवनेश्वर
दिनांक : 01.07.2017

कॉरपोरेट शासन पर रिपोर्ट

कम्पनी का दर्शन:

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के संगठनात्मक प्रणाली में कार्पोरेट गवर्नेन्स व्यापारिक दर्शन के रूप में इसकी गइराई तक शामिल है जिससे पारदर्शिता, वृहत्तर संगठनात्मक न्याय एवं कार्पोरेट स्थिरता सुनिश्चित की जा सके ।

वर्ष 2010-11 से केंद्रीय सरकार से अनिवार्यत: अनुपालन हेतु कार्पोरेट गवर्नेन्स पर दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीमा के अंदर कार्य नीति बनाने के लिए नये परिप्रेक्ष्य एवं समुचित अध्यवसाय के साथ दिशा निर्देशों का पुनरावलोकन किया गया।

समता, न्याय, पारदर्शिता, जवाबदेही इत्यादि कसौटी होने के नाते अच्छे गवर्नेन्स के मूलाधार के रूप में स्वीकार किये गये हैं। एमसीएल के संबंध में इन सभी आधारभूत मूल्यों को व्यापार के सभी आयामों में यथासंभव प्रयोग में लाया जाना है।

निदेशक मंडल :

कार्यकारी, नामिति एवं स्वतंत्र निदेशकों के बोर्ड में उच्चतम जुड़ाव के सिद्धान्त को मानते हुए निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों के दिनांक 31.03.2017 को 09 (नौ) निदेशकों को लेकर एमसीएल का निदेशक मंडल गठित है:-

क) 05 (पाँच) कार्यकारी निदेशक, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समेत।

ख) 2 (दो) सरकारी अंशकालीन निदेशक(नमिति) ।

ग) 02 अंशकालिक सरकारी निदेशक (नोमिनी)

इसके अलावा ईस्ट कोस्ट रेलवे, भुवनेश्वर के मुख्य प्रचालन प्रबंधक को भी बोर्ड के स्थायी के रूप में आमंत्रित किया जा हैं।

वर्ष 2016-17 के दिनांक 05.04.2016, 26.05.2016, 11.06.2016, 11.07.2016, 27.08.2016, 17.09.2016, 22.10.2016, 10.11.2016, 25.11.2016, 28.01.2017, 28.02.2017, 09.03.2017 तथा 25.03.2017 को निदेशकों की उपस्थिति में 50% औसत से अधिक उपस्थिति मे 13 बार बैठकें की गई तथा दो बैठकों के बीच में 64 दिन से कम अंतराल रहा ।

बोर्ड के गठन का विवरण, निदेशकों की निजी उपस्थिति और अन्य कंपनियों के निदेशकों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है:

नाम एवं पदनाम	श्रेणी	बोर्ड बैठक		अन्य कंपनियों में निदेशक	उपस्थित पिछले एजीएम	अन्य समिति में सदस्यता	
		कार्यकाल में आयोजित	उपस्थित			लेखा परीक्षा समिति	अन्य समिति
श्री ए के झा, अध्यक्ष	कार्यकारी	13	13	निरंक	हाँ	निरंक	02
श्री जे.पी. सिंह, निदेशक (तक./यो. एवं परी.)	कार्यकारी	13	13	(I) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (II) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	हाँ	01	03
श्री ए. के तिवारी, निदेशक (तक./संचालन)	कार्यकारी	5	5	(I) एमजेएसजे कोयला लिमिटेड (II) नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	हाँ	01	05
श्री ओ पी सिंह,निदेशक (तक./संचालन)	कार्यकारी	8	7	(I) एमजेएसजे कोयला लिमिटेड (II) एमएनएच शक्ति लिमिटेड	नहीं	निरंक	04
श्री एल.एन. मिश्रा, निदेशक (कार्मिक)	कार्यकारी	13	13	(I) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (II) एमएनएच शक्ति लिमिटेड (III) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	हाँ	निरंक	04
श्री के के परिडा, निदेशक (वित्त)	कार्यकारी	13	13	(I) महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (II) एमजेएसजे कोयला लिमिटेड (III) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	हाँ	निरंक	03
श्री जे एस बिंद्रा, निदेशक	सरकारी नामांकित	4	2	निरंक	नहीं	01	02
श्री मुकेश चौधरी, निदेशक	सरकारी नामांकित	9	8	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	नहीं	01	02
श्री एस एन प्रसाद, निदेशक	सरकारी अंशकालिक	13	12	(I) कोल इंडिया लिमिटेड (II) नोर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	नहीं	01	03
डॉ राजीव मल	स्वतंत्र	13	10	निरंक	हाँ	01	03
श्री एच. एस. पति	स्वतंत्र	13	12	निरंक	हाँ	01	02

छमाही और वार्षिक लेखों, पूंजीगत व्यय, कोयला बिक्री अनुबंध, जनशक्ति बजट, वैधानिक अनुपालन रिपोर्ट आदि जैसे प्रशासन के निश्चित विषय बोर्ड की समीक्षा और अनुमोदन के लिए आरक्षित हैं।

निदेशक का पारिश्रमिक:

क) पूर्ण कालिक निदेशक

नाम	अन्य निदेशकों के साथ संबंध	कंपनी के साथ व्यापार संबंध, यदि कोई है	वर्ष *2016-17* के लिए पारिश्रमिक पारिश्रमिक पैकेज अर्थात वेतन, कार्य निष्पत्ति से जुड़े प्रोत्साहन योजना, पीएफ योगदान, पेंशन आदि (रु.) के सभी अवयव
श्री ए. के. झा	निरंक	*अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक*	39,90,520.00
श्री ए. के. तिवारी	निरंक	(तक./संचालन)	55,17,790.57
श्री जे.पी. सिंह	निरंक	(तक./संचालन)	41,96,244.92
श्री पी.सी. पानीग्रही	निरंक	निदेशक (कार्मिक)	04,32,000.00
श्री के. के. पिरिडा	निरंक	निदेशक (वित्त)	46,48,786.12
श्री एल.एन. मिश्रा	निरंक	निदेशक (कार्मिक)	35,29,195.79
श्री ओ.पी. सिंह	निरंक	निदेशक (तक./यो.एवं पारियो.)	37,35,985.05

ख) अधिकारिक अंशकालिक निदेशक:

कंपनी द्वारा आधिकारिक अंशकालिक निदेशकों को कोई पारिश्रमिक भुगतान नहीं किया जाता है।

ग) गैर आधिकारिक अंशकालिक निदेशक

बोर्ड/समिति की बैठकों शुल्क को छोड़कर कोई पारिश्रमिक भुगतान गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों को नहीं किया जाता है।

घ) सेवा करार, सूचना अवधि, पृथक्करण शुल्क:

कंपनी के सभी कार्यकारी निदेशकों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति *03* महीने की नोटिस पर या उसके बदले *03* महीने के वेतन के भुगतान पर दोनों तरह समाप्त कर दी जा सकती है।

बोर्ड की समितियां:

i. लेखा परीक्षा समिति

एमसीएल का मानना है कि उचित स्वशासन और निर्धारित कार्यक्षेत्र व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए कुशल मशीनरी हो सकती है। समिति में नियमित अंतराल पर बैठके होती है और जितनी जल्दी हो सके यह मुद्दों को संबोधित करती है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकें भी उचित एजेंडे और कार्रवाई की गई रिपोर्टों के साथ समयबद्ध रूप से आयोजित की जाती हैं।

लेखा परीक्षा समिति के पास एमसीएल की वित्तीय और अन्य डेटा / जानकारी है। समिति द्वारा किए गए निरीक्षण से एमसीएल बोर्ड को सूचित किया जाता है। समिति जितनी बार वांछित बैठके बुला सकती है, लेकिन एक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक की आशा की जाती है।

कार्य क्षेत्र

क) वित्तीय विवरण की समीक्षा ।

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की आवधिक समीक्षा ।

ग) सरकारी लेखापरीक्षा एवं वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा ।

घ) संचालनगत कार्य निष्पादन तथा पैरामीटर के मानक की समीक्षा ।

ङ) परियोजनाओं एवं अन्य पूँजीगत योजनाओं की समीक्षा ।

च) आंतरिक लेखापरीक्षा के परिणाम/अवलोकन की समीक्षा ।

छ) एमसीएल में एक आनुपातिक एवं प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य प्रणाली का विकास ।

ज) किसी भी मामले का विशेष अध्ययन, जांच जिसमें बोर्ड द्वारा अग्रसारित मामले भी शामिल हैं ।

लेखा-परीक्षा समिति के गठन और बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान लेखा-परीक्षा की नौ बैठके दिनांक 26.05.2016, 27.08.2016, 17.09.2016, 25.11.2016, 28.01.2017, 28.02.2017 और 25.03.2017 को हुई और बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्र.	नाम	स्थिति	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिती
1.	श्री ए. के. तिवारी	अध्यक्ष	3	3
2.	श्री एस. एन. प्रसाद	अध्यक्ष	6	4
3.	श्री जे. एस. बिंद्रा	सदस्य	2	1
4.	श्री एम. चौधरी	सदस्य	5	3
5.	डॉ. राजीव मल्ल	सदस्य	9	7
6.	श्री एच. एस. पति	सदस्य	9	8
7.	श्री जे.पी. सिंह	सदस्य	6	6

लेखा-परीक्षा समिति की प्रत्येक बैठकों में निदेशक(वित्त)/सीएफओ, आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रमुख और सांविधिक लेखा-परीक्षकों को वित्त, लेखा, लेखा-परीक्षा और आंतरिक नियंत्रण प्रणाली से संबंधित मामलों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

मौजूदा लेखा परीक्षा समिति के अतिरिक्त, कंपनी की रणनीतिक और तकनीकी निर्णय लेने की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उत्साह से पालन करने हेतु और पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना की आवश्यकता के माध्यम से मूल्य वर्धन को ध्यान में रखते हुए 2011-12 के दौरान 134 व 135 वीं बोर्ड की मीटिंग में निम्नलिखित उप-समितियां गठित की गई हैं।

ii) तकनीकी उप-समिति:

कार्य-क्षेत्र:

- एमसीएल बोर्ड के अनुमोदन के लिए परियोजनाओं का मूल्यांकन, निरूपण और सिफारिश करना।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

वर्ष के दौरान उपसमिति की एक बैठक दिनांक 13.08.2016 को हुई जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ए.के. झा	अध्यक्ष	1	1
2.	श्री ए.के. तिवारी	सदस्य	1	1
3.	श्री जे.पी. सिंह	सदस्य	1	1
4.	श्री के. के. परिडा	सदस्य	1	1
5.	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य	0	0
6.	श्री एल.एन. मिश्रा	सदस्य	0	0
7.	डॉ. राजीव मल्ल	सदस्य		0
8.	श्री एस. एन. प्रसाद	सदस्य	0	0

iii) सीएसआर तथा स्थिरता विकास उप समिति (सीएसआर एंड एसडी) :

कार्य-क्षेत्र:

डीपीई के प्रावधानों तथा एमसीएल बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के तहत पुनर्निर्मित समिति के साथ निहित कार्यक्षेत्र और प्राधिकरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार होगा।

उप-समिति का संयोजन और मीटिंग विवरण:

वर्ष के दौरान 21.04.2016, 02.06.2016, 22.10.2016, 25.11.2016 और 31.03.2017 को सीएसआरएसडी उप-समिति की पाँच बैठके हुई, जिसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र.	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	श्री ए. के. तिवारी	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री एच. एस. पति	अध्यक्ष	3	3
3.	श्री एच. एस. पति	सदस्य	2	2
4.	श्री जे. पी. सिंह	सदस्य	5	5
5.	श्री एल.एन. मिश्रा	सदस्य	5	5
6	डॉ राजीव मल्ल	सदस्य	5	3

* सीजीएसआरएमएसडीसीएसआर उप-समिति का पुनर्निर्माण 9 फरवरी, 2016 को हुआ और इसे सीएसआर और सतत विकास उप-समिति के रूप में नामित किया गया और उप-समिति में नए सदस्यों का परिचय दिया गया।

iv) जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी):

कार्यक्षेत्र:

समिति का कार्यक्षेत्र सीआईएल की नीति और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार होगा ।

उप-समिति का संयोजन और मीटिंग विवरण:

9 फरवरी, 2016 को निम्नलिखित सदस्यों के साथ जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया है और 2016-17 के दौरान कोई बैठक नहीं हुई थी।

क्र.	नाम	स्थिति
1.	श्री जे.पी. सिंह	अध्यक्ष
2.	श्री एस. एन. प्रसाद	सदस्य
3.	श्री के के परिडा	सदस्य
4.	श्री एल.एन.मिश्रा	सदस्य
5.	श्री ओ.पी. सिंह	सदस्य

v) नामांकन एवं पारिश्रामिक समिति:

vi) कार्य क्षेत्र:

समिति के साथ निहित काम और प्राधिकरण का क्षेत्र कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के अनुसार सरकार को दी गई छूट के अनुसार होगा। शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के अनुसार सरकारी कंपनियों को छूट दी जाएगी।

उप-समिति का संयोजन और मीटिंग विवरण:

वर्ष के दौरान दिनांक 22.10.2016 और 31.03.2017 को नामांकन और पारिश्रमिक उप-समिति की दो बार बैठक हुई सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र.	नाम	स्थिति	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.	डॉ राजीव मल	अध्यक्ष	2	2
2.	श्री एस. एन. प्रसाद	सदस्य	2	0
3.	श्री एम. चौधरी	सदस्य	2	1
4.	श्री एच.एस. पति	सदस्य	2	2

vi) भू-विस्थापित मामलों की उपसमितिः

कार्य क्षेत्र :

कम्पनी द्वारा अपनाई जा रही आर एंड आर नीति. के वर्तमान मानकों के अनुसार रोजगार, नगद क्षतिपूर्ति आदि के सभी मामलों पर विचार करना और अनुमोदन करना ।

उपसमिति का गठन और बैठकों का ब्यौराः

भू-विस्थापित मामलों की उपसमिति की वर्ष में 09 बैठकें दिनांक 21.04.2016, 15.06.2016, 14.08.2016, 06.10.2016, 04.01.2016, 15.12.2016, 11.01.2017, 28.01.2017 और 12.03.2017 को हुईं जिनमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रहीः

क्र.स.	नाम	पद	अवधि में आयोजित बैठकों की संख्या	उपस्थिति
1.				
2.	**श्री ए.के. झा**	अध्यक्ष	09	09
3.	श्री ए. के. तिवारी	सदस्य	03	03
4.	श्री जे. पी. सिंह	सदस्य	09	09
5.	श्री ओ. पी. सिंह	सदस्य	06	05
6.	श्री के. के. परिडा	सदस्य	09	09
7.	श्री एल.एन. मिश्रा	सदस्य	09	09

सांविधिक लेखा-परीक्षक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, 139 के तहत निम्नलिखित लेखा परीक्षा संस्थाओं को वर्ष 2016-17 के लिए सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

वैधानिक लेखा परीक्षक
सिंह रे मिश्रा एंड कं,
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
भुवनेश्वर

शाखा लेखा परीक्षक
मैसर्स एसआरबी एसोसिएट्स
5 वीं मंजिल, आईडीसीओ टावर्स,
जनपथ, भुवनेश्वर
ओडिशा-751,022

लेखा परीक्षा का प्रकार	रु.	टिप्पणियां
वर्ष ***2016-17*** के लिए वैधानिक लेखापरीक्षा	रु. 18,47,729/- (रु. 11,11,908/- ***प्रमुख लेखा परीक्षक के लिए और*** रु.. 7,35,821/- ***शाखा लेखा परीक्षक के लिए***)	वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति / भुगतान और उस पर देय सेवा कर लागू होगा।
समेकन के लिए लेखापरीक्षा	रु.. 82,500/-	वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय का प्रतिपूर्ति / भुगतान और उस पर देय सेवा कर लागू होगा।
कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन	रु. 30,000/-	वास्तविक आधार पर यात्रा व्यय का प्रतिपूर्ति / भुगतान और उस पर देय सेवा कर लागू होगा।

शेयरधारकों की आम बैठक:

पिछले *03* वर्षो के दौरान आयोजित शेयरधारकों की आम बैठक का विवरण निम्नानुसार है:

अंशधारियों की सामान्य बैठकें:

वर्ष	*दिनांक*	*समय*	*स्थान*	*विशेष संकल्प, यदि कोई हो*
2013-14	09.06.2014	11.00 AM	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	निरंक
2014-15	08.07.2015	10.30 AM	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	एक
2015-16	11.07.2016	4.00 PM	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	निरंक

असाधारण सामान्य बैठक:

वर्ष	दिनांक	समय	स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2014-15	25.03.2015	11.00 AM	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	*एक*
2015-16	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2016-17	12.03.2017	11.00AM	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड जागृति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर	*एक*

एमसीएल बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंध कर्मियों के लिए कारोबारी आचार संहिता एवं आचार नीति :

दिनांक 29 मार्च, 2008 को कोलकाता में आयोजित 94वीं बैठक में कंपनी के निर्देशक मण्डल ने निर्देशकों एवं वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता अपनाई है जिसे एमसीएल के वेबसाइट www.mahanadicoal.in पर पोस्ट किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) पर रिपोर्ट:

एमसीएल के सभी आंतरिक लेखा परीक्षक ने एमसीएल में प्रचलित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सभी लेखा परीक्षकों ने यह राय दी है कि एमसीएल ने सभी भौतिक मामलों में, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (संचालन नियंत्रणों सहित) को निर्धारित किया है और इस तरह के नियंत्रण पर्याप्त हैं और वर्ष 2016-17 के दौरान प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन :

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया हेतु कंपनी के विभिन्न कार्यक्षेत्रों में जोखिम की पहचान, आंकलन एवं नियंत्रण को महत्व देते हुए पारम्परिक, आंतरिक एवं बाह्य जोखिम पर आवश्यक नियंत्रण हेतु नियमित उपाय किये जाते हैं । भू-अधिग्रहण, वन अनुमति, भू-विस्थापितों की समस्याएँ ऐसे संकटपूर्ण कारक हैं, जिन पर प्रबंधन लगातार मॉनिटर करता है। आंतरिक कारकों जैसे मशीनों के बचाव हेतु रख-रखाव, सुरक्षा औद्योगिक संबंध इत्यादि पर भी आवश्यक महत्व दिया जाता है ताकि कंपनी का कार्य सुचारु रूप से चल सके। एमसीएल में जोखिम प्रबंधन कार्यविधि के संचालन की समीक्षा करने के लिए शीर्ष स्तर पर बोर्ड की एक पृथक उप-समिति वर्ष 2011-12 में गठित की गई है। कंपनी के अधिनियम 2013 के अनुभाग 134(3)(एन) का आवश्यकता अनुसार पालन करने हेतु प्रावधान किया गया है जिसके तहत समिति का पुनर्गठन एमसीएल बोर्ड जिसका नाम जोखिम प्रबंधन समिति(आरएमसी) द्वारा दिनांक 09.02.2016 को किया गया था महाप्रबंधक (एस एंड आर) एमसीएल को मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में कार्य करने हेतु मनोनीत किया गया था । एमसीएल के एक प्रतिनिधि आर एंड सी समन्वय तथा जोखिम प्रबंधन से संबन्धित मामलो का अनुपालन करेंगे ।

व्हीसल ब्लोवर नीति :

एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी की सारी गतिविधियों सी एंड एजी सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा हेतु खुले हैं यद्दपि सील की व्हीसल ब्लोवर नीति के सामान्य आवेदन के बावजूद एमसीएल के लिए उसी के अपनाए जाने योग्य संकरण पर काम किया जा रहा है ।

लेखांकन का तरीका :

वित्तीय विवरण लागू अनिवार्य लेखांकन मानकों एवं कंपनी अधिनियम 2013 की संबंधित आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किये जाते हैं।

संचार के माध्यम :

कंपनी की संचालन एवं वित्तीय कार्य निष्पादन की रिपोर्ट प्रमुख अंग्रेजी अखबारों एवं स्थानीय अखबारों में छापी जाती हैं। इसके अतिरिक्त वित्तीय परिणाम कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं ।

लेखा परीक्षा योग्यताएं:

कंपनी का हमेशा प्रयास रहा है कि वह अयोग्य वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करें। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों का जवाब निदेशकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए एमसीएल के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के प्रावधानों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी संलग्न हैं।

बोर्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण:

कार्यकारी निदेशकगण उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों में अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर कंपनी के व्यवसाय के जोखिम प्रोफाइल के साथ-साथ व्यवसाय मॉडल के बारे में जागरूक है। अंशकालिक निदेशकों को कंपनी के व्यापार मॉडल के बारे में पूरी जानकारी है। यद्यपि कॉर्पोरेट प्रशासन से बेहतर परिचित होने के उद्देश्य से, शीर्ष संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए स्वतंत्र निदेशकों को नामित किया गया है। कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप एक निदेशकों के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण भी किया जाना है।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार कॉर्पोरेट प्रशासन पर अनुपालन

आपकी कंपनी ने ओएम नंबर डीपीई / 14 (38) / 10-वित्त दिनांक 28.06.2011 के अनुसार डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देश लागू किया है और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए सीईओ द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया है।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2016-17 के लिए कॉर्पोरेट शासन में 97.65% का वार्षिक स्कोर हासिल किया है, जो 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग है।

अनुलग्नक-V

प्रारूप संख्या एमजीटी - 9

वार्षिक रिटर्न का सार

महनदी कोरिल्ड्स लिमिटेड के 31/03/2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अनुसार

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (1) और कंपनियों (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार]

I. **पंजीकरण और अन्य विवरण:**

i)	सीआईएन :-	U10102OR1992GOI003038	
ii)	पंजीकरण तिथि:	03/04/1992	
iii)	कंपनी का नाम :	**महनदी कोरिल्ड्स लिमिटेड**	
iv)	कंपनी की श्रेणी:	1 सार्वजनिक कंपनी ( )	
		2 निजी कंपनी (√)	
v)	कंपनी की उप श्रेणी: - [कृपया जो भी लागू है, कृपया टिक करें]		
	सरकारी कंपनी		(√)
	छोटी कंपनी		( )
	एकल व्यक्ति कंपनी		( )
	विदेशी कंपनी की अनुषंगी कंपनी		( )
	एनबीएफसी		( )
	गारंटी कंपनी		( )
	शेयरों द्वारा सीमित		(√)
	असीमित कंपनी		( )
	शेयर पूंजीवाली कंपनी		(√)
	बिना शेयर पूंजीवाली कंपनी		( )
	धारा 8 के तहत पंजीकृत कंपनी		( )
vi)	पता	**पोस्ट – जाग्रति विहार, बुर्ला**	
	कस्बा/शहर :	**संबलपुर**	
	राज्य :	**ओडिशा**	
	देश का नाम :	**भारत**	
	पिन कोड :	**768020**	
	फैक्स संख्या :	**0663-2542977**	
	ई-मेल पता :	**cosecymcl@gmail.com**	
	वेबसाइट :	www.mahanadicoal.in	
vii)	मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एस) पर सूचीबद्ध शेयर - हाँ / नहीं (√)		
viii)	रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट का नाम, पता और संपर्क विवरण, यदि कोई हो		निरंक

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियां

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या उससे अधिक का योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा: -

क्र.	मुख्य उत्पाद / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवाओं का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1	कोयला	051-05101 और 051-05102	*100*

III. होल्डिंग, अनुषंगी और सहभागी कंपनियों का विवरण –

क्र.	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	होल्डिंग / अनुषंगी/ सहभागी	शायर धारकों का %	लागू अनुभाग
1	कोल इंडिया लिमिटेड 10, एनएस रोड, कोल भवन कोलकाता - 700001. पश्चिम बंगाल	L23109WB1973GOI028844	होल्डिंग	100	Sec - 2 (87)
2	एमएनएच शक्ति लिमिटेड, आनंद विहार, पो- जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर - 768020. ओड़िशा	U10100OR2008GOI010171	अनुषंगी	70	Sec - 2 (87)
3	एमजेएसजे कोल लिमिटेड, हाउस नं -42, प्रथम तल, हिकिपारा, पो. - अंगुल, अंगुल - 75 9 153 ओड़िशा	U10200OR2008GOI010250	अनुषंगी	60	Sec - 2 (87)
4	हानदी बेसिन पावर लिमिटेड, प्लॉट नं. जी-3, गडकान, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर - 751017, ओड़िशा	U40102OR2011GOI014589	अनुषंगी	100	Sec - 2 (87)
5	महानदी कोयला रेलवे लिमिटेड सी/ओ-एमसीएल, कॉरपोरेट कार्यालय, एमडीएफ रूम, पो.- जागृति विहार,बुर्ला, संबलपुर - 738020, ओड़िशा	U60100OR2015GOI019349	अनुषंगी	64	Sec - 2 (87)
6	नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ - ओपीटीसीएल भोई नगर, भुवनेश्वर -751022, ओड़िशा	U40102OR2013PTC016434	सहभागी	50	अनुभाग- 2 (6)

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी में गिरावट)

i) **श्रेणी-वार शेयर होल्डिंग**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				दौरान वर्ष परिवर्तन %
	डिमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयर का %	डिमेट	भौतिक	उल	कुल शेयर का %	
क. प्रवर्तक									
(1) **भारतीय**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
क)व्यक्तिगत/एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केन्द्रीय सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) निकाय कार्पोरेशन	0	1864009	1864009	100	0	1412266	1412266	100	0
ई) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रमोटर (क) का कुल शेयरहोल्डिंग	0	1864009	1864009	100	0	1412266	1412266	100	0
ख) सार्वजनिक शेयरहोल्डिंग									
1. संस्थानों									
क) म्युचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केन्द्रीय सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ड़) वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I) अन्य (निर्दिष्ट)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (ख) (1): -	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ii) संस्थापकों की शेयरधारिता

2. गैर संस्थान									
क) कार्पोरेशन निकाय									
i) भारतीय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) प्रवासी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्तिगत									
I) शेयर 1 लाख रु. तक व्यक्तिगत नाममात्र की पूंजी शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ii) शेयर 1 लाख रु. से अधिक व्यक्तिगत नाममात्र की पूंजी शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (निर्दिष्ट करें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (ख) (2): -	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल सार्वजनिक शेयर होल्डिंग (ख) = (ख) (1) + (ख) (2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
सीडी जीडीआर और एडीआर के लिए संरक्षक द्वारा रखे शेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग (क+ख +ग)	0	1864009	1864009	100	0	1412266	1412266	100	0

क्र.	शेयर धारक आ नाम	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयरों में के लिए जमा / भार का %	शेयर की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	कुल शेयरों में के लिए जमा / भार का %	
1	**कोल इंडिया लिमिटेड**	1864009	100	0	1412266	100	0	0

प्रमोटर्स के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (कृपया निर्दिष्ट करें, अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है)

क्र.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %
1	वर्ष के प्रारम्भ में				
	कोल इंडिया लिमिटेड	1864006	99.99	1864006	99.99
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस. भट्टाचार्य	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस. एन. प्रसाद	1	0.00001	1	0.00001
2	वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथि-वार वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / उद्‌यम इक्विटी आदि):	0	0	0	0
	कोल इंडिया लिमिटेड	(451743)	24.235	(451743)	24.235
3	वर्ष के अंत में (या अलग होने की तिथि पर, यदि वर्ष के दौरान अलग हो)				
	कोल इंडिया लिमिटेड	1412263	99.99	1412263	99.99
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस. भट्टाचार्य	1	0.00001	1	0.00001
	श्री एस. एन. प्रसाद	1	0.00001	1	0.00001

iv) **शीर्ष दस शेयरधारकों के शेयरधारिता पैटर्न (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों, धारकों के अलावा):**

क्र.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %
1	वर्ष के प्रारम्भ में	0	0	0	0
2	वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथि-वार वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / उद्‌यम इक्विटी आदि):	0	0	0	0
3	वर्ष के अंत में	0	0	0	0

v) **निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता:**

क्र.		वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरहोल्डिंग	
	प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयर का %
1	वर्ष के प्रारम्भ में				
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001
2	वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान शेयर होल्डिंग में तिथि-वार वृद्धि / कमी (जैसे आवंटन / स्थानांतरण / बोनस / उद्यम इक्विटी आदि):				
3	वर्ष के अंत में				
	श्री ए.के. झा	1	0.00001	1	0.00001

V. ऋण

बकाया / अर्जित ब्याज सहित कंपनी की ऋणी, लेकिन भुगतान हेतु बकाया नहीं :

(रु. करोड़ में)

	जमा के अलावा सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋण
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणी				
i) मूल राशि	0.00	7.77	0.00	7.77
ii) बिना भुगतान का बकाया ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii)	0.00	7.77	0.00	7.77
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणी में बदलाव				
* जोड़ना	1500.00	700.00	0.00	700.00
* घटाव	0.00	(1.13)	0.00	(1.13)
निवल परिवर्तन	1500.00	698.87	0.00	2198.87
वित्तीय वर्ष अंत में ऋणी				
i) मूल राशि	1500.00	706.64	0.00	2206.64
ii) ब्याज लेकिन बकाया नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) अर्जित ब्याज लेकिन बकाया नहीं	0.29	0.00	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii)	**1500.29**	**706.64**	**0.00**	**2206.93**

VI. निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. **प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक को पारिश्रमिक:**

ख.

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक का नाम						कुल राशि
	सकल वेतन	श्री ए.के. झा (सीएमडी)	श्री ए.के. तिवारी (डब्ल्यूटीडी)	श्री जे.पी. सिंह (डब्ल्यूटीडी)	श्री के.के. परिडा (डब्ल्यूटीडी)	श्री एल. एन. मिश्रा (डब्ल्यूटीडी)	श्री ओ.पी. सिंह (डब्ल्यूटीडी)	
1	(क) आयकर अधिनियम, 1961 (रु।) की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (रु.)	39,90,520	55,17,790	41,96,244	46,48,786	35,29,195	37,35,985	2,56,18,520
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के तहत लाभ का मूल्य (रु।)	0	0	0	0	0		0
	(c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के तहत वेतन के बदले लाभ (रु.)	0	0	0	0	0		0
2	स्टॉक विकल्प (रु.)	0	0	0	0	0		0
3	उद्‌यम इक्विटी (रु.)	0	0	0	0	0		0
4	छुट - लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें (रु.)	0	0	0	0	0		0
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें (रु.)	0	0	0	0	0		0
	कुल (क) (रु.)	39,90,520	55,17,790	41,96,244	46,48,786	35,29,195	37,35,985	2,56,18,520
	अधिनियम के अनुसार सीमा (रु.)	-	-	-	-	-		-

ख. **अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:**

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	श्री एच.एस. पति	डॉ. रजिब मल्ल	कुल राशि
1	स्वतंत्र निदेशकगण			
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	5,05,000	4,40,000	9,45,000
	कमीशन	0	0	0
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0	0	0
	कुल (1)	5,05,000	4,40,000	9,45,000

2	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकगण	0	0	0
	बोर्ड कमेटी की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	0	0	0
	कमीशन	0	0	0
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	0	0	0
	कुल (2)	0	0	0
	कुल(B)=(1+2)	5,05,000	4,40,000	9,45,000
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	0	0	0
	अधिनियम के अनुसार कुल अधिकतम सीमा	-	-	-

ग. प्रबंध निदेशक / प्रबंधक / पूर्ण कालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधक कार्मिक	
		कंपनी सचिव	कुल
1	सकल वेतन (रु.)		
	(क) आयकर अधिनियम, 1 9 61 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	3346304	3346304
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961की धारा 17(2) के तहत लाभ का मूल्य	-	-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ का मूल्य	-	-
2	स्टाक ऑप्शन (रु.)	-	-
3	उद्यम एक्विटी (रु.)	-	-
4	कमीशन (रु.)	-	-
	- के अनुसार लाभ का %	-	-
	अन्य, निर्दिष्ट करें	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें (रु.)	-	-
	कुल	3346304	3346304

VII. जुर्माना/ दंड/ गलतियों को जोड़ना :

प्रकार	**कंपनी अधिनियम की धारा**	**संक्षिप्त विवरण**	**लगाए गए जुर्माना/ दंड/शुल्क का विवरण**	**अधिकार [आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय]**	**की गई अपील, यदि कोई है (विवरण दें)**
क. कंपनी					
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
सज़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कंपाउंडिंग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ख. निदेशकगण					
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
सज़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कंपाउंडिंग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
ग. अपराध में अन्य अधिकारी					
दंड	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
सज़ा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
कंपाउंडिंग	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

अनुलग्नक -VI

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

क. उद्योग संरचना और विकास:

कोयला - ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत:

कोयला ऊर्जा का प्रमुख, टिकाऊ और भरोसेमंद स्रोत है। वैश्विक रूप से, वाणिज्यिक ऊर्जा के लिए कोयले का उपयोग 1950 से मुख्यतः पर्यावरण संबंधी चिंता और सस्ते तेल और गैस की उपलब्धता के कारण नीचे जा रहा है। हालांकि, भारत में परिस्थिति पूरी तरह से अलग है। देश में कोयले के प्रचुर भंडार और आसानी से उपलब्धता के कारण कोयले की बिजली उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाने की संभावना है।

कोयला भंडार:

हमारे देश में जीवाश्म संसाधनों के 97% कोयला का हैं। दिनांक 01.04.2016 के अनुसार राष्ट्रीय कोयला इन्वेंटरी में 68 अलग-अलग कोयला क्षेत्रों में 1200 मीटर की गहराई तक 308.801 अरब टन (बीटी) में कोयले के स्रोतों का विवरण देता है, विवरण निम्नानुसार हैं:

क्र.	राज्य	कोलफील्ड्स की संख्या	कोला भंडार (बी.टन)	भारत का %
1	झारखंड	12	81.172	26.29%
2	ओडिशा	2	75.896	24.58%
3	छत्तीसगढ	13	56.036	18.15%
4	पश्चिम बंगाल	4	31.529	10.21%
5	मध्यप्रदेश	8	26.907	8.71%
6	तेलंगाना	1	21.415	6.93%
7	महाराष्ट्र	5	11.436	3.70%
8	उत्तर पूर्वी राज्य	20	1.608	0.52%
9	आन्ध्रप्रदेश	1	1.581	0.51%
10	उत्तरप्रदेश	1	1.062	0.34%
11	बिहार	1	0.160	0.05%
कुल		68	308.802	100.00%

झारखंड के बाद कोयले के आरक्षित भंडार में ओड़िशा भारत में दूसरे स्थान पर है। 01 अप्रैल, 2016 को ओड़िशा में कोयले का कुल भंडार 75.896 अरब टन है जो कुल राष्ट्रीय कोयला भंडार का लगभग 24.58% है। ओड़िशा के दो कोलफील्ड्स, अर्थात् तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स, एमसीएल के अपने अधिकार क्षेत्र में हैं, तालचेर सबसे बड़ा कोलफ़ील्ड्स (51.065 बिलियन टन) और ईब-वैली (24.831 बिलियन टन) भारत का दूसरा सबसे बड़ा कोलफील्डस है। आरक्षित कोयले के 75.896 अरब टन में साबित हुआ कोयला आरक्षित 34.2 9 45 बीटी (45.18%) है।

ओडिशा के तालचेर और ईब-वैली कोलफील्ड्स में विशाल तापीय ग्रेड गैर-कोकिंग कोल का भंडार है, जिनके पास सबसे अनुकूल कॉरिअबिलिटी संभावना है। दक्षिणी और पश्चिमी भारत के मौजूदा और प्रस्तावित तापीय संयंत्रों के लिए कोयले की मांग बढ़ रही है।

कोयला ऑफ टेक और प्रेषण:

वर्ष 2016-17 के लिए 598.60 मिलियन टन कोयला निकालने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड ने ऑफ टेक कार्यक्रम की योजना बनाई गई है, जिसमें से 167.00 मिलियन टन (27.90%) एमसीएल का भी हिस्सा है।

वर्ष 2017-18 के लिए XI वी और XII वी योजना के लिए क्षेत्र-वार वास्तविक कोयला ऑफ टेक

(आंकड़े मी.टन में)

	XI योजना					XII योजना					
	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 (बीई)
विद्युत	68.09	70.47	70.88	74.73	77.11	88.16	78.223	87.717	91.17	98.55	129.493
सीमेंट	0.19	0.17	0.26	0.27	0.23	0.348	0.340	0.432	0.24	0.257	0.260
उर्वरक	-	-	-	0.02	0.026	0.060	0.0367	0.024	0.004	0.00	0.06
अन्य	15.35	20.06	27.01	27.07	25.16	23.396	35.742	34.828	48.797	44.204	20.187
कुल	83.63	91.30	98.15	102.09	102.52	111.964	114.342	123.001	140.214	143.011	150.00

वर्ष 2017-18 के लिए XI वी और XII वी योजना के लिए विधि-वार वास्तविक कोयला परिचालन

(आंकड़े मी.टन में)

	XI योजना					XII योजना					
	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 (बीई)
रेल	51.68	54.18	55.84	59.24	60.310	68.727	72.224	81.260	89.079	90.776	95.16
सड़क	12.16	18.68	23.35	25.12	25.623	25.219	24.506	25.152	34.515	38.210	40.34
एमजीआर	18.59	17.08	17.37	16.11	14.797	16.191	15.745	15.166	15.231	12.611	13.50
अन्य लोग	1.20	1.36	1.59	1.62	1.791	1.819	1.866	1.423	1.389	1.410	1.00
संपूर्ण	83.63	91.30	98.15	102.09	102.521	111.959	114.342	123.001	140.214	143.007	150.00

कोयला उपलब्धता:

एमसीएल में 2016-17 के दौरान 12 वीं योजना अवधि अर्थात 2012-13, 2013-14,2014-15,2015-16, प्रक्षेपण में वास्तविक कोयला उत्पादन और 2017-18 में मौजूदा खानों, पूर्ण परियोजना, एवं कार्यरत परियोजना से उत्पादन नीचे दी गई है।

(आंकड़े मी.टन में)

	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18
मौजूदा खदान	1.32	1.35	1.32	1.333	0.967	0.778	1.127	0.981	0.8936	0.930
पूर्ण परियोजना	64.85	71.19	73.27	66.645	67.344	59.988	70.906	76.220	77.5699	83.845
कार्यरत एवं नई परियोजना	30.17	31.54	25.69	35.140	39.584	49.674	49.346	60.70	60.7549	65.230
कुल	96.34	104.08	100.28	103.118	107.895	110.440	121.379	137.901	139.2084	150.00

उत्पादकता:

एमसीएल में ओसीपी से कोयला उत्पादन का बड़ा हिस्सा अनुबंध के माध्यम से और ओबीआर का विभागीय माध्यम से किया जाता है। कुछ परियोजनाओं में ओबीआर को बाह्य स्रोतो से भी निकाला जाता है। एमसीएल मे ओएमएस की स्थिति निम्नानुसार है।

	2008-09 वास्तविक	2009-10 वास्तविक	2010-11 वास्तविक	2011-12 वास्तविक	2012-13 वास्तविक	2013-14 वास्तविक	2014-15 वास्तविक	2015-16 वास्तविक	2016-17 वास्तविक	2017-18 बीई
यूजी	1.25	1.29	1.25	1.24	0.97	0.84	0.77	0.67	0.65	0.65
ओसी	23.05	18.89	20.50	20.38	21.34	22.16	22.11	24.24	25.72	31.87
संपूर्ण	16.59	14.66	15.37	15.36	16.07	16.69	17.10	18.88	20.08	23.81

ख. <u>स्वाट विश्लेषण</u>

शक्ति:

- सीआईएल की सहायक कंपनियों में दूसरी सबसे बडी कोयला उत्पादक कंपनी।
- कोयला उत्पादन, उत्पादकता और राजस्व के मामले में विकास की मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड।
- अच्छी कार्य प्रणाली- कुशल, अनुभवी और समर्पित कार्य बल।
- अन्वेषण और खनन योजना की मजबूत क्षमता।
- ओड़िशा राज्य में कोयला खनन क्षेत्र में खनन संचालन और देश में प्रमुख उपभोक्ताओं की सेवा।

कमजोरी:

- क्षतिपूर्ति वाला भूमिगत संचालन।
- कोयले की निकासी काफी हद तक बाहरी एजेंसियों पर निर्भर है और निकासी बढ़ते हुए कोयला अंचल में बुनियादी सुविधाओं की कमी है।
- उपलब्ध संसाधनों में कम ग्रेड के कोयले का प्रभुत्व।

अवसर:

- ➢ विशेष रूप से विद्युत उत्पादन के लिए देश में कोयले की भारी मांग।
- ➢ एमसीएल में कोयला खनन की भारी संभावना।
- ➢ उत्तरी भारत में स्थित विद्युत संयंत्र भी एमसीएल से जुड़े हुए हैं।
- ➢ एक स्वस्थ विपणन रणनीति तैयार करने के लिए और उपभोक्ताओं, रेलवे और वाहक के साथ दीर्घकालिक समझौता तैयार करने के लिए।
- ➢ वाशरी की स्थापना के लिए
- ➢ सत्ता में विविधीकरण
- ➢ तरल (तेल) के लिए कोयला गैसीकरण और कोयले के लिए संयुक्त उपक्रम।.

चुनौती:

- ➢ कोयला खुली खदान खनन के लिए उत्तरदायी - अधिक भूमि की आवश्यकता।
- ➢ भूमि अधिग्रहण और फलस्वरूप सामाजिक विस्थापन।
- ➢ पुनर्वास और पुनर्स्थापन के मुद्दे।
- ➢ पर्यावरण प्रदूषण के लिए खुली खदान खनन में आशंका।
- ➢ कोयला परिवहन में रेलवे की अपर्याप्तता।
- ➢ उपभोक्ताओं का बहुमत कोयला क्षेत्र से दूर हैं अर्थात उपभोक्ताओं को रेल भाड़ा में वृद्धि उच्च भूमि लागत।
- ➢ तटीय आधारित टीपीपीएस के पास आयातित कोयले का इस्तेमाल करने के लिए विकल्प हैं
- ➢ कैप्टिव खनन - बाजार में कोयले की बिक्री के लिए राज्य सरकार की कंपनियों, कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ब्लॉक का आवंटन।

ग. कार्य निष्पादन:

मुख्य रिपोर्ट में शामिल

घ. आउटलुक

सदस्यों को पता है कि वर्तमान में एमसीएल में 102.58 मीट्रिक टन क्षमता (बंद खानों की क्षमता सहित) की 35 पूर्ण परियोजना है जिसमें से XI योजना अवधि के दौरान 1.60 मीट्रिक टन क्षमता की 02 परियोजना बंद हो चुकी है। कार्यान्वयन के अंतर्गत 121.83 लाख टन क्षमता की 16 चालू परियोजनाएं (मार्च 2016 के अनुसार) हैं। 2016-17 के दौरान इन चालू परियोजनाओं से उत्पादन 60,699 लाख टन है।

ईब-वैली कोलफील्ड के बसुंधरा क्षेत्र (गोपालपुर पथ के रूप में जाना जाता है) में पर्याप्त क्षमता है, लेकिन वहाँ केवल थोड़ा-थोड़ा कोयला निकासी व्यवस्था है। आपकी कंपनी ने योजना बनाई और बसुंधरा क्षेत्र से झारसुगुडा रेलवे स्टेशन तक 52 किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी है। भूमि अधिग्रहण और रेलवे लाइन के निर्माण के लिए एमसीएल और दक्षिण पूर्व रेलवे के बीच दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। भूमि अधिग्रहण का काम चल रहा है और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। रेलवे लाइन के पूरा होने की निर्धारित तिथि दिनांक 09.03.09 से 36 महीने मानी जा रही है। एफ़आरए-2006 के तहत एनओसी के अभाव में लंबित वन भूमि अधिग्रहण के कारण परियोजना लंबित है, और ईब नदी पर एक बड़े पुल का निर्माण कार्य चल रहा है।

इसी तरह, तालचेर कोलफील्ड में कलिंगा अंगुल लिंक रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा है। एक बार यह खंड पूरा हो गया है तो वहाँ अंगुल साइड से खाली रेल की एक दिशात्मक आंदोलन होगा तथा तालचेर साइड से लोडेड रेक खाली की जाएगी। इस दोहरे रेक आंदोलन से तालचेर कोयला क्षेत्र की क्षमता में वृद्धि होगी।

खिम और चिंता:

खनन विशिष्ट स्थान होता है और इसे बदला नहीं जा सकता । निम्न जोखिम और चिंताएं शामिल है :

- वन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी।
- पुनर्वास और पुनर्स्थापन की उच्च लागत
- रोजगार कानून और व्यवस्था मे निर्धारित मानदंडों से परे रोजगार की मांग, खनन और कोयला परिवहन के संचालन में बाधा डालने की बार-बार समस्या।
- एचईएमएम और अन्य विद्युत एवं यान्त्रिकी समान की खरीद मे देरी।

ङ. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनके पर्याप्तता: मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

च. परिचालन निष्पादन के संबंध में वित्तीय कार्य निष्पादन पर चर्चाएँ: मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

छ. अनेक कार्यरत लोगों को शामिल कर मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध मे मटेरियल डेवलोपमेंट: मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

ज. पर्यावरणीय सुरक्षा और संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा आंदोलन।

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

झ. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

मुख्य रिपोर्ट में शामिल।

अनुलग्नक--VII

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियॉ

कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन खाका के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है । अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक स्वतंत्र लेखा परीक्षक पर आधारित अधिनियम की धारा 143(10), अधिनियन की धारा 129(4) को पढ़ा जाए, के तहत निर्धारित मानक लेखा परीक्षा के अनुसार वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उनके दिनांक 27.05.2017 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के साथ धारा 129(4) को पढ़ा जाए, के अंतर्गत महानदी कोलफील्डस लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजातों के आकलन के बिना और वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर की गई है।

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी जानकारी के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की ओर से

हस्ता/-

(प्रवीर कुमार)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 12.07.2017

31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखा पर कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक एवं महालेखाकार की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम,2013 के तहत दिए गए वित्तीय प्रतिवेदन खाका के अनुसार 31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कंपनी अधिनियम की धारा 139(5) के साथ धारा 129 (4) के तहत भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक, अधिनियम की धारा 143(10) के तहत दिए गए लेखांकन मानक के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर, अधिनियम की धारा 143 के साथ 129(4) के तहत वित्तोय विवरणी पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनके दिनांक 27.05.2017 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में ऐसा करने का उल्लेख किया गया है।

मैने भारत के लेखा नियंत्रक और महालेखाकार के प्रतिनिधि के रूप में कंपनी अधिनियम की धारा 143(6)(क) के साथ धारा 129(4) को पढ़ा जाए, के अंतर्गत महानदी कोलफील्डस लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च,2017 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण की पूरक लेखा परीक्षा की है। उक्त तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए महानदी कोलफील्डस लिमिटेड एवं अनुलग्नक में सूचीबद्ध इसकी अनुषंगी कंपनियों का वित्तीय विवरणी के पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा, वैधानिक लेखा परीक्षकों के वर्किंग कागजातों के बिना और वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से की गई सीमित प्राथमिक पूछताछ एवं कुछ चुने हुए लेखांकन रिकार्डों की परीक्षा के आधार पर स्वतंत्र रूप से की गई है।

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है जिसके तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणी किया जा सके।

हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हमारी जानकारी के तहत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के परिशिष्ट पर टिप्पणी योग्य कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

कृते एवं भारत के लेखा नियंत्रक एवं
महालेखाकार की ओर से
हस्ता/-
(प्रवीर कुमार)
प्रधान निदेशक
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा एवं पदेन सदस्य
लेखा परीक्षा बोर्ड-।। कोलकाता

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 18.07.2017

अनुलग्नक

अनुषंगी कंपनियों के नाम	वर्ष 2016-17 के लिए पूरक लेखा परीक्षा का विवरण
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	आयोजित पूरक लेखा परीक्षा और जारी किए गए निरंक प्रमाण पत्र
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	कोई समीक्षा प्रमाण पत्र जारी नहीं।
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	कोई समीक्षा प्रमाण पत्र जारी नहीं।
महानदी बेसिन पवार लिमिटेड	O/o the Pr. DCA, MAB-I, कोलकाता द्वारा आयोजित पूरक लेखा परीक्षा और कोई समीक्षा प्रमाण पत्र जारी नहीं।

स्वतंत्रलेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यगण

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट :

हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31.03.2017 समाप्त वर्ष के तुलनपत्र, लाभ-हानि लेखा (अन्य समेकित आय सहित), नकद प्रवाह विविरणी तथा वर्ष के लिए एक्विटी मे परिवर्तन, महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सुचनाओं का सारांश (इसके पश्चात "स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों" का संदर्भ) शामिल है। इस वित्तीय विवरणी में छः खनन क्षेत्रों एवं तालचेर कोलफील्ड्स की एक केंद्रीय कर्मशाला से संबंधित शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा परीक्षित आंकड़े शामिल है ।

स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

कंपनी के निदेशक मण्डल, इस स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों के निर्माण के संबंध में कंपनी अधिनियम ("अधिनियम") 2013 की धारा 134(5) के तहत नियमों को पढ़े, मे उल्लेखित मामलों के लिए उत्तरदायी है जो धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक सहित भारत में स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार मामलों (वित्तीय स्थिति) की सही एवं स्पष्ट जानकारी, लाभ-हानि (अन्य समेकित आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन), नगदी प्रवाह, कंपनी के एक्विटी शेयर में परिवर्तन की जानकारी देता है। कंपनी के निदेशक मंडल का उत्तरदायित्व है कि वे कंपनी की संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यथोचित लेखा अभिलेखों को बनाए रखें जो धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकने के लिए यथोचित लेखा नीतियों का चयन व लागू करने, उचित व विवेकपूर्ण निर्णय व अनुमान करने व ऐसी यथोचित आंतरिक भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय नियंत्रण लागू करने व बनाए रखने, जो प्रासंगिक लेखा अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करती हो, जो वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित हो और सत्य व निष्पक्ष कथन का आलोकन कराती हो और जो किसी धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से होने वाली गलत विवरण से मुक्त हो, जो कंपनी के निदेशकों द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियां तैयार करने में उपयोग की जाती हों ।

लेखा परीक्षक का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों के आधार पर अपना मत व्यक्त करना है। लेखा परीक्षण करते समय हमने लेखा परीक्षा अभिलेखों में शामिल किए जाने वाले आवश्यक अधिनियम के प्रावधानों, अधिनियम के तहत ऐसे प्रावधानों को जो लेखा व लेखापरीक्षा मानकों एवं तदाधीन नियमों को ध्यान में रखा है ।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा किया। ये मानक नैतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार आयोजित व निष्पादित की कि हमें जो भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरण प्राप्त हुए उसमें किसी गलत विवरण के न होने के प्रति हम

आश्वस्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणियों में राशि और प्रकटन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है।

चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय और भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का मूल्यांकन शामिल है चाहे यह धोखे से हो अथवा चूक से। इन जोखिम मूल्यांकनों को करने में लेखापरीक्षक कंपनी के संगत आंतरिक नियंत्रण और परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखापरीक्षा अपनाने में भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों की सही प्रस्तुति पर विचार करता है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन और प्रबंधन द्वारा लेखांकन अनुमानों की उपयुक्तता व स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल हैं।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा एवं अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा उनके प्रतिवेदनों के संबंध में प्राप्त, निम्नानुसार अन्य विषय-वस्तु के उप-अनुच्छेद (क) में दर्ज, लेखापरीक्षा साक्ष्य, भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु, पर्याप्त और उपयुक्त है।

मत :

हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी अधिनियम द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करती है तथा भारतीय लेखांकन मानक सहित 31 मार्च, 2017 के अनुसार प्राय: भारत मे स्वीकार्य कंपनी की वित्तीय स्थिति की लेखा नीतियों तथा इसके लाभ (अन्य समेकित आय सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन), इसके नगद प्रवाह और वर्ष के लिए एक्विटी मे परिवर्तन के साथ सही एवं स्पष्ट जानकारी देता है।

अन्य मामलें:

(क) कंपनी के स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी में शामिल शाखा लेखा परीक्षा द्वारा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण तालचेर क्षेत्र के एक केंद्रीय कर्मशाला तथा 6 खदान क्षेत्र की सूचना की हमने लेखा परीक्षा नहीं की है जो 31 मार्च 2017 के अनुसार 1247331.21 लाख रुपए के कुल परिसंपत्ति को तथा उसी तिथि पर समाप्त वर्ष ए लिए कुल 313289.43 लाख रुपए के राजस्व को प्रभावित करती है। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणी/जानकारी हमें दी गई है तथा हमारी राय में जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और उसके प्रकटीकरण से संबंधित है वहाँ वह केवल इस तरह से शाखा के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

(ख) हमारी रिपोर्ट की जांच के बिना यह कहना कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी का अनुपालन के लिए अनुसूची III के तहत आवश्यकता के मुताबिक अपने खनन अधिकार को अमूर्त संपत्ति के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है, क्योंकि यह भी राय है कि वर्तमान में उसका मूल्य निर्दिष्ट करने हेतु भारतीय लेखांकन मानक में विहित कोई मापदंड नहीं है।

इस संबंध में हमारी राय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

हमें इन पर विश्वास है :

क. ओबीआर लागत के मानक अनुपात और चालू अनुपात के बीच भिन्नता हेतु समायोजन सहित आधिक्य और लेखांकन के मामले में एडवांस स्ट्रिपिंग, प्रकटित कोयला, औसती मानक अनुपात, चालू अनुपात, अनुपात भिन्नता आदि के संबंध में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत तकनीकी आंकड़े।

(ख) सेंट्रल माईन प्लानिंग एंड डिजाईन इंस्टिट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल) द्वारा तैयार खान बंद करने की योजना और खान बंद करने के खर्चों के बारे में कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए प्रावधान।

(ग) अचल परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान करने हेतु प्रबंधन का तकनीकी या अन्य मूल्यांकन/अनुमान करना

अन्य वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार हम आदेश के पैरा 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण 'अनुलग्नक-क' में देते हैं।
2. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा 'अनुलग्नक-ख' में जारी अनुदेशों के आधार पर हमे दी गई जानकारी तथा व्याख्या के अनुसार कंपनी के रेकॉर्ड तथा बही के ऐसे जांच के आधार जैसा कि हमारे विचार में थी हो, अधिनियम कि धारा 143(5) के शर्तों में हमारे प्रतिवेदन को हम संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) में यथावांछित सीमा तक हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क. हमने अपने पूर्ण ज्ञान और विश्वास में ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो उक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;

ख. हमारी राय में उपरोक्त भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणियों को तैयार करने से संबंधित कानून द्वारा आवश्यक रूप में उचित लेखा-बही इन पुस्तकों के परीक्षण के पश्चात जिस रूप में पाई गई वैसे ही रखी गई है।

ग. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अंतर्गत लेखा परीक्षित छः खदान क्षेत्र तथा तालचेर क्षेत्र के एक कैंद्रीय कर्मशाला लके लेखाओं के प्रतिवेदन को हमारे पास भेजा गया तथा इस प्रतिवेदन को तैयार करने में हमारे द्वारा उचित रूप से उसका निपटान किया गया।

घ. इस रिपोर्ट के साथ व्यवहारित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरणी और नगदी प्रवाह विवरणी, ईक्विटी में परिवर्तन की विवरणी लेखा-बहियों में हैं भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणी को तैयार करने के उद्देश्य के लिए उचित लेखा बही को अनुरक्षित किया जाता है।

ङ. हमारी राय मे अधिनियम की धारा 133 में जारी संगत नियमों को पढ़े, जिसके अंतर्गत उल्लेखित उपरोक्त स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय रिपोर्ट के साथ लेखांकन नीतियों का अनुपालन किया जाता है।

च. कारपोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 को अधिसूचना संख्या जी.ए.स.आर 463 (इं) के शर्तो में एक सरकारी कंपनी होने के कारण हमे यह सूचित किया गया है कि कंपनी के लिए निदेशको के अपात्रता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं है।

छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रक की प्रभावशाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कि पर्याप्तता के संबंध में 'अनुलग्नक-ग' में हमारी रिपोर्ट देखें।

ज. लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में कंपनी नियमावली, (ऑडिट एंड ऑडिटर्स) 2014 के नियम 11 के अनुसार शामिल अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत में और हमारी पूर्ण जानकारी में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार-

i. नोट 38 के बिन्दु 5 का अवलोकन करते हुए कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है।

ii. लागू कानून या लेखा मानकों के तहत व्युत्पन्न अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंधों पर निकट भविष्य में होने वाले नुकसान के लिए वित्तीय विवरणियों में प्रावधान किया गया है।

iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष के लिए आवश्यक स्थानांतरण हेतु आवंटन राशि में कोई विलंब नहीं हुआ है। तथा

iv. 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर की अंवधि के दौरान कंपनी ने अपने भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में निर्दिष्ट बैंक नोटो के स्वामित्व के साथ लेन-देन हेतु अपेक्षित प्रकटीकरण किया है और ये कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा बही के अनुसार है।

कृते सिंह रे मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन: 318121ई

हस्ताक्षर
जीतेन कुमार मिश्रा
साझेदार
एम. संख्या; 052796

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 27/05/2017

लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-क

31 मार्च, 2017 के समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में कंपनी के सदस्यों के स्वतंत्र लेखापरीक्षकों को संदर्भित अनुलग्नक में, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) **(क)** कंपनी ने मात्रात्मक विवरण एवं परिसंपत्तियों की स्थिति समेत पूर्ण विवरण को दर्शानेवाला समुचित रिकार्ड रखा है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कंपनी की स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष जांच की गई है। इन जाँचों में वस्तुओं की कोई अनियमितता नहीं देखी गई है।

ग) हमें दी गई जानकारी तथा व्याख्या के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर यह सप्ष्ट हुआ है कि कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीज होल्ड भूमि के लिए क्लीयर टाइटल/लीज डीड है तो भी कंपनी के कब्जे में आनंद विहार और जागृति विहार में 58.984 एकड़ भूमि है। कंपनी ने प्रीमियम जमा कर दिया है और उसके पक्ष में भूमि को स्वीकृत करने के लिए आवेदन कर दिया है।

ii) जैसा कि हमें स्पष्टीकरण दिया गया है कि कोयले के भंडार की प्रत्यक्ष जांच एक तर्कसंगत अंतराल के बाद तथा भंडार एवं पूर्जों के स्टॉक(मार्गस्थ और /या आपूर्तिकर्त्ताओं/ ठेकेदारों के पास निरीक्षण के तहत को छोड़कर) की जॉच प्रबंधन द्वारा चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत की जाती है। वास्तविक स्टॉक एवं पुस्तकीय स्टॉक के वास्तविक जाँच से उत्पन्न अंतर को लेखा की पुस्तक में दर्शाया गया।

iiii) हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार एवं रिकार्ड की जांच के आधार पर
हम सूचित करते हैं कि चालू लेखा बही सहित अल्प अवधि ब्याज का कोल इंडिया लिमिटेड, स्वामित्वधारी कंपनी तथा अनुषंगिक कंपनियों महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड, एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड के साथ अनुरक्षित किया जाता है। हमने यह भी पाया है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013(अधिनियम) की धारा-189 के तहत् अनुरक्षित कॉरपोरेट निकाय सी.सी.एल. लिमिटेड को 1500 कराड़ रूपये का अनुदान दिया गया है।

क. रिकार्ड की परीक्षा एवं उपलब्ध सूचना एवं स्पष्टीकरण के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि इस तरह के दिये गये ऋण के निबंधन एवं शर्त कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है।

ख. कोल इंडिया लिमिटेड, स्वामित्वधारी कंपनी और अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू शेष खाते पर ब्याज की नियमित प्राप्ति की जाती है। चालू जमा के ब्याज दर पर एम.सी.एल. कोल इंडिया लिमिटेड के साथ ब्याज दर जमा करती है तथा इसकी अनुषंगी कंपनियां भी इस प्रकार के ब्याज जमा करने का कार्य करती है।

ग. महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड, एम.जे.एस.जे. कोल इंडिया लिमिटेड, एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड, महानदी कोल रेलवे लिमिटेड अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू खाता के संबंध में कोई बकाया राशि

नहीं है क्योंकि पुनः भुगतान अवधि निर्धारित नहीं है तथा तथा 31.03.2017 को सी.सी.एल. के लिए प्रदान करने के संबंध में कोई बकाया नहीं है।

iv) हमें प्राप्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण के अनुसार कर्ज, निवेश तथा गारंटी से संबंधित अधिनियम की धारा-185 तथा 186 के प्रावधान का अनुपालन किया गया है। हालांकि दिनांक-25.05.2017 के कोयला मंत्रालय से पूर्वोत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है।

v) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

(vi) कंपनी द्वारा स्वतंत्र रुप से लागत की लेखा परीक्षा की जाती है तथा हमलोग कंपनी(लागत लेखांकन रिकार्ड) नियमावली ,2014 जिसे केंद्रीय सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत मोटे तौर पर कंपनी द्वारा अनुरक्षित गत रिकार्ड की समीक्षा की है और हमारा मत है स्पष्ट है कि दिया गया लागत रिकार्ड रखा एवं अनुरक्षित किया गया है।

(vii) (क) कंपनी के रिकार्ड और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी सामान्यत: अविवादित सांविधिक बकाये जिसमें भविष्य निधि, आयकर, विक्रय कर, वैट, संपत्ति कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं लागू अन्य सांविधिक बकाये शामिल हैं, को वर्ष के दौरान उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करती है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को कोई बकाया देय, उसके देय होने की तिथि से छ: महीने से अधिक अवधि के लिए बकाया नहीं।

(ख) कंपनी के रिकार्ड एवं हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार 31.03.2017 को आयकर, विक्रय कर, संपत्ति कर,सेवा कर,सीमा शुल्क,उत्पाद शुल्क एवं सेस के विवादित बकायों का विवरण नीचे दिया गया है

क्रम संख्या	अधिनियम के नाम	बकाया की प्रकृति	राशि (लाख रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबन्धित है	फॉर्म जहां मामला लंबित है
1	आय कर अधिनियम	आय कर	78,815.22	2014-15	सीआईटी(ए)/, संबलपुर
2	आय कर अधिनियम	आय कर	36,784.48	08-09, 09-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14	आईटीएसटी, कटक
3	आय कर अधिनियम	आय कर	6909.33	97-98, 98-99, 05-06, 06-07 और 07-08	उच्च न्यायालय, ओड़िशा

बसुंधरा					
क्रम संख्या	आधनियम का नाम	बकाया राशि	राशि (लाख रुपये में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	फोर्म जहां मामला लंबित है
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	654.11	2011 to 2014	सीईएसटीएटी, कोलकाता
2	वित्त अधिनियम,1994	सेवा कर	6.02	2009	आयुक्त अपील
	ओरिएंट				
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	5.09	2011 to 2016	सीईएसटीएटी, कोलकाता
	ईब-वैली				
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	843.24	2011-12	सीईएसटीएटी, कोलकाता
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	1,015.06	2012-13	सीईएसटीएटी, कोलकाता
3	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	793.79	2013-14	सीईएसटीएटी, कोलकाता
4	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	1,145.92	2014	सीईएसटीएटी, कोलकाता
5	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	243.89	2014-15	सीईएसटीएटी, कोलकाता
6	वित्त अधिनियम,1994	सेवा कर	1.50	2008-09	आयुक्त, सीबीईएस
7	वित्त अधिनियम,1994	सेवा कर	17.72	2010-11 से 2014-15	आयुक्त, सीबीईएस
8	वित्त अधिनियम,1994	सेवा कर	1.70	2014-15	आयुक्त, सीबीईएस
9	ओड़िशा वैट	विक्रय कर	123.93	2005-06	विक्रय कर आयुक्त
10	ओड़िशा वैट	विक्रय कर	683.12	2006-07	विक्रय कर आयुक्त
11	ओड़िशा वैट	विक्रय कर	2.68	2009-11	विक्रय कर आयुक्त
12	ओड़िशा वैट	विक्रय कर	86.30	2013-14	विक्रय कर आयुक्त
13	ओड़िशा वैट	विक्रय कर	4,261.04	2014-15	विक्रय कर आयुक्त
14	ओड़िशा वैट	विक्रय कर	6,694.67	2015-16	विक्रय कर आयुक्त

लिंगराज					
1	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम	उत्पाद शुल्क	1.42	2013-14	सीईएसटीएटी, कोलकाता
2	वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	2.26	2007-08 से 2014-15	सहायक आयुक्त अनगुल
3	वित्त अधिनियम,1994	सेवा कर	6.81	2012-13	सहायक आयुक्त अनगुल
4	ओड़िशा वैट	सीएसटी	1.16	1998-99	एसीसीटी कटक- II रेंज
5	ओड़िशा वैट	सीएसटी	0.06	2001-2002	कटक आयुक्त
6	ओड़िशा वैट	सीएसटी	16.14	2000-2001	कटक आयुक्त
7	ओड़िशा वैट	सीएसटी	1.13	2004-2005	एसीसीटी कटक II रेंज
8	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	52.07	1999-2000	सहायक आयुक्त अनगुल
9	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	4.93	2003-2004	उच्च न्यायालय ओड़िशा
10	ओईटी अधिनियम	प्रवेश कर	4.52	2004-2005	उच्च न्यायालय ओड़िशा
भरतपुर					
1	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994	केंद्रीय उत्पाद कर	87.60	2011-12 से 2014-15	अपर आयुक्त,केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर, राउलकेला आयुक्त
2	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	171.31	2010-11 से 2014-15	आयुक्त,केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क एवं सेवा कर,संबलपुर विभाग-II
3	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	889.59	01.04.03 to 31.12.07	सीईएसटीएटी कोलकाता
4	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	427.31	जनवरी 08 से जून 09 तक	सीईएसटीएटी कोलकाता
5	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	135.32	जुलाई 2009 से जनवरी 2010	सीईएसटीएटी कोलकाता
6	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	114.06	फरवरी 2010 से जुलाई 2010	सीईएसटीएटी कोलकाता
7	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	103.26	अगस्त 2010 से मार्च 2011	सीईएसटीएटी कोलकाता
8	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	78.46	अप्रैल 2011 से दिसम्बर 2011	सीईएसटीएटी कोलकाता
9	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	93.75	जनवरी 12 से नवम्बर 12	आयुक्त (अपील),केंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर,बीबीएसआर-I

10	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	58.17	दिसम्बर 12 से मार्च 14	आयुक्त (अपील),कैंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर,बीबीएसआर-II आयुक्त
11	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	8.84	1 जून 2007 से 31 मार्च 2012	सहायक आयुक्त ,कैंद्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर, अनगुल विभाग, अनगुल
12	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	7,462.35	2006-07 से फरवरी 2011	सीईएसटीएटी कोलकाता
13	सेवा कर अधिनियम,1994	सेवा कर	20.14	/01.01.05 से 15.03.06	सीईएसटीएटी कोलकाता
जगन्नाथ					
1.	कैंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	0.72	2013-14 और 2014-15	आयुक्त (अपील)
2.	कैंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	1.51	2011-12 से 2013-14	आयुक्त (अपील)
3.	कैंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	49.23	2013-14	आयुक्त (अपील)
4.	कैंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	8.86	01.03.2011 से 31.03.2015	सीईएसटीएटी कोलकाता
5.	कैंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	203.81	Mar-11	सीईएसटीएटी कोलकाता
6.	कैंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	3,436.17	2010-11 से 2014-15	उच्च न्यायालय
7.	स्वच्छ ऊर्जा उपकरअधिनियम तथा कानून	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	4,558.90	2010-11 से 2014-15	उच्च न्यायालय
8.	विक्रय कर	/विक्रय कर	5.25	2004-05	सयुक्त आयुक्त (ए), कटक
9.	विक्रय कर	विक्रय कर	2,000.00	2005-2007	ओड़िशा उच्च न्यायालय
10.	विक्रय कर	विक्रय कर	209.80	01.04.2008 से 31.01.2012	अपर आयुक्त (अपील),कटक
11.	विक्रय कर	विक्रय कर	25.92	01.04.2012 से 31.03.2014	अपर आयुक्त (अपील),कटक
12.	विक्रय कर	विक्रय कर	27.20	1985-86	विक्रय कर अधिकरण,कटक
13.	विक्रय कर	विक्रय कर	1.60	1987-88	विकय कर अधिकरण,कटक
14.	विक्रय कर	विक्रय कर	190.16	1993-94	अपर आयुक्त (अपील),कटक
15.	विक्रय कर	विक्रय कर	4.10	1994-95	विक्रय कर अधिकरण,कटक

16.	विक्रय कर	विक्रय कर	18.01	1995-96	विक्रय कर अधिकरण,कटक
17.	विक्रय कर	विक्रय कर	7.90	1996-97	विक्रय कर अधिकरण,कटक
18.	विक्रय कर	विक्रय कर	0.13	2001-02	अपर आयुक्त (अपील),कटक
19.	विक्रय कर	विक्रय कर	14.76	2003-04	अपर आयुक्त (अपील),कटक
20.	विक्रय कर	विक्रय कर	31.56	2005-2006	अपर आयुक्त (अपील),कटक
21.	विक्रय कर	विक्रय कर	4,881.48	01.04.2009 से 30.09.2011	अपर आयुक्त (अपील),कटक
22.	विक्रय कर	विक्रय कर	104.61	01.04.2012 से 31.03.2014	अपर आयुक्त (अपील),कटक
23.	विक्रय कर	विक्रय कर	0.33	01.09.2011 से 31.03.2012	संयुक्त आयुक्त (अपील),अनगुल
24.	विक्रय कर	विक्रय कर	2.46	1989-90 से	अपर आयुक्त (अपील),कटक
25.	विक्रय कर	विक्रय कर	1.30	1991-92	विक्रय कर अधिकरण,कटक
26.	विक्रय कर	विक्रय कर	74.12	1992-93	विक्रय कर अधिकरण,कटक
27.	विक्रय कर	विक्रय कर	1.37	2001-02	अपर आयुक्त ,कटक
28.	विक्रय कर	विक्रय कर	532.82	01.04.2009 से 30.09.2011	अपर आयुक्त (अपील),कटक
29.	विक्रय कर	विक्रय कर	7.22	01.04.2012 से 31.03.2014	अपर आयुक्त,कटक
30.	वित्त अधिनियम,1994	सेवा कर	0.22	2013-14	आयुक्त (अपील)
31.	वित्त अधिनियम,1994	सेवा कर	1.39	2012-13	आयुक्त (अपील)
लखनपुर					
1	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	2,488.00	2010-11 से 2014-15	अपील भरने का कार्य माननीय उच्च न्यायालय, ओड़िशा की प्रक्रिया में है।
2	विक्रय कर	विक्रय कर	39.33	2000-01 से 2001-02	माननीय उच्च न्यायालय, ओड़िशा
तालचेर					
1	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	36.54	2010-11 से 2014-15	अपील भरने का कार्य माननीय उच्च न्यायालय, ओड़िशा की प्रक्रिया में है।
2	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	0.10	2010-11 से 2014-15	अपील भरने का कार्य माननीय उच्च न्यायालय, ओड़िशा की प्रक्रिया में है।
3	विक्रय कर	विक्रय कर	8.61	1991-94	उच्च न्यायालय

हिंगुला					
1	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	उत्पाद शुल्क	8,081.31	2010-11 से 2014-15	उच्च न्यायालय
2	केंद्रीय उत्पाद अधिनियम	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	8,294.82	2010-11 से 2014-15	उच्च न्यायालय
3	ओड़िशा प्रवेश शुल्क	ओईटी	208.61	1993-96 और 2001-05	विक्रय कर अधिकरण
4	वित्त अधिनियम	सेवा कर	13.95	2011-12 और 2014-16	आयुक्त अपील

उपरोक्त राशि के अलावा प्रतिवाद स्वरूप विक्रय कर के रूप में रु. 43.86 करोड़ जमा किया गया तथा प्रतिवाद स्वरूप आयकर के रूप में रु. 632.54 करोड़ जमा किया गया एवं विरोध सहित रु.2.88 करोड़ केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में जमा किया गया तथा प्रतिवाद के स्वरूप सेवा कर की तुलना में रूपये 0.26 करोड़ जमा किये गए हैं।

viii) प्रबंधन द्वारा हमें दिये गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान किसी भी वित्तीय संस्था, बैंक या सरकार से किसी भी ऋण या उधारी के पुनर्भुगतान के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं हैं। कंपनी ने किसी भी प्रकार का ऋण जारी नहीं किया है।

ix) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या भावी सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) तथा आवधिक ऋण के द्वारा कोई राशि नहीं की है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ-3(ix) लागू नहीं है।

x) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा कंपनी में किसी भी प्रकार की धोखा संबंधी सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

xi) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर प्रावधान की धारा-197, अधिनियम की अनुसूची-V में पढ़ी जाये तथा उसके द्वारा आदेशित आवश्यक अनुमोदन के अनुसार कंपनी ने प्रबंधकीय पारिश्रिक का भुगतान/प्रदान किया है।

xii) हमारी राय में तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ-3(ix) लागू नहीं है।

xiii) कंपनी एक राज्य नियंत्रक उद्यम एवं संबंधित पार्टी लेनदेन के साथ भारतीय लेखांकन मानक-24 की धारा-26 की तहत जरूरी प्रासंगिक विवरण को प्रस्तुत किया गया।

xiv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कंपनी ने आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी तरह के अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानत या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया। जैसा कि कंपनी आलोच्य वर्ष के दौरान किसी भी तरह के अधिमान्य आवंटन या निजी स्थानत या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नही किया, कंपनी अधिनियम,2013 धारा 42 के आवश्यकता अनुसार जिस उद्देश्य के लिए फंड बढ़ाया गया उसमें इस्तेमाल राशि के अनुपालन, जो लागू नहीं है ।

xv) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकार्ड के जांच के आधार पर कंपनी के निदेशकों या उसके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ किसी भी गैर नकदी लेनदेन में प्रवेश नहीं किया है। तदनुसार आदेश का पैराग्राफ-3(xv) लागू नहीं है।

xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के धारा 45 आईए के अंतर्गत पंजीकृत करने की आवश्यकता नहीं है ।

कृते सिंह रे मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन: 318121ई

हस्ताक्षर
जीतेन कुमार मिश्रा
साझेदार
एम. संख्या; 052796

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 27/05/2017

अनुलग्नक – 'ख(i)'

कंपनी : महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर

वितीय वर्ष **2016-17**

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) तहत (सी तथा एजी कार्यालय द्वारा अनुवर्ती प्रतिवेदन हेतु दिशानिर्देश जारी किया गया जिसे लेखा परीक्षा वर्ष 2016-17 के खातों में लागू किया गया है।

क्रम.सं	निर्देशन	संबंधित लेखा परीक्षाओं का उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास क्रमशः फ्रीहोल्ड तथा लीज़ होल्ड हेतु क्लीयर टाइटल/लीज डीड है ? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड तथा लीज़होल्ड भूमि के क्षेत्र का विवरण दे, जिसमें टाइटल/लीज डीड उपलब्ध नहीं है ।	कंपनी ने फ्रीहोल्ड तथा लीजहोल्ड भूमि हेतु टाइटल/लीजहोल्ड को निष्पादित कर दिया है / फिर भी कंपनी ने आनंद विहार तथा जागृति विहार में 58.984 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। कंपनी ने इसके लिए प्रीमियम जमा किया तथा इस भूमि को अपने पाक्स में स्वीकार करने के लिए आवेदन जमा किया। हस्तांतरण संबंधी विलेख का निष्पादन अभी किया जाना है।
2.	उधर ऋण/ब्याज इत्यादि को अवैध घोषित करना/बट्टे खाते डालने का कोई मामला है यदि हाँ तो इसका कारण एवं संलग्न राशि बतायें ।	हमें दी गई जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षा के वर्ष के दौरान कोई उधार/ऋण/ब्याज इत्यादि को अवैध घोषित करने का मामला नहीं है ।
3.	क्या ऐसा कोई रिकार्ड रखा जाता है जिसमे थर्ड पार्टी के इनवेंटरी तथा सरकार या अन्य किसी प्राधिकारी द्वारा उपहार/अनुदान के रूप में प्राप्त संपति हो।	आवश्यता के अनुसार सामान्य रिकार्ड को रखा जाता है जिसमें थर्ड पार्टी सहित इनवेंटरी दर्ज होता है प्राप्त सूचना के अनुसार सरकार या किसी प्राधिकारी द्वारा कोई उपहार कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है ।

अनुलग्नक – 'ख(ii)'

कंपनीः **महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड**
जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर

वित्तीय वर्षः 2016-17

वर्ष 2016-17 में कोल इंडिया एवं उसकी सहायकों के लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, के कंपनी अधिनियम,2013 की धारा 143(5) के अंतगर्त सी एंड एजी कार्यालय द्वारा जारी किया गया अतिरिक्त निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट

क्र.सं	निर्देशन	संबंधित लेखा परीक्षाओं का उत्तर
1)	क्या समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला भंडार का माप किया गया था। सभी मामलों में वास्तविक भंडार रिपोर्ट, समोच्च मानचित्र सहित था? कोयले की नई ढेर लगाई गयी है यदि हाँ तो इनके लिए क्या सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन लिया गया है ।	हाँ समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला भंडार का माप किया गया था एवं सभी मामलों में शारीरिक भंडार माप रिपोर्ट, काउंटर मानचित्र सहित था। वर्ष के दौरान बनाये गए नये हीप, यदि कोई हो तो, उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।
2)	क्षेत्र के पुनर्गठन/विभाजन/विलय के समय क्या संपत्तियों एवं गुणों का कंपनी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था ? यदि हाँ तो क्या संबंधित सहायक ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया था ।	जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षा के दौरान कोई विलय/विभाजन/पुनर्गठन नहीं किया गया था। हालांकि कंपनी, परिसंपत्तियों का सत्यापन स्वतंत्र सनदी लेखाकार फर्म द्वारा निष्पादित करेगी।
3)	वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखाकंन के प्रस्तुतीकरण के दौरान क्या एक समान रूप से भूमि अधिग्रहण प्रविष्टियाँ सहित सहायक कंपनियों भर से प्रभावित लोगों को भूमि के मुआवजें की देरी की वजह से भुगतान पर ब्याज पर विचार किया गया ।	हॉ, वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखाकंन के प्रस्तुतीकरण के दौरान क्या एक समान रूप से भूमि अधिकरण प्रविष्टियों सहित सहायक कंपनियों भर से प्रभावित लोगों को भूमि के मुआवजे की देरी की वजह से भुगतान पर ब्याज पर विचार किया गया ।
4)	विवादों, यदि कोई हो, क्या जीसीवी के पहुंच के परिणामस्वरूप विधिवत जांच की गई ?	एफ़एसए की निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता एकत्र कोयला नमुना का विश्लेषण परिणाम प्रस्तुत करता है और जो एमसीएल द्वरा स्वीकार्य नही हैं , तो परिणाम का विरोध किया जाएगा और रेफरी पार्ट सरकार के स्वतंत्र कोयला विश्लेषण के प्रयोगशाला को विश्लेषण के लिए भेजा जाएगा प्राप्त परिणाम विक्रेता एवं खरीदार दोनों के लिए बाध्यकारी होगा।

अनुलग्नक-ग

लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड(i) के अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण प्रतिवेदनः

31 मार्च 2017, में समाप्त वर्ष में कंपनी के साथ लेखापरीक्षा संयोजन के रूप में हमारे समेकित भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरणी में हमने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड(कंपनी) के वित्तीय प्रतिवेदन पर अंतरिम वित्तीय नियंत्रणों का परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के प्रति प्रबंधन का उत्तरदायित्वः-

भारत के चार्टड अकाउंटेन संस्थान द्वारा जारी किये गए वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुए कंपनी द्वारा वित्तीय प्रतिवेदन मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को बनाए रखना एवं स्थापित करना, कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल की जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत् डिजाइन, कंपनी नीतियों के पालन सहित पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रख-रखाव एवं कार्यान्वयन, व्यापार के व्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटियों का पता लगाना और उसकी रोकथाम, सटीकता एवं लेखा-अभिलेखों की पूर्णता और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी के समय पर तैयारी शामिल है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व है कि हम लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी के इन वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपना मत व्यक्त करे। हमने अधिनियम की धारा-143(10) के तहत् निर्दिष्ट एवं आई.सी.ए.आई द्वारा जारी किया गया लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा के वित्तीय प्रतिवेदन(मार्गदर्शन नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर मार्गदर्शकीय नोट के अनुसार लेखा परीक्षा किया है। ये मानक नैतिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा हमने लेखा परीक्षा इस प्रकार नियोजित व निष्पादित किया कि हमें जो वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्राप्त हुए वह अनुरक्षित एवं स्थापित है एवं वे प्रभावी ढंग से कार्य कर रहें है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता एवं उनके परिचालन प्रभाव के बारे में हमारे लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया शामिल है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करने के लिए मौजूदा सामग्री की कमजोरी से होने वाली जोखिम का आंकलन करना। डिजाइन के परीक्षण एवं मूल्यांकन और जोखिंम के आंकलन के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता भारतीय लेखांकन मानक के वित्तीय विवरण पर आंतरिक नियंत्रण को हमारे लेखा परीक्षा में शामिल किया गया है।

हमारा विश्वास है कि वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षा की राय उसे एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी परियोजनाओं के लिए वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल किया गया है जो (1)अभिलेखों के रखरखाओं से संबंधित जो कंपनी के संपत्ति के लेनदेन एवं स्वभाव को उचित रूप से दर्शाएँ (2) स्वीकार लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्यों व्यक्तवों की तैयारी की अनुमति, आवश्यक लेनदेन के लिए उचित आस्वादन प्रदान करते हैं तथा कंपनी के निदेशक एवं प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार कंपनी की प्राप्तियाँ एवं व्यय किया जा रहा है ।(3)अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, व कंपनी की संपत्ति जिसका वित्तीय विवरण पर प्रभावों हो सकता है, का समय पर पता लगाना एवं रोक-थाम के संबंध में उचित आस्वादन प्रदान करते हैं।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं:-

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के निहित सीमाओं सहित नियंत्रण की अनुचित प्रबंधन ओवरराइड व मिलीभगत की संभावना के कारण सामग्री के गलत बयान, धोखाधड़ी या त्रुटि हो सकता है और इसका पता नहीं लगाया जा सकता। भविष्य में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों वा प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में गिरावट आ संकती है ।

मत

हमारे मत में भारत के चार्टड अकाउंटेन संस्थान द्वारा जारी किया गया वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के स्थिति के आवश्यक घटक को ध्यान में रखते हुये कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है तथा यह 31 मार्च, 2017 तक प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

कृते सिंह रे मिश्रा एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
एफ़आरएन: 318121ई

हस्ताक्षर
जीतेन कुमार मिश्रा
साझेदार
एम. संख्या; 052796

स्थान: संबलपुर
दिनांक: 27/05/2017

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

प्रारुप एओसी-1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के सेक्शन 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधान के अनुसार)

अनुषंगी कंपनियों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताओं वाले विवरण

भाग "क" : अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	अनुषंगी कंपनियों का नाम			
		एमजेएसजे कोयला लिमिटेड	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	एमबीपी लिमिटेड	एमसीआरएल
1	रिपोर्टिंग अवधि	01.04.16 to 31.03.17	01.04.16 to 31.03.17	01.04.16 to 31.03.17	01.04.16 to 31.03.17
2	रिपोर्टिंग मुद्रा	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
3	शेयर पूंजी	95.10	85.10	0.05	0.05
4	रिजर्व और अधिशेष	(1.01)	(0.52)	(0.04)	(0.01)
5	कुल संपत्ति	103.09	85.92	19.32	14.23
6	कुल देयताएँ	103.09	85.92	19.32	14.23
7	निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल बिक्री	0.00	0.00	0.00	0.00
9	कराधान से पहले लाभ	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)
10	कराधान के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
11	कराधान पश्चात लाभ	0.00	0.00	(0.01)	(0.01)
12	प्रस्तावित लाभांश	0.00	0.00	0.00	0.00
13	31.03.2016 को शेयर होल्डिंग का %	60.00	70.00	100.00	64.00

भाग "ख": सहयोगी और संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 12 9 (3) के अनुसार विवरण

क्रमांक	विवरण	संयुक्त उद्यम का नाम नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तिथि.	-
2	साल के अंत में कंपनी द्वारा आयोजित सहयोगी / संयुक्त उद्यम के शेयर	-
	संख्या	-
	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	-
	धारिता % का विस्तार	-
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है इसका विवरण	-
4	सहयोगी / संयुक्त उद्यम के समेकित न होने के कारण	संचालन की शुरुआत के लिए
5	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के लिए निवल मूल्य	-
6	वर्ष के लिए लाभ / हानि	-
	i. समेकन में स्वीकार्य	-
	ii. समेकन में अस्वीकार्य	-

ह/-
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(वी.वी.के. राजू)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(के. के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन: 07015077)

ह/-
(ए.के. झा)
अध्यक्ष- सह प्रबन्ध निदेशक
(डीआईएन: 06645361)

सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
ह/-
(सीए जे. के. मिश्रा)
साथी
(सदस्यता संख्या 0552796)

स्थान: सम्बलपुर
दिनांक: 25.05.2017

भाग "ख" : सहभागी और संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम से संबंधित कंपनी अधिनियम, **2013** की धारा **12 9 (3)** के अनुसार वक्तव्य

क्र.	विवरण	संयुक्त उद्यम का नाम
		नीलांचल पावर ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
1	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तिथि	-
2	31.03.17 को कंपनी द्वारा आयोजित सहभागी/संयुक्त उद्यम के शेयर	-
	नहीं।	-
	सहभागी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	-
	होल्डिंग का विस्तार	-
3	महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन	-
4	सहयोगी / संयुक्त उद्यम समेकित न होने का कारण	संचालन शुरू होना है।
5	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के लिए निवल मूल्य	-
6	31.03.17 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/हानि	-
	i. समेकन में स्वीकार्य	-
	ii. समेकन में अस्वीकार्य	-

ह/-
(ए. के. सिंह)
कंपनी सचिव

ह/-
(वी.वी.के. राजू)
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
(के. के. परिडा)
निदेशक (वित्त)
(डीआईएन: 07015077)

ह/-
(ए.के. झा)
अध्यक्ष- सह प्रबन्ध निदेशक
(डीआईएन: 06645361)

सिंह रे मिश्रा एंड कंपनी के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
ह/-
(सीए जे. के. मिश्रा)
साथी
(सदस्यता संख्या 0552796)

स्थान: सम्बलपुर
दिनांक: 25.05.2017

तुलन पत्र
31 मार्च, 2017 के अनुसार

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार पुन: घोषित	01.04.2015 के अनुसार पुन: घोषित
परिसंपत्तियाँ				
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ				
(क) संपत्ति. संयंत्र और उपकरण	3	3,937.85	3,533.73	3,411.79
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगतिपर	4	1,864.74	813.66	617.00
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	111.12	114.27	106.74
(घ) अन्य मूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	5.44	5.38	4.91
(e) विकाशाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		-	-	-
(f) निवेश सम्पत्ति		-	-	-
(g) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	7	1,075.41	1,075.41	1,075.38
(ii) ऋण	8	1,201.06	1.23	1.73
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	732.24	698.32	593.83
(h) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)		-	-	-
(i) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	382.50	940.56	653.33
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		9,310.36	7,182.56	6,464.71
चालू परिसम्पत्तियाँ				
(क) निवेश	12	322.13	425.59	471.50
(ख) वित्तीय परिसंपातियाँ				
(i) निवेश	7	202.00	1,345.00	247.70
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13	117.90	1,107.61	448.85
(iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	14	372.36	216.00	175.82
(iv) अन्य बैंक बैलेन्स	15	14,662.95	11,199.47	10,141.57
(v) ऋण	8	0.32	0.47	0.44
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	9	999.28	897.88	1,171.32
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		706.54	379.73	224.31
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	1,024.36	1,738.74	2,475.97
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		18,172.04	17,310.49	15,357.48
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**27,482.40**	**24,493.05**	**21,822.19**

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियाँ	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार पुनः घोषित	01.04.2015 के अनुसार पुनः घोषित
इक्विटी एवं देयताएं				
इक्वीटी				
क) इक्वीटी शेयर पूँजी	16	141.23	186.40	186.40
ख) अन्य इक्वीटी	17	3,244.15	4,276.68	4,411.98
कंपनी के इक्वीटीधारकों को इक्वीटी का श्रेय		3,385.38	4,463.08	4,598.38
गैर नियंत्रित रूचियां		-	-	-
कुल इक्वीटी (क)		3,385.38	4,463.08	4,598.38
देयताएं :				
गैर-चालू दायिताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	18	6.13	7.21	6.90
(ii) भुगतान योग्य व्यापार		-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	40.19	43.47	28.47
(ख) प्रावधान	21	16,740.31	15,506.52	12,999.09
(ग) आस्थगित कर दायिताएं(निवल)		201.82	183.60	122.90
(घ) अन्य गैर चालू दायिताएँ	22	176.83	167.83	133.31
कुल गैर चालू दायिताएं (ख)		17,165.28	15,908.63	13,290.67
चालू दायिताएं :				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार	18	2,200.00	-	-
(ii) भुगतान योग्य व्यापार	19	420.52	303.29	277.22
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	20	342.02	284.93	175.69
(ख) अन्य चालू दायिताएं	23	4,123.32	2,904.72	2,875.35
(ग) प्रावधान	21	1,030.27	628.40	575.07
(घ) चालू कर दायिताएं(निवल)				
कुल चालू दायिताएं (ग)		8,116.13	4,121.34	3,903.33
कुल इक्वीटी एवं दायिताएं (क+ख+ग)		**28,666.79**	**24,493.05**	**21,792.38**

साथ में दी गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(ए.के. सिंह)	(वी.वी.के. राजू)	(के. के. परीडा)	(ए.के. झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन -07015077	डीआइएन-06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318121 ई

ह/-
(सीए जे.के. मिश्रा)
भागीदार
सदस्य संख्या - 052796

(सीए जे.के. मिश्रा)
स्थान: संबलपुर

31 मार्च, 2017 समाप्त वर्ष के अनुसार

लाभ- हानि विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार
	संचालन से राजस्व			
क	विक्रय (निवल)	24	14,164.45	13,933.66
ख	अन्य संचालन राजस्व(निवल)		817.53	747.66
(I)	**संचालन से राजस्व (क+ख)**		14,981.98	14,681.32
(II)	अन्य लाभ	25	1,486.31	1,346.28
(III)	**कुल लाभ (I+II)**		**16,468.29**	**16,027.60**
(IV)	**खर्च**			
	खपत वस्तुओं की लागत		583.60	542.75
	व्यापार में भंडार का क्रय			
	तैयार अच्छे माल/कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में भंडार की वस्तु सूची में बदलाव	27	97.52	38.67
	उत्पाद शुल्क		1,005.06	1,224.73
	कार्मिक हितलाभ पर व्यय		2,372.25	2,096.29
	बिजली एवं ईंधन		124.69	123.53
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	166.60	184.62
	मरम्मत	30	118.57	121.05
	संविदात्मक व्यय		2,286.94	1,973.14
	वित्तीय लागत		57.55	48.06
	मूल्यह्रास / परिशोधन / हानि पर व्यय		354.06	329.99
	प्रावधान	33	180.96	(0.93)
	बट्टे खाते डालना	34	-	0.10
	अन्य व्यय	35	952.48	628.49
	स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन		1,313.29	2,452.00
	कुल व्यय (IV)		**9,613.57**	**9,762.49**
(V)	**अपवादात्मक मदें एवं कर पूर्व लाभ (III-IV)**		6,854.72	**6,265.11**
(VI)	अपवादात्मक मदें			
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**6,854.72**	**6,265.11**
(VIII)	कर संबंधी व्यय	36	2,362.71	2,069.35
(IX)	**संचालन जारी रखने की अवधि पर लाभ (VII-VIII)**		**4,492.01**	**4,195.76**
(X)	संचालन बंद होने से लाभ/(हानि)			
(XI)	संचालन बंद होने पर ब्याज व्यय			-
(XII)	संचालन बंद होने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (X-XI)			-
(XIII)	संयुक्त उद्यम /एसोसियेट्स के शेयर से लाभ/(हानि)			-
(XIV)	**(IX+XII+XIII) अवधि से लाभ**		**4,492.01**	**4,195.76**

31 मार्च, 2017 समाप्त वर्ष के अनुसार

लाभ- हानि विवरण

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार
अन्य वृहद आय	37		
क (i) ऐसे आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं होंगे		(1.40)	18.33
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(0.48)	6.34
बी (i) आइटम जो लाभ या हानि के लिए पुन: परिष्कृत किए जाएंगे			-
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: परिष्कृत किया जाएगा			-
(XV) कुल अन्य वृहद लाभ		(0.92)	11.99
(XVI) (XIV+XV) अवधि के लिए कुल वृहद लाभ/(हानि) एवं अवधि हेतु अन्य वृहद लाभ)		4,491.09	4,207.75
लाभ का श्रेय :			
कंपनी के मालिक		4,492.01	4,195.76
गैर नियंत्रित ब्याज			
		4,492.01	4,195.76
अन्य वृहद लाभ का श्रेय :			
कंपनी का मालिक		(0.92)	11.99
गैर नियंत्रित ब्याज			
		(0.92)	11.99
कुल वृहद लाभ का श्रेय :			
कंपनी के मालिक		4,491.09	4,207.75
गैर नियंत्रित ब्याज		-	-
		4,491.09	4,207.75
(XVII) प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन जारी रखने हेतु			
(1) मूल		31,800.60	22,573.66
(2) डायल्यूटेड		31,800.60	22,573.66
(XVIII) प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन बंद करने हेतु):			
(1) मूल		-	-
(2) डायल्यूटेड		-	-
(XIX) प्रति इक्वीटी शेयर आय(संचालन जारी रखने एवं बंद करने हेतु):			
(1) मूल		31,800.60	22,573.66
(2) डायल्यूटेड		31,800.60	22,573.66

साथ में दी गई टिप्पणियां वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(ए.के. सिंह)	(वी.वी.के. राजू)	(के. के. परीडा)	(ए.के. झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन -07015077	डीआईएन -06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 318121ई
ह/-
(सीए जे.के. मिश्रा)
भागीदार
सदस्य संख्या -052796

दिनांक: 25.05.2017
स्थान: संबलपुर

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

विवरण	01.04.2015 को बकाया के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2016 को बकाया के अनुसार	01.04.2016 को बकाया के अनुसार	वर्ष दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2017 को बकाया के अनुसार
नकदी में पूरी तरह से चुकाए जानेवाले प्रत्येक रु.1000 के 1412266 इक्विटी शेयर	186.40	0.00	186.40	186.40	(45.17)	141.23

टिप्पणी : इक्विटी में बदलाव का कारण

ख . अन्य इक्विटी

	वरीयता शेयर पूंजी का इक्विटी हिस्सा	अन्य रिजर्व				सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	इक्विटी
		कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सतत विकास रिजर्व					
01.04.2015 को बकाया के अनुसार	-	204.18	-	-	-	3,261.08	825.91	4,291.17		
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	109.16	109.16		
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	11.65	11.65		
01.04.2015 को पूर्व घोषित बकाया	-	204.18		-	-	3,261.08	946.72	4,411.98		
वर्ष के दौरान योग	-	-		-	-	-		-		
वर्ष क दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-		-		
अवधि के दौरान कुल वृहद आय	-	-	-	-	-	-	4,207.75	4,207.75		
विनियोग	-	-	-	-	-	-		-		
सामान्य रिजर्व को अंतरण	-	-	-	-	-	209.24	(209.24)	-		
अन्य रिजर्व से/को अंतरण	-	-	-	-	-	-		-		
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	(3,608.45)	(3,608.45)		
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-		-		
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	(734.60)	(734.60)		
प्री-कॉर्पोरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-		-		
31.03.2016 के अनुसार बकाया	-	204.18	-	-	-	3,470.32	602.18	4,276.68	-	-
01.04.2016 के अनुसार बकाया	-	204.18	-	-	-	3,470.32	602.18	4,276.68		
अवधि के दौरान योग	-	45.17	-	-	-	-	-	45.17		
अवधि के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	(1,617.06)	-	(1,617.06)		
लेखांकन नीति मे परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	-	-		
वर्ष के लिए कुल वृहद आय	-	-	-	-	-	-	4,491.09	4,491.09		
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-		
अन्य रिजर्व से/को अंतरण	-	-	-	-	-	224.55	(224.55)	-		
अन्य रिजर्व से/को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-		
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	(2,982.00)	(2,982.00)		
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-		
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	(607.06)	(607.06)		
प्री-कॉर्पोरेटिव व्यय का समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-		
बाई बैक डिस्ट्रिब्यूशन कर	-	-	-	-	-	-	(362.67)	(362.67)		
31.03.2017 के अनुसार बकाया	-	249.35	-	-	-	2,077.81	916.99	3,244.15	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 1 कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय संबलपुर ओड़िशा में स्थित है, जिसे 3 अप्रैल 1992 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जिसमें ओड़िशा राज्य में स्थित खानों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संपत्ति एवं देयताएं शामिल थी।

कंपनी मुख्य रूप से कोयले के खनन और उत्पादन में लगी हुई है। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक,ईंट-भट्टे आदि शामिल हैं।

ओड़िशा में एमसीएल की 4 सहायक और एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। सभी सहायक कंपनियां विकास के चरण में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या 38 में वर्णित है।

टिप्पणी 2: महत्पूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार, कंपनी (सीआईएल शामिल) का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के साथ ही सभी वर्षों तक और इसमें शामिल सीआईएल एवं इसके अनुषंगी बाद (गया कहा कंपनी) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक(ए.एस). जो कंपनी लेखा नियम 2014 के साथ पढ़ा जाए तथा कंपनी (लेखांकन मानक), नियम 2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी के लिए तैयार पहले वित्तीय विवरण हैं। भारतीय लेखांकन मानक की पहली अंगीकरण की जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 38.6 देखें।

मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि

- उचित वित्तीय संपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.15 में वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)
- परिभाषित लाभ योजना को संपत्ति योजना के उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- लागत या एनआरबी में इन्वेंटरी जो भी कम हो (अनुच्छेद 2.11 में वर्णित लेखांकन नीति देखें)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक करोड़ रुपए दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 समेकन के आधार

2.2.1 अनुषंगियाँ -

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण है। कंपनी एक इकाई पर नियंत्रण करती है, जब कंपनी को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या इनका अधिकार हो तथा इकाई के संबंध में गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन लोगों को प्रभावित करने की क्षमता हो, तब कंपनी को नियंत्रित कर स्थानांतरित किया जाता है उस तारीख से सहायक कंपनियां पूरी तरह से समेकित की जाती है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से उनको हटा दिया जाता है।

कंपनी द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

कंपनी संपत्ति देनदारियों, इक्विटी, नकदी प्रवाह आय एवं व्यय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य एवं उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। अंतर कंपनी लेनदेन कंपनियों के बीच शेष एवं अवास्तविक लाभ का निषेध करती हैं। कंपनी के कंपनियों के बीच अवास्तविक नुकसान को भी निकाल दिया जाता है, जब तक कि लेनदेन परिसंपातियों की हानि का सबूत नहीं मिलता है। सीआईएल के समेकित सभी कंपनियाँ आम तौर पर नीतियों का उपयोग करती है जैसे कि सीआईएल द्वारा किए गए लेनदेन तथा समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए संकलित किया गया है। सीआईएल के समेकित एक विशेष सहायक कंपनी के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में सीआईएल के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने के लिए इस तरह के एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण के लिए उचित समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित, इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण एवं बैलेंस शीट को अलग से लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहयोगी कंपनियाँ -:

सहायक कंपनियां वे संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां कंपनी 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार रखती है।

सहयोगी कंपनियों के निवेश को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है, प्रारंभ में लागत पर पहचाने जाने के बाद जब निवेश या इसके एक हिस्से को बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है तो उस स्थिति में यह भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

कंपनी का उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर सहयोगियो में अपने शुद्ध निवेश को कम करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था:

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां कंपनी एक या एक से अधिक अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है ,जहां प्रसांगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.3.1 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत कंपनी को संपत्ति से संबंधित देनदारियों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं। कंपनी परिसंपत्तियों ,देनदारियों, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चों और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए परिसंपत्तियों, देनदारियों ,राजस्व और व्ययों का अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

2.2.3.2 संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें कंपनी को शुद्ध संपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

बैलेंस शीट में समेकित लागत को उचित मूल्य पर पहचाने जाने के उपरांत संयुक्त उद्यम से ब्याज इक्विटी पद्धति के उपयोग करने हेतु जवाबदेह है।

प्रारंभ में लागत पर पहुंचने के बाद संयुक्त उद्यम में निवेश लेखांकन पद्धति के उपयोग हेतु ध्यान में लाया जाता हैं , जबकि निवेश या उसके किसी हिस्से को बिक्री किया जाता है तो उस स्थिति में इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

कंपनी उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को ह्रास करती है।

2.2.4 इक्विटी पद्धति -

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा कंपनी शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब कंपनी के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है ,जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है, तो कंपनी अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

कंपनी और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उपक्रम के बीच लेन-देन के फायदे इन संस्थाओं में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि अपनाई गई लेनदेन की नीतियों में संपत्ति की हानि का सबूत नहीं मिलता, कंपनी द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता है।

2.2.5 स्वामित्व के हितों में बदलाव

कंपनी इक्विटी स्वामित्व के साथ लेनदेन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक

कंपनियों में दर्शाने हेतु समायोजित करती है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

जब कंपनी नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी कंपनी ,संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे।

इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि कंपनी में संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब माना जाता है, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित है कि संपत्ति स्वीकार की जाये व बेची या उपभोग की जाये।

ख. यह सबसे पहले संपत्ति की देयताओं को व्यापार करने हेतु रखती है।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर परिसंपत्तियों की पहचान की गई हो।

घ. परिसंपत्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित है) जब तक संपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है तब अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा देयताओं को वर्तमान में स्वीकार किया जाएगा, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में अपेक्षित देयताएं स्थापित की गई हो।

ख. सबसे पहले देयताओं को व्यवसाय हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने के लिए सशर्त अधिकार नहीं होंगे। देयता की शर्ते जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप इक्विटी के जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत है।

2.4 राजस्व मान्यता-

2.4.1 माल की बिक्री से प्राप्त राजस्व:

माल बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर स्वीकार किया जाएगा।

क. कंपनी ने विक्रेता को वस्तुओं के स्वामित्व, जोखिम एवं पुरस्कार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।

ख. वस्तुओं की बिक्री पर कंपनी का स्वामित्व के संबंध में प्रबंधकीय भागीदारी एवं प्रभावी नियंत्रण नहीं रहेगा।

ग. राजस्व राशि विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है।

घ. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ सीधे कंपनी को प्रदान किया जाएगा।

ङ. लेन-देन के संबंध में किए गए या खर्च किए जाने की लागत को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

सरकार/अन्य वैधानिक निकायों की तरफ से एकत्र किए गए करों, लेवी या शुल्क को छोड़कर अनुबंधित रूप से परिभाषित भुगतान के शर्तों को ध्यान में लेते हु एप्राप्त होने वाले प्राप्य उचित मूल्य पर राजस्व को मापती है।

जब तक राजस्व मान्यता हेतु उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों को ग्राहक की जमा राशि के रूप में सूचित किया जाएगा।

हालांकि, भारत के लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 18 पर शिक्षात्मक सामग्री के आधार पर कंपनी ने यह मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली कंपनी अपनी जिम्मेदारी पर करेगी। यही कारण है कि यह उत्पादक की देयता है, जो उत्पाद लागत का हिस्सा है, चाहे माल बेचे गए हों या नहीं कंपनी की अपनी जिम्मेदारी पर वसूली गई उत्पाद शुल्क के बाद से सकल राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल किया गया है।

हालांकि, कंपनी द्वारा अन्य कर लेवी व शुल्क को प्राप्त नहीं किया गया है तथा उसे शुद्ध राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

2.4.2 **ब्याज**

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हु एब्याज आय स्वीकार की जाती है।

2.4.3 **लाभांश**

जब भुगतान प्राप्ति के अधिकार स्थापित किए जाएंगे तब निवेश से लाभांश आय स्वीकार की जाएगी।

2.4.4 अन्य दावे:

जब वसूली की निश्चितता निश्चित हो और विश्वसनीय तरीके से मापा जाए तब अन्य दावे (ग्राहकों से देरी से प्राप्त होने पर ब्याज सहित) इसके लिए जवाबदेही होगा।

2.4.5 सेवाओं का प्रतिपादन:

जब सेवाओं के प्रतिपादन में शामिल लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जाता है तो लेनदेन के पूरा होने के संदर्भ में संबंधित राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूर्ण हो तों लेनदेन का आंकलन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है।

क. राजस्व राशि विश्वसनीय रूप से मापी जायेगी।

ख. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़ी आर्थिक लाभ सीधे कंपनी को जाएगी।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन पूर्ण होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

घ. लेने-देन हेतु खर्च लागत तथा लेन-देन को पूरा करने की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जाएगी।

2.5 सरकार से अनुदान -

सरकारी अनुदान तब तक स्वीकार नहीं किये जाएंगे जब तक कि उचित आश्वासन न हो की कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और यह निश्चित अनुदान प्राप्त करेगी।

सरकारी अनुदान लाभ और हानि के विवरणों से व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है जिसके लिए कंपनी को संबंधित लागतों का खर्च अनुदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी।

स्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना के द्वारा सरकारी अनुदान/परिसंपत्तियों से संबंधित सहयोग को बैलेंस शीट में दर्शाया गया है तथा परिसंपत्ति के उपयोग के व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि के विवरण को स्वीकार किया गया है।

आय से संबंधित अनुदान शीर्ष, अन्य आय के अंतर्गत लाभ व हानि को विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

एक सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों हेतु मुआवजे के रूप में या भविष्य में संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने हेतु उपलब्ध है, जिसमें उस अवधि के लाभ या हानि के रूप में इसे स्वीकार किया गया है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों का योगदान जिसे सीधे तौर पर ''पूंजीगत रिजर्व'' से मान्यता प्राप्त है, जो कि ''शेयरधारक निधि'' का अहम हिस्सा है।

2.6 पट्टे

वित्त पट्टा एक पट्टा है जो मूलतः परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रुप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित करता है। शीर्षक का स्थानांतरण किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी।

प्रचालन पट्टा एक पट्टा होने के अतिरिक्त एक वित्त पट्टा भी है।

2.6.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में :

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थाई दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.6.1.2 **परिचालित पट्टे:**

परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार पर पहचाना जाता है जब तक कि :

क. अन्य व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ताओं के लाभ के समय के स्वरूप का प्रतिनिधि करता है भले ही कम भुगतानकर्ताओं का भुगतान उस आधार पर ना किया गया हो या,

ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में संचारित किया गया है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.6.2 **पट्टेदाता के रुप में कंपनी:**

परिचालन पट्टा: परिचालन पट्टा (सेवा राशि यथा बीमा पट्टा तथा रख-रखाव को छोड़कर) से आय पट्टा को आय के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाता है जो सीधे तौर पर परिपाटी के पट्टा शर्तों पर अवलंबित रहती है, जिसमें

क. अन्य पद्धतिपरक की तुलना में समय प्रणाली अधिक प्रतिलाक्षणित होती है जब पट्टा का भुगतान उस आधार पर नहीं होता है या

ख. इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित होता है। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टा में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा संपत्ति के साथ शेष राशि को भी जोड़ दिया जाता है जैसा कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप जिसे निष्पादित किया गया था।

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाया राशि को उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है जिसमें कंपनी के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाया निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलकरुप में दर्शाया जाता है।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं बिक्री हेतु राखी जाती है यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो। विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सूचित है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु लिए गए निर्णय करती को वापस लिया जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इन उद्देश्यों के लिए यह बिक्री लेनदेन में अन्य गैर चालू संपत्ति के लिए गैर चालू संपत्ति का विनिमय भी शामिल है जब विनिमय व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हो। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में बेचा जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना पर विचार करती है, जब

- प्रबंधन का उचित स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो।
- खरीदार का पता लगाने और योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया हो।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य को आंकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानत: तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:-

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है। इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुन:स्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजा आदि शामिल हैं।

संपुष्टि के तारतम्य में अलग संपत्ति के रूप में संयंत्र तथा उपकरण में होने वाले खर्च उस शर्त पर निष्पादित किये जाएंगे, जिसमें समाहित खर्च कम से कम हो तथा लागत मानक के अन्तर्गत किसी भी प्रतिपूरक नुकसान को हानि न पहुंचे। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्यों का होना वांछित है।

क. व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख. स्थल तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। फिर भी किसी समुपयोगी अंश में उसी पीपीई के साथ जीवनोपयुक्त हो जाता है तथा विखंडनीकरण प्रणाली एक समूह में आ जाते हैं जो शुल्क सहित होता है।

दिन-प्रतिदिन इस तरह के कार्य जिसमें मरम्मतीकरण तथा इसके रख-रखाव का विवरण लाभ और हानि के विवरण में उसी वर्षावधि के अन्तर्गत दर्शाता है जो कि व्यय के समतुल्य होना अपेक्षत होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आंकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आंकलित किया जायेगा। विगत जांच के समय में कोई भी बकाया राशि (भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) विमुद्रित की जाएगी।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये पर जाने पर उसे असंबद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे व प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति, संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यवहार में अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

अन्य भूमि		
(पट्टेकृत भूमि सहित)	- परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो	
भवन	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

सम्पदा, संयंत्र या उपकरण का शेष मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है। जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर.एफ.सीटी.एल.ए.ए.आर) अधिनियम, 2013 के तहत सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति, संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक के लिए संक्रमण

कंपनी वर्तमान मूल्य को लागत मानक की कीमत के अनुसार बनाए रखने का प्रयास करती है जिसमें इसके सभी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण जिसमें इसके वित्तीय विवरण एवं हस्तांतरण तिथि से पिछले जीएएपी के अनुसार किया गया निष्पादन सम्मिलित रहता है।

2.9. खदान बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिकमिसिनिंग बाध्यताएँ -

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा-जोखा तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटती है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ –

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती हैं जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती हैं। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं :

- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

  इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास " में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय –

जब प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृति दी जाती है तो निर्माण के तहत परिसम्पत्ति के रूप में पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसम्पत्ति के रूप में जाना जाता है तथा "विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,

जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ -

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनका उचित मूल्य हैं। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों को पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबन्धित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति की उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले कि अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है, जिसे कि लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आंकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जब तक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।
यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुईकमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.14 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या माल व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में, विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश संपत्ति का आंकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.15 **वित्तीय साधन**

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 **वित्तीय परिसंपत्तियाँ -**

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

लाभ या हानि एवं लेन-देन लागत के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों की लागत मामलों में सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर आँका जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिस पर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है। लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया गया है।

2.15.2.2 एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में ऋण साधन :

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफ.वी.टी.ओ.सी.आई में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इस रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफ.वी.टी.ओ.सी.आई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृतआय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रुमेंट को ब्याज में जिस एफआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है, उसी रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट:

डेब्ट इंस्ड्रुमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो।

कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ड्रुमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ड्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इंसट्रुमेंट दर इंसट्रुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंसट्रुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंसट्रुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में यहां तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।

पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मापा जाता है।

2.15.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया गया हो और या तो

(क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया गया है। या

(ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित कर अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकित हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हुई हानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बैलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इसके प्रारम्भिक पहचान से शुरू होकर जीवन पर्यंत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएलएस) पर आधारित होती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएँ –

2.15.3.1. आरंभिक पहचान तथा माप-

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.15.3.2 अनुवर्ती माप -

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 वित्तीय देयताएँ लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ –

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को भी शामिल किया गया है, जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है, जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ-हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागल पर वित्तीय देयताएँ

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हु एपरिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान हु एकिया जाता है में रखते हु एकी जाती है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुन:प्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तो को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं उसे पुन:वर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुन:वर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणामस्वरुप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं और बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: ही स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में

बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभहानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुन: वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुन: जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय साधन को पूरा करना:

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताओ को पूरा किया गया और समेकित तुलनपत्र में निवल राशि की सूचना दी गई। अगर उसे प्राप्त मात्रा में पूरा करने हेतु वर्तमान में कानूनी अधिकार मिलते हो, तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता किया जा सकता है।

2.16 उधार लेने की लागत-

उधार लेने की लागत के रूप में व्यय किए जाते हैं और जब इसके अलावा वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए विशेष रूप से योगदान दे रहे हैं, अर्थात वे संपत्तियां जो अपने आवश्यक उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त जरूरी समय लेती हैं, उस स्थिति में जब वे उस संपत्ति की कीमत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत हो जाते हैं, जो उस योग्यता की संपत्ति के लिए अद्यतन होती है, जो उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार है।

2 .17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हु एउसकी गणना की जाती है।

अस्थायी करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देनदारियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त होती है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थायी अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थायी करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि अस्थायी अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हु आहो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थाई अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थायी अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोडकर चालू और आस्थगित कर को क्रमश: उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी हितलाभ

2.18.1 **अल्पावधि हितलाभ**

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। पारिभाषित योगदान योजनाओं में बाध्यताओं को कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में इस अवधि के लाभ-हानि विवरणी में मान्यता दी गई है। इस अवधि में कर्मचारियों ने अपनी सेवा प्रदान की है।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

एक निर्धारित योगदान योजना के अलावा यह एक रोजगार उपरांत लाभ योजनाहै।उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। निर्धारित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आंकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो, के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक बैलेंस शीट पर अंकित होती हैं जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों, तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध

वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल निर्धारित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हु ए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है।

पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य निर्धारित कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइव कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दु र्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजनाओं को मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हु ए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हु ए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 खर्च/समायोजन गतिविधि अलग करना

खुली खदान, खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं बैलेंसशीट की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो, को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं	
	I	II
	%	क्वांटम(मिलियन घन-मीटर में)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%	0.03
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%	0.20
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%	

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

1 लाख टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से की जाती है। शुद्ध प्राप्य मूल्य माल की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयला, कोक फाइन कोयला और कोक जुर्माना कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान को तब मान्यता प्राप्त होता है जब कंपनी की पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो, और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक बैलेंसशीट पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लों आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो, तो वहाँ दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लों की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यताएं यथोचित होती हैं।

2.23 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.24 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

इंडस्ट्रीज के साथ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेखांकन नीतियों को निर्णय और धारणाएं प्रभावित करती है और परिसंपत्तियों और देनदारियों पर रिपोर्ट की गई राशि आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा करती है और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखा नीतियों के आवेदन को वित्तीय विवरणों में उद्धृतकिया जाता है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तितहोते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रियों को उनके वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में प्रभावी रूप से प्रकट किया जाता हैं।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तो के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारियाँ उद्धृत की है।

क उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख वित्तीय विवरणियों में विश्वसनीयता :

I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।
Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।
Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,
Iv. मितव्ययी, तथा
V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग संचालनकी नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है। वित्तीय विवरणियों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ –

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुएयह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामाग्री का आंकलन वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

2.24.1.3. परिचालन पट्टा –

कंपनी ने पट्टा समझौते को अपनाया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि –

हानि के संकेत हैं, यदि परिसंपत्तियों या नगदी का वहन मूल्य वसूली राशि से अधिक हो तो वे मूल्य उपयोगी होंगे, जो अपने निष्पक्ष मूल्य के निपटान मूल्य के न्यूनतम लागत पर निर्धारित किए जायेंगे। कंपनी प्रत्येक खानों को अलग-अलग नगद बनाने वाली ईकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा –

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए

उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप –

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां –

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6. खानों को बंद करने, साइट पुनः स्थापना व डीकमिस्निंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदानों को बंद करने के लिए उचित कारणों का होना अनिवार्य है। साइट पुन: स्थापना और डिकमीशनिंग दायित्व निम्न छूट दर पर प्राप्त होती है। साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान करती है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर(प्रति कर दर) जो की समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आंकलन को दर्शाती है।

2.24 **संक्षेपों का प्रयोग**

क.	CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
ख.	DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
ङ.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय (Other Comprehensive Income)
ज.	P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
झ.	PPE	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)
ट.	EIR	प्रभावी ब्याज दर (Effective Interest Rate)

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -3 : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(₹ करोड़ में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एंड फीक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारित संरचना	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :															
01.04.2015 के अनुसार	30.29	1,785.65	318.67	315.67	682.62	19.89	57.79	11.30	7.63	13.26	-	161.26	7.76	-	3,411.79
योग	-	287.85	-	14.73	100.38	3.41	27.14	2.58	4.60	2.41	-	8.17	1.08	-	452.35
विलोपन/समायोजन	-	-3.22	-	-2.35	-5.19	-0.01	-0.07	-0.56	-0.82	-0.17	-	-0.11	-1.05	-	-13.55
31.03.2016 के अनुसार	30.29	2,070.28	318.67	328.05	777.81	23.29	84.86	13.32	11.41	15.50	-	169.32	7.79	-	3,850.59
01.04.2016 के अनुसार	30.29	2,070.28	318.67	328.05	777.81	23.29	84.86	13.32	11.41	15.50	-	169.32	7.79	-	3,850.59
योग	0.03	510.34		52.86	139.56	1.81	16.54	2.55	3.82	0.63		46.04	9.42	-	783.60
विलोपन/समायोजन	-			-0.02	-8.48			0.04	-0.13			0.45	-0.82	-	-8.96
31.03.2017 के अनुसार	30.32	2,580.62	318.67	380.89	908.89	25.10	101.40	15.91	15.10	16.13	-	215.81	16.39	-	4,625.23
संचित,मूल्यह्रास एवं हानि															
01.04.2015 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	77.20	41.01	9.69	160.23	4.74	6.75	1.83	3.17	2.09	-	14.16	0.62	-	321.49
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43		-	0.43
विलोपन/समायोजन	-	-1.24	-	-0.14	-1.59	-0.01	-	-0.30	-0.52	-0.03	-	-1.14	-0.09	-	-5.06
31.03.2016 के अनुसार	-	75.96	41.01	9.55	158.64	4.73	6.75	1.53	2.65	2.06	-	13.45	0.53	-	316.86
01.04.2015 के अनुसार	-	75.96	41.01	9.55	158.64	4.73	6.75	1.53	2.65	2.06	-	13.45	0.53	-	316.86
वर्ष के लिए प्रभार	-	94.82	41.01	16.27	160.17	4.40	9.10	1.80	4.04	2.29		15.59	5.62	-	355.11
हानि	-				1.60							0.56		-	2.16
विलोपन/समायोजन	-			0.02	12.96	0.22	0.01	0.76	-1.20	0.01		0.47		-	13.25
31.03.2017 के अनुसार	-	170.78	82.02	25.84	333.37	9.35	15.86	4.09	5.49	4.36	-	30.07	6.15	-	687.38
निवल वहन राशि															
31.03.2017 के अनुसार	30.32	2,409.84	236.65	355.05	575.52	15.75	85.54	11.82	9.61	11.77	-	185.74	10.24	-	3,937.85
31.03.2016 के अनुसार	30.29	1,994.32	277.66	318.50	619.17	18.56	78.11	11.79	8.76	13.44	-	155.87	7.26	-	3,533.73
01.04.2015 के अनुसार	30.29	1,785.65	318.67	315.67	682.62	19.89	57.79	11.30	7.63	13.26	-	161.26	7.76	-	3,411.79

01.04.2015 के अनुसार आईएनडी एएस एवं पूर्व जीएएपी के तहत वहन मूल्यों का मिलान

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार/ साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	दूरसंचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एंड फीक्सचर	कार्यालय उपकरण	वाहन	हवाई जहाज	अन्य खनन आधारित संरचना	सर्वे-आफ परिसंपत्तियां	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :															
01.04.2015 के अनुसार	30.29	2,227.98	460.69	511.30	2,455.36	36.50	164.51	38.65	37.57	32.37	-	486.91	19.40	-	6,501.53
संचित,मूल्यह्रास एवं हानि 01.04.2015 के अनुसार	-	442.33	142.02	195.63	1,772.74	16.61	106.72	27.35	29.94	19.11	-	325.65	11.64	-	3,089.74
सकल वहन राशि	30.29	1,785.65	318.67	315.67	682.62	19.89	57.79	11.30	7.63	13.26	-	161.26	7.76	-	3,411.79

1 भूमि - अन्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 अंतर्गत अधिग्रहीत भूमि शामिल है ।

2 पट्टाधारक भूमि में कोयला धारक क्षेत्र(अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1984,ओडिशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम,1962 शामिल है। पट्टाधारक भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम 1957 के तहत भूमि के स्वामित्व को उस हद तक स्थानांतरित करने के लए अधिसूचना के आधार पर पूँजीकृत किया गया है.जिसके लिए स्वीकृति अनुमोदन प्राप्त किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम,1894,ओडिशा सरकार भूमि निपटान अधिनियम,1962 को राज्य प्राधिकारी द्वारा अधिकार प्रमाणित होने पर पूँजीकृत किया गया है।

3 अधिकांश मामलों में कंपनी के पक्ष में भूमि के वाहनों का कार्य निष्पादन लंबित है।

4 कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-II के अंतर्गत मूल्यह्रास से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है। हालांकि,परिसंपत्ति के भिन्न वर्ग के भीतर इम्बेड्ड कुछ संबित परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्याकंन की सहायता ली गई,कंपनी अधिनियम,2013 की अनुसूची-II के अनुसार भिन्न तरह की संपत्तियों के लिए उनकी उपयोगिता के अनुसार उनका मूल्यह्रास किया गया ।

5 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संपत्ति,संयंत्र और उपकरणों के संबंध में 2.16 करोड़ रुपए जो हानि हुई उसका भुगतान लाभ और हानि के विवरण के तहत किया गया।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -4 : अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :						
01.04.2015 के अनुसार	146.92	262.94	40.97	166.17	-	617.00
योग	112.71	126.91	1.36	61.81	-	302.79
पूंजीकरण/विलोपन	-15.01	-40.39	-3.54	-35.31	-	-94.25
01.03.2016 के अनुसार	244.62	349.46	38.79	192.67	-	825.54
						-
01.04.2016 के अनुसार	244.62	349.46	38.79	192.67	-	825.54
योग	93.19	196.90	29.56	912.61	-	1,232.26
पूंजीकरण/विलोपन	-84.09	-91.28	-5.04	1.62	-	-178.79
31.03.2017 के अनुसार	253.72	455.08	63.31	1,106.90	-	1,879.01
प्रावधान एवं हानि						-
01.04.2015 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	2.02	-	-	-	2.02
हानि	-	9.87	-	-	-	9.87
विलोपन/समंजन	-	-0.01	-	-	-	-0.01
01.03.2016 के अनुसार	-	11.88	-	-	-	11.88
						-
01.04.2016 के अनुसार	-	11.88	-	-	-	11.88
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.77	-	-	-	0.77
हानि	-	2.88	-	-	-	2.88
विलोपन/समंजन	-	-1.26	-	-	-	-1.26
31.03.2017 के अनुसार	-	14.27	-	-	-	14.27
निवल वहन राशि						-
						-
31.03.2017 के अनुसार	253.72	440.81	63.31	1,106.90	-	1,864.74
31.03.2016 के अनुसार	244.62	337.58	38.79	192.67	-	813.66
01.04.2015 के अनुसार	146.92	262.94	40.97	166.17	-	617.00

01.04.2015 के अनुसार आईएनडी एएस एवं पूर्व जीएएपी के तहत वहन मूल्यों का मिलान

	भवन निर्माण (जलापूर्ति,सड़कों और कलवर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :						
01.04.2015 के अनुसार	147.01	275.66	40.97	166.17	-	629.81
प्रावधान एवं हानि						
01.04.2015 के अनुसार	0.09	12.72	-	-	-	12.81
सकल वहन राशि :	146.92	262.94	40.97	166.17	-	617.00

संयंत्र एवं मशीनों के मद के मामले में स्थापना लंबित होने के कारण जिन्हें संयंत्र एवं भंडार में रखा गया है इनके मूल्यह्रास के समतुल्य का प्रावधान तथा यथा आवश्यक बट्टे खाते डालने के लिए कार्रवाई की जाती है। यदि संयंत्र एवं मशीनों के कुछ मद बाद में प्रयोग लिए रखा जाता है जैसे प्रावधान करने के पश्चात प्रथम वर्ष के प्रयोग के बाद किया गया मूल्यह्रास वर्ष के लिए मूल्यह्रास है इसके अलावे मद के लिए लेखांकन समंजन के साथ प्रावधान मूल्यह्रास और इस प्रावधान के बीच है। मार्च को समाप्त वर्ष के दौरान रु करोड़ का प्रावधान इस लेखा में किया गया है।

उपरोक्त शीर्ष मे खनन आधारभूत संरचना के तहत इलेब्लिंग परिसम्पत्ती वीज रेलवे ट्रेक के लिए रु.821.01 करोड़ का प्रावधान किया गया ।

टिप्पणी -5 : अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

	(₹ करोड़ में) अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि :	
01.04.2015 के अनुसार	106.74
योग	10.12
पूँजीकरण/विलोपन	-2.59
01.03.2016 के अनुसार	114.27
01.04.2016 के अनुसार	114.27
योग	5.22
पूँजीकरण/विलोपन	-8.37
31.03.2017 के अनुसार	111.12
प्रावधान एवं हानि	
01.04.2015 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समंजन	-
01.03.2016 के अनुसार	-
01.04.2016 के अनुसार	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
हानि	-
विलोपन/समंजन	-
31.03.2017 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31.03.2017 के अनुसार	111.12
31.03.2016 के अनुसार	114.27
01.04.2015 के अनुसार	106.74

01.04.2015 के अनुसार आईएनडी एएस एवं पूर्व जीएएपी के तहत वहन मूल्यों का मिलान

सकल वहन राशि :	
01.04.2015 के अनुसार	106.74
प्रावधान एवं हानि	
01.04.2015 के अनुसार	-
सकल वहन राशि :	106.74

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी 6 : अन्य असंगत(इंटेजीवल) परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर साफ्टवेयर	बिक्री के लिए कोल ब्लॉक	अन्य	कुल
सकल वहन राशि :				
01.04.2015 के अनुसार	-	4.91	-	4.91
योग	0.38	-	-	0.38
पूँजीकरण/विलोपन	-	-	-	-
01.03.2016 के अनुसार	0.38	4.91	-	5.29
01.04.2016 के अनुसार	0.38	4.91	-	5.29
योग	0.22	-	-	0.22
पूँजीकरण/विलोपन	-	-	-	-
31.03.2017 के अनुसार	0.60	4.91		5.51
प्रावधान एवं हानि				
01.04.2015 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-0.09	-	-	-0.09
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समंजन	-	-	-	-
01.03.2016 के अनुसार	-0.09	-	-	-0.09
01.04.2016 के अनुसार	-0.09	-	-	-0.09
वर्ष के लिए प्रभार	0.16	-	-	0.16
हानि	-	-	-	-
विलोपन/समंजन	-	-	-	-
31.03.2017 के अनुसार	0.07	-	-	0.07
निवल वहन राशि				
31.03.2017 के अनुसार	0.53	4.91	-	5.44
31.03.2016 के अनुसार	0.47	4.91	-	5.38
01.04.2015 के अनुसार	-	4.91	-	4.91
01.04.2015 के अनुसार आईएनडी एएस एवं पूर्व जीएएपी के तहत वहन मूल्यों का मिलान				
सकल वहन राशि :				
01.04.2015 के अनुसार	2.67	4.91	-	7.58
प्रावधान एवं हानि				
01.04.2015 के अनुसार	2.67	-	-	2.67
सकल वहन राशि :	-	4.91	-	4.91

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -7(i) : निवेश
गैर चालू

(₹ करोड़ में)

	प्रतिशतता (%) धारक	चालू वर्ष में शेयरों की संख्या / (गत वर्ष)	चालू वर्ष प्रति शेयर अंकित मूल्य / (गत वर्ष)	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 (पुन: घोषित)
शेयर में निवेश						
अनुषंगी कंपनियों में इक्वीटी शेयर						
एमएनएच शक्ति लिमिटेड.	70%	59570000/ (59570000)	10.00	59.57	59.57	59.57
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	60%	57060000/ (57060000)	10.00	57.06	57.06	57.06
एमबीपीएल	100%	50000/ (50000)	10.00	0.05	0.05	0.05
एमसीआरएल	64%	32000/(32000)	10.00	0.03	0.03	-
गैर-व्यापार (उद्धृत)						
सुरक्षित बांड में						
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉड	0%	20000/(20000)	100000/ (100000)	200.00	200.00	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित ईआरएफसी कर-मुक्त बॉन्ड	0%	1087537/ (1087537)	1000/ (1000)	108.75	108.75	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त ब	0%	4999/(4999)	1000100/ (1000100)	499.95	499.95	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉड	0%	(1500000)	1000/ (1000)	150.00	150.00	150.00
कुल :				**1075.41**	**1075.41**	**1075.38**
अनुद्धत निवेश की कुल राशि				**116.71**	**116.71**	**116.68**
उद्धत निवेश की कुल राशि				**958.70**	**958.70**	**958.70**
उद्धत निवेश का बाजार मूल्य				**995.19**	**993.69**	**978.68**
निवेश -मूल्य में हानि की कुल राशि :				-	-	-

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -7(ii) :

निवेश
चालू

(₹ करोड़ में)

	यूनिटों की संख्या (चालू वर्ष)/(गत वर्ष)	एनएव्ही (₹ में)	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 (पुन: घोषित)
व्यापार (अनुद्धृत)					
म्यूचुअल फंड निवेश					
कैनरा रोबेको लिक्वीड फंड	69617.11/ (666335.16)	1005.50	7.00	67.00	25.00
एसबीआई प्रीमियर लिक्वीड फंड	1026663.34/ (8871168.70)	1003.25	103.00	890.00	101.00
यूटीआई मनि मार्केट फंड	902451.20/ (3462666.06)	1019.45	92.00	353.00	79.00
यूनियन केबीसी	0/ (349772.44)	1000.65	-	35.00	20.00
व्यापार (अनुद्धृत)					
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड			-	-	11.38
पश्चिम बंगाल स्टेट इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड			-	-	11.32
कुल :			**202.00**	**1,345.00**	**247.70**
उद्धृत निवेश की कुल राशि			-	-	
अनुद्धृत निवेश की कुल राशि			202.00	1,345.00	247.70
अनुद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			202.04	1,346.31	225.60
निवेश -मूल्य में हानि की कुल राशि :			-	-	-

टिप्पणी : व्यापार (अनुद्धृत) म्युचुअल फंड एनएव्ही ऊपर निर्दिष्ट अंकित मूल्य के बराबर है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -8 : ऋण

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के अनसार		31.03.2016 के अनसार		01.04.2015 (पुन: घोषित)	
र-चालू						
संबंधित पार्टियों ऋण		0		0		
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया					-	
- असुरक्षित,जिसे अचछा समझा गया	1,200.00		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान		1200.00				
कार्मिकों के लिए ऋण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1.06		1.23		1.73	
- असुरक्षित,जिसे अचछा समझा गया	-		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान		1.06		1.23		1.73
अन्य ऋण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- असुरक्षित,जिसे अचछा समझा गया	-		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान		0.00				
कुल		**1,201.06**		**1.23**		**1.73**
वर्गीकरण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		1.06		1.23		1.73
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया		-		-		-
- संदेहास्पद		-		-		-
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान		-		-		-
चालू						
संबंधित पार्टियों का ऋण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान		0.00				
कार्मिकों के लिए ऋण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.32		0.47		0.44	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान		0.32		0.47		0.44
अन्य ऋण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान						
कुल		**0.32**		**0.47**		**0.44**
वर्गीकरण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		0.32		0.47		0.44
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया		-		-		-
- संदेहास्पद		-		-		-
घटाव: संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान						

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

		31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार		01.04.2015 (पुन: घोषित)
गैर चालू बैंक जमा		2.56		139.69		139.56
खदान बंदी के तहत बैंक में जमा		696.75		529.63		425.42
खदान बंदी हेतु इस्क्रो लेखा से प्राप्य		0.57		-		-
अन्य जमा specified in note)	32.36	-	29.00		28.85	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	32.36	-	29.00	-	28.85
अन्य प्राप्तियां	0.16		0.16		0.16	
घटाव : प्रावधान	0.16	-	0.16	-	0.16	-
कुल		732.24		698.32		593.83

टिप्पणी :

1. कोयला मंत्रालय,भारत सरकार तथा बाद में कोयला नियंत्रक के साथ करार के शर्तो के अनुसार अधिसूचित बैंकों में 3 माह से अधिक अवधि तक ₹ 696.75 करोड़ की पूर्णता तक खनन निष्पादन इस्क्रो लेखा में जमा होता है।

2. बैंक में जमा ₹ 1.79 करोड़ जिसमें ब्याज की राशि ₹ 1.21 करोड़ है, यह विशिष्ट शर्तो के अनुसार जमा है जो जिला कोर्ट सुंदरगढ़ के अंतर्गत विचाराधीन है जिसे एक अधिकारी द्वारा दायर किया गया है और कोर्ट हमारा जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता तब तक इस राशि की निकासी नहीं की जा सकती।

3. बैंक में जमा जिसमें ▯0.03 करोड़ समाविष्ट है उसे बीजी के लिए माबाईल रेसियो,जिसकी आपूर्ति दूरसंचार विभाग,भारत सरकार करता है और ओआईटीडीएस के प्रयोजन हेतु इसे जारी किया जाता है।

4. बैंक में जमा ₹ 0.74 करोड़ एमआईएमएसआर के लिए टीएएमडीए को जारी किया जाता है जो संस्थान निर्माण योजना के लिए प्राप्त अनुमोदन से वहन किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
अन्य (गैर चालू)			
विद्युत आपूर्ति उपक्रम	31.66	28.20	28.05
सुरक्षा एवं अन्य जमा	0.06	0.14	0.14
पी एंड टी विभाग	0.03	0.03	0.03
गैस कंपनी एवं अन्य के साथ जमा	0.61	0.63	0.63
	32.36	29.00	28.85

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

चालू		31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार		01.04.2015 (पुन: घोषित)
सीआईएल के साथ अतिरिक्त फंड		53.94		347.81		556.36
अनुषंगी कंपनियों के साथ चालू लेखा		38.24		26.69		20.07
लंबी अवधि की चालू परिपक्वता		300.00				
ब्याज से अर्जित						
- निवेश		31.29		33.17		33.29
- बैंक जमा		569.96		485.64		557.85
- अन्य		2.78		2.17		2.59
अन्य जमा be specified in note)	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-
प्राप्ति योग्य दावे	0.30		0.03		0.03	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	0.30	-	0.03	-	0.03
अन्य प्राप्तियां	2.77		2.37		1.13	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	2.77	-	2.37	-	1.13
कुल		**999.28**		**897.88**		**1,171.32**

टिप्पणी :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.15
2.जमा पर अर्जित ब्याज - अन्य विद्युत उपक्रम	2.77	2.17	2.59

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -10 : अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार		01.04.2015 (पुन: घोषित)	
(i) पूँजी अग्रिम	374.46		933.46		646.25	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.55	373.91	0.55	932.91	0.55	645.70
(ii) पूँजी अग्रिम के अलावा अग्रिम						
(क) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-
(ख) अन्य जमा (to be specified in note)	8.59		7.65		7.63	
घटाव: संदेहास्पद जमा हेतु प्रावधान	-	8.59	0.00	7.65	0.00	7.63
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-		-
(घ) राजस्व हेतु अग्रिम	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-
(ङ) अन्वेषन ड्रीलिंग कार्य	-		-		-	
घटाव: प्रावधान	-	-	-	-	-	-
(च) प्रीपेड व्यय						
(छ) अन्य						
कुल		382.50		940.56		653.33
टिप्पणी						
वर्गीकरण						
असुरक्षित - अच्छा समझा गया		381.95		940.01		652.78
- संदेहास्पद समझा गया		0.55		0.55		0.55

अन्य संचयों में ₹ 6.33 करोड़ न्यायालयों के साथ और 2.26 करोड़ सरकारी अथोरिटी के साथ जमा है ।

टिप्पणी -11 : अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार		01.04.2015 (पुन: घोषित)	
(क) राजस्व के लिए अग्रिम	225.86		334.92		197.46	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	2.16	223.70	2.10	332.82	2.10	195.36
(ख) वैधानिक बकाए का अग्रिम भुगतान	27.99		48.29		13.22	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	27.99	-	48.29	-	13.22
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-		-
(घ) कार्मिकों को अग्रिम	5.64		48.52		65.39	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.03	5.61	-	48.52	-	65.39
(ङ) अग्रिम - अन्य e specified in note)	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-
(च) उपयोगिताओं के लिए जमा	-		-		-	
घटाव : प्रावधान	-	-	-	-	-	-
(छ) जमा - अन्य e specified in note)	679.58		1258.58		2174.14	
घटाव : प्रावधान	-	679.58	-	1258.58	-	2174.14
(ज) सीईएनवीएटी क्रेडिट प्राप्य		74.62		34.17		27.86
(झ) मैट क्रेडिट इनटाइटलमेंट		-		-		-
प्रीपेड व्यय		12.86		16.36		
(ञ) प्राप्तियां - अन्य	-		-		-	
घटाव: प्रावधान	-	0.00	-	0.00	-	0.00
कुल		**1,024.36**		**1,738.74**		**2,475.97**

टिप्पणी :

अन्य को जमा:			
विरोध के तहत बिक्री कर जमा	43.86	43.60	27.46
विरोध के तहत केंद्रीय उत्पाद शुल्क जमा	2.88	2.87	142.80
विरोध के तहत सेवा कर और ब्याज की राशि जमा		0.26	0.26
विरोध के तहत एस.टैक्स पर जुर्माना जमा	0.04	0.04	0.04
विरोध के तहत जल उपकर / प्रभार जमा		50.24	50.24
विरोध के तहत आयकर जमा	632.54	1,161.57	1,953.34
	679.32	1,258.58	2,174.14

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -12 : वस्तुसूची

(जैसा लिया गया,मूल्यवान एवं प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार		01.04.2015 (पुन: घोषित)	
क) कोयले का स्टॉक	254.70		346.82		386.79	
विकास के तहत कोयला	-		-		-	
	254.70		346.82		386.79	
घटाव : प्रावधान	-		-		-	
कोयले का स्टॉक (निवल)		254.70		346.82		386.79
ख) स्टोर एवं पुर्जे का भंडार(लागत पर)	78.54		83.08		89.84	
योग : मार्गस्थ स्टोर	0.96		2.12		0.85	
घटाव : प्रावधान	19.89		19.12		17.47	
कुल पुर्जे एवं स्टोर का स्टॉक (लागत पर)		59.61		66.08		73.22
ग) केंद्रीय अस्पताल में दवाओं का स्टॉक		1.11		0.59		0.69
घ) कर्मशाला कार्य :						
कार्य प्रगति पर एवं तैयार माल	6.71		**12.10**		**10.80**	
घटाव : प्रावधान	-		-		-	
कर्मशाला कार्यों पर निवल स्टॉक		6.71		12.10		10.80
ङ) प्रेस कार्य :						
कार्य प्रगति पर एवं तैयार माल		-		-		-
		322.13		**425.59**		**471.50**

1.वर्ष के दौरान भंडार/पूर्जों के वास्तविक जांच में किसी तरह की कमी/अधिकता नहीं पाई गई है । 31.03.2017 को संचयी प्रावधान ₹ 0.98 करोड़ (31.03.2016 ₹ 0.90 करोड़) हो गई है ।

2. अप्रयुक्त/ मरम्मत के अयोग्य मदों वाले भंडार एवं पुर्जे तथा वे पुर्जे इनका प्रयोग 5 वर्ष से नहीं किया गया इस के लिए क्रमशः 100 % और 50 % का प्रावधान लेखांकन नीति (टिप्पणी-33 के अनुच्छेद 6.2.4) के अनुसार रखा गया है । 31.03.2017 को संचयी प्रावधान ₹18.68 करोड़ (31.03.2016 को ₹ 17.99 करोड़) हो गया ।

3. प्रावधान में 31.03.2017 को (31.03.2016 ₹ 0.23 करोड़ रुपए) की संपत्ति के नुकसान के लिए 0.23 करोड़ रुपए शामिल हैं।

4.कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार वेटेज औसत तरीके के अनुसार भंडार एवं पुर्जों का मूल्यांकन किया गया है शुद्ध वसुली मूल्य के साथ प्राप्त लागत को लेखा में ना तो रखा गया है ना समंजित किया गया है कार्यों कि शुद्ध वसूली मूल्य निश्चित नहीं है ।

टिप्पणी -12 का अनुलग्नक

(परिणाम लाख टन में) (मूल्य लाख रुपए में)

टेबुल: क

वर्ष के अंत में बुक स्टॉक के साथ खाते में अपनाया गया क्लोज़िंग स्टॉक का मिलान

	सकल स्टॉक		नन वेंडेबल स्टॉक		वेंडेबल स्टॉक	
	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य
1 (क) 01.04.16 को आरंभिक स्टॉक	101.92	36752.43	-	-	101.92	36752.43
(ख) 5% से अधिक कमी	1.26	2,070.08	-	-	1.26	2,070.08
आरंभिक लेखा में लिए गए स्टॉक	100.66	34,682.35			100.66	34682.35
2 अवधि में उत्पादन	1,392.08	1,312,301.32	-	-	1392.08	1312301.32
3 उप जोड़ (1क+2)	1,494.00	1,349,053.75	-	-	1,494.00	1,349,053.75
4 वर्ष के लिए ऑफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1,430.08	1,321,309.25	-	-	1430.08	1321309.25
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-
(ग) घरेलु खपत	0.05	90.33	-	-	0.05	90.33
कुल(क)	1,430.13	1,321,399.58	-	-	1430.13	1321399.58
5. प्राप्त स्टॉक	63.87	27,654.17	-	-	63.87	27654.17
6 मापा गया स्टॉक	61.76	25,112.45	-	-	61.76	25112.45
7 अंतर (5-6)	2.11	2,541.72	-	-	2.11	2,541.72
8 अंतर का ब्रेक-अप						
(क) 5% के अंदर वृद्धि	-	0.98	-	-	0.00	0.98
(ख) 5% के अंदर कमी	0.92	358.16	-	-	0.92	358.16
(ग) 5% से अधिक वृद्धि	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक की कमी	1.19	2,184.54	-	-	1.19	2,184.54
9 ली गई अंतिम स्टॉक लेखा में (6-8क+8ख)	62.68	25,469.63	-	-	62.68	25469.63

अंतिम कोयला स्टॉक का सारांश

टेबुल -ख

	कच्चा कोयला				धोया/ देशीय कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य	परिणाम	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (लेखा परीक्षित)	-	-	101.92	38,752.43	-	-	-	-	-	-	101.92	38,752.43
5% से अधिक की कमी			1.26	2,070.08							1.26	2,070.08
घटाव : नन वेंडेबल कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजित आरंभिक स्टॉक (वेंडेबल)	-	-	100.66	34,682.35	-	-	-	-	-	-	100.66	34,682.35
उत्पादन	-	-	1,392.08	1,312,301.32	-	-	-	-	-	-	1,392.08	1,312,301.32
ऑफटेक												
(क) बाहर प्रेषण	-	-	1,430.08	1,321,309.25	-	-	-	-	-	-	1,430.08	1,321,309.25
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ग) घरेलु खपत	-	-	0.05	90.33	-	-	-	-	-	-	0.05	90.33
उत्पन्न अंतिम स्टाक	-	-	63.87	27,654.17	-	-	-	-	-	-	63.87	27,654.17
घटाव : कमी	-	-	1.19	2,184.54	-	-	-	-	-	-	1.19	2,184.54
अंतिम स्टाक	-	-	62.68	25,469.63	-	-	-	-	-	-	62.68	25,469.63

आंतरिक सर्वेक्षण मापन दल ने कोयले के अंतिम स्टाक की वास्तविक जाँच की है। कुल क्षेत्रों में इसे बाहरी दल के द्वारा समीक्षा की गई है। वास्तविक जाँच में यदि बुक स्टाक से +- 5% तक का अंतर होता है तो उसे लेखांकन नीति के तहत ध्यान नहीं दिया जाता है।

5% से अधिक की कमी का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्षेत्र	खदान	बुक स्टॉक (लाख टन में)		मापा गया स्टाक (लाख टन में)		% अंतर	
		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
ओरियंट	माइन नं 3	0.20	0.19	0.08	0.07	58.98	61.74
	एचबीएस- 09	0.30	0.70	0.00	0.40	100.00	42.89
तालचेर	नंदिरा-08	0.50	1.75	0	1.19	100	31.98
	तालचेर -05	0.75	1.54	0.48	1.26	36.45	18.63
कुल		1.75	4.18	0.56	2.92		

उस मामले में जब अंतर +-5% से अधिक है, पॉलिसी के मुताबिक मापे गए स्टॉक को लेखा में लिया जाता है। दिनांक 31.03.2017 के मुताबिक अंतर 5% की स्थिति में 1.19 लाख टन के(1.76 लाख टन से कम 0.56 लाख टन) के परिमाण के लिए रु21.84 करोड़ के अंतर के मूल्य को लेखा में शामिल किया गया

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -13 : व्यापार प्राप्तियां

(₹करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार		01.04.2015 (पुनः घोषित)	
चालू						
व्यापार प्राप्तियां						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया						
- असुरक्षित,जिसे अच्छा समझा गया			1107.61		448.85	
- संदेहास्पद			37.76		41.38	
घटाव: संदेहास्पद ऋण एवं बैड हेतु प्रावधान	117.90	-117.90	37.76	1107.61	41.38	448.85
कुल		-117.90		1107.61		448.85
टिप्पणी :						
नियत तिथि से छः माह से कम अवधि के लिए बकाया ऋण।	960.92		1013.93		305.67	
नियत तिथि से छः माह से अधिक अवधि लिए बकाया ऋण।	105.57		93.68		143.18	
संदेहास्पद ऋण	117.90		37.76		41.38	
		1184.39		**1145.37**		**490.23**

टिप्पणी:

कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से अलग-अलग या संयुक्त रूप से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं हैं, न ही किसी भी व्यापार या अन्य प्राप्य कंपनियों या निजी कंपनियों के क्रम में क्रमशः देय हैं, जिसमें कोई निदेशक भागीदार, एक निदेशक या सदस्य है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -14 : नगद और नगद समतुल्य

(₹करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 (पुन: घोषित)
(क) बैंक में शेष			
- जमा खातों में (परिपक्वता सहित 3 माह से अधिक)		13.35	-
- चालू खातों में	372.36	202.61	175.43
- कैश क्रेडिट खाते में	-	-	-
(ख भारत के बाहर बैंक शेष	-	-	-
(ग) चेक,ड्राफ्ट एवं स्टाम्प हाथ में	-	-	-
(ग) नगद हाथ में		0.04	0.04
(घ) भारत के बाहर नगद हाथ में	-	-	-
(ङ) अन्य	-	-	0.35
कुल नगद एवं नगद समकक्ष	372.36	216.00	175.82
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-	-
कुल नगद एवं नगद समकक्ष (निवल बैंक आवरड्राफ्ट)	372.36	216.00	175.82
नौ महीने के दौरान किसी भी समय अनुसूचित बैंको के अलावा बैंकों के साथ बकाया राशि	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी :

1 नकद और नकद समकक्षों में हाथ पर और बैंक, स्वीप अकाउंट्स और बैंकों के साथ तीन महीनों या उससे कम की मूल परिपक्वता वाली सावधि जमा शामिल है

2

विवरण	एसबीएन	अन्य डिनोमिनेशन नोटस	कुल
08.11.2016 को अंतिम नगद हाथ में	264,000.00	345,518.41	609,518.41
(+) अनुमति प्राप्त प्राप्तियां	49,000.00	71,123,745.64	71,172,745.64
(-) अनुमति प्राप्त भुगतान	-	61,906,372.72	61,906,372.72
(-) बैंक में जमा राशि	313,000.00	9,331,827.00	9,644,827.00
30.12.2016 को अंतिम नगद हाथ में		231,064.33	231,064.33

3 चालू खाते की शेष राशि ₹82.76 करोड़ चालू लिंक्ड डिपोजिट जमा है जो अस्थायी रूप से चालू खाते से स्थानांतरित किया गया है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -15 : अन्य बैंक में शेष

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 पुनः घोषित
बैंक में शेष			
-खाते में जमा(परिपक्वता सहित 3 माह से अधिक)	14,662.95	11,199.47	10141.57
-खदान बंदी योजना	-	-	-
-न चुकाए गए लाभांश खाते	-	-	-
-लाभांश खाते	-	-	-
कुल	**14,662.95**	**11,199.47**	**10,141.57**
उधार / अन्य से संबंधित मार्जिन या सिक्युरीटी मनी के रूप में तय सीमा के तहत बैंकों में शेष राशि	36.62	28.54	83.14

टिप्पणी :

1. अन्य बैंक शेष में सावधि जमा और अन्य बैंक जमा शामिल होते हैं जिन्हें प्रतिवेदन की तिथि के 12 महीनों के भीतर नगद के रूप में वसूल किए जाने की संभावना है।

2.अदालत के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में विस्फोटक दर के अनुबंध के मुकाबले 0.04 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे ।

3. मेसर्स आई .आर.सी लाजिस्टिक्स लिमिटेड के बीजी के नगदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के तहत निर्धारित जमा में 0.19 करोड़ शामिल हैं।

4. माननीय उच्च न्यायालय कटक के अंतरिम आदेश के अनुसार मेसर्स विडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संबंध में कंपनी द्वारा बीजी नकदीकरण एफएसए) के तहत निर्धारित 7.89 करोड़ रुपए आरक्षित जमा शामिल है ।

5. सावधि जमा में मेसर्स श्री महाबीर फेरो अलाएंस प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कंपनी द्वारा 40% टैंपरिंग के लिए 0.15 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। माननीय उच्च न्यायालय,कटक के आदेशानुसार वर्ष 2015 की रिट याचिका संख्या 3109 के अंतिम

6. माननीय उच्च न्यायालय,कटक(ओडिशा) के अंतरिम आदेश के तहत 5.97 करोड़ रुपए मुआवजे की सावधि जमा राशि शामिल है अर्थात विवादित भूमि में शामिल मुआवजे की शेष राशि को किसी भी राष्ट्रीकृत बैंक में जमा करने के लिए किया जाता है।

7. मेसर्स एमसीएल केएसआईपीएल संयुक्त उद्यम द्वारा प्रस्तुत बीजी के नकदीकरण के संबंध में ओडिशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार 1.00 करोड़ रुपए की सावधि जमा है।

8. भारतीय स्टेट बैंक के धारणाधिकार के अधीन रुपए 13.35 करोड़ सावधि जमा रखा गया है जो भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी के अनुदान के लिए अनुषंगी कंपनी- मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड की ओर से ब्लॉक आबंटन की शर्तों को पूरा करने के लिए आश्वस्त पत्र जारी करता है।

9. माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में एक्सप्लोसिव रेट अनुबंध के लिए प्राप्त मूल्य में अंतर हेतु 5.47 करोड़ रुपए सावधि जमा में शामिल किए गए हैं।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -16 : इक्वीटी शेयर पूँजी

(₹करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 (पुन: घोषित)
अधिकृत			
₹1000/- प्रति शेयर के 29,58,200 इक्वीटी शेयर	295.82	295.82	295.82
	295.82	**295.82**	**295.82**
जारी, सब्सक्राइब्ड और पेड-अप			
₹1000/- प्रति शेयर के 1412266 इक्वीटी शेयर नगद रूप में पूर्ण भुगतान	141.23	186.40	186.40
	141.23	**186.40**	**186.40**

टिप्पणी:

1 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा आयोजित कंपनी में शेयर

शेयरधारकों के नाम	शेयरों की सख्या (अंकित मूल्य ₹1000/- प्रत्येक	कुल शेयरों का प्रतिशत
कोल इंडिया लिमिटेड(धारक कंपनी) एवं इसके नामिनी	1412266	100

2 वर्ष के दौरान समूह ने किसी भी प्रकार के शेयर जारी नहीं किए हैं। हालांकि,समूल ने पूर्ण रूप से निविदा प्रस्ताव के माध्यम से भुगतान करते हुए 4,51,743 की संख्या में जिनका अंकित मूल्य रु.1000/- है,के इक्वीटी शेयर वापस खरीदा है। 31.03.2017 पर पूर्ण रूप से भुगतान किए गए इक्वीटी शेयरों की संख्या 14,12,266 है ।

3 समूह के पास सिर्फ एक ही श्रेणी के इक्वीटी शेयर हैं जिसका अंकित मूल्य प्रति शेयर रु.1000/- है। इक्वीटी शेयरधारक समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकारी है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -17 : अन्य इक्वीटी

(₹ करोड़ में)

	प्राथमिक पूंजी का इक्विटी हिस्सा	अन्य रिजर्व: कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	अन्य रिजर्व: कैपिटल रिजर्व	अन्य रिजर्व: सीएसआर रिजर्व	सतत विकास रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	अनियंत्रित ब्याज	कुल
01.04.2015 को शेष	-	**204.18**	-	-	-	**3,261.08**	**825.91**		**4,291.17**
लेखा नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	109.16		109.16
पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-	-	-	11.65		11.65
01 04 2015 को पुन. घोषित शेष	-	204.18	-	-	-	3,261.08	946.72	-	4,411.98
प्रतिधारण आय को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-		-
प्रतिधारण आय/ अन्य आरक्षित से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान कुल वृहद आय	-	-	-	-	-	-	4,207.75		4,207.75
विनियोजन	-	-	-	-	-	-			-
सामान्य आरक्षित को अंतरण	-	-	-	-	-	209.24	(209.24)		-
अन्य आरक्षित को अंतरण	-	-	-	-	-	-			-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	(3,608.45)		(3,608.45)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-			-
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	(734.60)		(734.60)
कोई अन्य बदलाव	-	-	-	-	-	-	-		-
31.03.2016 को शेष	-	**204.18**	-	-	-	**3,470.32**	**602.18**	-	**4,276.68**
01.04.2016 को शेष	-	204.18	-	-	-	3,470.32	602.18	-	4,276.68
वर्ष के दौरान योग	-	45.17	-	-	-	-	-		45.17
वर्ष के दौरान समजन	-	-	-	-	-	(1,617.06)	-		(1,617.06)
लेखा नीति में बदलाव या पूर्व अवधि त्रुटि	-	-	-	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान कुल वृहद आय	-	-	-	-	-	-	4,491.09		4,491.09
विनियोजन	-	-	-	-	-	-	-		-
सामान्य आरक्षित को अंतरण	-	-	-	-	-	224.55	(224.55)		-
अन्य आरक्षित को अंतरण	-	-	-	-	-	-	-		-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	(2,982.00)		(2,982.00)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-		-
कार्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	(607.06)		(607.06)
बाय बैक डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स	-	-	-	-	-	-	(362.67)		(362.67)
31.03.2017 को शेष	-	**249.35**	-	-	-	**2,077.81**	**916.99**	-	**3,244.15**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -18 : उधार

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 (पुन: घोषित)
गैर-चालू			
आवधिक ऋण			
- बैंक से	6.13	7.21	6.90
- अन्य पार्टियों से	-	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-	-
अन्य ऋण	-	-	-
कुल	6.13	7.21	6.90
वर्गीकरण			
सुरक्षित	-	-	-
असुरक्षित	6.13	7.21	6.90
चालू			
मांग पर पुन: प्राप्य ऋण			
- बैंक से	1,500.00	-	-
- अन्य पार्टियों से	-	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	700.00	-	-
अन्य ऋण	-	-	-
कुल	2,200.00	-	-
वर्गीकरण			
सुरक्षित	-	-	-
असुरक्षित	-	-	-

टिप्पणी :

1. बैंक नेशनाले दे पेरीस एवं नाटेक्सिस बैंक के साथ 04 हाइड्रोलिक शॉवेल लिबेर,फ्रांस से खरीदने हेतु एक ऋण समझौते की व्यवस्था की गयी थी। बकाया .ऋण 31.03.2017 (पुनर्भुगतान के बाद निवल) के अनुसार ₹ 6.64 करोड़ है (31.03.2016 को ₹ 7.77 करोड़) . ।

शेष का विवरण निम्न प्रकार है :-

	यूरोEuro	₹ करोड़ में
01.04.2016 के अनुसार शेष	1030851.54	7.77
31.03.2017 को समाप्त नौ माह के दौरान पुन: भुगतान	74113.58	0.54
ट्रासलेशन डिफरेंश	-	(0.59)
31.03.2017 के अनुसार शेष	956737.96	6.64

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -19 : व्यापार देनदारियां

(₹करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 (पुन: घोषित)
चालू			
सूक्ष्म. लघु और मध्यम उद्यमो के लिए व्यापार भुगतान	1.26	2.19	0.61
अन्य व्यापार भुगतान			
-स्टोर एवं पुर्जे	41.52	29.86	37.69
-विद्युत एवं ईंधन	0.51		
-अन्य give major breakup in note)	377.23	271.24	238.92
कुल	**420.52**	**303.29**	**277.22**

टिप्पणी :

अन्य: (प्रमुख मद)			
कोयला परिवहन प्रभार	144.96	108.95	96.82
बकाया व्यय- राजस्व	194.56	129.56	111.04
सीएमपीडीआईएल	35.27	29.57	27.82
	374.79	**268.08**	**235.68**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -20 : अन्य वित्तीय दायिताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 (पुन: घोषित)
गैर-चालू			
प्रतिभूति जमा	34.76	36.29	26.09
अरर्नेस्ट मनी	-	-	-
अन्य(प्रतिभूति जमा-प्रबंधन प्रशिक्षु)	5.43	7.18	2.38
	40.19	43.47	28.47
चालू			
चालू खाता			
- अनुषंगी कंपनियां	-	-	-
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.51	0.56	0.50
भुगतान न किए गए लाभांश	-	-	-
प्रतिभूति जमा	105.74	103.50	81.05
अरर्नेस्ट मनी	49.15	19.90	17.95
अन्य	186.62	160.97	76.19
कुल	342.02	284.93	175.69

टिप्पणी :

1. 31.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान लिवर,फ्रास को ऋण का पुन: भुगतान	74113.58 यूरो	0.51	

2.अन्य(चालू) :-

विद्युत एवं ईंधन	16.19	17.90	17.51
अन्य (प्रमुख मद) मरम्मत एवं अनुरक्षण -₹ 45.34 करोड़ . ठेकेदार को भुगतान/बिल/ओबीआर जॉब-₹ 12.75 करोड़ बिलम्ब शुल्क -₹ 2.66 करोड़ बिजली.वेतन.तिमाही बोनस-₹ 3.37 करोड़ आडिट फीस एवं व्यय - ₹ 0.53 करोड़	67.00	72.78	-
अन्य दायिताएं - (प्रमुख मद) सायलो परियोजना(लिंगराज) के लिए मेसर्स एल एंड टी की रोकी गई राशि -₹ 35.41करोड़ सीआईएसपीए- ₹ 6.48 करोड़ ठेकेदार की रोकी गई राशि-₹ 25.74 करोड़ प्रतिभूति जमा (एक्सप्लोसिव)-₹ 20.17 करोड़ स्टेल चेक/रिटर्न चेक,रद्द किया गया चेक-₹ 5.12 crore स्क्रैप बिक्री/डिस्कार्ड/परिसंपत्तियों का सर्वे --₹ 2.18 करोड़ पे-रोल कटौती -₹ 0.44 करोड़	98.28	67.54	53.55
प्रतिभूति जमा-प्रबंधन प्रशिक्षु	5.15	2.75	5.13
कुल	186.62	160.97	76.19

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -21 : प्रवधान

	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	(₹ करोड़ में) 01.04.2015 (पुन: घोषित)
गैर चालू			
कर्मचारियों के लाभ			
- उपदान	-	-	-
- छुट्टी नगदीकरण	75.55	222.64	213.53
- अन्य कर्मचारी लाभ	128.18	110.27	110.17
	203.73	332.91	323.70
खदान बंदी	735.23	685.57	639.35
स्ट्रीपिंग एक्टीवीटी समंजन	15,801.35	14,488.04	12,036.04
अन्य o be specified in note)	-	-	-
कुल	**16,740.31**	**15,506.52**	**12,999.09**
चालू			
कर्मचारियों के लाभ			
- उपदान	48.41	42.10	46.00
- छुट्टी नगदीकरण	21.56	21.34	19.82
- अनुग्रह राशि	109.75	100.33	81.18
- कार्य निष्पादन संबंधी भुगतान	138.15	277.93	271.24
- अन्य कर्मचारी लाभ	152.26	131.28	108.71
- एनसीडब्लुए -X	146.36	-	-
- अधिकारी वेतन संशोधन	9.78		
	626.27	572.98	526.95
खदान बंदी			
कोयले के अंतिम स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	39.32	55.42	48.01
अन्य	364.68	-	0.11
कुल	**1,030.27**	**628.40**	**575.07**

टिप्पणी :-

टिप्पणी :-

1 **विभिन्न प्रावधानों की स्थिति निम्न प्रकार है :**

क्र.सं.	प्रावधान	01.04.2016 को आरभिंक शेष	वर्ष के दौरान जोड़ /राइट बैक	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान/समंजन	31.03.2017 को अंतिम शेष
i	उपदान के लिए(एक्युरियल)	13.81	58.87	81.23	(8.55)
	उपदान के लिए	28.29	28.67	-	56.96
ii	छुट्टी नगदीकरण के लिए	243.98	56.70	203.57	97.11
iii	अन्य कर्मचारी लाभ के लिए	240.76	39.68	-	280.44
iv	ओबीआर समंजन लेखा के लिए	14,488.04	1,313.31	-	15,801.35
v	खदान बंदी के लिए	684.78	49.66	-	734.44
vi	भूमि सुधार हेतु	0.79	-	-	0.79

2 खनन निपटान के लिए प्रावधान

खनन निपटान योजना को बनाने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए लेखा में प्रावधान किया गया । एसे प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी) के तकनीकी मूल्यांकन के लिए बताये गये । प्रत्येक के निपटान व्यय के लिए (सीएमपीडीआई द्वारा मूल्यांकन रूप में) तथा एसे प्रावधान के बनने के 01 साल तक खदान बंदी की देयता पर पहुँचने के लिए पूंजीकृत करने हेतु देयता पर 8% की छूट दी गई इसके बाद दिनांक 31.03.2017 तक बाद के वर्षो में छूट देने हे प्रावधान का पुनरीक्षण किया गया ।

3 खदान निपटान के लिए प्रावधान खर्चो में ₹ 4.65 करोड शामिल है जो ₹ 9.44 करोड ₹ 18.21 करोड के विभागीय वेतन और मंजूरी को छोड़कर की एक व्यापक योजना के मुकाबले 0.16 करोड़ की मजदूरी और मजदूरी के अलावा अन्य वर्तमान अवधि व्यय को समायोजित करने के बाद देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कामकाज की दिशा में स्थिरता और स्थिरीकरण की दिशा में उठाए गए प्रावधानों को शामिल करना है । रेट काटने के माध्यम से देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर कार्यस्थलों के स्थिरीकरण की योजना में शामिल अनुमानित विभागीय जनशक्ति की ₹ 18.21 करोड़ की लागत को अलग से प्रदान नहीं किया गया, क्योंकि उसी रूप में सामनी वेतन और मजदूरी का हिस्सा लाभ एवं हानि (गैर चालू) के अनुसार तय हो गए है ।

4 अन्य कर्मचारी लाभ (चालू) ₹ 133.93 करोड को शामिल करता है , जो दिनांक 31.03.2017 के अनुसार @ 9.84% सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रदान किया गया था ।

5 कर्मचारियों के लिए लंबित (एनसीडबल्यूए-X) के राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता तथा कोयला मजदूरी समझौता को अंतिम रूप देने हेतु प्रति मद प्रति कर्मचारी (कर्मचारी) @ ₹ 8000/- करोड़ की अनुमानित एकमुश्त राशि का प्रावधान है। वेतन और भागीदारी कर्मचारी के पीएफ़ योगदान सहित अन्य कर्मचारी लाभ तथा सभी अधिवर्षिता लाभ जैसे ग्रेच्युटी आदि के सभी मदों में वृद्धि के कुल प्रभाव का दिनांक 01.07.2016 से 31.03.2017 तक की अवधी के लिए ₹146.37 करोड़ रुपए की राशि तैयार की गई तथा उसे एनसीडबल्यूए-10 के उपरोक्त (चालू) प्रावधान में दर्शाया गया है ।

6 अधिकारियों के लिए लंबित, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने हेतु प्रतिमाह, प्रति कर्मचारी लाभ तथा सभी अधिवर्षिता लाभ, जैसे - ग्रेच्युटी आदि के सभी मदों में वृद्धि के कुल प्रभाव को दिखाते हुए दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2017 की आवधि के लिए ₹ 9.78 करोड़ की राशि तैयार की गई तथा उसे उपरोक्त (चालू) अधिकारी वेतन संशोधन के रूप में दर्शाया गया ।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -22 : अन्य गैर चालू दायिताएं

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	01.04.2015 (पुन: घोषित)
आस्थगित आय(सीसीडीए ग्रांट)	176.83	167.83	133.31
कुल :	**176.83**	**167.83**	**133.31**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -23 : अन्य चालू दायिताएं

(₹करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार		01.04.2015 (पुन: घोषित)	
पूँजीगत व्यय		636.46		615.29		640.62
वेतन, मजदूरी		168.61		169.13		152.35
वैधानिक बकाया						
विक्रय कर/ वैट	11.02		16.70		2.25	
भविष्य निधि एवं अन्य	8.62		9.05		8.99	
केंद्रीय उत्पाद कर	6.92		6.63		5.45	
कोयले पर रायल्टी एवं सेस	51.52		31.71.		37.48	
स्टोइंग उत्पाद शुल्क	37.7		38.75		32.90	
क्लीन एनर्जी सेस	791.77		521.35		126.84	
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट	3.2		6.76		-	
डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउन्डेशन	46.43		59.72		-	
अन्य वैधानिक उगाही	2.84		1.54		-	
स्रोत पर की गई आयकर कटौती/संग्रह की गई	3.40	963.42	2.66	694.87	3.06	216.97
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम		2,325.03		1396.93		1837.92
लाभांश वितरण पर कर		-		-		-
अन्य दायिताएं		29.80		28.50		27.49
कुल		**4,123.32**		**2,904.72**		**2,875.35**

टिप्पणी :

अन्य देयताओं में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.07.2001 के फैसले के निदेशानुसार वर्ष 2005-06 में ओडिशा सरकार से प्राप्ति के विरुद्ध कोयला पर उपकर के अंतर्गत 8.40 करोड़ रुपए(शुद्ध भुगतान) का मूलधन और 9.47 करोड़ रुपए(शुद्ध भुगतान) का ब्याज शामिल है। राशि ग्राहकों को प्रतिदेय है। चालू वर्ष के दौरान,समूह ने उपकर देयता के गैर-भुगतान मूलधन राशि के लिए 12% की दर से गणना कर 1.01 करोड़ रुपए(31.03.2016 को समाप्त हुए 12 महीने के लिए 01.01 रोड़ रुपए) का ब्याज प्रदान किया है। कुल देयताएं इस प्रकार उसमें दिनांक 31.02.2017 के अनुसार 29.51 करोड़ रुपए (31.03.2016 तक 28.50 करोड़ रुपए) हुई हैं। समूह जिन्हें प्रतिदेय किया जाना है, उस ग्राहक /पार्टी को प्रतिदेय के लिए कार्य रीति का निर्णय किया जाना अभी शेष है।

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार		31.03.2016 के अनुसार	
क. कोयले की बिक्री		**23450.72**		19,827.24
घटावा : अन्य वैधानिक उगाही				
रायल्टी	1,663.66		1,694.82	
कोयले पर सेस	-		-	
स्टोइंग उत्पाद शुल्क	143.01		140.23	
केंद्रीय बिक्री कर	224.06		187.75	
क्लीन एनर्जी सेस	5,720.34		3,065.26	
राज्य विक्रय कर/भाट	586.87		499.62	
नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट	33.37		19.97	
डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउन्डेशन	846.77		223.80	
अन्य उगाही	68.19		62.13	
कुल उगाही		9,286.27		5,893.58
विक्रय(निवल) (क)		**14,164.45**		**13,933.66**
ख. अन्य संचालन राजस्व				
कोयला आयात के लिए सुविधा शुल्क		-		-
रेत भराई और सुरक्षा कार्य के लिए सब्सिडी		2.24		-
लोडिंग एंड अतिरिक्त परिवहन प्रभार	840.42		770.27	
घटाव :अन्य वैधानिक उगाही	25.13		22.61	
		815.29		747.66
अन्य संचालन राजस्व (निवल)(ख)		**817.53**		**747.66**
सचालन से राजस्व (क+ख)		**14,981.98**		**14,681.32**

टिप्पणी : 1. कोयले की बिक्री में 354.26 करोड़ रुपए के डीएमएफ तथा लेवी के केंद्रीय उत्पाद शुल्क के तहत 21.36 करोड़ रुपए,केंद्रीय बिक्री कर के तहत 3.53 करोड़ रुपए वेट के तहत 10.61 करोड़ रुपए तथा ओडिशा प्रवेश कर के अंतर्गत 1.38 करोड़ रुपए शामिल हैं जो कि कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जीएसआर 837 (ई) के अंतर्गत 12 जनवरी,2015 से 20 अक्टूबर,2015 तक प्रभावी रहेंगे।
2. कोयला खनन(संरक्षण एवं विकास) अधिनियम,1974 के संदर्भ में भारत सरकार के अधीन कार्यरत कोयला मंत्रालय को
3. उत्पाद शुल्क 14161.94 करोड़ रुपए (31.03.2016 ₹13933.66 करोड़) सहित उत्पाद शुल्क की वस्तुओं की बिक्री हेतु

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
ब्याज से आय		
बैंक में जमा	1088.73	1042.62
निवेश	70.53	72.37
ऋण	-	0.01
समूह के अंदर स्थित फंड	47.64	44.56
अन्य	83.94	47.41
लाभांश आय		
अनुषंगी कंपनियों में निवेश	-	-
म्युच्युअल फंड में निवेश	114.45	92.29
अन्य गैर संचालन आय		
परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ	0.05	1.94
विदेशी मुद्रा विनिमय पर लाभ	0.59	-
रेट वेरियेंन्स का विनिमय	-	-
पट्टे का किराया	1.98	1.30
दायिता/राइट बैंक प्रावधान	0.02	(0.01)
स्टॉक में कमी पर उत्पाद शुल्क	16.07	-
विविध आय	62.31	43.79
कुल	**1,486.31**	**1,346.28**

टिप्पणी :

1 अन्य :

आईटी रिफन्ड पर ब्याज	71.95	42.21
आईएनटी ऋण/ बाहरी पार्टियों को अग्रिम	3.35	3.31
अनुषंगी कंपनियों से ब्याज	2.28	1.89
ग्रुप लीव इनकैशमेंट स्कीम पर अर्जित ब्याज	6.35	
कर्मचारियों के ऋण पर ब्याज	0.01	
	83.94	47.41

2 विविध आय में ग्राहकों से वसुला गया जुर्माना ₹ 57.74 करोड़

जुर्माना, ग्राहको से वसुला गया एलडी	7.68
ग्राहकों से वसुला गया जुर्माना	36.09
ठेकेदारों एवं अन्य से जुर्माना	13.97
	57.74

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -26 : खपत हुए सामग्रियों की लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
विस्फोटक	132.77	107.14
लकड़ी	0.36	0.34
तेल एवं लूब्रीकेंट्स	277.15	261.53
एचईएमएम पुर्जे	120.86	116.92
खपत योग्य अन्य स्टोर्स एवं पुर्जे	52.46	56.82
कुल	**583.60**	**542.75**

टिप्पणी :	आरंभिक	जोड़/ समंजन	अंतिम
विस्फोटक	1.63	133.43	2.28
लकड़ी		0.51	0.15
तेल एवं लूब्रीकेंट्स	7.83	277.64	8.33
एचईएमएम पुर्जे	59.49	114.52	53.16
खपत योग्य अन्य स्टोर्स एवं पुर्जे	14.13	52.96	14.62
	83.08	579.06	78.54

टिप्पणी 27 : तैयार माल /सामान की सूची में बदलाव, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
कोयले का आरंभिक स्टॉक	346.83		386.79	
जोड़ :आरंभिक स्टॉक में समंजन	-		-	
घटाव : कोयले का क्षय	-	346.83	-	386.79
घटाव :				
कोयले का अंतिम स्टॉक	254.70		346.82	
घटाव : कोयले का क्षय	-	254.70	-	346.82
क कोयले की वस्तुसूची में बदलाव		92.13		39.97
कार्यशाला द्वारा तैयार माल का आरंभिक स्टॉक एवं डब्लूआईपी	12.10		10.80	
जोड़ :आरंभिक स्टॉक में समंजन	-		-	
घटाव : प्रावधान	-	12.10	-	10.80
घटाव :				
कायशाला द्वारा तयार माल का आराभक स्टाक एव डब्लूआईपी	6.71		12.10	
घटाव : प्रावधान	-	6.71	-	12.10
ख कर्मशाला की वस्तुसूची में बदलाव		5.39		(1.30)
प्रेस ओपनिंग जॉब				
i) तैयार माल	-		-	
ii) कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
घटाव : प्रेस क्लोजिंग जॉब				
i) तैयार माल	-		-	
ii) कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
ग प्रेस जॉव के अंतिम स्टाक की वस्तुसूची मे बदलाव		-		-
व्यापार सबधी वस्तुसूची के स्टाक में बदलाव(क+ख+ग) {कमी/ (अभिवृद्धि)}		**97.52**		**38.67**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -28 : कर्मचारी हितलाभ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस इत्यादि	1,544.75	1,497.23
एनसीडब्लुए) - X के लिए प्रावधान *	146.01	-
अधिकारियों का वेतन संशोधन **	9.78	-
अनुग्रह राशि	112.38	111.11
पीआरपी	21.09	30.47
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	204.91	195.69
उपदान	57.38	44.52
छुट्टी नकदीकरण	106.01	59.93
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	-	0.27
कामगार क्षतिपूर्ति	0.76	0.03
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व्यय	43.69	39.45
सेवानिवृत कर्मचारियो के लिए चिकित्सा व्यय	5.29	6.80
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	26.04	27.77
खेल व मनोरंजन	7.95	3.84
कैंटीन व क्रैच	1.03	1.06
विद्युत - टाउनशिप	57.23	57.53
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार	3.92	3.17
अन्य कर्मचारी हितलाभ	24.03	17.42
	2,372.25	**2,096.29**

* टिप्पणी सं.21 के फूटनोट-5 का संदर्भ लें

** टिप्पणी सं.21 के फूटनोट-6 का संदर्भ लें

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां

टिप्पणी -29 : कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
सीएसआर पर व्यय (सीएसआर explain in note	166.60	184.62
कुल	**166.60**	**184.62**

टिप्पणी -30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
भवन	57.91	69.68
संयंत्र एवं यंत्र	57.17	47.67
अन्य	3.49	3.70
कुल	**118.57**	**121.05**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -31 : संविदात्मक व्यय

(₹करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
परिवहन प्रभार :		
- बालू	0.01	-
- कोयला एवं कोक	1,173.56	1,049.78
- भंडार एवं अन्य आदि		
वैगन लदाई	80.37	70.53
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	983.20	799.57
अन्य संविदात्मक कार्य	49.80	53.26
कुल	**2,286.94**	**1,973.14**

टिप्पणी -32 : वित्तीय लागत

(₹करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
ब्याज पर व्यय		
उधारी	0.09	0.09
छूट का अनवाइंड (साइट पुनर्स्थापना)	49.60	46.47
समूह के अंदर स्थित फंड	-	-
अन्य	7.86	1.50
कुल	**57.55**	**48.06**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -33 : प्रावधान (नेट आफ रिवर्सल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क) के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	80.14	0.26
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.09	-
भंडार एवं पुर्जे	0.77	1.67
अन्य	100.12	1.76
कुल(क)	**181.12**	**3.69**
(ख) प्रावधान रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण	-	3.88
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-
अन्य	0.16	0.74
कुल(ख)	**0.16**	**4.62**
कुल (क-ख)	**180.96**	**-0.93**
टिप्पणी :		
अन्य		
खदान बंदी प्रावधान 8 cr for development mines)		
घटाव : एसक्रो पर ब्याज		
पूंजी डब्लुआईपी	0.64	2.02
देउलबरा कोलियरी के आस्थर		
कामकाज के चलन और	(0.16)	(0.26)
सर्वे-आफ	4.47	(0.74)
ग्रेड में गिरावट	80.76	
प्राप्य दावे	14.19	
विविध अग्रिम	0.06	
	99.96	1.02

टिप्पणी -34 : राइट आफ(नेट आफ पास्ट प्रावीजन्स)

(₹करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
संदिग्ध ऋण				
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		-		-
संदिग्ध अग्रिम				
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		-		-
कोयले का स्टाक				
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		-		-
अन्य			0.10	
घटाव :- पूर्व प्रदत्त		-	-	0.10
कुल		-		**0.10**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय		
- घरेलू	14.75	19.06
- विदेशी	0.36	0.01
प्रशिक्षण व्यय	11.98	10.82
दूरभाष एवं डाक खर्च	4.25	3.68
विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	5.48	3.35
भाड़ा प्रभार	0.08	0.09
डेमरेज	4.70	3.07
दान /अभिदान	0.12	0.07
सुरक्षा व्यय	66.60	60.86
सीआईएल का सेवा प्रभार	70.30	69.14
भाड़ा प्रभार	35.00	34.44
सीएमपीडीआई व्यय	23.83	27.53
विधिक व्यय	1.19	1.37
बैंक प्रभार	0.03	0.01
गेस्ट हाऊस व्यय	2.46	2.41
परामर्श प्रभार	1.60	2.37
अंडरलोडिंग प्रभार	16.83	30.55
विक्रय/डिस्कार्ड/सर्वेआफ परिसंपत्तियों पर हानि	0.82	0.15
लेखा परीक्षकों का मानदेय एवं व्यय		
- लेखा परीक्षा फीस	0.30	0.20
- कर संबंधी मामले	-	-
- अन्य सेवाओं के लिए	0.08	0.05
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.21	0.35
आंतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	2.49	1.85
पुनर्वास प्रभार	85.81	84.13
रायल्टी एवं सेस	0.19	0.20
रायल्टी एवं स्टोइंग उत्पाद शुल्क पर एसबीसी एंड केकेसी	21.61	-
कोयले के अंतिम स्टाक पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	5.77
किराया	0.90	0.82
दर एवं कर	304.49	12.25
बीमा	0.52	0.36
विदेशी मुद्रा विनिमय पर हानि	-	-
विनियम दर में अंतर से हानि	-	0.91
पट्टा किराया	-	0.02
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	2.39	3.06
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.45	0.24
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	22.34	52.78
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.07	0.06
आर एंड डी व्यय	0.86	2.07
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	17.89	12.44
शेयरों के बाय बैंक पर व्यय	0.33	
विविध व्यय	231.17	181.95
कुल	**952.48**	**628.49**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -36 : कर संबंधी व्यय

(₹करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
चालू वर्ष	2325.80	2008.65
आस्थगित कर	42.36	60.70
एमएटी क्रेडिट इनटाइटलमेंट	-	-
पिछले वर्षों में	(5.45)	-
कुल	**2,362.71**	**2,069.35**

वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणियां
टिप्पणी -37 : अन्य वृहद आय

(₹ करोड़ में)

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
(क)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें**		
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
	परिभाषित लाभ योजनाओं का रीमेजरमेंट	(1.40)	18.33
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण	-	-
	एफवीटीपीएल मे नामित वित्तीय देनदारियो के स्वय के क्रेडिट जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		(1.40)	18.33
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
	परिभाषित लाभ योजनाओं का रीमेसिमेंटेशन	(0.48)	6.34
	ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण	-	-
	एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय देनदारियों के स्वयं के क्रे'	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
		(0.48)	6.34
	कुल(क)	**(0.92)**	**11.99**
(ख)	**(i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जानेवाले मदें**		
	किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणो के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन	-	-
	नकदी प्रवाह हेज मे हेजिंग उपकरणो पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: परिष्कृत किया जाएगा		
	किसी विदेशी ऑपरेशन के वित्तीय विवरणो के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
	ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन	-	-
	नकदी प्रवाह हेज मे हेजिंग उपकरणो पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग	-	-
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
		-	-
	कुल (ख)	-	-
	कुल (क+ख)	**(0.92)**	**11.99**

1नोट-38: 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)

1. उचित मूल्य मापन

वर्गवार वित्तीय साधन (₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016				1 अप्रैल 2015		
	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसी आई	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसी आई	परिशोधित लागत	लाग त	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसी आई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां										
निवेश :										
सुरक्षित बॉन्ड			958.70			958.70				958.70
सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर			116.71			116.71				116.68
सहायक कंपनी में अधिमानी शेयर	शून्य		शून्य	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य
म्यूचुअल फंड	202.00			1345.00				247.70		
ऋण			1201.38			1.70				2.17
जमा एवं प्राप्य			1731.52			1596.20				1765.15
व्यापार प्राप्य			1066.49			1107.61				448.85
नगद एवं नगद समतुल्य			372.36			216				175.82
अन्य बैंक शेष			14662.95			11199.47				10141.57
वित्तीय देयताएं										
उधार			2206.13			7.21				6.9
व्यापार देय			420.52			303.29				277.22
प्रतिभूति जमा एवं बयाना			189.65			159.69				125.09
अन्य देयताएं			192.56			168.71				123.68

कंपनी मानता है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के रुप में शामिल नहीं है। माइलस्टोन पेमेंट (सुरक्षा जमा) समूह के प्रदर्शन से मेल खाता है तथा उसमें वित्त के प्रावधान को छोड़कर अन्य कारणों के लिए अनुबंध की राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से पूरा करने में असफल रहता है एवं ठेकेदार कंपनियों के हितों की

रक्षा करने के लिए प्रत्येक माईलस्टोन पेमेंट के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने में भी सक्षम रहता है। तदनुसार सुरक्षा जमा को लेनदेन लागत के प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा बाद में उसे परिशोधित लागत पर मापा भी जाता है।

क. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु कंपनी ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका में निम्नानुसार स्पष्ट है -

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य मापन	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016			1 अप्रैल 2015		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां									
निवेश									
म्यूचुअल फ़ंड	202.00			1345			247.70		
वित्तीय देयताएँ									
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-	-	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयतायों को परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख दिनांक 31 मार्च, 2017 की समाप्ति पर किया गया।	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016			1 अप्रैल 2015		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्तियां									
निवेश									
संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर			116.71			116.71			116.68
म्यूचुअल फ़ंड	-			-			-		
वित्तीय देयता									
अधिमानी शेयर			-			-			-
उधार राशियाँ			2206.13			7.21			6.9
व्यापार देनदारियाँ			420.52			303.29			277.22
सुरक्षा जमा तथा अर्जित राशि			189.65			159.69			125.09
अन्य देयताएँ			192.56			168.71			123.68

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है। जिसमें म्यूअचल फंड भी शामिल है एवं जिनकी उद्धृत कीमत का मूल्यांकन एनएवी समापन का उपयोग कर किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरुरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर में उसे शामिल नहीं किया जाएगा।

3. असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

टिप्पणी: यदि उचित मूल्यांकन के पदानुक्रम में परिवर्तन होता है तो इसे प्रकट किया जाएगा।

ग. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग :

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है जिसमें निम्न उपकरण शामिल हैं।

- बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत का उपयोग।
- शेष वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य, रियायती नगद प्रवाह के विश्लेषणानुसार निर्धारित किया जाता है।
  उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन।

वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(vi) वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य, परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016		1 अप्रैल 2015	
	उधार राशि	उचित मूल्य	उधार राशि	उचित मूल्य	उधार राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपतियां						
ऋण	1201.38	1201.38	1.70	1.70	2.17	2.17
वित्तीय देयताएं						
उधार	2206.13	2206.13	7.21	7.21	6.90	6.90
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	189.65	189.65	159.69	159.69	125.09	125.09

➢ उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

- यदि यह महत्त्वपूर्ण न हो तो अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत के उचित मूल्य पर वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

- ऋण, सुरक्षा जमा और अधिमानी शेयरों में निवेश करने के लिए उचित मूल्यों की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग कर नगद प्रवाह के आधार पर की गई। उचित मूल्य के पदक्रम में ये स्तर-3 के उचित मूल्यों के रुप में वर्गीकृत है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में कंपनी, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

कंपनी के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। कंपनी के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

कंपनी बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम कंपनी के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

कंपनी बाजार, क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश),बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क) **क्रेडिट जोखिम** - क्रेडिट जोखिम, नगद एवं नगदी समकक्ष, परिशोधित लागत में किए गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन - वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए हम अपने ग्राहक या अंतिम ग्राहक के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करवाते हैं। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ (एफएसएएस)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

उपरोक्तानुसार एफ़एसए फॉर्म के संबंध में डबल्यूसीएल कोयला आपूर्ति अनुबंध के "कोस्ट प्लस" के अंतर्गत कोयला की आपूर्ति करती है।

ई-नीलामी योजना - जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी, मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो द्रीघावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा एमओसी द्वारा समय-समय पर की जाती है।

क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित प्रावधान - कंपनी संदेहपूर्ण/परिसंपत्ति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है।(सरलीकृत दृष्टिकोण)

वर्ष 31-01-2017 के अंतर्गत सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित क्रेडिट हानि

(₹ करोड़)

विश्लेषण	दो महीनों के लिए बकाया	छः माह के लिए बकाया	एक वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	559.48	401.44	96.46	77.33	1.12	48.56	1184.39
अपेक्षित हानि दर		2.34%	73.64%	2.25%	96.43%	71.40%	9.95%
अपेक्षित क्रेडिट हानि(हानि भत्ता प्रावधान)		9.38	71.03	1.74	1.08	34.67	117.90

31.03.2016 के अनुसार

विश्लेषण	2 माह के लिए बकाया	6 माह के लिए बकाया	1 साल के लिए	2 साल के लिए बकाया	3 साल के बकाया	3 साल से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	748.62	280.86	44.72	27.22	25.95	33.35	1160.92
अपेक्षित हानि दर			11.34%	24.5%	52.79%	36.72	3.25%
अपेक्षित क्रेडिट हानि(हानि भत्ता प्रावधान)			5.07	6.67	13.7	12.32	37.76

01.04.2015 के अनुसार

विश्लेषण	2 माह के लिए बकाया	छः माह के लिए बकाया	1 साल के लिए बकाया	2 साल के लिए बकाया	3 साल के लिए बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
कुल वहन राशि	148.28	155.84	79.30	63.95	4.60	36.71	488.68
अपेक्षित हानि दर			2.59%	7.99%	8.04%	92.21%	8.47%
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि प्रावधान भत्ता)			2.05	5.11	0.37	33.85	41.38

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान – व्यापार प्राप्य

दिनांक- 01.04.2015 पर हानि भत्ता	41.38
हानि भत्ता में परिवर्तन	-3.62
दिनांक-31.03.2016 पर हानि भत्ता	37.76
हानि भत्ता में परिवर्तन	80.14
दिनांक-31.03.2017 पर हानि भत्ता	117.90

वित्तीय सम्पत्तियों में हुए हानि हेतु किये गए म्हत्वपूर्ण आंकलन एवं निर्णय : -

ऊपर बताए गए वित्तीय संपत्ति के लिए हानि प्रावधान की धारणा अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित होती है। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए अतीत के इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए गए हानि के आंकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

ख) नगदी जोखिम -

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

i. **वित्तीय व्यस्थाएं-**

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी में निम्नलिखित अपर्याप्त उधार सूविधाओं तक पहुंचसकती हैं।

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
एक साल के भीतर समाप्त (बैंक ओवरड्राफ्ट अन्य सूविधाएं)	शून्य	शून्य	शून्य
एक साल से अधिक की समाप्ति (बैंक ऋण)	शून्य	शून्य	शून्य

ii. **वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता**

नीचे दी गई तालिका कंपनी की वित्तीय देयदाताओं को उनके अनुबंधित परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक समूह में विश्लेषित करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अनिर्धारित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की स्थिति में बारह महीनों के भीतर शेष राशि को उनके बकाया संतुलन के बराबर समझा जाता है।

(₹ करोड़)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक- 31.03.17	3 माह से कम	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 से 5 वर्ष	कुल
उधार	2200.00			0.51	5.62	2206.13
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां	401.89	18.22	0.41	-	-	420.52
अन्य वित्तीय देयदताएं	209.32	28.91	103.79	24.25	15.94	382.21
कुल	2811.21	47.13	104.20	24.76	21.56	3008.86

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता 31.03.2016	3 माह से कम	3 माह से 6 माह तक	6 माह से एक साल तक	एक साल से 2 साल तक	2 से 5 साल तक	कुल
उधार				0.60	6.61	7.21
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां	303.29					303.29
अन्य वित्तीय देयताएं	175.59	22.28	87.06	26.23	17.24	328.40
कुल	478.88	22.28	87.06	26.83	23.85	638.90

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता 01.04.2015	3 माह से कम	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 2 साल तक	2 साल से 5 साल तक	कुल
उधार				0.57	6.33	6.90
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां	277.22					277.22
अन्य वित्तीय देयताएं	135.31	17.89	67.10	17.18	11.29	248.77
कुल	412.53	17.89	67.10	17.75	17.62	532.89

बाजार जोखिम

क. **विदेशी मुद्रा जोखिम :**

कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी विनियम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनिमय जोखिम नगण्य है। कंपनी आयात करता है एवं जोखिम नियमित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी करता है। जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होती है, तब कंपनी के पास एक नीति है जिसे वह कार्यान्वित करता है।

ख. **नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम 107 (33) (ए)**

बैंक जमा कंपनी में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंध करती है।

कंपनी की पूंजी संरचना निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
इक्विटी शेयर पूंजी	141.23	186.40	186.40
वरीयता शेयर पूंजी	शुन्य	शुन्य	शुन्य
दीर्घकालिक ऋण	6.13	7.21	6.90
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्वता	0.51	0.56	0.50

3. समूह सूचना :

नाम	एमसीएल के साथ संबंध	मूल गतिविधियां	निगमीकरण का देश	इक्विटी का ब्याज %		
				01.04.15	31.03.16	31.03.17
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	70	70	70
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	60	60	60
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	ऊर्जा उत्पादन	भारत	100	100	100
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	रेल कोरिडोर का निर्माण एवं संचालन परियोजना	भारत	-	64	64

4. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)

i) **भविष्य निधि :**

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से कंपनी भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करती है। वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण (टिप्पणी-28) में निधि किये गए 204.91 करोड़ रुपए का योगदान स्वीकार किया गया है।

ii) कंपनी ने कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन बीमांकिक आधार पर किया है:

(क) लगाये गए लागत -

- उपदान
- छुट्टी नकदीकरण

(ख) अपव्यय

- लाइफ कवर स्कीम
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटनाबीमा
- यात्रा छुट्टी रियायत
- चिकित्सा लाभ
- खान दुर्घटनालाभ पर आश्रितों को मुआवजा

बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दिनांक- 31.03.2017 तक कुल देयता 1165.15 करोड़ रुपए है जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है।

दिनांक-31.03.2017 तक बीमांकिक देयता:

(₹ करोड़ में)

विषय	दिनांक – 1.04.16 पर प्रारंभिक बीमांकि क देयता	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	दिनांक-31.03.2017 पर समाप्त बीमांकिक देयता
उपदान	686.00	32.74	718.74
अर्जित छुट्टी	202.92	42.74	245.66
अर्ध वेतन छुट्टी	41.06	13.96	55.02
लाइफ कवर स्कीम	5.26	0.42	5.68
निपटान भत्ता (अधिकारी)	3.80	0.81	4.61
निपटान भत्ता (गैर-अधिकारी)	8.28	0.41	8.69
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.11	0.01	0.12
यात्रा छुट्टी रियायत	33.82	8.41	42.23
चिकित्सा लाभ (अधिकारी)	62.38	8.03	70.41
चिकित्सा लाभ (गैर-अधिकारी)	0.11	0.39	0.50
खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा	12.99	0.50	13.49
कुल	1056.73	108.42	1165.15

iii) **बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण**

कर्मचारी लाभ हेतु उपदान एवं नकदीकरण के लिए बीमांकिक प्रमाणपत्र के अनुसार प्रकटीकरण :-

भारतीय लेखांकन मानक 19(2015) के अनुसार दिनांक-31.03.2017 में उपदान देयता के बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	686.00	679.69
वर्तमान सेवा लागत	56.85	49.08
ब्याज लागत	46.68	51.31
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक(लाभ)/घाटा	43.54	0.00
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/घाटा	(30.24)	(17.37)
भुगतान किए गए लाभ	84.10	76.71
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	718.74	686.00

(₹ करोड़ में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	669.61	665.69
ब्याज आय	48.55	53.26
कर्मचारी योगदान	81.24	26.41
भुगतान किए गए लाभ	84.10	76.71
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	11.90	0.96
अवधि के अंत में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	727.20	669.61

(₹ करोड़ में)

तुलनपत्र के लिए सामंजस्य दिखाते वक्तव्य	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
लागत की स्थिति	8.46	(16.39)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
संपत्ति निधि	727.20	669.61
देयता निधि	718.74	686.00
योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
छूट दर	7.25%	8.00%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.25%	8.00%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.50% कर्मचारियों के लिए	6.25%

औसत अपेक्षित भाविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	11	11
देयताओं की औसत अवधि	11	11
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
उम्र में सेवानिवृ त्ति	60	60
पूर्व सेवानिवृ त्ति एवं असक्ततता	1.00%	1.00%

(₹ करोड़ में)

हानि व लाभ विवरण में पहचाने गए व्यय	**31.03.2017** तक	**31.03.2016** तक
वर्तमान सेवा लागत	56.85	49.08
शुद्ध ब्याज लागत	(1.86)	(1.95)
लाभ लागत (लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	54.99	47.13

अनुमानित भविष्य भुगतान की जानकारियों को दर्शाते वक्तव्य (पूर्व सेवा)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	
1	81.39
2	77.03
3	71.33
4	69.09
5	67.22
6 to 10	362.25
10 वर्ष से ज्यादा	676.10
पूर्व एवं भविष्य में छूट न दिए गए कुल भुगतान	-
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	1404.41
ब्याज हेतु कम छूट	685.67
अनुमानित लाभ दायित्व	718.74

अन्य व्यापक आय	**31.03.2017** तक	**31.03.2016** तक
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/घाटा	43.54	
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/घाटा	(30.24)	(17.37)
कुल बीमांकिक लाभ / हानि	13.30	(17.37)
योजना परिसंपत्ति की वापसी, ब्याज आय को छोड़ कर	11.90	0.96
अवधि की समाप्ती पर उपलब्ध शेष	1.40	18.33
निवल (आय)/ मान्यता प्राप्त अवधि में अन्य व्यापक आय में व्यय	1.40	18.33

मृत्यु दर तालिका

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

संवेदनशीलता विश्लेषण	**बढ़ना**	**घटना**
छूट दर (-/+0.5%)	692.54	746.69
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-3.64%	3.89%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	727.22	709.75
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	1.18%	-1.25%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	719.53	717.94
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.11%	-0.11%
मृत्यदर (-/+ 10%)	723.62	713.85
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.68%	-0.68%

नकदी प्रवाह जानकारी दर्शाते वक्तव्य	(₹ करोड़ में)
अगली अवधि वर्तमान सेवा लागत (सिर्फ नियोक्त्ता भाग)	58.80
अगली अवधि हेतु ब्याज लागत	49.16
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	52.72
लागत लाभ	55.24

(₹ करोड़ में)

मापन के अंत में संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ दर्शाते वक्तव्य	**31.03.2017** तक	**31.03.2016** तक
वर्तमान देयता	78.59	87.56
गैर-चालू देयता	640.15	598.44
शुद्ध देयता	718.74	686.00

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक- 31.03.2017 में छूट्टी नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) के रुप में बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2017** तक	**31.03.2016** तक
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	243.98	232.52
वर्तमान सेवा लागत	61.21	36.00
ब्याज लागत	16.84	17.57
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/घाटा	49.02	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक लाभ/ हानि	(46.90)	(16.47)
लाभ भुगतान	23.47	25.64
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	300.68	243.98

(₹ करोड़ में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2017** तक	**31.03.2016** तक
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	6.69	-
नियोक्ता योगदान	220.69	-
लाभ भुगतान	23.47	-
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	(0.34)	-
अवधि के अंत में संपत्ति योजना के उचित मूल्य	203.57	-

(₹ करोड़ में)

तुलनपत्र में सामंजस्य दर्शाते वक्तव्य	**31.03.2017** तक	**31.03.2016** तक
लागत स्थिति	(97.11)	(243.98)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक (लाभ)/हानि		
संपत्ति निधि	203.57	-
देयता निधि	300.68	243.98

(₹ करोड़ में)

योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
छूट दर	7.25%	8.00%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.25%	NA
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.50% कर्मचारियों के लिए	6.25%
औसत अपेक्षित भविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	11	11
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 ULTIMATE	
उम्र में सेवानिवृत्ति	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं असक्ततता	1.00%	1.00%
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	उपेक्षित	उपेक्षित

(₹ करोड़ में)

हानि व लाभ विवरण में पहचाने गए व्यय	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
वर्तमान सेवा लागत	61.22	36.00
शुद्ध ब्याज लागत	10.14	17.58
शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि	2.46	-16.47
लाभ लागत (लाभ/हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	73.82	37.10

संवेदनशीलता विश्लेषण	बढ़ना	घटना
छूट दर (-/+0.5%)	287.63 करोड़	314.75 करोड़
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-4.34%	4.68%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	314.57 करोड़	287.69 करोड़
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	4.62%	-4.32%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	301.01 करोड़	300.35 करोड़
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.11%	-0.11%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	302.52 करोड़	298.85 करोड़
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.61%	-0.61%

मृत्यु दरतालिका

आयु	मृत्युदर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

अनुमानित भविष्य भुगतान लाभ जानकारी दर्शाते विवरण	
वर्ष	(₹ करोड़ में)
1	22.33
2	24.64
3	21.52
4	21.06
5	22.20
6 to 10	156.73
10 वर्ष से अधिक	385.40
पूर्व एवं भविष्य में छूट न दिए गए कुल भुगतान	-
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	653.88
ब्याज हेतु कम छूट	353.20
कंपनी की कार्य स्वतंत्रता	300.68

(₹ करोड़ में)

माप के अंत में संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ दर्शाते विवरण	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
वर्तमान देयता	21.56	20.26
गैर-चालू देयता	279.12	223.71
शुद्ध देयता	300.68	243.98

5. अपरिचित मद

क) आकस्मिक देयताएं

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया (ब्याज सहित, जहां पर लागू हो)

कंपनी के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

		31.03.2017	31.03.2016
1.	**केंद्रीय सरकार**		
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	130.48	119.33
	आय कर	1305.19	1161.57
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	26.59	31.40
	सेवा कर	94.43	64.64
	अन्य	5.41	19.56
2.	**राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारी**		
	बिक्री कर	201.93	104.65
	रॉयल्टी	2448.12	2423.18
	अन्य	103.57	850.74
3.	**केंद्रीय सार्वजनिक उद्‌यम**		
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	313.75	-
4.	**अन्य**	227.76	171.88
	कुल	**4857.23**	**4946.95**

ख. प्रतिबद्धता

निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि
पूंजी राशि/ प्रदान किए गए: ₹ 427.76 करोड़
अन्य (राजस्व प्रतिबद्धता) : ₹ 2815.04 करोड़

ग. गारंटी

कंपनी द्‌वारा अन्य कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रत्याभूति प्रदान नहीं की गई।

घ. शाख पत्र :

दिनांक 31.03.17 तक बकाया शाख पत्र ₹ 26.77 करोड़ है (₹ 4.36 करोड़) एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत 29.17 करोड़ रुपए (13.38 करोड़ रुपये) है।

6. अन्य जानकारी

क. सरकारी सहायता :

कोयला नियंत्रक विकास प्राधिकरण द्वारा सुरक्षात्मक विकास से प्राप्त 176.83 करोड़ रुपए अनुवृत्ति रेलवे प्राधिकरणों को अग्रिम के रुप में प्रदान की गई है जिन्हें टिप्पणी-22 के तहत अस्थगित व्यय के रुप में दर्शाया गया है तथा वित्त वर्ष 2016-17 (टिप्पणी-24) के दौरान रेत भरने एवं सुरक्षा कार्य के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोयला खान (संरक्षण विकास)अधिनियम, 1974 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कोयला मंत्रालय से 2.24 करोड़ रुपए प्राप्त किये गए हैं।

ख. प्रावधान

दिनांक 31.03.17 तक कर्मचारी लाभ छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचार बीमांकित है, जो कि नीचे दिए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	**1.04.2016** के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान वापस/ समायोजित करें	डिस्काउंट का अनवाईडिंग	**31.03.2017** के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संपत्तियों की हानि एवं कमी	316.86	357.27	13.25		687.38
नोट 4: मुख्य कार्य में प्रगति : सीडब्ल्यूआईपी के रुप में	11.88	3.65	(1.26)		14.27
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन प्रावधान एवं हानि	0	0	0		0
नोट 6:- अन्य अमूर्त संपत्तियां प्रावधान:	(0.09)	16.00	0		0.07
नोट 8: ऋण : अन्य ऋण :	0	0	0		0
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : अनुषंगियों के साथ वर्तमान लेखा : प्राप्य दावे: अन्य प्राप्य :	0 0 0.16	0 0 0	0 0 0		0 0 0.16
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां: अग्रिम पूंजी: उपयोगिता हेतु सुरक्षा जमा	0.55 0	0 0	0 0		0.55 0

नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां:					
राजस्व हेतु अग्रिम:	2.10	0.06	0		2.16
सांविधिक देय राशि के लिए अग्रिम भुगतान कर्मचारियों	0	0	0		0
को अग्रिम:	0	0.03	0		0.03
अन्य जमा :	0	0	0		0
अन्य प्राप्य :	0	0	0		0
नोट 12: सूची:					
कोयला भंडार :	0	0	0		0
भंडारों एवं पूर्जों का भंडार	19.12	0.77	0		19.89
नोट 13:व्यापार प्राप्य :					
ऋण हेतु प्रावधान एवं नैतिक	37.76	80.14	0		117.90
नोट 21: चालू एवं गैर चालू प्रावधान					
पीआरपी :	277.93	17.51	(237.43)		138.15
एनसीडबल्यूए -X:	0	146.36	0		146.36
अधिकारी वेतन संशोधन:	0	9.78	0		9.78
खदान बंद :	685.57	0	0		735.23
अन्य :					
अनुग्रह राशि	100.33	109.75	(100.33)		109.75
सेवा निवृत्ति लाभ	114.01	19.92	0	49.66	133.93
ग्रेड स्लिप्पेज	0	80.76	0		80.76
दावा प्राप्य	0	14.19	0		14.19
स्वच्छ ऊर्जा सेस और एक्साइज ड्यूटी	0	269.73	0		269.73

ग. रिपोर्टिंग खंड

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी, मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य एक एकल रिपोर्ट का भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है

	भारत	अन्य देश
राजस्व	14161.94	शून्य

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	राशि (करोड़ में)	देश
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो		
एनटीपीसी	2088.43	भारत
वेदांत	1493.66	भारत
टीएनईबी	865.50	भारत
अन्य	8765.50	भारत

स्थान के द्वारा शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति निम्नानुसार

	भारत	अन्य देश
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति	12293.83	शून्य

घ. प्रति शेयर आय:

क्र.सं	विवरण	दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष		दिनांक-31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
		पीएटी	ओसीआई	पीएटी	ओसीआई
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	4492.01	(0.92)	4195.76	11.99
ii)	भारित बकाया औसत इक्विटी शेयर	1412266	1412266	1864009	1864009
iii)	रुपए में प्रति शेयर मूल एवं लघु आय (अंकित मूल्य 1000 रुपये प्रति शेयर)	31807.11	(6.51)	22509.33	64.33

ङ. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री ए. के. झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

श्री एल.एन. मिश्रा, निदेशक (कार्मिक)

श्री के. के. परीड़ा, निदेशक (वित्त)

श्री जे. पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी-संचालन)

श्री ओ. पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी-योजना एवं परियोजना)

श्री ए.के. सिंह, कंपनी सचिव

स्वतंत्र निदेशक

श्री एच.एस. पति

डॉ. आर. मल्ल

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2016 को समाप्त वर्ष
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ सकल वेतन परिलब्धियां चिकित्सा लाभ	 1.49 0.00 0.04	 1.40 0.00 0.01
ii)	रोजगार लाभ के उपरांत पी.एफ एवं अन्य निधि का योगदान	0.16	0.19
iii)	समाप्ति लाभ (वियोजन के समय प्रदत्त) छुट्टी नकदीकरण		
	कुल	**1.69**	**1.60**

टिप्पणी:

(i) उपर्युक्त निदेशक पारितोषिक में परिभाषित हितों को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया।

(ii) इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के ओएम नं 2(18)/पीसी दिनांक 20.11.1964 को संशोधित प्रावधानों के अनुसार 750 कि.मी. पर रियायत दर के भुगतान पर निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने हेतु अनुमति दी गई है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2016 को समाप्त वर्ष
i)	बैठक शुल्क	0.11	0.00

31.03.2017 को बकाया शेष

क्र.सं	विवरण	**31.03.2017 के अनुसार**	**31.03.2016 के अनुसार**
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

ii. समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेनदेन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते संबन्धित पार्टी लेनदेन एवं उत्कृष्ट शेष के संबंध में सरकारी नियंत्रण के साथ सामान्य प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में छूट देती है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो सर्वोच्च शुल्क पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, अधिशेष निधि पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क को शामिल करते हैं तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनके द्वारा किये गए खर्च के साथ लेनदेन में प्रवेश करते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेनदेन राशि एवं इससे संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

कंपनी का नाम	कंपनी के साथ संबंध	वर्ष के दौरान लेनदेन राशि (₹ करोड़ में)
कोल इंडिया लिमिटेड	100% होल्डिंग कंपनी	(118.81)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.10)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.05)
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.41)
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	0.06
नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुसंगी कंपनी	(0.06)
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	1.11
सीएमपीडीआई लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	48.03
एमजेएसजे कोलफील्ड्स लिमिटेड	अनुषंगी (60% हिस्सेदारी)	0.60
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी (70% हिस्सेदारी)	0.11
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	अनुषंगी (100% हिस्सेदारी)	1.32
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी (64% हिस्सेदारी)	0.26

च. कर योग

वर्तमान वर्ष के दौरान आय कर के लिए लेखा में 2325.32 करोड़ रुपए (2014.99 करोड़) की राशि प्रदान की गई।

कंपनी के पास भारतीय लेखांकन मानक 12 के गणना के तहत एक स्थगित कर देयता है, जिसे चार्टर एकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया।

31 मार्च 2017 के अनुसार अस्थगित कर संपत्ति (देयता) और मार्च 2016 का विवरण निम्न रूप में है -

(₹ करोड़ में)

अस्थगित कर देयता :	**<u>31.03.2017 तक</u>**	**<u>31.03.2016 तक</u>**
संबंधित तय संपत्ति	**55.95**	**(2.68)**
अस्थगित कर संपत्ति :		
संदिग्ध ऋण, दावों आदि हेतु प्रावधान	36.89	9.15
कर्मचारी वियोजन एवं सेवानिवृत्ति	34.88	83.52
अन्य	-217.64	-278.95
कुल अस्थगित कर संपत्ति	**(145.87)**	**(186.28)**
शुद्ध अस्थगित कर संपत्ति/(अस्थगित कर देयता)	**(201.82)**	**(183.60)**

- **कर व्यय (आय) और लेखा लाभ के बीच संबंध**

अंतर का अंकीय सामंजस्य

क्रमांक	**सामंजस्य की प्रकृति**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
1	लाभ और हानि के अनुसार शुद्ध लाभ (कर के पूर्व)	6853.32
2	**लागू कर दर**	34.608%
	1*2	2371.80
3	**आयकर के अनुसार शुद्ध लाभ**	6719.02
4	कर व्यय (आय)	2367.68
5	अंतर	4.12

छ. बीमा और वृद्धि दावा

बीमा और वृद्धि दावा का लेखा-जोखा आवेदन/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

ज. लेखा के लिए बनाये गए प्रावधान

धीमी प्रयुक्त/स्थिर/अप्रचलित भंडार गृह दावा, प्राप्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण के लिए लेखा में प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके।

झ. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ञ. चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

ट. शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्टि शेष के लिए प्रावधान किये जाते हैं।

ठ. सीआईएफ के आधार पर आयात मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष**
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) पूंजीगत माल	28.37	शून्य
(iii) भंडार,पुर्जा एवं उपकरण	0.10	0.02

ड. विदेशी मुद्रा के लिए किए गए खर्च

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष**
यात्रा व्यय	0.36	0.01
प्रशिक्षण व्यय	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
ब्याज	0.09	0.09
भंडार एवं पुर्जे	0.10	0.02
पूंजीगत माल	28.37	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य

ढ. विदेशी विनिमय में अर्जन

विविरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
यात्रा व्यय	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण व्यय	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य

ण. भंडार एवं पुर्जों का कुल खपत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.201 को समाप्त वर्ष	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामाग्री	0.10	0.02	0.02	0.00
(ii) स्वदेशी	583.50	98.00	542.73	100.00

त. कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण

(₹ करोड़ में एवं परिमाण '000 एमटी में)

	31.03.2017को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक शेयर	**10191.73**	**367.52**	**12524.26**	**405.42**
उत्पाद	139208.39	13123.01	137901.13	12716.37
बिक्री	143008.03	13213.09	140229.22	12752.97
स्व खपत	4.80	0.90	4.83	1.30
बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-
5% से अधिक की कमी	119.40	21.85	126.23	20.70
अंतिम शेयर	**6267.89**	**253.33**	**10065.11**	**346.82**

थ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है -

कंपनी का नाम	संबंध	ऋण/निवेश	राशि (₹ करोड़ में)
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	57.06
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	59.57
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.05
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	0.03
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	सह अनुषंगी	दिये गये ऋण	1500.00

दिनांक 31.03.17 अंतर्गत ऋण के संदर्भ में कंपनी द्वारा कोई भी निगमित आश्वस्ति नहीं दिया गया है।

द. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-

भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी (भारतीय लखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा या अधिसूचित (एमसीए) कंपनी द्वारा गृहित लेखांकन नीति (नोट-37) को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पिछले वर्ष महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में उचित रुप से सुधार व उसे पुनः प्रारुपित किया गया।

लेखा नीति में परिवर्तन के फलस्वरुप तथा अन्य बदलाव के अंतर्गत शुद्ध लाभ के साथ भारतीय लेखांकन मानक निम्नानुसार वर्णित किये गए हैं :

पूर्व भारतीय गैप(जी.ए.ए.पी.) तथा भारतीय लेखांकन मानक के मध्य लाभ संधि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	समायोजन की प्रकृति	वर्ष 31.03.2016 की समाप्ति पर
	पूर्व भारतीय गैप के तहत शुद्ध लाभ (कर के पश्चात)	4184.74
1	भारतीय लेखांकन मानक 16 के तहत खनन बंदी के मापन का प्रावधान	47.29
2	"अन्य व्यापक आय " में वर्णित भारतीय लेखांकन मानक 19 के अंतर्गत कर्मचारियों के लाभ संबंधित योजना जिसके तहत उनके बीमांकिक हानि/लाभ का मापन किया जाता है।	(11.99)
3	पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन के प्रभाव	(24.28)
	इक्विटी शेयर धारकों के कारण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार शुद्ध लाभ	**4195.76**
	अन्य व्यापाक आय (कर के पश्चात)	11.99
	इक्विटी शेयर धारकों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल व्यापक आय	4207.75

7. भारतीय लेखांकन मानक का पहली बार अंगीकरण

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी को कंपनी ने पहली बार भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किया है। कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 (भारतीय गैप) के अनुछेद 07 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक के अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी ने इसके वित्तीय विवरण को तैयार किया है। तदनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश में यथा वर्णित 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यथा तुलनात्मक अवधि के आँकड़ो के साथ 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किया है। प्रारंभिक तुलनपत्र 01 अप्रैल, 2015 के अनुसार तैयार की गई है। कंपनी की पारगमन तारीख भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार की गई है। यह टिप्पण भारतीय गैप के वित्तीय विवरण को दोहराते हुए कंपनी द्वारा किए गए सामंजस्य की व्याख्या करता है जिसमें 01 अप्रैल, 2015 के अनुसार तुलनपत्र और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण को शामिल किया गया है।

(i) वित्तीय सम्पति या वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य मापन (आईएनडी एएस 101. डी 20)

पहली बार भारतीय लेखांकन मानक 109 को अपनाने वाले लोग एक दिन के लाभ या हानि के प्रावधानों को अप्रत्याशित रुप से संक्रमण की तिथि पर या उसके बाद होने वाले लेनदेन के लिए लागू कर सकते हैं। जबतक कि पहले अपनाने वाले लोग पहले दिन के लाभ या हानि के लेनदेन के लिए भारतीय लेखांकन मानक 109 को लागू करने हेतु चुनाव करते हैं, तबतक लेनदेन जो पूर्व में संक्रमण की तिथि से पहले हुई थी, जिसे पूर्वव्यापी पुनारंभ करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने वाले प्रथम कंपनी के रुप में कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत भावी विकल्प चुनें हैं।

(ii) खदान बंदी, साइट पुनः स्थापना और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बाध्यताएं (आईएनडी एएस 101 डी 21)

भारतीय लेखांकन मानक 16 के परिशिष्ट "ए" में मौजूदा खदान बंदी, पुनःस्थापना एवं इससे संबंधित देयताओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है जिसे संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से जोड़ा या घटाया जा सकता है, जो इन निर्दिष्ट परिवर्तनों के लिए आवश्यक है; परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि उनके संभावित उपयोगिता के आधार पर घटाई जाती है। पहली बार अपनाने वालों के लिए भारतीय लेखांकन मानक के परिवर्तन की तिथि से पहले हुई ऐसी देनदारियों में बदलाव के लिए इन आवश्यकताओं का पालन नहीं करना पड़ता है। अन्य शब्दों में पहली बार अपनाने वालों को यह अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती कि रिपोर्टिंग की तिथियों पर क्या प्रावधान बनाये गए थे। इसके अलावा परिवर्तन काल के दौरान डीकमिशनिंग देयता की गणना की गई थी एवं यह माना गया था कि यह देयता संपत्ति के अपनाये/निर्मित किये जाने के वक्त मौजूद थी।

भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाने वालों के रुप में कंपनी ने रुपांतरण की तारीख में खदान बंदी, साइट पुन: स्थापना एवं डिकमिशनिंग दायित्व की गणना की है, यह मानते हुए कि देयता उस समय मौजूद थी जब परिसंपत्ति पहली बार अधिग्रहित/निर्मित की गई थी।

(iii) एमसीएल की पुन:स्थापना एवं पुनर्वास नीति

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की आकांक्षाओं को बदलते हुए और भूमि के तेजी से अधिग्रहण के लिए एमसीएल की पुन:स्थापना एवं पुनर्वास नीति को 2012 में संशोधित किया गया था, जो कि उदार और पीएपी के तहत अनुकूल सहायक कंपनियों के बोर्ड के लिए अधिक लचीलापन है। यह नीति पुन:स्थापना एवं पुनर्वास लाभ को प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध पीएपी को पहचान करने के साथ-साथ पुनर्वास कार्य योजना को राज्य सरकार के परामर्श के बाद प्रतिपादित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए आधार रेखा उपलब्ध कराती है। महानदी कोल्फील्ड्स लिमिटेड की पुन:स्थापना एवं पुनर्वास नीति भूमि क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा, रोजगार या एकमुश्त मौद्रिक क्षतिपूर्ति एवं वार्षिक वृत्ति, घर क्षतिपूर्ति, वैकल्पिक गृहस्थान के बदले एकमुश्त भुगतान, प्रत्येक प्रभावित विस्थापित परिवारों को निर्वाह भत्ता आदि को उपलब्ध कराने का कार्य करता है।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP)

सभी नए और विस्तरित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंत्रालय के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचना एसओ 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार उनके अधिकतम, निर्देशात्मक क्षमता और पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) तैयार की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान, सीएमपीडीआई ने शून्य प्रारुप और 02 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना(EMP) को तैयार किया है जिससे कि पर्यावरण मंत्रालय से 02 पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया सके।

8. अन्य सूचनाएं

क. संयुक्त उद्यम में ब्याज दर (भारतीय लेखांकन मानक -31)

8 जनवरी 2013 को संयुक्त उद्यम समूह जिसका नाम नीलांचल पॉवर ट्रांसमिशन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है, को ओडिशा पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं संयुक्त उद्यम के बीच के अनुबंध के तहत् सम्मिलित किया गया है, दिनांक 31.03.17 के तहत् समूह द्वारा अन्य व्ययों के अंतर्गत रुपए 0.02 करोड़ (विगत वर्ष के तहत् 0.02 करोड़) संयोजित किये गए तथा प्राप्त दावों के तहत् इन्हें शामिल किया गया। संयुक्त उद्यम द्वारा दिनांक 31.01.17 से कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

1 अप्रैल 2015 में इक्विटी की मिलान(भारतीय लेखांकन मानक की संव्यवहार तिथि)

(रु करोड़ में)

	फूट नोट	भारतीय जीएएपी	समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक
संपत्ति				
गैर-चालू संपत्ति				
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		3086.61	325.18	3411.79
ख. पूंजीगत कार्य में प्रगति		617.91	-0.97	617.00
ग. संपत्तियों का अन्वेषण एवं मूल्यांकन		106.74	-	106.74
घ. संपत्ति निवेश				
ङ. अमूर्त संपत्ति		4.91	-	4.91
च. विकास के अंतर्गत अमूर्त संपत्ति		-	-	-
छ. बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति		-	-	-
ज. वित्तीय संपत्ति				
झ. निवेश		1075.38	-	1075.38
(ii)ऋण		1.73	-	1.73
(iii)अन्य वित्तीय संपत्ति		593.83	-	593.83
(i) अस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)		-	-	-
ञ. अन्य गैर-चालू संपत्ति		654.91	-1.58	653.33
कुल गैर-चालू संपत्ति (क)		6142.08	322.63	6464.71
वर्तमान संपत्ति				
क. सूची		471.50		471.50
ख. वित्तीय संपत्ति				
(i) निवेश		247.70	-	247.70
(ii)व्यापार प्राप्य		447.30	1.55	448.85
(iii)नकद एवं नकद समकक्ष		175.82	-	175.82
(iv)अन्य बैंक शेष		10141.57	-	10141.57
(v) ऋण		0.44	-	0.44
(vi) अन्य वित्तीय संपत्ति		1171.32	-	1171.32
ग. वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)		224.31	-	224.31
घ. (अन्य वर्तमान संपत्ति		2487.71	3.06	2490.77
कुल वर्तमान संपत्ति (ख)		15,367.67	4.61	15372.28
कुल संपत्ति(क+ख)		21,509.75	327.24	21836.99

इक्विटी एवं देयताएं	फूट नोट	भारतीय जीएएपी	समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक
इक्विटी				
(क)इक्विटी शेयर पूंजी		186.40	-	186.40
(ख)अन्य इक्विटी		4291.17	120.81	4411.98
कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को इक्विटी		4477.57	120.81	4598.38
गैर-नियंत्रण हित		-	-	-
कुल इक्विटी (क)		4477.57	120.81	4598.38

देयताएं	फूट नोट	भारतीय जीएएपी	समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक
गैर-चालू देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार		6.90	-	6.90
(ii)व्यापार देय		-	-	-
(iii)अन्य वित्तीय देयताएं		28.47		28.47
(ख)प्रावधान		12791.00	208.09	12999.09
(ग)अस्थगित कर देयताएं(शुद्ध)		122.90	-	122.90
(घ) अन्य गैर-चालू देयताएं		133.31		133.31
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		13082.58	208.09	13290.67
वर्तमान देयताएं				
(क) वित्तीय देयताएं				
(i) उधार				
(ii)व्यापार देय		275.14	2.08	277.22
(iii)अन्य वित्तीय देयताएं		224.04	-3.74	220.30
(ख)अन्य वर्तमान देयताएं		2875.35	-	2875.35
(ग)प्रावधान		575.07	-	575.07
कुल वर्तमान देयताएं (ग)		3949.60	-1.66	3947.94
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		21509.75	327.24	21836.99

31 मार्च 2016 में इक्विटी सुलह (भारतीय लेखांकन मानक की संव्यवहार तिथि)

(₹ करोड़ में)

	फूट नोट	भारतीय जीएएपी	समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक
संपत्ति				
गैर-चालू संपत्ति				
क. संपत्ति,संयंत्र एवं उपकरण		3258.36	275.37	3533.73
ख. पूंजीगत कार्य में प्रगति		813.82	-0.16	813.66
ग. अन्वेषित एवं मूल्यांकित संपत्तियां		114.27	-	114.27
घ. निवेशित संपत्तियां				
ङ. अमूर्त संपत्तियां		5.38	-	5.38
च. विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां				
छ. बिक्री हेतु आयोजित गैर-चालू संपत्तियां				
ज. वित्तीय संपत्तियां				
(i) निवेश		1075.41	-	1075.41
(ii)ऋण		1.23	-	1.23
(iii)अन्य वित्तीय संपत्तियां		698.32	-	698.32
झ. (शुद्ध)				
ङ. अन्य गैर-चालू संपत्तियां		940.56	-	940.56
कुल गैर-चालू संपत्तियां (क)		6907.35	275.21	7182.56
वर्तमान संपत्तियां				
क. सूची		425.59	-	425.59
ख. वित्तीय संपत्तियां				
(i) निवेश		1345.00	-	1345.00
(ii) व्यापार प्राप्य		1123.16	-15.55	1107.61
(iii)नकद एवं नकद समकक्ष		216.00	-	216.00
(iv)अन्य बैंक शेष		11199.47	-	11199.47
(v) ऋण		0.47	-	0.47
(vi) अन्य वित्तीय संपत्तियां		897.88	-	897.88
ग. वर्तमान कर संपत्तियां (शुद्ध)		379.73	-	379.73
घ. अन्य वर्तमान संपत्तियां		1738.74	-	1738.74
कुल वर्तमान संपत्तियां		17326.04	-15.55	17326.04
कुल संपत्तियां		24233.39	259.66	24493.05

इक्विटी एवं देयताएं	फूट नोट	भारतीय जीएएपी	समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक
इक्विटी				
(क)इक्विटी पूंजी शेयर		186.40	-	186.40
(ख)अन्य इक्विटी		4136.03	140.65	4276.68
कंपनी के इक्विटी शेयर धारकों को इक्विटी		4322.43	140.65	4463.08
गैर-नियंत्रण हित		-	-	-
कुल इक्विटी (क)		4322.43	140.65	4463.08
देयताएं				
गैर-चालू देयताएं				
(क)वित्तीय देयताएं				
(i) उधार		7.21	-	7.21
(ii) व्यापार देय		-	-	-
(iii) अन्य वित्तीय देयताएं		43.47	-	43.47
(ख)प्रावधान		15387.07	119.45	15506.52
(ग) अस्थगित कर देयताएं		183.60	-	183.60
(घ) अन्य गैर – चालू देयताएं		167.83	-	167.83
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		15789.18	119.45	15908.63
वर्तमान देयताएं				
(क)वित्तीय देयताएं				
(i) उधार				
(ii) व्यापार प्राप्य		304.18	-0.89	303.29
(iii)अन्य वित्तीय देयताएं		284.93	-	284.93
(ख)अन्य चालू देयताएं		2904.27	0.45	2904.72
(ग)प्रावधान		628.40	-	628.40
कुल चालू देयताएं (ग)		4121.78	-0.44	4121.34
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		24233.39	259.66	24493.05

31.03.2016 को समाप्त वर्ष में लाभ व हानि सुलह

(₹ करोड़ में)

	फूट नोट	भारतीय जीएएपी	समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक
संचालन से राजस्व				
बिक्री (शुद्ध)		13936.00	-2.34	13933.66
अन्य संचालित राजस्व (शुद्ध)		747.66	-	747.66
संचालन से राजस्व (क+ख)		**14683.66**	**-2.34**	**14681.32**
अन्य आय		1346.08	0.20	1346.28
कुल आय (I+II)		**16029.74**	**-2.14**	**16027.60**
व्यय				
सामग्रियों की खपत की लागत		542.75	-	542.75
समाप्त माल/प्रगति कार्य एवं व्यापार स्टॉक में परिवर्तन		38.67	-	38.67
उत्पाद शुल्क		1224.73	-	1224.73
कर्मचारी लाभ व्यय		2077.96	18.33	2096.29
व्यय शक्ति		123.53	-	123.53
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय		184.64	-0.02	184.62
मरम्मत		121.26	-0.21	121.05
संविदात्मक व्यय		1974.05	-0.91	1973.14
वित्त लागत		1.59	46.47	48.06
घाटा/परिशोधन/व्यय में कमी		289.50	40.49	329.99
प्रावधान		132.57	-133.50	(0.93)
बट्टे खाते में डालना		0.10	-	0.10
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		2452.00	-	2452.00
अन्य व्यय		628.49	-	628.49
कुल व्यय (IV)		**9791.84**	**-29.35**	**9762.49**
कर पूर्व लाभ (V-VI)		**6237.90**	**27.21**	**6265.11**
कर व्यय		2063.01	6.34	2069.35
अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)		**4174.89**	**20.87**	**4195.76**
अन्य व्यापक आय				
क (i) मद जो लाभ व हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			18.33	18.33
(ii) आय कर से संबंधित मदों को लाभ व हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			-6.34	-6.34
ख (i) मद जो लाभ व हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
(ii) आय कर से संबंधित मदों जो लाभ व हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा				
कुल अन्य व्यापक आय			**11.99**	**11.99**
अवधि हेतु कुल व्यापक आय एवं अन्य व्यापक आय (XIV+XV)		**4174.89**	**32.86**	**4207.75**

अन्य

क. भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पिछली अवधि के आंकडों को पुन: वर्णित किया गया है तथा जब भी आवश्यक हो उसे पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित भी किया जा सकता है।

ख. पिछली अवधि के आकड़े टिप्पणी 1 से 38 कोष्ठ में दिये गए हैं।

ग. 31 मार्च, 2017 के अनुसार नोट 1 से 22 तुलनपत्र का एक हिस्सा है तथा उस तिथि के समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि का विवरण नोट 23 से 36 के भाग में दर्शाया गया है। नोट-2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को प्रस्तुत करता है तथा नोट-38 वित्तीय विवरण के संयुक्त नोट (टिप्पणी) को प्रस्तुत करता है।

1 से 38 में हस्ताक्षर

हमारे संलग्नित प्रतिवेदन के अनुसार बोर्ड की तरफ से :-

ह/-
ए. के. सिंह
कंपनी सचिव

ह/-
वी.वी.के राजू
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
के.के. परिडा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन -07015077

ह/-
ए. के. झा
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन-06645361

हमारे संलग्नित प्रतिवेदन के अनुसार तथा
उनके तरफ से
सिंह राय मिश्रा एंड निगम
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या.318121**ई**

ह/-
(सीए जे.के. मिश्र)
सदस्यता सं. 052796

स्थान: सम्बलपुर
दिनांक : **25.05.2017**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष पुन: घोषित (₹ करोड़ में)
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	**6,853.32**	**6,283.44**
	समंजन:		
	मूल्यहास एवं हानि	370.68	326.64
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	(0.59)	0.91
	ओबीआर समायोजन	1,313.31	2,452.00
	ब्याज/लाभांश(प्राप्त)	(1,393.30)	(1,294.05)
	ब्याज/वित्तीय प्रभार(प्रदत्त)	57.55	48.06
	लेनदार/वस्तुसूची/अन्य सीए/ऋण एवं अग्रिम इत्यादि हेतु प्रावधान	405.74	108.80
	कार्यशील पूंजी के परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ:	**7,606.71**	**7,925.80**
	समायोजन के लिए :		
	वस्तुसूची में बदलाव	102.69	44.26
	व्यापार से प्राप्य में बदलाव	1,145.37	(655.14)
	लंबी अवधि/गैर चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	(812.82)	(391.09)
	अल्प अवधि/चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	319.17	816.89
	लंबी अवधि दायिताएं/ चालू दायिताएं / व्यापार से प्राप्य में बदलाव	3,598.69	169.53
	संचालन से अर्जित नगद	**10,775.42**	**7,910.25**
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(2,670.82)	(2,170.41)
	असामान्य मदों से पूर्व नगद प्रवाह	**8,104.60**	**5,739.84**
	असामान्य मदें	-	-
	संचालन गतिविधियों से निवल नगद	**8,104.60**	**5,739.84**
ख	**निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय	(1,825.18)	(655.25)
	सीआईएल के साथ अल्प अवधि जमा	293.87	208.55
	विविध प्राप्तियाँ	-	-
	कंपनियों का अधिग्रहण	-	-
	नये निवेश का क्रय (चालू/गैर चालू)	1,143.00	(1,097.33)
	प्राप्त ब्याज	1,278.85	1,201.76
	म्यूच्युअल फंड से प्राप्त लाभांश (गैर-व्यापार)	114.45	92.29
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**1,004.99**	**(249.98)**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	सीआईएल के जरिए विश्व बैंक ऋण	-	-
	आस्थागित जमा ऋण	(1.13)	0.37
	विनियम दर में उतार-चढ़ाव	0.59	(0.91)
	सीआईएल ऋण का पुनर्भुगतान	-	
	प्राथमिकता शेयर पूंजी का परिशोधन	-	-
	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(57.55)	(48.06)
	प्रदत्त लाभांश	(2,982.00)	(3,608.45)
	लाभांश वितरण कर	(607.06)	(734.60)
	इक्वीट शेयर पूंजी	(1,979.73)	
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	**(5,626.88)**	**(4,391.65)**
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि	3,482.71	1,098.21
	वर्ष के प्रारम्भ में नगद एवं नगद समतुल्य	11,555.16	10,456.95
	वर्ष के अंत में नगद एवं नगद समतुल्य	**15,037.87**	**11,555.16**

उपरोक्त कथन अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है।
पिछले वर्ष के आंकड़े को वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पुन: वर्गीकृत किया गया है।
टिप्पणी: ₹733.37 करोड़ (31.03.2016 तक, 558.17 करोड़ रुपये) की नगद और नगद समकक्ष कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(ए.के.सिंह)	(वी.वी.के. राजू)	(के.के.परिड़ा)	(ए.के. झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक (वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआईएन-07015077	डीआईएन-06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते सिंह राय मिश्रा एंड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म रजि. सं. 318121ई

वर्ष 2016 -17

31 मार्च, 2017 के अनुसार
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं इसकी
अनुषंगिक कंपनीयां - एम.एन.एच. शक्ति लिमिटेड,
एम.जे.एस.जे. कोल लिमिटेड,
महानदी बेसिन पावार लिमिटेड एवं
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड
का समेकित लेखा

जागृति विहार, बुर्ला
संबलपुर - 768020 (औड़िशा)

31 मार्च, 2017 के अनुसार
समेकित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियां	के अनुसार 31.03.2017	31.03.2016 (पुनः घोषित)	01.04.2015 (पुनः घोषित)
परिसंपत्तियाँ				
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ				
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3	3,999.36	3,596.88	3,476.64
(ख) पूंजीगत कार्य प्रगतिपर	4	1,915.44	856.71	658.73
(ग) अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां	5	126.44	140.91	133.38
(घ) अन्य मूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	5.44	5.38	4.91
(ङ) विकाशाधीन अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		-	-	-
(च) निवेश सम्पत्ति				
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) निवेश	7	958.70	958.70	958.70
(ii) ऋण	8	1,201.06	1.24	1.74
(iii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	9	732.99	699.07	594.58
(ज) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (निवल)		-	-	-
(झ) अन्य गैर-चालू परिसम्पत्तियाँ	10	382.58	940.59	653.33
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (क)		9,322.01	7,199.48	6,482.01
चालू परिसम्पत्तियाँ				
(क) वस्तुसूची	12	322.13	425.59	471.50
(ख) वित्तीय परिसंपातियाँ				
(i) निवेश	7	202.00	1,345.00	247.70
(ii) व्यापार प्राप्तियाँ	13	1,066.49	1,107.61	448.85
(iii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	14	396.48	239.90	199.86
(iv) अन्य बैंक बैलेन्स	15	14,717.69	11,232.36	10,175.25
(v) ऋण	8	0.32	0.47	0.44
(vi) अन्य वित्तीय परिसंपातियाँ	9	961.90	873.99	1,153.37
(ग) वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)		706.54	385.28	226.22
(घ) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	1,031.55	1,740.96	2,491.15
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ(ख)		19,405.10	17,351.16	15,414.34
कुल परिसंपातियाँ (क+ख)		**28,727.11**	**24,550.64**	**21,896.35**

31 मार्च, 2017 के अनुसार

समेकित तुलनपत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणियां	के अनुसार 31.03.2017	31.03.2016 (पुनः घोषित	01.04.2015 (पुनः घोषित
इक्विटी एवं देयताएं				
इक्विटी				
क) इक्विटी शेयर पूँजी	16	141.23	186.40	186.40
(ख) अन्य इक्विटी	17	3,235.31	4,270.15	4,407.38
कंपनी के इक्विटी धारकों के लिए इक्विटी का अट्रिबियुट		3,376.54	4,456.55	4,593.78
गैर नियंत्रित व्याज		63.59	63.59	63.57
कुल इक्विटी (क)		3,440.13	4,520.14	4,657.35
देयताएं				
गैर- चालू देयताएं				
(क)वित्तीय देयताएं				
(i) उधारी	18	6.13	7.21	6.90
(ii) भुगतान योग्य व्यापारy)		-	-	-
(iii) अन्य चालू देयताएं	20	40.19	43.47	28.47
(ख) प्रावधान	21	16,740.31	15,506.52	12,999.09
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)		201.82	183.60	122.90
(घ) अन्य गैर चालू देयताएं	22	176.83	167.83	133.31
कुल गैर-चालू देयताएं (ख)		17,165.28	15,908.63	13,290.67
चालू देयताएं				
(क)वित्तीय देयताएं				
(i) उधारी	18	2,200.03	0.03	0.03
(ii) भुगतान योग्य व्यापार	19	420.90	303.29	277.22
(iii) अन्य चालू देयताएं	20	342.46	285.21	220.60
(ख) अन्य चालू देयताएं	23	4,127.87	2,904.92	2,875.39
(ग) प्रावधान	21	1,030.44	628.42	575.09
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		-	-	-
कुल चालू देयताएं (ग)		8,121.70	4,121.87	3,948.33
कुल इक्विटी एवं देयताएं (क+ख+ग)		**28,727.11**	**24,550.64**	**21,896.35**

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(ए के सिंह)	(वी.वी.के. राजू)	(के.के.परिड़ा)	(ए.के. झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआइएन 07015077	डीआईएन -06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,पाम्प एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.316079ई
ह/-
(सी ए जे के मिश्रा)
भागीदार
सदस्य संख्या 052796

दिनांक 25.05.2017
स्थान संबलपुर

31 मार्च, 2017 के अनुसार
समेकित लाभ-हानि विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणियां	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03 .2016 समाप्त वर्ष के अनुसार
	संचालन से प्राप्त राजस्व			
क	विक्रय (निवल)	24	14,164.45	13,933.66
ख	संचालन से प्राप्त अन्य राजस्व (निवल)		817.53	747.66
(I)	संचालन से प्राप्त राजस्व (क+ख)		14,981.98	14,681.32
(II)	अन्य आय	25	1,484.02	1,344.37
(III)	**कुल आय (I+II)**		**16,466.00**	**16,025.69**
(IV)	व्यय			
	खपत वस्तुओं की लागत	26	583.60	542.75
	स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीदारी			
	तैयार माल की वस्तु सूची, कार्य प्रगति पर एवं व्यापार भंडार की सूची में बदलाव	27	97.52	38.67
	उत्पाद शुल्क		1,005.06	1,224.73
	कर्मिक हितलाभ पर व्यय	28	2,372.25	2,096.29
	बिजली एवं ईंधन		124.69	123.53
	कार्पोरेट सामाजिक दायित्व पर व्यय	29	166.60	184.62
	मरम्मत	30	118.57	121.05
	संविदात्मक व्यय	31	2,286.94	1,973.14
	वित्तीय लागत	32	57.55	48.06
	मूल्य ह्रास/परिशोधन/हानि पर व्याय		354.06	329.99
	प्रावधान	33	180.96	(0.93)
	बट्टे खाते डालना	34	-	0.10
	अन्य व्यय	35	952.50	628.51
	स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन		1,313.29	2,452.00
	कुल व्यय(IV)		**9,613.59**	**9,762.51**
(V)	**असामान्य मदे और टैक्स से पहले लाभ (III-IV)**		**6,852.41**	**6,263.18**
(VI)	अपवादात्मक मदें			
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V-VI)**		**6,852.41**	**6,263.18**
(VIII)	कर पर व्यय	36	2,362.71	2,069.35
(IX)	**निरंतर परिचालन की अवधि के लिए लाभ(VII-VIII)**		**4,489.70**	**4,193.83**

31 मार्च, 2017 के अनुसार

समेकित लाभ-हानि विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणियां	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार
(X)	विच्छिन्न संचालन से लाभ/(हानि)		-	-
(XI)	विच्छिन्न संचालन के कर पर खर्च		-	-
(XII)	विच्छिन्न संचालन से लाभ(हानि) (कर पूर्व) (X-XI)		-	-
(XIII)	संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स लाभ/ (हानि) में शेयर		-	-
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ(IX+XII+XIII)**		4,489.70	4,193.83
	अन्य व्यापक आय	37		
	क (i) मदे जो लाभ या हानी में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(1.40)	18.33
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानी में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(0.48)	6.34
	ख (i)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	(ii)आयकर से संबंधित मदे जो लाभ या हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
(XV)	**कुल अन्य बृहत आय**		(0.92)	11.99
(XVI)	**अवधि के लिए कुल बृहत आय (XIV + XV) (अवधि के लिए लाभ (हानि) और अन्य व्यापक आय शामिल में है)**		4,488.78	4,205.82
	मुनाफे का श्रेय:			
	कंपनी के मालिक		4,489.70	4,193.83
	अनियंत्रित ब्याज			
			4,489.70	4,193.83
	कुल व्यापक आय विशेषकर:			
	कंपनी के मालिक		(0.92)	11.99
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
			(0.92)	11.99
	अन्य व्यापक आय विशेषकर:			
	कंपनी के मालिक		4,488.78	4,205.82
	अनियंत्रित ब्याज		-	-
			4,488.78	4,205.82
(XVII)	**प्रति शेयर अर्जन (अविच्छिन्न संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		31,784.24	22,563.30
	(2) तरलीकृत		31,784.24	22,563.30
(XVIII)	**प्रति शेयर अर्जन (विच्छिन्न संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		-	-
	(2) तरलीकृत			-
(XIX)	**प्रति शेयर अर्जन (विच्छिन्न एवं अविच्छिन्न संचालन के लिए):**			
	(1) मूलभूत		31,784.24	22,563.30
	(2) तरलीकृत		31,784.24	22,563.30

संगत टिप्पणी वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग है ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(ए के सिंह)	(वी.वी.के. राजू)	(के.के.परिडा)	(ए.के. झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
		डीआइएन 07015077	डीआईएन -06645361

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,पाम्प एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.316079ई

ह/-
(सी ए जे के मिश्रा)
भागीदार
सदस्य संख्या 052796

दिनांक :25.05.2017
स्थान संबलपुर

31.03.2017 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क. इक्विटी शेयर पूंजी

ब्यौरा	01.04.2015 को बकाया के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2016 को बकाया के अनुसार	01.04.2016 को बकाया के अनुसार	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	01.04.2017 को बकाया के अनुसार
नकदी में पूरी तरह से चुकाए जाने वाले प्रत्येक ₹1000 के लिए 1412266 इक्विटी शेयर	186.40	-	186.40	186.40	(45.17)	141.23

टिप्पणी: इक्विटी में बदलाव का कारण

ख. अन्य इक्विटी

	वरीयता शेयर पूंजी का इक्विटी हिस्सा	अन्य रिजर्व								
		कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	कैपिटल रिजर्व	सीएसआर रिजर्व	सतत विकास रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	कुल	गैर नियंत्रित ब्याज	इक्विटी
01.04.2015 को बकाया के अनुसार	-	204.18	-	-	-	3,261.08	821.31	4,286.57	63.57	
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	109.16	109.16		
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	11.65	11.65		
01.04.2015 को पुनः घोषित बकाया के अनुसार	-	204.18		-	-	3,261.08	942.12	4,407.38	63.57	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-		-	-	-		-		
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-		-	-	-		-		
अवधि के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	4,205.82	4,205.82		
विनियोग	-	-	-	-	-	-		-		
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	-	-	-	-	209.24	(209.24)	-		
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-		-		
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	(3,608.45)	(3,608.45)		
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-		-		
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	(734.60)	(734.60)		
प्री-ऑपरेटिव व्यय	-	-	-	-	-	-		-		
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-		-	0.02	
31.03.2016 को बकाया के अनुसार	-	204.18	-	-	-	3,470.32	595.65	4,270.15	63.59	-
01.04.2016 को बकाया के अनुसार	-	204.18	-	-	-	3,470.32	595.65	4,270.15	63.59	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	45.17	-	-	-	-	-	45.17		
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	(1,617.06)	-	(1,617.06)		
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	-		
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-		
साल के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	4,488.78	4,488.78		
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-	-		
सामान्य रिजर्व में/से अंतरण	-	-	-	-	-	224.55	(224.55)	-		
अन्य रिजर्व में / से अंतरण	-	-	-	-	-	-	-	-		
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	(2,982.00)	(2,982.00)		
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-		
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	(607.06)	(607.06)		
प्रीपरेटिव व्यय का समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	-		
बाइ बैक डिस्ट्रिबुसन	-	-	-	-	-	-	(362.67)	(362.67)		
31.03.2017 बकाया के अनुसार	-	249.35	-	-	-	2,077.81	908.15	3,235.31	63.59	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

टिप्पणी : 1 कॉर्पोरेट जानकारी

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसका मुख्यालय संबलपुर ओड़िशा में स्थित है, जिसे 3 अप्रैल 1992 को कोल इंडिया लिमिटेड की 100% सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया गया था, जिसमें ओड़िशा राज्य में स्थित खानों में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की संपत्ति एवं देयताएं शामिल थी।

कंपनी मुख्य रूप से कोयले के खनन और उत्पादन में लगी हुईहै। कंपनी के प्रमुख उपभोक्ता बिजली और इस्पात क्षेत्र हैं अन्य क्षेत्रों के उपभोक्ताओं में सीमेंट, उर्वरक ,ईंट-भट्टे आदि शामिल हैं।

ओड़िशा में एमसीएल की 4 सहायक और एक संयुक्त उपक्रम कंपनी है। सभी सहायक कंपनियां विकास के चरण में है। समूह संरचना की जानकारी टिप्पणी संख्या 38 में वर्णित है।

टिप्पणी 2: महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

2.1 **वित्तीय विवरण की तैयारी का आधार-:**कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली,2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

31मार्च,2016 को समाप्त वर्ष के साथ ही सभी वर्षों तक और इसमें शामिल सीआईएल एवं इसके अनुषंगी (बाद में कंपनी कहा गया) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक (ए.एस.) जो कंपनी लेखा नियम 2014 के साथ पढ़ा जाए तथा कंपनी (लेखांकन मानक), नियम 2006 के अनुसार अपने वित्तीय विवरणों को तैयार किया है। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए ये वित्तीय विवरण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी के लिए तैयार पहले वित्तीय विवरण हैं। भारतीय लेखांकन मानक की पहली अंगीकरण की जानकारी के लिए टिप्पणी संख्या 38.6 देखें।

मापन को ऐतिहासिक लागत के आधार पर वित्तीय विवरणों के अनुसार तैयार किया गया है, सिवाय इसके कि

- उचित वित्तीय संपत्ति और देयताओं को उचित मूल्य पर मापा जाता है (अनुच्छेद 2.15 में वित्तीय साधनों पर लेखांकन नीति देखें)
- परिभाषित लाभ योजना को संपत्ति योजना के उचित मूल्य पर मापा जाता है।
- लागत या एनआरबी में इन्वेंटरी जो भी कम हो(अनुच्छेद 2.11 में वर्णित लेखांकन नीति देखें)

2.1.1 पूर्ण अंकों में राशि

इन वित्तीय विवरणों में राशि जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक करोड़ रुपए दो दशमलव अंको तक राउंड किए जाएंगे।

2.2 समेकन के आधार

2.2.1 अनुषंगियां -

सहायक कंपनियाँ वे संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का नियंत्रण है। कंपनी एक इकाई पर नियंत्रण करती है, जब कंपनी को इकाई के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय लाभ हो या इनका अधिकार हो तथा इकाई के संबंध में गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के माध्यम से उन लोगों को प्रभावित करने की क्षमता हो, तब कंपनी को नियंत्रित कर स्थानांतरित किया जाता है उस तारीख से सहायक कंपनियां पूरी तरह से समेकित की जाती है। जब नियंत्रण समाप्त हो जाता है तो उस तारीख से उनको हटा दिया जाता है।

कंपनी द्वारा व्यापारिक संयोजन के लिए लेखांकन के अधिग्रहण विधि का उपयोग किया जाता है।

कंपनी संपत्ति देनदारियों, इक्विटी, नकदी प्रवाह आय एवं व्यय की वस्तुओं को शामिल करने के उपरांत मुख्य एवं उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण को जोड़ती है। अंतर कंपनी लेनदेन कंपनियों के बीच शेष एवं अवास्तविक लाभ का निषेध करती हैं। कंपनी के कंपनियों के बीच अवास्तविक नुकसान को भी निकाल दिया गया है, जब तक लेनदेन परिसंपातियों की हानि का सबूत नहीं मिलता है। सीआईएल के समेकित सभी कंपनियाँ आम तौर पर नीतियों का उपयोग करती है जैसे कि सीआईएल द्वारा किए गए लेनदेन तथा समान परिस्थितियों में घटनाओं के लिए संकलित किया गया है। सीआईएल के समेकित एक विशेष सहायक कंपनी के महत्वपूर्ण विचलन के मामलों में सीआईएल के समेकित लेखांकन नीतियों के अनुरूप होने के लिए इस तरह के एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण के लिए उचित समायोजन किया जाता है।

सहायक कंपनियों के परिणामों और इक्विटी में गैर-नियंत्रित हित, इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण एवं बैलेंस शीट को अलग से लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया गया है।

2.2.2 सहयोगी कंपनियाँ -:

सहयोगी कंपनियाँ वे संस्थाएं हैं जिन पर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है लेकिन कोई नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण नहीं है। यह आमतौर पर ऐसा मामला है जहां कंपनी 20% से 50% के बीच मतदान अधिकार रखती है।

सहयोगी कंपनियों के निवेश को लेखांकन की इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है, प्रारंभ में लागत पर पहचाने जाने के बाद जब निवेश या इसके एक हिस्से को बिक्री के लिए आयोजित किया जाता है तो उस स्थिति में यह भारतीय लेखांकन मानक 105 के अनुसार किया जाता है।

कंपनी का उद्देश्यपूर्ण साक्ष्य के आधार पर सहयोगियो में अपने शुद्ध निवेश को कम करती है।

2.2.3 संयुक्त व्यवस्था:

संयुक्त व्यवस्था वह व्यवस्था है जहां कंपनी एक या एक से अधिक अन्य पार्टियों के साथ संयुक्त नियंत्रण करती है।

संयुक्त नियंत्रण अनुबंध की सहमति से सहमत होने की वह व्यवस्था है ,जहां प्रसांगिक गतिविधियों से संबंधित फैसले को साझा करने के लिए पार्टियों के सर्वसम्मत संकल्प की आवश्यकता होती है।

संयुक्त व्यवस्था को संयुक्त अभियान या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाए प्रत्येक निवेशक के अनुबंध के अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है।

2.2.3.1 संयुक्त संचालन

संयुक्त संचालन वह संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत कंपनी को संपत्ति से संबंधित देनदारियों के लिए परिसंपत्तियों और दायित्वों के अधिकार मिले हैं।

कंपनी परिसंपत्तियों ,देनदारियों, राजस्व और संयुक्त संचालन के खर्चों और उसके किसी भी संयुक्त रुप में आयोजित किए गए परिसंपत्तियों, देनदारियों ,राजस्व और व्ययों का अपना प्रत्यक्ष अधिकार रखती है इसे उचित शीर्षकों के तहत वित्तीय वक्तव्य में शामिल किया गया हैं।

2.2.3.2 संयुक्त उद्यम-:

संयुक्त उद्यम वे संयुक्त व्यवस्थाएं हैं जिसमें कंपनी को शुद्ध संपत्ति व्यवस्था के अधिकार प्राप्त हैं।

बैलेंस शीट में समेकित लागत को उचित मूल्य पर पहचाने जाने के उपरांत संयुक्त उद्यम से ब्याज इक्विटी पद्धति के उपयोग करने हेतु जवाबदेह है।

प्रारंभ में लागत पर पहुंचनेके बाद संयुक्त उद्यम में निवेश लेखांकन पद्धति के उपयोग हेतु ध्यान में लाया जाता हैं , जबकि निवेश या उसके किसी हिस्से को बिक्री किया जाता है तो उस स्थिति में इसे भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

कंपनी उद्देश्य के साक्ष्य के आधार पर संयुक्त उद्यम में अपने शुद्ध निवेश को ह्रास करती है।

2.2.4 इक्विटी पद्धति -

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत निवेश को शुरुआती लागत पर मान्यता प्राप्त है, इसके बाद कंपनी के शेयरों के अधिग्रहण के लाभ व हानि में निवेशक के नुकसान को पहचानने के लिए तथा कंपनी शेयरों के अन्य व्यापक आय में निवेशक के अन्य व्यापक आय को पहचानने के लिए उसका समायोजन किया जाता है। सहयोगियों और संयुक्त उद्यम से प्राप्त या प्राप्त होने वाली लाभांश को निवेश की मात्रा में कमी के रूप में लिया जाता है।

जब कंपनी के इक्विटी शेयर के निवेश में नुकसान जो इकाई के हितों के बराबर या उससे अधिक हो जाता है ,जिसमें किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्य भी शामिल है, तो कंपनी अधिक नुकसान नहीं पहचानती है जब तक की अन्य इकाई की तरफ से कार्य या भुगतान न किया गया हो।

कंपनी और उसके सहयोगियों एवं संयुक्त उपक्रम के बीच लेन-देन के फायदे इन संस्थाओं में कंपनी के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं। अनावृत नुकसान भी समाप्त हो जाते हैं जब तक कि अपनाई गई लेनदेन की नीतियों

में संपत्ति की हानि का सबूत नहीं मिलता, कंपनी द्वारा अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो वहां निवेशक को ध्यान में रखते हुए इक्विटी की लेखांकन नीतियों में बदलाव किया जाता हैं।

2.2.5 स्वामित्व के हितों में बदलाव

कंपनी इक्विटी स्वामित्व के साथ लेनदेन की प्रक्रिया में होने वाले गैर नियंत्रण हितों के नुकसान को नियंत्रित करती है। स्वामित्व के हितों में बदलाव वर्तमान राशियों के नियंत्रण एवं गैर-नियंत्रण हितों को उनके संबंधित सहायक कंपनियों में दर्शाने हेतु समायोजित करती है। गैर-नियंत्रित हितों की राशि में एवं किसी भुगतान या प्राप्त किए गए उचित मूल्य में किसी भी प्रकार के अंतर को इक्विटी के भीतर स्वीकार किया जाएगा।

जब कंपनी नियंत्रण, संयुक्त नियंत्रण या महत्वपूर्ण प्रभाव के नुकसान के कारण एक निवेश हेतु समेकित या इक्विटी खाते को समाप्त करती है तो किसी भी इक्विटी में बनाए गए हित लाभ व हानि में स्वीकार किए गए वर्तमान राशि में बदलाव सहित उसके उचित मूल्य पर पुनः मापे जाते हैं। यह उचित मूल्य सहयोगी कंपनी ,संयुक्त उद्यम व वित्तीय संपत्ति के बनाए गए हित के रूप में लेखांकन प्रयोजन हेतु वर्तमान राशि होंगे। इसके अलावा उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से स्वीकृत राशि का विवरण दिया जाता है जैसे कि कंपनी में संबंधित संपत्ति या देनदारियों का सीधे निपटारा किया गया है। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशियों का लाभ व हानि के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। यदि संयुक्त उद्यम व सहयोगी कंपनी में स्वामित्व हित कम है परंतु संयुक्त नियंत्रण व महत्वपूर्ण प्रभाव बने हुए हैं तो केवल अन्य व्यापक व्यय में पहले से स्वीकृत राशि का समानुपात शेयर हानि व लाभ में जहां आवश्यक हो वर्गीकृत किया जाएगा।

2.3 वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी के वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति एवं देनदारियों को प्रस्तुत किया जाता है। कंपनी द्वारा एक परिसंपत्ति को वर्तमान लागत के रूप में तब माना जाता है, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में यह अपेक्षित है कि संपत्ति स्वीकार की जाये व बेची या उपभोग की जाये।

ख. जब व्यापार करने हेतु संपत्ति की देयताओं को सबसे पहले रखती है।

ग. जब रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर परिसंपत्तियों की वास्तविक समझना अपेक्षित हो।

घ. जब तक संपत्ति का आदान-प्रदान प्रतिबंधित नहीं किया जाता या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है तब तक परिसंपत्ति नगद या नगद समकक्ष (जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक 7 में परिभाषित) है। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा देयताओं को वर्तमान में तब स्वीकार किया जाएगा, जब:

क. अपने सामान्य संचालन चक्र में देयताएं स्थापित करना अपेक्षित हो।

ख. सबसे पहले देयताओं को व्यवसाय हेतु बनाए रखना अपेक्षित होगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के 12 माह के भीतर देयताओं का निपटारा किया जाएगा।

घ. रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम 12 माह के लिए देयताओं के निपटान को स्थगित करने के लिए सशर्त अधिकार नहीं होंगे। देयता की शर्ते जो कि काउंटर पार्टी के विकल्प पर हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरुप इक्विटी जारी करने के मुद्दों के निपटारे का परिणाम इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है।

अन्य सभी देयताएं गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत है।

2.4 राजस्व मान्यता-

2.4.1 वस्तु विक्रय से प्राप्त राजस्व:

वस्तु बिक्री से प्राप्त राजस्व निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर स्वीकार किया जाएगा।

क. कंपनी ने विक्रेता को वस्तुओं के स्वामित्व, जोखिम एवं पुरस्कार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है।
ख. वस्तुओं के विक्रय पर कंपनी का स्वामित्व के संबंध में प्रबंधकीय भागीदारी एवं प्रभावी नियंत्रण नहीं रहेगा।
ग. राजस्व राशि विश्वसनीय तरीके से मापी जा सकती है।
घ. यह संभव है कि लेन-देन से जुड़े आर्थिक लाभ सीधे कंपनी को प्रदान किए जाएंगे।
ङ. लेन-देन के संबंध में किए गए या किए जाने वाले लागत खर्च को विश्वसनीय तरीके से मापा जा सकता है।

सरकार/अन्य वैधानिक निकायों की तरफ से एकत्र किए गए करों, लेवी या शुल्क को छोड़कर अनुबंधित रूप से परिभाषित भुगतान के शर्तों को ध्यान में लेते हुएप्राप्त होने वाले प्राप्त उचित मूल्य पर राजस्व का आकलन करती है।

जब तक राजस्व मान्यता हेतु उपरोक्त शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ग्राहकों से प्राप्त अग्रिमों को ग्राहक की जमा राशि के रूप में सूचित किया जाएगा।

हालांकि, भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक 18 पर शिक्षात्मक सामग्री के आधार पर कंपनी ने यह मान लिया है कि उत्पाद शुल्क की वसूली कंपनी अपनी जिम्मेदारी पर करेगी। यही कारण है कि यह उत्पादक की देयता है, जो उत्पाद लागत का हिस्सा है, चाहे वस्तु बेचे गए हों या नहीं। कंपनी की अपनी जिम्मेदारी पर वसूली गई उत्पाद शुल्क के बाद से सकल राजस्व में उत्पाद शुल्क शामिल किया गया है।

हालांकि ,कंपनी द्वारा अन्य कर लेवी व शुल्क प्राप्त नहीं किया गया है तथा उसे शुद्ध राजस्व में शामिल नहीं किया गया है।

2.4.2 **ब्याज**

प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करते हुएब्याज आय स्वीकार की जाती है।

2.4.3 **लाभांश**

जब भुगतान प्राप्ति के अधिकार दिए जाएंगे तब निवेश से लाभांश आय स्वीकार की जाएगी।

2.4.4 अन्य दावे:

जब वसूली करना निश्चित हो और विश्वसनीय तरीके से मापा जाए तब अन्य दावे (ग्राहकों से देरी से प्राप्त होने पर ब्याज सहित) इसके लिए जवाबदेही होगा।

2.4.5 सेवाओं का प्रतिपादन:

जब सेवाओं के प्रतिपादन में शामिल लेन-देन का परिणाम विश्वसनीय रूप से अनुमानित किया जाता है तब लेनदेन के पूरा होने के संदर्भ में संबंधित राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेनदेन के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब निम्नलिखित सभी शर्ते पूर्ण हो तो लेनदेन का आंकलन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है।

क. राजस्व राशि विश्वसनीय रूप से मापी जायेगी।

ख. यह संभव है कि लेनदेन से जुड़े सभी आर्थिक लाभ सीधे कंपनी को जाएगा।

ग. रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लेन-देन पूर्ण होने के चरण को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

घ. लेने-देन हेतु खर्च लागत तथा लेन-देन को पूरा करने की लागत विश्वसनीय रूप से मापी जाएगी।

2.5 सरकार से प्राप्त अनुदान

सरकारी अनुदान तब तक स्वीकार नहीं किये जाएंगे जब तक कि उचित आश्वासन न हो की कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और यह निश्चित अनुदान प्राप्त करेगी।

सरकारी अनुदान लाभ और हानि के विवरणों से व्यवस्थित आधार पर मान्यता प्राप्त है जिसके लिए कंपनी को संबंधित लागतों का खर्च अनुदान की क्षतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाएगी।

स्थगित आय के रूप में अनुदान की स्थापना के द्वारा सरकारी अनुदान/परिसंपत्तियों से संबंधित सहयोग को बैलेंस शीट में दर्शाया गया है तथा परिसंपत्ति के उपयोग के व्यवस्थित आधार पर लाभ व हानि के विवरण को स्वीकार किया गया है।

आय से संबंधित अनुदान शीर्ष ,अन्य आय के अंतर्गत लाभ व हानि को विवरण के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

एक सरकारी अनुदान जो पहले से किए गए खर्चों या हानियों हेतु मुआवजे के रुप में या भविष्य में संबंधित लागतों के बिना कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता देने हेतु उपलब्ध है, जिसमें उस अवधि के लाभ या हानि के रूप में इसे स्वीकार किया गया है।

सरकारी अनुदान या प्रमोटरों का योगदान जिसे सीधे तौर पर ''पूंजीगत रिजर्व'' से मान्यता प्राप्त है, जो कि ''शेयरधारक निधि'' का अहम हिस्सा है।

2.6 पट्टे

वित्त पट्टा एक पट्टा है जो मूलतः परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रुप से सभी जोखिमों और पुरस्कारों को हस्तांतरित करता है। शीर्षक का स्थानांतरण किया भी जा सकता है अथवा नहीं भी।

प्रचालन पट्टा एक पट्टा होने के अतिरिक्त एक वित्त पट्टा भी है।

2.6.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में :

पट्टे को आरंभिक रूप में वित्त पट्टे या ऑपरेटिंग पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.6.1.1 पट्टे के प्रारंभ में **वित्त पट्टों** को शुरुआती समय में पट्टे पर संपत्ति के उचित मूल्य या, यदि निम्न, न्यूनतम पट्टा भुगतान के वर्तमान मूल्य पर पूंजीकृत किया जाता है। पट्टे का भुगतान वित्त प्रभारों तथा कमी की देयता के बीच विभाजित किया जाता है ताकि शेष राशि की देयता पर स्थाई दर प्राप्त हो सके।

लाभ और हानि के विवरणानुसार वित्त प्रभार को लागत द्वारा मान्यता प्राप्त है, जब तक कि वे प्रत्यक्ष रुप से योग्य परिसंपत्तियां नहीं खरीदते हैं, इस मामले में वह उधार लेनदेन की लागत पर कंपनी की सामान्य नीति के अनुसार पूंजीकृत किए जाते हैं।

संपत्ति के उचित उपयोग को पट्टे युक्त परिसंपत्ति क्षीण करती है तथापि यदि कोई उचित निश्चितता नहीं है कि कंपनी पट्टा अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त करेगी तो परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोग तथा पट्टे की अवधि को संपत्ति क्षीण करती है।

2.6.1.2 परिचालित पट्टे:

परिचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टे का भुगतान पट्टे अवधि के दौरान प्रत्यक्ष रूप में किए गए व्यय के आधार पर पहचाना जाता है जब तक कि :

क. अन्य व्यवस्थित आधार उपयोगकर्ताओं के लाभ के समय के स्वरूप का प्रतिनिधि करता है भले ही कम भुगतानकर्ताओं का भुगतान उस आधार पर ना किया गया हो या,

ख. पट्टादाता के अपेक्षित मुद्रा स्थिति की लागत में रियायत प्राप्त होने के लिए अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के पट्टादाता को किए गए भुगतान के रूप में संचारित किया गया है। यदि पट्टादाता को किए गए भुगतान सामान्य मुद्रास्फीति से भिन्न हो तो, यह शर्त नहीं मानी जाएगी।

2.6.2 पट्टेदाता के रुप में कंपनी:

परिचालन पट्टा: परिचालन पट्टा (सेवा राशि यथा बीमा पट्टा तथा रख-रखाव को छोड़कर) से आय पट्टा को आय के रूप में प्रतिष्ठापित किया जाता है जो सीधे तौर पर परिपाटी के पट्टा शर्तों पर अवलंबित रहती है, जिसमें

क. अन्य पद्धतिपरक की तुलना में समय प्रणाली अधिक प्रतिलांक्षणित होती है जब पट्टा का भुगतान उस आधार पर नहीं होता है या

ख. इसका भुगतान इस रूप में संरचित होता है कि सामान्य अवमूल्यन की स्थिति में भी अनुमानित प्रतिपूरक लागत का अवमूल्यन मूल्य बिना व्यवधान के समायोजित होता है। यदि पट्टा का भुगतान अवमूल्यन की तुलना में काफी प्रतिपूरक रहता है तो इस स्थिति में यह व्ययित नहीं होता है।

समझौता तथा परिचालन पट्टा में किया गया प्रारंभिक व्यय को सीधे पट्टा संपत्ति के साथ शेष राशि को भी जोड़ दिया जाता है जैसा कि पट्टा आय के रूप में प्रारंभिक पट्टा के शर्तों के अनुरूप जिसे निष्पादित किया गया था।

वित्तीय पट्टा के अंतर्गत बकाया राशि को उस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है जिसमें कंपनी के पट्टे में सीधे निवेश की गई प्राप्ति के साथ उसे जोड़ दिया जाता है। वित्तीय पट्टा आय को लेखा के गणना की अवधि में दर्ज किया जाता है जिसमें पट्टा के अतिरिक्त बकाया निवेश को निरंतर आवृत्तिमूलकरुप में दर्शाया जाता है।

2.7 बिक्री हेतु गैर चालू संपत्ति

कंपनी गैर चालू संपत्तियों को वर्गीकृत करती है एवं बिक्री हेतु रखी जाती है यदि इनकी कुल राशि निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की गई हो । विक्रय को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सूचित करती है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या की संभावना न होने एवं बिक्री हेतु लिए गए निर्णय को वापस लिया जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। प्रबन्धन वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपेक्षित विक्रय करने हेतु प्रतिबद्ध है।

इन उद्देश्यों के लिए यह बिक्री लेनदेन में अन्य गैर चालू संपत्ति के लिए गैर चालू संपत्ति का विनिमय भी शामिल है जब विनिमय व्यवसायिक प्रयोजनार्थ हो। विक्रय वर्गीकरण के लिए आयोजित मानदंडों को केवल तब तक ही माना जाता है जब तक कि परिसंपत्तियां या निपटान समूह अपने वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध होते हो, केवल ऐसी शर्तों के लिए जो ऐसी संपत्ति (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रचलित है इसकी बिक्री की अत्यधिक संभावना है और इसे वास्तव में विक्रय किया जाएगा पर उसका त्याग नहीं किया जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री की अत्यधिक संभावना पर विचार करती है, जब

- प्रबंधन का उचित स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध हो।
- खरीदार का पता लगाने और योजना पूरी करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया हो।
- संपत्ति (निष्पादन समूह) के विक्रय मूल्य के लिए सटिक कदम उठाए जा रहे हैं जिसे चालू कीमत के अनुरूप इसका व्यवहारिक मूल्य को आंकलित किया जाना अपेक्षित हो।
- यह विक्रय वर्गीकरण की तिथि से 1 वर्ष के अंदर अनुमानतः तैयार कर ली जाएगी तथा
- इस योजना से संबंधित सभी यथोचित योजना जिसमें कतिपय कुछ संशोधन व सुधार आवश्यक हो तो उसकी भी समीक्षा कर तैयार करना अपेक्षित होगा ताकि जरूरत पड़ने पर इस योजना को निरस्त भी किया जा सके।

2.8 संपत्ति,संयंत्र और उपकरण:-

जमीन की खरीदी ऐतिहासिक लागत पर की जाती है । इस ऐतिहासिक लागत में भूमि अधिग्रहण से जुड़े खर्च, पुनर्वास खर्च, पुनःस्थापन लागत तथा संबंधित विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार के बदले दिए गए मुआवजा आदि शामिल हैं।

संपुष्टि के तारतम्य में अलग संपत्ति के रूप में संयंत्र तथा उपकरण में होने वाले खर्च उस शर्त पर निष्पादित किये जाएंगे, जिसमें समाहित खर्च कम से कम हो तथा लागत मानक के अन्तर्गत किसी भी प्रतिपूरक नुकसान को हानि न पहुंचे। किसी भी संपत्ति की कीमत, संयंत्र तथा उसके उपकरण में निम्नलिखित तथ्य शामिल है।

क. व्यापार छूट में मिले कटौती के बाद इनका क्रय मूल्य जिसमें निर्यात शुल्क तथा गैर-वापसी क्रय शुल्क शामिल हो।

ख. स्थल तक संपत्ति को लाने के लिए किसी भी प्रत्यक्ष व्यय/सामयिक व्यय तथा प्रबंधन द्वारा क्षमतानुसार परिचालन के लिए उठाया गया अत्यावश्यक कदम।

ग. सामग्री के परिवर्धन तथा हटाये जाने हेतु प्रारंभिक अनुमानित खर्च तथा समेकित स्थल तक इसे पहुँचाने के लिए व इसके व्यवहार के लिए जिसे कंपनी ने उस स्थिति में खर्च किया है जब इस सामग्री को उसने अपने आधिपत्य में रखा हो या एक निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उसका व्यवहार किया गया हो, जिसके लिए उसने अपना निवेश किया था।

संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण में खर्च किए गए प्रत्येक अंश को कुल लागत के अनुसार विखंडित कर साफ-साफ दर्शाया जाना अपेक्षित है। फिर भी किसी समुपयोगी अंश में उसी पीपीई के साथ जीवनोपयुक्त हो जाता है तथा विखंडनीकरण प्रणाली एक समूह में आ जाते हैं जो शुल्क सहित होता है।

दिन-प्रतिदिन इस तरह के कार्य जिसमें मरम्मत तथा इसके रख-रखाव का विवरण लाभ और हानि के विवरण में उसी वर्षावधि के अन्तर्गत दर्शाता है जो कि व्यय के समतुल्य होना अपेक्षीत होता है।

संपत्ति, संयंत्र और उसके उपकरण का कुल मूल्य बदले जाने वाले उपष्करण के यथोचित पाठ की राशि के मूल्य के समतुल्य होगा, जिससे यह लाभ होगा कि इस उपष्करण की राशि भविष्य में भी वित्तीय लाभ प्रदान करेगी जो कि कंपनी के लिए लाभकारी होगा एवं इसका मूल्य आवृत्ति के रूप में भी आंकलित किया जाएगा। इस उपष्करण के मूल्य को उसके स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विक्रेद्रीकरण नीति के अनुरूप विकेंद्रित करना अपेक्षित होगा।

जब वृहद स्तर पर निरीक्षण किया जाएगा तो इसके मूल्य को निर्देशित किया जाएगा, जो इस संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के रूप में परिवर्तित हो चुका था और इस तारतम्य में भविष्य के लाभांश के साथ कंपनी के उपयोग के लिए भी लाया जाएगा तथा इन सामग्रियों का मूल्य सटीक रूप से आंकलित किया जायेगा। विगत जांच के समय में कोई भी बकाया राशि(भौतिक भाग के रूप में चिन्हित) विमुद्रित की जाएगी।

संपत्ति संयंत्र या उपकरण का कोई भी अंश इसके साथ सम्मिलित किये जाने पर उसे असंबंद्ध कर दिया जाएगा या भविष्य में कोई भी लाभ उसे प्राप्त नहीं होगा, जो कि इन सम्पत्तियों के निरंतर व्यवहार से अपेक्षित रहा हो। किसी तरह का लाभ या नुकसान संपत्ति संयंत्रों या उपकरणों के इन विकेन्द्रीकरण के सापेक्ष में इनका लाभ या नुकसान समझा जाएगा।

सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण का विवरण तथा जमीन के मामलों को छोड़कर प्रति लागत मूल्य के रूप में निम्नलिखित रूप से व्यवहार में अनुमानित लाभ के रूप में चिन्हित किया जाएगा।

अन्य भूमि		
(पट्टेकृत भूमि सहित)	-	परियोजना की अवधि या पट्टा अवधि में से जो भी कम हो भवन
	-	3-60 वर्ष
सड़क	-	3-10 वर्ष
दूरसंचार	-	3-9 वर्ष
रेलवे साईडिंग	-	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	-	5-15 वर्ष
कम्प्यूटर एवं लैपटॉप	-	3 वर्ष
कार्यालय के उपकरण	-	3-6 वर्ष
फर्नीचर या फिकचर	-	10 वर्ष
वाहन	-	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर प्रबंधन का मानना है कि उपयोगी जीवन दिये गए सर्वोतम अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिस पर प्रबंधन को संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा होती हैं। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न होगा।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति के अनुमानित उपयोगी समय की समीक्षा की जाती है।

सम्पदा, संयंत्र या उपकरण का शेष मूल्य परिसंपत्ति की कुछ वस्तुओं को छोड़कर मूल संपत्ति का 5% माना जाता है, जिसमें कोयला टब, घुमावदार रस्सियाँ, ढुलाई की रस्सियाँ, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैम्प आदि सम्मिलित है। जिसके लिए तकनीकी तौर पर अनुमानित उपयोगी जीवन एक वर्ष के साथ शून्य अवशिष्ट मूल्य के रूप में निर्धारित की जाती है।

वर्ष के दौरान जोड़े गए/निकाले गए सम्पत्तियों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त/निपटान के महीने के संदर्भ में प्रो-राटा के आधार पर प्रदान किया जाता है।

कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957 के तहत "अन्य भूमि" का मूल्य अधिग्रहित भूमि के रूप में शामिल है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत मुआवजा, पारदर्शिता के अधिकार, पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आरएफसीटीएलएएआर) अधिनियम 2013 के तहत

सरकारी भूमि के दीर्घकालीन हस्तांतरण आदि शामिल है, जो कि परियोजना के शेष जीवन के आधार पर परिशोधित होता है और पट्टेकृत भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन पट्टे की अवधि पर आधारित होते हैं या इनमें से जो भी कम हो के तहत परियोजना के शेष राशि पर आधारित होते हैं।

पूरी तरह से विखंडित , उपयोग के लिए अनुपयुक्त संपत्तियों को दर्शाया जाता है जो इस संपत्ति के संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत इसके समायित मूल्य को केवल दर्शाते ही नहीं है अपितु जांच कर इसकी संपुष्टि भी करते हैं।

कंपनी द्वारा कतिपय संपत्ति की संरचना/विकास पर जो मूलधन व्यय किया जाता है उसका उत्पादन, वस्तु की आपूर्ति या कंपनी के अद्यतन आवश्यक होता है। संपत्ति संयंत्र या उपकरण के अंतर्गत या इंवेलिंग एसेट के रूप में उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक के लिए संक्रमण

कंपनी वर्तमान मूल्य को लागत मानक की कीमत के अनुसार बनाए रखने का प्रयास करती है जिसमें इसके सभी संपत्ति, संयंत्र या उपकरण जिसमें इसके वित्तीय विवरण एवं हस्तांतरण तिथि से पिछले जीएएपी के अनुसार किया गया निष्पादन सम्मिलित रहता है।

2.9. खदान बंदी, कार्यस्थल का जीर्णोद्धार एवं डिकमीस्निंग बाध्यताएँ -

भूमि सुधार एवं संरचनाओं के निषेध के लिए कंपनी के कार्य में भू-तल एवं भूमिगत दोनों प्रकार के खदानों पर भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के निर्देशानुसार होने वाले खर्च सम्मिलित है। कंपनी खदान बंदी क्षेत्र की मरम्मत एवं निषेध कार्य का आंकलन इस कार्य पर भविष्य में होने वाली नगद खर्च एवं लगाने वाली खर्च की विस्तृत लेखा जोखा तथा तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर करती है। खदान बंदी व्यय अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जाती है। खर्च के आंकलन मुद्रा स्फीति के अनुसार बढ़ते हैं एवं इसकी दर कम होने पर घटती है, जो मुद्रा और जोखिमों के समय मूल्य के वर्तमान बाजार के मूल्यांकन को सूचित करती है। यथा प्रावधान में वर्णित कार्य को सम्पन्न करने के लिए आवश्यक अनुमानित खर्च के वर्तमान मूल्य को सूचित किया जाता है। कंपनी सुधार एवं खदान बंदी के समापन के देय धन से संलग्न संपत्ति का लेखा जोखा रखती है। कार्य तथा संपत्ति देयधन को खर्च होने की समयावधि में मान्यता प्राप्त होती है। क्षेत्र के मरम्मत के समस्त मूल्य को सूचित करने वाली संपत्ति (केंद्रीय खनन योजना एवं रचना संस्थान समिति के आंकलन के अनुसार) खदान बंदी योजना के अनुसार पीपीई में एक भिन्न वस्तुओं के रूप में जानी जाएगी तथा शेष परियोजना खदान के जीवनकाल के आधार पर परिशोधित होगी।

रियायत का प्रभाव खत्म होते ही समय के साथ प्रावधान के मूल्य में उतरोत्तर बढ़ोतरी होगी। एक खर्च के रूप में इसे वित्तीय खर्च माना जाता है।

अग्रिम अनुमोदित खदान बंदी योजना के अनुसार इस उद्देश्य से एक विशेष निलंब निधि खाता रखे जाने का प्रावधान है।

कुल खान बंद करने के दायित्वों को कार्य का हिस्सा बनाने हेतु साल दर साल प्रगतिशील खनन बंद के खर्चों को शुरू में निलंब खाते से प्राप्त किया जाता है और उसके बाद उस वर्ष में उनका दायित्व के साथ समायोजन किया जाता है जिसमें राशि प्रमाणित एजेंसी की सहमति के बाद इसे वापस लेने का अधिकार रखती है।

2.10 अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ –

अन्वेषित तथा मूल्यांकित परिसंपत्तियों में पूंजीगत लागत शामिल होती है जो कि कोयला और संबन्धित संसाधनो की खोज के कारण उत्पन्न होती है। तकनीकी व्यवहार्यता के निर्धारण और पहचान वाले संसाधन की व्यावसायिक व्यवहार्यता के मूल्यांकन निम्न बातों के तहत सम्मिलित किये गये हैं :

- ऐतिहासिक अन्वेषण डेटा के शोध एवं विश्लेषण ;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक, रासायनिक और भूभौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषित आधार सामग्री को उपलब्ध करना;
- अन्वेषित ड्रिलिंग, ट्रेचिंग तथा नमूने ;
- संसाधनों की मात्रा तथा उनके संवर्ग का निर्धारण करना एवं जाँचना ;
- परिवहन तथा आधारिक संरचनाओं की आवश्यकताओं का सर्वेक्षण ;
- बाजार का आयोजन तथा वित्त अध्ययन ;

इसके बाद के संस्करण में कर्मचारी पारिश्रमिक, उपयोग किए गए सामग्री एवं ईंधन की लागत, ठेकेदारों को किए गए भुगतान भी शामिल है।

चूंकि अंतर्निहित घटक, भविष्य के अन्वेषण में किए गए अपेक्षित कुल लागतों के निरर्थक/ अविवेच्य भाग को दर्शाता है एवं इन लागतों को अन्य पूंजीगत अन्वेषण लागतों एवं मूल्यांकन परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज किया जाता है।

परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता की लंबित निर्धारण के आधार पर परियोजना पर अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत का भुगतान किया जाता है तथा उसे गैर मौजूदा परिसंपत्तियों के तहत एक अलग मत के रूप में प्रकट किया जाता है, जिसे बाद में कम लागत के संचित हानि/ प्रावधान के रूप में मापा जाता है।

एक बार साबित होने के बाद भंडार का निर्धारण एवं खानों/परियोजनाओं के विकास हेतु मंजूरी अन्वेषण एवं परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन पूंजीगत कार्य के तहत "विकास " में स्थानांतरित की गई है। हालांकि यदि यह साबित होता है कि भंडार का निर्धारण नहीं किया गया है तो अन्वेषण तथा मूल्यांकन की गई परिसंपत्तियों को अस्वीकृत किया जाएगा।

2.11 विकास व्यय –

जब प्रमाणित किये गए भंडार का निर्धारण किया जाता है एवं खान/परियोजनाओं के विकास हेतु स्वीकृति दी जाती है तो निर्माण के तहत पूंजीगत अन्वेषण एवं मूल्यांकन लागत को परिसम्पत्ति के रूप में जाना जाता है तथा

"विकास" शीर्ष के तहत पूंजीगत कार्य की प्रगति के घटक के रूप में प्रकट किया जाता है एवं सभी विकास हेतु व्यय पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त शुद्ध आय है।

वाणिज्यिक संचालन :

परियोजना/खानों को राजस्व में लाया जाता है; धारणीय आधार पर उत्पादन हेतु परियोजना/खान की वाणिज्यिक तत्परता, परियोजना प्रतिवेदन में विशेष रूप से वर्णित शर्तों या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है।

क) अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के आधार पर वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें कि परियोजना ने निर्धारित क्षमता का 25% उत्पादन प्राप्त किया है या

ख) कोयले के 2 साल के उत्पादन, या

ग) वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन मूल्य कुल मूल्य से ज्यादा हो,

जो भी घटना पहले हो।

राजस्व में लाये जाने पर "अन्य खनन आधारित संरचना" के नामकरण के तहत परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूंजीगत कार्य को सम्पत्ति घटक, संयंत्र एवं उपकरण के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया है। 20 वर्षों में राजस्व के तहत लाये गए खदान या चालित परियोजना जो भी कम हो, के वर्ष से अन्य खनन आधारित संरचना परिशोधित की जाती है।

2.12 अमूर्त परिसंपत्तियाँ -

प्राप्त अमूर्त परिसंपत्तियाँ लागत के प्रारम्भिक पहचान पर मापे जाते हैं। व्यापार संयोजन में प्राप्त अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत, अधिग्रहण तारीख पर उनका उचित मूल्य है। प्रारम्भिक मान्यता के अनुसार अमूर्त सम्पत्ति किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपयोगी कार्यकाल में प्रत्यक्ष आधार पर गणना की जाती है) एवं संचित नुकसान यदि कोई हो, पर खर्च किये जाते हैं।

पूंजीकृत विकास लागत को छोड़कर, आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त परिसंपत्तियों को पूँजीकृत नहीं किया जाता है। इसके अलावा संबंधित व्यय उस अवधि के हानि व लाभ के विवरण एवं व्यापक आय के रूप में पहचाने जाते हैं, जिसमें व्यय किया गया है। अमूर्त सम्पत्ति की उपयोगिता को सीमित/अनिश्चित काल के रूप में मूल्यांकित किया जाता है। सीमित उपयोगिता के साथ अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधित किया जाता है एवं जब भी संकेत मिले की अमूर्त सम्पत्ति में घाटा होगा, तभी इन कमियों का मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित होगा। परिशोधन अवधि एवं सीमित उपयोगी जीवन के साथ एक अमूर्त सम्पत्ति के लिए परिशोधन विधि की कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है। अपेक्षित उपयोगी जीवन या परिसंपत्तियों में अंकित भविष्य के आर्थिक लाभों के उपभोग को अपेक्षित पद्धति द्वारा परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने हेतु ध्यान में लाया जाता है एवं लेखांकन अनुमानों में उसे परिवर्तन के रूप में माना जाता है। अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधित व्यय को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया गया है।

एक अमूर्त परिसम्पत्ति उनके अनिश्चित उपयोगिता के साथ परिशोधित नहीं की जाती अपितु प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कमी हेतु उसका परीक्षण किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान न होने से उत्पन्न लाभ व हानि को शुद्ध निपटान आय एवं परिसंपत्ति की वर्तमान राशि में अंतर के रुप में मापा जाता है, जिसे कि लाभ व हानि में मान्यता प्राप्त है।

अंवेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को बेचने हेतु पहचाने गए ब्लॉक या बाहरी एजेंसियों को बेचने का प्रस्ताव प्रदान किया गया है (अर्थात, सीआईएल के निर्धारित नहीं किए गए ब्लॉक के लिए) तथा अमूर्त संपत्ति के रुप में उसे वर्गीकृत भी किया गया है एवं हानि के लिए परीक्षण भी किया गया है।

सॉफ्ट्वेयर की लागत को अमूर्त संपत्ति के रुप में मान्यता प्राप्त है, उपयोग करने हेतु कानूनी अधिकार की अवधि में प्रत्यक्ष रुप से या तीन साल से कम, इनमें से जो भी कम हो, को एक शून्य अवशिष्ट मूल्य के साथ परिशोधित किया जाता है ।

2.13 परिसंपत्तियों की हानि (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों में कमी का आंकलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। परिसंपत्तियों से प्राप्त राशि, परिसंपत्ति या उपयोगिता से उत्पन्न इकाई मूल्य एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों को निर्धारित करने हेतु निर्धारित मूल्य में वृद्धि की जाती है। जबतक परिसंपत्ति में नगदी प्रवाह नहीं की गई हो तो वह अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूह से स्वतंत्र होती है जिसमें नगद उत्पन्न इकाई परिसंपत्तियों से जुड़ी होती है, उसके लिए प्राप्त राशि निर्धारित की जाती है। हानि परीक्षण हेतु कंपनी व्यक्तिगत खदान के रुप में नकदी उत्पन्न इकाई पर विचार करती है।

यदि वर्तमान राशि परिसंपत्ति से प्राप्त अनुमानित राशि से कम हो तो वर्तमान परिसंपत्ति राशि को प्राप्त राशि से घटाया जाता है एवं हानि से हुई कमी को लाभ व हानि के विवरण में स्वीकार किया जाता है।

2.14 निवेश संपत्ति

परिसंपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) को किराया हेतु आयोजित या पूंजी अभिमूल्यन या दोनों उत्पादन में उपयोग या वस्तु व सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए या व्यापार के सामान्य कार्यप्रणाली में, विक्रय को निवेश की गई संपत्ति के रुप में वर्गीकृत किया गया है।

निवेश संपत्ति का आंकलन प्रारम्भिक रूप से इसके लागत के आधार पर किया जाता है तथा इससे संबन्धित लेनदेन लागत पर भी लागू किया जाता है ।

निवेशित सम्पत्तियों का मूल्य ह्रास विधि के तहत उनके प्रत्यक्ष उपयोगी जीवन पर आधारित होते हैं।

2.15 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन एक अनुबंध है जो कि परिसंपत्ति और किसी अन्य वित्तीय इकाई को देयता या इक्विटी उपकरण प्रदान करती है।

2.15.1 **वित्तीय परिसंपत्तियाँ -**

2.15.1 प्रारंभिक मान्यता और माप

लाभ या हानि एवं लेन-देन लागत के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों की लागत मामलों में सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक तौर पर उचित मूल्य पर आँका जाता है जो वित्तीय परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के कारण है। खरीददारी या वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री जो बाजार की जगह पर विनियमन या सम्मेलन द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की वितरण के लिए आवश्यक होती है, उन्हे व्यापार तिथि पर मान्यता प्राप्त है अर्थात वह तिथि जिसमें कंपनी की संपत्ति को खरीदने या बेचने की प्रतिबद्धता है।

2.15.2 आगामी माप

वित्तीय परिसंपतियों को आगामी माप हेतु चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

- ऋण उपकरणों पर परिशोधित लागत
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।
- लाभ-हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण, व्युत्पन्न और इक्विटी साधन।(एफ़वीटीपीएल)
- उचित मूल्य पर मापे गए ईक्विटी साधनों के माध्यम से अन्य व्यापक आय। (एफ़.वी.टी.ओ.सी.आई)।

2.15.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण साधन

निम्नलिखित दोनों शर्तों के पूरा होने के उपरांत ऋण साधन परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

क. परिसंपत्तियों को व्यापार मॉडल के अन्तर्गत बनाएं रखने का प्रावधान है, जिसका उद्देश्य परिसंपत्तियों के संविदात्मक नगदी का प्रवाह संग्रह करना है और

ख. नगदी प्रवाह की निर्दिष्ट तिथि पर परिसंपत्तियों के संविदात्मक शर्तों के तहत भुगतान किए गए मूल एवं ब्याज की राशि को बकाया राशि में सम्मिलित किया गया है।

प्रारंभिक माप के बाद प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग (ईआईआर) करते हुए ऐसे वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर या अभिगत प्रभावी ब्याज या शुल्क जिसपर ईआईआर के एक भाग के रूप में अधिग्रहण की कीमत पर व्यक्त होती है। ईआईआर वित्तीय आय के तहत लाभ और हानि के अंतर्गत परिशोधित होती है । लाभ व हानि में कमी के कारण हुई हानियों को स्वीकार किया

2.15.2.2 एफवीटीओसीआई में ऋण साधन :

अगर निम्नलिखित दोनों मानदंडों को प्राप्त कर लिया गया हो तो एफवीटीओसीआई में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को इस रुप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

क. संविदात्मक नगदी प्रवाह के संग्रह तथा वित्तीय परिसंपत्ति के विक्रय दोनों के द्वारा व्यापार मॉडल के उद्देश्य को प्राप्त किया गया।

ख. परिसंपत्ति संविदात्मक नगदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी के अंतर्गत शामिल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को उचित मूल्य पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर शुरू में मापा जाता है। उचित मूल्य संचार को अन्य विस्तृत आय में पहले से ही मान्यता प्राप्त है। वैसे कंपनी ने पी एंड एल में ब्याज आय, क्षति, नुकसान तथा बदलाव और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्तियों के गैर पहचान जो कि ओसीआई में पहचाने गए है को संचयी लाभ या नुकसान के तहत पी एंड एल के लिए इक्विटी में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज अर्जित होने पर अर्जित किये गए एफवीटीओसीआई डैब्ट इन्स्ड्रूमेंट को ब्याज में जिस एफआईआर तरीके का उपयोग किया जाता है एवं उसी रूप में उसे रिपोर्ट किया जाता है।

2.15.2.3 एफवीटीपीएल में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट:

डेब्ट इंस्ड्रूमेंट के लिए एफवीटीपीएल एक अवशिष्ट श्रेणी के रूप में है। कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो ऋण चुकाने की लागत या एफवीटीपीएल के रूप में श्रेणीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके साथ ही कंपनी एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित करने का चुनाव भी कर सकती है। जो एफवीटीपीएल में ऋण चुकाने की लागत तथा एफवीटीओसीआई के मानदंडों को पूरा करते हैं। वैसे ऐसे चुनाव की अनुमति सिर्फ तभी दी जाएगी जब ऐसा करना एक पहचाने गए असंगति को कम या समाप्त करने के लिए उचित हो। कंपनी ने एफवीटीपीएल में किसी डेब्ट इंस्ट्रूमेंट को नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल डेब्ट इंस्ड्रूमेंट को उचित मूल्य पर पी एंड एल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ मापा जाता है।

2.15.2.4 अनुषंगी, सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश:

भारतीय लेखांकन मानक 101(भारतीय लेखांकन मानक में प्रथम बार अंगीकरण) एवं पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि संक्रमण की तिथि में उल्लेखित लागत राशि के रूप में निर्धारित की जाएगी। बाद में अनुषंगियों, सहयोगियों एवं संयुक्त उद्यमों में निवेश किये गए मूल्य को मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणी से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 10 में विहित इक्विटी प्रणाली के अनुसार सहयोगियों तथा संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश की गणना की जाती है।

2.15.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सम्मेलित सभी अन्य इक्विटी निवेश के लाभ एवं हानि को उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी इक्विटी इन्स्ट्रुमेंट में परिवर्तन के उपरांत कंपनी उचित मूल्य में प्रस्तुत करने हेतु चुनाव कर सकती है। कंपनी ऐसा चुनाव इंसट्रुमेंट दर इंसट्रुमेंट के आधार पर करती है। वर्गीकरण आरंभिक पहचान करने हेतु की गई है जो कि अटल है।

अगर कंपनी एफवीटीओसीआई पर इक्विटी इंसट्रुमेंट को वर्गीकृत करने का निर्णय लेती है तब ओसीआई में पहचाने गए लाभांश को छोड़कर इंसट्रुमेंट पर सभी उचित मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। पी एण्ड एल से ओसीआई में यहां तक कि निवेश की राशि में भी कोई पुनरावृत्ति नहीं हुई है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानान्तरित कर सकती है।

पीएण्डएल में पहचाने गए सभी बदलावों के साथ उचित मूल्य पर एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को मापा जाता है।

2.15.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या जहां लागू हो, परिसंपत्ति के एक भाग या समान वित्तीय परिसंपत्ति का एक भाग) की मान्यता को प्राथमिक स्तर पर रद्द किया गया (जैसे तुलन पत्र से हटाया गया), जब

- परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो गया हो या
- कंपनी ने परिसंपत्तियों से नगद प्रवाह को प्राप्त करने के अधिकार को स्थानांतरित किया या प्राप्त नगद प्रवाह का भुगतान करने हेतु दायित्व निकासी व्यवस्था के अंतर्गत तीसरी पार्टी के लिए बिना सामग्री विलंब के ग्रहण किया गया हो और या तो

क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया गया है।

या

ख) कंपनी ने न तो हस्तांतरित किया है और न ही संपत्ति के सभी जोखिम और पुरस्कार को काफी हद तक बनाए रखा है लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण को स्थानांतरित अवश्य किया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से प्राप्त नगद प्रवाह पर अपने अधिकार को स्थानांतरित किया या निकासी व्यवस्था में प्रवेश किया तो यह मूल्यांकन हुआ कि इसने किस हद तक स्वामित्व के जोखिमों एवं पुरस्कारों को बरकरार रखा है। कंपनी ने न तो संपत्ति को हस्तांतरित किया, न ही संपत्ति के सभी पुरस्कारों व जोखिम को बनाए रखा और न ही उनके नियंत्रण को हस्तांतरित किया। जब कंपनी सतत भागीदारी को बनाए रखने तथा स्थानांतरित संपत्ति की पहचान रखने का प्रयास करती है, तो ऐसे मामलों में कंपनी भी एक सहयोगी देयता की पहचान करती है। स्थानांतरित संपत्ति तथा सहयोगी देयता को एक आधार पर मापा जाता है। कंपनी द्वारा उसके दायित्वों तथा अधिकारों को प्रतिबंधित किया जाता है। सतत भागीदारी जो कि संपत्ति पर प्रतिभूति के रूप में चिन्हित है जिसे संपत्ति के मूल तथा जारी राशि के आवश्यकतानुसार चुकाया जाता है, उसे निम्न स्तर पर मापा जाता है।

2.15.2.7 वित्तीय संपत्ति की हानि (उचित मूल्य को छोड़कर)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों तथा क्रेडिट जोखिमों के अनावरण के माप तथा उसमें हु ईहानि के लिए कंपनी अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) के मॉडल को लागू करती है।

क. वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है और जिनका मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है उदाहरणत: ऋण प्रतिभूति, व्यापार प्राप्त, बैंक बेलेन्स इत्यादि।

ख. वित्तीय परिसंपत्ति जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है तथा उसे एफवीटीओसीआई पर मापा जाता है।

ग. भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत प्राप्त पट्टे।

घ. प्राप्त पट्टे या नगद प्राप्त करने के लिए किसी भी अनुबंध का अधिकार या उस लेनदेन के परिणामस्वरुप अन्य वित्तीय सहमति जो कि भारतीय लेखांकन मानक 11 तथा भारतीय लेखांकन मानक 18 के क्षेत्र के अंतर्गत है।

हानि भत्ता की पहचान के लिए कंपनी ने निम्न सरल दृष्टिकोण का पालन किया-:

- प्राप्त कारोबार या अनुबंध राजस्व प्राप्त करने योग्य तथा
- भारतीय लेखांकन मानक 17 के अंतर्गत लेनदेन से प्राप्त सभी पट्टे।

सरलीकरण दृष्टिकोण के उपयोग से कंपनी को क्रेडिट जोखिमों में ट्रैक बदलाव को पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर इसके प्रारम्भिक पहचान से शुरू होकर जीवन पर्यंत अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएलएस) पर आधारित होती है।

2.15.3 वित्तीय देयताएँ –

2.15.3.1 आरंभिक पहचान तथा माप -

कंपनी की वित्तीय देयताएं व्यापार तथा अन्य ऋण देयताओं और उधार सहित बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करती है।

ऋण और उधार लेने के मामले में तथा विशेषकर लेनदेन की लागतों पर शुद्ध भुगतान करने हेतु वित्तीय देयताएँ प्रारम्भिक स्तर पर उचित मूल्य में दर्शायी जाती है।

2.15.3.2 आगामी माप (अनुवर्ती)

वित्तीय देयताओं की माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करती है जो कि नीचे वर्णित है।

2.15.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ –

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए आयोजित वित्तीय देयताओं में शामिल की जाती है, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित किया गया है। आयोजित रूप में वित्तीय देयताओं को तब वर्गीकृत किया जाता है जब वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के प्रयोजन के

लिए उपलब्ध हो। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा व्युत्पन्न डैब्ट इन्स्ट्रुमेंट को भी शामिल किया गया है। जिसे प्रतिरक्षा संबंध में प्रतिरक्षा इन्स्ट्रुमेंट के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, इसे भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार पारिभाषित किया गया है। सेपरेटेड इम्बेडेड डेरीवेटिवस को भी उस समय तक व्यापार के लिए आयोजित रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जबतक कि इन्हें प्रभावी प्रतिरक्षा उपकरण के रूप में चिन्हित नहीं किया जाता।

देयताओं पर लाभ या हानियों को व्यापार के लिए आयोजित लाभ या हानि के रूप में पहचाना गया है।

वित्तीय देनदारियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज किया गया है जैसा कि मान्यता की प्रारम्भिक तिथि पर नामित है तथा सिर्फ तब ही जब भारतीय लेखांकन मानक 109 के मानदंड संतुष्टीजनक पाये जाते हैं। एफवीटीपीएल में नामित देयताओं के निष्पक्ष मूल्य पर लाभ/हानि जो कि जोखिम ऋण में परिवर्तन के कारण है तथा इसे ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ हानियों को बाद में पी एंड एल में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देयताओं को उचित मूल्य पर अन्य सभी परिवर्तनों के साथ लाभ तथा हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है। कंपनी ने लाभ तथा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी वित्तीय देयताओं को नामित नहीं किया है।

2.15.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएँ –

प्रारम्भिक मान्यता के पश्चात इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर का उपयोग करते हु एपरिशोधित लागत पर मापा जाता है। जब प्रभावी ब्याज पर परिशोधन की प्रक्रिया द्वारा देयताओं को वापस लिया जाता है, तब लाभ या हानि में नफा या नुकसान को पहचाना जाता है। परिशोधित लागत का आंकलन, अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखते हु ए किया जाता है, जो कि प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न हिस्सा है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार लेने पर लागू होती है।

2.15.3.5 मान्यता वापस लेना

एक वित्तीय देयता की मान्यता को तब वापस लिया जाता है जब देयताओं के तहत दायित्व का निर्वहन रद्द या समाप्त हो गया हो। जब वित्तीय देयताओं को समान ऋणदाता के साथ विभिन्न शर्तों पर पुनःप्रतिस्थापित किया जाता है तब यह मौजूदा देयताओं के शर्तों को संशोधित करेगा, तत्पश्चात इस तरह के एक विनियम या संशोधन को मूल दायित्व की मान्यता और एक नई देयता की पहचान के रुप में माना जाएगा। किसी अन्य पार्टी को समझाए गए या हस्तांतरित किये गये वित्तीय लेनदेन राशि और उसमें से किसी भी हस्तांतरित परिसंपत्तियों या दायित्वों सहित भुगतान किए गए विचारों को लाभ व हानि के रुप में स्वीकार किया जाएगा।

2.15.4 वित्तीय देयताओं का पुनः वर्गीकरण:

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियां जो कि इक्विटी साधन एवं वित्तीय देनदारियां हैं पुनःवर्गीकृत किया जाएगा। वित्तीय देयताएं वे ऋण साधन हैं जिनका पुनःवर्गीकरण सिर्फ तभी किया जा सकता है जब उनके व्यावसायिक मॉडल की

परिसंपत्तियों में बदलाव किया जाए। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन आंतरिक और बाह्य बदलाव के परिणाम स्वरूप व्यापार मॉडल में परिवर्तन करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है और बाहरी पार्टियों के लिए स्वत: ही स्पष्ट है। व्यापार मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी महत्वपूर्ण संचालन हेतु कार्य को प्रारंभ या समाप्त करती है। कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को पुनः पेश करती है या पुन:वर्गीकृत करती है, जो कि व्यापार मॉडल में बदलाव के तुरंत बाद आगामी प्रतिवेदन का पहला दिन समझा जाता है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ, हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या ब्याज को पुन:वर्णित नहीं करती है।

निम्नलिखित सारणी पुन:वर्गीकरण विधि तथा उनकी जिम्मेदारियों को दर्शाते हैं-:

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रुप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुन:वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनः वर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य को मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप परिसंपत्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुन:वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीपीएल	परिसंपत्तियां उचित मूल्य पर ही मापी जाएंगी। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनः जमा करने की तिथि में पी एंड एल के रुप वर्गीकृत किया गया।

2.15.5 वित्तीय इंस्ट्रूमेंट साधन को पूरा करना:

वित्तीय संपत्ति तथा वित्तीय देयताएं को पूरा किया गया और समेकित तुलनपत्र में निवल राशि की सूचना दी गई अगर उसे मान्यता प्राप्त मात्रा में पूरा करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त हो तो संपत्ति को प्राप्त करने साथ ही साथ देयताओं के निपटान हेतु एक शुद्ध आधार पर समझौता करने का उद्देश्य है।

2.16 उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत के रूप में व्यय किए जाते हैं और जब इसके अलावा वे योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए विशेष रूप से योगदान दे रहे हैं, अर्थात वे संपत्तियां जो अपने आवश्यक उपयोग के लिए तैयार होने के लिए पर्याप्त जरूरी समय लेती हैं, उस स्थिति में जब वे उस संपत्ति की कीमत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत हो जाते हैं, जो उस योग्यता की संपत्ति के लिए अद्यतन होती है, जो उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार है।

2.17 कर निर्धारण:

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर नुकसान) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ ''आयकर से पहले लाभ'' से अलग होते है क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षो मे कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थायी करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देनदारियों को आमतौर पर मान्यता प्राप्त होती है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थायी अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर मान्यता प्राप्त है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थायी करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देनदारियों को उस अवधि तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि अस्थायी अंतर सद्भावना से या अन्य परिसंपत्तियों के प्रारंभिक मान्यता (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं

लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती है अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थाई अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को मान्यता प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर परिसंपत्तियों को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थायी अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अमान्यता प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों

का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक मान्यता दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देनदारियों व परिसंपत्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देनदारियों और परिसंपत्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें कंपनी को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्तियों और देनदारियों की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबन्धित मदों को छोडकर चालू और आस्थगित कर को क्रमशः उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया हैं। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारम्भिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

2.18 कर्मचारी लाभ

2.18.1 अल्पकालीन लाभ

कर्मचारियों के सभी अल्पावधि लाभ को उस अवधि में मान्यता प्राप्त होते हैं जिस अवधि तक वे खर्च किए जाते हैं।

2.18.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्य कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.18.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं:

भविष्य निधि एवं पेंशन के लिए पारिभाषित योगदान योजनाएं जो कि रोजगार पश्चात् प्राप्त होने वाली लाभ योजनाएं है, जिसके अंतर्गत कंपनी कानून के अधिनियमन के तहत् गठित एक अलग सांविधिक निकाय द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशियों के भुगतान हेतु कोई भी कानून एवं रचनात्मक दायित्व नहीं होता है। परिभाषित योगदान योजनाओं में बाध्यताओं को कर्मचारी हितलाभ व्यय के रूप में इस अवधि के लाभ हानि विवरणी में मान्यता दी गई है। इस अवधि में कर्मचारियों ने अपनी सेवा प्रदान की है।

2.18.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं-

एक निर्धारित योगदान योजना के अलावा यह एक रोजगार उपरांत लाभ योजनाहै। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं है। निर्धारित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत् आंकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की

दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं परिसंपत्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन है। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक बैलेंस शीट पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत परिसंपत्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देनदारियां के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनी को आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल निर्धारित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें परिसंपत्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा परिसंपत्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (परिसंपत्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरुप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत परिसंपत्तिओं में परिवर्तन करती है।

निर्धारित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है। जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.18.3 अन्य कर्मचारी हितलाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ योजनाएँ जैसे- एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, व्यवस्थापन भत्ता, सेवानिवृत्त के पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना तथा खान में हुई दुर्घटनाओं में मृतकों के आश्रितों के लिए रियायत आदि उपर्युक्त वर्णित परिभाषित लाभ योजना मान्यता प्राप्त है। इन लाभों में विशिष्ट निधिकरण नहीं है।

2.19 विदेशी मुद्रा

भारतीय रुपए आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मुद्रा होने के कारण कंपनी ने अपने मुख्य संचालनों के लिए मुद्रा एवं कार्यात्मक मुद्रा को भारतीय रूप में प्रतिवेदित किया है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए कंपनी ने विदेशी मुद्राओं में हुए लेनदेन को प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया है। प्रतिवेदित अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक संपत्ति

और देयताएं, प्रतिवेदित अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर बदली की जाती है। मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं का निपटान अवधि के दौरान प्रारंभिक पहचान पूर्व से परिवर्तित दर पर भिन्न मौद्रिक संपत्ति एवं देयताओं के दर में परिवर्तित होने के कारण होती है, इसे भिन्न विनिमय लाभ व हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

विदेशी मुद्रा में अंकित गैर मौद्रिक मदों को लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों में शामिल किया जाता है।

2.20 खर्च/समायोजन गतिविधि अलग करना

खुली खदान, खनन के मामलों में खदान के अनुपयोगी सामानों (ओवरबर्डन) जैसे मिट्टी एवं चट्टान को कोयला सीम के ऊपर से निकालना आवश्यक होता है ताकि कोयला एवं उसके निष्कर्षण को प्राप्त किया जा सके। खुली खदानों में कंपनी को खानों की सुरक्षा (तकनीकी रूप से अनुमानित) करने हेतु ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है।

इसलिए एक नीति के अंतर्गत प्रतिवर्ष 10 लाख टन की क्षमता के साथ खानों में स्ट्रिपिंग की लागत पर, स्ट्रिपिंग गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात विवरण के समायोजन पर एवं प्रत्येक खदान पर तकनीकी मूल्यांकन वाले औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबी:कोयला) के रूप में खर्च किया जाता है। खानों के बाद खाते को राजस्व में लाया जाता है।

स्ट्रिपिंग गतिविधियों के तहत् परिसंपत्ति एवं बैलेंस शीट की तिथि में अनुपात भिन्नता की कुल शेष राशि को गैर वर्तमान प्रावधान/अन्य गैर वर्तमान परिसंपत्तियों के शीर्ष के अंतर्गत स्ट्रिपिंग गतिविधि के समायोजन के रूप में अंकित किया जाता है।

रिकॉर्ड के अनुसार प्रतिवेदित अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा ओबीआर लेखांकन अनुपात जहां प्रतिवेदित मात्रा एवं मापी गई मात्रा में भिन्नता हो को दो वैकल्पिक अनुमेय सीमा के भीतर गणना हेतु ध्यान में लाया जाता है जैसा कि नीचे उल्लेखित है।

खान के ओबीआर का वार्षिक क्वांटम	विचलन की अनुमानित सीमाएं	
	I	II
	%	क्वांटम(मिलियन घन-मीटर में)
1 मिलियन घन-मीटर से कम	+/- 5%	0.03
1 से 5 मिलियन घन-मीटर के बीच	+/- 3%	0.20
5 मिलियन घन-मीटर से अधिक	+/- 2%	

जहां उपरोक्त भिन्नता मुनासिब सीमा से परे हो, तो वहां उसे मात्रा के रूप में माना जाएगा।

1 लाख टन से कम क्षमता वाले खानों के मामलों में उपरोक्त नीति लागू नहीं होगी और वर्ष के दौरान खर्च किये गए स्ट्रीपिंग गतिविधि के वास्तविक लागत को लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।

2.21 वस्तु सूची

2.21.1 कोयले का स्टॉक:

कोल/कोक की वस्तुसूची कम लागत और शुद्ध वसूली मूल्य पर दर्शायी जाती है। वस्तुसूची की लागत की गणना प्रथम बार प्रथम पद्धति के माध्यम से की जाएगी। शुद्ध प्राप्य मूल्य वस्तु की अनुमानित बिक्री मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है और बिक्री करने के लिए सभी आवश्यक लागत को पूर्ण भी करती है।

कोल आरक्षित स्टॉक खाते में यह माना जाता है कि जहां आरक्षित स्टॉक और मापी गई स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक हो या ऐसे मामलों में जहां अंतर +/-5% से अधिक हो वहां उसे मापा हुआ स्टॉक माना जायेगा। शुद्ध वास्तविक मूल्य या लागत में से जो भी कम हो, ऐसे स्टॉक मूल्यवान समझे जायेंगे।

कोयला, कोक फाइन कोयला और कोक जुर्माना कम लागत या शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उसे कोयला स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोल के भंडार स्लरी (कोकिंग/सेमी-कोकिंग) मध्यम स्तर के वाशरी और उनके उत्पाद शुद्ध वसूली मूल्य पर मूल्यवान होते हैं और उन्हें कोल स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.21.2 भंडार और पुर्जे

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडार में भंडार और स्पेयर पार्ट्स (जिसमें कमजोर उपकरण भी शामिल हैं) के स्टॉक की कीमत स्टोर लेजर के रूप में मानी जाती है एवं औसत विधि के आधार पर उसके मूल्य की गणना महत्वपूर्ण होती है। भंडारों और स्पेयर पार्ट्स की सूची में कोयला खदानों/ उप-भंडार/डीलिंग कैंप/उपभोक्ता केंद्रों को वर्ष के अंत तक केवल भौतिक रूप से सत्यापित स्टोर के अनुसार मूल्यवान समझा जायेगा।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित भंडार और पुर्जों के लिए 100% की दर से एवं विगत 5 वर्षों से जो भंडार व पुर्जे उपयोग में नहीं लाये गए हैं उनके लिए 50% की दर का प्रावधान बनाया गया।

2.21.3 अन्य वस्तु सूची

कार्यशाला के कार्यों का मूल्यांकन उनके कार्य की प्रगति पर निर्धारित होती है। प्रेस कार्य का स्टॉक (कार्य प्रगति के साथ) मुद्रण प्रेस में स्टेशनरी और केंद्रीय अस्पताल में दवाओं की लागत मूल्य पर निर्धारित होती है।

हालांकि स्टेशनरी (प्रिंटिंग प्रेस में लाने के अलावा) ईंटों ,रेत, दवाइयों (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर) विमान के पुर्जों और स्क्रैप आदि को सूची में उल्लेखित नहीं किया जाता है क्योंकि उनका मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होता।

2.22 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

प्रावधान तब मान्यता प्राप्त हो जाते हैं जब कंपनी की पिछली घटना के परिणाम स्वरुप वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त होती है और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों की आवश्यकता होनी आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक बैलेंस शीट पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव ना हो कि आर्थिक लाभों का आउटफ्लो आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया जा सके तो दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व को केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देनदारियों के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के आउटफ्लो की संभावना रिमोट नहीं होती।

प्रासंगिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं है। हालांकि जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित होती है, तो संबंधित कोई भी संपत्ति आकस्मिक संपत्ति नहीं होती है और ये मान्यता यथोचित होती है।

2.23 उपार्जित शेयर

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ से विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती है।

2.24 निर्णय, आंकलन और धारणाएं

इंडस्ट्रीज के साथ वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए प्रबंधन की आवश्यकता होती है। लेखांकन नीतियों को निर्णय और धारणाएं प्रभावित करती है और परिसंपत्तियों और देनदारियों पर रिपोर्ट की गई राशि आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा करती है और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों से जुड़े लेखा नीतियों के आवेदन को वित्तीय विवरणों में उद्घृत किया जाता है। लेखांकन परिणाम समय - समय पर परिवर्तित होते रहते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित लागत से भिन्न होते हैं। अनुमान के आधार पर इनकी निरंतर समीक्षा की जाती है और समयानुरूप लेखा अनुमानों का पुनर्निरीक्षण एवं उनका संशोधन भी किया जाता है। सामग्रीयों को उनके वित्तीय विवरणों के नोट्स में प्रभावी रूप से प्रकट किए जाते हैं।

2.24.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित फैसले लिए हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रकाश वित्तीय वक्तव्यों में मान्यता प्राप्त राशियों पर डाला गया है:

2.24.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण -

लेखांकन नीतियां ऐसे वित्तीय वक्तव्य हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

क. उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख. वित्तीय विवरणियों में विश्वसनीयता :

I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।

Ii. आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियां अवैध रूप से प्रतिबिंबित है।

Iii. तटस्थ है अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त,

Iv. मितव्ययी, तथा

V. सभी सामग्रियां पूर्ण रुप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और परिसंपत्तियां, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जो कि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी खनन क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां अन्वेषण, मूल्यांकन, उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती है) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग संचालन की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ –साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भरतीय लेखांकन मानक 8 के विकास का विशेष रुप से ध्यान दिया जाता है। वित्तीय विवरणियों को लेखांकन के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.24.1.2 सामग्रियाँ –

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते है कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामाग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामाग्री का आंकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी

अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

2.24.1.3. परिचालन पट्टा –

कंपनी ने पट्टा समझौते को अपनाया है। कंपनी शर्तों और निबंधन समझौते के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित करती है कि पट्टे आर्थिक जीवन के वाणिज्यिक संपत्ति का मुख्य भाग और परिसंपत्ति के उचित मूल्य के रूप में गठित नहीं किए जा सकते हैं, ताकि जो बरकरार है वे सभी महत्वपूर्ण जोखिमों, स्वामित्व और परिचालन पट्टे को अनुबंध खाते में रखे जा सके।

2.24.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी भविष्य और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों कि मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधर पर समेकित वित्तीय वक्तव्यों को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

2.24.2.1 गैर वित्तीय सम्पत्तियों की हानि –

हानि के संकेत हैं, यदि परिसंपत्तियों या नगदी का वहन मूल्य वसूली राशि से अधिक हो तो वे मूल्य उपयोगी होंगे, जो अपने निष्पक्ष मूल्य के निपटान मूल्य के न्यूनतम लागत पर निर्धारित किए जायेंगे। कंपनी प्रत्येक खानों को अलग-अलग नगद बनाने वाली ईकाइयों के रूप में मानता है। उपयोग की जाने वाली गणक मान डीसीएफ मोडल पर आधारित होती है। नगदी प्रवाह को अगले पाँच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त किया जाता है और जिसमें पुनर्गठन की गतिविधियां शामिल नहीं की जाती, जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है एवं जिसमें सीजीयू की परिसंपत्तियों के प्रदर्शनों का भविष्य में उपयोग किया जा सके। वसूली राशि संवेदनशील होती है जो कम दर पर डीसीएफ मॉडल के साथ-साथ अपेक्षित भावी नगदी और प्रविष्टि प्रयोजन के विकास दर को बढ़ाती है। यह अनुमान अन्य खनन के बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए प्रमुख मान्यताओं का वर्णन किया गया है और जिसे आगे संबन्धित टिप्पणियों में भी वर्णित किया गया है।

2.24.2.2 कर

अस्थायी परिसंपत्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक मान्यता प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर परिसंपत्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.24.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा –

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती है, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती है। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की मान्यताओं में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए

उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी बॉन्ड के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.24.2.4. वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप –

जब तुलन पत्र में दर्ज वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्य को सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर मापा नहीं जा सकता, तो उनका उचित मूल्य डीसीएफ मॉडल के साथ आम तौर पर स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके मापा जाता है। जहां तक संभव हो इन मॉडलों को बाजार से लिया जाता है। परंतु जहां तक संभव ना हो, वहाँ उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए निर्णायक परिणामों की आवश्यकता पड़ती है। निर्णय में नगदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट जैसे विचाराधीन निवेश शामिल होते हैं। धारणाओं में परिवर्तन और अनुमानित ऐसे कारक वित्तीय रिपोर्ट में दिये गए उचित मूल्य को प्रभावित करते हैं।

2.24.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां –

कंपनी ने लेखांकन नीति के अनुसार अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोग परियोजना के विकास के लिए किया है। आम तौर पर जब परियोजना की रिपोर्ट तैयार की जाती है, तब निर्णयों के आधार पर प्रबंधन द्वारा प्रारम्भिक पूँजी लागत की तकनीक और आर्थिक व्यवहार को स्वीकार किया जाता है।

2.24.2.6. खानों को बंद करने, साइट पुन: स्थापना व डिकमीशनिंग दायित्वों के लिए प्रावधान

खदानों को बंद करने के लिए उचित कारणों का होना अनिवार्य है। साइट पुन: स्थापना और डिकमीशनिंग दायित्व निम्न छूट दर पर प्राप्त होती है। साइट पुन: स्थापना और निराकरण अपेक्षित समय पर एवं अपेक्षित लागत के अनुरूप होते हैं। कंपनी परियोजना/खानों में डीसीएफ पद्धति को चलाने का प्रावधान करती है।

- कोल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट, के अनुसार अनुमानित लागत प्रति हेक्टर होगी।
- छूट दर(प्रति कर दर) जो की समय के वर्तमान मूल्यों के मूल्यांकन और देनदारियों के लिए वर्तमान बाजार द्वारा किए गए आंकलन को दर्शाती है।

2.24 **संक्षेपों का प्रयोग**

क.	CGU	नगद उत्पाद इकाई (Cash generating unit)
ख.	DCF	रियायती नगद प्रवाह (Discounted Cash Flow)
ग.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Other Comprehensive Income)
घ.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (Fair value through Profit & Loss)
ङ.	GAAP	सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्त (Generally accepted accounting principal)
च.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक (Indian Accounting Standards)
छ.	OCI	अन्य व्यापक आय(Other Comprehensive Income)
ज.	P&L	लाभ और हानि (Profit and Loss)
झ.	PPE	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (Property, Plant and Equipment)
ञ.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान (Solely Payment of Principal and Interest)
ट.	EIR	प्रभावी ब्याज दर (Effective Interest Rate)

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 3 :संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों

(₹ करोड़ में)

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	निर्माण (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य खनन आधार संरचना	परिसंपत्तियों का सर्वे ऑफ	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
01.04.2015 के अनुसार	30.29	1,850.18	318.67	315.71	682.62	19.89	57.79	11.44	7.77	13.26	-	161.26	7.76	-	3,476.64
परिवर्धन	-	287.85	-	14.73	100.38	3.41	27.14	2.58	4.63	2.41	-	8.17	1.08	-	452.38
विलोपन / समायोजन	-	-3.22	-	-2.35	-5.19	-0.01	-0.07	-0.56	-0.84	-0.17	-	-0.11	-1.05	-	-13.57
31 मार्च 2016 के अनुसार	30.29	2,134.81	318.67	328.09	777.81	23.29	84.86	13.46	11.56	15.50	-	169.32	7.79	-	3,915.45
01 अप्रैल 2016 के अनुसार	30.29	2,134.81	318.67	328.09	777.81	23.29	84.86	13.46	11.56	15.50	-	169.32	7.79	-	3,915.45
परिवर्धन	0.03	510.34	-	52.86	139.56	1.81	16.54	2.63	3.86	0.63	-	46.04	9.42	-	783.72
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-0.06	-8.48	-	-	0.04	-0.14	-	-	0.45	-0.82	-	-9.01
31 मार्च 2017 के अनुसार	30.32	2,645.15	318.67	380.89	908.89	25.10	101.40	16.13	15.28	16.13	-	215.81	16.39	-	4,690.16
संचित मूल्यह्रास और हानि															
01 अप्रैल 2015 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	78.84	41.01	9.70	160.23	4.74	6.75	1.85	3.21	2.09	-	14.16	0.62	-	323.20
हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	-	-	0.43
विलोपन / समायोजन	-	-1.24	-	-0.14	-1.59	-0.01	-	-0.30	-0.52	-0.03	-	-1.14	-0.09	-	-5.06
31 मार्च 2016 के अनुसार	-	77.60	41.01	9.56	158.64	4.73	6.75	1.55	2.69	2.06	-	13.45	0.53	-	318.57
01 अप्रैल 2015 के अनुसार	-	77.60	41.01	9.56	158.64	4.73	6.75	1.55	2.69	2.06	-	13.45	0.53	-	318.57
वर्ष के लिए शुल्क	-	96.46	41.01	16.26	160.17	4.40	9.10	1.82	4.10	2.29	-	15.59	5.62	-	356.82
हानि	-	-	-	-	1.60	-	-	-	-	-	-	0.56	-	-	2.16
विलोपन / समायोजन	-	-	-	0.02	12.96	0.22	0.01	0.76	-1.20	0.01	-	0.47	-	-	13.25
31 मार्च 2017 के अनुसार	-	174.06	82.02	25.84	333.37	9.35	15.86	4.13	5.59	4.36	-	30.07	6.15	-	690.80
नेट कायरिंग अमोंट															
31 मार्च 2017 के अनुसार	30.32	2,471.09	236.65	355.05	575.52	15.75	85.54	12.00	9.69	11.77	-	185.74	10.24	-	3,999.36
31 मार्च 2016 के अनुसार	30.29	2,057.21	277.66	318.53	619.17	18.56	78.11	11.91	8.87	13.44	-	155.87	7.26	-	3,596.88
01 अप्रैल 2015 के अनुसार	30.29	1,850.18	318.67	315.71	682.62	19.89	57.79	11.44	7.77	13.26	-	161.26	7.76	-	3,476.64

01.04.2015 को आईएनएसएएस और पिछला जीएएपी के अनुसार वहन मूल्य का समाधान

	फ्रीहोल्ड भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / साइट पुनर्स्थापना लागत	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	दूरसंचार	रेलवे साईडिंग	फर्नीचर व फिक्सचर	कार्यालय उपकरणों	वाहन	हवाई-जहाज	अन्य खनन की आधारिक संरचना	परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:															
01 अप्रैल 2015 के अनुसार	30.29	2,299.16	460.69	511.34	2,455.36	36.50	164.51	38.87	37.83	32.37	-	486.91	19.40	-	6,573.23
संचित मूल्यह्रास और हानि															
01 अप्रैल 2015 के अनुसार	-	448.98	142.02	195.63	1,772.74	16.61	106.72	27.43	30.06	19.11	-	325.65	11.64	-	3,096.59
नेट कायरिंग अमोंट राशि	30.29	1,850.18	318.67	315.71	682.62	19.89	57.79	11.44	7.77	13.26	-	161.26	7.76	-	3,476.64

टिप्पणी

1. भूमि- अन्य में कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण, और विकास) अधिनियम 1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 के अंतर्गत अधिगृहीत भूमि भी सामील है ।

2. पट्टे धारक भूमि में कोयला धारण क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम,1957 तथा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984, ओड़िशा सरकार भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत कोयला असर क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम 1957 के तहत भूमि के स्वामीत्व को उस हद तक स्थानांतरित करने के लिए अधिनियम के आधार पर पंजीकृत किया गया है । जसके लिए स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त किया गया है । भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 ओड़िशा सरकार भूमि निपटाना अधिनियम 1962 को राज्य प्राधिकारी द्वारा अधिकार प्रमाणित होने पर पंजीकृत किया गया है ।

3. अधिकांश मामलो में भूमिका कन्वेयस डीड कंपनी के पक्ष में लंबित है ।

4. कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत मूल्यह्रास से संबंधित जानकारी प्रदान की गई है हलकि परिसंपातियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन की सहायता ली गई कंपनी अधिनियम 2013 की अनिसूची II के अनुसार भिन्न तरह की संपातियों के लिए उनकी उपयोगिता के अनुसार उनका मूल्यह्रास किया गया ।

6. वर्तमान विक्रय वर्ष के दौरान सपति संयंत्र और उपकरणों के संबंध मेन में ₹ 2.16 करोड़ जो हानि हुये उसका भुगतान लाभ और हानि के विवरण के तहत किया गया ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 4 : कैपिटल वैप

(₹ करोड़ में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:						
01.04.2015 के अनुसार	146.92	262.94	43.60	205.27	-	658.73
परिवर्धन	112.71	126.91	1.36	64.43	-	305.41
पूंजीकरण / विलोपन	-15.01	-40.39	-3.54	-36.61	-	-95.55
31।मार्च 2016 के अनुसार	244.62	349.46	41.42	233.09	-	868.59
						-
01.04.2016 के अनुसार	244.62	349.46	41.42	233.09	-	868.59
परिवर्धन	93.19	196.90	42.28	916.25	0.20	1,248.82
पूंजीकरण / विलोपन	-84.09	-91.28	-7.67	-4.66	-	-187.70
31।मार्च 2017 के अनुसार	253.72	455.08	76.03	1,144.68	0.20	1,929.71
						-
प्रावधान और हानि						-
01.04.2015 के अनुसार	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-	2.02	-	-	-	2.02
हानि	-	9.87	-	-	-	9.87
पूंजीकरण / विलोपन	-	-0.01	-	-	- -	0.01
31 मार्च 2016 के अनुसार	-	11.88	-	-	-	11.88
						-
01.04.2016 के अनुसार	-	11.88	-	-	-	11.88
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.77	-	-	-	0.77
हानि	-	2.88	-	-	-	2.88
पूंजीकरण / विलोपन	-	-1.26	-	-	-	-1.26
31।मार्च 2017 के अनुसार	-	14.27	-	-	-	14.27
						-
निवल वहन राशि						-
31।मार्च 2017 के अनुसार	253.72	440.81	76.03	1,144.68	0.20	1,915.44
31 मार्च 2016 के अनुसार	244.62	337.58	41.42	233.09	-	856.71
01.04.2015 के अनुसार	146.92	262.94	43.60	205.27	-	658.73

01.04.2015 को आईएनएसएएस और पिछला जीएएपी के अनुसार वहन मूल्य का समाधान

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्विर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साइडिंग	विकास	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:						
01.04.2015 के अनुसार	147.01	275.66	43.60	205.27	-	671.54
प्रावधान और हानि						
01.04.2015 के अनुसार	0.09	12.72	-	-	-	12.81
निवल वहन राशि	146.92	262.94	43.60	205.27	-	658.73

1.संयंत्र एवं मशीनों के मद के मामलों मेन स्थापना लंबित खाते के कारण जिन्हे संयंत्र एवं मशीनों में रखा गया है इनके मूल्यहास्य के समतुल्य का प्रावधान ताए यथा आवश्यक बट्टेखाते डालने के लिए कार्रवाई की जाती है । यदि संयंत्र एवं मशीन के कुल मद बाद में प्रयोग के लिए रखा जाता है जैसे प्रावधान करने के पश्चात प्रथम वर्ष के प्रयोग के बाद किए गए मूल्यहास वर्ष के लिए मूल्यहास है इसके अलावे मद के लिए लेखांकन समंजन के साथ प्रावधान मूल्यहास और इस प्रावधान के बीच है 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹ 0.77 करोड़ प्रावधान इस लेखा में किया गया है ।

2. उपरोक्त शीर्ष में खनन आधारभूत संरचना के तहत ईनेबलिंग परिसंपत्ति अर्थात रेलवे ट्रेक के लिए ₹ 821.01 करोड़ का प्रावधान किया गया ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 5 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
सकल वहन राशि:	
01.04.2015 के अनुसार	133.38
परिवर्धन	10.12
विलोपन / समायोजन	-2.59
31 मार्च 2016 के अनुसार	140.91
01.04.2016 के अनुसार	140.91
परिवर्धन	5.22
विलोपन / समायोजन	-19.69
31 मार्च 2017 के अनुसार	126.44
प्रावधान और हानि	
01.04.2015 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
पूंजीकरण / विलोपन	-
31 मार्च 2016 के अनुसार	-
01.04.2016 के अनुसार	-
वर्ष के लिए शुल्क	-
हानि	-
पूंजीकरण / विलोपन	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	
31 मार्च 2017 के अनुसार	126.44
31 मार्च 2016 के अनुसार	140.91
01.04.2015 के अनुसार	133.38

01.04.2015 को आईएनएसएएस और पिछला जीएपी के अनुसार वहन मूल्य का समाधान

सकल वहन राशि:	
01.04.2015 के अनुसार	133.38
प्रावधान और हानि	
01.04.2015 के अनुसार	-
निवल वहन राशि	133.38

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 6 : अन्य असंगत संपत्ति

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेर	कोल ब्लॉक विक्रय के लिए	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:				
01.04.2015 के अनुसार	-	4.91	-	4.91
परिवर्धन	0.38	-	-	0.38
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2016 के अनुसार	0.38	4.91	-	5.29
01.04.2016 के अनुसार	0.38	4.91	-	5.29
परिवर्धन	0.22	-	-	0.22
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	0.60	4.91	-	5.51
परिशोधन और हानि				
01.04.2015 के अनुसार	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क	-0.09	-	-	-0.09
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2016 के अनुसार	-0.09		-	0.09
01.04.2016 के अनुसार	-0.09	-	-	-0.09
वर्ष के लिए शुल्क	0.16	-	-	0.16
परिवर्धन	-	-	-	-
विलोपन / समायोजन	-	-	-	-
31 मार्च 2017 के अनुसार	0.07			0.07
निवल वहन राशि				
31 मार्च 2017 के अनुसार	0.53	4.91	-	5.44
31 मार्च 2016 के अनुसार	0.47	4.91	-	5.38
01.04.2015 के अनुसार	-	4.91	-	4.91

01.04.2015 को आईएनएसएएस और पिछला जीएपी के अनुसार वहन मूल्य का समाधान

सकल वहन राशि:				
01.04.2015 के अनुसार	2.67	4.91	-	7.58
परिशोधन और हानि				
01.04.2015 के अनुसार	2.67	-	-	2.67
निवल वहन राशि	-	4.91	-	4.91

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7 : निवेश
गैर चालू

(₹ करोड़ में)

	प्रतिशत (%) होल्डिंग	शेयरों की संख्या वर्तमान अवधि/ (गत वर्ष)	अंकित मूल्य प्रति शेयर की वर्तमान/ (गत	के अनुसार 31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015 (पुनःघोषित)
गैर व्यापार (उद्धत)						
सुरक्षित बांड में						
7.55 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त 2021 सीरीज 79 बॉंड	-	20000/(20000)	100000/ (100000)	200.00	200.00	200.00
8% सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉंड	-	1087537/ (1087537)	1000/ (1000)	108.75	108.75	108.75
7.22 % सुरक्षित अपरिवर्तित आईआरएफसी कर-मुक्त बॉंड	-	4999/(4999)	1000100/ (1000100)	499.95	499.95	499.95
7.22 % सुरक्षित प्रतिदेय आरईसी कर-मुक्त बॉंड	-	1500000/ (1500000)	1000/ (1000)	150.00	150.00	150.00
कुल :				**958.70**	**958.70**	**958.70**
उद्धृत निवेश की कुल राशि						
उद्धृत निवेश की कुल राशि				**958.70**	**958.70**	**958.70**
उद्धृत निवेश की बाजार मूल्य				**995.19**	**993.69**	**978.68**
मूल्य एवं निवेश में कुल राशि की हानि				-	-	-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 7(ii)

निवेश
चालू

(₹करोड़ में)

	इकाइयों की संख्या वर्तमान अवधि / (गत वर्ष)	एनएवी (₹ में)	के अनुसार 31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015 (पुनःघोषित)
व्यापार अनुद्दत					
म्यूचुअल फ़ंड में निवेश					
केनारा रोबेको लिक्विड फंड	69617.11/ (666335.16)	1,005.50	7.00	67.00	25.00
एसबीआई प्रीमियर लिक्विड फंड	1026663.34/ (8871168.70)	1,003.25	103.00	890.00	101.00
यूटीआई मनी मार्केट फंड	902451.20/ (3462666.06)	1,019.45	92.00	353.00	79.00
यूनियन केबीसी	0/ (349772.44)	1,000.65	-	35.00	20.00
व्यापार(अनुद्धत)					
8.5% कर-मुक्त विशेष बॉड (पूर्ण प्रदत्त) (विविध ऋणियों की प्रतिभूति पर)					
महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड			-	-	11.38
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड			-	-	11.32
कुल :			**202.00**	**1,345.00**	**247.70**
उद्धत निवेश का योग			-	-	
उद्धत निवेश की कुल राशि			202.00	1,345.00	247.70
उद्धत निवेश की बाजार मूल्य			202.04	1,346.31	225.60
मूल्य एवं निवेश में कुल राशि की हानि			-	-	-

टिप्पणी :उपरोक्तानुसार गैर-व्यापार(उद्धृत) म्यूचूअल फंड का प्रति यूनिट एनएव्ही अंकित मूल्य के बराबर हैं।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 8 :ऋण

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार					
	31.03.2017		31.03.2016		01.04.2015 (पुनःघोषित)	
गैर-चालू						
संबंधित पार्टी को ऋण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1,200.00		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान	-	1,200.00		-		
कर्मचारियों के लिए ऋण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1.06		1.24		1.74	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		1.06		1.24		1.74
अन्य ऋणo be specified in note)						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		0.00		0.00		
कुल		**1,201.06**		**1.24**		**1.74**
वर्गीकरण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		1.06		1.24		1.74
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया		1,200.00		-		-
- संदेहास्पद		-		-		-
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		-		-		-
चालू						
संबंधित पार्टियों को ऋण						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		-		-		-
अन्य ऋणo be specified in note)						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	0.32		0.47		0.44	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		0.32		0.47		0.44
अन्य ऋणo be specified in note)						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- संदेहास्पद	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		-		-		-
कुल		**0.32**		**0.47**		**0.44**
वर्गीकरण						
- सुरक्षित, जिसे अच्छा समझा गया		0.32		0.47		0.44
- असुरक्षित, जिसे अच्छा समझा गया		-		-		-
- संदेहास्पद		-		-		-
घटाव: संदेहास्पद ऋण के लिए प्रावधान		-		-		-

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017		31.03.2016		01.04.2015 ((पुनःघोषित)	
गैर चालू						
बैंक में जमा		2.56		139.69		139.56
खदान बंदी योजना के तहत - बैंक में जमा		696.75		529.63		425.42
खदान बंदी खर्च के लिए एस्क्रो लेखा से प्राप्य		0.57		-		-
अन्य जमा (to be specified in note)	33.11		29.75		29.60	
घटाव: संदेहास्पद जमाओं हेतु प्रावधान	-	33.11	-	29.75	-	29.60
अन्य प्राप्तिया	0.16		0.16		0.16	
घटाव: प्रावधान	0.16	-	0.16	-	0.16	-
कुल		732.99		699.07		594.58

टिप्पणी:

1.कोयला मंत्रालय, भारत सरकार तथा बाद में कोयला नियंत्रक के साथ हुए करार के शर्तो के अनुसार आधिसूचित बैंक में 3 माह से अधिक अवधि तक ₹ 696.75 करोड़ की पूर्णता तक खनन निस्पादिता एसक्रो एकाउंट में जमा होता है ।

2. बैंक में जमा ₹ .1.79 करोड़ जिनमें ब्याज की राशि ₹1.21 करोड़ है वह विसिष्ट शर्तो के अनुसार जमा है जो जिला कोर्ट सुंदरगढ़ के अंतर्गत विचारधीन है जिसे एक अधिकारी द्वारा विचार किया गया है और कोर्ट द्वारा जबतक अंतिम निर्देश आ जाता तबतक इस राशि की निकशी नहीं की जा सकती ।

3.बैंक में जमा जिसमें ₹ 0.03 करोड़ समाविष्ट है उसे बीजी के लिए मोबाइल रेडियो, जिसकी आपूर्ति दूर संचार विभाग भारत सरकार करता है और ओआईटीडीएस के प्रयोजन हेतु इसे जारी किया जाता है ।

4. बैंक में जमा ₹ 0.74 करोड़ एमआईएमएसआर के लिए टीएएमडीए को जारी किया जाता है जो संस्थान निर्माण योजना हेतु प्राप्त अनुमोदन से वहाँ किया जाता है ।

(₹ करोड़ में)

5.अन्य जमा :-	31.03.2017	31.03.2016	01.04.15
विद्युत आपूर्ति उपक्रम	31.66	28.20	28.05
सुरक्षा एवं अन्य जमा	0.06	0.14	0.14
पी अँड टी विभाग	0.03	0.03	0.03
गैस कंपनी एवं अन्य के साथ जमा	0.61	0.63	0.63
ओडिशा के जल संसाधन विभाग को आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया (एमबीपीएल)	0.75	0.75	0.75
	33.11	29.75	29.60

टिप्पणी - 9 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार					
	31.03.2017		31.03.2016		01.04.2015 ((पुनःघोषित)	
चालू						
सीआईएल के साथ अधिशेष फंड		53.94		347.81		556.36
खदान बंदी खर्च के लिए एस्क्रो लेखा से प्राप्त		-		-		-
समेकित खातों के साथ चालू खाता		(0.00)		-		-
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		300.00				
ब्याज पर अर्जित						
- निवेस		31.29		33.17		33.29
- बैंक में जमा		570.77		487.96		559.49
- अन्य		2.78		2.17		2.59
अन्य जमा (to be specified in note)	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद जमाओं हेतु प्रावधान	- -	-	-	-	-	-
प्राप्य दावा	0.30		0.51		0.51	
घटाव: संदेहास्पद जमाओं हेतु प्रावधान	-	0.30		0.51		0.51
अन्य प्रात्य	2.82		2.37		1.13	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	2.82	-	2.37	-	1.13
कुल		**961.90**		**873.99**		**1,153.37**

टिप्पणी:

	31.03.2017	31.03.2016	₹ करोड़ में 01.04.15
2.जमा पर अर्जित ब्याज अन्य विद्युत उपक्र	2.78	2.17	2.59

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 10 : अन्य गैर चालू परिसंपत्तियाँ

(₹करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017		31.03.2016		01.04.2015 (पुनःघोषित)	
(i) पूंजीगत अग्रिम	374.46		933.46		646.25	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.55	373.91	0.55	932.91	0.55	645.70
(ii)पूंजीगत विकास के अलावा अन्य अग्रिम						
(क)उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	0.01		-		-	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	0.01	-	-	-	-
(ख) अन्य जमा (to be specified in note)	8.59		7.68		7.63	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	8.59	0.00	7.68	0.00	7.63
(ग)संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-		-
(घ) राजस्व के लिए अग्रिम	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-
(ङ)खोजी ड्रिलिंग कार्य	-		-		-	
घटाव: प्रावधान	-	-	-	-	-	-
(च) खर्च पूर्व भुगतान		0.07				
(छ) अन्य						
कुल		382.58		940.59		653.33

टिप्पणी

वर्गीकरण

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
असुरक्षित - जिसे अच्छा समझा गया	382.03	940.04	652.78
-संदेहास्पद माना जाता है	0.55	0.55	0.55

अन्य जमा जिसमें ₹ 6.33 करोड़ न्यायालय के पास जमा और ₹ 2.26 करोड़, सरकारी प्राधिकारी के पास जमा ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी-11 :अन्य चालू परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017		31.03.2016		01.04.2015 (पुनःघोषित)	
(क) राजस्व के लिए अग्रिम	227.86		336.92		197.46	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	2.16	225.70	2.10	334.82	2.10	195.36
(ख) वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	27.99		48.29		13.21	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	-	27.99	-	48.29	-	13.21
(ग) संबंधित पार्टियों को अग्रिम		-		-		-
(घ) कर्मचारियों के लिए अग्रिम	5.66		48.71		65.75	
घटाव: संदेहास्पद अग्रिम हेतु प्रावधान	0.03	5.63	-	48.71	-	65.75
(ङ) अन्य-अग्रिम (to be specified in note)	-		-		-	
घटाव: संदेहास्पद दावा हेतु प्रावधान	-	-	-	-	-	-
(च) उपयोगिताओं के लिए जमा	-		-		-	
घटव:प्रावधान	-	-	-	-	-	-
(छ) अन्य-जमा pecified in note)	684.72		1258.58		2174.14	
घटाव: प्रावधान	-	684.72	-	1258.58	-	2174.14
(ज) केनवट क्रेडिट प्राप्य		74.65		34.20		27.89
(झ) मैट क्रडिट एंटाईटलमेंट		-		-		-
(ञ) खर्च पूर्व भुगतान		12.86		16.36		14.80
(ट) अन्य - प्राप्तियों	0		-		-	
घटाव: प्रावधान	0	-	-	-	-	-
कुल		**1,031.55**		**1,740.96**		**2,491.15**

टिप्पणी:

1 अन्य जमा:

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
विरोध के तहत बिक्री कर जमा	43.86	43.60	27.46
विरोध के साथ कैंद्रीय उत्पाद शुल्क जमा	2.88	2.87	142.80
विरोध के साथ सेवा कर एवं उसपर ब्याज जमा	0.26	0.26	0.26
विरोध के साथ सेवा कर पर जुर्माना जमा	0.04	0.04	0.04
विरोध के साथ जल सेस / प्रभारजमा	-	50.24	50.24
विरोध के साथ आय कर जमा	637.68	1,161.57	1,953.34
	684.72	1,258.58	2,174.14

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 12 :वस्तुसूची

(प्रबंधन द्वारा लिया गया, मूल्यवान एवं प्रमाणित)

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017		31.03.2016		01.04.2015 (पुनःघोषित)	
(क) कोयले का भंडार	254.70		346.82		386.79	
विकासाधीन कोयला	-		-		-	
	254.70		346.82		386.79	
घटाव : प्रावधान	-		-		-	
कोयले का स्टॉक (निवल)		254.70		346.82		386.79
(ख) भंडार एवं पुर्जों का स्टॉक (लागत)	78.54		83.08		89.84	
जुड़ावो : मार्गस्थ भंडार	0.96		2.12		0.85	
घटाव:प्रावधान	19.89		19.12		17.47	
भंडार एवं पुर्जे का निवल स्टॉक(लागत पर)		59.61		66.08		73.22
(ग) केन्द्रीय अस्पताल में औषधियों का स्टॉक		1.11		0.59		0.69
(घ) कर्मशाला संबंधी कार्य :						
कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल	6.71		12.10		10.80	
घटाव : प्रावधान	-		-		-	
कर्मशाला कार्यों का निवल स्टॉक		6.71		12.10		10.80
(ड) प्रैस कार्य:						
कार्य-प्रगति-पर एवं तैयार माल		-		-		-
		322.13		425.59		471.50

1.वर्ष के दौरान भंडार/पूर्जों के वास्तविक जांच में किसी तरह की कमी/अधिकता नहीं पायी गई है। 31.03.2017 को संचयी प्रावधान रु.0.98 करोड(31.03.2016 को रु.0.90 करोड़) हो गया है।

2.उपयुक्त/ मरम्मत के अयोग्य मदों वाले भंडार एवं पूर्जे तथा वे पूर्जे जिनका प्रयोग 5 वर्षों से नहीं किया गया । इसके लिए क्रमश: 100 % एवं 50 % का प्रावधान लेखांकन नीति के अनुसार रखा गया है। 31.03.2017 को संचयी प्रावधान रु. 18.68 करोड़ (31.03.2016 को रु.17.99 करोड़) हो गया है।

3.31.03.2017 को परिसंपतियों में हानि के लिए प्रावधान में ₹.0.23 करोड़ (31.03.2016 के लिए ₹ 0.23 करोड़) रखा गया है ।

4.कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार वेटेज औसत तरीके के अनुसार भंडार एवं पूर्जों का मूल्यांकन किया गया है। शुद्ध कार्यान्वयन मूल्य की सुनिश्चितता में कठिनाई के चलते शुद्ध कार्यान्वयन मूल्य के साथ प्राप्त लागत को लेखा में न तो रखा गया है न समंजित किया गया है।

अनुलग्नक टिप्पणी - 12

(परिणाम लाख टन में, मूल्य लाख रु. में)

तालिका:क

वर्ष के अंत के किताबी स्टॉक के साथ लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक का मिलान

	समग्र स्टॉक		विक्रय के अयोग्य स्टॉक		विक्रय योग्य स्टॉक	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. (क) 01.04.16 को प्रारंभिक स्टॉक	101.92	36752.43	-	-	101.92	36752.43
(ख) 5% से अधिक कमी	1.26	2070.08	-	-	1.26	2,070.08
लेखा में अपनाए गए स्टॉक	100.66	34,682.35			100.66	34682.35
2. वर्ष का उत्पादन	1392.08	1,312,301.32	-	-	1392.08	1312301.32
3. उप जोड़ (1क+2)	1,494.00	1,349,053.75	-	-	1,494.00	1,349,053.75
4. वर्ष का ऑफ टेक						
(क) बाहर प्रेषण	1430.08	1321309.25	-	-	1430.08	1321309.25
(ख) वाशरियों के लिए कोयला	-	-	-	-	-	-
(ग) स्वखपत	0.05	90.33	-	-	0.05	90.33
कुल(क)	1,430.13	1,321,399.58	-	-	1430.13	1321399.58
5. व्युत्पन्न स्टॉक	63.87	27,654.17	-	-	63.87	27654.17
6. मापी गई	61.76	25,112.45	-	-	61.76	25112.45
7. अंतर (5-6)	2.11	2,541.72	-	-	2.11	2,541.72
8. अंतर का वर्गीकरण:						
(क) 5% के भीतर	-	0.98	-	-	0.00	0.98
(ख) 5% के भीतर कमी	0.92	358.16	-	-	0.92	358.16
(ग) 5% से अधिक	-	-	-	-	-	-
(घ) 5% से अधिक कमी	1.19	2,184.54	-	-	1.19	2,184.54
9. लेखा में अपनाई गई अंतिम स्टॉक (6-8क+8ख)	62.68	25,469.63	-	-	62.68	25469.63

कोयले के अंतिम स्टॉक का सारांश

तालिका:ख

	कच्चा कोयला				परिष्कृत कोयला/अपरिष्कृत कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोकिंग		नन-कोकिंग		कोकिंग		नन-कोकिंग					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक स्टॉक (लेखा-परीक्षित)	-	-	101.92	36,752.43	-	-	-	-	-	-	101.92	36,752.43
5% से अधिक कमी			1.26	2,070.08							1.26	2,070.08
घटाव: विक्रय के अयोग्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजित प्रारंभिक (स्टॉक)	-	-	100.66	34,682.35	-	-	-	-	-	-	100.66	34,682.35
उत्पादन	-	-	1,392.08	1,312,301.32	-	-	-	-	-	-	1,392.08	1,312,301.32
ऑफ टेक												
	-	-	1,430.08	1,321,309.25	-	-	-	-	-	-	1,430.08	1,321,309.25
(क) बाहर प्रेषण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) वाशरियों में कोयला खपत	-	-	0.05	90.33	-	-	-	-	-	-	0.05	90.33
(ग) स्वखपत												
अंतिम स्टॉक	-	-	63.87	27,654.17	-	-	-	-	-	-	63.87	27,654.17
घटाव: कमी	-	-	1.19	2,184.54	-	-	-	-	-	-	1.19	2,184.54
अंतिम स्टॉक	-	-	62.68	25,469.63	-	-	-	-	-	-	62.68	25,469.63

आंतरिक सर्वेक्षण मापन दल ने कोयले के अंतिम स्टाक की वास्तविक जॉच की है। कुल क्षेत्रों मे इसे बाहरी दल के द्वारा समीक्षा की गई है। वास्तविक जॉच मे यदि बुक स्टाक से +/- 5% तक का अंतर होता है तो उसे लेखांकन 5% से अधिक की कमी का विवरण नीचे दिया गया है:

क्षेत्र	खदान	बुक स्टॉक (परिमाण टन में)		मापे गए स्टॉक (परिमाण टन में)		% वैरियंस	
		31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार	31.03.2017 के अनुसार	31.03.2016 के अनुसार
ओरियंट	खदान सं 3	0.20	0.19	0.08	0.07	58.98	61.74
	एचबीएम-जी 9	0.30	0.7	0	0.4	100	42.88
तालचेर	नंदिरा-जी 8	0.50	1.75	0	1.19	100	31.98
	तालचेर जी5	0.75	1.54	0.48	1.26	36.45	18.63
कुल		1.75	4.18	0.56	2.92	-	-

उस मामले में जब अंतर +/- 5% से अधिक है, पॉलिसी के मुताबिक मापे गए स्टॉक को लेखा में लिया जाता है। दिनांक 31.03.2017 के मुताबिक अंतर 5% की स्थिति में 1.19 लाख टन के परिमाण के लिए रु.21.84 करोड के अंतर के मूल्य को लेखा में शामिल किया गया।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 13 : व्यापार से प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017		31.03.2016		01.04.2015 (पुनःघोषित)	
चालू						
व्यापार से प्राप्य						
- सुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	-		-		-	
- असुरक्षित जिसे अच्छा समझा गया	1066.49		1107.61		448.85	
- संदेहास्पद	117.90		37.76		41.38	
घटाव : संदेहास्पद ऋण एवं बैड हेतु प्रावधान	117.90	1066.49	37.76	1107.61	41.38	448.85
कुल		**1066.49**		**1107.61**		**448.85**
टिप्पणी:						
1 देय तिथि से छह महीने से कम अवधि के लिए बकाया ऋणी	960.92		1013.93		305.67	
2 देय तिथि से 6 माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	105.57		93.68		143.18	
- संदेहास्पद	117.90		37.76		41.38	
		1184.39		**1145.37**		**490.23**

टिप्पणी:

किसी अन्य व्यक्ति के साथ अकेले या संयुक्त रूप से क्रमशः कंपनी के निदेशक या अन्य अधिकारी और निजी
1 कंपनियों से व्यापार या अन्य प्राप्य बकाया नहीं है जिसमें कोई निदेशक भागीदार या निदेशक या सदस्य हो ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 14 : नकद एवं नकदी के समांतर

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015 (पुनःघोषित)
(क) बैंक में नकद			
-3 माह तक परिपक्वता सहित जमा लेखा में	-	13.35	-
- चालू लेखा में	396.48	226.51	199.47
- नकद जमा लेखा में	-	-	-
(ख) भारत के बाहरी बैंक में नकद	-	-	-
(ग) हाथ में चेक, ड्राफ्ट एवं स्टाम्प	-	-	-
(घ) हात में नकद	-	0.04	0.04
(ङ) भारत के बाहर हाथ में नकद	-	-	-
(च) अन्य	-	-	0.35
कुल नकद और नकद समतुल्य	396.48	239.90	199.86
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-	-
कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का नेट)	396.48	239.90	199.86
नौ महीने के दौरान अनुसूचित बैंकों के अलावा बैंकों में सर्वाधिक बकाया राशि	Nil	Nil	Nil

टिप्पणी:

1 नकद और नकद समकक्षों में हाथ या बैंक में नगत स्वीप लेखा बैंक में आवधिक जमा जिनकी वास्तविक तीन महीनो या उससे कम हो ।

2

विवरण	एसबीएन	अन्य डेनोमीनेशन टिप्पणी	कुल
08.11.2016 को हात में अंतिम नकद	264,000.00	345,518.41	609,518.41
(+)अनुमोदित प्राप्तियाँ	49,000.00	71,123,745.64	71,172,745.64
(-) अनुमोदित भुगतान	-	61,906,372.72	61,906,372.72
(-) बैंक में नकद जमा	313,000.00	9,331,827.00	9,644,827.00
30.12.2016 को हात में अंतिम नकद		231,064.33	231,064.33

3 शेष चालू खाता में ₹82.76 करोड़ करेन्ट लिंक्ड टर्म डिपोजिट शामिल है जिसे अस्थायी रूप से चालू खाता से स्थानांतरित किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 15 : अन्य बैंक शेष

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015 (पुनःघोषित)
बैंक में शेष			
- जमा लेखा परिपक्वता 3 माह से अधिक	14,717.69	11,232.36	10175.25
खदान बंद योजना	-	-	-
- स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना	-	-	-
अभुक्त लाभांश लेखा	-	-	-
- लाभांश लेखा	-	-	-
कुल	14,717.69	11,232.36	10,175.25
बैंकों के साथ शेष राशि को उधार लेने के लिए धन सीमा तथा सुरक्षा के रूप में रखा गया है ।	36.62	28.54	83.14

टिप्पणी:

1. अन्य बैंक बैलेन्स में सावधी जमा और अन्य बैंक जमा शामिल होते हैं जो की प्रतिवेदन की प्रारंभिक तिथि से 12 महीनो के दौरान नकद के रूप में वसूल किए जाने आपेक्षित है ।

2. अदालत के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में बारूद दर के अनुबंद के मुकवाले ₹ 0.04 करोड़ वसूल किए गए थे।

3. मेसर्स आईआरसी लोजिस्टिक लिमिटेड के बीजी के नकदीकरण के लिए माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ निर्धारित जमा में ₹ 0.19 करोड़ शामिल है ।

4. माननीय उच्च न्यायालय कटक के अंतरिम आदेश के अनुसार मेसर्स वीडियोकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड के संबंध में कंपनी द्वारा बीजी नकदी करण(एफ़एसए) के खिलाफ निर्धारित ₹ 7.89 करोड़ आरक्षित जमा शामिल है ।

5. सावधि जमा में मेसर्स श्री महावीर फेरो अल्लोयस प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में कंपनी द्वारा 40% टपेरिंग मनी के लिए ₹ 0.15 करोड़ की राशि शामिल है । माननीय उच्च न्यायालय कटक के आदेशानुसार वर्ष 2015 की रिट याचिका संख्या के अंतिम परिणाम 3109 है ।

6. माननीय उच्च न्यायालय कटक (ओड़िशा) के अंतरिम आदेश के खिलाफ ₹ 5.97 करोड़ मुआवजे के जमा राशि के तहत शामिल है अर्थात विवादित भूमि में शामिल मुआवजे की शेष राशि को किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है ।

7. मेसर्स एमसीएल- केएसआईपीएल जेवी द्वारा प्रस्तुत बीजी के नकदी कारण के संबंध में ओड़िशा के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार ₹ 1.00 करोड़ की सावधि जमा शामिल है ।

8. भारतीय स्टेट बैंक के धरनाधिकार के अधीन ₹13.35 करोड़ प्रावोधी जमा रखा गया है जो भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में बैंक गारंटी के अनुदान के लिए अनुसंगी कंपनी मेसर्स एमजेएसजे कोल लिमिटेड की और से ब्लॉक आवंटन की शर्तो को पूरा करने के लिए आश्वासन पत्र जारी करता है ।

9. न्यायालय के आदेशानुसार वर्ष 2005-06 में बारूद दर अनुवंद के लिए प्राप्त मूल्य में अंतर हेतु ₹ 5.47 करोड़ सावधि जमा शामिल है ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 16 :इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015 (पुनःघोषित)
अधिकृत			
₹1000 प्रत्येक का 29,58,200 इक्विटी शेयर	295.82	295.82	295.82
	295.82	**295.82**	**295.82**
निर्गत, अभिदत्त एवं प्रदत्त			
प्रत्येक 1000 रुपये के 1412266 इक्विटी शेयर प्रत्येक नगद के रूप से प्रदत्त	141.23	186.40	186.40
	141.23	**186.40**	**186.40**

टिप्पणी:

1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के शेयर

शेयरधारकों के नाम	**शेयरधारकों की संख्या (10 रूपए प्रत्येक का)**	**कुल शेयरों का प्रतिशत**
कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके नामित	1412266	100

2 वर्ष के दौरान, समूह ने किसी भी प्रकार के शेयर जारी नहीं किए है । हालांकि, समूह ने पूर्व रूप से निविदा प्रस्ताव के माध्यम से भुगतान करते हुए 4,51,743 की संख्या मे जिनका अंकित मूल्य ₹1000 है के इक्विटी शेयर वापस खरीदा है । 31.03.2017 पर पूर्ण रूप से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर की संख्या है 14,12,266.

3 समूह के पास सिर्फ एक ही श्रेणी के इक्विटी शेयर है जिनका अंकित मूल्य प्रति शेयर ₹ 1000 है इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर घोषित लाभांश को प्राप्त करने एवं शेयर धारकों की बैठक में उनके शेयरों के लिए मतदान करने का अधिकारी है ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 17 : अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	वरीयता शेयर पूंजी का इक्विटी हिस्सा	अन्य रिजर्व				सामान्य रेजर्व	प्रतिधारित कमाई	अनियंत्रित ब्याज	कुल
		कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व	पूंजीगत रिजर्व	सीएसआर रेजर्व	सतत विकास रिजर्व				
01.04.2015 के अनुसार शेष	-	204.18	-	-	-	3,261.08	821.31	63.57	4,286.57
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	109.16		109.16
पूर्व अवधि त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-	11.65		11.65
01.04.2015 के अनुसार पुनःघोषित शेष	-	204.18	-	-	-	3,261.08	942.12	63.57	4,407.38
प्रतिधारण आय पर स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-		-
अन्य भंडार / प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	4,205.82		4,205.82
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	209.24	(209.24)		-
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-		-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	(3,608.45)		(3,608.45)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-		-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	-	-	-	(734.60)		(734.60)
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-
31.03.2016 के अनुसार शेष	-	204.18	-	-	-	3,470.32	595.65	63.59	4,270.15
01.04.2016 के अनुसार शेष	-	204.18	-	-	-	3,470.32	595.65	63.59	4,270.15
वर्ष के दौराना वृद्धि	-	45.17	-	-	-	-	-		45.17
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	(1,617.06)	-		(1,617.06)
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	-	-	-	-	-	4,488.78	-	4,488.78
विनियोग	-	-	-	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	224.55	(224.55)		-
अन्य रिजर्व में स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-		-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	(2,982.00)		(2,982.00)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-	-		-
कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स	-	-	-	-	-	-	(607.06)		(607.06)
कोई अन्य परिवर्तन	-	-	-	-	-	-	(362.67)		362.67
31.03.2017 के दौरान शेष	-	249.35	-	-	-	2,077.81	908.15	63.59	3,235.31

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 18: ऋण

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015 (पुनःघोषित)
गैर-चालू			
अवधि ऋण			
-बैंकों से	6.13	7.21	6.90
-अन्य पार्टियों से	-	-	-
संबंधित पार्टियों से ऋण	-	-	-
अन्य ऋण o be specified in note)	-	-	-
कुल	6.13	7.21	6.90
वर्गीकरण			
सुरक्षित	-	-	-
असुरक्षित	6.13	7.21	6.90
चालू			
मांग पर लौटाने वाले ऋण			
-बैंकों से	1,500.00	-	-
-अन्य पार्टियों से	0.03	0.03	0.03
संबंधित पार्टियों से ऋण	700.00	-	-
अन्य ऋण	-	-	-
कुल	2,200.03	0.03	0.03
वर्गीकरण			
सुरक्षित	-	-	-
असुरक्षित	-	-	-

टिप्पणी:

लिवेर,फ्रांस से 04 हाइड्रोलिक सॉवेल क्रय हेतु बैंक नेस्ले द पेरिस एंड नाटेक्शीस बैंक से ऋण की व्यवस्था क्रेडिट एग्रीमेंट के आधार पर किया गया था। दिनांक 31.03.2017 को बकाया ऋण (भुगतान के पश्चात निवल) रु.6.64 करोड़ (31.03.2016 के अनुसार रु.7.77 करोड़) है ।

शेष का विवरण निम्न प्रकार है: -

	यूरो	₹ करोड़ में
01.04.2016 को शेष	1,030,851.54	7.77
1.03.2017 को समाप्त वर्ष के दौरान किया गया भुगतान	74,113.58	0.54
विनिमय अंतर	-	(0.59)
31.03.2017 को शेष	956,737.96	6.64

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 19 :भुगतान योग्य व्यापार

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017	के अनुसार 31.03.2016	01.04.2015 (पुनः घोषित)
चालू			
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	1.26	2.19	0.61
व्यापार के लिए अन्य भुगतान			
-भंडार और पुर्जो	41.52	29.86	37.69
-ऊर्जा एवं ईंधन	0.51		
-अन्य ve major breakup in note)	377.61	271.24	238.92
कुल	**420.90**	**303.29**	**277.22**

टिप्पणी:

अन्य: (प्रमुख आइटम)			
कोयला परिवहन प्रभार	144.96	108.95	96.82
बकाया व्यय-राजस्व	194.56	129.56	111.04
सीएमपीडीआईएल	35.27	29.57	27.82
	374.79	**268.08**	**235.68**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 20 : अन्य वित्तीय दायिताएं

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार 31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015 (पुनः घोषित)
गैर चालू			
सुरक्षा जमा	34.76	36.29	26.09
अग्रिम राशि	-	-	-
अन्य(सुरक्षा जमा-मैनेजमेंट ट्रेनी)	5.43	7.18	2.38
	40.19	**43.47**	**28.47**
चालू			
अनुषंगी कंपनियों के			
- चालू खाते	-	-	-
दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता	0.51	0.56	0.50
अभुक्त लाभांश	-	-	-
सुरक्षा जमा	105.75	103.51	81.03
अग्रिम राशि	49.16	19.92	17.97
अन्य	187.04	161.22	121.10
कुल	**342.46**	**285.21**	**220.60**

Note :

31.03.2018 को समाप्त वर्ष के दौरान लिवेर,फ्रांस को ऋण का पुनःभुगतान	74113.58 euro	Rs. 0.55 crore

2.अन्य(चालू):-

ऊर्जा एवं ईंधन	16.19	17.90	17.51
अन्य- (महतपुर्ण मद) मरम्मद एवं अनुरक्षण 46.47 करोड़, ठेकेदारों को भुगतान /बिल /ओबीआर कार्य ₹ 14.61 करोड़ डैमरेज- 4.01 करोड़ बीजिली,बेतन, तिमाही बोनस ₹ 3.33 करोड़ लेखापरीक्षा शुल्क एवं ब्यय ₹ 0.61 करोड़	67.00	72.78	44.61
अन्य देयताएँ- (महतपुर्ण मद) साइलो प्रोजेक्ट (लिंगराज) के लिए मेसर्स एल अँड टी राशि को रोकना -₹ 28.57 करोड़ सीआईएसपीए - ₹5.62 करोड़ ठेकेदारोंकी राशि को रोकना -₹ 63.15 करोड़ सुरक्षा जमा (बिस्फोटक)- ₹ 18.74 करोड़ स्टाल चेक/रिटर्न चेक रद्द चेक-₹ 4.60 करोड़ रद्दी माल परित्येक्त प्रसंपातियों के विक्रया पर जमा - ₹1.27 करोड़ बेतन पर्ची कटौती -₹0.56 करोड़ बीजी -₹ 4.00 crore	98.28	67.54	53.55
सुरक्षा जमा-मैनेजमेंट ट्रेनी	5.38	2.75	5.13
कुल	**186.85**	**160.97**	**120.80**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 21 : प्रावधान

(₹ करोड़)

	के अनुसार 31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015 (पुनः घोषित)
गैर चालू			
कर्मचारी हितलाभ			
ग्रैच्युटी	-	-	-
छुट्टी नकदीकरण	75.55	222.64	213.53
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	128.18	110.27	110.17
	203.73	332.91	323.70
खदान बंदी	735.23	685.57	639.35
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	15,801.35	14,488.04	12,036.04
अन्य	-	-	-
कुल	**16,740.31**	**15,506.52**	**12,999.09**
चालू			
कर्मचारी हितलाभ			
ग्रैच्युटी	48.41	42.10	46.00
छुट्टी नकदीकरण	21.56	21.34	19.82
अनुग्रह राशि	109.75	100.35	81.20
- पीआरपी	138.15	277.93	271.24
- अन्य कर्मचारी हितलाभ	152.42	131.28	108.71
- एनसीडबल्यूए - 10	146.37	-	-
- अधिकारी वेतन शंसोधन	9.78	-	-
	626.44	573.00	526.97
खदान बंद			
कोयले के समापन स्टॉक पर एक्साइज ड्यूटी	39.32	55.42	48.01
अन्य (to be specified in note)	364.68	-	0.11
कुल	**1,030.44**	**628.42**	**575.09**

टिप्पणी:-

1 **विभिन्न प्रावधानों की स्थिति नीचे दी गई है:**

क्रमांक	प्रावोधान	01.04.2016 को सुरूआती शेष	योग/वर्ष के दौरान पुनः जोड़ना	वर्ष के दौरान भुगतान / समायोजित	31.12.2016 को समाप्त शेष
i	ग्रैच्युटी के लिए (एक्ट्युअरियल)	13.81	58.87	81.23	(8.55)
	ग्रैच्युटी के लिए	(13.81)	28.67	-	56.96
ii	छुट्टी नकदीकरण के लिए	243.98	56.7	203.57	97.11
iii	अन्य कर्मचारी हितलाभ	240.76	39.68	-	280.44
iv	ओबीआर समायोजन खाते के लिए	14,488.04	1313.31	-	15,801.35
v	खदान बंद योजना के लिए	684.78	49.66	-	734.44
vi	भूमि के पुनः प्राप्त करने के लिए	0.79	-	-	0.79

खदानबंद करने के लिए प्रावधान
खनन निपटान योजना को बनाने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का अनुसरंग करते हुए लेखा में प्रावधान किया गया । एसे प्रावधान सीएमपीडीआईएल (कोल इंडिया लिमिटेड की अनुसंगी) के तकनीकी मूल्याकन के लिए बताये गये । प्रत्भेक खनन के निपटान व्ययों के लिए (सीएमपीडीआई द्वारा मूल्यांकन रूप में) तथा एसे प्रावधान के बनने के 01 साल तक खदान बंदी की देयता पर पहुँचने के लिए पूंजीकृत करने हेतु देयता पर 8% की छुट दी गई इसके बाद दिनांक 31.03.2017 तक बाद के वर्षों में छुट देने हे प्रावधान का पुनरीक्षण किया गया

3. खदान बंद करने के लिए प्रावधान खर्चो में ₹ 4.65 करोड़ शामिल है जो ₹ 9.44 करोड़ ₹ 18.21 करोड़ के विभागीय वेतन और मंजूरी को छोड़कर की एक व्यापक योजना के मुकवाले 0.16 करोड़ की मजदूरी और मजदूरी के अलावा अन्य वर्तमान अवधि व्यय को समायोजित करने के बाद देउलबेरा कोलियारी के अस्थिर कामकाज की दिशा में स्थिरता और स्थिरीकरण की दिशा में उठाए गए प्रावधानों को शामिल करना है । रेट काटने के माध्यम से देउलबेरा कोलियारी के अस्थिर कार्यस्थलों के स्थिरीकरण की योजना में शामिल अनुमानित विभागीय जनशक्ति की ₹ 18.21 करोड़की लागत को अलग से प्रदान नहीं किया गया । क्योंकि उसी रूप में सामनी वेतन और मजदूरी
4. अन्य कर्मचारी लाभ (चालू) ₹ 133.93 करोड़ को शामिल करता है , जो दिनांक 31.03.2017 के अनुसार @ 9.84% सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रदान किया गया था ।

5. कर्मचारियों के लिए लंबित (एनसीडबल्यूए-X) के राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझोता तथा कोयला मजदूरी समझोते को अंतिम रूप देने हेतु प्रतिमद प्रति कर्मचारी (कर्मचारी) @ ₹ 8000/- करोड़ की अनुमानित एकमुश्त राशि का प्रावधान है वेतन और भागीदारी कर्मचारी के पीएफ़ योगदान सहित अन्य कर्मचारी लाभ तथा सभी अधिवर्षित लाभा जैसे ग्रेजुएटी आदि के सभी तबों में वृद्धि के कुल प्रभाव का दिनांक 01.07.2016 से 31.03.2017 तक की अवधी के लिए ₹146.37करोड़ की राशि तयार की गई तथा उसे एनसीडबल्यूए-10 के उपरोक्त (चालू) प्रावोधान में दर्शाया गया है ।

6. अधिकारियों के लिए लंबित, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने हेतु प्रतिमाह, प्रतिकर्मचारी लाभा तथा सभी अधिवर्षित लाभ, जैसे - ग्रेजुएटी आदि के सभी तबों में वृद्धि के कुल प्रभाव को डेकाते हुए दिनांक 01.01.2017 से 31.03.2017 की आवधि के लिए ₹ 9.78 करोड़ की राशि तैयार की गई तथा उसी उपरोक्त (चालू) अधिकारी वेतन संशोधन के रूप में दर्शाया गया ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी- 22 :अन्य चालू दायिताएँ

	के अनुसार		(₹ करोड़ में)
	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015 (पुनः घोषित)
आस्थगित आय (सीसीडीए अनुदान)	176.83	167.83	133.31
कुल	**176.83**	**167.83**	**133.31**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 23 : अन्य चालू दायितायें

(₹ करोड़ में)

	के अनुसार					
	31.03.2017		31.03.2016		01.04.2015 पुनः घोषित	
पूंजीगत व्यय		640.96		615.29		640.62
वेतन और मजदूरी		168.61		169.25		152.35
वैधानिक बकाया:						
विक्रय कर/ वैट	11.02		16.70		2.25	
भविष्य निधि और अन्य	8.62		9.05		8.99	
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी	6.92		6.63		5.45	
रॉयल्टी और कोयला पर सेस	51.52		31.71		37.48	
स्टोसिंग एक्साइज ड्यूटी	37.70		38.75		32.90	
स्वच्छ ऊर्जा सेस	791.77		521.35		126.84	
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	3.20		6.76		-	
जिला खनिज फाउंडेशन	46.43		59.72		-	
अन्य वैधानिक लेवी	2.84		1.54		-	
आयकर की कटौती / स्रोत पर एकत्र	3.45	963.47	2.74	694.95	3.10	217.01
ग्राहकों से अग्रिम / अन्य		2325.03		1396.93		1837.92
डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पर टैक्स		-		-		-
अन्य दायिताएँ		29.80		28.50		27.49
कुल		**4,127.87**		**2,904.92**		**2,875.39**

टिप्पणी:

अन्य दायिताओं में सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 31.07.2001 के फैसले के निदेशानुसार वर्ष 2005-06 में ओड़िशा सरकार से प्राप्ति कोयला पर उपकर क अंतर्गत ₹ 8.40 करोड़ (निवल भुगतान) का मूलधन और ₹9.47 करोड़ का ब्याज शामिल है । राशि ग्राहकों को प्रतिदीय है । चालू वर्ष के दौरान, समूह ने उपकर देयता के गैर-भुगतान मूलधन राशि के लिए 12% के दर से गणना कर ₹ 1.01 करोड़ का स्थात प्रदान किया है । कुल दायिताएँ इस प्रकार उसमें दिनांक 31.03.2017 के अनुसार ₹ 29.51 करोड़ (31.03.2016 तक) ₹28.50 करोड़ हुई हैं । समूह जिन्हें प्रतिदेय किया जाता है, उस ग्राहक/पार्टी की पहचान नहीं कर पाई है ।ग्राहकों/पार्टी को प्रतिदेय के लिए कार्य-रीटी का निर्णय किया जाना अभी शेष है ।

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी - 24 : संचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार		31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार	
क. कोयले का विक्रय		23,450.72		19,827.24
घटाव :अन्य वैधानिक उगाही				
रॉयल्टी	1,663.66		1,694.82	
कोयले का सेस	-		-	
स्टोइंग उत्पाद शुल्क	143.01		140.23	
केंद्रीय विक्रय कर	224.06		187.75	
स्वच्छ ऊर्जा सेस	5,720.34		3,065.26	
राज्य विक्रय कर/वैट	586.87		499.62	
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट	33.37		19.97	
जिला खनिज फाउंडेशन	846.77		223.80	
अन्य उगाही	68.19		62.13	
कुल उगाही		9,286.27		5,893.58
विक्री (निवल) (क)		14,164.45		13,933.66
ख. अन्य संचालन राजस्व				
कोयला आयात हेतु सुविधा प्रभार		-		-
बालू भरने और सुरक्षात्मक कार्य हेतु अनुदान		2.24		-
लदाई एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	840.42		770.27	
घटाव :अन्य वैधानिक उगाही	25.13		22.61	
		815.29		747.66
अन्य ऑपरेटिंग राजस्व (निवल)(ख)		817.53		747.66
संचालन से राजस्व (क+ख)		14,981.98		14,681.32

टिप्पणी : 1. कोयले की बिक्री में 354.26 करोड़ रुपए के डीएमएफ तथा लेवी के केंद्रीय उत्पांद शुल्का के तहत 21.36 करोड़ रुपए,केंद्रीय बिक्री कर के तहत 3.53 करोड़ रुपए वेट के तहत 10.61 करोड़ रुपए तथा ओडिशा प्रवेश कर के अंतर्गत 1.38 करोड़ रुपए शामिल हैं जो कि कोयला मंत्रालय की अधिसूचना संख्यार जीएसआर 837 (ई) के अंतर्गत 12 जनवरी,2015 से 20 अक्टूबर,2015 तक प्रभावी रहेंगे।

2. कोयला खनन(संरक्षण एवं विकास) अधिनियम,1974 के संदर्भ में भारत सरकार के अधीन कार्यरत कोयला मंत्रालय को 2.24 करोड़ रुपए की सब्सीडी रेत भराई तथा सुरक्षात्मक कार्यो के लिए प्राप्त है जो कि वित्तीरय वर्ष 2016-17 के दौरान रेत भराई व सुरक्षात्मक कार्यों के अदायगी पर व्यय करने के लिए प्राप्त है।

3. उत्पा.द शुल्क 14161.94 करोड़ रुपए (31.03.2016 ₹13933.66 करोड़) सहित उत्पाद शुल्क की वस्तुओं की बिक्री हेतु 13213.09 करोड़ रुपए शामिल हैं। (31.03.2016 ₹ 12750.63 करोड़)

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 25 :अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज आय		
बैंक में जमा	1088.73	1042.62
निवेश	70.53	72.37
ऋण	-	0.01
समूह के अंदर फ़ंड पर्क	47.64	44.56
अन्य	81.67	45.52
लाभांश आय		
सहायक कंपनियों में निवेश	-	-
म्युचुअल फंड में निवेश	114.45	92.29
अन्य गैर-ऑपरेटिंग आय		
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	0.05	1.94
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	0.59	-
विनिमय दर भिन्नता	-	-
पट्टा किराया	1.96	1.28
देयता / राइट बैक के लिए प्रावधान	0.02	(0.01)
स्टॉक में कमी पर एक्साइज ड्यूटी	16.07	-
विविध आय	62.31	43.79
कुल	**1,484.02**	**1,344.37**

टिप्पणी:

1 अन्य:		
आयकर रिफंड पर ब्याज	71.95	42.21
ब्याज ऋण/बाहरी पार्टियों के लिए अग्रिम	3.35	3.31
सहायक कंपनियों से ब्याज	0.01	0
समूह अवकाश नकदी योजना पर अर्जित ब्याज	6.35	
कर्मचारी ऋण पर ब्याज	0.01	
	81.67	45.52
2 विविध आय जिसमें उपभोक्ताओं से जुर्माना के मद में वसूली गई ₹. 57.74 करोड़		
आपूर्तिकर्ताओं से जुर्माना,एलडी बसूली	7.68	
पभकताओं से जुर्माना वसूली	36.09	
ठेकेदारों एवं अन्य से जुर्माना वसूली	13.97	
	57.74	

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 26 :सामग्री की लागत में खपत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 के समाप्त वर्ष के अनुसार
बिस्फोटक	132.77	107.14
लकड़ी	0.36	0.34
तेल एवं लुब्रिकेंट	277.15	261.53
एचईएमएम के पुर्जे	120.86	116.92
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जो	52.46	56.82
कुल	583.6	542.75

टिप्पणी :	प्रारंभिक	बृद्धि/ समायोजन	समापन
बिस्फोटक	1.63	133.43	2.28
लकड़ी	-	0.51	0.15
तेल एवं लुब्रिकेंट	7.83	277.64	8.33
एचईएमएम के पुर्जे	59.49	114.52	53.16
अन्य उपभोज्य भंडार और पुर्जो	14.13	52.96	14.62
	83.08	579.06	78.54

टिप्पणी 27 : तैयार माल कार्य प्रगति पर एवं व्यापार में स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के समाप्त वर्ष के अनुसार		31.03.2016 के समाप्त वर्ष के अनुसार	
कोयले का प्रारंभिक स्टॉक	346.83		386.79	
योग: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन	-		-	
घटाव : कोयले का क्षरण	-	346.83	-	386.79
घटाव:-				
कोयले का अंतिम स्टॉक	254.7		346.82	
घटाव : कोयले का क्षरण	-	254.70	-	346.82
क कोयले की सूची में परिवर्तन		92.13		39.97
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का प्रारंभिक स्टॉक	12.10		10.80	
योग: प्रारंभिक स्टॉक का समायोजन	-		-	
घटाव: प्रावधान	-	12.10	-	10.80
घटाव:				
तैयार माल एवं डब्लूआईपी बनाने वाले कर्मशाला का अंतिम स्टॉक	6.71		12.10	
घटाव: प्रावधान	-	6.71	-	12.10
ख कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन		5.39		(1.30)
प्रेस प्रारंभिक कार्य				
i)तैयार माल	-		-	
ii)कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
घटाव: प्रेस समाप्ति कार्य				
i)तैयार माल	-		-	
ii)कार्य प्रगति पर	-	-	-	-
ग प्रेस जॉब की समाप्ति स्टॉक की वस्तु सूची में परिवर्तन		-		-
व्यापार में स्टॉक की वस्तु सूची में बदलाव (क +ख + ग) (घटा / (अधिग्रहण))		97.52		38.67

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 28 :कर्मचारी हित लाभ

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 के समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 के समाप्त वर्ष के अनुसार
वेतन, मजदूरी, भत्ते, बोनस इत्यादि	1,544.75	1,497.23
राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते के लिए प्रावधान (एनसीडबल्यूए) - X*	146.01	-
अधिकारियों की वेतन संशोधन- प्रावधान	9.78	-
अनुग्रह राशि	112.38	111.11
पीआरपी	21.09	30.47
भविष्य निधि और अन्य फंडों में योगदान	204.91	195.69
उपदान	57.38	44.52
छुट्टी नकदीकरण	106.01	59.93
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	-	0.27
कामगार क्षतिपूर्ति	0.76	0.03
वर्तमान कर्मचारियों के लिए चिकित्सा	43.69	39.45
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा व	5.29	6.80
स्कूलों और संस्थानों को अनुदान	26.04	27.77
खेल व मनोरंजन	7.95	3.84
कैंटीन व क्रैच	1.03	1.06
विद्युत - टाउनशिप	57.23	57.53
बस, एम्बुलेंस आदि के किराया प्रभार	3.92	3.17
अन्य कर्मचारी लाभ	24.03	17.42
	2,372.25	**2,096.29**

* संदर्भ टिप्पणी संख्या 21 में पद टिप्पणी संख्या ________

** संदर्भ टिप्पणी संख्या 21 में पद टिप्पणी संख्या ________

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 29 :सीएसआर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
सीएसआर व्यय xplain in note)	166.60	184.62
कुल	**166.60**	**184.62**

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
बिल्डिंग	57.91	69.68
संयंत्र एवं मशीनरी	57.17	47.67
अन्य	3.49	3.70
कुल	**118.57**	**121.05**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 31 :संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
परिवहन शुल्क:		
- बालू	0.01	-
- कोयला	1,173.56	1,049.78
- भंडार एवं अन्य	-	
वैगन लदाई	80.37	70.53
संयंत्र एवं यंत्रों को भाड़े पर लेना	983.20	799.57
अन्य संविदात्मक कार्य	49.80	53.26
कुल	**2,286.94**	**1,973.14**

टिप्पणी 32 :वित्तीय लागत

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
ब्याज पर व्यय		
उधारी	0.09	0.09
छुट को जारी रखना (साइट रेस्टोरेसन)	49.60	46.47
समूह के अंदर फ़ंड पर्क	-	-
अन्य	7.86	1.50
कुल	**57.55**	**48.06**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 33 : प्रावधान (नेट आफ रिवर्सल)

(₹ करोड़)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
(क के लिए प्रावधान		
संदिग्ध ऋण	80.14	0.26
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	0.09	-
भंडार एवं पुर्जे	0.77	1.67
अन्य	100.12	1.76
कुल(क)	**181.12**	**3.69**
(ख) प्रावधान रिवर्सल		
संदिग्ध ऋण	-	3.88
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	-
भंडार एवं पुर्जे	-	-
अन्य	0.16	0.74
कुल(ख)	0.16	**4.62**
कुल (क-ख)	**180.96**	**-0.93**
टिप्पणी:		
अन्य	-	
पूंजी डब्लुआईपी	0.64	0.86
देउलबेरा कोलियरी के अस्थिर		
कार्य को बालुभरना और		
स्थिरीकरण	(0.16)	(0.26)
सर्वे-आफ	4.47	(0.74)
ग्रेड में गिरावट	80.76	
प्राप्य दावे	14.19	
विविध अग्रिम	0.06	
	99.96	(0.14)

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डालना (गत प्रावधानों को निवल)

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार		31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार	
संदिग्ध ऋण	-		-	
घटाव पूर्व प्रदत्त	-	-	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-		-	
घटाव पूर्व प्रदत्त	-	-	-	-
कोयले का स्टाक	-		-	
घटाव पूर्व प्रदत्त	-	-	-	-
अन्य	-		0.10	
घटाव पूर्व प्रदत्त	-	-	-	0.10
कुल		-		**0.10**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
यात्रा व्यय		
- घरेलू	14.75	19.06
- विदेशी	0.36	0.01
प्रशिक्षण व्यय	11.98	10.82
दूरभाष एव डाक खर्च	4.25	3.68
विज्ञापन एव प्रचार-प्रसार	5.48	3.35
भाड़ा प्रभार	0.08	0.09
डेमरेज	4.70	3.07
दान अभिदान	0.12	0.07
सुरक्षा व्यय	66.60	60.86
सीआइएल का सेवा प्रभार	70.30	69.14
भाड़ा प्रभार	35.00	34.44
सीएमपीडीआइ व्यय	23.83	27.53
विधिक व्यय	1.19	1.37
बैंक प्रभार	0.03	0.01
गेस्ट हाऊस व्यय	2.46	2.41
परामर्श प्रभार	1.60	2.37
अडरलोडिंग प्रभार	16.83	30.55
विक्रय/डिस्काडे/सवेआफ परिसपत्तियो पर हानि	0.82	0.15
लेखा परीक्षको का मानदेय एव व्यय		
- लेखा परीक्षा फीस	0.32	0.21
- कर सबधी मामले	-	-
- अन्य सेवाओ के लिए	0.08	0.05
-व्यय की प्रतिपूर्ति	0.21	0.35
आतरिक लेखा परीक्षा फीस पर व्यय	2.49	1.85
पुनर्वास प्रभार	85.81	84.13
रायल्टी एव सेस	0.19	0.20
रायल्टी एवं स्टोइंग उत्पाद शुल्क पर एसबीसी एंड केकेसी	21.61	-
कोयले के अंतिम स्टाक पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क	-	5.77
किराया	0.90	0.82
दर एव कर	304.49	12.25
बीमा	0.52	0.36
विदेशी मुद्रा विनिमय पर हानि	-	-
विनियम दर में अतर से हानि	-	0.91
पट्टा किराया	-	0.02
बचाव/सुरक्षा हेतु व्यय	2.39	3.06
डेड रेन्ट/सरफेस रेन्ट	0.45	0.24
साइडिंग अनुरक्षण प्रभार	22.34	52.78
भूमि/फसल क्षतिपूर्ति	0.07	0.06
आर एड डी व्यय	0.86	2.07
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	17.89	12.44
शेयरो के बाय बैक पर व्यय	0.33	-
विविध व्यय	231.17	181.96
कुल	952.50	628.51

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 को समाप्त वर्ष के अनुसार
चालू वर्ष	2325.8	2008.65
आस्थगित कर	42.36	60.70
एमएटी क्रेडिट इनटाइटलमेंट	-	-
पिछले वर्षों में	(5.45)	-
कुल	**2,362.71**	**2,069.35**

समेकित वित्तीय विवरण के लिए टिप्पणी

टिप्पणी 37 : अन्य वृहद आय

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017 का समाप्त वर्ष के अनुसार	31.03.2016 का समाप्त वर्ष के अनुसार
(क) (i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किए जानेवाले मदें		
पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:माप	(1.40)	18.33
ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण	-	-
एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय देनदारियों के स्वयं के क्रेडिट जोखिम से संबंधित उचित मूल्य परिवर्तन	-	-
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
	(1.40)	18.33
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
पुनर्मूल्यांकन अधिशेष में परिवर्तन	-	-
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुन:माप	(0.48)	6.34
ओसीआई के माध्यम से इक्विटी उपकरण	-	-
एफवीटीपीएल में नामित वित्तीय देनदारियों के स्वयं के क्रे	-	-
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	(0.48)	6.34
कुल(क)	**(0.92)**	**11.99**
(ख) (i) लाभ या हानि के लिए पुन: वर्गीकृत किए जानेवाले मदें		
किसी विदेशी आपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन	-	-
नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग	-	-
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
	-	-
(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुन: परिष्कृत किया जाएगा		
किसी विदेशी आपरेशन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
ओसीआई के माध्यम से ऋण साधन	-	-
नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग उपकरणों पर लाभ और हानि का प्रभावी भाग	-	-
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का शेयर	-	-
	-	-
कुल (ख)	-	-
कुल (क+ख)	**(0.92)**	**11.99**

नोट:-38: 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वित्तीए विवरण हेतु अतिरिक्त टिप्पणियाँ (अनुषंगी)

1. उचित मूल्य मापन

वर्गवार वित्तीय साधन (₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016				1 अप्रैल 2015		
	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत	लागत	एफ़वीटीपीएल	एफ़वीटीओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां										
निवेश :										
सुरक्षित बॉन्ड			958.70			958.70				958.70
सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर										
सहायक कंपनी में अधिमानी शेयर	शून्य		शून्य	शून्य		शून्य		शून्य		शून्य
म्यूचुअल फंड	202.00			1345.00				247.70		
ऋण			1201.38			1.71				2.18
जमा एवं प्राप्य			1694.89			1573.06				1747.95
व्यापार प्राप्य			1066.49			1107.61				448.85
नगद एवं नगद समतुल्य			396.48			239.90				199.86
अन्य बैंक शेष			14717.69			11232.36				10175.25
वित्तीय देयताएं										
उधार			2206.16			7.24				6.93
व्यापार देय			420.90			303.29				277.22
प्रतिभूति जमा एवं बयाना			189.67			159.72				125.09
अन्य देयताएं			192.98			168.96				123.98

समूह मानता है कि "सुरक्षा जमा" एक महत्वपूर्ण वित्तीय घटक के रुप में शामिल नहीं है। माइलस्टोन पेमेंट (सुरक्षा जमा) समूह के प्रदर्शन से मेल खाता है तथा उसमें वित्त के प्रावधान को छोड़कर अन्य कारणों के लिए अनुबंध की राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। यह संविदा के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से पूरा करने में असफल रहता है एवं ठेकेदार समूह के हितों की रक्षा करने के लिए प्रत्येक माईलस्टोन पेमेंट के निर्दिष्ट प्रतिशत को रोकने में भी सक्षम रहता है। तदनुसार सुरक्षा जमा को लेनदेन लागत के प्रारम्भिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है तथा बाद में उसे परिशोधित लागत पर मापा भी जाता है।

क. उचित मूल्य अनुक्रम

वित्तीय साधन के उचित मूल्यों को निर्धारित करने हेतु लिए गए फैसले एवं अनुमान को नीचे दी गई तालिका दर्शाया गया है, जिसे (क) उचित मूल्य पर मापा तथा पहचाना जाता है। (ख) परिशोधित लागत पर मापा जाता है तथा जिसके लिए वित्तीय विवरणी में उचित मूल्यों का उल्लेख भी किया गया है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने हेतु समूह ने अपने वित्तीय साधन को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में विभाजित किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण तालिका में निम्नानुसार स्पष्ट है -

(₹ करोड़ में)

उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों और देयतायों को मापा गया -आवर्ती उचित मूल्य मापन	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016			1 अप्रैल 2015		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां									
निवेश									
म्यूचुअल फ़ंड	202.00			1345			247.70		
वित्तीय देयताएँ									
मद, यदि कोई हो	-	-	-	-	-	-	-	-	-

वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देयतायों को परिशोधित लागत पर मापा गया तथा जिसके लिए उचित मूल्य का उल्लेख दिनांक 31 मार्च, 2017 की समाप्ति पर किया गया।	31 मार्च 2017			31 मार्च 2016			1 अप्रैल 2015		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
एफवीटीपीएल में वित्तीय संपत्तियां									
निवेश									
संयुक्त उद्यम में इक्विटी शेयर			116.71			116.71			116.68
म्यूचुअल फ़ंड	-			-			-		
वित्तीय देयता									
अधिमानी शेयर			-			-			-
उधार राशियाँ			2206.16			7.24			6.93
व्यापार देनदारियाँ			420.52			303.29			277.22
सुरक्षा जमा तथा अर्जित राशि			189.67			159.72			125.09
अन्य देयताएँ			192.98			168.96			123.98

स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत कीमतों का उपयोग करके वित्तीय साधनों का मूल्यांकन किया गया है। जिसमें म्यूअचल फंड भी शामिल है एवं जिनकी उद्धृत कीमत का मूल्यांकन एनएवी समापन का उपयोग कर किया गया है।

स्तर 2: वे वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया गया है उनके उचित मूल्य का निर्धारण मूल्यांकन तकनीक का उपयोग कर किया जाना अपेक्षित है, जो कि निरीक्षण बाजार के आंकडों के उपयोग को अधिक बढ़ाता है एवं इकाई विशिष्ट के अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है। उचित मूल्य के लिए जरूरी सभी महत्वपूर्ण निविष्टियाँ स्तर-2 में उपकरण के रुप में शामिल की गई हैं।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण निविष्टियां प्रत्यक्ष बाजार के आंकडों पर आधारित नहीं हो तो उपकरण स्तर में उसे शामिल नहीं किया जाएगा।

3. असूचीगत इक्विटी प्रतिभूतियां, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा तथा अन्य देनदारियों को स्तर 3 में शामिल किया गया है।

टिप्पणी: यदि उचित मूल्यांकन के पदानुक्रम में परिवर्तन होता है तो इसे प्रकट किया जाएगा।

ग. उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक का उपयोग :

मूल्यांकन तकनीक का उपयोग वित्तीय साधनों के लिए किया जाता है जिसमें निम्न उपकरण शामिल हैं।

- बाजार में उपकरणों के उद्धृत कीमत का उपयोग।
- शेष वित्तीय उपकरणों का उचित मूल्य, रियायती नगद प्रवाह के विश्लेषणानुसार निर्धारित किया जाता है।

  उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन।

वर्तमान में कोई भी उल्लेखनीय अप्रभावित निवेश का प्रयोग कर उचित मूल्य का मापन नहीं किया गया है।

(vi) वित्तीय परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के उचित मूल्य, परिशोधित लागत पर मापे जाते हैं।

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च 2017		31 मार्च 2016		1 अप्रैल 2015	
	उधार राशि	उचित मूल्य	उधार राशि	उचित मूल्य	उधार राशि	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपतियां						
ऋण	1201.38	1201.38	1.71	1.71	2.18	2.18
वित्तीय देयताएं						
उधार	2206.16	2206.16	7.24	7.24	6.93	6.93
प्रतिभूति जमा एवं बयाना	189.67	189.67	159.72	159.72	125.09	125.09

➢ उनके अल्पावधि के कारण व्यापार प्राप्तियों की वर्तमान राशि, अल्पावधि जमा, नकद एवं नकद समकक्ष तथा व्यापार भुगतान को उनके उचित मूल्यों के समान ध्यान में लिया जाता है।

➢ यदि यह महत्त्वपूर्ण न हो तो अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत के उचित मूल्य पर वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

➢ ऋण, सुरक्षा जमा और अधिमानी शेयरों में निवेश करने के लिए उचित मूल्यों की गणना वर्तमान ऋण दर का उपयोग कर नगद प्रवाह के आधार पर की गई। उचित मूल्य के पदक्रम में ये स्तर-3 के उचित मूल्यों के रुप में वर्गीकृत है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय उपकरण जिनका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जा रहा है, उनका मूल्यांकन तकनीक की सहायता से निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक प्रतिवेदन अवधि के अंत में समूह, उपयुक्त मान्यताओं को निर्धारित करने हेतु है एक तकनीक का चयन करती है।

2. जोखिम विश्लेषण एवं प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य एवं नीतियां

समूह के मुख्य देयताओं में ऋण, उधार, व्यापार एवं अन्य देय आदि शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन हेतु उन्हें वित्तीय सहायता एवं गारंटी प्रदान करना है। समूह के मुख्य वित्तीय परिसंपत्तियों में संचालन से सीधे व्युत्पन्न ऋण, व्यापार एवं अन्य प्राप्तियां, नगद एवं नगद समकक्ष शामिल हैं।

समूह बाजार क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों की निगरानी करते हैं। समूह के वरिष्ठ प्रबंधन जोखिम समिति के द्वारा मंडित किए गए हैं, जो परस्पर वित्तीय जोखिम तथा समूह के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिमों के शासन ढांचे पर अपनी सलाह देते हैं। जोखिम समिति समूह की वित्तीय जोखिम गतिविधियों के लिए अपना आंश्वासन निदेशक मंडल को देती है जो कि उचित नीतियों एवं प्रक्रिया द्वारा शासित होती हैं तथा वित्तीय जोखिम समूह के नीतियों एवं जोखिम बैंकों के उद्देश्यानुसार पहचाने, मापे एवं प्रबंधित किए जाते हैं। निदेशक मंडल जोखिमों के प्रबंधन हेतु की गई समीक्षा एवं नीतियों से सहमत है, जो संक्षेप में नीचे दिए गए हैं।

समूह बाजार, क्रेडिट एवं नकदी जोखिम के संपर्क में है। यह टिप्पणी जोखिम के स्त्रोतों की जानकारी देती है जिससे यह स्पष्ट है कि यह इसके इकाई के संपर्क में है तथा किस तरह यह जोखिम एवं वित्तीय लेखांकन विवरण के प्रभावों का प्रबंधन करती है।

जोखिम	जोखिम से उत्पन्न	माप	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद एवं नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय परिसंपत्तियां, व्यापार प्राप्तियां	विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा क्रेडिट सीमा विविधीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियां
नकदी जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्धित क्रेडिट लाइन उपलब्धता एवं उधार की सुविधाएं
बाजार जोखिम – विदेशी विनियम	भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति एवं देयताएं	नकदी प्रवाह का संवेदनशीलता पूर्वानुमान	लेखा समिति एवं वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा
बाजार जोखिम – ब्याज दर	नकद एवं नकद समकक्ष, बैंक जमा तथा म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह का संवेदनशील पूर्वानुमान	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा नियमित रुप से निगरानी एवं समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी किए गए डीपीई के दिशानिर्देशानुसार निदेशक मंडल द्वारा समूह के जोखिम का प्रबंधन किया जाता है। मंडल अत्यधिक नगदी निवेश की नीतियों सहित कुल प्रबंधन जोखिम हेतु लिखित रूप में मूलधन प्रदान करती है।

क) **क्रेडिट जोखिम** - क्रेडिट जोखिम, नगद एवं नगदी समकक्ष, परिशोधित लागत में किए गए निवेश तथा बैंक एवं वित्तीय संसाधनों के साथ जमा तथा बकाया प्राप्तियों से उत्पन्न हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन - वृहद आर्थिक जानकारी (जैसे की विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति अनुबंध एवं ई-नीलामी शर्तों के हिस्से के रूप में शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति अनुबंध एनसीडीपी के शर्तों के अनुसार एवं इस पर विचार करते हुए हम अपने ग्राहक या अंतिम ग्राहक के साथ कानूनी तौर पर लागू किये गए एफएसए में प्रवेश करवाते हैं। हमारे एफएसए को निम्न तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है।

- ऊर्जा उपयोगिता क्षेत्र, राज्य ऊर्जा उपयोगिता, निजी ऊर्जा उपयोगिता (पीपीयूएस) तथा स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक (आईपीपीएस) में ग्राहकों के साथ (एफएसएएस)।
- गैर ऊर्जा उद्योग (कैपिटल पावर प्लांट(सीपीपीएस)) में ग्राहकों के साथ एफएसएएस।
- राज्य द्वारा नामित एजेंसियों के साथ एफएसएएस।

उपरोक्तानुसार एफ़एसए फॉर्म के संबंध में डबल्यूसीएल कोयला आपूर्ति अनुबंध के"कोस्ट प्लस" के अंतर्गत कोयला की आपूर्ति करती है।

ई-नीलामी योजना - जो ग्राहक कोयला की आवश्यकताओं को एनसीडीपी के अंतर्गत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोयला उपलब्ध कराने हेतु कोयला ई-नीलामी योजना का प्रारंभ किया गया है। उदाहरणत: एनसीडीपी के तहत आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु आवंटन में की गई कमी,

मौसम के अनुरुप कोयले की आवश्यकताओं का उपयोग एवं सीमित कोयले की आवश्यकताएं जो द्रीघावधि लिंकेज की आश्वस्ति नहीं देते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तावित कोयले की मात्रा की समीक्षा एमओसी द्वारा समय-समय पर की जाती है।

क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित प्रावधान - समूह संदेहपूर्णपरिसंपत्ति में हुए क्रेडिट हानि हेतु अपेक्षित क्रेडिट जोखिम हानि को जीवन भर अपेक्षित क्रेडिट हानि द्वारा प्रदान करती है।(सरलीकृत दृष्टिकोण)

वर्ष 31-01-2017 के अंतर्गत सरलीकृत दृष्टिकोण के तहत व्यापार प्राप्तियों हेतु अपेक्षित क्रेडिट हानि।

(₹ करोड़ में)

विश्लेषण	दो महीनों के लिए बकाया	छ: माह के लिए बकाया	एक वर्ष के लिए बकाया	2 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष के लिए बकाया	3 वर्ष से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	559.45	401.44	96.46	77.33	1.12	48.56	1184.36
अपेक्षित हानि दर		2.34%	73.64%	2.25%	96.43%	71.40%	9.95%
अपेक्षित क्रेडिट हानि(हानि भत्ता प्रावधान)		9.38	71.03	1.74	1.08	34.67	117.90

31.03.2016 के अनुसार

विश्लेषण	2 माह के लिए बकाया	6 माह के लिए बकाया	1 साल के लिए	2 साल के लिए बकाया	3 साल के बकाया	3 साल से अधिक के लिए बकाया	कुल
कुल वहन राशि	748.62	280.86	44.72	27.22	25.95	33.55	1160.92
अपेक्षित हानि दर			11.34%	24.5%	52.79%	36.72%	3.25%
अपेक्षित क्रेडिट हानि(हानि भत्ता प्रावधान)			5.07	6.67	13.7	12.32	37.76

01.04.2015 के अनुसार

विश्लेषण	2 माह के लिए बकाया	छ: माह के लिए बकाया	1 साल के लिए बकाया	2 साल के लिए बकाया	3 साल के लिए बकाया	3 साल से अधिक बकाया	कुल
कुल वहन राशि	148.28	155.84	79.30	63.95	4.60	36.71	488.68
अपेक्षित हानि दर			2.59%	7.99%	8.04%	92.21%	8.47%
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि प्रावधान भत्ता)			2.05	5.11	0.37	33.85	41.38

हानि भत्ता प्रावधान का समाधान – व्यापार प्राप्य

दिनांक- 01.04.2015 पर हानि भत्ता	41.38
हानि भत्ता में परिवर्तन	-3.62
दिनांक-31.03.2016 पर हानि भत्ता	37.76
हानि भत्ता में परिवर्तन	80.14
दिनांक-31.03.2017 पर हानि भत्ता	117.90

वित्तीय सम्पत्तियों में हुए हानि हेतु किये गए महत्वपूर्ण आंकलन एवं निर्णय : -

ऊपर बताए गए वित्तीय संपत्ति के लिए हानि प्रावधान की धारणा अपेक्षित हानि दर तथा न्यूनतम जोखिम पर आधारित होती है। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने के लिए अतीत के इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थिति और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में किए गए हानि के आंकलनों के आधार पर इनपुट का चयन करती है।

ख) नगदी जोखिम -

विवेकतापूर्ण नगदी जोखिम प्रबंधन देय दायित्वों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के तहत नगदी और बिक्री योग प्रतिभूतियों को बनाए रखता है तथा धन की उपलब्धता को भी दर्शाता है। अंतर्निहित व्यवसायों की प्रकृति के कारण कंपनी भंडार की प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए वित्त पोषण में लचीलापन रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नगदी प्रवाह के आधार पर समूह की नगदी स्थिति (नीचे उधार लेने की सुविधा शामिल है) के पूर्वानुमानों, नगद एवं नगद समकक्ष की स्थिति पर नजर रखती है। यह आम तौर पर समूह द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमा के अनुरुप परिचालित कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

वित्तीय व्यस्थाएं-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह में निम्नलिखित अपर्याप्त उधार सूविधाओं तक पहुंचसकती है

	31.03.2017	31.03.2016	01.04.2015
एक साल के भीतर समाप्त (बैंक ओवरड्राफ्ट अन्य सूविधाएं)	शून्य	शून्य	शून्य
एक साल से अधिक की समाप्ति (बैंक ऋण)	शून्य	शून्य	शून्य

(i) वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई तालिका समूह की वित्तीय देयदाताओं को उनके अनुबंधित परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक समूह में विश्लेषित करती है।

तालिका में प्रकट की गई राशि संविदात्मक अनिर्धारित नकदी प्रवाह है। छूट का प्रभाव महत्वपूर्ण न होने की स्थिति में बारह महीनों के भीतर शेष राशि को उनके बकाया संतुलन के बराबर समझा जाता है।

(₹ करोड़ में)

वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता दिनांक- 31.03.17	3 माह से कम	3 माह से 6 माह	6 माह से 1 वर्ष	1 वर्ष से 2 वर्ष	2 से 5 वर्ष	कुल
उधार	2200.00		0.03	0.51	5.62	2206.16
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां	402.27	18.22	0.41	-	-	420.90
अन्य वित्तीय देयदताएं	209.32	29.35	103.79	24.25	15.94	382.65
कुल	2811.59	47.57	104.23	24.76	21.56	3009.71

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता 31.03.2016	3 माह से कम	3 माह से 6 माह तक	6 माह से एक साल तक	एक साल से 2 साल तक	2 से 5 साल तक	कुल
उधार			0.03	0.60	6.61	7.21
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां	303.29					303.29
अन्य वित्तीय देयताएं	175.59	22.56	87.06	26.23	17.24	328.68
कुल	478.88	22.56	87.09	26.83	47.70	639.18

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता 01.04.2015	3 माह से कम	3 माह से 6 माह तक	6 माह से 1 साल तक	1 साल से 2 साल तक	2 साल से 5 साल तक	कुल
उधार			0.03	0.57	6.33	6.90
वित्त पट्टे के तहत दायित्व						
व्यापार देनदारियां	277.22					277.22
अन्य वित्तीय देयताएं	135.31	18.19	67.10	17.18	11.29	249.07
कुल	412.53	18.19	67.10	17.75	17.62	533.22

बाजार जोखिम

क. विदेशी मुद्रा जोखिम :

कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न विदेशी विनियम के संपर्क में है। विदेशी संचालन के संबंध में विदेशी विनिमय जोखिम नगण्य है। समूह आयात करता है एवं जोखिम नियमित रुप से अनुवर्ती द्वारा प्रबंधित भी करता है। जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण होती है, तब कंपनी के पास एक नीति है जिसे वह कार्यान्वित करता है।

ख. नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम 107 (33) (ए)

बैंक जमा समूह में उत्पन्न मुख्य ब्याज दर जोखिम साथ ही कंपनी का नकदी ब्याज दर जोखिम प्रदर्शित करता है। कंपनी सार्वजनिक उद्यम के विभाग, क्रेडिट सीमित बैंक जमा विविधिकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों से प्राप्त दिशानिर्देशों का उपयोग कर जोखिम प्रबंधन करता है।

पूंजी प्रबंधन

समूह एक सरकारी इकाई होने के नाते वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी पूंजी का प्रबंध करती है ।

समूह की पूंजी संरचना निम्नानुसार है :

(₹ करोड़ में)

	31.03.2017	**31.03.2016**	**01.04.2015**
इक्विटी शेयर पूंजी	141.23	186.40	186.40
वरीयता शेयर पूंजी	NIL	NIL	NIL
दीर्घकालिक ऋण	6.13	7.21	6.90
दीर्घकालिक कर्ज की चालू परिपक्वता	0.51	0.56	0.50

3. समूह सूचना :

नाम	एमसीएल के साथ संबंध	मूल गतिविधियां	निगमीकरण का देश	इक्विटी का ब्याज %		
				01.04.15	31.03.16	31.03.17
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	70	70	70
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	कोयला उत्पादन	भारत	60	60	60
महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	ऊर्जा उत्पादन	भारत	100	100	100
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी कंपनी	रेल कोरिडोर का निर्माण एवं संचालन परियोजना	भारत	-	64	64

4. कर्मचारी लाभ : मान्यता एवं माप (भारतीय लेखांकन मानक -19)

i) **भविष्य निधि :**

नामित ट्रस्ट कोयला खदान भविष्य निधि जो अनुमत प्रतिभूतियों में निधि का निवेश करता है, में पूर्व निर्धारित दरों से समूह भविष्य निधि एवं पेंशन निधि पर तय योगदान का भुगतान करती है। वर्ष के दौरान लाभ व हानि विवरण (टिप्पणी-28) में निधि किये गए 204.91 करोड़ रुपए (195.69 करोड़ रुपये) का योगदान स्वीकार किया गया है।

ii) समूह ने कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं का संचालन बीमांकिक आधार पर किया है:

(क) लगाये गए लागत -

- उपदान
- छुट्टी नकदीकरण

(ख) अपव्यय

- लाइफ कवर स्कीम
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- यात्रा छुट्टी रियायत
- चिकित्सा लाभ
- खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

बीमांकिक द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दिनांक- 31.03.2017 तक कुल देयता 1165.15 करोड़ रुपए है जिसका विवरण नीचे उल्लेखित है।

दिनांक-31.03.2017 तक बीमांकिक देयता:

(₹ करोड़ में)

विषय	दिनांक – 1.04.16 पर प्रारंभिक बीमांकिक देयता	वर्ष के दौरान वृद्धिशील देयता	दिनांक-31.03.2017 पर समाप्त बीमांकिक देयता
उपदान	686.00	32.74	718.74
अर्जित छुट्टी	202.92	42.74	245.66
अर्ध वेतन छुट्टी	41.06	13.96	55.02
लाइफ कवर स्कीम	5.26	0.42	5.68
निपटान भत्ता (अधिकारी)	3.80	0.81	4.61

निपटान भत्ता (गैर-अधिकारी)	8.28	0.41	8.69
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.11	0.01	0.12
यात्रा छुट्टी रियायत	33.82	8.41	42.23
चिकित्सा लाभ (अधिकारी)	62.38	8.03	70.41
चिकित्सा लाभ (गैर-अधिकारी)	0.11	0.39	0.50
खान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा	12.99	0.50	13.49
कुल	1056.73	108.42	1165.15

भारतीय लेखांकन मानक 19(2015) के अनुसार दिनांक-31.03.2017 में उपदान देयता के बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	31.03.2017 **तक**	31.03.2016 **तक**
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	686.00	679.69
वर्तमान सेवा लागत	56.85	49.08
ब्याज लागत	46.68	51.31
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक(लाभ)/घाटा	43.54	0.00
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/घाटा	(30.24)	(17.37)
भुगतान किए गए लाभ	84.10	76.71
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	718.74	686.00

(₹ करोड़ में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	669.61	665.69
ब्याज आय	48.55	53.26
कर्मचारी योगदान	81.24	26.41
भुगतान किए गए लाभ	84.10	76.71
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	11.90	0.96
अवधि के अंत में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	727.20	669.61

(₹ करोड़ में)

तुलनपत्र के लिए सामंजस्य दिखाते वक्तव्य	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
लागत की स्थिति	8.46	(16.39)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
सपत्ति निधि	727.20	669.61
देयता निधि	718.74	686.00
योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	**31.03.2017 तक**	31.03.2016 **तक**
छूट दर	7.25%	8.00%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.25%	8.00%
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.50% कर्मचारियों के लिए	6.25%
औसत अपेक्षित भाविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	11	11
देयताओं की औसत अवधि	11	11
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 के अंत में	
उम्र में सेवानिवृत्ति	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं असक्तता	1.00%	1.00%

(₹ करोड़ में)

हानि व लाभ विवरण में पहचाने गए व्यय	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
वर्तमान सेवा लागत	56.85	49.08
शुद्ध ब्याज लागत	(1.86)	(1.95)
लाभ लागत (लाभ व हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	54.99	47.13

अनुमानित भविष्य भुगतान की जानकारियों को दर्शाते वक्तव्य (पूर्व सेवा)

वर्ष

(₹ करोड़ में)

1	81.39
2	77.03
3	71.33
4	69.09
5	67.22
6 to 10	362.25
10 वर्ष से ज्यादा	676.10
पूर्व एवं भविष्य में छूट न दिए गए कुल भुगतान	-
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	1404.41
ब्याज हेतु कम छूट	685.67
अनुमानित लाभ दायित्व	718.74

अन्य व्यापक आय	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/घाटा	43.54	
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक (लाभ)/घाटा	(30.24)	(17.37)
कुल बीमांकिक लाभ / हानि	13.30	(17.37)
योजना परिसंपत्ति की वापसी, ब्याज आय को छोड़ कर	11.90	0.96
अवधि की समाप्ती पर उपलब्ध शेष	1.40	18.33
निवल (आय)/ मान्यता प्राप्त अवधि में अन्य व्यापक आय में व्यय	1.40	18.33

मृत्यु दर तालिका	
आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.02[illegible]545

संवेदनशीलता विश्लेषण	**बढ़ना**	**घटना**
छूट दर (-/+0.5%)	692.54	746.69
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-3.64%	3.89%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	727.22	709.75
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	1.18%	-1.25%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	719.53	717.94
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.11%	-0.11%
मृत्यदर (-/+ 10%)	723.62	713.85
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.68%	-0.68%

नकदी प्रवाह जानकारी दर्शाते वक्तव्य

(₹ करोड़ में)

अगले वर्ष का कुल (अपेक्षित)	55.23
न्यूनतम वित्त आवश्यकता	29.59
कंपनी की कार्य – स्वतंत्रता	

नकदी प्रवाह जानकारी दर्शाते वक्तव्य	(₹ करोड़ में)
अगली अवधि वर्तमान सेवा लागत (सिर्फ नियोक्त्ता भाग)	58.80
अगली अवधि हेतु ब्याज लागत	49.16
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	52.72
लागत लाभ	55.24

(₹ करोड़ में)

मापन के अंत में संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ दर्शाते वक्तव्य	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
वर्तमान देयता	78.59	87.56
गैर-चालू देयता	640.15	598.44
शुद्ध देयता	718.74	686.00

भारतीय लेखांकन मानक 19 (2015) के अनुसार दिनांक - 31.03.2017 में छुट्टी नकदीकरण लाभ (ईएल/एचपीएल) के रुप में बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र

(₹ करोड़ में)

परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
अवधि के प्रारंभ में कार्य का वर्तमान मूल्य	243.98	232.52
वर्तमान सेवा लागत	61.21	36.00
ब्याज लागत	16.84	17.57
वित्तीय मान्यताओं में परिवर्तन के कारण कार्य में बीमांकिक (लाभ)/घाटा	49.02	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण बीमांकिक लाभ/ हानि	(46.90)	(16.47)
लाभ भुगतान	23.47	25.64
अवधि के अंत में कार्य का वर्तमान मूल्य	300.68	243.98

(₹ करोड़ में)

संपत्ति योजना के उचित मूल्य में परिवर्तन	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
अवधि के प्रारंभ में संपत्ति योजना का उचित मूल्य	-	-
ब्याज आय	6.69	-
नियोक्ता योगदान	220.69	-
लाभ भुगतान	23.47	-
ब्याज आय छोड़कर संपत्ति योजना पर लाभ	(0.34)	-
अवधि के अंत में संपत्ति योजना के उचित मूल्य	203.57	-

(₹ करोड़ में)

तुलनपत्र में सामंजस्य दर्शाते वक्तव्य	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
लागत स्थिति	(97.11)	(243.98)
अवधि के अंत में अप्रत्याशित बीमांकिक (लाभ)/हानि		
संपत्ति निधि	203.57	-
देयता निधि	300.68	243.98

(₹ करोड़ में)

योजना मान्यताओं को दर्शाते वक्तव्य :	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
छूट दर	7.25%	8.00%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ	7.25%	NA
मुआवजा बढ़ोत्तरी दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारियों के लिए एवं 6.50% कर्मचारियों के लिए	6.25%
औसत अपेक्षित भविष्य सेवा (शेष जीवन कार्य)	11	11
नैतिकता तालिका	IALM 2006-2008 के अंत में	
उम्र में सेवानिवृत्ति	60	60
पूर्व सेवानिवृत्ति एवं असक्तता	1.00%	1.00%
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	उपेक्षित	उपेक्षित

(₹ करोड़ में)

हानि व लाभ विवरण में पहचाने गए व्यय	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
वर्तमान सेवा लागत	61.22	36.00
शुद्ध ब्याज लागत	10.14	17.58
शुद्ध बीमांकिक लाभ/हानि	2.46	-16.47
लाभ लागत (लाभ/हानि विवरण में पहचाने गए व्यय)	73.82	37.10

संवेदनशीलता विश्लेषण	बढ़ना	घटना
छूट दर (-/+0.5%)	287.63 करोड़	314.75 करोड़
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	-4.34%	4.68%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	314.57 करोड़	287.69 करोड़
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	4.62%	-4.32%
संघर्षण दर (-/+ 0.5%)	301.01 करोड़	300.35 करोड़
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.11%	-0.11%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	302.52 करोड़	298.85 करोड़
संवेदनशीलता के आधार पर परिवर्तन %	0.61%	-0.61%

मृत्यु दरतालिका	
आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

अनुमानित भविष्य भुगतान लाभ जानकारी दर्शाते विवरण

वर्ष

(₹ करोड़ में)

1	22.33
2	24.64
3	21.52
4	21.06
5	22.20
6 to 10	156.73
10 वर्ष से अधिक	385.40
पूर्व एवं भविष्य में छूट न दिए गए कुल भुगतान	-
पूर्व सेवा से संबंधित छूट न दिए गए कुल भुगतान	653.88
ब्याज हेतु कम छूट	353.20
कंपनी की कार्य स्वतंत्रता	300.68

(₹ करोड़ में)

माप के अंत में संपत्ति योजना पर अपेक्षित लाभ दर्शाते विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
वर्तमान देयता	21.56	20.26
गैर-चालू देयता	279.12	223.71
शुद्ध देयता	300.68	243.98

5. अपरिचित मद

क) आकस्मिक देयताएं

समूह के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया (ब्याज सहित, जहां पर लागू हो)

(₹ करोड़ में)

समूह के खिलाफ दावों को ऋण के रुप में स्वीकार नहीं किया गया			
		31.03.2017	**31.03.2016**
1	**केंद्रीय सरकार**		
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	166.08	119.33
	आय कर	1306.29	1162.65
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	155.12	31.40
	सेवा कर	94.43	64.64
	अन्य	5.41	19.56
2	**राज्य सरकार एवं स्थानीय अधिकारी**		
	बिक्री कर	201.93	104.65
	रॉयल्टी	2448.12	2423.18
	अन्य	103.57	850.74
3	**केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम**		-
	मुकदमेबाजी के तहत कंपनी के खिलाफ मुकदमा	313.75	
4	**अन्य**	227.76	171.88
	कुल	**5022.46**	**4948.03**

ख. प्रतिबद्धता

निष्पादन हेतु शेष संविदा की अनुमानित राशि

पूंजी राशि/ प्रदान किए गए: ₹ 427.76 करोड़

अन्य (राजस्व प्रतिबद्धता) : ₹ 2815.04 करोड़

ग. गारंटी

समूह द्वारा अन्य कंपनियों की तरफ से किसी भी प्रकार की प्रत्याभूति प्रदान नहीं की गई।

घ. शाख पत्र :

दिनांक 31.03.17 तक बकाया शाख पत्र 26.77 करोड़ रुपए है (4.36 करोड़ रुपए) एवं जारी बैंक गारंटी के अंतर्गत 38.27 करोड़ रुपए (13.38 करोड़ रुपए) है।

6. अन्य जानकारी

क) सरकारी सहायता :

कोयला नियंत्रक विकास प्राधिकरण द्वारा सुरक्षात्मक विकास से प्राप्त 176.83 करोड़ रुपए अनुवृत्ति रेलवे प्राधिकरणों को अग्रिम के रुप में प्रदान की गई है जिन्हें टिप्पणी-22 के तहत अस्थगित व्यय के रुप में दर्शोया गया है तथा वित्त वर्ष 2016-17 (टिप्पणी-24) के दौरान रेत भरने एवं सुरक्षा कार्य के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु कोयला खान (संरक्षण विकास)अधिनियम, 1974 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा कोयला मंत्रालय से 2.24 करोड़ रुपए प्राप्त किये गए हैं।

ख) प्रावधान

दिनांक 31.03.17 तक कर्मचारी लाभ छोड़कर विभिन्न प्रावधानों की स्थिति एवं संचार बीमांकित है, जो कि नीचे दिए गए हैं :

(₹ करोड़ में)

प्रावधान	**1.04.2016** के अनुसार प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान बढ़ोत्तरी	वर्ष के दौरान वापस/ समायोजित करें	डिस्काउंट का अन वाईंडिंग	**31.03.2017** के अनुसार समाप्त शेष
नोट 3:- संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण : संपत्तियों की हानि एवं कमी	318.57	358.98	13.25		690.80
नोट 4: मुख्य कार्य में प्रगति : सीडब्ल्यूआईपी के रुप में	11.88	3.65	(1.26)		14.27
नोट 5: परिसंपत्तियों का अंवेषण एवं मूल्यांकन प्रावधान एवं हानि	0	0	0		0
नोट 6:- अन्य अमूर्त संपत्तियां प्रावधान:	(0.09)	16.00	0		0.07
नोट 8: ऋण : अन्य ऋण :	0	0	0		0
नोट 9: अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां : अनुषंगियों के साथ वर्तमान लेखा : प्राप्य दावे:	0 0	0 0	0 0		0 0

अन्य प्राप्य :	0.16	0	0		0.16
नोट 10:- अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियां: अग्रिम पूंजी: उपयोगिता हेतु सुरक्षा जमा	0.55 0	0 0	0 0		0.55 0
नोट 11: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां: राजस्व हेतु अग्रिम: सांविधिक देय राशि के लिए अग्रिम भुगतान कर्मचारियों को अग्रिम: अन्य जमा : अन्य प्राप्य :	2.10 0 0 0 0	0.06 0 0.03 0 0	0 0 0 0 0		2.16 0 0.03 0 0
नोट 12: सूची: कोयला भंडार : भंडारों एवं पूर्जों का भंडार	0 19.12	0 0.77	0 0		0 19.89
नोट 13:व्यापार प्राप्य : ऋण हेतु प्रावधान एवं नैतिक	37.76	80.14	0		117.90
नोट 21: चालू एवं गैर चालू प्रावधान पीआरपी : एनसीडबल्यूए -X: अधिकारी वेतन संशोधन: खदान बंद : अन्य : अनुग्रह राशि सेवा निवृत्ति लाभ ग्रेड स्लिप्पेज दावा प्राप्य स्वच्छ ऊर्जा सेस और एक्साइज ड्यूटी	277.93 0 0 685.57 100.33 114.01 0 0 0	17.51 146.37 9.78 0 109.75 19.92 80.76 14.19 269.73	(237.43) 0 0 0 (100.33) 0 0 0 0	49.66	138.15 146.36 9.78 735.23 109.75 133.93 79.57 14.19 269.73

ग) रिपोर्टिंग खंड

भारतीय लेखांकन मानक 108 के प्रावधानों के अनुसार 'संचालन खंड' का उपयोग खंड सूचना प्रदान करने हेतु किया जाता है जिसकी पहचान बीओडी द्वारा अंतरिम प्रतिवेदन के आधार पर की जाती है ताकि खंडों के संसाधनों को आवंटित किया जा सके एवं उनके प्रदर्शन का उपयोग भी किया जा सके। भारतीय लेखांकन मानक 108 के अर्थानुसार बीओडी, मुख्य परिचालन निर्णय लेने वालों का समूह है।

निदेशक मंडल ने महत्वपूर्ण उत्पाद के व्यवसाय पर विचार किया है एवं निर्णय लिया है कि यह कोयले की बिक्री करने योग्य एक एकल रिपोर्ट का भाग है। वित्तीय प्रदर्शन एवं शुद्ध संपत्ति की समेकित जानकारी पी/एल एवं तुलनपत्र में प्रस्तुत की गई है।

गंतव्य द्वारा राजस्व निम्नानुसार है

	भारत	अन्य देश
राजस्व	14161.94	शून्य

ग्राहक द्वारा राजस्व निम्नानुसार है-

ग्राहक का नाम	राशि (करोड़ में)	देश
प्रत्येक पार्टियों का नाम जिनकी शुद्ध बिक्री मूल्य 10% से ज्यादा हो		
एनटीपीसी	2088.43	भारत
वेदांत	1493.66	भारत
टीएनईबी	865.50	भारत
अन्य	8765.50	भारत

स्थान के द्वारा शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति निम्नानुसार

	भारत	अन्य देश
शुद्ध वर्तमान परिसंपत्ति	12293.83	शून्य

घ. प्रति शेयर आय:

क्र.सं	विवरण	दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष		दिनांक-31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
		पीएटी	ओसीआई	पीएटी	ओसीआई
i)	इक्विटी शेयर धारकों के लिए कर के बाद शुद्ध लाभ (₹ करोड़ में)	4489.70	(0.92)	4193.83	11.99
ii)	भारित बकाया औसत इक्विटी शेयर	1412266	1412266	1864009	1864009
iii)	रुपए में प्रति शेयर मूल एवं लघु आय (अंकित मूल्य 1000 रुपये प्रति शेयर)	31790.75	(6.51)	22498.98	64.32

ङ. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

क. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

श्री ए .के. झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध-निदेशक

श्री एल. एन. मिश्रा, निदेशक (कार्मिक)

श्री के. के. परिडा, निदेशक (वित्त)

श्री जे .पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी-संचालन)

श्री ओ. पी. सिंह, निदेशक (तकनीकी योजना एवं परियोजना)

श्री ए. के. सिंह, कंपनी सचिव

स्वतंत्र निदेशक

श्री एच.एस. पति

डॉ. आर. मल्ल

प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव को भुगतान	दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2016 को समाप्त वर्ष
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ सकल वेतन परिलब्धियां चिकित्सा लाभ	1.49 0.00 0.04	1.40 0.00 0.01
ii)	रोजगार लाभ के उपरांत पी.एफ एवं अन्य निधि का योगदान	0.16	0.19
iii)	समाप्ति लाभ (वियोजन के समय प्रदत्त) छूट्टी नकदीकरण		
	कुल	**1.69**	**1.60**

टिप्पणी:

(i) उपर्युक्त निदेशक पारितोषिक में परिभाषित हितों को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया।

(ii) इसके अलावा, पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के ओएम नं 2(18)/पीसी दिनांक 20.11.1964 को संशोधित प्रावधानों के अनुसार 750 कि.मी. पर रियायत दर के भुगतान पर निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने हेतु अनुमति दी गई है ।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	स्वतंत्र निदेशकों को भुगतान	दिनांक-31.03.2017 को समाप्त वर्ष	दिनांक-31.03.2016 को समाप्त वर्ष
i)	बैठक शुल्क	0.11	0.00

31.03.2017 को बकाया शेष

क्र.सं	विवरण	**31.03.2017** के अनुसार	**31.03.2016** के अनुसार
i)	देय राशि	शून्य	शून्य
ii)	प्राप्य राशि	शून्य	शून्य

ii. समूह के अंतर्गत संबन्धित पार्टी लेनदेन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते संबन्धित पार्टी लेनदेन एवं उत्कृष्ट शेष के संबंध में सरकारी नियंत्रण के साथ सामान्य प्रकटीकरण की आवश्यकताओं में छूट देती है।

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने अपने धारक कंपनियों, अनुषंगी तथा अनुषंगियों जो सर्वोच्च शुल्क पुनर्वास शुल्क, सीएमपीडीआईएल व्ययों, आर एंड डी व्ययों, पट्टे का किराया, अधिशेष निधि पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क को शामिल करते हैं तथा चालू खाते के माध्यम से अन्य सहायक कंपनियों द्वारा या उनके द्वारा किये गए खर्च के साथ लेनदेन में प्रवेश करते हैं।

भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार महत्वपूर्ण लेनदेन राशि एवं इससे संबंधित प्रकटीकरण निम्नानुसार है।

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	कंपनी के साथ संबंध	वर्ष के दौरान लेनदेन राशि
कोल इंडिया लिमिटेड	100% होल्डिंग कंपनी	(118.81)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.10)
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.05)
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	(0.41)
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	0.06
नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुसंगी कंपनी	(0.06)
साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	1.11
सीएमपीडीआई लिमिटेड	100% धारक कंपनी के अनुषंगी कंपनी	48.03
एमजेएसजे कोलफील्ड्स लिमिटेड	अनुषंगी (60% हिस्सेदारी)	0.60
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी (70% हिस्सेदारी)	0.11
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	अनुषंगी (100% हिस्सेदारी)	1.32
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी (64% हिस्सेदारी)	0.26

च. कर योग

वर्तमान वर्ष के दौरान आय कर के लिए लेखा में 2325.32 करोड़ रुपए (2014.99 करोड़) की राशि प्रदान की गई।

कंपनी के पास भारतीय लेखांकन मानक 12 के गणना के तहत एक स्थगित कर देयता है, जिसे चार्टर एकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया।

31 मार्च 2017 के अनुसार अस्थगित कर संपत्ति (देयता) और मार्च 2016 का विवरण निम्न रूप में है

(₹ करोड़ में)

अस्थगित कर देयता :	**31.03.2017 तक**	**31.03.2016 तक**
संबंधित तय संपत्ति	**55.95**	**(2.68)**
अस्थगित कर संपत्ति :		
संदिग्ध ऋण, दावों आदि हेतु प्रावधान	36.89	9.15
कर्मचारी वियोजन एवं सेवानिवृत्ति	34.88	83.52
अन्य	-217.64	-278.95
कुल अस्थगित कर संपत्ति	**(145.87)**	**(186.28)**
शुद्ध अस्थगित कर संपत्ति/(अस्थगित कर देयता)	**(201.82)**	**(183.60)**

- **कर व्यय (आय) और लेखा लाभ के बीच संबंध**

अंतर का अंकीय सामंजस्य

क्रमांक	**सामंजस्य की प्रकृति**	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**
1	लाभ और हानि के अनुसार शुद्ध लाभ (कर के पूर्व)	6853.32
2	**लागू कर दर**	34.608%
	1*2	2371.80
3	**आयकर के अनुसार शुद्ध लाभ**	6719.02
4	कर व्यय (आय)	2367.68
5	अंतर	4.12

छ. बीमा और वृद्धि दावा

बीमा और वृद्धि दावा का लेखा-जोखा आवेदन/अंतिम निपटान के आधार पर किया जाता है।

ज. लेखा के लिए बनाये गए प्रावधान

धीमी प्रयुक्त/स्थिर/अप्रचलित भंडार गृह दावा, प्राप्य, अग्रिम, संदिग्ध ऋण के लिए लेखा में प्रावधान पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है ताकि संभावित नुकसान को रोका जा सके।

झ. चालू संपत्ति, ऋण और अग्रिम आदि

प्रबंधन के विचार से अचल संपत्ति के अतिरिक्त अन्य संपति और गैर चालू निवेश का मूल्य कम से कम व्यवसाय के सामान्य अवधि के दौरान वसूली पर या जिस पर मूल्य निर्धारित किया जाता है, के बराबर होता है।

ञ. चालू देयताएँ

जहां वास्तविक देयताएँ नहीं मापी जा सकती, वहाँ अनुमानित देयताएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

ट. शेष की पुष्टि

शेष की पुष्टि एवं सामंजस्य, नगद एवं बैंक शेष, निश्चित ऋण एवं अग्रिम, दीर्घकालिक देयताएँ और चालू देयताओं के आधार पर किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्टि शेष के लिए प्रावधान किये जाते हैं।

ठ. सीआईएफ के आधार पर आयात मूल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष**
(i) कच्चा माल	शून्य	शून्य
(ii) पूंजीगत माल	28.37	शून्य
(iii) भंडार,पुर्जा एवं उपकरण	0.10	0.02

ड. विदेशी मुद्रा के लिए किए गए खर्च

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष**
यात्रा व्यय	0.36	0.01
प्रशिक्षण व्यय	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य
ब्याज	0.09	0.09
भंडार एवं पुर्जे	0.10	0.02
पूंजीगत माल	28.37	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य

ढ. विदेशी विनिमय में अर्जन

विविरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	**31.03.2016 को समाप्त वर्ष**
यात्रा व्यय	शून्य	शून्य
प्रशिक्षण व्यय	शून्य	शून्य
परामर्श शुल्क	शून्य	शून्य

ण.भंडार एवं पुर्जो का कुल खपत

(₹ करोड़ में)

विवरण	**31.03.2017 को समाप्त वर्ष**		31.03.201 **को समाप्त वर्ष**	
	राशि	कुल खपत का प्रतिशत	राशि	कुल खपत का प्रतिशत
(i) आयातित सामाग्री	0.10	0.02	0.02	0.00
(ii) स्वदेशी	583.50	98.00	542.73	100.00

त. कोयले का प्रारंभिक स्टॉक, उत्पादन, खरीद, टर्नओवर और अंतिम स्टॉक का विवरण

(₹ करोड़ में एवं परिमाण '000 एमटी में)

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष		31.03.2016 को समाप्त वर्ष	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
प्रारंभिक शेयर	**10191.73**	**367.52**	**12524.26**	**405.42**
उत्पाद	139208.39	13123.01	137901.13	12716.37
बिक्री	143008.03	13213.09	140229.22	12752.97
स्व खपत	4.80	0.90	4.83	1.30
बट्टे खाते में डालना	-	-	-	-
5% से अधिक की कमी	119.40	21.85	126.23	20.70
अंतिम शेयर	**6267.89**	**254.69**	**10065.11**	**346.82**

थ. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत संरक्षित किये गए ऋण, निवेश एवं गारंटी का विवरण :-

संबन्धित शीर्ष के अंतर्गत दिये गए ऋण और किये गए निवेश निम्न है -

कंपनी का नाम	संबंध	ऋण/निवेश	राशि (₹ करोड़ में)
एमजेएसजे कोल लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	**57.06**
एमएनएच शक्ति लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	**59.57**
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	**0.05**
महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	अनुषंगी	शेयरों में निवेश	**0.03**
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	सह अनुषंगी	दिये गये ऋण	**1500.00**

दिनांक 31.03.2017 अंतर्गत ऋण के संदर्भ में समूह द्वारा कोई भी निगमित आश्वस्ति नहीं दिया गया है।

द. महत्वपूर्ण लेखांकन नीति-

भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत कॉर्पोरेट मंत्रालय द्वारा या अधिसूचित (एमसीए) कंपनी द्वारा गृहित लेखांकन नीति (नोट-37) को स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण पिछले वर्ष महत्वपूर्ण लेखांकन नीति में उचित रुप से सुधार व उसे पुन: प्रारुपित किया गया।

लेखा नीति में परिवर्तन के फलस्वरुप तथा अन्य बदलाव के अंतर्गत शुद्ध लाभ के साथ भारतीय लेखांकन मानक निम्नानुसार वर्णित किये गए हैं :

पूर्व भारतीय गैप(जी.ए.ए.पी.) तथा भारतीय लेखांकन मानक के मध्य लाभ संधि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	समायोजन की प्रकृति	वर्ष 31.03.2016 की समाप्ति पर
	पूर्व भारतीय गैप के तहत शुद्ध लाभ (कर के पश्चात)	4184.74
1	भारतीय लेखांकन मानक 16 के तहत खनन बंदी के मापन का प्रावधान	47.29
2	"अन्य व्यापक आय " में वर्णित भारतीय लेखांकन मानक 19 के अंतर्गत कर्मचारियों के लाभ संबंधित योजना जिसके तहत उनके बीमांकिक हानि/लाभ का मापन किया जाता है।	(11.99)
3	पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन के प्रभाव	(24.28)
4	अनुषंगियों से ब्याज आय एवं अनुषंगी(एमएनएच) से किराया आय	(1.91)
	इक्विटी शेयर धारकों के कारण भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार शुद्ध लाभ	4193.83
	अन्य व्यापाक आय (कर के पश्चात)	11.99
	इक्विटी शेयर धारकों को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार कुल व्यापक आय	4205.82

7. भारतीय लेखांकन मानक का पहली बार अंगीकरण

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी को समूह ने पहली बार भारतीय लखांकन मानक के अनुसार तैयार किया है। कंपनी (लेखा), नियमावली, 2014 (भारतीय जीएएपी) के अनुछेद 07 के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानक कें अनुसार 31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के दौरान समूह ने इसके वित्तीय विवरण को तैयार किया है। तद्नुसार महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश में यथा वर्णित 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यथा तुलनात्मक अवधि के आँकड़ो के साथ 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार किया है। प्रारंभिक तुलनपत्र 01 अप्रैल, 2015 के अनुसार तैयार की गई है। कंपनी की पारगमन तारीख भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार की गई है। यह टिप्पण भारतीय गैप के वित्तीय विवरण को दोहराते हुए कंपनी द्वारा किए गए सामंजस्य की व्याख्या करता है जिसमें 01 अप्रैल, 2015 के अनुसार तुलनपत्र और 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरण को शामिल किया गया है।

(i) वित्तीय सम्पत्ति या वित्तीय देनदारियों का उचित मूल्य मापन (आईएनडी एएस 101. डी 20)

पहली बार भारतीय लेखांकन मानक 109 को अपनाने वाले लोग एक दिन के लाभ या हानि के प्रावधानों को अप्रत्याशित रुप से संक्रमण की तिथि पर या उसके बाद होने वाले लेनदेन के लिए लागू कर सकते हैं। जबतक कि पहले अपनाने वाले लोग पहले दिन के लाभ या हानि के लेनदेन के लिए भारतीय लेखांकन मानक 109 को लागू करने हेतु चुनाव करते हैं, तबतक लेनदेन जो पूर्व में संक्रमण की तिथि से पहले हुई थी, जिसे पूर्वव्यापी पुनारंभ करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय लेखांकन मानक को अपनाने वाले प्रथम समूह के रुप में समूह ने भारतीय लेखांकन मानक 109 के तहत भावी विकल्प चुनें हैं।

(ii) खदान बंदी, साइट पुन: स्थापना और संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बाध्यताएं (आईएनडी एएस 101 डी 21)

भारतीय लेखांकन मानक 16 के परिशिष्ट "ए" में मौजूदा खदान बंदी, पुन:स्थापना एवं इससे संबंधित देयताओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है जिसे संबंधित परिसंपत्तियों की लागत से जोड़ा या घटाया जा सकता है, जो इन निर्दिष्ट परिवर्तनों के लिए आवश्यक है; परिसंपत्ति की समायोजित मूल्यह्रास राशि उनके संभावित उपयोगिता के आधार पर घटाई जाती है। पहली बार अपनाने वालों के लिए भारतीय लेखांकन मानक के परिवर्तन की तिथि से पहले हुई ऐसी देनदारियों में बदलाव के लिए इन आवश्यकताओं का पालन नहीं करना पड़ता है। अन्य शब्दों में पहली बार अपनाने वालों को यह अनुमान लगाने की आवश्यकता नहीं होती कि रिपोर्टिंग की तिथियों पर क्या प्रावधान बनाये गए थे। इसके अलावा परिवर्तन काल के दौरान डीकमिशनिंग देयता की गणना की गई थी एवं यह माना गया था कि यह देयता संपत्ति के अपनाये/निर्मित किये जाने के वक्त मौजूद थी।

भारतीय लेखांकन मानक को पहली बार अपनाने वालों के रुप में समूह ने रुपांतरण की तारीख में खदान बंदी, साइट पुन: स्थापना एवं डिकमिशनिंग दायित्व की गणना की है, यह मानते हुए कि देयता उस समय मौजूद थी जब परिसंपत्ति पहली बार अधिग्रहित/निर्मित की गई थी।

(iii) एमसीएल की पुन:स्थापना एवं पुनर्वास नीति

परियोजना प्रभावित व्यक्तियों की आकांक्षाओं को बदलते हुए और भूमि के तेजी से अधिग्रहण के लिए एमसीएल की पुन:स्थापना एवं पुनर्वास नीति को 2012 में संशोधित किया गया था, जो कि उदार और पीएपी के तहत अनुकूल सहायक कंपनियों के बोर्ड के लिए अधिक लचीलापन है। यह नीति पुन:स्थापना एवं पुनर्वास लाभ को प्राप्त करने के लिए सूचीबद्ध पीएपी को पहचान करने के साथ-साथ पुनर्वास कार्य योजना को राज्य सरकार के परामर्श के बाद प्रतिपादित करने के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए आधार रेखा उपलब्ध कराती है। महानदी कोल्फील्ड्स लिमिटेड की पुन:स्थापना एवं पुनर्वास नीति भूमि क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा, रोजगार या एकमुश्त मौद्रिक क्षतिपूर्ति एवं वार्षिक वृत्ति, घर क्षतिपूर्ति, वैकल्पिक गृहस्थान के बदले एकमुश्त भुगतान, प्रत्येक प्रभावित विस्थापित परिवारों को निर्वाह भत्ता आदि को उपलब्ध कराने का कार्य करता है।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP)

सभी नए और विस्तरित परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंत्रालय के पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) अधिसूचना एसओ 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के अनुसार उनके अधिकतम, निर्देशात्मक क्षमता और पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना (EMP) तैयार की जाती है। वर्ष 2016-17 के दौरान, सीएमपीडीआई ने शून्य प्रारुप और 02 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन/पर्यावरणीय प्रबंधन योजना(EMP) को तैयार किया है जिससे कि पर्यावरण मंत्रालय से 02 पर्यावरण अनापत्ति प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया सके।

8. अन्य सूचना

दिनांक 31.03.2017 तक निवेश की स्थिति निम्नानुसार है :-

अनुषंगी का नाम	पता	मूल समूह की हिस्सेदारी	शामिल करने की तिथि	31.03.17 तक शामिल लेखा में अल्पसंख्यक लाभांश (करोड़ रुपये में)
1)एमएनएच शक्ति लिमिटेड	आनंद विहार, बुर्ला सम्बलपुर	70 %	16.07.2008	25.53
2)एमजेएसजे कोल लिमिटेड	आवास क्रमांक 42, प्रथम तल , आनद नगर , हाकिमपारा, अनगुल	60%	13.08.2008	38.04
3) महानदी बेसिन पॉवर लिमिटेड	प्लॉट सं जी-3 मंचेश्वर रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर	100%	02.12.2011	-
4) महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	एमडीएफ रुम, कॉर्पोरेट ऑफिस, एमसीएल मुख्यालय, जागृ तिविहार, बुर्ला सम्बलपुर	64%	31.08.2015	0.02
कुल				**63.59**

क. संयुक्त उद्यम में ब्याज दर (भारतीय लेखांकन मानक -31)

8 जनवरी 2013 को संयुक्त उद्यम समूह जिसका नाम नीलांचल पॉवर ट्रांसमिशन ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड है, को ओडिशा पॉवर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं संयुक्त उद्यम के बीच के अनुबंध के तहत् सम्मिलित किया गया है, दिनांक 31.03.17 के तहत् समूह द्वारा अन्य व्ययों के अंतर्गत रुपए 0.02 करोड़ (विगत वर्ष के तहत् 0.02 करोड़) संयोजित किये गए तथा प्राप्त दावों के तहत् इन्हें शामिल किया गया। संयुक्त उद्यम द्वारा दिनांक 31.01.17 से कोई भी निवेश नहीं किया गया है।

1 अप्रैल 2015 में इक्विटी की मिलान (भारतीय लेखांकन मानक के संक्रमण की तिथि)

(₹ करोड़ में)

	फूट नोट	भारतीय जीएएपी	समायोजन	भारतीय लेखांकन मानक
संपत्ति				
गैर-चालू संपत्ति				
क. संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण		3151.04	325.60	3476.64
ख. पूंजीगत कार्य में प्रगति		658.98	-0.25	658.73
ग. संपत्तियों का अन्वेषण एवं मूल्यांकन		133.38	-	133.38
घ. संपत्ति निवेश				
ङ. अमूर्त संपत्ति		4.91	-	4.91
च. विकास के अंतर्गत अमूर्त संपत्ति		-	-	-
छ. बिक्री हेतु गैर-चालू संपत्ति		-	-	-
ज. वित्तीय संपत्ति				
झ. निवेश		958.70	-	958.70
(ii)ऋण		1.74	-	1.74
(iii)अन्य वित्तीय संपत्ति		594.58	-	594.58
(i) अस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)		-	-	-
ञ. अन्य गैर-चालू संपत्ति		653.33	-	653.33
कुल गैर-चालू संपत्ति (क)		6156.66	325.35	6482.01
वर्तमान संपत्ति				
क. सूची		471.50		471.50
ख. वित्तीय संपत्ति				
(i) निवेश		247.70	-	247.70
(ii)व्यापार प्राप्य		447.30	1.55	448.85
(iii)नकद एवं नकद समकक्ष		199.86	-	199.86
(iv)अन्य बैंक शेष		10175.25	-	10175.25
(v) ऋण		0.44	-	0.44
(vi) अन्य वित्तीय संपत्ति		1153.37	-	1153.37
ग. वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)		226.22	-	226.22
घ. (अन्य वर्तमान संपत्ति		2494.16	-3.01	2491.15
कुल वर्तमान संपत्ति (ख)		15,415.80	-1.46	15,414.34

अन्य

a) भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार पिछली अवधि के आंकडों को पुनः वर्णित किया गया है तथा जब भी आवश्यक हो उसे पुनर्गठित और पुनर्व्यवस्थित भी किया जा सकता है।

पिछली अवधि के आकड़े टिप्पणी 1 से 38 कोष्ठ में दिये गए हैं।

b) 31 मार्च, 2017 के अनुसार नोट 1 से 22 तुलनपत्र का एक हिस्सा है तथा उस तिथि के समाप्त वर्ष के लिए लाभ तथा हानि का विवरण नोट 23 से 36 के भाग में दर्शाया गया है। नोट-2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को प्रस्तुत करता है तथा नोट-38 वित्तीय विवरण के संयुक्त नोट (टिप्पणी) को प्रस्तुत करता है।

1 से 38 में हस्ताक्षर

हमारे संलग्नित प्रतिवेदन के अनुसार बोर्ड की तरफ से

ह/-
ए. के. सिंह
कंपनी सचिव

ह/-
वी.वी.के. राजू
महाप्रबंधक (वित्त)

ह/-
के.के. परिडा
निदेशक (वित्त)
डीआईएन -07015077

ह/-
ए. के. झा
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक/
डीआईएन-06645361

हमारे संलग्नित प्रतिवेदन के अनुसार तथा
उनके तरफ से

सिंह राय मिश्रा एंड निगम
सनदी लेखाकर
फ़र्म पंजीकरण संख्या.318121**ई**

ह/-
(सी.ए. जे. के. मिश्रा)
सदस्यता सं. 052796

स्थानः सम्बलपुर
दिनांक : **25.05.2017**

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए नगद प्रवाह का विवरण

		31.03.2017 को समाप्त वर्ष (₹ करोड़ में)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष पुन: घोषित (₹ करोड़ में) पुनः घोषित
क	**प्रचालन गतिविधियों से नगद प्रवाह:**		
	करपूर्व निवल लाभ एवं असामान्य मदें:	6,851.01	6,281.51
	समंजन:		
	मूल्यह्रास एवं हानि	372.39	318.48
	विनियम दर का उतार-चढ़ाव	(0.59)	0.91
	ओबीआर समायोजन	1,313.31	2,452.00
	ब्याज/लाभांश(प्राप्त)	(1,393.30)	(1,294.05)
	ब्याज/वित्तीय प्रभार(प्रदत्त)	57.55	48.06
	लेनदार/वस्तुसूची/अन्य सीए/ऋण एवं अग्रिम इत्यादि हेतु प्रावधान	405.89	118.67
	आस्थगित कर देयता		
	कार्यशील पूँजी के परिवर्तन से पूर्व संचालन लाभ:	7,606.26	7,925.58
	समायोजन के लिए :		
	वस्तुसूची में बदलाव	102.69	44.26
	व्यापार से प्राप्य में बदलाव	(39.02)	(655.14)
	लंबी अवधि/गैर चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	(812.86)	(391.12)
	अल्प अवधि/चालू ऋण एवं अग्रिम/परिसंपत्तियों में बदलाव	327.69	820.99
	लंबी अवधि दायिताएं/ चालू दायिताएं / व्यापार से प्राप्य में बदलाव	3,603.58	169.67
	संचालन से अर्जित नगद	10,788.34	7,914.24
	प्रदत्त प्रत्यक्ष कर	(2,665.27)	(2,174.05)
	आस्थगित कर देयता		
	असामान्य मदों से पूर्व नगद प्रवाह	8,123.07	5,740.19
	असामान्य मदें	-	-
	संचालन गतिविधियों से निवल नगद	8,123.07	5,740.19
ख	**निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	स्थिर परिसंपत्तियों का क्रय	(1,821.58)	(656.57)
	अचल संपत्ति की खरीद (पी एंड बी, देव।)		
	सीआइएल के साथ अल्प अवधि जमा	293.87	208.55
	विविध प्राप्तियाँ	-	-
	कंपनियों का अधिग्रहण	-	-
	नये निवेश का क्रय (चालू/गैर चालू)	1,143.00	(1,097.30)
	प्राप्त ब्याज	1,278.85	1,201.76
	म्यूच्युअल फंड से प्राप्त लाभांश (गैर-व्यापार)	114.45	92.29
	निवेश की गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	1,008.59	(251.27)
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	सीआइएल के जरिए विश्व बैंक ऋण	-	-
	आस्थागित जमा ऋण	(1.13)	0.37
	विनियम दर में उतार-चढ़ाव	0.59	(0.91)
	सीआइएल ऋण का पुनर्भुगतान	-	
	प्राथमिकता शेयर पूंजी का परिशोधन	-	-
	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	(57.55)	(48.06)
	प्रदत्त लाभांश	(2,982.00)	(3,608.45)
	लाभांश वितरण कर	(607.06)	(734.60)
	इक्वीट शेयर पूंजी	(1,979.73)	
	वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नगद	(5,626.88)	(4,391.65)
	नगद एवं नगद समतुल्य में निवल वृद्धि	3,504.78	1,097.27
	वर्ष के प्रारम्भ में नगद एवं नगद समतुल्य	11,611.95	10,514.68
	अवधि के अंत में नकद और नकद समकक्ष	15,116.73	11,611.95

उपरोक्त कथन अप्रत्यक्ष विधि पर तैयार किया गया है।
पिछले वर्ष के आंकड़े को वर्तमान अवधि वर्गीकरण की पुष्टि के लिए पुन: वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी: ₹ 733.37 करोड़ (31.03.2016 तक, 558.17 करोड़ रूपये) की नगद और नगद समकक्ष कंपनी द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
(ए के सिंह)	(वी.वी.के. राजू)	(के.के.परिड़ा)	(ए.के. झा)
कंपनी सचिव	महाप्रबंधक(वित्त)	निदेशक(वित्त)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
			डीआइएन 07015077

उसी दिन हमारे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुरूप
कृते,पाम्प एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं.316079ई

ह/-
(सी ए जे के मिश्रा)
भागीदार
सदस्य संख्या 052796

दिनांक 25.05.2017
स्थान सम्बलपुर

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कंपनी)
मो./डाकघर- जागृति विहार, बुर्ला
संबलपुर-768020 (ओडिशा)
वेबसाइट : www.mahanadicoal.in

Printed at Five Star Printing Press, Burla